अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका/Index 01

02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 06/07

03. निर्णायक मण्डल 08

04. प्रवक्ता साथी 10/11

(Science / विज्ञान)

05. Physicochemical Study Of Soil Samples Of Different Zones Of Neemuch 12
(Avadhesh Pratap Singh Mandloi, Dr. Archana Pancholi)

06. Analysis of Concentration Level of Heavy Metals in Soil at Vegetables Areas in Indore, Madhya Pradesh, India (Dr. Sandhya Dixit) 17

07. Global Warming And Climate Change - Solution In Indian Cultural Traditions 20
(Dr. Pramod Pandit)

08. Polyamines in Plant Physiology (Manju Meena) 23

09. Various Applications of Fluid Dynamics - An Overview (Sudhish Kumar) 26

10. Some skin diseases in humans caused by species of microsporum and their treatment 28
(Dr. Shobha Sharma)

11. Effect of Air Pollution on Human Health (Manisha Marathe) 30

12. Antimicrobial activity of medicinal plant against human pathogenic bacteria 31
(Arti Chaurasia, Anil Gharia)

13. जैव विविधता का मूल्य संवर्धन तथा जैव संसाधनों का सतत् उपयोग - रेशम कीट और पौधे- एक व्यक्तिवृत अध्ययन (इमराना सिद्दीकी, फरहाना अली) 33

(Home Science / गृह विज्ञान)

14. Impact Of Demonetisation On Online Shopping In Jabalpur City 37
(Samumya Mishra, Dr. Mamta Sharma, Dr. Abha Tiwari)

15. A Study Of Knowledge And Awareness About Postnatal Care Among College Going Girls 43
(Dr. Deepshikha Pandey)

16. Problems Of Modernization In Garment Industries Of Indore Division (Vijeta Bhatore) 46

17. इंदौर शहर की कामकाजी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव एंव चिंता का अध्ययन, उनके शैक्षणिक स्तर के संदर्भ में (डॉ. छाया हार्डिया, महेन्द्र प्रताप लोखण्डें) 48

18. बच्चों की भोज्य आदतों के विकास में परिवार की भूमिका (डॉ. अर्चना जैन) 51

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

19. Gross Domestic Production Of India An Overview (Dr. Lokesh Jarwal) 54

20. India's Import Trend Of Last Decade (Dr. Anu Mehta) 58

21. Financial Funding Pattern Of Services Under ICDS-An Analytical Review 62
(Shraddha Tambe, Udey Kure)

22. An Analysis Of Investment Avenues & Saving Preferences Of Service 66
Class Peoples (Dr. Sarika Jindal, CA Mukesh Agrawal)

23. GST And Its Implication On E-Commerce (Tapan Kaushal) 70

24. Skills Development In India (Dr. Vishal Purohit) 74

25. An Analytical Study Of Impact Of Mall Culture (Special Reference To The Middle 77
Class Customer Of Ujjain Division) (Dr. Rajesh Jain)

26. The Indian Health Insurance Industry - Then and Now (Pre and Post Liberalization scenario) 80
(Dr. Priya Jain)

27. Corporate Social Responsibility : The Role of Business Organizations 83
(Pallavi Rassay, Dr. Tabassum Patel)

28. Make In India - A study of Growth in Automobile sector through FDI 86
(Dr. Vaishali Sharma, Dr. Rekha Lakhotia, Dr. Smita Shah)

29. Poverty As A Hurdle In Sustainable Development (Dr. Tabassum Patel) 89

30. Splintering The Glass Ceiling -The Changing Scenario (Dr. Sunita Wathrey, Astha Rajak) 92

31. An Analysis of Impact of Global Recession on Indian Economy 95
(Prof. Bhavik Vora, Dr. Rajeev kumar Jhalani)

32. Liberalization Effect On Indian Agriculture (Dr. Kavita Jadhav) 98

33. Cashless Transaction : Opportunities Or Threats 100
(Priti Solanki, Sangeeta Jain, Dr. Tabassum Patel)

34. Implementation Of New Media Based Strategies For Sustainable Development 103
Promotion In Higher Education (Dr. Rajesh Jain)

35. इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में सामान्य बीमा दावों का अध्ययन (डॉ. एम.डी. सोमानी, पायल जैन) 105

36. विशेष केन्द्रीय सहायता योजना का परिचय एवं मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के संदर्भ में संक्षिप्त अध्ययन 109
(डॉ. एन. एल. गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता)

37. मध्यप्रदेश विद्युत ऊर्जा दरों में वृद्धि का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. अनूप कुमार व्यास, सुरभि ढिंगरा) 113

38. भारत के राष्ट्रीय विकास हेतु महिलाओं की भूमिका का आर्थिक सर्वेक्षण (डॉ. हर्षा चचाने, डॉ. राजू रैदास) 117

39. जीनिंग कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों से संबंधित नियम क्रियान्वयन की बाधाओं का अध्ययन 120
(खरगोन जिले के संदर्भ में)(डॉ. संध्या आमगा)

40. इंदिरा आवास योजना आर्थिक विश्लेषण - खरगोन जिले के संदर्भ में 123
(डॉ. पुरूषोत्तम गौतम, डॉ. परमजीत सिंह सलुजा)

41. मध्य प्रदेश के बीड़ी उद्योग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का आर्थिक आलोचनात्मक अध्ययन 125
(इन्दौर जिले के सन्दर्भ में) (डॉ. विजय ग्रेवाल)

42. भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न पॉलिसियों के विपणन का आलोचनात्मक अध्ययन 128
(इन्दौर मण्डल के संदर्भ में)(डॉ. मनीषा ग्रेवाल)

43. भारत में ग्रामीण एंव कृषि क्षेत्र का विकास-जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के विशेष संदर्भ में 131
(डॉ. बी. एस. मक्कड़, रितेश शर्मा)

44. नगर निगम के कार्यों का आर्थिक वर्ग समूह पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन (इन्दौर शहर के विशेष संदर्भ में) 134
(वैभव शर्मा)

45. बचत एवं विनियोग का महत्व (डॉ. एन. एल. गुप्ता, ऊँकार सिंह रावत) 136

46. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का देवास जिले के ग्रामीणों पर प्रभाव (तृप्ति आगस्त्या) 138

47. किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कृषकों पर प्रभाव (देवास जिले के संदर्भ में) (निलेश कुमार टेलर) 140

(Economics / अर्थशास्त्र)

48. Employment through Agro-Waste based Industry in Rural India (Dr. Meena Matkar) 142

49. Study Of Promoting Agriculture Finance (State Bank Of India) (Abhishikha Parmar) 145

50. Role of Econometrics in Economic Analysis (Dr. Rashmi Gupta) 147

51. मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान - एक विवेचना (प्रो. हिरासिंह जामोद) 149

52. स्व-सहायता समूह से ग्रामीण महिला विकास का परिदृश्य- एक अध्ययन (मंडला एवं बालाघाट के विशेष संदर्भ में) .. 153
(डॉ. अरूणा कुसुमाकर)

53. कृषि विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका : एक अध्ययन (नयना शाक्या) 157

54. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन - बड़वानी जिले के संदर्भ में (डॉ. आशासाखी गुप्ता, डॉ. जयराम सोलंकी) 160

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

55. जनजातीय वर्ग के विकास में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 162
की भूमिका का अध्ययन (राकेश पटेल)

56. अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु म.प्र. शासन द्वारा आर्थिक सहायता 165
छात्रवृत्ति के रूप में - एक विश्लेषण (डॉ. मीनाक्षी पँवार)

57. भारत में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति - एक अध्ययन (साधना खराड़ी, डॉ. निशा वशिष्ठया) 169

(History / इतिहास)

58. भारतीय सामाजिक समरसता में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव (मनीषा दीक्षित) 171

(Sociology / समाजशास्त्र)

59. Contemporary Challenges For Girls Education And Their Dropout Rate In Rural Areas - Specially Their Safety Issues In Education (Amita Joshi, Dr. Prarthana Nigam) 173

60. अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के शैक्षणिक विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका' - खरगोन जिले के विशेष सन्दर्भ में (मनीषा सावले, डॉ. प्रार्थना निगम) 176

61. महिलाओं के सामाजिक एंव आर्थिक विकास में म. प्र. सरकार की योजनाओं का अध्ययन (प्रो. मीना जैन, हेमा परमार) 179

62. स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका - झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में (नवनीता तिवारी) 182

(Geography / भूगोल)

63. जालौर जिले की चितलवाना पंचायत समिति में मानव गरीबी का स्तर : एक ग्राम पंचायत स्तरीय भौगोलिक अध्ययन (सिद्धार्थ कुमार गौरव, दिलभाग) 184

64. मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के दर्शनीय स्थलों का भौगोलिक परिचय (डॉ. फरखन्दा नूरीन फिरदौसी) 188

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

65. इक्कीसवी सदी में स्त्रीत्व के मानचित्र का औचित्य (सुधा जैन) 190

66. मन्नू भंडारी की कहानियों में चरित्र वैविध्य - नारी के संदर्भ में (डॉ. जगदीश चौहान, डॉ. मंजुला जोशी) 193

67. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर के विचारों की प्रासंगिकता (डॉ. आई. के. बेक, डॉ. दीपक गुप्ता) 196

68. मालवा की कृष्ण भक्त लोक कवयित्री- नवनिधि कुँवर खांगारोत (डॉ. वन्दना जैन, कादम्बिनी जोशी) 199

69. अमृतराय कृत 'बीज' उपन्यास में राजनैतिक पक्ष (विद्या बिसेन) 202

70. लोकदेवता देवनारायण एवं बगड़ावत गाथा (डॉ. मेधा मनीष तिवारी) 204

71. डॉ. अम्बेडकर के विचार एवं उनके संविधान में दिए गए अधिकार (डॉ. निरूपमा व्यास) 206

72. मेहरून्निसा परवेज की कहानियों का समकालीन कहानी लेखन के आधार पर स्त्री विमर्श (डॉ. रश्मि दीक्षित).......... 208

73. अम्बेडकरवाद की चुनौतियाँ और समाधान (डॉ. बिन्दु परस्ते) 210

74. हिन्दी एकांकी में आर्थिक जीवन की अभिव्यक्ति (डॉ. मनीषा सिंह मरकाम) 212

(Music / संगीत)

75. सितार वादन पर तराना शैली का प्रभाव (डॉ. अंकित भट्ट) 214

(Drawing & Design / चित्रकला)

76. सांची स्तूप में अंकित नारीयाँ (कु. सोनाली टोके, डॉ. अल्पना उपाध्याय) 217

(Law/ विधि)

77. Corporate Social Responsibility (Chirag Banthiya) 219

(Education / शिक्षा)

78. A Comparative Study of Religious Interest of Secondary School Students 222
(Sangeeta Aggarwal, Dr. Ritu Bala)

79. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी का उनके समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन .. 225
(डॉ. स्मिता भवालकर, सोनाली कदम)

80. श्रीमद्भगवद् गीता में निहित मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों के व्यवसाय चयन 227
का विश्लेषण(लक्ष्मी चौहान)

81. बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन 229
(महेश कुमार शर्मा)

82. वर्तमान परिदृश्य में शांति शिक्षा की आवश्यकता (डॉ. श्रुति तिवारी, मधु यादव) 231

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

83. Sports Ground/Court (Indore & Outdoor) in India (Dr. Ramneek Jain) 233

(Others / अन्य)

84. आचार्य विनोबा भावे का व्यक्तित्व - एक विवेचन (डॉ. संदीप ठाकरे) 236

85. जेन प्रणाली में ध्यान का स्वरूप (डॉ. नीलम श्रीवास्तव) 239

86. Study of Zooplanktons from Ransai dam, Uran, Navi Mumbai, Dist. Raigad, Maharashtra 241
(Aamod N. Thakkar)

87. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. हरिचरण मीना) 244

88. Psychological and Philosophical Conflicts in the Plays of Girish Karnad (Dr. Sitaram) 247

89. जनजातीय महिलाओं में बच्चों के पोषण के प्रति जानकारी का अध्ययन : (गोहपारू विकासखण्ड 250
के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. जयश्री अग्निहोत्री)

90. A Study of Job Satisfaction of Higher Secondary School Teachers of M.P. in Relation 254
to Nature of School and Personality (Dr. Pallavi Acharya)

91. Higher Education As An Instrument Of Social Change : Some Realitie 256
(Dr. Abhimanyu Singh Chauhan)

92. Changing Trends of Tourist and Society (Dr. Vinita Lavania) 259

93. Drain of Wealth During British Rule in India: Policy Causes and Impact 261
(Dr. Sunil Kumar Dalal, Dr. Dilip Pipara)

94. Impact of Demonetization on Indian SMEs and the Banking Sector: A Critical Analysis 264
(Dr. O.P Roonwal)

95. भारतीय संविधान में दिव्यांगों के लिए प्रावधान - एक अध्ययन (डॉ. अभिमन्यु सिंह चौहान) 268

96. लोक इतिहास की अवधारणा (डॉ. फिरोज मोहम्मद शेख) 270

97. भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विविध रूप (डॉ. चेतना टिक्कीवाल) 273

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) डॉ. मनीषा ठाकुर.................. फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका

(02) श्री अशोककुमार .... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम

(03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्यू .... वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया

(04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी .... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल

(05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

(06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव .... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत

(07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. .... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

(08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. .... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

(09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे .... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

(10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. .... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत

(11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम .... अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

(12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत

(13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा .... अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत

(14) प्रो. डॉ. संजय खरे .... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत

(15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय........ परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत

(16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा .... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत

(17) प्रो. अखिलेश जाधव .... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत

(18) प्रो. डॉ. कमल जैन .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

(19) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से .... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत

(20) प्रो.डॉ. वन्दना जैन .... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

(21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार .... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

(22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी............. सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत

(23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव .... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत

(24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

(25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया .... प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत

(26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत

(27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी .... प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

(28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम .... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

(29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा .... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत

(30) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी .... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

(31) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे .... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत

(32) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता .... पूर्व अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

(33) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़ .... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

(34) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा .... विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत

(35) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

(36) प्रो.डॉ. के.एल. साहू................ प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

(37) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन .... प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

(38) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित........... एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव ....प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत

(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत ....निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत

(03) प्रो. डॉ. संजय जैन ....पूर्व सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत

(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी ....प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय ....प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

(06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल ....प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

(07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर ......प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

(08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र ....प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

(09) प्रो. डॉ.आर.के. भट्ट ....प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

(10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा ....पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

(11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान ....प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.) भारत

(12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड..............संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

(13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी...........अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

(14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल...........अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत

(15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे ....संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

(16) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी ....प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

(17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव ....प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत

(18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा ....प्राध्यापक ,प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

(19) प्रो. डॉ. के. के. श्रीवास्तव ....प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

(20) प्रो.डॉ. कान्ता अलावा .... प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

(21) प्रो. डॉ. एस. के. जैन.............प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

(22) प्रो. डॉ. किशन यादव ....एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शोध केन्द्र, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी (उ.प्र.) भारत

(23) प्रो. डॉ. बी.आर.नलवाया ....प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

(24) प्रो. डॉ. नव्वरलाल गुप्ता ....अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

(25) प्रो.डॉ. पुरुषोत्तम गौतम ....संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर (म.प्र.) भारत

(26) प्रो. डॉ. एस. सी. मेहता ....प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, शासकीय भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत

(27) प्रो.डॉ. तपन चौरे .... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

****

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

****** विज्ञान संकाय ******

गणित:- .... **(1) प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता,** संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:- .... **(1) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित**, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) प्रो.डॉ. नीरज दुबे, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह,** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:- .... **(1) प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़,** शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्ज्ैन (म.प्र.)

वनस्पति:- .... **(1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(2) प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:- .... **(1) प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा,** एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:- .... **(1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या,** शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:- .... **(1) डॉ. कंचन डींगरा,** शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सुयश कुमार, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:- .... **(1) डॉ. एच.जी. वरूधकर,** आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

सूक्ष्म जीव विज्ञान:- .... **(1) अनुराग झँवेरी,** बायो केयर रिसर्च (आई) प्रा.लि., अहमदाबाद (गुजरात)

****** वाणिज्य संकाय ******

वाणिज्य :- .... **(1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन,** शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल , शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

****** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ******

प्रबंध :- .... **(1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी**, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी , शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मानव संसाधन:- .... **(1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी**, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

व्यवसाय प्रशासन:- .... **(1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा ,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

****** विधि संकाय ******

विधि:- .... **(1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा,** प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

****** कला संकाय ******

अर्थशास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका,** श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. अंजना जैन, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)

राजनीति:- .... **(1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अनिल जैन, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

समाजशास्त्रः- .... **(1) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन , शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. उमा लवानिया , शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)

हिन्दीः- .... **(1) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन,** अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) प्रो. डॉ. कला जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजीः- .... **(1) प्रो. डॉ. अजय भार्गव,** शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मंजरी अग्निहोत्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

संस्कृतः- .... **(1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव,** शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहासः- .... **(1) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन,** शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोलः- .... **(1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. काजल मोइत्रा , डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

मनोविज्ञानः- .... **(1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा,** प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकलाः- .... **(1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीतः- .... **(1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक),** स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

****** गृह विज्ञान संकाय ******

आहार एवं पोषण विज्ञानः- .... **(1) प्रो.डॉ. प्रगति देसाई,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकासः- .... **(1) प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर,** अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंधः- ... **(1) प्रो. डॉ. मंजु शर्मा,** माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

****** शिक्षा संकाय ******

शिक्षा .... **(1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर,** महींद्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बैंगलुरू (कर्नाटक)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. नीना अनेजा, प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,खन्ना (पंजाब)
(4) प्रो. डॉ. सतीश गिल, शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिगाँव, फरीदाबाद (हरियाणा)

****** आर्किटेक्चर संकाय ******

शारीरिक शिक्षा .... **(1) प्रो. किरण पी. शिंदे ,** प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

****** शारीरिक शिक्षा संकाय ******

शारीरिक शिक्षा .... **(1) प्रो. डॉ. जोगिंदर सिंह,** पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

****** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ******

ग्रन्थालय विज्ञान .... **(1) डॉ. अनिल सिरौठिया,** शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़ .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत .... ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर .... शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05) श्री आशीष द्विवेदी .... शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06) प्रो. डॉ. मनोज महाजन .... शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
(07) श्री उमेश शर्मा .... कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला- नीमच (म.प्र.)
(08) प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10) प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित .... जैन कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार .... शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा .... शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक .... शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान .... शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16) प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान .... शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र .... शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन .... शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19) प्रो. डॉ. कमला चौहान .... शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20) प्रो. डॉ.आभा दीक्षित .... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी .... शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी .... स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23) प्रो. डॉ. अनिता गगराड़े .... शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24) प्रो. डॉ. संजय पंडित .... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25) प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता .... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26) प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना .... शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे .... पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28) प्रो. डॉ. भारती जोशी .... आजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी .... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट .... शासकीय एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद .... शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर .... सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33) प्रो. मोहन वास्केल .... शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला - झाबुआ (म.प्र.)
(34) प्रो. डॉ. नितिन सहारिया .... शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी .... शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37) प्रो. डॉ. शैल बाला सांधी .... महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा .... श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39) प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव .... शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे .... शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42) प्रो. डॉ. हेमलता चौहान .... शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर .... शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48) प्रो. डॉ. बी. एस. सिसोदिया .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)
(50) डॉ. राजेश कुमार .... शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.)
(51) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश .... शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)
(54) प्रो. युवराज श्रीवास्तव .... सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा-बिलासपुर (छ.ग.)
(55) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी .... शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे .... शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर-मालवा (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी .... शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल .... शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(61) डॉ. सुरेश कुमार विमल .... शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(62) प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन .... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे .... शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. ए.के. जैन .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा.................................... शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव .... शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला .... शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया .... शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो.डॉ. विम्मी बहल .... शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला - शाजापुर (म.प्र.)
(71) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल .... शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान .... शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला-शाजापुर (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा .... शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला- रीवा (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा .... शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. जया शर्मा .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी .... शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. इशरत खान .... शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी............................ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर .... शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा .... पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. रेणु राजेश .... शासकीय नेहरु अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(82) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(83) प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित .... छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(84) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा .... एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(85) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री .... सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(86) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला .... शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(87) प्रो. अपराजीता भार्गव .... अध्यापक ,आर. डी. पब्लिक स्कूल, बैतूल (म.प्र.) भारत
(88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई .... शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन .... वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ .... राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(91) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख .... एस.एस.जी. पारीख स्नातकोत्तर कॉलेज, जयपुर (राज.)
(92) प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिरोहा .... पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया .... हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला- प्रतापगढ़ (राज.)
(94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह .... केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल .... शोध सलाहकार, नई दिल्ली
(96) प्रो. डॉ. कविता भदौरिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

Physicochemical Study Of Soil Samples Of Different Zones Of Neemuch

Avadhesh Pratap Singh Mandloi * Dr. Archana Pancholi **

Abstract - The naturally occurring unconsolidated material on the surface of the earth that has been influenced by parent material, climate (including the effects of moisture and temperature), macro and micro-organisms, and relief, all active over a period of time to produce soil that may differ from the material from which it was derived in many physical, chemical, mineralogical, biological and morphological properties. Many scientists have described soil as the skin of the earth and have studied it in great detail because its properties are different from the properties of each of its components. The science of pedology emphasized the study of soil as a natural phenomenon on the surface of the earth. Therefore, the pedologist is interested in the appearance of the soil, its mode of formation, its physical, chemical and biological composition, and its classification and distribution (Bridges, 1997). A method of investigating physicochemical systems that makes possible a determination of the nature of the interactions between the components of a system through a study of the relations between the system's physical properties and composition. The principles of physicochemical analysis were established in the late 19th century by J. Gibbs, D. I. Mendeleev, and J. van't Hoff. The analytical method received its development in the research of H. Le Châtelier, G. Tammann, H. Roozeboom, and, in particular, N. S. Kurnakov and his school. Physicochemical analysis is based on the phase rule and on the principles of continuity and correspondence, which were introduced by N. S. Kurnakov.

Key words - Physicochemical analysis, soil, Pedology, Edaphology, Neemuch.

Introduction - Soil is the biological active, structured porous medium that has developed below the continental land surface on our planet. Many scientists have described soil as the skin of the earth and have studied it in great detail because its properties are different from the properties of each of its components. The science of pedology emphasized the study of soil as a natural phenomenon on the surface of the earth. Therefore, the pedologist is interested in the appearance of the soil, its mode of formation, its physical, chemical and biological composition, and its classification and distribution (Bridges, 1997). The pedosphere is the envelope of the earth where soils occur and soil forming factors are active (Ugolini and Spaltenstein, 1992). The pedosphere only develops when there is a dynamic interaction between the atmosphere, biosphere, lithosphere and the hydrosphere. The pore space in soil is either filled with air or water, while the solid phase consists of the mineral (lithosphere) and organic living (biosphere) and non living components, soil is the foundation for life in terrestrial ecosystem and affects the energy budget, water exchange, nutrient cycling and ecosystem productivity.

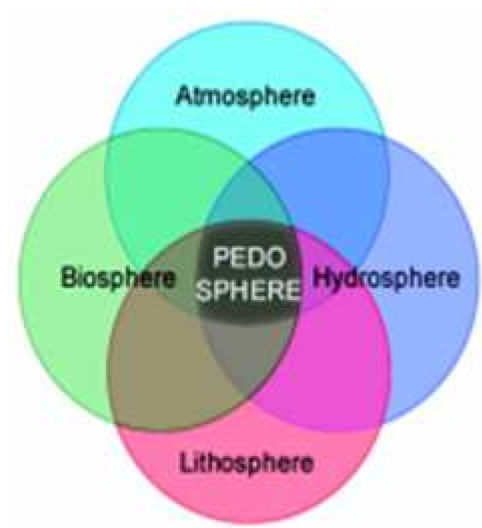

Juma and Nickel

Relationship between the pedosphere, atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere

Soil, in its traditional meaning, is the natural medium for the growth of land plants. Soils are all unconsolidated material of the earth's crust in which land plant can grow, if

* Research Scholar (Biotechnology) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Assistant Professor (Botany) Swami Vivekanand Government P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

water and temperature are adequate, at least the minimum nutrients are available, and toxic substances are in low concentration. All soils develop from weathered rock, volcanic ash deposits, or accumulated plant residues. There are two approaches for study of soil – **Pedology** and **Edaphology.** Pedology includes the study of origin of soil, its classification and its description. Edaphology includes the study of soil in relation to plant growth.

STUDY AREA - Neemuch being a developing Industrial town and important station of railways and road transport having broadgauge line NMH –Kota. It has a longitude 23.40-24.80 East and Latitude 74.20-75.50 North is situated in North Western part of Madhya Pradesh popularly known as malva region. It is 440 km away from state capital Bhopal. Nearest big town is Indore 270 km. Neemuch as a district came into existence in the year 1998. The approximate urban area of Neemuch is 1075 km2 and its population is 1.12 lakh. From the geographical and government point of view Neemuch acquires an important position. Neemuch the whole city is spreaded over three regions namely Baghana, Chhawni and City which was included in Gwalior State, whereas Neemuch was a Tehsil of Holkar state. Neemuch Chhawani is well known for its central Reserve Police Force (CRPF). The Neemuch factory (Station 1) was founded in 1993. In 1976, It began extracting alkaloids in addition to processing opium. It is one of the largest producers of opium in the world. It is also very large producer of oil seeds. Industrial Area 36 A-B (Station 2) is an another region near private bus stand in Neemuch. Industry produce several beneficial products and large quantity of employee work daily. Brick Kiln Manufacturing (Station 3) area which is located in such a position that is covers following residential areas- Vikas Nagar, Jawahar Nagar, Scheme No. 34, Sanjeewani colony and Gwaltoli.

MATERIALS AND METHODS - The soil samples were collected from three different stations of Neemuch region during different seasons of the year. The collected samples have been analyzed to determine their physico-chemical characteristics. Temperature and pH was recorded on the field. Samples were collected in cleaned and sterilized plastic bags and stored at 4°C. The soil samples have been analyzed for various parameters as pH, electrical conductivity (EC); Bulk density (BD); Chloride (Cl); Calcium (Ca); nitrogen (N); Phosphorous (P); Pottassium (K); Sodium (Na); Magnesium (Mg); percent organic carbon (OC) and Heavy metals.

Physicochemical parameters of soil were done by standard methods.

RESULTS AND DISCUSSION - The physico-chemical properties of soil of three different stations in Neemuch region were analysed and recorded for following observation in the present study.

pH - pH values observation at station I shows that the soil is alkaline in nature and pH value decreased from summer, winter, rainy seasons. Unlike station I , mean pH values at station II and III are showing that soil is neutral at these two stations.

Table No. 1 : pH trends at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station - 1	8.41	8.24	8.32	8.32
Station - II	7.90	7.50	8.20	7.87
Station -III	7.50	7.20	6.70	7.13

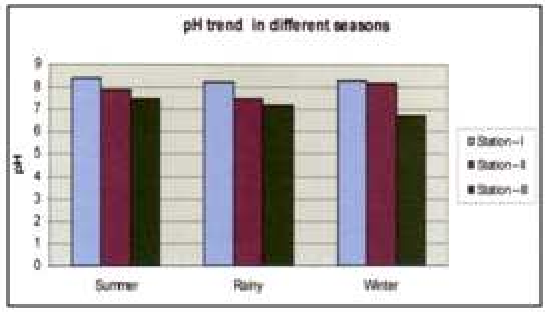

Fig. 1

Conductivity- Electrical conductivity is a measure of a water capacity to convey electric current. Electric conductivity of a water is directly proportional of its dissolved mineral matter content. During our present study it was observed that mean conductivity value at st. I is found to be 1.37 mhos/cm at st. II -.94 mhos/cm and at st. Ill -.80 mhos/cm. At all the three sites during summer, winter and rainy seasons conductivity values did not show much variation.

Table No. 2 : Conductivity (mho/cm) trend at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station - 1	1.20	1.34	1.50	1.37
Station - II	1.20	0.89	0.72	0.94
Station -III	0.82	0.78	0.80	0.80

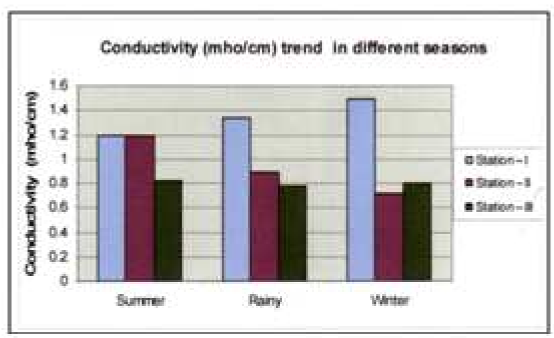

Fig. 2

Bulk density- At all the three stations, values of bulk density (gm/cm^2) go on increasing from summer season to rainy season. The mean value at the three stations were found to be .98 gm/cm^2, 1.09 gm/cm^2 and 1.18 gm/cm^2 respectively.

Table No. 3 : Bulk Density (gm/cm^2) trend at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station -I	0.96	1..02	0.97	0.98
Station - II	1.05	1.11	1.12	1.09
Station -III	1.12	1.25	1.18	1.18

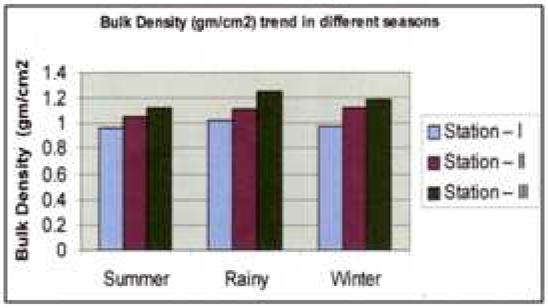

Fig. 3

Chlorides - The chloride cone, varied between .293-387% for site I and .287-.364% during the study period. At site III the chloride cone, went on decreasing from .416-282%. The max. chloride cone, was observed at site III (.416) during summer.

Table No. 4 : Chloride (%) trends at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station - 1	0.293	0.387	0.354	0.34
Station - II	0.287	0.364	0.305	0.32
Station -III	0.416	0.282	0.375	0.36

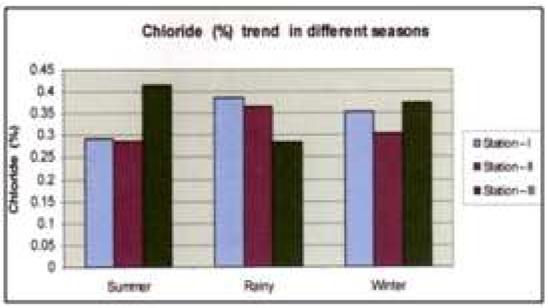

Fig. 4

Calcium - Calcium concentration observed at the three sites not show much seasonal variation. The max. Ca cone, was found at site II (.619%) during summer.

Table No. 5 : Calcium (%) trend at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station - 1	0.514	0.506	0.46	0.52
Station - II	0.619	0.576	0.52	0.57
Station -III	0.423	0.336	0.32	0.36

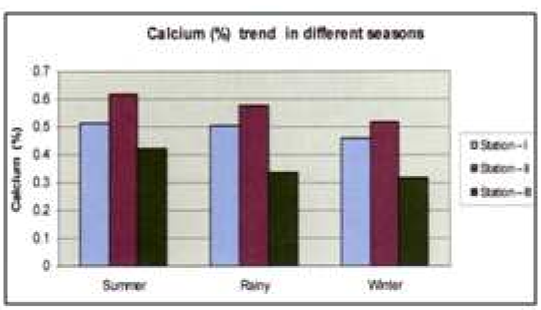

Fig. 5

Nitrogen.- Nitrogen concentration in soil plays crucial role for plants growth and metabolism. Plants absorb the Na in different forms through their toots. During our present study max. average NI cone, was found to be at site III (.054%) TTie mean N_2 values at station I and II are .023% and 0.29% receptivity.

Table No. 6 : Nitrogen (%) trend at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station - 1	0.021	0.026	0.024	0.023
Station -II	0.036	0.028	0.023	0.029
Station -III	0.071	0.04	0.051	0.054

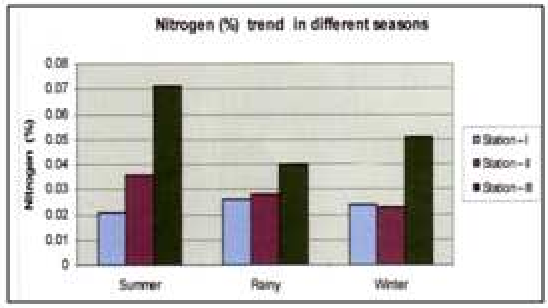

Fig. 6

Phosphorous - Phosphorous concentration at site I and II goes on increasing from summer to rainy season. Unlike site I and II phosphorous cone, goes on decreasing from summer to rainy season with mean value .0063%.

Table No. 7 : Phosphorous (%) trends at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station -I	0.004	0.0046	0.0023	0.0036
Station - II	0.005	0.0072	0.0064	0.0062
Station -III	0.0076	0.006	0.0052	0.0063

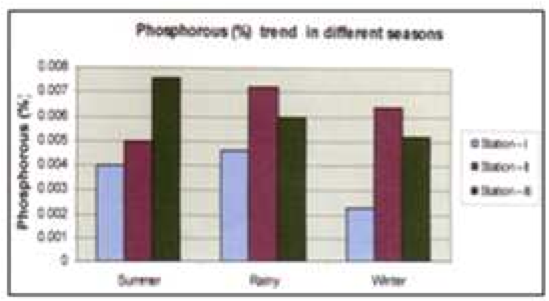

Fig. 7

Potassium - Potassium is an essential nutritional element. The values of potassium concentration ranged from .038% to .084%. The minimum potassium concentration was reported at site II during summer and max. Potassium cone, was reported at site I during summer. The mean values of K cone, from all the three samples studied were .069%, .042% and .049% respectively.

Table No. 8 : Potassium (%) trend at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station - 1	0.084	0.063	0.06	0.069
Station -II	0.038	0.047	0.042	0.042
Station -III	0.049	0.058	0.041	0.049

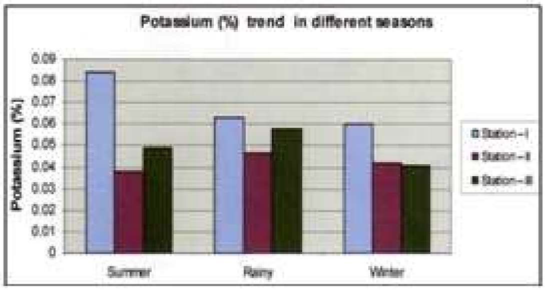

Fig.8

Sodium - During all the three seasons max. Na cone, obtained at site III ie, 0.74% during summer, XX88% during winter and 0.81% in rainy season. At site I and II the mean Na cone, was found to be 0.051% and 0.55% respectively.

Table No. 9 : Sodium (%) trend at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station - 1	0.053	0.042	0.059	0.051
Station -II	0.048	0.062	0.056	0.055
Station -III	0.074	0.081	0.088	0.081

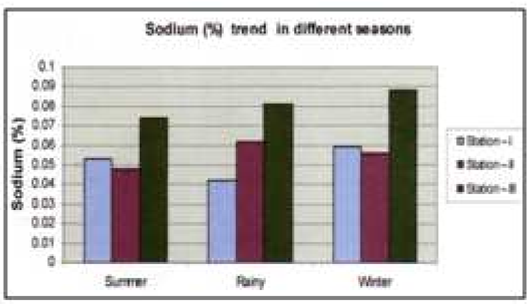

Fig. 9

Magnesium-Mg also occurs in all kind of sediment. During our present study lowest mean Mg content was reported to be 0.0024% (site -II) and highest mean Mg content was 0.0048 % (site-Ill). All the sample showed decreasing values of Mg content from summer to rainy seasons.

Table No. 10 : Magnesium (%) trend at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station - 1	0.0039	0.0027	0.0031	0.0032
Station - II	0.0029	0.0027	0.0018	0.0024
Station -III	0.0088	0.0039	0.0019	0.0048

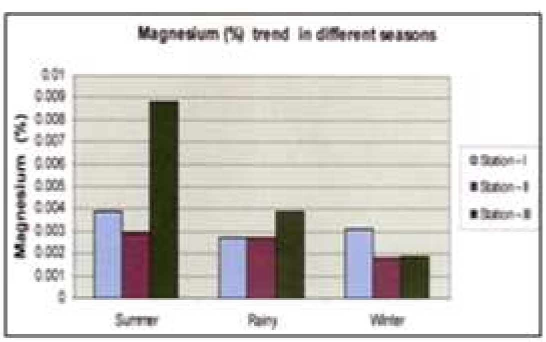

Fig. 10

Organic Carbon - It is interesting to note that organic carbon cone, at all the sites increased from summer to rainy season. This proves that organic carbon concentration remained max. during rainy season. During rainy season org. carbon cone, at site I is 10.08, site II is 64.2% and site III 11.8%

Table No. 11: Organic (%) trend at all the three stations in different seasons

	Summer	Rainy	Winter	Average
Station - 1	4.80	10.08	6.70	7.19
Station - II	9.70	64.20	21.60	31.83
Station -III	3.80	11.80	9.30	8.30

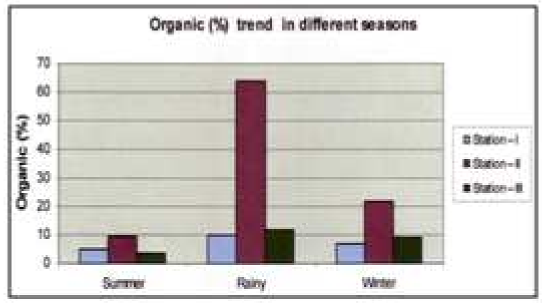

Fig. 11

Heavy Metals -During our present study in which we studied seasonal variations in different physico chemical parameters of soil samples, presence of heavy metals was also detected in all the samples. This showed that at site-I Fe was present in sufficient amount and Pb and Zn were totally absent. Similarly As, Mn Cd were present in higher amounts. Soil samples from site-II showed the absence of Zn, where as presence of Fe, Pb, As, Mn and Cd was reported. Soil samples of site-Ill showed complete absence of Zn, Pb was present in much smaller quantity, and other metals ie., Fe, As, Mn, Cd were present sufficiently.

Table No. 12 (see in next page)

References :-

1. Baruah, Debojit 2007, Physico Chemical Properties of Soil And Quantitative Analysis of a Herbaceous Community. Nature Environment and Pollution Technology 6 (2) P: 251-258
2. Biswas, T. D. and Mukherjee. 1992. Text book of Soil Sciences.
3. Bridges, E. M. 1997. World Soils. Third edition. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
4. Buol, S. W., Hole, F.D., and Mc Cracken, R.J. 1989. Soil Genesis and Classification. Third Edition. Iowa State University Press. Ames, USA.
5. Charan H.D. and Grover K.S. 2011.Soil Testing-Laboratory Manual.
6. Chattopadhyay, G.N. 2006 Chemical Analysis of Soil and Water, Daya Publishing House, New Delhi
7. Chatwal, G.R 2004 Encyclopedia of Environmental Analysis (3 Volumes, Air, Water And Soil) . Anmol Publication Pvt. Ltd. New Delhi.
8. Gupta, P. K. 2005.Methods in Environmental Analysis: Water, Soil and Air. pp-94.

9. Gupta, P. K. 2005.Methods in Environmental Analysis: Water, Soil and Air. pp155-293.
10. Gupta, P.K, (2005) Bis 1993, Method in Environmental Analysis Water Soil and Air, Agrobios, India.
11. Jadhav, HV. and Jogchand S.N., Environmental Chemical and Biological Analysis, Himalaya Publishing Houses, New Delhi
12. Kaur.H., 2001, Instrumental Method of Chemical Analysis, Pragati Prakashan, Meerut.
13. Mattson, S. 1938. The Constitution of the Pedosphere. Ann. R. Agric. College, Sweden. 5:261-279.
14. Peverill K. I., Sparrow L. A. and Reuter D. I. (Eds.).2005. Soil Analysis- An Interpretation Manual. For Australian Soil & Plant Analysis Council.
15. Sethi, Sapana & Kaushik, M.K. 2007 Investigation of Heavy Metal Toxicity of Municipal Solid Waste ICER.
16. Sinha, Rajiv K. and Sinha Rohit. 2008 : Environmental Biotechnology.Aavishkar publishers, Distributors Jaipur.
17. Trivedi KK. and Ray 1992. Environmental Water and Soil Analysis. Akashdeep Publication, New Delhi

Table No. 12 : Presence of Heavy metals trend at all the three stations in different seasons

	Fe	**Pb**	**Zn**	**As**	**Mn**	**Cd**
Station - 1	++	-	+	+++++	+++	+++
Station - II	++++	+++	-	++	++	+++
Station -III	+++++	+	-	++++	++++	+++++

(+) Shows Presence of Metals.

(-) Shows Absent.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Analysis of Concentration Level of Heavy Metals in Soil at Vegetables Areas in Indore, Madhya Pradesh, India

Dr. Sandhya Dixit *

Abstract - The focus of this research was to determine, analysis and compare the heavy metals (which are copper (Cu), zinc (Zn) and lead (Pb) that are known as the most toxic and poisonous to human health) concentration level in two study areas at Bhagirathpura and Mangliya in Indore in Madhya Pradesh(India). In this study soil samples were collected from industrial area of Bhagirathpura and Mangliya, Indore. The result obtained in the soil samples of bhagirathpura shows that Pb concentration has highest concentration of heavy metals with 217.616 mg/kg followed by Zn 75.662 mg/kg and Cu has the lowest concentration with 34.747 mg/kg. On the other hand, the result obtained in the soil samples of Mangliya shows that Pb has the highest concentration with 209.542 mg/kg followed by Zn with concentration level of 73.150 mg/kg and Cu has the lowest concentration with 50.915 mg/kg.
Key words: Heavy metal, Industrial area, Vegetable areas, Concentration.

Introduction - Soil is one of the key environmental components. Soil is a complex heterogeneous medium for plant growth where it can recycle the nutrient and resources needed by plant. Due to agricultural activities such as agricultural fertilizers and pesticides, soil amendments, organic fertilizers and in waste materials recycled to the soil, heavy metals may be added and present in the soil. Accumulation of heavy metal in the environment becomes a health hazard because of their persistence; bioaccumulation and toxicity to plants, animals and human beings[1].Vegetables are exposed to the heavy metals contamination because polluted agricultural soil has been used to cultivate the plants. Heavy metals that are attached with soil water and soil particles will be absorbed by plant roots and accumulated in vegetables[2].

The accumulation of heavy metal in the soil crop system has been considered as one pathway to human exposed to the heavy metal. A lot of studies showed that increasing the heavy metals content in the soil increases the uptake by plants but, the solubility and availability of heavy metals ions are influenced by various factors such as soil pH, physical and chemical soil properties, clay content and magnesium oxide concentration[3]. All heavy metals at high concentrations have strong toxic effect and regarded as environmental pollutants.

A. **Study Area -** The agriculture still is the main base for India's economy although the industrial sector has contributed much too economic development. In Indore, agricultural is one of the resident's main activities especially for those stay in rural areas. This study was focused agricultural site in rural areas around Indore outskirt namely Bhagirathpiura and Mangliya. Both these locations are industrially contaminated sites.

B. **Research Objective -** To study the concentration levels of heavy metals (Pb, Cu & Zn) in soil at vegetables areas of industrial areas in Bhagirathpiura and Mangliya.

C. **Agricultural Activities and Heavy Metal Threats -** About 35% of daily food intake in India population which is comprise from vegetables. To satisfy the demand of consumers, the farmers need to tackle pests and diseases problems by any methods for examples the usage of pesticides which are cheaper and give immediate results. But the use of pesticides created another problem related to toxic residues that are hazardous to health and environment[4]. Agricultural and industrial activities clearly have spread heavy metal to the environment and tend to accumulate in certain tissue in the human body. In intensively farmed areas, agricultural developments use large amounts of pesticides and organic and inorganic fertilizer inputs.

Heavy metals contamination in vegetables can be considered as a gateway to heavy metals poisoning in food. There have a wide range of pesticides compound such as insecticides, fungicides, herbicides, rodenticides, molluscicides, nematicides, plant growth regulators and others. The major types of pesticides are the organochlorine pesticides, which are known for high toxicity, persistence in the environment and their bioaccumulation in the food chain[5].

In earlier study on the assessment of contamination of agricultural soils and crops in Indore showed that some soils already contain elevated values of Cu and Zn and those cabbages may show high value of Cu.

It has been stated that different types of vegetables have different abilities to accumulate the metals plus plants are known to respond to the amounts of readily mobile type

* Assistant professor (Chemistry) M.B. Khalsa College, Indore (M.P.) INDIA

of metals in soils[6].

Likewise fertilizers also have negative effects on agricultural soil because its might contain heavy metals. Usage of certain phosphatic fertilizers in advertently adds Cu and other potentially toxic elements to the soil including Hg and Pb. In the study of heavy metals in soils and crops in South Asia, India have shown that an increasing value of Pb, Cu and Zn in agricultural soil resulted from the addition of such fertilizers[1].

2. Methodology - Two sites of Indore outskirt were chosen as study areas because both agricultural areas planting the same types of vegetables and have same width of areas which is a hectare. The soil was analyzed using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) to identify the heavy metal concentration level in both agricultural soils. The heavy metals chosen for analyses are Cu, Pb and Zn.

A. **Research Design -** This study done by collecting the sediment soil samples from the study location and were brought back to the laboratory for further analysis. The samples were taken at various points. Around five samples are taken at each point selected. In this experiment, the experiment divided into three phases which is sampling and pre-treatment stage, sample digestion or extraction stage using Acid Digestion Method and analysis of the sample by using AAS in order to determine the concentration of heavy metal in soil[6].

B. **Sample collection -** The sediment soil samples were taken using a stainless steel collector with the depth of 10 to 20cm. For present study, random sampling is applied by randomly choose five points which each points is located at the starting, middle and end of the area of (20m X 20m) where the five points selected are at the same gap distance.

C. **Sample Preparation -** Five samples were collected, placed in individual plastic bag and transported to the laboratory. The plastic bags were labelled with name, sampling date, location and soil depth. The samples then mixed up using pestle and mortar and grinder and passed through a 2 mm sieve of aluminium foil to obtain a homogenous sample[19]. The soils are dried in the drying oven at the temperature of 50^0C for three days and grinded to pass through a 2mm soil sieve to get a homogeneous particle size. Then, the soil samples were weighed and ready for acid digestion extraction method before analyzed using AAS. 60% of concentrated HCl and HNO_3 are mixed into soil sample to be heated on the hotplate. Finally, each soil sample solution was filtered through qualitative filter paper into a 50ml volumetric flask. For analysis using AAS, the solution in the 50ml volumetric flask were diluted with deionized water to the mark on the volumetric flask.

Determination of Pb, Cu and Zn concentration in acid digestion extraction of soil samples is using AAS. For analyzing using AAS, standard solutions were prepared by serial dilution. Stock standard solution can be prepared. Finally, the readings were obtained from AAS.

3. **Results -** The mean concentrations of Pb, Cu & Zn for every sampling period are shown in Table 2 and Table 3. These Tables show a comparison between all heavy metal in Bhagirathpura and Mangliya. In Bhgirathpura Cu has the lowest mean concentration which is 34.747 mg/kg with range between 23.546 mg/kg to 43.258mg/kg compare with another two heavy metals which are Pb and Zn. Pb has the highest mean concentration which is 217.616 mg/kg with the range between 169.365 mg/kg to 267.658 mg/kg.

In Mangliya Cu has the lowest mean concentration which is 50.915 mg/kg with range between23.698 mg/kg to 67.367 mg/kg compare with another two heavy metals which are Pb and Zn. Pb has the highest mean concentration which is 209.542 mg/kg with the range between 169.365 mg/kg to 267.658 mg/kg.

4**. Discussion -** The pests usually found are insect's pests, vertebrates, molluscs, weeds, nematodes and pathogenic diseases such as fungi, bacteria and viruses. If this problem cannot be managed properly it can cause yield losses of up to 40-60%. Hence, to control problems, farmers tend to used chemical such as pesticides on their crops. Heavy metal concentration level in both villages is above the standards proposed by various agencies. Analysis of heavy metals in soils of industrial waste site showed that amounts of some heavy metals in these sites of the region are several time more than natural areas.

Farmers are also adopting rotational cultivation techniques to keep and maintain soil fertility. In this way, farmers also save costs by not spreading fertilizer for the next crop. Lastly, farmers also can practice hydroponics method in order to reduce of fertilizer and its concentration level in the soil.

5. Conclusion - Indore city and nearby regions are important industrial hub in Madhya Pradesh. These sites contain many industries and therefore, there is a big risk of pollution that is hazardous to our health. It's been proved that, the soil from agricultural activities content of some contaminants such as heavy metals. Application of pesticides and chemical fertilizers become one of those factors influenced the arising of contaminant in the soil at agricultural areas.

The finding shows that by conducting sampling of soil on selected vegetables areas produced the selected heavy metals concentration levels which are Cu, Pb and Zn.

The farmers can manage the crop pests by physical and mechanical control which there use the equipment, structures, heat or energy work which can act directly on the pests. The solution of this problem may be phytore-midition. It is a low cost effective, eco-friendly approach.

References :-

1. R. A. Wuana and F. E. Okieimen(2011). "Heavy metals in contaminated soils: A review of sources, chemistry, risks and best available strategies for remediation," International Scholarly Research Network, p. 20.
2. E. R. Aweng, M. Karimah, and O. Suhaimi(2011) "Heavy metals concentration of irrigation water, soils and fruit vegetables in Kota Bharu Area, Kelantan, Malaysia," Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation, vol. 6, no. 4, pp. 463-470.

3. B. S. Ismail, (1988) Racun Makhluk Perosak, Universiti Kebangsaan, Malaysia Publisher: Bangi.
4. B. J. Alloway and B. Alloway(2016). Heavy Metals in Soil. Blakie, Glasgow.
5. K. Tahar and B. Keltoum(2011). "Effect of Heavy Metals Pollution in the industrial area,West Algeria." Journal of the Korian Chemical Soceity,vol. 55, no.6.
6. A. Waoo, S. Khare and S. Ganguly (2010). "Comparative in-vitro Studies on Native Plant Species at Heavy Metal Polluted Soil having Phytoremidiation Potential"

TABLE 1: General Concentration Of Heavy Metals In Soil Samples

Metals	Threshold values(mg/kg dry weight)
Cu	1-9
Pb	100-400
Zn	1-30

Table 2: Mean Concentrations For Every Sample

(A) Bhagirathpura

Soil samples	Cu (mg/kg)	Pb (mg/kg)	Zn (mg/kg)
1st	35.369	169.365	69.325
2nd	43.258	220.215	75.465
3rd	23.546	232.147	81.689
4th	32.321	198.698	71.583
5th	39.243	267.658	80.251
Mean	34.747	217.616	75.662

Table I: Mean Concentrations For Every Sample

(B) Mangliya

Soil samples	Cu (mg/kg)	Pb (mg/kg)	Zn (mg/kg)
1st	23.698	201.985	65.356
2nd	55.223	242.695	74.321
3rd	64.636	200.741	68.369
4th	43.651	180.535	67.342
5th	67.367	221.756	90.364
Mean	50.915	209.542	73.150

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

Global Warming And Climate Change - Solution In Indian Cultural Traditions

Dr. Pramod Pandit *

Abstract - As we known Earth's atmosphere is a gaseous envelope that surrounds the earth planet. It consists of a mixture of gases such as Nitrogen, Oxygen, Carbon dioxide, trace of noble gases(Argon, Krypton, Xenon Neon and Helium), water vapour and small amount of Ammonia, Ozone, Organic matter, various salts and suspended solid particles. It has been estimated that the total weight of this ocean of air about 1018 Kg. about 90% of this mass lies in the first 10-15 km shell of the atmosphere concentric with the earth. The air density falls rapidly with altitude to about 1/16 of its ground value at 20 km altitude.

The climate of the earth, is affected by the rainfall, rainfall patterns, forests' vegetation, agriculture at production i.e. food production, human health and ultimately the targate and victim of these phenomenon of global warming is "Human being" of the this blue planet i.e. Earth.

Social and environmental movements have emphasized the power of alternative and the need for creating lived realities as an alternative model; faith based groups have talked about climate change as a moral and ethical issue appealing to conscience of its followers. The relationships between people and nature are socially and culturally conditioned, creating a diversity of reasons for conserving biodiversity across different cultures and societies.

Definitely, the Hindu cultural traditions offers specific guidelines for ethical living including self control, restrains, simplicity and dietary guidelines respectful of the sanctity of all life.

This bond between our senses and the element is the foundation of our human relationship with natural world. It is said, "at this supremely dangerous moment in human history, the only way of salvation of mankind is the Indian way.
Key words - Global Warming, Hinduism, Indian Way, Primal energy, Climate.

Introduction - Climate Change - Science Behind It - The global mean temperature has rises by 0.85 degree Celsius since pre-industrial times and continues to rise, largely as a result of anthropogenic changes including burning of fossil fuels and large scale deforestation. Since pre industrial times we have used 35% of the known fossil fuels and cut down one-third of the existing forests releasing huge amounts of carbon dioxide in the space. This has resulted in rising temperature, unprecedented melting of arctic ice sheets, and retreat of glaciers, ocean acidification, desertification of land, shifting of seasons and weather patterns, increase in the frequency and severity of natural disasters etc.

The rise in temperature causing global warming is directly attributed to increase in atmospheric carbon concentration and there is no guarantee that the rise in temperature can be prevented even if we stopped burning fossil fuels today. The scientific opinion believes that to avoid catastrophic climate change, the rise in temperature by the end of the century should not be more than 2Degree Celsius. Therefore, a number of countries have been persistently asking to keep the rise in temperature below 1.5Degree Celsius.

To prevent rise in temperature below 2 Degree Celsius, the atmospheric carbon concentration has to be maintained below 350 ppm. A carbon concentration of 450 ppm will most likely push us beyond 2 Degree Celsius.

In the scenarios to keep the rise in temperature below 1.5Degree Celsius, the carbon budget is reduced further to 400 GT of CO_2.

This means that a large part of the existing known reserves of fossil fuels will have to be left unused. Globally, this equates to 88 percent of the word's known coal reserves, 52 percent of gas and 35 percent of oil. The current average per capita emission of 4tonCO_2 per person will have to be brought down to 2 tonCO_2. To make this happen and stay below 2 degree target emission will have to be reduced by 40-70% by the year of 2050.

Present Global Scenerio - The global emissions are still increasing by 2% per year. The last two decades have witnessed intensified efforts by international community to stabilize climate and shift to a low carbon development pathway, Science dictates the need for rapid and deep cuts in the use of fossil fuels and emissions, however, despite efforts political consensus on taking effective measures have been eluding. The UNFCCC (2012) and the Kyoto

***H.O.D. (Chemistry) S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani, K.B. State Highway, Barwani (M.P.) INDIA**

Protocol (1997) created a distinction between the developed and industrialized countries on the one hand and developing and poor countries on the other hand.

The Kyoto Protocol (1997) asked 43 industrialized countries to reduce their emissions by 5.2% collectively over 1990 emissions.

The IPCC Report says that the global GHG emission must reach net zero rates by 2080-2100, and the global CO_2 emission must a achieve net zero earlier by 2055-2070. The estimate limit for GHG emission is 42 GT CO_2 by 2030 and 47 GT CO_2 by 2025. Manifestly, the current commitment is not enough to prevent the rise in temperatures, within 2 Degree Celsius.

China (29% of global emission), the USA (17%), the EU (12%) are four biggest entities in terms of overall emission. However, India's per capita emission remains much lower (1.7 tones) than that of the US (17t), EU (7t), China (6.7t).

In Copenhagen the US had declared that it would reduce its emission by 17% by 2020. China which overtook the US as the biggest polluter in 2007 had declared before Copenhagen COP that it will reduce its emission intensity by 40-45% by 2020 over 2005 baseline.

India has always maintained that its emission will remain below per emission of developed countries despite its pursuit for economic growth. In Copenhagen summit (2010) India committed to reduce its emission intensity by 20-25% by 2020 over 2005. India has also declared a National Action Plan on climate change in 2008, which included mitigation and adaptation in various sectors including solar energy, energy efficiency, forests, water agriculture, housing and Himalayan ecosystem.

EU has committed to reduce their GHG emission at least by 40% by 2030 and by 85-90 by 2050 over 1990 baseline.

Climate finance forms one of the core requirement for enabling developing countries to move towards low carbon development pathways. The UNFCCC and the Kyoto Protocol lays down various provision related to financial obligation of the industrialize countries. In 2010 in Cancun, the industrialized countries committed to provide USD 100 billion from 2020 onward to support developing and poor countries as long term finance forming the Green Climate Fund (GCF).

Global Efforts - In 2015 two important events, which have the potential of defining the future of the world. First is the adoption of Sustainable Development Goals (SDHs) by the United Nation in September 2015 and second, a possible adoption of a new global agreement on climate change at Paris in December,2015

People all over the world are getting increasingly disillusioned by the anthropocentric approach to development, promise of the politics and justice of the market to deliver a sustainable solution to climate crises. Science dominated by politics and economics has also failed to provide solutions, which will go beyond looking at only material gains as progress and development. The prevalent approaches to climate change and sustained development are being looked as "finding solution in the same problem ridden framework," "not addressing root cause" and "not being ambitious enough."

Now, the prevalent models of growth (growth fundamentalism) are coming under increasing attack from all quarters and people in all parts of the world are increasingly getting attracted to alternative development pathways, which have found expressions in opinions ranging from radical (degrowth, deglobalizatiop, occupy etc.) to spiritual and ethical (climate as moral question, environmental stewardship, synergy between human and nature relationships, rights of mother earth etc.).

Social and environmental movements have emphasized the power of alternative and the need for creating lived realities as an alternative model; faith based groups have talked about climate change as a moral and ethical issue appealing to conscience of its followers.

A Thinking Beyond Science And Politics - Rio Earth conference promised brings equitable and sustainable development and conservation of nature and climate on the mainstream political agenda. In the last few decades we have witnessed an artificial dichotomy between science and tradition in approaches to address environment and climate change. Religion, faith, spirituality and ethics have been underemphasized, giving a place of prominence to science and economics, unduly privileging certain knowledge systems to the exclusion of others.

Solutions In Indain Way Of Life - This all compels us to relook at social and cultural values as an alternative to science and politics driven approach to conservation of nature. All cultural tradition have been characterized by predominance of value of responsibity (duty), inclusiveness (community living) and harmony with nature. All ancient philosophies-Chinese, Greek, and Roman, Persian, Jewish, Native American, Arabic, African, Oceanic, Korean and Japanese and all others not only preached but practiced them.

In Vedas it is said that "Earth is my mother,air is father, water is my close relative and sky is my brother. I am related to them through such relationship". Defenitily,this Hindu cultural traditions offers specific guidelines for ethical living including self control, restrains, simplicity and dietary guidelines respectful of the sanctity of all life. There are innumerous references to the worship of divine in nature in Vedas, Upanishads, Puranas, Sutras and other sacred texts. Hinduism teaches that Panchamabhuta (the five great elements) space, air, fire, water and earth that constitute the environment are all derived from prakriti the primal energy. Each of these elements has its own life and form. Upanishads further elaborate that human body is composed of these five elements. This bond between our senses and the element is the foundation of our human relationship with natural world.

Protection of environment and nature has been part of dharma (duty\virtue\cosmic order) consciousness and extension of divinity for many Indian traditional group and they do not see religion, ecology and ethics as separate areas in life. Traditional groups like Bishnois protecting animals and trees, Swadhyayis making Vrikshamandirs (tree temples) or Adivasis protecting their sacred gorves, etc has been a practice that has been integral with their lives, and part of their dharma to respect the creation. Indian traditions of Ahimsa and Sanyasa deify the principles of non-violence with the nature, and living frugally without putting undue burden on nature or society.

Many also see Gandhian value systems as treatise on ecology. His message of simple life, truth and non-voilence, and distaste for overtly mechanical and industrial political economy and above all swaraj (imagination of self sufficient village economies).

Looking at India's rich tradition Arnold Toynbee once said, "at this supremely dangerous moment in humen history, the only way of salvation of mankind is the Indian way of life. Here we have the attitude and the spirit that make it possible for the human race to grow together into a single family." Parhaps, 'Al Gore' also means the same when he said in a Conference on environment that " we have been on the wrong track from last 300 years, it is time to rethink and return to east."

Indian traditional environment and social values at largely expressed in Kumbh melas, a religious gathering where millions of Indian gather to show their reverence for the rivers. It taken place 4 times every twelve years. This is supposed to be the biggest religious and cultural gathering in the world. The "Kumbhs" being an age old event, has drawn attention of the world communities for a variety of reasons. Premier Universities and Business School in different parts of the world have already undertaken a number of researches to understand different dimension of the Kumbh. This is also a hight time to reiterate the values of "Vedic Darshan" that underline the ecological sensitivity within the Hindu tradition; that exalt the Earth (prithvi), Water (jal), Fire (agni), Air (vayu) and Ether (aakash). The Simhastha is also an opportunity to understand how these practices have been instrumental in maintaining balance between Human and Nature.

Abbreration :

- GH – Giga Tone.
- IDCC – Inter Parliamentary Committee.
- GHG – Global Green House Gases.
- UNFCCC – United Nations Fellow Conference o**n Climate Change.**

References :-

1. Stock home conference 1972 of Human Environment.
2. Dr.Usha Singh , Dr. Pratibha Singh , Smt. Anita Singh, Article in Rachna Aug-2013.
3. Maliean Dubois, Kyoto Protocol in Climate change.
4. The Ozone hole Montreal Protocol www.website.
5. www.encyclopedia.
6. News paper.
7. Pratiyogita darpan.

****

Polyamines in Plant Physiology

Manju Meena *

Abstract - Polyamines are known as a group of natural compounds with aliphatic nitrogen structure, present in almost all living organisms, play important roles in many physiological process, such as cell growth and development. The putrescine, spermidine and spermine are ubiquitous in plant cells, while other polyamines are of more limited occurrence. Their chemistry and metabolism are well characterized. A review is presented of the recent research and developments in the metabolism and function of polyamines in plants. Polyamines appear to be involved in wide range of plant processes so their exact role is not completely understood.
Keywords - Polyamines, Putrescine, Spermidine, Spermine.

Introduction - Polyamines are special nitrogenous compounds derived from amino acids and like source. They are synthesized in all living organism and play a crucial role in regulating various types of physiological phenomenon. Polyamines display wide range of role in regulating plants and photosynthetic organisms at fundamental process, such as membrane stabilization, enzyme activity modulation, replication and gene expression, growth and development, senescence and adaptation to biotic and abiotic stress. This article presents anpoverview of the role of polyamines (PAs) in plant growth and developmental processes. The PAs Putrescine, spermidine and spermine are present in all living organism. PAs and their biosynthetic enzymes have been implicated in a wide range of metabolic processes in plants, ranging from cell division and organogeneses to protection again stress.

Historical Perspective of Polyamines - As pointed out by Seymour Cohen in his provocative 1971 monograph, the history of PA biochemistry goes back more than 300 years. Antoni Van Leeuwenhock, starting at human semen through the lenses of his primitive microscope in 1678, note the deposition of stellate crystals in aging sperm. More than 200 years later, the basic component of these crystals was named spermine, after the source, but it was not until the middle, 1920 that its correct chemical composition and structure was determined. Spermidine was also discovered and named at about this time. A paper by Nello Bagni of the University of Bologna, delivered at a plant growth hormone symposium in Tokyo, was probably the first to suggest that polyamines have regulatory action in plants.

Occurrence of Polyamines in Plants - Polyamines are low meolecular weight cations found in all living organisms. They are known to be essential for growth and development in prokaryotes and eukaryotes. In plant cells the diamine, putrescine, spermidine constitute the major polyamines. They occur in the free form or as conjugates bound to phenolic acids and other low molecular weight compounds or to macromolecules such as proteins and nucleic acids.

Physiological Role of Polyamines In Plants - The essentiality of PAs for both prokaryotic and eukaryotic microorganisms has been established. by the use techniques, it has been shown that PAs are required for the completion of cell division in some animal and higher plant cells. Frequently, inhibitortreated cells are locked into the G_1 Stage of the cell cycle, but they progress to the S phase when PAs are added. This has led to the opinion the PAs may be required for DNA replication. This fact, together with the extraordinarily high turnover number for ODC (Ornithine decarboxylase) its rapid and massive activation by growth stimulants, and its high activity in metastasizing tumors, has greatly interested oncologists. In fact, DFMO (Difluoromethyl Ornithine) was originally synthesized by the Merrell laboratories as an anticancer drug, a role in which it is partially effective when given together with other substances. At cellular pH values, PAs are cations, and it has been frequently proposed that at least a part of their action results from association with anionic cellular macromolecules such as DNA, RNA, phospholipids, or certain proteins. In addition to their role as cations, presumably associated with anions by means of electrostatic charges, PAs can also be covalently attached to glutamic acid constituents of proteins through the action of transglutaminases and perhaps other enzymes. Specific polyamine-binding proteins, presumably formed through this mechanism, have been found in various types of cells, including plants. In 1952, Richards and Coleman discovered that barley plants grown in hydroponic culture responded to suboptimal potassium levels by the accumulation of high titers of Put. Since then, Put accumulation, especially in cereals, has been shown to occur in response to such varied stresses as water deprivation, high external osmolarity, high

* Lecturer (Botany) R. R. College, Alwar (Raj.) INDIA

external concentrations of ammonium or hydrogen ion, deficiency or excess of other monovalent cations, atmospheric pollutants such as sulfur dioxide and cadmium ion, low temperature in Subtropical species, and anaerobiosis. In all cases where the pathway of extra put formation has been investigated, ADC (Arginine decarboxylase) activation has been implicated. It thus appears valid to refer to ADC as a general stress enzyme in cereals, and to Put (Putrescine) accumulation as a general sign of stress-induced ADC activation in this group of plants. The accumulation of Put begins very rapidly after the application of stress.

(i) Polyamines and Senescence - Polyamines, especially Spd, are generally abundant in young, nonsenescent organs, and decline to a lower titer as organs age and senesce. The decline in PA titer seems to approximate the pattern of appearance of the symptoms of senescence, as well as the decline in ADC activity. The antisenescence action of exogenously applied PAs was first noted in freshly prepared mesophyll protoplasts of oat and other cereals. Their rapid decline in ability to incorporate leucine into protein and uridine into RNA was arrested by PAs applied in the 10-100m range. The exogenous PAs also retarded Chl breakdown in the protoplasts, while enhancing their ability to synthesize DNA and to undergo several rounds of division. Tomato fruits also show evidence of the antisenescence action of PAs, which might result from PA-ethylene interactions. Alcobaca and other varieties of tomato with extended shelf lives due to retardation of senescence have higher than usual titers of Put, which shows as increase rather that the usual decline during ripening. In Liberty, another variety of tomato, an unusual increase in Put during ripening is an increased storage life.

(ii) Polyamines and Morphogenesis in Plants - Put alone can support growth , but that a higher PA (Spd of Spm) is required for the differentiation of specialized sporangial cells. In the absence of these higher PAs, a double-stranded RNA 'killer factor' also failed to replicate, again indicating a possible connection between PAs and nucleic acid biosynthesis. Using the 'suicide inhibitor' DFMO to block ODC, depletion of PAs led to an inhibition of growth that was reversible by the addition of exogenous PAs to the medium. In several of the Ascomycete and Basidiomycete species examined, the inhibited cultures also failed to initiate sporangia, thus generalizing the yeast results to other fungi. It occurred that inhibition of sporulation in phytopathogenic fungi might be useful in the protection of crop plants against infection. Higher plants, possessing both the ADC and ODC pathways for the formation of Put, should not be unduly inhibited by DFMO, but at least some fungi, depending entirely on ODC, should have both their growth and sporulatiojn severely inhibited by appropriate concentration of DFMO. DFMO and DFMA (Difluoromethyl Orginine) have also been used to inhibit PA biosynthesis in higher plants, with consequences for growth. In young tomato fruits, application of DFMO inhibits the cell division necessary for later growth by cell expansion, and such inhibition is reversible by PA application. The interpretation of effects on flowering in these photo periodically indeterminate tobacco tissue cultures is complicated by the fact that such diverse materials as oligosaccharins and ethylene also induce floral formation. Oligosaccharins may trigger ethylene production, and PAs might work by suppressing or antagonizing ethylene biosynthesis or action. Embryogenesis in tissue cultures appears to depend on high Spd titer, especially in carrot just prior to embryoid formation, such cultures develop high ADC activity and an elevated Spd titer. If DFMA is applied to the cultures, embryogenesis is inhibited, and the inhibition is reversible by applied Spd. It appears possible to adjust the concentration of DFMA so that embryoid formation is inhibited while growth rate is unaffected. In a nonembryogenic line of carrot, the rise in ADC activity and Spd titer do not occur. These facts again suggest a special morphogentic role for the higher PAs.

(iii) Polyamines and Abiotic Stress Tolerance - Environmental stresses including climate change especially global warming, are severely affecting plant growth and productivity of plants. It has been estimated that two-thirds of the yield potential of major crops are routinely lost due to the unfavourable environmental factors. The crops with enhanced vigour and high tolerance to various environmental factor should be developed to feed the increasing world population. Maintain crop yield under adverse environment stresses is probably the major challenge facing modern agriculture where polyamines can play important role. Polyamines (Putrescine, Spermine and Spermidine) are group of phytochrome like aliphatic amine natural compounds with aliphatic nitrogen structure and present in almost all living organisms including plants. Evidences showed that polyamines are involved in many physiological processes such as cell growth and development and respond to stress tolerance to various environmental factors. In many cases the relationship of plant stress tolerance was noted with the production of conjugated and bound polyamines as well as stimulation of polyamine oxidation. Therefore genetic manipulation of crop plants with genes encoding enzymes of polyamines biosynthetic pathways may provide better stress tolerance to plants. Plants are challenged by variety of biotic or abiotic stresses, which can affect their growth and development productivity and geographic distribution. In order to survive adverse environmental conditions, plants have evolved various adaptive stratgies among which is the accumulation of metabolites that play protective roles. The critical role of polyamines in stress tolerance is suggested by several lines of evidence: firstly, the transcript levels of polyamines biosynthetic genes as well as the activity of corresponding enzymes are induced by stress tolerance, secondly, elevation of endogenous polyamines levels by exogenous supply of polyamines results in enhanced stress tolerance : and thirdly a reduction of endogenous polyamines is

accompanied by compromised stress tolerance. Anumber of studies have demonstrated that polyamine function in stress tolerance largely by modulating the homeostasis of reactive oxygen species (ROS) due to their direct or indirect roles in regulating antioxidant system or suppressing (ROS) production.

(iv) Polyamines and Photosynthesis - Plant cell organelles like chloroplants and photosynthetic sub complex like thylakoids, light harvesting complex-II (LHC- II), PS II and thylakoid membranes are enriched with three major polyamines. Especially Spm was abundantly available in PS-II core complex and reaction center of PS II. PAs exhibit a protective role in photosynthetic apparatus of plants in response to various abiotic stress. Improvement in the photosynthetic capacity is observed with exogenous PAs application on a salt-stressed cucumber plant, also they are found to be involved in elevating the photochemical efficiency of Ps II. Several studies shows that high activities of PAs biosynthetic enzymes and Transglutaminase in chloroplast sub-organelle, synthesizing the covalently bound PAs with proteins. There bound proteins are found to be involved in regulating photosynthesis in resonse to stress conditions. Several studies explained that PAs are involved in stabilization of structure and function of photosynthetic apparatus in response to unfavorurable environmental stress factors. Studies show that Put can alleviate the degradation of thylakoid membrane proteins induced by salt stress, UV-B stress and thus making a normal stacking order in the adjacent grana thylakoids in maize primary leaves.

(v) Role of Polyamines in Resistance to Plant Pathogen - Polyamines are present in all diving organisms. The most common polyamines are diamine putrescene (Put) spermidine (Spd), tetramine spermine (Spm) was indentified as ubiquitous polyamines in plants. A number of studies have provided evidences the PA metabolism is drastically changed by pathogen infections. Plants have evolved defense mechanisms to cope with a wide variety of pathogen. Many researchers have shown that PA metabolic enzyme are activated and Polyamines accumulate during disease resistance, including during the hypersistive response (HR). Putrescene and spermidine also shown to be involved in disease resistance, Eggplants expressing that at ADC (Arginine decarboxylase) gene exhibited tolerance to the wilt causing fungus Fusariumoxysporum.

(vi) Polyamines and Growth Regulator - While plant hormones are present in very small concentrations (micromolar), the PAs are present in abundance (Milimolar conc.) the PAs are poorly translocated. Evans and Malmberg (1989) have reviewed role PAs in plants development and have concluded that “PAs are not plant hormone although they might be considered as plant growth regulators or merely one of several kinds of metabolites needed for certain developmental process.

Conclusion - Considerable evidence indicates that polyamines are involved in a wide array of plant processes, including DNA replication, transcription of genes, cell division. Organ development, fruit development and ripening, leaf senescence and abiotic stresses. Despite ample evidence of their involvement in these processes, their precise role in these specific processes remains to be established. Recent developments of PA- deficient mutants and transgenic plants as well as of molecular genetic investigations should further our understanding of their role in plant growth and development.

References :-

1. Bais HP and Ravishankar GA. Role of polyamines in the ontogeny of plants and their biotechnological applications. Plant Cell. Tissue and Organ Culture. 69 : 1-34. 2002.
2. Bhatnagar P, Minocha R and Minocha S. Genetic manipulation of the metabolism of polyamines in poplar cells. The regulation of putrescine catabolism. Plant Physiol. 128:1455-1469, 2002.
3. Galston AWand Kaur-Sawhney R. Polyamines as endogenous growth regulators. In : Plant Hormones, Physiology, Biochemistry and Molecular Biology (2nd edn). Davies PJ (Ed). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 158-178,1995
4. Metha RA, Handa A, Li N and Mattoo AK. Ripening-activated expression of S-adenosylmethionine decarboxylase increases polyamine levels and influences ripening in transgenic tomato fruits (abstract no. 134). Plant Physiol. 114: S-44, 1997.
5. Mehta R.A. Cassol T, Li N, Ali N. Handa AK and Mattoo AK. Engineered polyamine accumulation in tomato enhances phytonutrient content, juice quality and vine life. Nat Biotech. 20:613-618, 2002.
6. Mirza JI and Iqbal M. Spermine- resistant mutants of Arabidopsis thaliana with development abnormalities. Plant Growth Regul. 22:151-156,1997.

****

Various Applications of Fluid Dynamics - An Overview

Sudhish Kumar *

Abstract - Fluid Dynamics is a branch of Mathematics which affects almost all activities of Daily Life of Human being . In addition to this it has also other interesting applications in various modern fields like Space Science , Sports , Medical Science , Traffic management etc . In this Paper / Article we review these broad applications of Fluid Dynamics and conclude with future prospects .

Key Words - Velocity, Viscosity, Vorticity ,Reynolds number, Newtonian & Non–Newtonian Fluids , etc.

Introduction - First a little background - Fluid Mechanics is the study of fluids either in motion (Fluid Dynamics) or at rest (Fluid Statics) , Fluids are either gas or liquid .Clearly Solids are NOT fluids .

Fluid –a definition - A substance that deforms continuously under the action of shear stress is a Fluid . It can be Gas or Liquid Gas . Further solids can resist a shear stress but a fluid can not .

Properties of the fluid - These are things like - density, pressure , temperature, Viscosity & Vorticty.

Some of the Applications of Fluid Dynamics are in the fields – Chemical Engineering , Sports , Space Science , Traffic Management, Automobile Industry , Computer Engineering & HUMAN Bio-Genetics .

Another List of Some Applications includes -

Coating , Breathing, Blood flow/pipe flow, Swimming ,Pumps (traditional and your –heart), Fans & Turbines, Airplanes & Rockets, Missiles, Ships, Kidney dialysis machines , Heart—Lung bypass machines and also Membrane oxygenators Engines And lots more !

Applications of Fluid Mechanics Explains - the Blood flow in capillaries of a few microns in diameter to crude oil flow through an 800 mile long, 4 ft diameter pipe in crude oil. It also explains as to why airplanes are streamlined with smooth surfaces and as to why golf balls are made will dimpled surfaces for most efficient travel**.**

Next we discuss applications in **Chemical Engineering**. Chemical Engineers use fluid Mechanics in Manufacturing , Research, Biotechnology ,Chemical ,Medical & Pharmaceutical . For everything fluid flow is key . **It raises following questions :-**

How fast ? What direction ? How changing with time (differential equations) ?

Flow properties deal with things like :-

the velocity , changes in temperature, concentration. Another Fluid Property is -

Viscosity –What is it?

It is a property of a fluid to resist the rate of deformation . It is a quantitative measure of a fluids resistance to flow (water vs. syrup) . It takes place when a fluid is acted upon by a shear stress . Simply stated, it s how thick a fluid is ? e easily move through air It is more difficult to move through water which is 50 times higher in viscosity than air .

Units of Viscosity is Poise It is the most common units used to describe viscosity, but not the only one. It is named after the French physician Jean Louis Poiseuille (1799 1869) . One hundredth of a Poise is a centipoises or "cP ".

Viscosity of some " Common Materials (all are units of Centipoise) :-

Hydrogen - 0.0088 , Carbon Dioxide- 0.015 , Air - 0.018 ,Blood - 0.40, Gasoline - 0.29 , Water- 1.0 , Mercury- 1.5 , Corn Oil -72 , SAE 30 oil - 290 , Ketchup - 50,000 .

Next we discuss **Newtonian Fluids** .These are fluids that obey Newton' s Law of Viscosity . There is a Linear relationship between shear stress and shear strain. Some Examples of Newtonian Fluids are - Water ,Simple Alcohols ,Simple Organic Solvents . **Non-Newtonian Fluids** examples are – Honey,toothpaste, paint, blood, ketchup, syrup & many polymers . This list goes on and on.The primary parameter correlating the viscous behavior of Newtonian Fluids is the dimensionless Reynolds Number . It is given as :-

$$Re = (\text{Velocity} \times \text{Distance}) / \text{Viscosity}$$

Low Re means - laminar flow (no change with time) .

High Re means - turbulent flow (changes with time) .

Next we discuss as to how we can use Viscosity (and Fluid Dynamics) ?

One example is flow measurements in human body . Another examples are heart valve flow volumes , Coating technologies – there are lots of applications. Moving fluids from one place to another - e.g. blood flow in our body ,Chemicals in pipes . Moving objects through fluids .

Next we discuss a recently discovered application of Fluid

*Assistant Professor (Maths.) Govt. Degree College, Khurai, Distt. Sagar (M.P.) INDIA

Dynamics . It is in **Traffic Management** . Traffic is flow of Vehicles . Roads can be considered as Channels through which vehicles can travel. Here the key Question is :-
Can we apply same principles in traffic flow as we apply in case of liquid / gas flow ?
There is a similarity between traffic flow and liquid flow .In fact there are analogies between traffic flow and liquid flow .We can likewise discuss applications in both cases .
Viscosity in traffic flow - Clearly vehicles travelling along the boundary move slowly . As in case of non-ideal fluids , there are interactions between moving vehicles which is necessary to maintain safe distance and velocity .Applications in traffic management are of two types :-
(i) Dynamics assisted – generalized traffic conditions ,can be simulated using statistical data and then it can be used to guide vehicles in their course so that problems like traffic jams can be avoided .
(ii) Constructing structures- shapes that can be used so as to minimize impact on traffic conditions. Fluid dynamics can be used in designing roads where proper width and margin can be maintained with traffic and space considerations .It can play an important role in adjusting signal timings. As per traffic conditions precise signal timings can be done so as to avoid traffic jams .This will ensure a uniform traffic flow even when traffic flow rates are high.
Applications in Sports - Wind tunnel can be used to evaluate lift and drag and produce flow visualization studies of baseball, cricket, golf, and tennis balls .This is done by utilizing a **Jet Stream 500** wind tunnel which measures lift and drag. Several aerodynamic principles came into play when testing is performed . Bernoulli’s theorem explains the production of side and lift forces on sports balls consequent to their surface features.
Effects on Sports balls - These directional changes are best seen in the knuckleball . and cricket ball. Aerodynamics of sports balls is strongly dependent on the development and behavior of the boundary layer on the balls’ surface. The critical Reynolds number is the speed at which flow becomes turbulent. Increasing surface roughness decreases the critical Reynolds number, which is best demonstrated in the dimpled golf ball.
The Phenomena of - Reverse swings in the game of Cricket is also dependent on principles of fluid dynamics . The simulation of reverse swing in a cricket ball has been undertaken using the Detached Eddy Simulation model. The effect of ball speed and roughness, height on which the magnitude of reverse swing can be examined. The seam is modeled as a ring with a width of 20 mm and height of 1 mm. The drag and side force can be compared . The numerical simulation of reverse swing provides new insight regarding the factors controlling the reverse swing of the cricket ball.
Applications in Aerodynamics - Aerodynamics is a branch of dynamics concerned with studying the motion of air, articularly when it interacts with a solid object, such as an airplane wing. Aerodynamics is a sub-field of fluid dynamics .
Gas Dynamics - Gas Dynamics , and many aspects of aerodynamics theory are common to these fields. The term aerodynamics is often used synonymously with gas dynamics, with the difference being that “gas dynamics” applies to the study of the motion of all gases, not limited to air.

Another modern application of Fluid Dynamics is **fluid coupling.** It is a hydro-dynamic device which is used to transmit rotating mechanical power. It has been used in automobile transmission as an alternative to a mechanical clutch. It also has widespread application in marine and industrial machine drives, where variable speed operation and/or controlled start-up without shock loading of the power transmission system is essential.

Conclusions - Thus Fluid Mechanics specially Fluid Dynamics has applications in various fields . It has also applications in our day to day life . Space Science also has applications of Fluid Mechanics . As for as future prospects is concerned experts of Fluid Mechanics are in great demand in the field of Sports , Medical Science appliances manufacturing industries & Space Science . Another future prospects is High Speed Flow research .Thus Fluid Dynamics is the branch of Mathematics which affects our day to day life.

References:-
1. Open ended material basically in shape of primary data freely available like Wikipedia on Internet and other similar books.

****

Some skin diseases in humans caused by species of microsporum and their treatment

Dr. Shobha Sharma *

Introduction - Fungal infections are responsible for significant morbidity of human population. The three classes of fungi capable of producing cutaneous infections in humans are yeasts, dermatophytes and molds. MicroSporum Gypseum is a soil associated dermatophyte is known to infect the upper dead layers of the skin of mammals. The term denotes dematophytes to an asexual "Form-Taxon" associated with four species of Fungi, the Pathogenic taxa Arthroderma gypsea, A.Fulva and Non Pathogenic A. Corniculata. Fungi belongs to Fungi, Eurotiomycetes, Onygenales, Anthrodermataceal, Microsporuum.

The colonies of microsporum described as cottony or poavdery, they grow rapidly with the colour range of white that can range from pink, to red , to yellow. The powdery appearance of the colony is due to the abundant production of macroconidia on the older mycelium. Macroconidia occurs as short pedicels, terminal, solitary, spindle shaped, thick, smooth wall or roughened , borne directly on hyphae Macroconidia are large, ellipsoid to fusiform and are 4-6 septate possess tail to the edges of the conidia. The abundance of conidia is characteristic of the fungus. The three kinds of hyphae are straight, slender, smooth walled hyphae. The asci of fungus are globose, thin walled contains 8 ascospores. The ascospores are smooth walled, leticular yellow, pink in colour when in masses. The species of fungus is abundant in soil of greenhouses, factories commonly infects humans whom are working or tied in these areas. Soil moisture, with the pH 7 to 7.5, clayey or clayey-sandy type contains the microsporium population.

Etiopathogenesis - Microsporum and epidermophytons are the common genera which causes skin diseases in humans clinically known as Tinea. In children, the infection is commonly acquired due to close contact with adults suffering from fungal infections. For example children carried over the waist by the mother with the dermatophytes in the waist region result in dermatophytes in the child. Adults particularly males are typically infected usually involved in agricultural practices, such as green houses and plant nursery workers because of contact in the soil. Infections usually occurs from August to November.

Slight trauma or an abrasion is required for dermatophyte infection. It inhabits the non-living layer of skin, hair, and nail due to warm, moist environment to fungal proliferation. Under favourable condition fungal spore attack the skin, germinate and penetrates startum corneum. Fungi releases keratinases to invade deeper into the stratum corneum but does not cross epidermis of skin. So it is called superficial skin diseases of humans. Incubation period is 1 to 3 weeks. Invasion occurs in a centrifugal pattern, the active border has increased epidermal cell proliferation which results in shedding and scaling of the infected skin and new healthy skin is left behind in the center.

The diseases it causes is classified as Tinea or Ringworm. Infection usually occurs as Tinea with suppuration and kerion formation, pus formation can also occur from hair follicles. Annular plaque with itching is characteristic of patients. Very rarely burning sensation occurs. The lesions may be erythematous, advancing border, scales, crusts, papules, vesicles, bullae develop due to the inflammation. It involves any part of the body and may be associated with the nail or scalp treatment. The terms are used to denote the various sites of involvement are Tinea capitis-scalp, Tinea manuum-hand, Tinea Pedis-Feet.

Investigation material and method - The investigation is usually clinical. When infection developes on skin as Ringworm, eczema, erythematous patches in this condition scraping should be done with a blunt scalpel at the border of the lesions to get the highest yield of fungal elements on the glass slide. Put 2-3 drops of KOH solution on the slide . KOH dissolves the keratin and leaves the fungal infection intact revealing seperate branching hyphae. These hyphae examined under high power in microscope. These hyphae cultured in potato dextrose agar medium in petridish. For further examinatious.

Treatment - If the lesions is localized only topical agents need to be used. In case of extensive distribution and involvement of hairy region systematic treatment is to be given. The commonly topical agents are cream clotrimazole, ketoconazole, miconazole, oxicanozole are to be used twice daily.

Systematic Treatment - This can be combined topical therapy, griseofulvin drugs used against griseofulvin tine

***Assistant Professor (Botany) M.L.B Govt. Girls P.G. College, Kila Bhawan, Indore (M.P.) INDIA**

corporis per day orally. Fluconazole Intraconazole and some other drugs are used to cure the disease.

Biological Treatment - The disease is also known as home remedies are used by ancient vaidhyas, hakiims, auyurveds these medicines are made by oils, leaves barks of trees, nimboli of neem Azadirechta indica, (2) oil of sarso Brassica(3) oil of karanj Pongemea pinneta (4) oil of jatun (5) leaves extract of allovera jel (6) Haldi curcuma zedoarea (7) Tulsi powder occimum sanctum (8) Masoor powder lentil (9) kapoor in coconut oil cocas nucifera

Sulphur water(gandhak) is used for bathing is advised to give patients suffer from the dermatophytes.

Prevention - Discourage close contact between infected and non infected individuals and sharing of fomites. Loose fitting clothes made of cotton to be used to avoid moist environment.

Recurrance - Occurs due to incomplete treatment.

References :-

1. Verma S. Heffarman MP. Superficial fungal infection, vol 2 MC GrawHill 2008
2. Indian journal of practical pediatrics vol 11,2009
3. https://en Wikipedia.org/wiki/microsporum
4. Mycology by Aneja
5. Mycology by Allexopolous

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

Effect of Air Pollution on Human Health

Manisha Marathe *

Introduction - Earth is the only Planet, known so far to have life in the Solar system. Man appeared on the Planet about 2 Lakh Years. Ago. The human beings are constantly trying to change their surroundings. Occasionally they change the features of the environment itself for a while.

Man needs air for which the atmosphere around him is the useful resource. Man's life depends on the use of the surroundings which are available. Though the judicious use of resources would take every care to maintain the quality of the environment but careless use of the environment will gradually become more and more unfit for the supporting life. Such deterioration is known as pollution.

In our national situation with the growth of Industries, more and more toxic substances are either used as raw materials or given off during manufacturing processes in the form of Dust, Fumes, Vaporous and Gases. These pollutants ultimately dissipate in the working environment and pose occupational health hazards.

According to U.S. estimate there are about half a million man made substances already present as pollutants in our total environment. These pollutants when get into the Air and Water disturb the ecological balance of the nature. Control of Air contaminant is essential for which we are only custodians of environment for our future generation.

Air pollution can cause death, impaired health, reduce visibility, bring about vast economic losses and contribute to the general deterioration of both our Cities and country side. The effect of Air pollution is felt more by the elderly and infants as chest and respiratory complaints are very common among them. Tragic instances of death have also been reported in air pollution episodes, such as London Smog of 1952 and the Bhopal Gas Tragedy in 1984. Awareness among the people regarded air pollution is necessary and also precautionary measures can be taken against the ill effect caused.

Air pollutants can be classified as follows:-

Natural Contaminants	Aerosols (Particulates)	Gases And Vapors
Natural Fog	Dust	SO2
Pollen Grains	Smoke	SO3
Bacteria	Mists	SH2S
Product of	Fog	Mrecaptans
Volcanic Eruption	Fumes	NH3, O3, CO, CO2 HF, HCL Aldehyde Hydrocarbons Radio Active Gases

As per survey conducted by Breathe Blue 15 among School going children suffering because of Air-pollution. New Delhi is at the first position at 21%, the garden City Bangalore has 14%, Mumbai is in the 3rd place at 13% and Kolkata is in the 4th place with 9% of school going children suffering due to air pollution.

As per the World Health Organization's (WHO) latest report on "Ambient Air Pollution 2016". India has the most polluted cities in the World. Out of 100 most polluted cities in the World, India has 33, while it also contributes 22 cities to the top 50 most polluted ones.

We breathe Air to live and what we breathe has a direct impact on our health. Breathing polluted Air puts you at a higher risk for Asthma and other respiratory disease. When exposed to ground, Ozone for 6 to 7 hours, scientific evidence show that healthy People's lung function decreases. Air pollutants are mostly carcinogens and living in a polluted area can put people at risk of Cancer. Coughing, Wheezing are common symptoms observed. Damages of immune system, endocrine and reproductive system observed. High level of particle pollution have been associated with higher incidents of Heart Problem.

Prevention and Control of Air Pollution - Prevention of Air pollution is not so simple at reasonable cost. All growing needs and amenities of modern life are causing some Air-pollution. For example it is difficult to drive a Car or Scooter without causing some Air Pollution. Similarly it is difficult to run an Industry without causing Air Pollution. It is not possible to run a Thermal Plant without fouling the atmosphere. It is how ever possible to prevent Air Pollution without undue cost by -:-

A. Careful Planning and Installation of Machines in Industries .
B. Better design and equipment.
C. Better operation of equipment.

General method for Air pollution Control :

1. Zoning
2. Air Pollution Control at source
3. Installation of Controlling devices and equipment
4. Constructions of high stacks or Chimneys to discharge the pollutants at higher Altitudes.
5. By planting Trees and growing vegetation

References :-

1. Singh Dr. Savindra – Environmental Geography
2. Trivedi Dr. Priyaranjan – Encyclopedia of Ecology & Environment

* Reserch Scholar, 164, Lokmanya Nagar, Indore (M.P.) INDIA

Antimicrobial activity of medicinal plant against human pathogenic bacteria

Arti Chaurasia* Anil Gharia **

Abstract - An attempt was made to analyze antimicrobial activity of medicinally important plant Boswellia serrata against human bacterial pathogens. Antimicrobial study was carried out by disc diffusion method against the pathogens by using the methanol and aqueous extracts. The result of present study showed the presence of antibacterial activities against human pathogenic bacteria. The present study demonstrates that selected medicinal plant is potentially good source of antibacterial against pathogens viz. K. Pneumoniae, S. auerus, and P. vulgaris.
Key words - Human pathogens, medicinal plant, disc diffusion method, antibacterial.

Introduction - Traditional medicines for human diseases have been widely used in many parts of the world. Herbal plants are usually the primary source of medicine in many developing countries. Natural product compounds from plants provide biologically active compounds. The number of multi-drug resistant microbial strains and the appearance of strains with reduced susceptibility to antibiotics are continuously increasing. In addition, in developing countries, synthetic drugs are not only expensive and inadequate for the treatment of diseases but also often with adulterations and side effects. Therefore, there is need to search new infection-fighting strategies to control microbial infections. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial activity of some medicinal plant used in Ayurveda and traditional medicinal system for treatment of manifestations caused by microorganisms. Therefore, extracts of the boswellia serrata plant was tested for their potential activity against microbial pathogens.

Boswellia serrata (Family: Burseraceae) is a deciduous middle sized tree, which is mostly concentrated in tropical; parts of Asia and Africa. In India it occurs in dry hilly forests of Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Bihar, Assam, Orissa as well as central peninsular regions of Andhra Pradesh, Assam etc. B. serrata gum resin has been reported to have analgesic, anti-inflammatory, anti-arthritic and anti-pyretic activity. Antibacterial activity of plant Boswellia serrata was carried out by disc diffusion method.

Method - Fresh leaves and seeds were collected from Pachmarhi district Hoshangabad Madhya Pradesh. Leaves and seeds were washed thoroughly 5-6 times and then air dried.

Solvent Extraction - The leaves of plant was dried and made 250g of powdered material. Powder was mix with 600ml methanol as a solvent and heated in Soxhlet apparatus near about 10 hrs. The extract was concentrated under vacuum and dried in desiccators. The powdered material mixed with 500ml of distilled water and kept near about 10 days at room temperature. The extract obtained from water and filtered. Residue evaporated at 15^{o} C.

The total three microorganisms were used for antibacterial properties. The microorganisms obtained from microbial collection centre, in Gujrati College, Indore.

Antimicrobial Activity -Different concentration of extracts (50ml) was prepared with methanol. The test microorganisms spread on the plate. Cultures bacteria grow in nutrient. It is solidify and filter paper disc of 6mm in diameter impregnated with extract were test on microorganisms. 10 mg/ml streptomycin sulphate used as positive control and methanol solvent (100mg/ml) used as negative control. Antibacterial assay plates were incubated at 40^{o} C near about 30hrs and diameter of inhibition zones were measured in millimeters.

Result - Results obtained in the present study relieved that tested medicinal plant possess antibacterial activity against K. Pneumoniae, S. Auerus, and P. Vulgaris. The highest antibacterial activity recorded in P. Vulgaris (21mm), K. Pneumoniae (15mm) and S. Auerus (12mm) compared to aqueous extract.

Table: Antibacterial activity of methanol and aqueous extract (100mg/ml) of plant by disc diffusion assay.

	Zone of inhibition (in mm)		
Human Pathogenic Bacteria	**Methanol**	**Aqueous**	**Streptomycin Sulphate (10mg/ml)**
K. Pneumoniae	15	10	22
S. auerus	12	9	23
P. vulgaris	21	6	20

* Malwa Institute of Technology, Indore (M.P.) INDIA
** P. M. B. Gujrati Science College, Indore (M.P.) INDIA

Discussion - The present study shows that the methanolic and aqueous extract of leaves of Boswellia serrata have all the phytochemical constituent studied with negligible variation. Thus, the significant activity against P. vulgaris and K. Pneumoniae may be due to their Phytochemical or secondary metabolites.

Conclusion - It is concluded that this study would lead to the establishment of some valuable compound that has to be used to formulate new, different and more potent antimicrobial drugs of natural origin.

References :-

1. Narang, G.D., Nayer, s., Mcndiratta, D.K. (1962). Antibacterial activity of some indigenous drugs, J. Vet. Animal husb. Res. 6 (1): 22-25.
2. Rastogi and Mehrotra (1993). Imoedium of Indian medicinal plant.CDR (Lucknow) 2:496.
3. Anonymous, (1996). Pharmacopiea of india. (The Indian Pharmacopiea), 3rd Edn. Govt. of India, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare.
4. Dabur, R., Ali, M., Singh, H., Gupta, J. and Sharma, G.L. (2004). A novel antifungal pyrrole derivative from Datura metal leaves. Pharmazie. 59(7): 568-570.
5. Mahadv GB, 2005, medicinal plants for the prevention and treatment of bacterial infections, Curr. Pharm. Des., 11, 2405-2427.
6. Mothana RA and Lindequist U, 2005, Antimicrobial activity of some medicinal plants of the island Soqotra, J. Ethnopharmacol., 96 (1-2), 177-181.
7. J Srivastava, Lambert and V Vietmeyer (2006). Medicinal plants: An expanding role in development. World
8. Rojas JJ, Ochoa VJ, Ocampo SA and Munoz JF, 2006, Screening for antimicrobial activity of ten medicinal plants used in Colombian folkloric medicine: A possible alternative in the treatment of non-nosocomial infections, BMC complement Altern. Med., 6, 2.
9. B Mahesh and S Satish (2008). Antimicrobial activity of some important medicinal plant extract against plant and human pathogens. World J. of Agri.Sci. 4(S): 839-843.
10. Bipul Biswas, Kimberly Rogers, Fredrick McLaughlin, and Dwayne (2013). Antimicrobial activities of leaf extracts of Guava (Psidium guajava L.) on two gram-negative and gram-positive bacteria Int. J. of Microbiology. Aricle ID 746165. 7 pages.

****

जैव विविधता का मूल्य संवर्धन तथा जैव संसाधनों का सतत् उपयोग - रेशम कीट और पौधे-एक व्यक्तिवृत अध्ययन

इमराना सिद्दीकी * फरहाना अली **

प्रस्तावना – पार्थिव वातावरण विषम एवं जटिल है। इसके अन्तर्गत पृथ्वी पर उगने वाले पेड़ पौधों जीव-जन्तुओं तथा कीटों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रिया-कलाप के कारण पार्थिव परितंत्र में नया आयाम एवं परिवर्तन लाया गया है, जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता है। पार्थिव परितंत्र को 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। प्राकृतिक, अर्द्धप्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत वन हरित प्रदेश, चारागाह एवं मरूस्थल आते हैं। अर्द्धप्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत वृक्ष वाटिका, कृषि योग्य भूमि, जंगल किनारे के स्थान, पर्ती जमीन, वनस्पति, उद्यान, जन्तु उद्यान, विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संरक्षित बगीचे आते हैं।

पौधा पार्थिव परितंत्र का प्रमुख उत्पादक है। जन्तु पौधों पर विभिन्न रूपों में निर्भर करते हैं और इनकी निर्भरता से पौधा-जन्तु संबंध का जन्म होता है। इस प्रकार के संबंधों का मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए उपयोग कर सकता है।

कोरबा छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख कोसा उत्पादक जिला है। लगभग 2000 आदिवासी लोग विभिन्न सेरीकल्चर गतिविधियों द्वारा जीवीकोपार्जन में लगे हैं। कटघोरा तहसील में एक कोकून बैंक की स्थापना की गई है। जो टसर तथा मलबरी कोकून की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करता है। यह बैंक विभिन्न छोटे उत्पादकों से कॉपरेटिव सोसाइटी द्वारा कोकून एकत्रित कर बुनकरों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर विक्रय करता है। सेरीकल्चर इस क्षेत्र के आदिवासी के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान करने वाली योजना है। इस शोधपत्र में सेरीकल्चर के विभिन्न आयाम, जैसे:- उसके इतिहास, रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियाँ, रेशम के विभिन्न प्रकार और रेशम उत्पादन, के विभिन्न चरण तथा कोरबा जिले के रेशम उद्योग का अध्ययन किया है।

शोध परियोजना कार्यस्वरूप – इस परियोजना के कार्य में हमने क्षेत्र के कोकून उत्पादक केन्द्रों का भ्रमण किया तथा इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क किया।

इस अध्ययन द्वारा हमने रेशम कीटों का पौधों से संबंध, कीटों की विभिन्न प्रजातियों तथा रेशम उत्पादन उद्योग के विविध चरणों की जानकारी प्राप्त की है। कटघोरा तहसील के रेशम उद्योग से संबंधित विभिन्न आँकड़े एकत्रित किए।

रेशम उद्योग में जीवकोपार्जन तथा आर्थिक लाभ की संभावना को देखते हुए हमने रेशम कीटों तथा उसमें संबंधित कीटों की संरक्षण पर विचार किया इस उद्योग से जुड़कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की प्रबल संभावना है।

इस उद्योग में किस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इस उद्योग का विस्तार तथा संरक्षण के उपायों पर विचार किया। वृक्ष बहुत से जीवों को प्रकृति में जीवित रहने के लिए विस्तृत अवसर प्रदान करते हैं। कुछ वृक्ष आश्रय प्रदान करते हैं। कुछ दूसरे वृक्ष जीवन के विविध रूपों को भोजन प्रदान करते है।

आँकड़ो का विवरण

कोरबा में कोसा उत्पादन	
टसर खेती का कुल क्षेत्रफल	1225 हेक्टेयर
कटघोरा	22 एकड़
ढलेवाडीह	400 एकड़
मलबरी खेती का कुल क्षेत्रफल	200 एकड़
कुल टसर कोकून उत्पादन केन्द्र	19 एकड़
सेरीकल्चर लाभ ग्राहियों की लगभग संख्या	2000एकड़

टसर कोकून उत्पादन केन्द्र

ब्लॉक	टसर केन्द्र का नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
पोड़ी उपरोड़ा	बरपाली	20.00
	कोरबी	24.00
	बिझरा	40.00
	तुमान	119.00
	योग	203.00
पाली	पाली	31.00
	लॉका	5.00
	बुदबुहु	44.00
	तीवरता	130.00
	योग	210.00

रेशम उत्पादन- सिद्धांत एवं विधि – सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन की एक विधि, भारत के ग्रामीण अर्थशास्त्र में एक मुख्य भूमिका निभाती है। रेशम का धागा रेशम के कीड़ों की ग्रन्थियों से निकलने वाला एक उत्पाद होता है। विश्व में 45000 टन रेशम का कुल उत्पादन होता है। जिसमें से 18936 टन जापान द्वारा और 13000 टन चीन द्वारा उत्पादित किया जाता है। दक्षिण कोरियां, USSR तथा भारत विश्व के अन्य प्रमुख सेरीकल्चर देश है।

भारत में लगभग 2969 टन रेशम के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियाँ है। श्रम के कम मूल्य के कारण सेरीकल्चर देश में ग्रामीण अर्थशास्त्र को सुधारने के लिए आदर्श उद्योग है। यह एक कुटीर उद्योग है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को एक रोजगार प्रदान करता है, जबकि

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
** प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सयाहीमुडी (छ.ग.) भारत

पुरूष वर्ग खेतों में काम करता है।

रेशम के कीटों की पाँच प्रजातियाँ भारत में रेशम के उत्पादन के लिए पैदा की जाती है। **(तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)**

टसर उत्पादन – टसर का उत्पादन मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा बिहार में एन्थेरिया की चार प्रजातियों द्वारा टरमीनेलिया,टामेनटोसा तथा टरमीनेलिया,अर्जुना के वृक्षों पर किया जाता है। टसर रेशम कीट जंगलों पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते है। टसर रेशम कीट जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तथा आदिवासियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। प्रथम फसल जिसे सांडक्राप कहते है मई–जुलाई तक तथा व्यवसायी फसल अक्टूबर से नवम्बर में एकत्रित होती है। मादा तितली को छोटी बास्केट जिसे मानीया कहते है में अण्डे देने के लिए छोड़ा जाता है।

स्वस्थ अण्ड़ों को एकत्रित करने के बाद फर्मोलिन से धोकर सुखाते है। मौसम के आधार पर हफ्ता या 10 दिन के बाद उसमें से इल्ली निकलने लगते हैं। जिसे हेचिंग कहते हैं। इल्लियों का साफ सूथरे पेड़ के ऊपर छोड़ दिया जाता है। चार दिन चरने के बाद मोल्ट में बैठता है। प्रथम मोल्ट 24 घंटा, द्वितीय मोल्ट डेढ़ दिन, तृतीय मोल्ट 2 दिन, चतुर्थ 2.5 दिन चारों मोल्ट के बाद 10–12 दिन और पत्ती खाता है, तब संपूर्ण भोज्य पदार्थ को शरीर से निकाल देता है। तदुपरांत प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। 10–12 दिन बाद प्यूपा तितली बनकर कोसा को काटकर बाहर निकल आता है। टसर कीट हरे रंग के होते हैं। इनका जीवन चक्र चार चरणों का होता है। लारवा अवधि के पश्चात् यह लाखा कोकून निर्माण से पहले एक वलय आकार संरचना का निर्माण करता है। कोकून बड़े आकार के पीले तथा भूरे रंग के होते है। कोकून को कास्टिक पोटाश (KOH) में जाता है तथा धागों को रील किया जाता है।

आँकड़ो का विश्लेषण – प्राप्त आकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि भारत के अर्थ–व्यवस्था का एक प्रमुख भाग रेशम उत्पादन द्वारा संचालित होता है। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से लगभग 225 टन टसर का उत्पादन किया जाता है। मई–जुलाई की अवधि कीट पौधा संबंध के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इस अवधि में अधिकतम लार्वा का उत्पादन होता है। इस समय वृक्ष, हरे–भरे पत्तियों से लदे होते हैं। जिससे नवजात लार्वा को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त होता है, जो उनके त्वरित विकास में सहायक है। रेशम के उत्पादन का प्रथम चरण जिसके अन्तर्गत रेशम कीटों को एकत्रित करना, उनका विकास करना, कोकून का निर्माण करना तथा कोकून की रीलिंग करना सम्मिलित है, लघु उद्योगों की श्रेणी में आता है। यह उद्योग छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए प्रमुख आजीविका का साधन है।

पौधा कीट का व्यक्तिवृत अध्ययन

दिवस	कीटों का आकार	वृक्षों की संख्या	कीटों की संख्या
पहला	1 cm	1	1000 (अनुमानित)
तीसरा	1-1.5 cm	1	900 (अनुमानित)
पाँचवा	2 cm	1	750 (अनुमानित)
साँतवा	3 cm	1	700 (अनुमानित)
दसवाँ	5 cm	1	600 (अनुमानित)
पन्द्रहवाँ	8 cm	1	650 (अनुमानित)
पच्चीसवाँ	12-13 cm	1	500 (अनुमानित)

टसर वृक्षों के नाशक कीट एवं उनका नियंत्रण

निष्कर्ष एवं प्रभाव – कार्यविधि प्राप्त आँकड़ो एवं आँकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला कि कटघोरा क्षेत्र की जलवायु एवं मिट्टी की बनावट अर्जुन पौधों के उत्पादन के लिए अत्यंत अनूकूल है। अत: इस क्षेत्र में रेशम उद्योग के लिए और अधिक विकास की अत्यधिक संभावनाएँ है। देश विदेश में लोगों की रेशम के प्रति बढ़ती अभिरूचि एवं माँग को देखते हुए रेशम उद्योग में वृद्धि की संभावना है। इसके चलते यहाँ निवासरत अधिक से अधिक आदिवासी परिवारों के इस व्यवसाय से जुड़ने एवं आर्थिक लाभ कमाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। परंतु विभिन्न प्रकार की बीमारियों, जलवायु परिवर्तन के कारण वृक्षों को नुकसान पहुँच रहा है। जिससे पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है।

सेरीकल्चर विभाग द्वारा महिलाओं के लिए प्रत्येक वर्ष 2 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चयनित प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह 250.00 रूपए वृत्तिराशि दिया जाता है। वे महिलाएँ जो सफलता पूर्वक यह प्रशिक्षण पूर्ण करती है। उन्हें विभाग द्वारा रिलिंग मशीन उपलब्ध करायी जाती है। लगभग 50 महिलाएँ प्रतिवर्ष इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्ण कर इससे लाभ कमा रही हैं।

यदि कोरबा जिले के टसर कोकून उत्पादन पर दृष्टि डाले तो यह आँकड़े प्राप्त होते हैं–

वर्ष	लक्ष्य (लाख में)	उत्पादन (लाख में)
2008–2009	59	12.13
2009–2010	25	16.37
2010–2011	25	14.91
2011–2012	20	50.38
2012–2013	55	59.00
2013–2014	60	50.25
2014–2015	59	57.92
2015–2016	36.60	68.82

वर्ष 2009,2010,2011 में लक्ष्य से कम उत्पादन प्राप्त हुआ। परंतु वर्ष 2013 एवं 2016 में लक्ष्य से अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। विस्तृत अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि जिन वर्षो में अर्जुन एवं साझा वृक्षों की उचित देखभाल की गई, मौसम अनुकूल रहा, उन वर्षो में वृक्षों पर पत्ते पर्याप्त मात्रा में उगे। अत: कीटों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हुआ। और उत्पादन का प्रतिशत भी बढ़ा।

अत: वृक्षों एवं कीटों की उचित देखभाल करने से वृक्षों एवं कीटों के बीच संबंध प्रगाढ होता है। इस संबंध से प्राप्त उत्पाद का मानव कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

हमारे द्वारा किए गए कार्यो एवं प्राप्त आँकड़ों से निष्कर्ष निकाला कि यदि निम्न बातों पर ध्यान दिया जाए तो अर्जुन वृक्ष एवं रेशम कीटों के बीच संबंधों को और बढ़ाया जा सकता है।

स्थान विशेष का अध्ययन कर क्षेत्र में वृक्ष की अत्यधिक संख्या में उपलब्धता के आधार पर प्रभावी वृक्ष की प्रजाति के प्रकार का पता लगाना। अध्ययन क्षेत्र के उस वृक्ष पर महत्व पूर्ण खतरों का पता लगाकर उसके बचाव के उपाय खोजे जाएं एवं लोगों को बताए जाएं।

जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के तरीकों का पता लगा कर लोगों को बताया जाए।

यदि हमारी इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम रेशम कीट एवं वृक्षों का संरक्षण कर इस कुटीर उद्योग को बचाए रख सकते हैं। अन्यथा बहुत

सारे अन्य कुटीर उद्योगों की तरह इस उद्योग को भी विनाश से बचाया नहीं जा सकेगा।

समुदाय से विचार विमर्श एवं कार्य का प्रभाव – परियोजना कार्य से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार कर स्थानीय 50 लोगों से संपर्क किया। साथ ही हमने वहाँ कार्यरत मजदूरों एवं कृषकों से विचार विमर्श किया। इस सर्वेक्षण से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय बेरोजगार व्यक्ति इस उद्योग से जुड़ना चाहते हैं। परंतु इस उद्योग की अधिक जानकारी न होने के कारण वे इसे अपना नहीं पा रहे हैं। सरकार द्वारा उचित सहायता न मिलने से बहुत सारे आदिवासी परिवार इस उद्योग को नहीं अपना पा रहे हैं। लगभग 50 प्रतिशत लोगों को तो सेरीकल्चर के बारे में पता ही नहीं है। 60–70 प्रतिशत लोग रेशम कीट तथा उनकी बीमारियों के खतरों से अपरिचित हैं। इतने ही लोगों को पौधे एवं कीट को बचाने के तरीके ज्ञात नहीं हैं। हमारे द्वारा करीब 50 परिवारों ने हमारी बातें ध्यान से सुनी एवं इस उद्योग से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की उनका कहना था कि यदि सरकार द्वारा इस संदर्भ में मार्ग–दर्शन दिया जाए तो वे इसे अपनाने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति पहले से ही इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें हमने खाद्य पौधों एवं टसर कीट के बचाव के नये तरीके बताए। सेरीकल्चर विभाग के उच्च अधिकारियों से विचार–विमर्श करने पर उन्हें भी हमारे द्वारा दिए गए सुझाव पसंद आए। उन्होंने इन सुझावों को प्रतिपादित करने का वचन दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दैनिक समाचार पत्र।
2. सेरीकल्चर विभाग के फील्ड ऑफीसर श्री एच.के. लाल कटघोरा से बातचीत तथा प्राप्त डाटा।
3. ढेलवाडीह के फील्ड ऑफीसर श्री कुरैशी से बातचीत तथा प्राप्त डाटा।
4. महिला हस्तशिल्प संस्था सचिव से बातचीत तथा प्राप्त डाटा।
5. जनकल्याण खादी ग्रामोद्योग आश्रम छुरी जिला कोरबा के प्रबंधक से प्राप्त डाटा।

टसर वृक्षों के नाशक कीट एवं उनका नियंत्रण

प्रजाति के नाम	पौधे जिसपर विकसित होती है।	क्षेत्र	रेशम का प्रकार
बोम्बिम्स मौरी	a. मारॅस (मलबरि)	a. कर्नाटक जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल	a. मलबरि सिल्क
एन्थेरिया असामा	b.—–	b. ब्रम्हपुत्र घाटी,असम	b. मूंगा सिल्क
एन्थेरिया माइलिटा	c. टरमीनेलिया टॉमनटोसा (अर्जुन)	c. बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा,छत्तीसगढ़	c. टसर सिल्क
एन्थेरिया रॉमली एवं एन्थेरिया परनी	d. ओक	d. उपहिमालीय पट्टी मणिपुर	d. ओकटसर सिल्क
काइलोसामिया रीसीनी	e. रीसिनस कम्यूनिस (कैस्टर–अरण्डी)	e. असम, उड़ीसा,	e. एरी सिल्क

टसर वृक्षों के नाशक कीट एवं उनका नियंत्रण

कीट का नाम	प्रकोप अवधि	प्रभाव	नियंत्रण
वॉल कीट	मार्च से सितबंर	पत्तियों पर बनाई गई गाँठ कीट के खाने के अनुपयुक्त बना देती है।	फरवरी,मार्च में पौधों की कटाई छटाई करके पुरानी पत्तियों को जला देना चाहिए।
तना छेदक	अप्रैल से सितंबर	पौधे कमजोर होकर सूख जाते है बाद में मर जाते हैं।	1. प्रौढ़ कीड़ों को चिपचिपे लास युक्त छड़ी से पकड़ कर मार देना चाहिए। 2. तनों पर जला हुआ मोबिल ऑयल लगाना चाहिए।
बेपोरर तुसाक (मॉथ)	अप्रैल से नवंबर	कीट की इल्लियों टसर पौधों की पत्तियों को खाकर समाप्त कर देती है।	शीत ऋतु में कीट के अण्डों को एकत्र कर जला देना चाहिए।
गुबरैला	मई से जुलाई	कीट द्वारा पत्तियों को खाने से पत्तियों की कमी। इल्लियों द्वारा जड़ों को खाने से पौधा कमजोर हो जाता है।	पौधे के आसपास की मिट्टी की गुड़ाई।
भूरा घून	जुलाई से नवबंर	प्रौढ़ कीट द्वारा पत्तियों के पर्णहरित हरे भाग को खा जाने के कारण पत्तियाँ तसर कीट के खाने योग्य नहीं रह जाती है	प्रौंढ़ कीटों को चिपचिपा लसलसा युक्त छड़ी से पकड़ कर मारना।

टसर कीट के नाशक जीव एवं प्रबंध

नाम	**प्रकार**	**प्रकोप का समय**	**नियंत्रण के उपाय**
1. सुड़ी (कन्थीकोन करसीलाहा)	परभक्षी	मई से नवम्बर के अंत तक	डिम्ब नियोर्क एवं प्रौढ़ को लास युक्त छड़ी से पकड़कर नष्ट करना।
2. इक्नोमोन मख्खी (नेन्यो पिम्पलापिडेटर)	परभक्षी	जुलाई से अगस्त (कम) अक्टूबर से दिन अंत तक (अधिक)	घरौंदा एवं प्रौढ़ को लासयुक्त छड़ी से पकड़कर नष्ट करना कोसा फलों को सुरक्षित बॉक्स में रखना।
पीली बोई (पाली स्तस हेब्रीअस)	परभक्षी	अगस्त से नवम्बर के अंत तक	घरौंदा एवं प्रौढ़ को लासयुक्त छड़ी से पकड़कर नष्ट करना कोसा फलों को सुरक्षित बॉक्स में रखना।
लाल चींटी (ओसोफाइला) स्मरडीना	परभक्षी	पूरे वर्ष	घरौंदा एवं प्रौढ़ को लासयुक्त छड़ी से पकड़कर नष्ट करना कोसा फलों को सुरक्षित बॉक्स में रखना।
शिकारी मेन्टीस	परभक्षी	जून से अक्टूबर के अंत तक	घरौंदा एवं प्रौढ़ को लासयुक्त छड़ी से पकड़कर नष्ट करना कोसा फलों को सुरक्षित बॉक्स में रखना।
ऊर्जामख्खी (ढलेफेरिया जेबीना)	परजीवी (इल्ली एवं संखी पर)	जून से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से दिसम्बर के अंत तक	ऊर्जा ग्रस्तरेशम कीट, कोसा,गैगट एवं त्यूपा को नष्ट करना।

****

Impact Of Demonetisation On Online Shopping In Jabalpur City

Samumya Mishra* Dr. Mamta Sharma Dr. Abha Tiwari*****

Abstract - Elaboration of the Internet has increased the prominence of online purchase channels. The current research was undertaken to understand the consumers intention to purchase through online shopping Web sites in demonetisation period. A survey of 100 consumers of Jabalpur city was conducted through Questionnaire method. The results indicate that the consumers intention to purchase online is influenced by demonetisation because no cash in hand to them so they learn and got availability of information for online shopping . In this study, results drawn out consumers choose mobile recharges and grocery mostly and select method of transaction Debit card (plastic money). The current research focuses on understanding the online shopping trend of consumers in demonetisation period in Jabalpur city.

Key words - Impact , Demonetisation, Online Shopping.

Demonetisation - "Demonetisation is the act of stripping a currency unit of its status as legal tender. Demonetisation is necessary whenever there is a change of national currency. The old unit of currency must be retired and replaced with a new currency unit."

Impact- "Measure of the tangible and intangible effects (consequences) of one thing's or entity's action or influence upon another."

Online shopping- "online shopping or e-shopping is a form of electronic commerce which allows consumers to directly buy Goods and Services from a seller over the internet using a web browser . Alternative names are – e-web store, e- shop, e-store, Internet shop, web –shop , web store, online store, and online storefront etc."

Introduction - India is one of the key growth countries when it comes to e-commerce but it is still at a nascent stage and has a huge potential for growth. The term demonetisation is not new to the Indian economy. The highest denomination note ever printed by the Reserve Bank of India was the Rs 10,000 note in 1938 and again in 1954. But these notes were demonetized in January 1946 and again in January 1978, according to RBI data, But that time in India, E-commerce was not present. So On the night of 8th November 2016, 86% of our country's currency notes would cease to be legal tender in just 4 hours. To begin with, it's difficult for the e-commerce industry that runs primarily on COD. There was panic, lots of cancelled orders and volumes have gone down significantly, Because in India, mostly transaction based on cash .

Demonetisation has given a boost to digital payments and is encouraging people to shop online more.The effects of this move have been seen at an individual as well as at an industry level. For online shopping in India as well, the impact has been major. As like-The Rise and Fall of CoD (Cash-on-Delivery), Cashless Becomes the New Norm – Mobile Wallets Reign, Grocery and Consumables Go Online, Cashback and Coupons Take Charge etc.

All in all, demonetisation may look it'll spell doom in the short run, in the larger scheme of things, it'll only result in better performance, increased sales and amplified revenues for e-commerce platforms.

Objectives of the Study-

- To know the percentage of consumers, which are new users in online shopping in demonetisation period.
- To know which product is mostly buy from online shopping in demonetisation period.
- To study why consumers moves towards online shopping in demonetisation period.
- To understand the preferential method use for transaction in online shopping in demonetisation period .
- To identify which website is mostly used by consumers in demonetisation period.

*Research scholar (Resource Management) Govt. M .H. College of Home Science and Science for Women (Autonomous) Jabalpur (M.P.) INDIA
**Professor (Home Science) Govt. M.K.B. College of Arts and Commerce for Women (Autonomous) Jabalpur (M.P.) INDIA
***Professor (Human Devlopment) Govt. M .H. College of Home Science and Science for Women (Autonomous) Jabalpur (M.P.) INDIA

Hypothesis of the Study-

- Online shopping increased in demonetisation period.
- Cashless transaction also increased in demonetisation period.

Limitations of the Study - The study has following limitations-

1. The sample was selected from few consumers of Jabalpur city.
2. The sample was limited to 100 respondents.
3. The range limited only age group- 15 to 65 years.
4. Randomly selected respondents had been used for filling the questionnaire.

Plan, Methodology/ Research Design-

i) Selection of method of Inquiry - The universe being too large and time & other resources being limited, Convenience Sampling method were selected for the present study.

ii) Selection of Samples - The sample selected on purposive random basis

iii) Selection of method for collection of Data- Questionnaire method used for collection of data .A trival survey was done to get an idea of the various problems. In the trival survey the same procedure was followed as was to be adopted in actual survey. The no. of cases in it was five on the basis of this pilot study necessary amendments are done in the schedule.

iv) Sources of Information -

a) Primary Sources - consumers from age group 15 to 65 years were selected as the primary sources. It was collected from 100 respondents in different areas of Jabalpur city through questionnaire.

b) Secondary Sources - It may be termed as "Documentary Sources". The information was gathered from different books, magazines, journals, news scripts and websites etc.

Scope of the Study - This study helps firms, organizations and websites improve their marketing strategies . Helpful for problem recognition and awareness of need through online shopping in demonetisation period. For social marketing getting idea across to consumers rather than selling something.

Review of Literature - Deodhar (2016) has reported that The Government of India announced that the Rs 500 and Rs. 1000 denominated currency notes will cease to be legal tender. The move was targeted towards tackling black money, corruption and terrorism. After initial euphoria, questions began to emerge. What are the costs of this demonetisation? To start off, black money is a wider societal ill and demonetisation is but one step in the war against black money. Black money and black economy are also two different constructs. The terms shadow economy and underground economy are also used as synonyms for black economy. Black money is the currency of black economy. It refers to illegal money earned from illegal sources which has not been disclosed to the government. The advantage of black money is that it links into the legitimate economy, uses the advantages of the legitimate economy but does not pay the costs.

Pandey and patnaik (2016) stated that demonetisation undertaken by the government is a large shock to the economy. The impact of the shock in the medium term is a function of how much of the currency will be replaced at the end of the replacement process and the extent to which currency in circulation is extinguished. While it has been argued that the cash that would be extinguished would be "black money" and hence, should be rightfully extinguished to set right the perverse incentive structure in the economy, this argument is based on impressions rather than on facts. While the facts are not available to anybody, it would be foolhardy to argue that this is the only possibility. As argued above, it is possible that these cash balances were used as a medium of exchange. In other words, while the cash was mediating in legitimate economic activity, if this currency is extinguished there would be a contraction of economic activity in the economy and that is a cost that needs to be factored in while assessing the impact of the demonetisation on the economy and its agents.

It is likely that there would be a spurt in the banking deposits. While interpreting the phenomenon, however, one has to keep in mind that a large part of their deposits were earlier used for transactional purposes.

Singh and Singh (2016) stated that India has amongst the highest level of currencies in circulation at 12.1% of GDP. Cash on hand is an estimated at around 3.2% of household assets, higher than investment in equities, or roughly around $ 220 billion. Of this cash, 87% is in the form of Rs 500 and Rs 1,000 notes or roughly Rs 14 lakh crore ($190 billion).A significant portion of the household cash on hand is generated by economic transactions that are not reported to tax authorities or generated through corruption. Scrapping the higher denomination money would either result in these being brought into the system or the money just disappearing. The present paper highlights the probable consequences of this decision on various economic variables and entities.

Analysis of Data - After the data was collected it was tabulated and analyzed statistically, wherever needed statistical tests were applied to get the final results .The information gathered was from the 100 respondents surveyed from Jabalpur city. The age running 15 to 65 years.

TABLE NO. 01 (See in the last page)

Here 92 % consumers of Jabalpur city accept the adoption of online shoppingin demonetisation period. They use online shopping like a Fashion because its restraints for them and 16% consumers do not accept the adoption of online shopping because of some reasons (like- not knowledge about internet, limited resources, don't want to take any Risk etc.) Bajaj(2008) also reported that females were good adopters of online shopping compared to male.

TABLE NO.02 (See in the last page)

Here 85 % mostly buy mobile recharge ,70 % buy grocery and 30% buy designer clothes, 26% book online ticket. They also buy Gift items (24%), electronic items(2%), Reading materials(14%), Foot wears (8%), Jewellery (6%), cosmetics(6%) and other(10%) respectively. AcNielson(2007)stated that the most popular items purchased on the internet airline tickets/reservations(21%) and clothing/accessories/shoes (20%). But according to this paper shopping affected by demonetisation.

TABLE NO.03 (See in the last page)

Here explain the reason & causes moves towards online shopping in demonetisation period by respondents because no cash in hand (85%) and use plastic money, Discounts/Sale & offers(11%), low cost(06%), and Quality Product(3%) respectively. Gurleen (2012) reported that the consumer being Price Sensitive , Most of the consumers prefer to buy online because they will get heavy Discounts.

TABLE NO.04 (See in the last page)

In this table , Respondents choose mostly debit card (76%) transaction method ,some time crebit card (12%), Net Banking(06%), Cash on delivery (02%) and others (4%)respectively take for transaction .

TABLE NO.05 (See in the last page)

According this table, respondents prefer mostly Amazon (72%) to purchasing online but respondents not only choose the only website ,they are surfing different-different websites and choose their favourite deal in right websites. So they also prefer Flipkart(52%), Snapdeal(35%), Homeshop18 (25%), and other websites(05%).

Conclusion - The growth is the number of online shoppers is greater than the growth in internet users and in online purchasing we have larger option to choose products & services but in demonetisation period it's increased hundred times more . It was seen from the study that most of consumers in Jabalpur city , age group- 15 to 65 years were found to be adopters of online shopping in demonetisation period. They buy mostly mobile recharge , grocery, online tickets easily by online medium specially in demonetisation period. They also purchased Gift items, Electronic items, Reading materials and Stationary etc. They usually use very safe transaction method that is Cash on Delivery, but in demonetisation period they used plastic money (Debit Card/ ATM, credit card, Net Banking etc.) because they had no cash in hand or shortage of cash .

Generally, they use online shopping because it is a Time Saving method but in demonetisation period ,shortage of cash was main reason ,after that new Discounts and Offers comes on shopping websites it's a another reason. Amzon (online shopping website) was most preferable shopping website consumers in Jabalpur city in demonetisation period , they use also flipkart, snapdeal, homeshop18,websites to buy products and services.

Overall ,college going girls of Jabalpur city are crazy about online shopping because of saving time ,convenience and Discounts. They use Cash on Delivery method for transaction because which are very safe . some girls gave their suggestion about better RETURN POLICY and quality product .So, online shopping trend is increasing because of internet medium found very easily and in our today's life , our android and window mobile phones helps to easier our busy life and day-by-day challenges.

References :-

1. Braga F.D., Isabella G. and Mazzon J.A. 2013. Digital wallets as a payment method influence consumer in their buying behaviour, Available at http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2013_EnANPAD_MKT1209.pdf
2. Deodhar Rahul.2016.black money and demonetisation. Research article. 1-24.
3. Jones, Christie and soyuong kim. 2010. Influences of online retail brand trust-clothing involvement and website quality on online apparel shopping intention . International Journal of Consumer Studies. 36(6): 627-637.
4. Pandey Radhika and Patnaik Ila. 2016.Legislative strategy for setting up an independent debt management agency. WP No. 178.
5. Peng ,li. 2010. Factors that affect student's decision making on buying online shops. Journal of product and brand management. 24(3): 15-21.
6. Sen argaha, Rahul. 2014. Online Shopping: A Study of the Factors Influencing Online Purchase of Products in Kolkata. international Journal of Management and Commerce Innovations. 2(1): 44-52.
7. Singh,Dr.Partap, and singh Virendra . 2016. Impact of demonetisation on Indian economy. National Conference on Indian Economy.290-295.

Website Referred -

1. www.google .com
2. www.googlescholar.com
3. www.slideshare.com
4. www.wikipedia.com

TABLE NO. 01

No.of Respondents according to adoption of online shopping in demonetisation period

Sr.No.	Adoption of online shopping	No. of Respondents	Percentage%
1.	Yes	92	92%
2.	No	08	08%

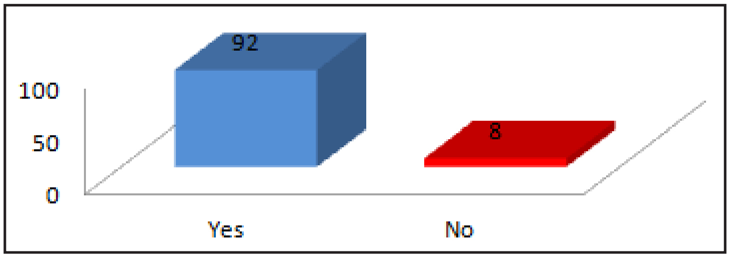

TABLE NO.02

No. of Respondents according to buying different products and services from online shopping in demonetisation period

Sr.No.	Buying Products / services from online shopping	No. of Respondents	Percentage%
1.	Clothes(Designer)	30	30 %
2.	Grocery	70	70 %
3.	Jewellery	06	06 %
4.	Mobile recharge	85	85 %
5.	Electronic items	02	02 %
6.	Gift Items	24	24 %
7.	Reading Materials	14	14 %
8.	Ticket	26	26 %
9.	Foot wears	08	08 %
10.	Cosmetics	06	06 %
11.	Other	10	10 %

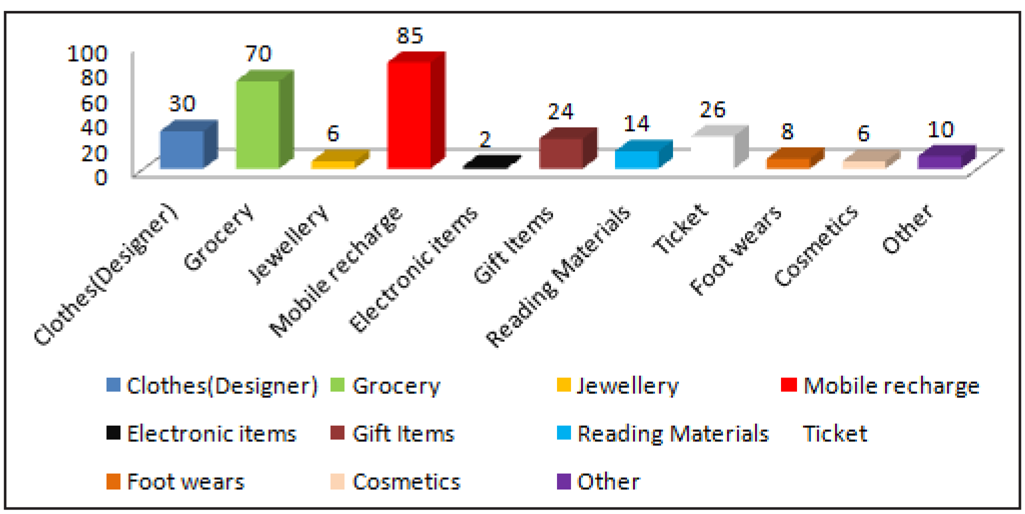

TABLE NO.03
No. of Respondents according to Causes moves towards online shopping in demonetisation period

Sr.No.	Causes moves towards online shopping	No. of Respondents	Percentage%
1.	No Cash in Hand	85	85%
2.	Quality products	03	03%
3.	Low Cost	06	06 %
4.	Discount /Sale & Offers	11	11 %

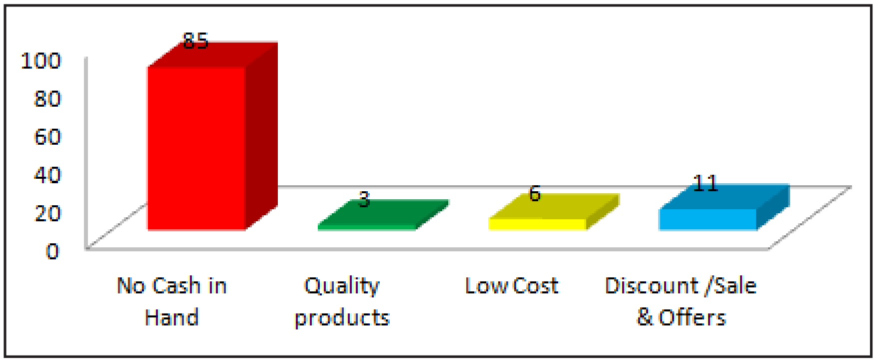

TABLE NO.04
No. of Respondents according to online method used for Transaction in demonetisation period

Sr. No.	Method Used for Transaction	No. of Respondents	Percentage%
1.	Debit card	76	76%
2.	Credit card	12	12 %
3.	Net Banking	06	06%
4.	Cash on delivery	02	02%
5.	other	04	04%

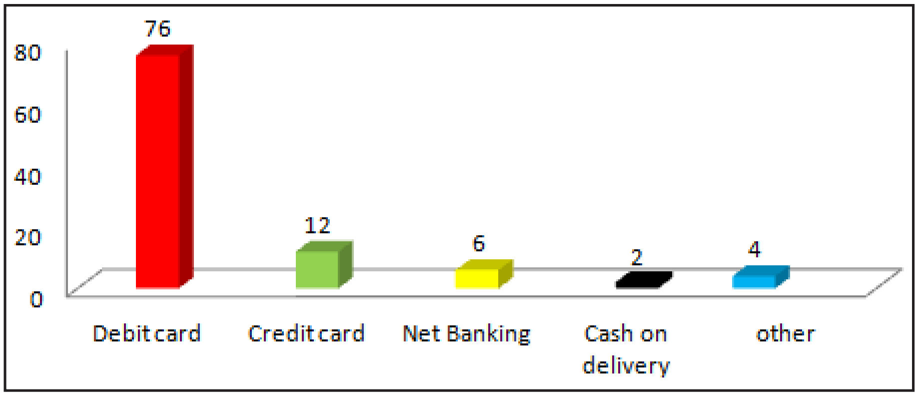

TABLE NO.05
No. of Respondents according to use of different online shopping websites in demonetisation period

Sr. No.	Online shopping websites	No. of Respondents	Percentage%
1.	Flipkart	56	56 %
2.	Snapdeal	35	35 %
3.	HomeShop18	25	25 %
4.	Amazon	72	72 %
5.	other	05	05%

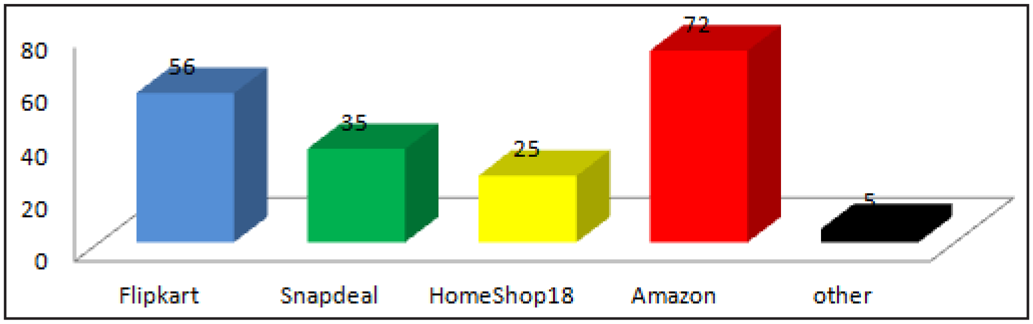

****

A Study Of Knowledge And Awareness About Postnatal Care Among College Going Girls

Dr. Deepshikha Pandey *

Abstract - The health of mother is mostly regarded as an indicator the health of society. Globally more them half a million women die each year from complications of pregnancy & childbirth a large proportion of maternal & neonatal death occur during the frist 48h after delivery. Thus post natal care is important for both the mother the child to treat complications arising from the delivery as well as to provide the mother with important information. The present study was undertaken to assess postnatal care awareness among 200 college going girls of Gorakhpur city, Uttar Pradesh. Data are selected by questionnaire method & percentage method is used for data analysis. The study reveals some surprising facts important information like postnatal care, colostrums, common problems of neonate, supplementary food nutritional requirement of mother & immunization are still lacking on their part, normal weight, mother milk, postnatal Checkup & treatment of diarrhea are universal accepted in the study.

Keywords - postnatal care, immunization, ORS, supplementary food.

Introduction - A postnatal period is the period begging immediately after the birth of a child & standing for about six weeks. Less frequently used are the terms “puerperal period: It is critical to health a survival of a mother and her newborn. The most vulnerable time for both is during the hours and days after birth.

The first 6 weeks following your baby’s birth is a very important time not only for your baby but also for your own health and wellbeing ………. Our goal is to provide you with access to effective, practical and supportive postnatal care that is essential for your current a future health and wellbeing. A large proportion of maternal & neonatal death occurs during the first 48h after delivery. Thus postnatal care is important for both the mother & the child to treat complications arising from the delivery as well as to provide the mother with important information mother & their newborn are Vulnerable to illness & deaths during the postnatal period. More than half a million women each year die of causes related to pregnancy & child birth.

The majority of death occurs in less developed countries.The health of mothers is mostly regarded as an indicator the health of society; globally more than half a million women die each year complications of pregnancy & child birth.

Every year 4 million infants die within their 1st months of life, representing nearly 40% of all deaths of children under age 5 year old. The report points out that these deaths can be reduced through wider use of key invention and a ‘continuum of care’ approach for mother and child, beginning before pregnancy. Therefore it is very important to educate the youth & make them aware regarding role of health & later in lactation period for mother & child keeping them healthy. In Indian 50% of girls get married much before the age of maturity. In this respect maternal care awareness is necessary for girls to avoid problems of maternal health.

Objective - To study the knowledge and awareness about postnatal care among college going girls.

Methodology - Survey method is used for the study 200 college going girls are selected by random sampling from Chandrakanti Ramawati Devi arya Mahila P.G. College Gorakhpur. Self made questionnaire method is used for data collection & percentage method used for data analysis.

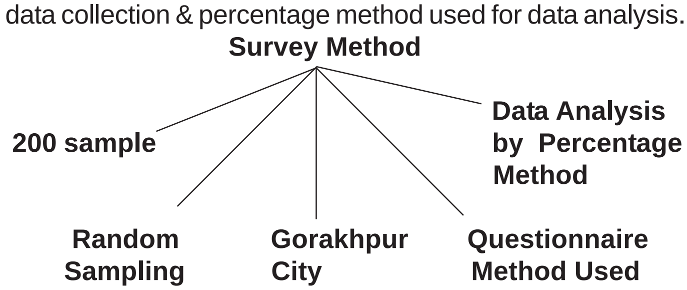

Result & Discussion

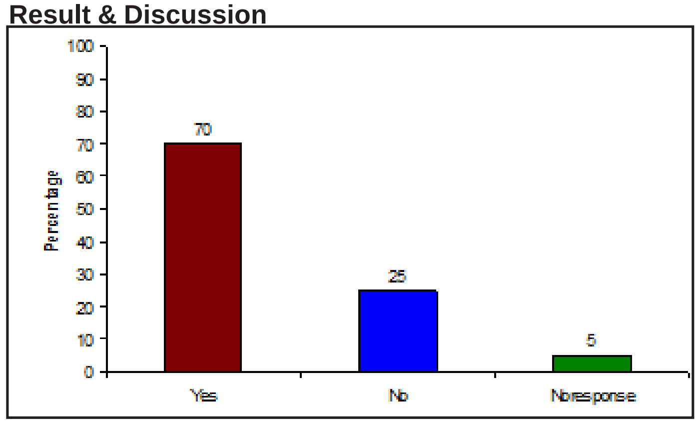

Fig 1.1 Basic concept of postnatal care

*Asst. Professor (Home Science) Chandrakanti Ramawati Devi Arya Mahila P.G. College, Gorakhpur (U.P.) INDIA

Figure 1.1 Shows that 70% college going girls know about concept of postnatal care 25% girls has no any knowledge about postnatal care while only 5% girls are shows that not response about this question.

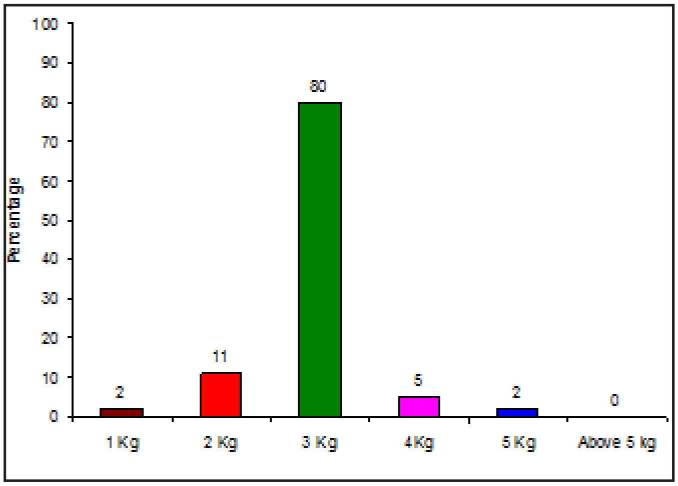

Fig 1.2 basic concept of normal weight of neonate

Figure 1.2 Shows that 80% of students knew that the normal weight of a neonate should be 3 kg. 11% girls knew 2kg, 2% girls knew 1 kg, 5% girls knew 4 kg, while only 2% girls knew that neonate birth weight should 5 kg, 0% girls did not give any response regarding weight about neonate.

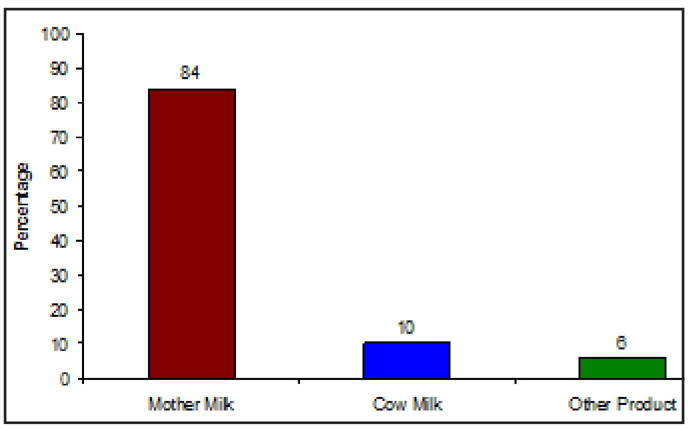

Fig 1.3 basic concept of feeding of neonate

Figure 1.3 shows that mother milk should be first 84% girls in the study accept food given to neonate. 10% girls prefer to give cow milk for neonate, only 6% girls are accept to give other product like lactogen & other preservative milk should be give to neonate.

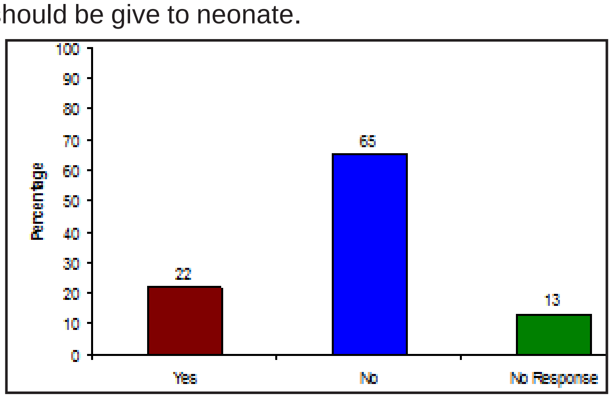

Fig 1.4 basic concept of colostrums

Figure 1.4 shows that only 22% girls having knowledge of healthy effect of colostrums & 65% did not have any knowledge of colostrums & 13% girls did not give any response.

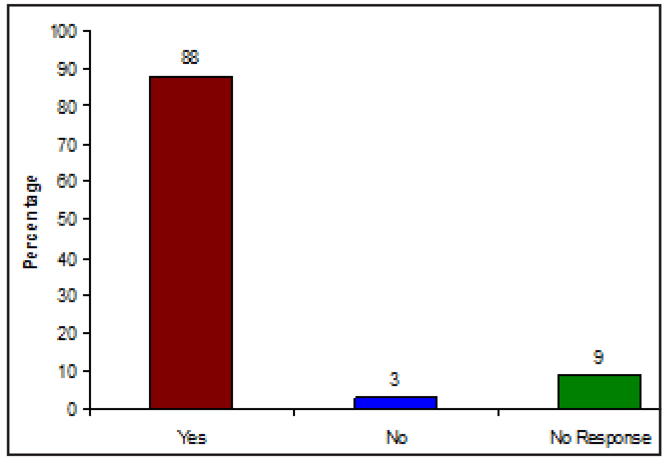

Fig 1.5 basic concept of post natal checkup

Figure 1.5 shows that 88% of girls having knowledge of postnatal checkup of neonate & mother. Only 3% girls did not have any knowledge about postnatal checkup while 9% girls did not give any response.

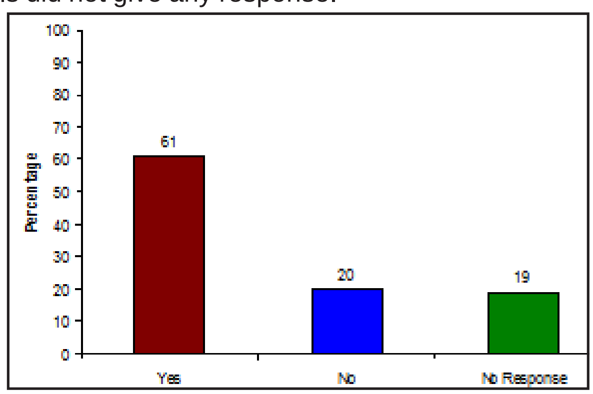

Fig 1.6 basic concept of common problems of neonate

Figure 1.6 shows 61% girls having knowledge about common problems of neonate. They knew that fever, cold, diarrhea; constipation and vomiting are common problems of neonate. Only 20% girls did not have any knowledge about common problems of neonate, while 19% girls did not give any response.

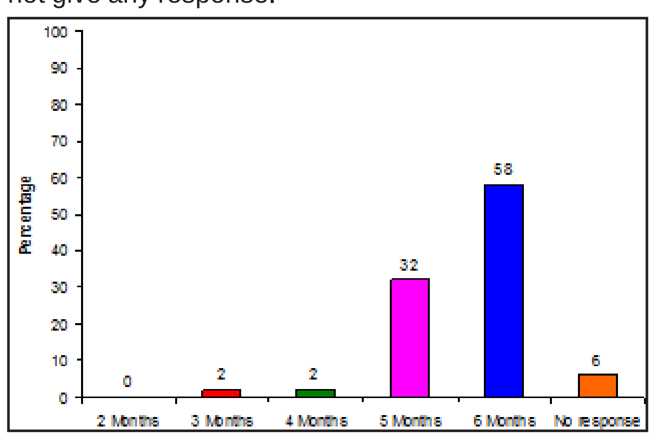

Fig 1.7 basic concept of supplementary foods

Regarding introduction of supplementary food it has been found that 58% girls are aware that 6th months & 32% girls knew 5 months is correct age for introduction of semi- solid supplementary food to infant while 2% knew 4 and 3 month and 6% girls did not give any response. (Table no.1.7)

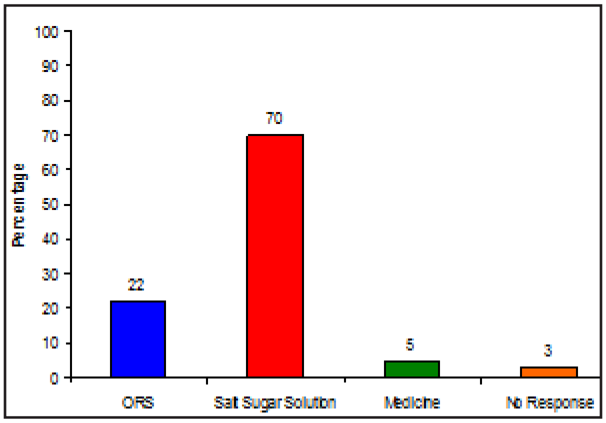

Fig 1.8 basic concept of treatment of diarrhea at home

Figure 1.8 shows that 22% girls accepted ORS solution should be given to child to correct dehydration at home , 70% preferred medicine can be given to infants for treating diarrhea at home not more girls are aware of oral rehydration solutions.

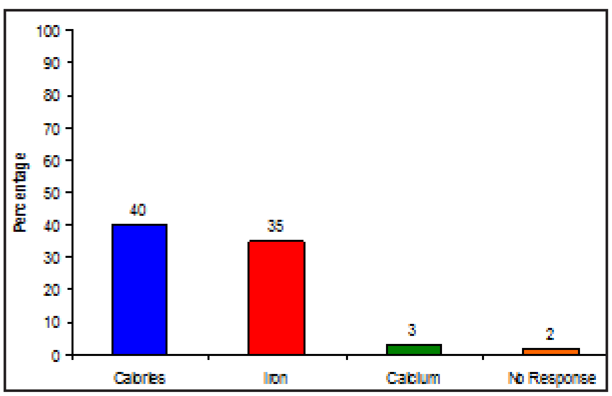

Fig 1.9 basic concept of mother' diet

Figure 1.9 shows that 55% girls are accepted & aware about mother's diet should be rich from iron. 40% girls are accepted calories rich diet, 3% calcium rich diet while 2% girls did not give any response.

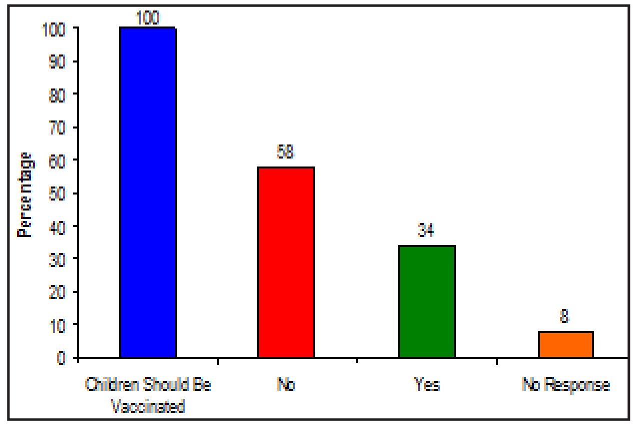

Fig 1.10 basic concept of immunization

Regarding immunization 100% girls are aware that children should be vaccinated (figure 1.10) 58% girls did not agree that vaccination can be given during illness while 34% advocate that vaccination can be given when child is sick and 8% girls have no riches.

Conclusion - The present study is an attempt to find out the extant of knowledge and awareness of college going girls to ware spots natal care. The study shows some surprising facts, important information like colostrums, postnatal checkup, supplementary food, immunization and mother's nutrition are still lacking on their part. Mother's milk as first food to neonate and import once of vaccination are universally accepted in the study.

School, college and parents have great responsibility to prepare their students to be successful home paper as well as healthy mothers of healthy and cheerful family.

References :-

1. Neema, Anjana 2016; postnatal care awareness among adolsements, Indian Journal of Research, vol (5)
2. www.pelagi aresearchlibrary. com
3. Neema,Anjana, K.K.N. Sharma, 2007, Evaluation of Reproductive health care awareness among college girls of Jabalpur city, Journal of health managment.
4. Bazegari, A, Ebrahimi, M (2011) A study of Nutrition knowledge, Attitude & Food habits of college students world supplied science Journal . vol (15).

****

Problems Of Modernization In Garment Industries Of Indore Division

Vijeta Bhatore*

Abstract - The aim of the present study is to examine those problems which are affecting modernization of Garment Industries of Indore Division independently. Employing the random sampling technique, finally 200 respondents of different garment industries of Indore Division of Madhya Pradesh state to serve as subject in the present study. For the statistical analysis Chi-square test was applied to judge the hypothesis.
Key Words - Modernization, Garment Industries

Introduction - Modernization is a continuous process and there should be concerted efforts to modernize both machinery and manufacturing processes regularly. It is general experience that units which maintained the process of modernization systematically could manage to sustain their growth in the long run.

Presently Indore is one of the largest readymade garment manufacturer & exporter of M.P as per the reports from AEPC (Apparel Export Promotion Council). It earns the huge amount of foreign exchange. But Indore is facing tougher competitive in the world market. For its survival in the global market, Indore has to do more that only to hype its competitive advantage of low wages. It needs to reduce the price of the RMG (Readymade garment) in exports as well as the domestic market also. By implementation of modern technology, innovative production process and modern management system this target can be achieved. Now a days CAD (Computer Aided Design) and CAM (Computer Aided Manufacturing) are the modern innovative technology which have been used in garments manufacturing industries of Indore. They are using those technologies especially in pattern drawing, marker making, lay planning and fabric cutting purpose etc. In this research work feasibility study has been done on those problems which are affecting modernization of garment industries of Indore division.

It may be the financial capital of Madhya Pradesh, but when it comes to technology, Indore garment manufacturers have not yet developed for the same. Following are few problems of Modernization facing by garment industries of Indore-

Technological Obsolescence, Lack of Proper Service Facility, Raw material availability, Constraint on modernization and expansion, Limited knowledge, Increasing cost of production, Shortage of Skilled Labour, Lack of modernise machinery & equipments, Lack of research & development, Energy crisis, Lack of new investment, Effect of inflation (price rises), Restrictive labour and industrial laws, Overtime etc.

From the above problems 3 major problems discussed here in this paper i.e. Lack of Training, Lack of Modern Technology, Lack of Proper Service Facility.

Literature Review -

Aleksandr, Vladislav, Elena, Alena & Natalya (2015) - The article shows that implementation of innovative technologies in cooperative enterprises is complicated by the fact that the innovative strategy of an enterprise would not be supported by its partners. As a result, even a generally profitable innovative project may remain unrealized because the partners will not take risks of investing into specific assets. The article comes up with recommendations focusing on enhancement of the market incentives for participation of independent small and medium-sized enterprises in innovative projects of large high-tech corporations.

International Labour Organization (2015) - This report presents selected findings of research into the garment industry in India conducted by the Garment Sector Roundtable (GSR), with the support of the ILO, in 2012-13. The primary purpose of the study was to investigate the factors leading to labour shortage and labour turnover in the industry.

Harminder & Satnam (2009) - In their study on "Automation and CAD/CAM Adoption in garment Industry, revealed that for every stages of garment manufacturing modernized technology is available.

Anuradha Kalhan (2008) - Purpose was to evaluate the nature of job tenures, working conditions, employee benefits, training, family income and expenditure on non-food required our entire space essentials like transportation, health, education, etc. As evident from most of the literature garment industry is facing many problems. Most of the studies lend to concentrate on why garment industries have problem in modernization. These studies reveal that there are many

***Research Scholar, Mata Jijabai Govt. P.G. Girls College & DAVV University, Indore (M.P.) INDIA**

reasons for their inhibitions for not embracing modern technology. There is cheap labour available in the city and the laborers employed are not skilled in the art of using modern technology of garment manufacturing, Mind set & lack of knowledge about modernization of manufacturers, lack of finance etc.

Statement of the Problem - Very few studies highlight the Problem of modernization in garment industries. Problem of modernization would not be complete without clarifying these factor which may have an important role in lack of modernization in garment industries of Indore division against this backdrop this research has been undertaken. In this paper 3 major problems highlighted i.e. – Lack of Training, Lack of Modern Technology, Lack of Proper Service Facility.

Objective of the Study-

- To analyze the problems faced by the Garment Industries of Indore division in Context of modernization.

Hypothesis of the Study-

- H_{01-} There is no significant problem faced by the Garment Industry with respect to Modernization in Indore Division.

Methodology - The normality survey method is adopted for the study.

Population & Sample - This study was conducted in readymade garment industries of Indore Division of M.P. Random sampling technique was used to selection of sample. The total sample comprised of 200 respondents (Through Structured questionnaire, Structured Schedule, unstructured interview)

Sampling - Random sampling used to select sample.

Nature of the Data - Qualitative data was used in this study.

Tool for the data collection:

- Structured questionnaire
- Structured Schedule
- Unstructured interview

Statistical Analysis - Chi-square test was applied as statistical test to judge the hypothesis.

Delimitation of the Study - Garment Industries of the Indore Division are selected.

Results & Discussion - The above hypothesis was framed to know about the problem faced by the Garment Industry with respect to Modernization in Indore Division. In this paper 3 major problems highlighted i.e. – Lack of Training, Lack of Modern Technology, Lack of Proper Service Facility. As per Table 1 Chi-square test was applied as statistical test to judge the above hypothesis and the results for the same are displayed below.

in Table 1

Hence, there are sufficient evidences to conclude that null hypothesis is rejected; it means Garment Industry has problems like lack of modern technology, lack of proper service facility and lack of training with regard to Modernization of Garment Industry.

References :-

1. Aleksandr Mikhaylovich Batkovskiy, Vladislav Valerievich Klochkov, Elena Georgievna Semenova, Alena Vladimirovna Fomina & Natalya Vladimirovna Cherner, (2015) Problems of Coordination of High-Tech Enterprises Strategies in Implementation of Innovative Technologies, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print)
2. Anuradha Kalhan (2008) Permanently Temporary Workers In The Global Readymade Garment Hub Of Bangalore, The Indian Journal of Labour Economics, Vol. 51, No. 1, 2008
3. Harminder Kaur and Dr. (Mrs.) Satnam Dhillon (2009), Automation and CAD/CAM Adoption in Designing by Knitwear Industry of Ludhiana, Fibre2Fashion.com
4. International Labour Organization (2015), Insights into working conditions in India's garment industry, ISBN: 978-92-2-129808-3 (Print); 978-92-2-129809-0 (Web PDF)
5. Kothari, C. R. Research Methodology, Vishwa Prakashan, New Delhi.
6. www.aepcindia.com
7. www.laghu-udyog.com
8. www.scribd.com/document/239612362/INDIAN-GARMENT INDUSTRY

Table 1
Problem of modernization in Garment Industries

S. No.	Title of the table	Result	Interpretation	Inference
1	Lack of Skilled Manpower in Garment Industry and Lack of Skilled Labour be a Problem in the Growth of Garment Industry	X^2 (1, 1, N = 200) = 20.906, $p < 0.05$ (p = 0.000).	Findings are Significant	H_0 is Rejected
2	Modernization of Industry can be Helpful in Higher Production and Performance can be Improved with Modern Technology	X^2 (1, 1, N = 200) = 11.377, $p < 0.05$ (p = 0.001)	Findings are Significant	H_0 is Rejected
3	Modernization of Garment Industry and Lack of Proper Service Facility	X^2 (1, 1, N = 200) = 51.201, $p < 0.05$ (p = 0.000)	Findings are Significant	H_0 is Rejected

इंदौर शहर की कामकाजी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव एंव चिंता का अध्ययन, उनके शैक्षणिक स्तर के संदर्भ में

डॉ. छाया हार्डिया * महेन्द्र प्रताप लोखण्डें **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध का मुख्य कामकाजी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव व चिंता को उत्पन्न करने वाले कारकों पर प्रकाश डालना हैं। जिससे वह अपने तनाव व चिंता को कम कर या दूर कर स्वास्थ्यप्रद वातावरण में अपनी कार्यक्षमता को बड़ा कर कार्य कर सकने में सक्षम हो सकती हैं। अतः प्रस्तुत शोध प्रबंध 'इंदौर शहर की कामकाजी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव एंव चिंता का अध्ययन, उनके शैक्षणिक स्तर के संदर्भ में' को करने हेतु इन्दौर शहर के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत 300 महिलाओं का चयन विधि द्धारा किया गया। प्रदत्तों का संकलन डॉ. ए. के. श्रीवास्तव एवं ए. पी. सिंह (1981) द्धारा निर्मित 'व्यावसायिक तनाव मापनी' और डॉ. ए. के. श्रीवास्तव एवं एम. एम. सिन्हा द्धारा निर्मित 'कार्य चिंता मापनी' द्धारा किया गया। जिसके निम्न परिणाम 0.05 सार्थकता पर प्राप्त हुए–हायर सेकेण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव तुलनात्मक रूप से बराबर होता हैं। हायर सेकेण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता तुलनात्मक रूप सें बराबर होती हैं। हायर सेकेण्डरी तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव, स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव की अपेक्षा तुलनात्मक रूप सें अधिक होता हैं। हायर सेकेण्डरी तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता, स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक होती हैं। स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव तुलनात्मक रूप से बराबर होता हैं।स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में कार्य चितां तुलनात्मक रूप से बराबर होती हैं।

प्रस्तावना – 21 शताब्दी में महिलाएं समाज की विभिन्न आर्थिक, नैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, एवं तकनीकी आदि सभी तरह की गतिविधियों में सक्रिय दिखाई देती है, नारी शिक्षा की जागरुकता, तकनीकी एवं व्यावसायिक, महंगाई जनित दबाव, समाज का बदलता दृष्टिकोण तथा चहुँमुखी विकास के प्रभाववश ही नहीं बल्कि शिक्षा की उपयोगिता और उन्नत रहन–सहन की जीवन शैली में जीने की आकांक्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते कदम राष्ट्र के आर्थिक विकास में सम्मिलित कुल महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत आश्चर्य में डाल देता है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के साथ–साथ अपने विश्वास को भी बढ़ाया है किन्तु दूसरी और इससे कुछ समस्याएँ भी सामने आई है जैसे कार्यरत महिलाओं की कार्यविधि व कार्यस्थल का पर्यावरण, उनके सामने पारिवारिक कुसमायोजन, बच्चों के पालन पोषण की समस्याएँ, थकान, तनाव, कार्य क्षेत्र संबंधी अन्य कई समस्याएँ आदि।

रामालक्ष्मी एम. शिव, एम. शारदा देवी (2005), ने विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाली महिलाओं में कार्य संतुष्टि एवं कार्य तनाव का अध्ययन किया। शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था– विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाली महिलाओं में कार्य संतुष्टि एवं कार्य तनाव का अध्ययन करना था। न्यादर्श हेतु विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाली 120 महिलाओं का चयन उद्देश्यपरक विधि से किया गया। इनमें से 60 महिलाएं प्रोफेशनल एवं 60 क्लर्क के पद पर कार्यरत थी। इनकी उम्र 30–40 वर्ष के मध्य एवं अनुभव 3 वर्ष तक का था साथ ही इनके परिवार का प्रकार एकांकी था अथवा परिवार में बच्चों की संख्या 2 से अधिक नहीं थी। प्रदत्तों के संकलन हेतु बर्नाड एस. गाटमेन द्धारा निर्मित मापनी का प्रयोग किया गया था। शोध अध्ययन का निष्कर्ष था– विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाली महिलाओं में कार्य संतुष्टि का स्तर कम एवं कार्य तनाव का स्तर अधिकतम पाया गया।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।
2. हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।
3. स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर अथवा प्रोफेशनल तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।

उपकरण तथा प्रविधि – प्रस्तुत शोध इंदौर शहर के निजी एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत 300 महिला कर्मचारियों को न्यादर्श के रूप में चुना गया। जिनमें निजी संस्था में कार्यरत 150 महिला कर्मचारी एवं शासकीय संस्थान में कार्यरत 150 महिला कर्मचारी न्यादर्श के रूप में चुने गए। न्यादर्श का चयन जशक्षापरक विधि द्धारा किया गया।

प्रस्तुत शोध को करने के लिए प्रो. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव और प्रो. डॉ. ए. पी. सिंह (1981) द्धारा निर्मित **'व्यावसायिक तनाव मापनी'** (Occupational Stress Index) अथवा प्रो. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव और

* विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक (पारिवारिक संसाधन प्रबंध) श्री रेवा गुर्जर बाल निकेतन महाविद्यालय, सनावद (म.प्र.) भारत
**शोधार्थी (मनोविज्ञान) शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

डॉ. एम. एम. सिन्हा द्धारा निर्मित '**कार्य चिन्ता मापनी**' (Job Anxiety Scale) का उपयोग किया गया।

परिकल्पनाएँ –

1. हायर सेकैण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।
2. हायर सेकैण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।
3. स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर अथवा प्रोफेशनल तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।

परिणाम एवं विवेचना :-

1. हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्यों की तुलना करना।

तालिका क्रमांक 1

हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्य, मानक विचलन, स्वतंत्रता का अंश और टी मूल्य

व्यवसायिक तनाव

शिक्षा का स्तर	N	M	S.D.	Df	t-value
हायर सैकण्डरी	100	135.93	35.31	198	1.65
स्नातक	100	128.21	30.35		

t-value = 1.65

कार्य चिन्ता

शिक्षा का स्तर	N	M	S.D.	Df	t-value
हायर सैकण्डरी	100	40.43	25.81	198	1.83
स्नातक	100	33.88	24.57		

t-value = 1.83

value 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं

तलिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है की व्यावसायिक तनाव तालिका में टी का मान 1.65 है अथवा कार्य चिन्ता तालिका में टी का मान 1.83 है जो की 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। जबकि df = 198 हैं। अर्थात् हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों के माध्य, व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता प्राप्तांकों से सार्थक रूप से भिन्न नहीं है। अत: शून्य परिकल्पना(H_0)'हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा',स्वीकार की जाती है। हायर सैकण्डरी तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव के माध्य प्राप्तांक 135.93 है जो कि स्नातक तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव के माध्य 128.21 से सार्थक रूप से उच्च नहीं है अथवा हायर सैकण्डरी तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता के माध्य प्राप्तांक 40.43 है जो कि स्नातक तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता के माध्य 33.88 से सार्थक रूप से उच्च नहीं है। इस उद्देश्य के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता तुलनात्मक रूप से बराबर पायी गयी हैं। संभवत: इस परिणाम का कारण यह हो सकता हैं कि विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों में व्यवसाय हेतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सैकण्डरी एवं स्नातक होती है। महिला कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता लगभग समान होने से उनके कार्य व कार्य का वातावरण भी समान होता है। उनमें कार्य का दबाव और कार्य संबंधी चिंता भी समान रूप से उत्पन्न होती है। भले ही हायर सैकण्डरी एवं स्नातक तक शिक्षित महिलाए उच्च शिक्षित महिला कर्मचारी की अपेक्षा कार्य में अधिक कुशल हो परन्तु शैक्षणिक अन्तर की वजह से उनके कार्यो की प्रशंसा नहीं की जाती है। जिससे उनमें कार्य के प्रति असंतुष्टी की भावना उत्पन्न होने लगती है। यह कार्य के प्रति असंतुष्टी की भावना उनमें व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता उत्पन्न करती है।

2. हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिंता के माध्यों की तुलना करना।

तालिका क्रमांक 2

हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिंता के माध्य, मानक विचलन, स्वतंत्रता का अंश और टी मूल्य

व्यावसायिक तनाव

शिक्षा का स्तर	N	M	S.D.	Df	t-value
हायर सैकण्डरी	100	135.93	35.31	198	3.20*
स्नातकोत्तर	100	121.51	27.92		

t-value = 3.20*

कार्य चिन्ता

शिक्षा का स्तर	N	M	S.D.	Df	t-value
हायर सैकण्डरी	100	40.43	25.81	198	6.24*
स्नातकोत्तर	100	20.58	18.56		

t-value = 6.24*

t-value* 0.05 स्तर पर सार्थक

तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट है की व्यावसायिक तनाव तालिका में टी का मान 3.20 है अथवा कार्य चिन्ता तालिका में टी का मान6.24 है,जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। जबकि df = 198 हैं। अर्थात् हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों के माध्य, व्यवसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता प्राप्तांकों से सार्थक रूप से भिन्न है। अत: शून्य परिकल्पना(H_0) हायर 'सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्त ाके माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा' निरस्त की जाती है। हायर सैकण्डरी तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव के माध्य प्राप्तांक 135.93 है जो की स्नातक तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव के माध्य 121.51 से सार्थक रूप से उच्च है अथवाहायर सैकण्डरी तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता के माध्य प्राप्तांक 40.43 है जो की स्नातक तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता के माध्य 20.58 से सार्थक रूप से उच्च है।इस उदद्ेष्य के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि हायर सैकण्डरी तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिंता, स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यवसायिक तनाव एवं कार्य चिंता की अपेक्षा तुलनात्मक रुप से अधिक पायी गयी है। संभवत: इस

परिणाम का कारण यह हो सकता है कि उच्च शिक्षित महिला कर्मचारियों की मांग व्यावसायिक संस्थानों में अधिक होती है। जिसकी वजह से अधिक कार्यकुशल होने के उपरान्त भी हायर सैकण्डरी तक शिक्षित महिला कर्मचारियों को इन व्यावसायिक संस्थानों में नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है या मुश्किल से नौकरी प्राप्त हो पाती है। साथ ही उच्च शिक्षित महिला कर्मचारियों की अपेक्षा इन्हें वेतन भी कम प्रदान किया जाता है अथवा इनकी कार्य अवधियां भी उच्च शिक्षित महिला कर्मचारियों की तुलना में अधिक होता है। जिससे कम शिक्षित महिला कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति भय व तनाव उत्पन्न होता है। यही भय और तनाव कम शिक्षित महिला कर्मचारियों में कार्य के प्रति व्यवसायिक तनाव एवं कार्य चिंता उत्पन्न करती है।

3. स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर अथवा प्रोफेशनल तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिंता के माध्यों की तुलना करना।

तालिका क्रमांक 3

शिक्षा का स्तर	N	M	S.D.	Df	t-value
स्नातक	100	128.21	30.35	198	1.62
स्नातकोत्तर	100	121.51	27.92		

स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर अथवा प्रोफेशनल तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं चिन्ताके माध्य, मानक विचलन, स्वतंत्रता का अंश और टी मूल्य

व्यावसायिक तनाव

t-value = 1.62

कार्य चिन्ता

शिक्षा का स्तर	N	M	S.D.	Df	t-value
स्नातक	100	33.88	24.57	198	4.31*
स्नातकोत्तर	100	20.58	18.56		

t-value = 4.31*

t-value *0.05 स्तर पर सार्थक

तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट है की व्यावसायिक तनाव तालिका में टी का मान 1.62 है अथवा कार्य चिन्ता तालिका में टी का मान 4.31 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। जबकि df = 198 हैं। अर्थात् स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर अथवा प्रोफेशनल तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों के माध्य, व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता प्राप्तांकों से सार्थक रूप से भिन्न नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना(H_0)'स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर अथवा प्रोफेशनल तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता के माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा', स्वीकार की जाती है। स्नातक तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव के माध्य प्राप्तांक 128.21 है अथवा जो की स्नातकोत्तर अथवा प्रोफेशनल तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव के माध्य 121.51 से सार्थक रूप से उच्च नहीं है अथवा स्नातक तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता के माध्य प्राप्तांक 33.88 है, जो की स्नातकोत्तर अथवा प्रोफेशनल तक शिक्षित तक शिक्षित कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता के माध्य 20.58 से सार्थक रूप से उच्च नहीं है। इस उद्देश्य के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव एवं कार्य चिन्ता तुलनात्मक रूप से बराबर पायी गयी है। संभवतः इस परिणाम का कारण यह हो सकता है कि विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों में कार्य हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर व इससे भी उच्च योग्यता वाली कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा का स्तर समान होने से व्यावसायिक संस्थानों में उन्हें पद भी लगभग समान प्रदान किए जाते हैं। समान पद एवं उत्तरदायित्व की वजह से उनमें जिम्मेदारियों का बोझा भी एक समान होता है।वे स्वयं को योग्य व अधिक प्रतिभावान दिखाने हेतु अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करती हैं। यही अत्यधिक कार्य व स्वयं कों साबित करने की होड उनमें समान रूप से तनाव व चिंता उत्पन्न करता है और यही तनाव व चिंता आगे चलकर व्यावसायिक तनाव व कार्य चिंता के रूप में उभरकर सामने आता है।

निष्कर्ष –

1. हायर सैकण्डरी तक शिक्षित एवं स्नातक तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यवसायिक तनाव एवं कार्य चिंता तुलनात्मक रूप सें बराबर होती है।
2. हायर सैकण्डरी तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यवसायिक तनाव एवं कार्य चिंता, स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यवसायिक तनाव एवं कार्य चिंता की अपेक्षा तुलनात्मक रूप सें अधिक होती है।
3. स्नातक तक शिक्षित एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षित महिला कर्मचारियों में व्यवसायिक तनाव एवंकार्य चिंता तुलनात्मक रूप सें बराबर होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरुण कुमार सिहं, 'आधुनिक असामान्य' मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणासी।
2. अरुण कुमार सिहं, 'मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां' 2006, पेज न. 4–5 और 528–529
3. पारसनाथ राय, 'अनुसंधान परिचय' 1996, पेज न. 17–21
4. डॉ. एस. एम. शुक्ल एवं डॉ. शिवपूजन सहाय 'सांख्यिकी के सिद्धांत' 2001

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

बच्चों की भोज्य आदतों के विकास में परिवार की भूमिका

डॉ. अर्चना जैन *

शोध सारांश – भोज्य आदतें व्यक्ति को सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ्यता, अस्वस्थ्यता की ओर ले जाती हैं। भोज्य आदतें सामाजिक परिवेश, वंशानुक्रम, परिवार, भोजन की उपलब्धता आदि अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्ष हैं कि पीढ़ी–दर–पीढ़ी परिवार के विभिन्न सदस्यों की भोज्य आदतों से बच्चे प्रभावित होते हैं। वे वही भोजन खाना पसन्द करते हैं, जिसे उनके माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी आदि खाते आ रहे हैं। वंशानुक्रम से अधिकांश बच्चे शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। शाकाहारी परम्परा से 82 प्रतिशत माता–पिता शाकाहारी हैं और बच्चों को भी शाकाहार देते हैं। जबकि 18 प्रतिशत माता–पिता का अण्डों के प्रति दृष्टिकोण बदला है। वे स्वयं शाकाहारी हैं, परन्तु बच्चों को अण्डे खिलाते हैं। 18 प्रतिशत बच्चे भी अण्डा पसन्द करते हैं।

मांसाहारी परिवारों के 98 प्रतिशत बच्चे मांसाहार पसन्द करते हैं। सिर्फ 2 प्रतिशत बच्चे मांसाहार पसन्द नहीं करते। भोजन की मात्रा, भोजन की आवृत्ति, भोजन संबंधी छोटी–छोटी आदतें भी परिवार से प्रभावित हैं। निष्कर्ष यह बताते हैं कि भोज्य आदतों के विकास में परिवार की मुख्य भूमिका है।
शब्द कुंजी – भोज्य आदतें।

प्रस्तावना – बच्चे देश दुनियाँ का भविष्य निर्मित करते हैं। दुनियाँ को अगर हर क्षेत्र में तरक्की करना है, तो वहां के बच्चों को स्वस्थ्य व सुपोषित होना जरूरी है। बच्चे स्वस्थ्य व सुपोषित तभी हो सकते हैं जब उनमें स्वस्थ्य भोज्य आदतें हों।

यूनिसेफ 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चों की मौत होती है, उनमें से 50 प्रतिशत कुपोषण से पीड़ित होते हैं। भारत में 1 मिलियन बच्चे कुपोषण से मारे जाते हैं।[1]

जीवन में प्रारम्भिक 5 वर्ष वह समय है, जिसमें तेजी से शारीरिक विकास और परिवर्तन होता है। यही समय है, जब कि भोज्य आदतों की नीव डलती हैं। जिसमें भविष्य की भोज्य आदतें व स्वास्थ्य दोनों विकसित होते हैं। इन्हीं वर्षों में बच्चे ये सीखते हैं कि कब, क्या और कितना खाए। उनके सांस्कृतिक और पारिवारिक विश्वास, अभिवृत्ति, आस पास की भोज्य आदतों के माहौल से बच्चे प्रभावित होते हैं। इन्हें देखकर वे खाना सीखते हैं। छोटे बच्चों की भोज्य आदतों के विकास में अभिभावक व देखरेख करने वालों की मुख्य भूमिका होती है। कुपोषित भोजन बच्चे लेते हैं, उसका कारण बड़ों को पोषण की कम जानकारी होती है या बड़े स्वयं कुपोषित भोजन लेते हैं।

1. **Eating habits -** Eating habits शब्द संदर्भित है, कि क्यों और कैसे लोग खाते हैं। वे कौन सा खाना खाते हैं और किसके साथ खाते हैं। भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। उसका भण्डारण इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसे छोड़ते कैसे हैं। व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक वातावरण, राजनैतिक कारणों से भी भोज्य आदतें लोगों को प्रभावित करती हैं।[2]

1–1.2 Eating habits - जिस तरह से कोई व्यक्ति या समूह खाते हैं, वह किस तरह का, कितनी मात्रा में और कब खाते हैं, उनकी भोज्य आदतें है।[3]

1.1.3 भोज्य आदतें – जो भोज्य आदतें (dieatary Habits) हैं, वो किसी व्यक्ति या समूह के लोगों का रोज का या स्वाभाविक अद्धितीय निर्णय होता है कि वो क्या खाएगे। सही मात्रा (dieatary Choice) में विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन, वसा का उपभोग आवश्यक होता है। (dieatary Habits और Choice मनुष्य के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।[4]

1.2 भोज्य आदतों के कई पहलू हैं –

1. **भोजन समय –** आहार आयोजन/ डाईट प्लान के अनुसार निश्चित समय पर नियमित भोजन करना।
2. **भोजन अन्तराल –** प्रत्येक आहार के बीच एक निश्चित अन्तर हो।
3. **व्यंजन ग्रहणता –** व्यंजन वाष्प से पके, अंकुरित, खमीरीकृत, उबले, बेक, आदि कई प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से उचित/स्वास्थ्यवर्धक भोजन सही मात्रा में शामिल करना सही भोज्य आदत है।
4. **खाद्य पदार्थों की मात्रा –** 1. दूध 2. दूध से बने भोज्य पदार्थ 3. दाल 4. फली 5. अनाज 6. हरी पत्तेदार सब्जी, 7. जड़ वाली सब्जी 8. अन्य सब्जी 9.फल 10. सलाद आदि सही मात्रा में शामिल करना।

1.3 भोज्य आदतों को प्रभावित करने वाले तत्व कई हैं –

1. वंशानुक्रम / परिवार।
2. अभिभावक की भोज्य गतिविधियां, खाने की शैली, फीडिंग स्टाइल
3. सामाजिक परिवेश।
4. भोजन की उपलब्धता।
5. भोजन की कीमत।
6. भोजन का स्वाद।
7. विशिष्ट भोज्य आदतें।
8. धार्मिक आस्था।
9. भौगोलिक स्थितियाँ।

1.4 बच्चों की भोज्य आदतों के विकास में परिवार की भूमिका –

* अतिथि विद्वान (फैशन टैक्नालॉजी) सहोद्रा राय शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

अभिभावक ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं, जो बच्चों के स्वस्थ्य भोज्य व्यवहार के विकास में सहायक होता है। समाज, जनांकिकी कारक (डेमोग्राफिक) अभिभावक गतिविधि, अभिभावक भोज्य शैली, अभिभावक की चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, अभिभावक की न केवल उस भोजन से जो वह बच्चों को देते हैं बल्कि स्वयं की भोज्य शैली भी बच्चों के भोज्य व्यवहार को प्रभावित करती है।

अभिभावक की चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस स्टाईल से बच्चों का भोज्य व्यवहार जुड़ा है। जिसमें शामिल हैं, विशिष्ट भोज्य शैली, भोजन चयन और प्राथमिकताए ऊर्जा ग्रहण के विनियमन।

बच्चों की भोजन प्राथमिकतायें उनकी ग्रहणता को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि भोजन प्राथमिकतायें कैसे विकसित होती हैं।

मनोवैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि वंशानुक्रम से कई लोग शुगर या नमकीन पसन्द करते हैं। ये साक्ष्य हैं कि जो कुछ ऐसा वंशानुगत रूप से आटोमैटिक मैकेनिज्म होता है, वह एपिटाइट को रेगूलेट करता है।

भोज्य आदतों को बार बार आफर करके सिखाया जा सकता है। स्वादिष्ट खाना खाना learinng से सिखाया जा सकता है। यंग बच्चे नये खाने के प्रति भयग्रस्त भी होते हैं। जिसे न्यूफोबिया कहते हैं। विशेष रूप से दूसरे साल में। इसका अर्थ है कि अनचखा खाना को नापसंद या अस्वीकृत कर देते हैं। 2-6 साल के बच्चों के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि बच्चों में फल, सब्जी व मांस ग्रहणता के संदर्भ में न्यूफोबिया महत्वपूर्ण है जबकि स्टार्च, डेरी फूड, केक-बिस्किट के उपभोग में ऐसा नहीं है।

भोज्य आदते भोज्य माहौल से प्रभावित होती हैं। बच्चे माहौल के अनुसार खाना सीखते हैं। परिवार, अभिभावक व देखरेख करने वालों की छोटे बच्चों की भोज्य आदतों के विकास पर हुए शोध अध्ययन यहां प्रस्तुत हैं -

2. संबंधित साहित्य का अध्ययन -

1. परिणाम बताते हैं कि अभिभावक बच्चों के लिए ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं, जो स्वस्थ्य भोज्य आदतों में प्रोत्साहन देते हैं। अभिभावक ऐसा वातावरण भी निर्मित करते हैं, जो बच्चों के अधिक वजन को प्रोत्साहित करते हैं, भोज्य आदतों के विभिन्न पहलुओं को भी प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि अभिभावक की धनात्मक भूमिका बच्चों की डाइट को बढ़ाती है और डाइट पर नियन्त्रण भी करती है।[5]
2. बच्चों के स्वास्थ्य के संदर्भ में उनके भोज्य व्यवहार व अभिवृत्ति को समझना महत्वपूर्ण है। साक्ष्य बताते हैं कि बचपन में ग्रहण की गई भोज्य आदतें प्रौढ़ावस्था तक दृढ़ बनी रहती हैं। शोध ये भी दर्शाते हैं कि बचपन के पोषण का प्रौढ़ावस्था के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अभिभावक बच्चों को भोजन ग्रहण करने के संदर्भ में आरम्भिक वातावरण देते हैं।[6]
3. बच्चों का भोज्य व्यवहार पारिवारिक वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। पारिवारिक भोज्य व्यवहार में शामिल है - अभिभावकों का स्वयं का खाद्य व्यवहार और उनकी चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस।

शोध ये भी बताते हैं कि अभिभवकों का स्वयं का भोज्य व्यवहार और उनका पालन-पोषण का तरीका बच्चों के भोज्य व्यवहार के विकास को प्रभावित करता है।[7]

3. उद्देश्य -

1. वंशानुगत पारिवारिक भोज्य आदतों का अध्ययन करना।
2. बच्चों की भोज्य आदतों का अध्ययन करना।
3. परिवार व बच्चों की भोज्य आदतों की तुलना करना

4. शोध विधि - प्रस्तुत शोध पत्र में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, जिसमें 4-6 वर्ष के बच्चों के माता पिता से प्रश्नावली भरवाई गई है।

आंकड़े एकत्र करने के लिए 100 बच्चे अलग-अलग 5 स्कूलों से लिए गए। ये वह बच्चे थे जिनका वंशक्रम से परिवार शाकाहारी या मांसाहारी रहा है। माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, सभी नशा-विहीन शाकाहारी या मांसाहारी थे। 50 बालक 50 बालिकाए जिनमें 25 शाकाहारी परिवार के बालक व 25 मांसाहारी परिवार के बालक एवं 25 शाकाहारी परिवार की बालिकाएं व 25 मांसाहारी परिवार की बालिकाएं चुनी। चुने हुए निदर्श परिवार से वंशानुगत परिवार व बच्चों की भोज्य आदतों की जानकारी ली गई।

भोज्य आदतें कई प्रकार की होती हैं किन्तु हमने यहां कुछ चुने हुए बिन्दुओं पर सिर्फ परिवार की भोज्य आदतों व बच्चों की भोज्य आदतों का अध्ययन किया है और उसके परिणाम इस प्रकार हैं -

5. विश्लेषण व व्याख्या -

तालिका क्रमांक 1 (देख अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से पता चलता है कि बच्चे परिवार के भोजन से पूरी तरह प्रभावित हैं। वंश परम्परा से परिवार शाकाहारी या मांसाहारी हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों के भोजन पर भी साफ दिखाई देता है। परिवार शाकाहारी है, तो बच्चे शाकाहारी हैं, वे भी शाकाहार पसन्द करते हैं।

अण्डा के प्रति दृष्टिकोण बदला हैं। परिवार अण्डा का सेवन नहीं करता परन्तु नई पीढ़ी के 18 प्रतिशत बच्चे अण्डा खाते हैं। मांसाहारी परिवारों में सिर्फ 2 प्रतिशत बच्चे मांसाहारी भोजन पसन्द नहीं करते जबकि 98 प्रतिशत बच्चे वंश परम्परा से मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं।

इस तरह परम्परा से परिवार शाकाहारी या मांसाहारी है। औसत रूप से परिवार के 35.33 प्रतिशत मांसाहारी पुरूष शराब पीते हैं। तम्बाकू 68.66 प्रतिशत मांसाहारी पुरूष लेते हैं। अन्य नशीले पदार्थ 43.32 प्रतिशत मांसाहारी लोग लेते हैं। जबकि नानी, दादी, माताए, शराब, तम्बाकू ,नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करतीं। बच्चों की उम्र कम है, इसलिए वे कोई भी नशीले पदार्थ नहीं लेते।

तालिका क्रमांक 2 (देखे अगले पृष्ठ पर)

प्रस्तुत अध्ययन से पता चलता है कि परिवार के अनुसार आहार में बच्चों की रूचि है। परिवार मांसाहारी है, तो बच्चे भी मांसाहारी हैं। एक परिवार के द्वारा 500 ग्राम मांस मछली खाई जाती है। प्रति बच्चा जिसमें से लगभग 50 ग्राम मांस मछली ग्रहण करते हैं।

48 प्रतिशत परिवार प्रतिदिन मांसाहार करते हैं तो 44 प्रतिशत बच्चे भी प्रतिदिन मांसाहार करते हैं। और 18 प्रतिशत परिवार कभी कभी मांसाहार ग्रहण करते तो 18 प्रतिशत बच्चे भी वैसा ही भोजन लेते हैं।

आंशिक बदलाव यह देखने को मिल रहा है कि परिवार अण्डा नहीं खाता तब भी 18 प्रतिशत बच्चे कभी कभी अण्डा ग्रहण करते हैं लेकिन वे रोज अण्डा नहीं खाते। बच्चे कभी-कभी अण्डा खाते हैं, अर्थात् भोजन संबंधी आदतें, भोजन की आवृत्ति, मात्रा भी परिवार की भोजन सबंधी आदतों से बच्चों में आती हैं।

6. निष्कर्ष - प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष से पता चलता है कि छोटे बच्चों की भोज्य आदतें वंश परम्परा से परिवार की भोज्य आदतों के समान हैं।

यदि बच्चों में अच्छी स्वस्थ्य सुपोषणयुक्त, स्वच्छ भोज्य आदतें विकसित करना चाहते हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों को ऐसी आदतों का स्वयं अनुसरण करना होगा ताकि बच्चा इन्हें देखकर अपनाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-tops-malnutrition-chart-in-South-Asia/articleshow/45961120.cms
2. Eating habits – Diet.com http://www.diet.com/9/eating -habits
3. Collin English Dictionary
4. Choice Hand Book of disease burdens & quality of Life measures P. 4189 E Book
5. Influence of parental attitude in the development of the children eating behaviour https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18257948
6. British Journal of Nutrition https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/20F431E346074B8255585DACAD7BA109/S0007114508892471a.pdf/influence_of_ parental_ attitudes_ in_ the_ development_of_children_eating_behaviour.pdf
7. British Journal of Nutrition https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/20F431E346074B8255585 DACAD7BA109/S0007 11 4508892471a.pdf/influence_of_parental_ attitudes_in _the _development_of_children_eating_ behaviour.pdf

पारिवारिक भोज्य आदतों का अध्ययन

क्रं.	व्यक्ति	शाकाहारी		शाकाहार + अण्डा		मांसाहारी		शराब पीते थे / पीते है				तम्बाकू खाते थे / खाते है				अन्य नशीले पदार्थ लेते थे / लेते है			
								शाका		मांसा		शाका		मांसा		शाका		मांसा	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1.	दादा	50	100	–	–	50	100	–	–	20	40	–	–	35	70	–	–	17	34
2.	दादी	50	100	–	–	50	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	नाना	50	100	–	–	50	100	–	–	15	30	–	–	37	74	–	–	18	36
4.	नानी	50	100	–	–	50	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	माता	50	100	–	–	50	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	पिता	50	100	–	–	50	100	–	–	19	38	–	–	31	62	–	–	30	60
7.	बच्चे	41	82	9	18	49	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल										53				103				35	
औसत										17.7	35.33			34.33	68.66			21.65	43.32

स्रोत –शोध प्रबन्ध, सामिष और निरामिष आहार का बच्चो के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव–डॉ अर्चना जैन

तालिका क्रमांक 2

पारिवारिक व बच्चों की भोज्य मात्रा व आवृति का अध्ययन

क्रं.	भोज्य मात्रा व आवृति	भोज्य ग्रहणकर्ता	ग्राम	प्रतिदिन		दो–तीन दिन में		सप्ताह में एक बार		कभी कभी	
				संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1.	मांस मछली खानें की मात्रा	परिवार	500								
		बच्चे	50								
2.	मांस मछली खाता है	परिवार		24	48	11	22	6	12	9	18
		बच्चे		22	44	12	24	6	12	9	18
3.	अण्डा खाता है	परिवार		–		–		–		–	
		बच्चे		–		1	2	3	6	5	10

स्रोत –शोध प्रबन्ध, सामिष और निरामिष आहार का बच्चो के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव–डॉ अर्चना जैन।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

Gross Domestic Production Of India An Overview

Dr. Lokesh Jarwal *

Introduction - Gross Domestic Product (Gdp) The Monetary Value Of All The Finished Goods And Services Produced Within A Country's Borders In A Specific Time Period. Though Gdp Is Usually Calculated On An Annual Basis, It Can Be Calculate Quarterly Basis As Well. Gdp Includes All Private And Public Consumption, Government Outlays, Investments A Exports Minus Import That Occur Within A Defined Territory. India Was Among The Wealthiest Nations In The Ancient Times, Aptly Nicknamed The Golden Bird. Throughout History, India Has Been Subject To Multiple Invasions, The Most Damaging One Being The Two-Century Long British Colonial Rule That Shattered India's Social And Economic Fabric. When India Finally Achieved A Hard-Won Independence In 1947, It Was A Divided Nation With A Destitute Economy Poor Infrastructure, Over Dependence On Imports And A Legacy Of Poverty And Illiteracy. India Has Come A Long Way Since 1947. It's Nearly Seven-Decade Journey since Independence Has Brought about Many Changes in the Nation's Socio-Economic Landscape. After Gaining Freedom, India Set About Rebuilding Its Economy By Rolling Out A Series Of Five-Year Plans, The First Of Which Was Introduced In 1951. The First Of These Five-Year Plans Focused On Rebuilding The Economy By Becoming Self-Reliant For Food Supply And By Raising Domestic Savings For Growth. Successive Five-Year Plans Encouraged Industrial Development And Services. An Economic Turning Point Came During The 1991 Reforms Which Introduced The Policies Of_Liberalization And Privatization, And Encouraged Flexibility In Industrial Licensing And Foreign Investment.[1]

Objectives Of Research Paper -

1. To Study Indian Economy.
2. To Study Indian Gdp And Its Growth Since Independence.
3. To Study Future Prospect Of Gdp

Hypothesis Of The Study -

1. Indian Gdp Can Be High Comparison In Present Scenario.
2. Indian Economy Has Potential To Grow More Fast Than Now.

Review Of Literature - There Have Been Extensive Theoretical And Empirical Research To Date That Attempt To Focus On The Economic Growth, A Large Number Of Studies Focused On The Economic Growth In Less Developed Countries. But There Is No Consensus With Regard To The Direction Of Causality About Gdp And Their Affective Factors. This Section Presents A Brief Review Related To Economic Factors. wan (2010) Examined That Overall Impact Of Fdi Inflows Into The Economy Of Pakistan, By Using Annual Time Series Data For The Period Of 1971-2008. Iqbal (2010) Argued That Fdi Is Generally Considered As A Factor Which Enhances Economic Growth, As Well As The Solution To The Economic Problems Of Developing Countries. That Deals With Causality Link Between Fdi, Gdp, Exports And Import; He Founded Bidirectional Causality Between Fdi And Gdp(Chandana, 2008) assessed the proposition by subjecting industryspecific FDI and output data to Granger causality tests within a panel Vol. 3, April 2015 Annual Research Journal of SCMS, Pune Š 43 co-integration framework. It turns out that the growth effects of FDI vary widely across sectors. FDI stocks and output were mutually reinforcing in the manufacturing sector, whereas any causal relationship was absent in the primary sector. Most strikingly, they found only transitory effects of FDI on output in the services sector. However, FDI in the services sector appears to have promoted growth in the manufacturing sector through cross-sector spillovers. (Chowdhury) suggested that it is GDP that caused FDI in the case of Chile and not vice versa, while for both Malaysia and Thailand, there was a strong evidence of a bi-directional causality between the two variables. The robustness of the above findings was confirmed by the use of a bootstrap test employed to test the validity of their results

Methodology - The Data Of India Have Been Collected For This Study Mainly From The World Bank Publications .The Data Has Been Taken From Various Economic Websites, Planning Commission Of India's Publications.

Overview Of Indian Gdp - India Has Emerged As The Fastest Growing Major Economy In The World As Per The Central Statistics Organization (Cso) And International Monetary Fund (Imf). According To The Economic Survey 2015-16, The Indian Economy Will Continue To Grow More Than 7 Per Cent In 2016-17. The Improvement In India's Economic Fundamentals Has Accelerated In The Year 2015 With The Combined Impact Of Strong Government

*Asst. Professor (Commerce) M.P.R.P. Govt. Girls College, Dewas (M.P.) INDIA

Reforms, Rbi's Inflation Focus Supported By Benign Global Commodity Prices.[2] GDP is a very strong measure to gauge the economic health of a country and it reflects the sum total of the production of a country and as such comprises all purchases of goods and services produced by a country and services used by individuals, firms, foreigners and the governing bodies. It is used as an indicator by almost all the governments and economic decision-makers for planning and policy formulation. It enables one to judge whether the economy is contracting or expanding, whether it needs a boost or restraint, and if a threat such as a recession or inflation looms on the horizon. When government officials plan for the future, they consider the various economic sectors' contribution to the GDP.

Main Factors Affecting GDP -

- **Human Resource -** Refers to one of the most important determinant of economic growth of a country. The quality and quantity of available human resource can directly affect the growth of an economy.The quality of human resource is dependent on its skills, creative abilities, training, and education. If the human resource of a country is well skilled and trained then the output would also be of high quality.

  On the other hand, a shortage of skilled labor hampers the growth of an economy, whereas surplus of labor is of lesser significance to economic growth. Therefore, the human resources of a country should be adequate in number with required skills and abilities, so that economic growth can be achieved.
- **Natural Resources -** Affect the economic growth of a country to a large extent. Natural resources involve resources that are produced by nature either on the land or beneath the land. The resources on land include plants, water resources and landscape.
- **Capital Formation -** Involves land, building, machinery, power, transportation, and medium of communication. Producing and acquiring all these manmade products is termed as capital formation. Capital formation increases the availability of capital per worker, which further increases capital/labor ratio.
- **Technological Development -** Refers to one of the important factors that affect the growth of an economy. Technology involves application of scientific methods and production techniques. In other words, technology can be defined as nature and type of technical instruments used by a certain amount of labor.
- **Social and Political Factors -** Play a crucial role in economic growth of a country. Social factors involve customs, traditions, values and beliefs, which contribute to the growth of an economy to a considerable extent.

Table 2 & Graph (See in the last page)

GDP - India's GDP, in absolute numbers, has grown from a mere Rs2.7 lakh crore to Rs 57 lakh crore in 67 years of indpendence. The International Monetary Fund (IMF) and the Moody's Investors Service have forecasted that India will witness a GDP growth rate of 7.5 per cent in 2016, due to improved investor confidence, lower food prices and better policy reforms. Besides, according to the World Bank, the Indian economy will likely grow at 7.6 per cent in 2016-17, followed by further acceleration to 7.7 per cent in 2017-18 and 7.8 per cent in 2018-19[3].

India seems to be making rapid progress in every field. Here are 10 areas that will make all the difference.[4]

- **Roads:**
- **Railways:**
- **Electricity:**
- **Oil:**
- **Subsidies:**
- **Cash transfers:** .
- **Swachh Bharat Abhiyan:**
- **Bureaucracy:**
- **Foreign policy and economy:**

(Graph & Table See in the last page)

Conclusion - The major results of this paper shows that GDP growth rate of India has been significantly affected by capital formation rate, agriculture growth rate, electricity consumption per capita (Kwh) and poverty head count ratio (at $2 per day) during the period of 1970-2011 but export growth rate and import growth rate could not contribute towards GDP growth rate as their effect on GDP growth rate is found to be insignificant in our analysis given in section 5.3. The analysis in this paper shows that, during past four decades, the contribution of agricultural sector towards GDP growth rate has been quite significant. Therefore, this paper concludes that agriculture growth rate has been an important contributor and determinant of GDP growth rate for period 1970-2011. Also agricultural sector being the most important source of occupation in India if coupled with effective policies then it can stimulate the growth of Indian economy and also help government to deal with issues like poverty and health status by making more than half of the population of India, dependent on agriculture for their livelihood, better off.[5]

References :-

1. Emerging Markets: Analyzing India's GDP By prableen bajpayee Updated August 28, 2015
2. www.ibef.org
3. http://www.tradingeconomics.com
4. https://yourstory.com
5. SHIVANI GUPTA A Comparative Study of Indian Economy in Pre and Post Reform period: An Econometric Analysis

Table 2 - Growth Rate Of Real Gdp And Its Main Sectors, 1951-52 To 2013-14

Years	Primary sector	Secondary sector	Teratory sector	Gdp
1951-52 to 1959-60	2.7	6.0	4	3.6
1960-61 to 1969-70	1.6	5.3	4.3	3.2
1970-71 to 1979-80	1.8	4.6	4.5	3.4
1980-81 to 1987-88	2.1	6.9	6.3	4.9
1988-89 to 1999-00	6.4	7.3	9.1	8.0‘
2000-01 to 2013-14	2.6	5.8	6.2	4.7

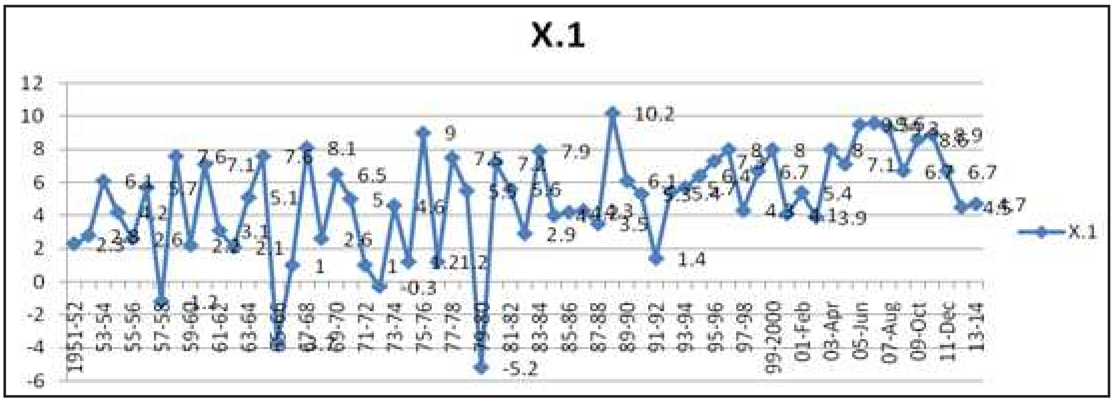

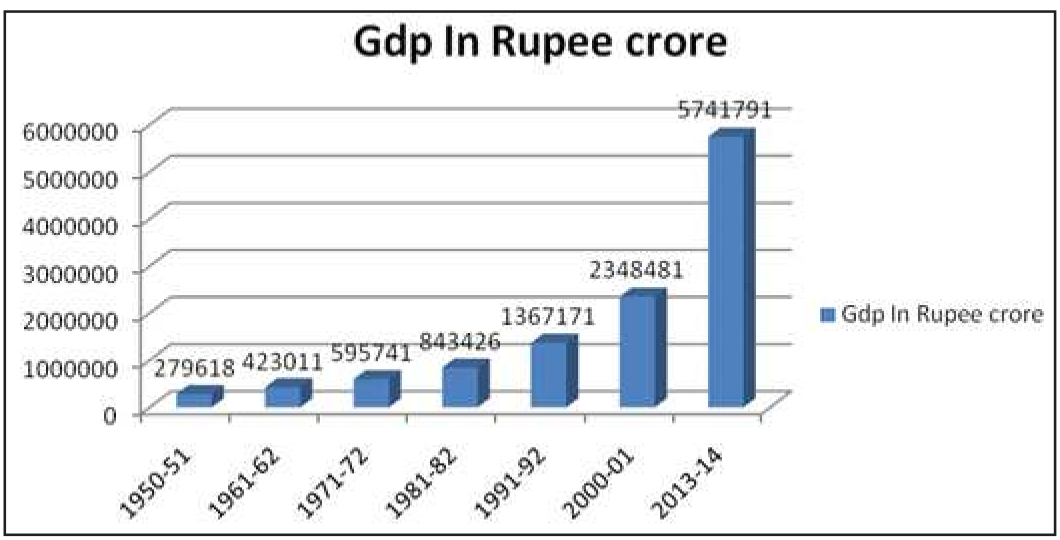

COUNTRY	GDP Nominal (billions of $) 2016	SHARE	RANK
United States	18,561.93	24.7	1
China	11,391.62	15.1	2
Japan	4,730.30	6.29	3
Germany	3,494.90	4.65	4
United Kingdom	2,649.89	3.52	5
France	2,488.28	3.31	6
India	2,250.99	2.99	7
Italy	1,852.50	2.46	8
Brazil	1,769.60	2.35	9
Canada	1,532.34	2.04	10

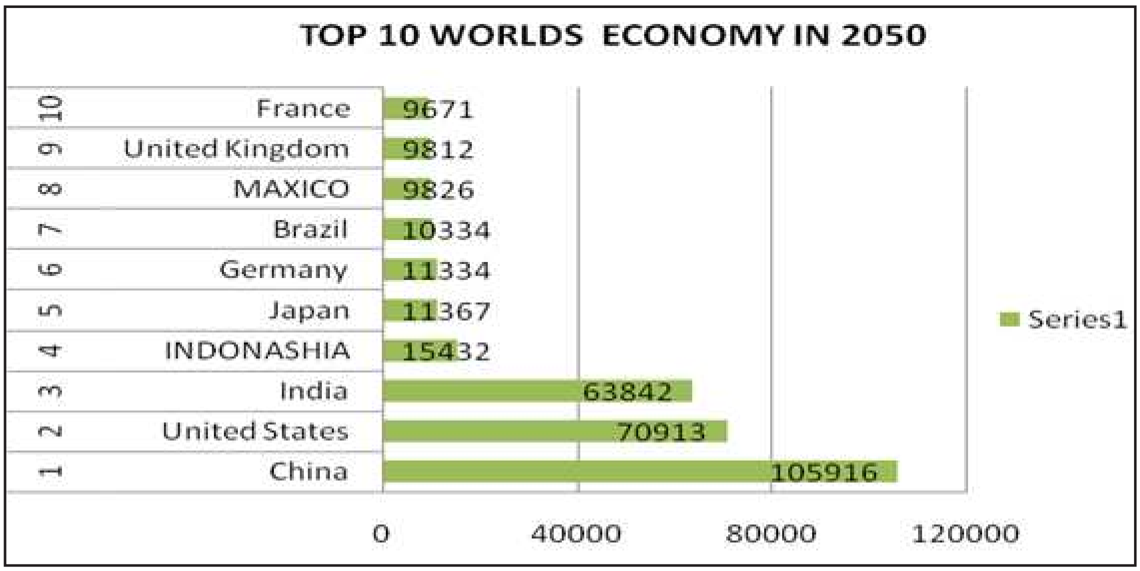

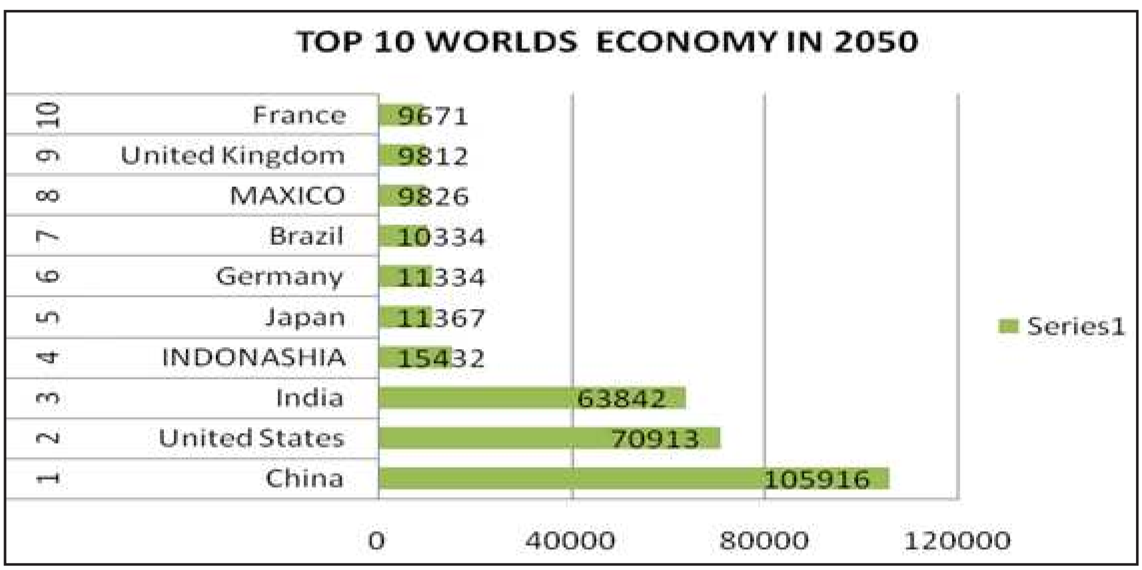

****

India's Import Trend Of Last Decade

Dr. Anu Mehta *

Key words - Imports, country and direction.

Introduction - To fulfill the needs of the country men and for the growth and development, a country has to depend upon imports. Our country India also make huge amount of imports which somewhere hampers the growth of the country. The new elected government in 2014 understands the fact very well that for any country to develop should try to reduce its foreign dependency through its domestic production of industalized products which will help reducing the dependency on imports. The government have already taken steps for imports substitution. One of the major programme was Make in India programme. Under this programme prime ministerNarendraModi, is focusing on to cut down the imports of inessential commodity in to reduce the dependency on the external world. Under this programme the start up India initiative focuses on three things: firstly, to simplify the rules and regulations for the young people of the country to take active participation in manufacturing sector. Secondly, holding their hands wherever they need help so that they can contribute in the country's growth and development as well as fulfill their dreams. Thirdly, helping them in financial aspect as it becomes a big barrier in their way. On the other hand the Modi government is concentrating on improving the value of the currency against dollar. This paper concentrates on sources of imports of last decade in India as well top most imports of the country.

Objectives :

1. To study the main sources of Indian imports of last decade.
2. To study the main commodities of Indian imports.
3. Major steps taken by the present elected government for reducing dependency on imports.

Research Methodology - This paper is purely based on the secondary sources of the data collected from books, journals, articles, RBI and other web links.

Direction of India's foreign trade - Over the years, India's trade with countries of the world has gone up substantially. Apart from that, India is now one of the major player in global trading system and all the major sectors if Indian economy are linked to world outside either directly or indirectly through international trade. An import in the receiving country is an export from the sending country. Importation and exportation are the defining financial transactions of international trade. In international trade, the importation and exportation of goods are limited by import quotas and mandates from the customs authority.

Given the significance of India's trade, an attempt has been made hereby to give an overview of India's foreign trade in 2015 and its comparative performance over the last year. The analysis has been undertaken for India's imports.

Graph 1 & 2 (see in last page)

Direction of Imports moving towards the Developing countries, particularly Asia, Africa and Latin American countries (LAC). Share of Asia, Africa and LAC regions increased sharply from 41% in 2004-05 to 74% in 2014-15. Of this share of Asia region rose from 36% to 59% during this period.

The Common wealth of Independent States (CIS) comprises the Russian Federation, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan (the last five countries jointly referred to as the Central Asian Republics). Important items of imports from this region to India are vegetable oils, pearl, precious and semi-precious stones, fertilizers manufactured, Iron and steel, silver, coal, coke and Briquittes etc., Copper and Products made if it. Inorganic chemicals, pulses, newsprint, etc, other six CIS countries are Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Ukraine is stood up as the largest trading partner of the CIS region which accounts for about 21.23 per cent of India's total trade with CIS region in 2015-16.

From the above data the imports from Asia in the year 2004-05 was about 36% of the total import which has gone up to 59% of the total imports of 2014-15, we can also see an increase of imports from other import sources like from LAC which has gone upto 7% as well as from Africa which has gone up to 8%. But we can see that the imports from Europe has declined from 23% to 16% in the year 2014-15. Asia accounted for 60.75% of India's total import during the period 2016-17 (April-October) (P), followed by Europe 15.53% and America 11.72%. Among individual countries the share of China (16.73) stood highest followed by U.S.A. 5.62% UAE 5.59%, Saudi Arabia 5.30% and Switzerland 3.80%.

India imported US$356.7 billion worth of goods from

*Assistant Professor, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA

around the globe in 2016, up by 33.9% from 2009 but down by -8.7% from 2015 to 2016. Of the total imports of the country in the year 2005-06 was US$ 1,49,166 million which is continuously rising as in the year 2006-07 I has gone upto US$ 185,735 million also in the year 2007-08 it was around US$ 251,654 million. In the year 2008-09 also there was further increase in million of the country and touched the level of US$ 3,03,696millions. If we look at the scenario of 2015-16, it was noticed that their was a decline in this year. Petroleum as well as non-petroleum products has shown a decline in the import bill due to fall in oil prices. Gold imports have also decreased by 7.8% y-o-y in 2015-2016 that has led to further decline in imports which can be clearly seen from the given table:

US$ billion

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
IMPORTS	489.1	490.2	448.8	447.6	379.1
POL	155.0	163.8	164.9	137.8	82.3
NON-POL	334.2	326.4	283.9	309.8	296.8
GOLD	56.3	53.7	27.5	34.4	31.8

Source: CMIE

During the year 2015-16, most of the major heads of imports have registered a negative growth. Imports have decreased on the account of fall in global oil prices. In 2015-16, the total trade of India has also fallen due to fall in both exports and imports resulting in lowest trade deficit in last five years. This fall is attributed to global factors such as decline in commodity prices and sluggishness in the Chinese economy besides a global slowdown.

Import cumulative value of imports during April-October, 2016-17(P) was US$ 208.70 billion as against US$ 233.42 billion during the corresponding period of the previous year which registered a negative growth of 10.59% in US$ term. Oil imports were valued at US$ 37.68 billion during April-October 2016-17 (P) which was 14.86% lower than oil import valued at US$ 44.26% billion in the corresponding period of previous year. Non-oil imports were valued at US$ 171.02 billion during April-October 2016-17 (P) which was 9.59% lower than non-oil imports of US$ 189.16 billion in previous year.

Graph 3 (see in last page)

India's main import partners are China, Saudi Arabia, UAE, Switzerland, USA, Indonesia, Qatar, Iraq, Nigeria and South Korea. Top ten Indian imports from China are electric equipment, machinery, organic chemicals, plastics, ships, boats, iron and steel, fertilizers, medical and technical equipment, iron or steel products and vehicles. Saudi Arabia exports to India amounted to $28.2 billion. Some of the items which we import from Saudi Arabia are mineral fuels, organic chemicals, plastics, gems, precious metals, aircraft, spacecraft, aluminium etc. Switzerland exports to India amounted to $ 22.1 billion which includes gems, precious metals, machinery, medical, technical equipment, electronic equipment, organic chemicals, cereals, pharmaceuticals, tanning and dyeing extracts etc.

Graph 4 (see in last page)

Total Imports of the financial year was US$ 447.5 billion. Major import items for the financial year 2015 were crude oil. India is heavily dependent on crude oil imports which is amounted to US$ 116.4 billion, Gold and silver which is the second most important item in Indian imports which amounted to US$ 34.4 billion, Pearl, precious semi-precious stones which amounted to US$ 22.5 billion, Petroleum products amounted to US$ 21.9 billion, Coal, coke and briquittes was US$ 17.7 billion, Telecom instruments US$ 14.7 billion, Iron and steel US$ 12.3 billion, Organic chemicals US$ 11.3 billion, Vegetable oils US$ 9.7 billion and plastic raw materials amounted to US$ 9.2 billion.

India is expected to grow at 7.6 percent in FY 2018, rising to 7.8 percent FY 2019-20. Various reforms are their which are expected to ease domestic supply bottlenecks and increase the productivity. India can take suitable measures as outlined in the FTP 2015-20 along with improving the regulatory environment and ease of doing business by increasing digitization of trade process, infrastructure development, working on building the Brand and value promotion will definitively will improve the business environment and attract more of FDI. A benefit of 'demonetization' in the medium run may ease liquidity in the banking system, leading to lower lending rates and boost of economic activity (World Bank, Global Economic Prospects, January 2017).

For facilitation of trade :

1. For facilitating trade many of government and semi-government organizations are working. Among them India Trade Promotion Organisation organized number of fairs in India as well as abroad and also arranged specialized events.
2. Commercial wings in Indian Missions/posts abroad: There are 66 formal commercial wings functioning in the Indian Mission/posts abroad, which are funded from the budget of the Department of Commerce. In addition, 40 other Indian Missions have been provided with commercial budget either to employ local marketing assistants for undertaking commercial and economic job or to carry out trade promotion activities. The commercial wings of our Mission abroad serve as an extension of the Department of Commerce to perform various tasks relating to India's trade with the concerned host country.
3. Export Promotion of Capital Goods (EPCG) Scheme: The objective of EPCG Scheme is to facilitate import of capital goods for producing quality goods and services to enhance India's export competitiveness. The EPCG Scheme allows import of capital goods on zero duty for pre-production, production and post production subject to an Export Obligation (EO) equivalent to six times of duty saved amount to be fulfilled in six years reckoned from authorization issue-date.
4. DGFT, in collaboration with IIFT, has launched "NiryatBandhu at your Desktop", this is an online certification programme for export import business.

5. Footwear Design and Development Institution (FDDI) is creating a pool of skilled manpower at all levels in tune with changing global environment.
6. Indian Institute of Packaging (IIP) acts as a facilitator for the export of hazardous goods by evaluating the quality of bulk packages and also issues certificates for export. The institute has so far trained around 32,500 packaging professionals.
7. Indian Institute of Plantation Management (IIPM) provides research support to Commodity Boards and also conducts management programmes on Agri Business and Plantation Management.

Conclusion - Objectives are set by the government and are directly linked to the government priority areas under various plans like National Sustainable Development Plan (NSDP) and many more for import substitution. The long-term vision of the Department of Commerce is to make India one of the major player in the world trade and assume a role of leadership in the international trade organizations commensurate with India's growing importance.

References :-

1. Personal Survey

India's Import: Shifting Southwards

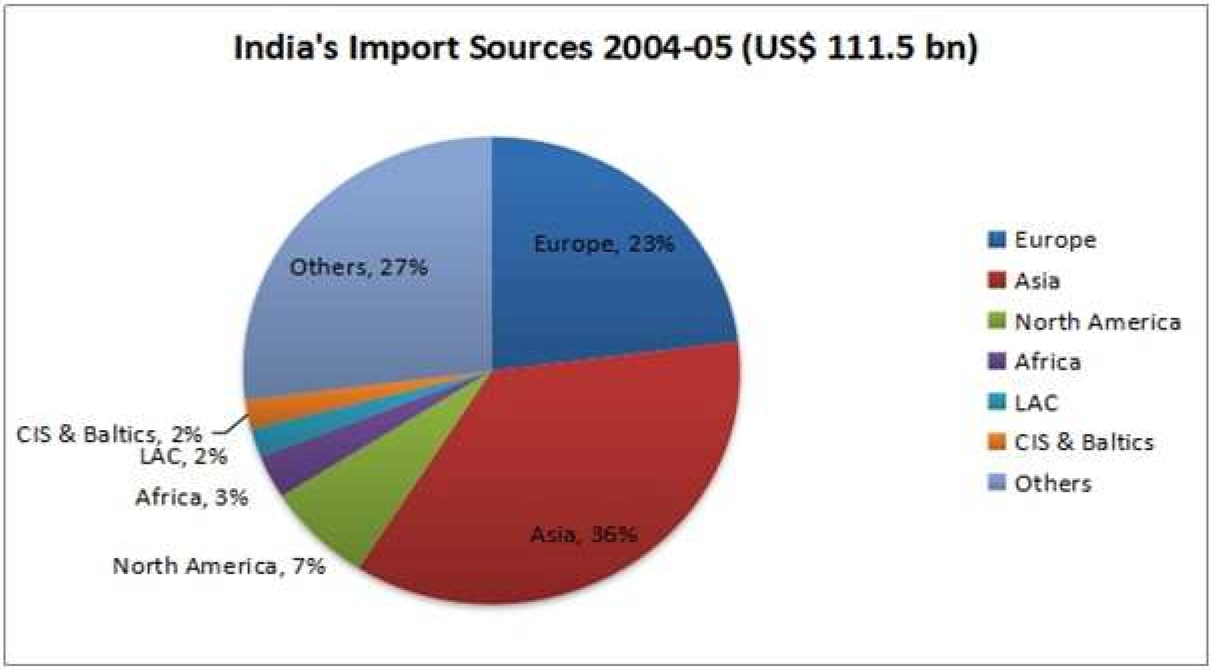

Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

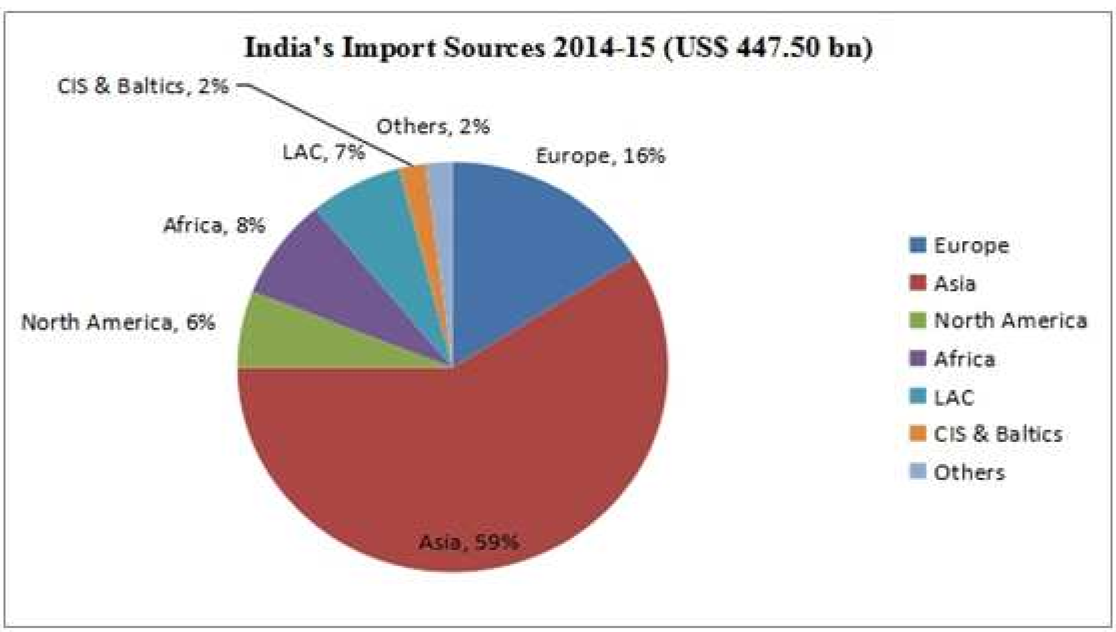

Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

TOP IMPORT SOURCES (FY 2015, US$ bn)

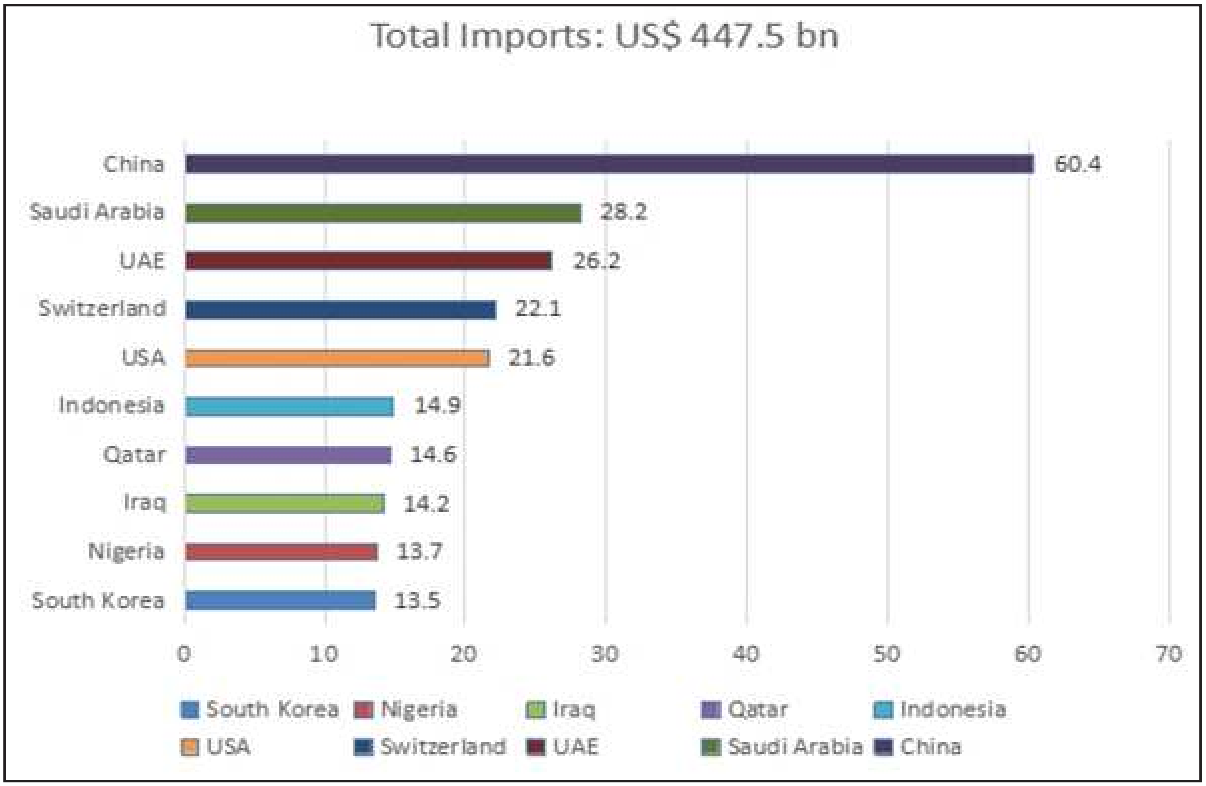

Top Import Items (FY 2015, US$ bn)

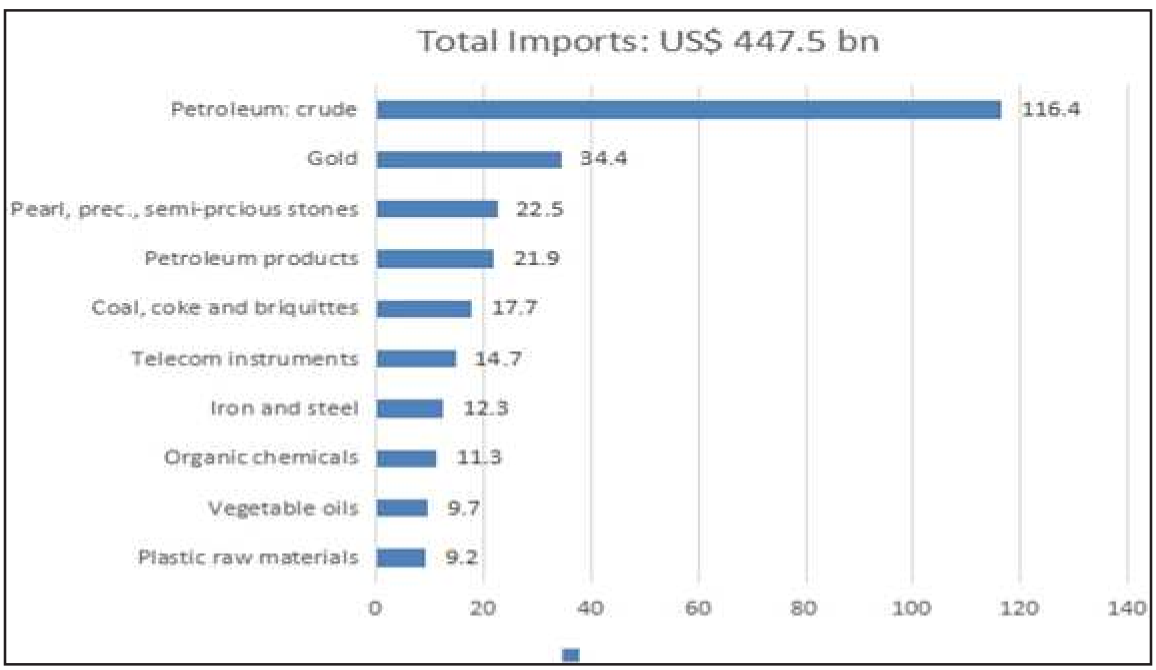

****

Financial Funding Pattern Of Services Under ICDS-An Analytical Review

Shraddha Tambe * Udey Kure **

Abstract - The Integrated Child Development Service Scheme is one of the largest programme which was started with the objective of improving child health, nutrition & development. **This paper has analysed & examined** the financial funding pattern of ICDS & its utilization in nutrition & feeding schemes, exploration of Anganwadi centers & cost sharing pattern between centre & state governments for services.
Key Words - Integrated Child Development Service [ICDS], Aganwadi Centres [AWCs], Women, Children, Revised Estimate [RE], Budget Allocation.

Introduction - Children in the age group 0–6 years constitute around 158 million of the population of India (2011 census). These children are the future human resource of the country. Ministry of Women and Child Development is implementing various schemes for welfare, development and protection of children. The details of the schemes and programmes undertaken for children are discussed in the succeeding paragraphs.

Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme- The Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme is one of the flagship programmes of the Government of India and represents one of the world's largest and unique programmes for early childhood care and development. It is the foremost symbol of country's commitment to its children and nursing mothers, as a response to the challenge of providing pre-school non-formal education on one hand and breaking the vicious cycle of malnutrition, morbidity, reduced learning capacity and mortality on the other. The beneficiaries under the Scheme are

Objectives of the Scheme are -

1. to improve the nutritional and health status of children in the age-group 0-6 years;
2. to lay the foundation for proper psychological, physical and social development of the child;
3. to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropout;
4. to achieve effective co-ordination of policy and implementation amongst the various department to promote child development; and
5. Enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education.
6. children in the age group of 0-6 years, pregnant women and lactating mothers.

Research design - The paper is an analytical review of services provides by ICDS program with the help of Anganwadi Centers.

Objective - To analyse the financial funding pattern of ICDS scheme, Exploration of Anganwadi centers & Cost sharing pattern between centre & state governments for services.

Data type and data collection - In this paper is based on secondary data sources. Which were collected from various secondary sources like-Different reports notifications and occasional papers, Policy of Government, Departments of Finance, Statistical Department and Gazetteers, Economic Survey, International and National Research Papers, Text books, Reports, Magazines like Business Standard, Business World, and Business Today etc. News papers, Government gazette, Economic Surveys etc.

Analysis & Interpretation - Package of services under ICDS- The ICDS Scheme offers a package of six services, viz.

i) supplementary nutrition
ii) pre-school non-formal education
iii) Nutrition & health education
iv) Immunization
v) Health check-up and
vi) Referral services

The perception of providing a package of services is based primarily on the consideration that the overall impact will be much larger if the different services develop in an integrated manner as the efficacy of a particular service depends upon the support it receives from the related services. For better governance in the delivery of the Scheme, convergence is, therefore, one of the key features of the ICDS Scheme. This convergence is in-built in the Scheme which provides a platform in the form of AWCs for

*Research Scholar (Commerce) Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA
**Sr. Assistant Professor, Mata Gujri College, Indore (M.P.) INDIA

providing all services under the Scheme.

Financial Funding Pattern - Prior to 2005-06, providing of supplementary nutrition was the responsibility of the States and administrative cost was provided by the Government of India as 100% central assistance. Since many States were not providing adequate funds for supplementary nutrition in view of resource constraints, it was decided in 2005-06 to support the States/UTs up to 50% of the financial norms or to support .50% of expenditure incurred by them on supplementary nutrition, whichever is less. Government of India modified the sharing pattern of the ICDS Scheme between the Centre and States in 2009-10. **(Table see in the last page)**

Cost sharing pattern between centre & state governments - For Union Territories, the ICDS Scheme will be funds 100% by the Central Government. The Ministry has formulated a specific project on ICDS called, "ICDS Systems Strengthening and Nutrition Improvement Project" run with financial assistance from the International Development Association (IDA). This project is assisted by World Bank. Population Norms for setting up of cover all habitations, particularly keeping in AWCs/ Mini-AWCs view those inhabited by SC/ST/Minorities.-

The revised population norms for setting up of AWCs and Mini-AWCs are as under:

Population Norms under ICDS	
For AWCs in Rural/Urban Projects	
400-800	1 AWC
800-1600	2AWCs
1600 -2400	3 AWCs
Thereafter Multiple of 800	1 AWC
For Mini-AWC	
150-400	1 Mini-AWC
For Tribal/Desert, Hilly and other difficult areas/ Projects	
300-800	1 AWC
For Mini-AWC	
150-300	1 Mini-AWC
Anganwadi on Demand (AOD)	
Where a settlement has at least 40 children under 6 years of age but no AWC	

Source- http://icds-wcd.nic.in/icds/

Revised Nutrition and Feeding Norms under Supplementary Nutrition Component of ICDS (revised w.e.f 24 February 2009) - Provision of supplementary nutrition under the ICDS Scheme is primarily made to bridge the gap between the Recommended Dietary Allowance (RDA) and the Average Daily Intake (ADI) of children and pregnant and lactating women. Under the revised Nutritional and Feeding norms which have been made effective from February 2009, State Governments/UTs have been directed to provide 300 days of supplementary food to the beneficiaries in a year which would entail giving more than one meal to the children from 3-6 years who come to AWCs. This includes morning snacks in the form of milk/banana/ egg/seasonal fruits/micro-nutrient fortified food followed by a Hot Cooked Meal (HCM). For children below 3 years of age and pregnant and lactating mothers, age appropriate Take Home Rations (THRs) in the form of pre-mix/ready to-eat food are provided. Besides, for severely underweight children in the age group of 6 months to 6 years, additional food items in the form of micro nutrient fortified food and/or energy dense food as THR have been recommended. These norms have also been endorsed by the Supreme Court in order dated 22.04.2009. The extent of nutritional supplements to different types of beneficiaries is indicated below:

Revised Nutritional Norms in ICDS-

Beneficiaries	Calories [cal]	Protein (g)
Children (6 months to 72 months)	500	12-15
Severely Malnourished Children (6 months-72 months)	800	20-25
Pregnant Women and Lactating Mothers	600	18-20

Source-Annual Report on Icds,2016-17

Expansion of ICDS - Launched in 1975 in 33 Blocks (Projects) with 4891 AWCs. Gradually expanded to 5,652 Projects with nearly 6 lakh AWCs by the end of 9th Plan. Currently 7,076 Projects and 14 lakh AWCs have been approved. This also includes a provision of 20,000 AWCs 'on demand'. All 14 lakh AWCs have been sanctioned to the States/UTs.

Revised Financial Norms - Financial Norms of Supplementary Nutrition have been revised w.e.f. 22.10.2012 to be rolled out in phased manner under the Restructured ICDS.

Revised Financial Norms for Supplementary Nutrition under ICDS (Table see in the last page)

The revised rates followed the phasing of the programme in selected 200 high burden districts in 2012-13 and subsequently in 200 districts in 2013-14 and remaining districts in 2014-15 on the existing cost sharing ratio of 50:50 between the Centre and the State other than NE States where it will continue to be on 90:10 basis.

Financial progress during the XI and XII Plan Period - Budget Allocation and Expenditure under ICDS Scheme during the Eleventh Plan and the XII Plan. **(Table see in the last page)**

Conclusion - ICDS Launched in 1975 with only 4891 AWCs and now today after 40 Years ICDS expansion is more than 14 Lakhs AWCs in all India States/UTs with effecting result in growth of Women Health and Child Development. The Result depends on the effecting involvement of Center and State Government Funding with ratio 60:40.Government funding process is year by years increase depends on population growth as well as Schemes. If the financial norms are not revised so it is difficult to achieve these 14 Lakhs AWC figure. These gratification helpful in growth of AWCs and Women Health and also reduced the incidence of mortality, morbidity and malnutrition and school dropout.

The Role of AWC is also very admirable to achieve the goal of ICDS and the responsibilities of AWC are also increasing day by day. Future aspects from AWC are to give information of ICDS Schemes to beneficiaries and improve health and nutrition of Child and women to utilize the Funds in right manners.

Suggestions -

- The government should take the full cognizance of the Supreme Court that mandates the Universalization of ICDS- namely "extending all ICDS services (supplementary nutrition, growth monitoring, nutrition and health education, immunization, referral and pre-school education) to every child under the age of six years, all pregnant women, and lactating mothers and all adolescent girls."
- The functions of ICDS have to be separated, with a specialized person to provide pre-school education and another trained worker to take charge of the health and nutrition aspects of the programme. Further, there must be coordination between the health and education departments to provide these services efficiently.
- The ICDS should be well equipped with basic infrastructure like separate kitchen, physical space to operate efficiently and effectively
- The AWWs and AWHs should be recognized as part of government employee and there should be a proper management information system (MIS) regarding effective functioning of ICDS.

References :-

1. Barman, N R. 2001. Functioning of Anganwadi Centre under ICDS Scheme: An Evaluative Study. Jorhat, Assam. DCWC Research Bulletin, XIII (4): 87.
2. Das Gupta, Monica, Michael L, Oleksiy I 2004. A Report on Evaluation of ICDS Programme across States: India's Integrated Child Development Services Nutrition Program: Who Does It Reach and What Effect Does It Have? Development Research Group, World Bank. From< http: //paa2005.princeton.edu/download.> (Retrieved on April 12, 2013)
3. Govt. of India. 2010. ICDS Evaluation Report, Dept. of Women and Child Development. Ministry of Human resources \ Development, New Delhi.
4. Parikh, P and K. Sharma. 2011. Knowledge & Perceptions of ICDS Anganwadi workers with Reference to Promotion of Community Based Complementary Feeding Practices in Semi Tribal Gujarat. Indian Journal of Community Medicine,
5. UNICEF, 2011. Respecting the rights of the Indian child". UNICEF, New Delhi..
6. Integrated Child Development Services. Available from: http://wcd.nic.in/icds.htm. [Accessed 2012 May 22].
7. Evaluation report on ICDS. Programme Evaluation Organisation Planning Commission; Govt. of India March 2011
8. Annual General Report of UNICEF.
9. Annual General Report of Govt. Of India. ICDS.
10. Annual Report 2016-17, Ministry of Women & Child Development, Government of India.
11. http://icds-wcd.nic.in/icds/
12. http://icds.gov.in

Financial Funding Pattern

Items	2009-10	2016-17
Supplementary Nutrition	50:50[90:10 for NER states]	50:50[90:10 for NER & 3 Himalayan states]
ICDS General	90:10	60:40[90:10 for NER & 3 Himalayan states, including new components under restructured ICDS]
New Components approved under restructured ICDS	75:25 [90:10 for NER states]	60:40

Source-http://icds-wcd.nic.in/icds/

Revised Financial Norms for Supplementary Nutrition under ICDS

Category	Existing normsper beneficiary per day [w.e.f. 16-10-08]Rs.	Revised cost normsPer day [as per phased roll-out] Rs.
Children(6 months to 72 months)	4.00	6.00
Severely Malnourished Children (6 months-72 months)	6.00	9.00
Pregnant Women and Lactating Mothers	5.00	7.00

Source - Annual Report on Icds,2016-17

Budget Allocation and Expenditure under ICDS Scheme during the Eleventh Plan and the XII Plan

Sl.No	Year	Budget Allocation (BE)Rs.in crore	Budget Allocation (RE)Rs.in crore	Expenditure Rs.in crore	Percentage w.r.t RE%
1	2007-08 [11th plan]	5293.00	5396.30	5257.09	97.42%
2	2008-09	6300.00	6300.00	6379.36	101.25%
3	2009-10	6705.00	8162.00	8157.76	99.94%
4	2010-11	8700.00	9280.00	9763.11	105.20%
5	2011-12	10,000.00	14048.40	14272.21	101.59%
6	2012-13 [12th plan]	15,850.00	15.850.00	15701.50	99.06%
7	2013-14	17,700.00	16,312.00	16267.49	99.73%
8	2014-15	18,195.00	16561.00	16581.82	100.12%
9	2015-16	8335.77	8335.77	15438.93	99.71
10	2016-17 (13/12/2016)	14000.00	14000.00	12220.73	87.29

Source - Annual Report on Icds,2016-17

****

An Analysis Of Investment Avenues & Saving Preferences Of Service Class Peoples

Dr. Sarika Jindal * CA Mukesh Agrawal **

Abstract - Manuscript Type: Empirical. Research Question/Issue: The present paper attempts to evaluate the saving preferences of government and non-government employees in today's scenario.

Research Findings/Results: Using the survey of 40 employees It is observed that among the sample investment avenues the Real-Estate is the first preferred choice for the respondents to invest their money for saving and second one is the Gold/Silver schemes. The least choice in the given schemes for the respondents is Equity and Post office-NSC.

Theoretical Implications: The results of the study support theoretical arguments that So there is a significant relationship between the investment avenues and the investment choices.

Practical Implications: The most important objective of 86% respondents is GROWTH, 31% is for Tax Efficient Cash Flow Generation and 3rd Highest I.E. 22% is for Capital Preservation.

Keywords - Investment Avenues, Saving Preferences, Service class, Real Estate, Growth.

Introduction - There are a large number of investment instruments available today. To make our lives easier we would classify or group them. In India, numbers of investment avenues are available for the investors. Some of them are marketable and liquid while others are non marketable and some of them also highly risky while others are almost risk less. The people has to choose Proper Avenue among them, depending upon his specific need, risk preference, and return expected Investment avenues can broadly categories under the following heads.

1. Equity
2. FI Bonds
3. Corporate Debenture
4. Company Fixed
5. Bank Fixed
6. PPF
7. Life Insurance
8. Post Office-NSC
9. Gold/Sliver
10. Real Estate
11. Mutual Fund
12. Others

Review of Literature - Many empirical studies suggest the evidence that the year's variation in growth rate of Indian economy has been one of the lowest. In view of this fact, the role of savings and investment in proving the fundamental growth impulses in the economy cannot be overemphasized.

Krishnamoorthi (2009) studied the investment behavior of 200 respondents belonging to Coimbatore district in Tamil Nadu, and found that irrespective of the developments in the capital market /economic conditions, investors like to invest regularly and this investment behavior is highly related to educational background, their occupation, reading habit of investment news and the time taken for investment decision making process.

Manish Mittal and Vyas (2008) Investors have certain cognitive and emotional weaknesses which come in the way of their investment decisions. Over the past few years, behavioral finance researchers have scientifically shown that investors do not always act rationally. They have behavioral biases that lead to systematic errors in the way they process information for investment decision.

Many researchers have tried to classify the investors on the basis of their relative risk taking capacity and the type of investment they make. Empirical evidence also suggests that factors such as age, income, education and marital status affect an individual's investment decision.

Objectives of the study :

1. To analyze the factors which affect saving preferences of government and non- government employees.
2. To examine the preference of investors towards various types of investments.
3. To analyze customer satisfaction for different investment.
4. To study the attitude of the respondents towards different investment choices

Research Methodology :

* Principal, Indore Management Institute and Research Centre, affiliated to DAVV, Indore (M.P.) INDIA
** School of Commerce, DAVV, Indore (M.P.) INDIA

Research design - Descriptive in nature- research design is descriptive in nature as it involves studying the perceptions and expectations of customers in order to measure the service quality provided by the service provider**.**
Sampling method: - Convenience method.
Sampling size:- 40
Sampling Area: - Indore (M.P.)
Tools for data Collection:
Primary Data - Primary data for the study has been collected through structured Questionnaire in 5. Likert scale
Secondary Data - secondary data for the study has been collected through news paper, journals, articles, magazines, blogs etc
Tools for data analysis - The data is analyzed by using Chi Square Factor Analysis.
Analysis and interpretation - The data has been collected through questionnaire and analysed further as follows:-

Q1. Investment choice

Investment options	%
Equity	30
Debenchers	14
Company Fixed	8
Bank Fixed	53
Public Provident Fund	25
Life Insurance	47
Post Office-Nsc	6
Real Estate	25
Gold/Silver	31
Mutual Funds	44
Others	17
Total	**300 ***

*People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.

Interpretation - From the above data, we analyze that the investment choices are like, 30% for equity, 14% for debenchers,8% for company fixed,53% for bank fixed,25% for ppf,47% for life insurance,6% for post office-NSC,25% for real state,31% for gold/silver, 44% for MFs and 17% for others

Q2. Management Of Investment

Alone	58
With your banking institution or insurer	33
With a property holding agency	17
Other	0
Total	**108***

*People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.

Interpretation - From the above data, we analyze that 58% manage their investment alone, 33% mange with their banking institution, 17% manage with a property holding agency and 0% for others.

Q3. Primary Objective For Investment

To assure the safety of my principal.	28
To generate income.	75
To achieve a particular investment goal.	42
To accumulate assets for retirement.	17
Other	0
Total	**162***

*People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.

Interpretation - From the above data, we analyze that the primary objective of 28% is to assure the safety of their principal, 75% is to generate income, 42% to achieve a particular investment goal, 17% is to accumulate assets for retirement and 0% for others.

Q4. Attitude toward taxes and return

I prefer to incur as little taxes as possible and i am willing to potentially sacrifice some after-tax returns to do so.	27
I prefer to maximize my after-tax returns. If I incur taxes doing so, it is not a big concern.	27
I prefer to strike a balance between earning potentially higher after-tax returns and some focus on minimizing taxes.	52
Total	**106***

*People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.

Interpretation - From the above data we analyse that the attitude towards taxes and returns describes that of 27% prefer to incur as little taxes as possible and i am willing to potentially sacrifice some after-tax returns to do so, 27% prefer to maximize my after-tax returns. If I incur taxes doing so, it is not a big concern and 52% prefer to strike a balance between earning potentially higher after-tax returns and some focus on minimizing taxes

Q5. Rank of options for insurance? -
Table 5 (see in last page)
Interpretation - From the table 5 data, we analyze that 11% gives excellent rank for Life Insurance in Insurance schemes, 14% gives rank very good to it, 6% gives rank good to it and so on for health insurance 12% gives excellent rank, 8% gives rank very good to it. that 6% gives excellent rank for Auto scheme in Insurance schemes, 8% gives rank very good to it, 4% gives excellent rank for Umbrella schemes in Insurance schemes, 4% gives rank very good to it, that 5% gives excellent rank for Homeowners in Insurance schemes, 5% gives rank very good to it, 20% gives rank good to it, 10% gives rank average to it and 0% finds it poor in rank to invest in this scheme.

Q6. rank of saving schemes –
Table 6 (see in last page)
From the table 6 data, we analyse that 5% gives excellent rank in investing in Equity, 10% gives rank very good to it, that 2% gives excellent rank in investing in Debenchers, 10% gives rank very good to it, 13% gives rank good to it, 6% gives rank average to it and 9% finds it poor in rank to invest in this scheme. that 3% gives excellent rank in investing in Company Fixed, 3% gives rank very good to it, 17% gives rank good to it, that 11% gives excellent rank in investing in Bank Fixed, 8% gives rank very good to it. that 8% gives excellent rank in investing in real e,8% gives rank very good to it , 8% gives rank good to it ,that 0% gives

excellent rank in investing in Mutual Funds, 11% gives rank very good to it, and 6% finds it poor in rank to invest in this scheme. that 8% gives excellent rank in investing in Life Insurance schemes, 19% gives rank very good to it, 0% gives rank good to it, 3% gives rank average to it and 3% finds it poor in rank to invest in this scheme. that 8% gives excellent rank in investing in post office-NSC schemes, and 3% finds it poor in rank to invest in this scheme that 11% gives excellent rank in investing in real estates, 6% gives rank very good to it, and 3% finds it poor in rank to invest in this scheme. that 11% gives excellent rank in investing in gold/silver, 11% gives rank very good to it, and 3% finds it poor in rank to invest in this scheme.

Q7.What is your most important objective?

CAPITAL PRESERVATION	22
GROWTH	86
TAX EFFICENT CASH FLOW GENERATION	31
TOTAL	**139**

*People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%

Interpretation - From the above data, we analyse that the objective of 22% persons is capital preservation, 86% persons is growth and 31% people wants tax efficient cash flow generation.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.608
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square	170.356
df	45
Sig.	.000

Value of chi square is much higher than the standard value. So there is a significant relationship between the investment avenues and the investment choices. So the null hypothesis rejected and the alternate hypothesis is accepted.

Communalities

Variables	Initial	Extraction
EQUITY	1.000	.694
DEBENCHER	1.000	.846
COMPANY FIXED	1.000	.779
BANK FIXED	1.000	.753
PPF	1.000	.726
MUTUAL FUNDS	1.000	.836
LIFE INSURANCE	1.000	.827
POST OFFICE-NSC	1.000	.386
REAL ESTATE	1.000	.919
GOLD SILVER	1.000	.914

Extraction Method: Principal Component Analysis

Interpretation - From the above data we analyze that the Real-Estate is the first preferred choice for the respondents to invest their money for saving and second one is the Gold/ Silver schemes. The least choice in the given schemes for the respondents is Equity and Post office-NSC.

Conclusion - The study on Saving Preferences of Government and Non-government employees has been undertaken with the objective, to analyze the saving preferences choice of people in Indore. Analysis of the study was undertaken with the help of survey conducted. After analysis and interpretation of data it is concluded that in Indore (M.P.) respondents are medium aware about various investment choices and they have very limited knowledge about stock market, equity, bound, NSC. The study is conducted by taking a limited number of sample sizes which is stated earlier. And this study reflects the perceptions of those respondents who are residing in Indore. There might be a chance that the perceptions of the respondents of different are varied due to diversity in social life, living pattern, income level etc. All the age groups give more important to invest in Insurance, Real-Estate, Gold/Silver and bank deposit. Income level of a respondent is an impotent factor which affects portfolio of the respondent. Middle age group, Lower income level groups respondents are preferred to invest in ,Gold/Silver, Insurance, PPF, debenchers and bank deposit rather than any other investment avenues. In Indore respondents are more aware about various investment avenues like Real-Estate, Gold/ Silver, Insurance, PPF, bank deposits, small savings like post office savings etc. For that awareness program has to be conducted by Stock Brokering firms

References :-

1. Bruner.R.F.,(2007), Case Studies in Finance, 5th Edition, Tata McGraw Hill, New Delhi-8.
2. Prasanna Chandra, (2006), Financial Management Theory and Practice, 6th Edition, Tata
3. McGraw Hill.
4. Khan & Jain, (2005), Financial Management, 3rd edition, Tata McGraw- Hill Publishing.,
5. Donald E Fischer, Ronald J Jordan., (1995), Security Analysis and Portfolio Management,
6. Prentice Hall
7. Openiyi, F.O. 1982. Saving Investment Behaviour of Farm Household in Ikale and Ilaje/Ese-Odo LGA of Ondo State, Nigeria. Unpublished B. Agric. Project Report. Pp 11, 35.
8. Ayanwale, A.B. and A. S. Bamire. 2000. ''Rural income, savings and investment behavior among farmers in Osun state of Nigeria." The Indian Journal of Economics, LXXXI(320): 49-60.
9. Richard J Thaler, (1999), 'Mental Accounting Matters' , Journal of Behavioural
10. Decision making, 12, pp 183-206.
11. Slovic, P. (1972). 'Psychological study of human judgment: Implications for
12. investment decision making', Journal of Finance, 27:779-801.
13. Kothari, C.R., (2004) Research Methodology-Methods and techniques,New Age international publishers, New Delhi.
14. Somasundaran, V.K., (1998), A study on Savings and investment pattern of salaried class in Coimbatore district, T122, Bharathiyar University, Coimbatore.

Q5. Rank of options for insurance? -

	Life insurance	HealthCare Insurance	Auto	Umbrella	HOMEOWNERS
EXCELLENT	11	12	6	4	5
VERY GOOD	14	8	8	4	5
GOOD	6	6	3	10	20
AVERAGE	6	11	17	16	10
POOR	3	3	6	6	0
TOTAL	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**

Q6. rank of saving schemes –

RANK	EQUITY	DEBE NTURES	Company Fixed	BANK FIXED	PPF (public provident fund)	MUTUAL FUNDS	Life Insur ance	Post office	Real Est ates	GOLD/ SILV ER
EXCELLENT	5	2	3	11	8	0	8	8	11	11
VERY GOOD	10	10	3	8	8	11	19	3	6	8
GOOD	12	13	17	6	8	11	0	11	6	6
AVERAGE	1	6	6	6	3	6	3	8	8	3
POOR	12	9	6	3	6	6	3	3	3	3
TOTAL	**40**	**40**	**35**	**34**	**33**	**34**	**33**	33	**34**	**31**

Descriptive Statistics

Variables	Mean	Std. Deviation	Analysis N
EQUITY	3.00	1.396	40
DEBENCHER	3.39	1.159	40
COMPANY FIXED	3.20	1.054	40
BANK FIXED	2.49	1.381	40
PPF	2.78	1.423	40
MUTUAL FUNDS	3.15	1.216	40
LIFE INSURANCE	2.71	1.289	40
POST OFFICE-NSC	2.95	1.482	40
REAL ESTATE	2.54	1.380	40
GOLD SILVER	2.39	1.321	40

****

GST And Its Implication On E-Commerce

Tapan Kaushal *

Abstract - E-Commerce industry in India is growing at a dynamic rate. At present India is the fastest growing e-commerce giant in the world. Recording a dynamic growth Indian traditional market is shifting towards the digital market. Share of E-Commerce in country's GDP is growing rapidly. GST is basically an indirect tax levied on the sale of goods and services. Applicability of GST is going to remove all indirect taxes and a single tax system will be implemented. GST is considered as a solution to several complex taxes being encountered by the E-commerce companies in the retail sector as on the implementation of GST several central and state taxes will be amalgamated to a single tax system which would mitigate cascading or double taxation and will bring clarity in online business space. GST is tax system which will influence the relationship between the sellers and e-commerce companies. GST is a destination tax, the compliances of law will be the e—commerce websites responsibility not of those sellers who are registered on the sites. Companies seem to be on the happier side as their will be seamless movement of goods. On the other hand, small sellers who are registered on various e-commerce sites are worried about lengthy process which they will have to follow to file refunds from the government for tax paid on inputs which E-Commerce companies will not be able to account for. One of the main concerns among the E-Commerce companies and seller is tax collection at source which would create confusion among them. As a consumer oriented ecommerce, companies will bring the focus on building a picture perfect supply chain and logistics network that will help in fulfilling the customer orders throughout the country. As complexities of entry tax and other processes will be tremendously reduced with the upcoming GST and therefore new horizons and abundant opportunities would be available for new marketers in e-commerce. GST model is incorporating a separate chapter on E-commerce transactions. Therefore in this particular research paper an attempt is made to analyze the impact of GST model on E-commerce.
Keywords - E-commerce, GST, Internet.

Introduction - GST - GST may be defined as a tax on goods and services, which is charge at each point of sale or provision of service, in which at the time when goods were sold or services are provided by the seller or service provider will claim input credit of tax which they had paid while purchasing the goods or procuring the services.GST is implemented in about 160 countries throughout the world. France being the first country to implement GST in 1960.

The Goods and Services Tax Bill , officially known as The Constitution (One Hundred and twenty second Amendment) Bill, 2014, proposes a national value added tax will be implemented in India from next financial year i.e. from 1st April 2017."Goods and Services Tax" are those indirect tax charge on manufacture, sale and consumption of goods and services throughout the country, to replace existing taxation method. Goods and Services Tax would be implemented and collected at each stage of sale or purchase of goods or services based on the input tax credit method. This method will allow GST-registered business organization to claim tax credit to the value of GST they had paid on purchase of goods or services as part of their normal transacting activity. Taxable goods and services are not distinguished from one another and going to taxed at a single rate in a supply chain till the goods or services reach the final consumer. Administrative responsibility would generally rest with a single authority to levy tax on goods and services. Need for GST model in India is created far away as Present system allows for multiplicity of taxes, the introduction of GST is likely to rationalize it. Many areas of Services which are untaxed which not showing any earning to govt. After the introduction of GST they will also get covered. GST will help to avoid distortion caused by present compound tax structure and will lead to development of a common national market. Existing taxes i.e. Excise, VAT, CST, Entry Tax have the cascading effects of taxes. Therefore, business houses end up in paying tax on tax. GST will replace existing taxes. Introduction of GST will do more than simply redistribute the tax burden from one sector or Group in the economy to another. Achieves, uniformity of taxes across the territory, regardless of place of manufacture or distribution. Provides, greater certainty and transparency of taxes. Ensure tax compliance across the country. GST will avoid double taxation to some extent.

GST is not going to be an additional new tax but will

* Research Scholar (Commerce) Dr. H.S.G. Central University, Sagar (M.P.) INDIA

replace other existing taxes. GST is a simple, transparent, and efficient system of indirect taxation. The structure facilitates taxation of goods and services in an integrated manner. GST is basically a tax on final consumption. It will help in eliminating tax induced economic distortions and gives boost to the economy. On indirect tax front, India is all set to lead into the era of all new tax called 'Goods and Service Tax' which will bring in India at par with over 10 developed Nations of the world. It is going to be the biggest tax reform ever introduced in Independent India.

E-Commerce - E-commerce stands for electronic commerce. E-commerce is civilizing standard among the business community in worlds. E-commerce as part of the information technology revolution became broadly used in the world trade in general and Indian economy in particular. With improvements in technology, there have been a lot of changes has been adopted. Electronic Commerce is more than just buying and selling products online. It also includes the entire online route of developing, marketing, selling, delivering, servicing and paying for products and services. India has shown tremendous growth in the E-commerce segment. E-Commerce had become an important tool for small and large businesses worldwide. Although the shift to online purchasing from traditional method is taking a bit time in Indian market due to low internet penetration and awareness among the general public. For traditional businesses, one research stated that information technology and worldwide e-commerce is a good opportunity for the rapid development and growth of enterprises. Categories of E-commerce B2B(Business-to-Business),B2C(Business-to-Consumer),C2B(Consumer-to-Business),C2C(Consumer-to-Consumer).

The Indian economy has been consistently showing good signs of growth, with the average GDP growth rate at 7.5% in 2015-16. The retail sector is showing a promising trend of 11%.Although, currently the total e-Commerce share in India accounts for less than 3% of the total retail spending. India is developing rapidly towards e-commerce market trends day by day. The internet user base in India might still be mere 462 million which is much less as compared to the other developed countries but its surely expanding day by day. As per the last three years there is a rapid change in the scenario of ecommerce in India.

GST And E-Commerce - The services by e-commerce websites is currently charged a service tax at rate of 14.5% (15% from June 2016) under GST this would increase to 18% (assuming standard rate). The goods trade on e-commerce platforms are usually charged at lower VAT rate of 5-6% or higher rate of 12-14% based on established VAT rate of the state where seller is located and based on nature of transaction (intra or interstate). However under GST the applicable rates would may be 12% (merit rate) or 18% (standard rate). All these changes are likely to lead to price escalations at least in startup phase of roll out. However, currently sellers are not availing input on the 14.5% service tax paid to market place (Amazon, Flipkart, Snapdeal etc.) and logistics companies and these costs stick to the product. Under GST since input going to be available on these expenses, resultant elimination of cascading effect would lead to reduced tax liability for seller resultant in lower price to end customer in the long run. As interstate transactions would become tax neutral vis-à-vis local sales under GST, the market for a seller would be centralized. Although tax rate is proposed to be uniform across the country, there would still be 3 rates (merit rate of 12%, standard rate of 18% and luxury rate of 40%) and with dual type GST model there would be CGST (Central), SGST (state) and IGST (integrated). For e-commerce companies who buy stocks in bulk, store inventory and sell, in place of 12.5% Excise they will have to pay out 17-18% GST thus driving up prices. There will also be taxed on unsold inventory held in warehouses.

Review Of Literature :

1. (Nagpal, 2016) As focused on bane of GST on E-Commerce and showed that GST is basically an indirect tax levied now on the sale of goods and services and is expected to be a solution to several complex tax being encountered by the E-commerce companies in the retail sector. The introduction of GST which is a destination tax is expected to end the clash between the states to tax e-commerce transactions. The implementation of GST for an e-commerce company can give them a much needed relief from the recurrent sales tax demands, investigations, and stoppage of goods at the check post but also built challenges like determining threshold limit, increase on accounting burden.
2. (gupta, 2014) In her paper titled "Goods and Service Tax: It's impact on Indian Economy" derived that integration of GST taxation would lead India to a world class tax system and tax collections will be enhanced. She stated implementation of GST will create business friendly economic environment as price level and inflation rates would come down over a period of time due to uniform tax rates She concluded that GST may lead to collective gain for industry, trade, agriculture and common consumers as well as for the Central Government and the State Government.
3. (Ningombam, 2007) They focused upon the emerging trend and issues in the ecommerce sector in the wake of new knowledge economy. They determined that the overall impact of ecommerce will be positive for Indian market if it opens new opportunities properly in all sectors such as small, medium and large and to remove all IT hurdles and making it work smooth and fast. In order to compete globally, entrepreneurs will have to make use of ecommerce to the maximum extent.

Objectives - The objective of this study is to find out the impact of upcoming GST model on E-tail industry.

Methodology - This study is descriptive and analytical in nature and based on secondary data collected from various websites, published journals and magazines.

Impact Of GST On E-Commerce :

The Positive Impact Of GST On E-Commerce :

1. **Creation of Centralized market -** As there will be single tax rate system throughout the country, which will lead to help the seller to sell his product throughout the country without any hurdles . As in current tax system there are lot of hurdles like interstate tax, check post formalities etc which going to be remove by the adoption of GST.

2. **Transparent tax system -** GST is one of the most transparent tax amendment ever made in Indian history it will solve the main problem of cascading taxes. That the GST will offset it is a huge breather, a few founders of e-commerce companies said. It will reduce the scope of corruption in the economy as a whole; It will increase the tax base as more firms will come under the tax regime which ultimately increases the tax revenue collection for the government

3. **Seamless Movement of goods -**Currently, Indian inventory spend (losses, obsolescence, wastage) can be up to 50-60 percent. Seamless movement of goods across the country could mean this lost inventory spend being available to deploy in productive value creation to further propel economy's growth

4. **Reduce overall cost -** It will reduce the overall cost of goods and services to final consumer as cascading of taxation will be overcome, it will facilitate free flow of goods and services and thereby reducing overall transaction cost. Since intermediaries in the supply chain can claim the tax credit which will reduce the cost the cost of doing business.

5. **Legal obligations -** For paying GST, 13or15 digit PAN-linked identification number with Income tax will be allotted which will ease the tax payment system; the taxation burden will be divided equitably between manufacturing and services, through a lower tax rate by increasing the tax base and minimizing exemptions.

Challenges Of GST Implication On E-Commerce

1. **Compliance and accounting burden -** According to the drafted bill, the e-commerce industry will be liable to collect TCS (tax collected at source) on the supply of goods and services made by the supplier. It will be the responsibility of e-commerce company to file monthly and annual returns. Also, the supplies report submitted by the e-commerce firm will be matched with the details given by the supplier in his return file for outward supplies and in case of a mismatch, the output liability of the vendor will be re-determined. This is likely to be an accounting nightmare for e-commerce firms. While a uniform tax law going to help e-commerce firms offset the tax against output tax, this is going to be an additional burden on e-commerce firms such as Amazon, Flipkart, Snapdeal and ShopClues. Till now the tax liability was of the seller not of e-commerce companies but now the government will pass on the responsibility to the e-commerce operator. This going to lead the cost of compliance of the companies.

2. **Working capital issues for small sellers -** While the GST has proposed to exempt small business houses with annual turnover of less than Rs.10 lakhs, it expected that e-commerce platforms have to collect tax on every transaction no matter how tiny the seller might be. This essentially means that a small seller register on platform will perpetually going to end up paying tax and would later apply for a refund. This could be a major issue for small and medium business firms that work on very tight working capital. This clause, which is not applicable to manual or offline sellers, will hurt the working capital requirement of these sellers as they work on small margins to provide affordable rates to consumers.

3. **Accounting for cash on delivery, returns and cancelled orders to impact cash flows -** E-commerce in India has a return or cancellation rate of about 15-18%. Also, more than two-third of the transactions in the country are still on cash on delivery (COD)mode and the cash reconciliation for e-commerce firms happens about 7-15 days later. Deducting tax at source would require e-commerce firms to bear the tax amount from their own capital and later seek refund from the government in case of returns and cancellations.

4. **Disadvantage on discounts and freebies -** Most e-commerce firms are known for providing heavy discount and subsidizing of products or offering free goods or goods coupon with specific purchases. Under GST, freebies are expected to comes under taxation limits creating additional burden on the sellers. Also, in case an e-commerce firm decides to sell an item at discount it will have to pay the tax on the price at which goods is purchased from the supplier, hence bearing the extra tax burden on its own. Clarity is required on treatment of discounts borne by e-commerce company as well as by sellers and calculation of the resultant taxable value for GST. Treatment of composite offer has to be clearly defined in GST.

5. **Return Filing -** Due to various registrations the compliance requirements would jump manifold for E-commerce companies with need to bifurcate state-wise the services provided. E-commerce companies would be required to file 3 returns per month (GSTR 1, 2 & 3) per registration (90 pan-India). Due to predominance of B2C transactions in E-Commerce, the sellers may upload or provide consolidated Invoice level information with additional requirement. Elimination of entry tax is a big relief to seller in terms of cost effeteness and compliance needs pertaining to filing of entry tax return and payment. With coming out of requirement to file e-commerce transactions separately (separate Annexure and returns) in many states (Delhi, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu etc.) GST would bring the required respite and drive uniformity.

6. **Cash flow impact -** Sellers and E-Commerce players should brace themselves for delayed or reduced cash flows like from Branch Transfer, as any supply would be liable for tax, local or interstate branch transfers would attract GST. Although fully creditable a temporary blockage of cash would result through this. Similarly, exporters will have to provide duty paid inputs and claim refund after they export (zero rated) and claim refund this process is going to lead

to cash blockage. Sudden hike in tax rate from old rate of 5% (for particular group of commodities) to 18% under GST would result in increased tax outgoing will lead to cash flow issues that sellers would have to face.

7. Business Process Change - Ecommerce giants like Amazon and Flipkart operate under the predefined market place model, wherein they store the goods from sellers in their warehouse and supply to consumer upon receiving orders. These warehouses were registered on additional place of business under local VAT by sellers and e-commerce companies do not register under VAT. Under GST both ecommerce companies and sellers would have to simultaneously have to register for these warehouses as Principal and Additional Place of Business, respectively. This would be challenging as these warehouses do not have particular dealer wise physically segregated areas within the warehouse.

Also the treatment of stock transfer from seller to the warehouse of the companies under GST would be different as any 'supply' is taxable under GST. However, on the positive side the 'Fulfilled by Amazon', 'Flipkart Advantage' or 'Snapdeal Plus' model where dealers store their products at warehouse is currently disallowed in states like Karnataka may be revived. Currently registration of market place warehouse as additional place of business is disallowed and under GST regime this may change.

Conclusion - E-Commerce is growing at a phenomenal rate in India and GST is going to boost the growth indirectly, through there are various problems in the starting but for a long run GST is going to take the E-Commerce market to a new height. Creation of centralized market, seamless movement of goods going to create a virtual global market for every person in every corner of the country, transparent tax system will narrow the scope of black money creation. Problems like return filling, compliance and accounting burden will going to effect in starting years only as the system spare time its going to be smooth, working capital management and cash flow problem will be majorly going to effect the seller and return filling is compulsory for everyone it's going to increase the paper work but in long run its going to be beneficial for the economy. Overall GST is the biggest tax reform till date in the country and its going to help the sellers and create a single tax rate market, its bit tough to understand in the starting but in future it will lead to be a smooth tax system.

References :-

1. gupta, N. (2014). GOODS AND SERVICE TAX: IT'S IMPACT ON INDIAN ECONOMY. International Research Journal of Commerce, Arts & Science.
2. Nagpal, B. M. (2016). GST on e-commerce in retail sector: BOON or BANE . XVII Annual International Seminar Proceedings.
3. Ningombam, P. T. (2007). Globalisation, IT and Ecommerce in India: Issues and Challenges. Journal of Global Economy.

Websites Reffered :

1. http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/gst-impact-across-sectors-take-a-look-at-the-winners-and-losers/articleshow/53532907.cms
2. https://webforms.ey.com/in/en/newsroom/news-releases/ey-gst-could-be-key-to-unlock-issues-faced-by-e-commerce-sector
3. http://www.trilegal.com/index.php/publications/analysis/gst-impact-e-commerce-sector
4. http://www.firstpost.com/business/gst-bill-passed-positive-for-e-commerce-despite-cumbersome-compliance-issues-2933664.html
5. http://www.business-standard.com/article/specials/gst-impact-pain-points-in-e-commerce-remain-116080400024_1.html
6. http://blog.saginfotech.com/gst-impact-on-e-commerce-sector-india
7. http://economictimes.indiatimes.com/industry/services/retail/e-commerce-companies-demand-exemption-from-gst/articleshow/53927290.cms
8. http://www.financialexpress.com/fe-columnist/will-gst-benefit-the-e-commerce-sector/301543/

****

Skills Development In India

Dr. Vishal Purohit *

Abstract - This is the research paper that communicates information about the concept of skill development in India and what are the programs and policies that have been initiated for this purpose. In India, this concept was not very well developed and recognized but in today's world, various programs, policies, educational and training centers have been established to implement this concept. In urban and rural areas, various training centers have been established to impart skill development activities to the individuals such as literacy skills, which mainly consists of three Rs, reading, writing and arithmetic; computer skills, artisan skills, production, manufacturing and so forth. The kind of skills the individual learns depends upon his capabilities and interests; leadership skills are meant for leaders, the management within the organizational structure, or leaders in any organization in whose hands the authority is vested, for them it is essential to understand the leadership skills. India has progressively advanced as an aware country because of the wealth of competent, intelligent and experienced human resources. In today's world, within schools, majority of the students are performing to the best of their abilities; with the increasing globalization, many opportunities have developed for the people to advance their skills.
Keywords - self-employment, Skill development, National Policy, Vocational Training, Leadership skills, Employment.

Introduction - India has gradually progressed as a knowledge-based economy due to the profusion of capable, flexible and qualified human capital. With the constantly rising influence of globalization, India has immense opportunities to establish its distinctive position in the world. However, there is a need to further develop and empower the human capital to ensure the nation's global competiveness. The skill development of the working population is the main priority for the government. The objective of the policy is to expand on outreach, equity and access of education and training, which it has aimed to fulfill by establishing several industrial training institutes (ITIs), vocational schools, technical schools, polytechnics and professional colleges to facilitate adult leaning, apprenticeships, sector-specific skill development, e-learning, training for self-employment and other forms of training.

National Policy On Skill Development - In order to provide adequate training to the youth the government formulated the national skill development policy that laid an outline for skill development, ensuring that the youth of the country get better access to skills and knowledge. Key features of the National Skill Development policy have been stated in the following paragraphs-

Institution-based skill development - This includes vocational schools, technical schools, polytechnics, professional colleges, etc; learning initiatives of skill development organized by different ministries and departments; formal and informal apprenticeships and other types of training by enterprises; training for self-employment and entrepreneurial development; adult education, retraining of retired or retiring employees and lifelong learning; non-formal training, including training by civil society organizations and E-learning, web-based learning and distance learning.

Institutional framework - The policy lays down three institutional frameworks comprising of Prime Minister's National Council on Skill Development, National Skill Development Coordination Board, National Skill Development Corporation (NSDC) and National Council for Vocational Training (NCVT). The policy conditions the roles and responsibilities of stakeholders, which include the government, industry, trade unions, local governments, civil society institutions, skill providers and resource persons. Promotes the expansion of outreach, equity and access under the skill development plan.

Lays down standards for quality and relevance - The policy also makes provision for quality standards to achieve global competitiveness. It lays downs standards for quality assurance which is based on legalization of qualifications for ensuring that they reflect market requirements, substantiation of training process, accreditation of training providers and institutions, research and information. Quality of infrastructure, trainer's qualification framework, labor market factors and HR planning mechanisms are some of the aspects that have been reflected under the policy

* **Professor, S.J.D.M., Indore (M.P.) INDIA**

agenda.

National Skill Development Corporation - There are imperfections and gaps in the skills training framework that encouraged the Prime Minister's council on skill development to come up with an innovative program in the form of the NSDC in 2008– 09 to concentrate on the skills gap in India. The plan was to have a system that enabled the government provision of training to be disconnected from the government financing of training; focus was put upon output (demand) rather than input (supply); it laid prominence on competencies and not specific skills; was flexible; based on intermittent labor market surveys; and addressed the issues of affordability and accessibility

Impartment Of Skill Development Through Vocational Training - Skill development through vocational training in India is offered by the Directorate General of Employment and Training (DGET) under the Ministry of Labor and Employment. The DGET is an organization for development and coordination at the national level for the programs relating to vocational training. Vocational training is imparted through various schemes and they have been categorized as follows:

1. Craftsmen Training Scheme (CTS) – ITI/ITC training
2. Apprenticeship Training Scheme
3. Craftsmen Instructor Training Scheme
4. Advance Vocational Training Scheme
5. Women Training
6. Research and Staff Training
7. Instructional Material Development International Journal of Transformations in Business Management
8. Hi-Tech Training
9. Modular Employable Skills (MES)
10. Centre of Excellence and World Bank Assistance

Leadership Skills

Motivating People – The individuals employed within the company are the primary reason for its success and the source of its competitive advantage. The performance of the individuals is dependent upon two factors which are their abilities and motivation. There have been particular ways through which motivation takes place, first is the Maslow's hierarchy of needs, which comprises of physiological needs, safety needs, social and belongingness needs, esteem needs and self-actualization needs. Second are the ERG theory, existence needs, relatedness needs and growth needs. There have been motivating practices, finding meaningful individual rewards, if an employee is performing well within the organization, then in order to motivate him to perform even more better in future, it is essential to reward him, hence rewarding is one of the main motivating factors for leaders.

Communication – This is one of the most crucial leadership skills - there have been various aspects of communication that is downward, upward and horizontal and it can be formal and informal. There always arise barriers to effective communication; organizational barriers can be information overload, noise, time pressure and information distortion, cross-cultural barriers etc. Individual barriers comprise of differing perceptions, poor listening skills, consideration of self-interest, etc. There has been an appropriate procedure to carry out the communication process in an organized manner.

Decision Making – Another most important leadership skill is making effectual decisions. An appropriate procedure has to be followed when making decisions, first is defining the problem, second is identifying criteria, third is gather and evaluate data, fourth is list and evaluate alternatives, fifth is select best alternative and sixth is implement it and follow up.

Skill Up Gradation Amongst The Rural Masses - Within the rural sector, there are three areas which are vital to develop for the welfare for the rural masses regarding the skill up gradation; rural self-sufficiency in resource utilization, governance and leadership. Within the rural sector, most of the individuals are not able to read or write, hence, this lack of educational abilities results in poverty, they are unable to find employment opportunities, even if the individuals have some savings, they are unable to utilize them in the effective and productive ways, hence the ultimate outcome of these problems is poverty and destitute conditions

Conversions In Business Management - Universities was on research, development and extension of agriculture. In the process, rural development programs, a task originally meant for State Agriculture Universities (SAUs) were not looked upon. In view of the Constitutional Amendment Act, 1992, main priority was given to rural development programs. It is in this context that the National Council of Rural Institutes (NCRI) has started considering introduction of rural higher education programs, primarily based on the Nai Talim concept; these programs were in accordance with local needs and requirements of the people who have not been integrated in typical higher education, covering the elements of research, teaching, extension and networking.

Improving Skills And Generation Of Employment Opportunities - Skill building is viewed as an instrument whose main purpose is to enhance the efficiency, productivity and contribution towards the different sectors of the economy such as industries, agriculture, manufacturing, education, communications and so forth. The economy comprises of three sections primary, secondary and tertiary and in all the three sectors, the personnel, the human resources that are employed are required to enhance their skills, knowledge and capabilities to work. Skill building is meant to empower an individual and improve his/her social acceptance within the society.

Visualization For The National Skill Development Edge In India -The following points depict the vision for the National Skill Development Schemes:

1. Scale of Motivation – Currently the capacity for skill development in India is around 3.1 million individuals per year. The 11th five-year plan envisages an increase to 15 million on an annual basis. India has set up an objective of

creating 500 million skilled workers by the year 2022.

2. High Inclusivity – The skill development schemes will connect inclusivity and reduce distributions such as males and females, rural and urban, organized and unorganized employment and traditional and contemporary working environments.

3. Dynamic and Demand based System Planning – The skill development schemes sustain the delivery of trained workers who are adaptable dynamically to the changing demands of employment and technologies.

4. Choice, Competition and Responsibility - The skill development scheme does not discriminate between private or public delivery and puts importance on the results, users' preference, competition among trainers and their responsibility.

Ways Of Facilitating Skill Development Activities - There have been methods to smooth the progress of skill development activities through the following.

1. Creating and enhancing the skill development infrastructure.
2. When construction of schools, institutions and other establishments take place, there should be adequate measures for skill development to take place such as usage of technology.
3. Current institutions, ITIs, acquire mechanisms and equipment required for vocational training of the individuals.
4. Establishment of skill development centers in rural and urban areas, especially where there were not any
5. Finances have been major issues especially for the economically weaker sections of the society; hence some measures have to be formulated to finance their skill development programs.
7. Efforts have to be implemented to increase the number of skilled personnel within the country and on the basis of their skills they should be able to accomplish something for themselves and find employment not only in industries but in all kinds of sectors education, transport, manufacturing etc.

Conclusion - In India, the concept of skill development has been largely recognized and many programs and policies are being formulated to initiate this concept not only amongst the individuals in urban areas but in rural areas as well. NSDCB and NSDC are the organizations that have formulated policies for skill development amongst the individuals and besides these there are vocational training centers. Skill development has been facilitated by the organization of certain programs, educational institutions and training centers. Skills are of various kinds, within an organizational structure it is essential on the part of the management to develop leadership skills amongst themselves such as motivating people, decision making and communication. In India, rural masses are still in a backward condition, steps therefore have been implemented to develop skills amongst them for the purpose of obtaining self-sufficiency resource utilization, governance and leadership.

References :-

1. Skill Development in India. A Transformation in the Making.
2. http://www.nsdcindia.org/pdf/iir-dilip.pdf
3. Enhancing Skills and Faster Generation of Employment. The Planning Commission.http://12thplan.gov.in/12fyp_docs/9.pdf
4. Human Resource and Skill Requirements in the Education & Skill Development Services Sector.
5. National Skill Development Corporation. http://www.nsdcindia.org/pdf/education-skilldevelopment.pdf
6. Knowledge Paper on Skill Development in India. Learner First. http://calendartopics.biz/tag/knowledge-paper-on-skilldevelopment-in-india.
7. Leadership: Theory and Practice. from http://www.afdc.org.cn/afdc/UploadFile/2009111335843449.
8. Rural Development. http://www.spc.tn.gov.in

****

An Analytical Study Of Impact Of Mall Culture (Special Reference To The Middle Class Customer Of Ujjain Division)

Dr. Rajesh Jain *

Abstract - The Indian retail sector is highly fragmented with 97.25% of its business being run by the unorganized retailers like the traditional family run stores and corner stores. India's retail sector is wearing new clothes and with a three year compounded annual growth rate of 46.64% retail is the fastest growing sector in the Indian economy. Objective of study to the effect of mall culture on buying habits/behavior of Middle class customers. The total no. of respondent selected for the research purpose out of population is 100. Out of 100 respondent 63% are male and 37% are female. 52% respondents are aged less than 25 years. It seems that people of the middle class customer in Ujjain has positive response towards the malls. Physical structure of mall and ambience both affect their decision regarding a mall selection. Now middle class customers perceived that it is affordable for them to shop form a mall.
Keywords - fragmented, respondent, wearing, ambience, affordable, perceived.

Introduction - India's rapid economic growth has set the stage for fundamental change among the country's consumers. The same energy that has lifted hundreds of millions of Indians out of desperate poverty is creating a massive middle class centered in the cities. The Indian retail industry is divided into organized and unorganized sectors. Modern retailing has entered India in form of sprawling malls and huge complexes offering shopping, entertainment, leisure to the consumer as the retailers experiment with a variety of formats, from discount stores to supermarkets to hypermarkets to specialty chains. The retail industry in India, according to experts, will be a major employment generator in the future. Commanding such a large chunk of the organized retail business in India, fashion retailing has indeed been responsible for single-handedly driving the business of retail in India.

Literature Review - Samridhi tanwar, Neeraj Kaushik and V.K. Kaushik 2011 conclude that in India, while organized retail has yet not been accorded the status of an industry, it is witnessing a large number of formats emerging in the market at a very fast pace. Ample opportunities are present as 94% of the Indian retail is still unorganized. Eric D. Beinhocker, Diana Farrell and Adil S. Zainulbhai, 2009 observed that if economic reforms will continue with the appropriate annual growth rate India will be one of largest consumer economy and the dramatic growth of middle class will boost the same.

Rational of the Study -In earlier days if you wanted to do any kind of shopping, one had couple of places to go like Laxmi Road or Main Street where small shoppers line up across the roads. But everything has changed now. The younger and older generation alike prefers buying stuff from huge malls where one not only get variety, but quality too at moderate prices. Even for your everyday grocery buying superstores have come up at every nook and corner. Just to give up an example, we have around 8 superstores within area of roughly 5 sq. km. The main attraction with all of them is competitive pricing as compared to next door retail grocery shop.

Objectives of the Study :

1. To study the effect of mall culture on buying habits/ behavior of Middle class customers.
2. To analyze the factors those are responsible for customer's preference for shopping at malls.
3. To study customer's perception towards mall shopping.

Research Methodology - The sample for data analysis is collected from the population who visit mall and shop from there. The population is also referred to people of Indore city only. The population will represent our universe. The total no. of respondent selected for the research purpose out of population is 100. Out of 100 respondent 63% are male and 37% are female. 52% respondents are aged less than 25 years. 32% aged between 25 to 35 years. 14% respondents are aged between 36-50 and remaining 25 aged above 50 years. The result obtained from the probability or random sampling can be assured in terms of probability.

Data Analysis and Interpretation

Q.1 You buy from shopping malls?

1	Always	17
2	Most of Time	41
3	Cannot say	9
4	Sometime	31
5	Never	2

*Asst. Professor (Commerce) IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA

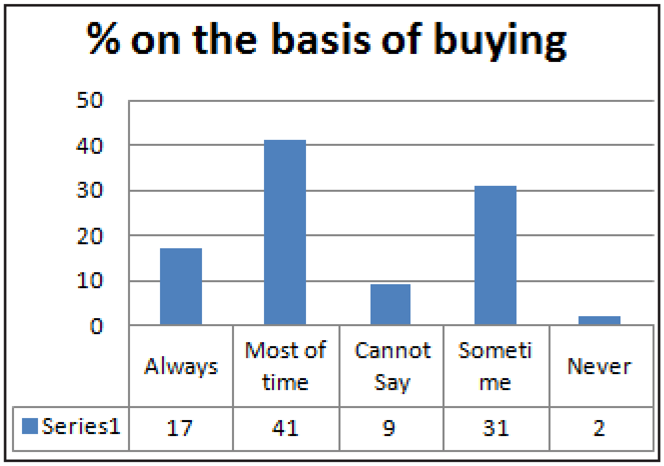

Interpretation : Above table result shows that there are positive attitude towards the mall of the people in Indore rather than traditional shop. 41% of the people chose the option 2 .

Q.2 Do you agree Mall shopping is affordable for middle class customers?

1	Strongly Agree	16
2	Agree	42
3	Neutral	12
4	Disagree	24
5	Strongly Disagree	6

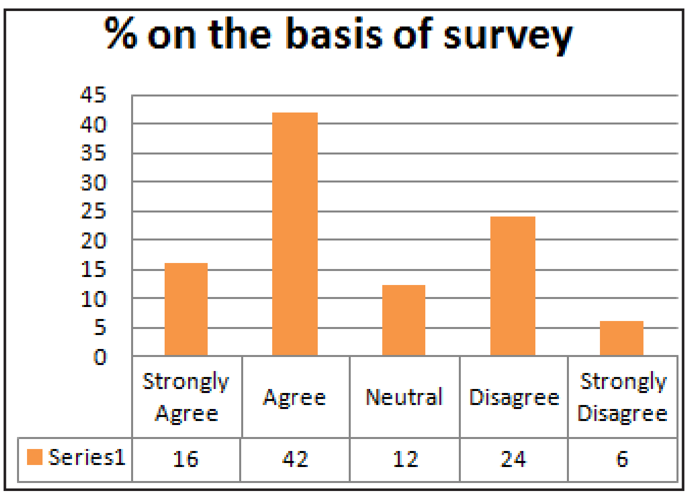

Interpretation : The result of the above shows that the people of middle class customer has positive attitude towards the mall and product and services provided by the mall is affordable for that segment of the customer. 42% of the people choose option 2.

Q.3 Do you think mall shopping is a solution to your daily needs?

1	Always	19
2	Most of Time	39
3	Cannot say	9
4	Sometime	24
5	Never	9

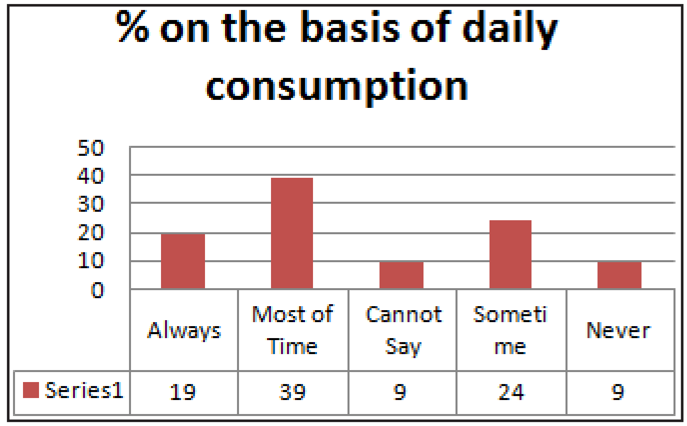

Interpretation: Mall shopping contribute significant role to the fulfillment of daily consumption of the people in Indore. They approach mall for their daily needs. 39% of the people choose option 2.

Q.4 Do you agree that Mall Cultures Brand awareness?

1	Strongly Agree	43
2	Agree	35
3	Neutral	11
4	Disagree	7
5	Strongly Disagree	4

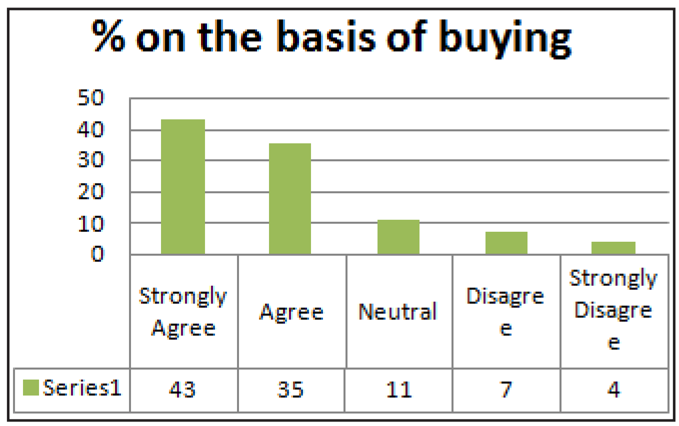

Interpretation: Mall culture plays the significant role in the awareness of brand and now a days people are more sensitive towards the brand. People give extra money for their own brand. 435 of the people choose the option 1.

Findings :

1. It seems that people of the middle class customer in Ujjain has positive response towards the malls.
2. Most of people believe that malls provide better ser-vice and quality products rather than other traditional shop.
3. Malls introduce about the new brands and foreign brands to their customer.
4. Most of the people approach to the mall for their basic needs and consumption.
5. All brand and many variety of the product below one roof attract the people for the purchasing.

Conclusion - With the increase of organized retail in India customers become more demanding about quality and

service. When we talk about buying habits it is influenced by various discount offers. The study revealed that Customer preference is basically affected by factors like availability of different national and international brands, a wide variety and range makes customers to buy from there; also they preferred a mall which provides value added services. Physical structure of mall and ambience both affect their decision regarding a mall selection. Now middle class customers perceived that it is affordable for them to shop form a mall. They perceive though it is slightly costlier than a traditional store but still with all the convenience, comfort, ease of shopping, variety and range they get they still find it value for their money by shopping from a mall.

References :-

1. Dr. Poorva Ranjan, " Asian Journal of Business and Economics", vol.1, no.1.1 Quarter I 2013.
2. The Deutsche Bank Research, " The middle class in India" February 2012.
3. Mohua Banerjee and Rajib Dasgupta , " The IUP Journal of Marketing Management, Vol. IX, No.4, 2014.
4. Eric D. Beinhocker, Diana Farrell, and Adil S.Zainulbhai, (Oct.-Dec. 2011).
5. http://www.india-reports.com
6. http://www.afaqs.com

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

The Indian Health Insurance Industry - Then and Now (Pre and Post Liberalization scenario)

Dr. Priya Jain *

Abstract - The new economic policy and liberalization process followed by the Government of India since 1991 and setting up the IRDA in 1999, paved the way for privatization and liberalization of insurance sector in the country. Health Insurance, which was nothing and underdeveloped, have been developed a lot in its fundamentals, product innovation, premium contribution, and management strategies after liberalization.

Years came after 2000 proved fruitful and glorious for Health Insurance industry in India as market had been opened for private player. Entry of private player put an end to monopoly of public sector companies and free competition started to flow in the market. Within first 12 months of liberalization of Indian insurance industry, 6 licenses were issued to private sector insurance companies to sell general insurance products. The standalone health insurers started their working from 2006-07, the Star Health and Allied was the first and in the market from 2006-07, and the Apollo DKV Health Insurance Co. Ltd. was the second, is in the market form 2007-08.

Now there are 4 government sector health insurance companies, 17 private insurance company, 4 stand alone health insurance companies. Need to liberalize the industry was backed up by several driving force, which change the whole structure of health insurance industry in India.

Key Words - Health Insurance, Pre and Post Liberalization, Indian Health Insurance Industry.

Objective - The main objective of the study is to analyze the major driving force and make comparison of then and now situation of Indian health insurance industry.

Methodology - The study is based upon secondary data which is already available, gathered through IRDA website, the thesis titled "A Comparative Study of Public and Private Sector Health Insurers" and different articles and generals.

Pre and Post Liberalization seen of Health Insurance in India

(See in last page)

Effect on market due to entry of Private and Standalone Health Insurers

Several changes in the market took place due to entry of Private Sector Insurers that are:

1. Monopoly of public sector general insurers came to an end.
2. LIC, GIC and the 4 public sector general insurers started losing its market share because of tremendous growth of private players.
3. Entry of the private player leads to a greater competition in the health insurance market.
4. As per IRDA Annual Report 2012-13 private players have acquired about 24% to 26% market share of Health Insurance segment.
5. Wide variety of health insurance products on different prize band available in the market.
6. Products with different innovations started to be developed after entry of private players.
7. Products with different benefit and value added services came into the market after entry of private player.
8. Dependency only on the public general insurance companies to purchase health insurance policies has been ended.
9. Customer perception has been changed towards health insurance due to increasing literacy level, awareness level, income, lifestyle disease, etc. That is the private player who first started to make the policies which focused on customer centric relationship.
10. Entry of private players in the market boost up awareness level of people regarding need of Health Insurance as several advertisement campaign organized by these players highlights the benefits of Health Insurance.
11. Technological revolution in Health Insurance segment has taken place like online purchasing and premium calculation of policy and its comparison, online premium payment, online registration of claim and grievances etc.
12. Services became fast like enquiry through massages, documents available on web, online chat with company personnel, which are available 24*7.
13. Several new distribution channels like bancassurance,

* PMB Gujrati Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

self help group etc has been evolved so reach of the companies to Tire II and III cities has been increased. With entry of private sector companies, public insurers also upgraded their system, processes and policy's provisions to sustain the competition and be in the position of market leader. The 4 public insurers are still market leader and possessed 74% of health insurance market together (IRDA Annual Report 2012-13).

Major Driver of Indian Health Insurance Industry :

Increasing Income and Savings – India's per capital income for the year 2012-13 was Rs. 68747[1] a net increase of 11.7% from the year 2011-12 when per capita income was Rs 61564[2], a net increase of 13.64% from the year 2010-11 when per capita income was Rs 54835[3] at current prize. So we can say that income level of the country is continuously increasing which also pushing up gross domestic saving and hence investment also. As per data from Central Statistics Organization India's average saving rate continuously increasing in each 5 year plan. In first FYP (1951-1956) it was only 9.20% which reached up to 18.50% almost double during 5th FYP (1974-1979) and reached up to 33.70% during the 11th FYP (2007-2012).

Proposal to increase FDI limits in GI Sector – Comings of foreign companies to Indian market to do business of health Insurance is a clear indicator of increasing demand of Health Insurance. For this Govt. of India is also considering increasing the limits of FDI in Insurance sector from 26% to 49 %. It will be helpful to Indian Health Insurance Companies as loss ratio of Health Insurance business is at around 100% to 150%.

Growing Population and Population in Middle Class – India fast growing population and middle class present extra demand of healthcare facilities while supply is not increasing proportionally, as a result health care is becoming costlier. In 2010 population of India was 1169.2 million which is expected to increase up to 1326.1 million by 2019-20[4]. As per a report[5] In the year 2011 India has 31.4 million middle class households (160 million individuals) which is expected to grown up to 53.3 million middle class households (267 million) individuals by 2015-2016 and likely to be double from 2015-2016 and reached up to 113.8 million households (547 million individuals), hence produce more demand for Health care and Health Insurance.

Increasing Healthcare Expenditures – Continuous growing population and middle class, present big demand supply gap of Health care facilities results in medical inflation. [6]In 2005 the Indian population spent 7% of its disposable income on healthcare, which is expected to reach up to 13%, almost double, by 2025. Hence a good health insurance cover is highly needed.

Surging medical cost – Medical cost and no of Medical Bills is continuously increasing year on year. As per analysis done by global consultancy firm **Towers Watson in 2010**[7], inflation regarding cost of drugs and medicine is running at 8.1% per year from past 15 years and expected to increase continuously. Similarly room, boarding and doctor's fees are also increasing day by day. Overall the analysis stated that medical inflation in India is expected to reach to 17 to 25% in coming years.

Increase in life style disease - A number of researches & surveys has been proved that disease profiles are shifting towards lifestyle disease (Diabetes, Cardio Vascular, Nervous system disorder, Hypertension Obesity etc.) from infectious, whose treatment is costly. [8]Cases of Diabetes in 2008 were 1.2 million people which are expected to grow up to 3.4 million people by 2018. Similarly Cases of Cardiac in 2008 were 2.9 million people which are expected to grow up to 8.3 million people by 2018. So with current scenario of medical inflation to bear treatment expenditure for such disease will not be easy, hence the only way is Health Insurance.

Increasing awareness of personal healthcare – Awareness regarding Health and Health Insurance is also a responsible factor for increasing demand for Health Insurance. This awareness mainly comes from increasing literacy level. [9]From 52 % in 1991 the literacy rate in the country has increased to 64.8% in 2001 and to 74.04% in the year 2011. This has resulted in better awareness and hence the need for quality healthcare facilities.

Expansion of distribution channel - The Health Insurance companies today have several kind of distribution channel like Agents, Corporate Agents, Bancassurance Channel, Online policy etc. All these channels make it possible to insurance companies to enhance their Health Insurance market share.

Need Based Products and Rational Pricing - Health Insurance companies are making efforts to modify their products to make it different and capable to full fill need of customers at lowest premium. Now customer has become king with rational pricing.

Detariffing of the general insurance industry - Tariff system was never applicable on Health Insurance sector, but on other line of business of GI. Removal of tariff on other segment of general insurance business has been boosting the market of Health Insurance. It is just because, by giving comparatively lower quotes for Fire or Motor insurance premium, Mediclaim policy can be issued to the same customers on the same premium as earlier.

Finding - Growing GDP results in increasing disposable income and hence increase investment in health insurance also as it is a tax saving tool also. Government is proposing to increase FDI to 49% from 26% at present, building more trust among foreign counterparts in Indian health insurance industry. [10]Government has proposed to increase its public spending from1.2% (2011) of GDP to 2.5% by the year 2017 and to 3% of GDP by the year 2022, which will result in to increasing growth of the HI sector. Private players are making the market more competitive hence customer is now king and market is full of different health insurance products which are suitable to need of customer and are available at low price.

Conclusion - Prospect of Indian health insurance industry has changed drastically. Entry of new and energetic players in the market and several driving force has changed the whole scenario whether it is the matter of different products, rate of premium, promptness in claim settlement process, customer care and customer relationship, evolution of distribution channel and many more. So the future of the industry seems bright and there is great business opportunity for health insurance player, as huge market is still untapped.

References :-

1. Jain, P. (2015, feb). A Comparative Study of Public and Private Sector Health Insurer. 230. Indore, MP, India.
2. www.towerwatson.com_en-IN_Insight_IC-Type_Survey-Rese
3. www.financialexpress.com/article/industry/insurance/the-soaring-cost-of-medical-inflation/59590/
4. Insurance Penetration in India: Implication for Marketers, by Dr. Anand Thakur, Special Issue: Proceedings of 2nd International Conference on Emerging Trends in Engineering and Management, ICETEM 2013
5. IRDA Annual Reports from 2010-2014
6. Insurance, March 2013 by **India Brand Equity Foundation**, www.ibef.org
7. Insurance, August 2013 by **India Brand Equity Foundation**, www.ibef.org
8. Health care Benefits in India, April 2010 by **Tower Watson**.
9. RNCOS white paper: Changing Dynamics of Indian Health Insurance Industry, July 2013 BY RNCOS
10. http://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-s-per-capita-income-rises-to-rs-5-729-per-month 113020700995_1.html
11. http://zeenews.india.com/business/news/economy/indias-annual-per-capita-income-rose-to-rs-61-564-in-2011-12_69231.htm
12. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-05-31/news/29604458_1_capita-income-national-income-economy-at-current-prices
13. Source: ISI analytics (2010) https://www.pwc.in/assets/pdfs/pharma/PwC-CII-pharma-Summit-Report-22Nov.pdf
14. National Council for Applied Economic Research's (NCAER) Centre for Macro Consumer Research, http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-02-06/news/28424975_1_middle-class-households-applied-economic-research
15. IDFC Institutional Securities, Indian pharma (June 2010) https://www.pwc.in/assets/pdfs/pharma/PwC-CII-pharma-Summit-Report-22Nov.pdf
16. http://www.towerswatson.com/en-IN/Insights/IC-Types/Survey-Research Results/2010/04/Healthcare-Benefits-in-India
17. India : Healthcare Sector Report August 2013 by IBEF http://www.slideshare.net/IBEFIndia/healthcare-august-2013
18. http://www.mapsofindia.com/census2011/literacy-rate.html
19. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Health-spend-set-to-double-in-12th-Plan/articleshow/10788223.cms

Pre and Post Liberalization seen of Indian Health Insurance Industry

Pre liberalization seen (before the year 2000)	Post liberalization seen(After the year 2000)
No proper mechanism to regulate Health Insurance Industry	IRDA as a regulator, standardizing Policy, Forms and DefinitionSet up of Health Insurance Forum and Insurance Ombudsman
No specified Guidelines to operate Health Insurance Business in India	Guidelines for Free look period, Health Insurance Portability, Grievance Redresal Mechanism, Advertisement
Only LIC, and general Insurance companies(NIA, NIC, UIA and OIC) were doing business of Health Insurance	16 more General Insurance companies from private sector who are doing Health Insurance business also.
No stand alone health Insurer	4 Stand alone Health Insurer
Only one Mediclaim policy and few Critical Illness plan were there.	Innovative products (Critical illness, Top up, Market linked) and Rational PricingCashless facility, Hospital cash, Continuity Benefit, Life long renewalPrompt In-house services and involvement of TPA
No specific policy for older	Several attractive plans for older, covering critical illness and including several benefits and value added services

****

Corporate Social Responsibility : The Role of Business Organizations

Pallavi Rassay * Dr. Tabassum Patel **

Abstract - Studies on the role of Business organizations and attitudes of stakeholders towards corporate social responsibility (CSR) have received a lot of attention in recent years. There is also a mounting concern on how the future generations view the importance of CSR in every business decisions. This paper seeks to explore the role of business organization within corporate social responsibility. It aims to give some insight into the nature and the extent of research on CSR being undertaken by firm and explain the importance of CSR in business organizations & ascertain how various organization apply it to achieve various objectives of their business firms.
Keywords - Corporate social responsibility (CSR), Sustainability, Stakeholders.

Introduction - 'Corporations are not responsible for all the world's problem, nor do they have the resources to solve them all… but, a well run company can have a greater impact on social good than any other institution or altruistic organization'.

In the last years, the call for increased social responsibility, by governments, investors and corporations, was distinctive and urgent due to the global crises that took a central role. Financial market breakdowns, severe economic declines and food shortages required immediate responses. It seemed that climate change finally received due attention, with growing recognition of critical consequences without a significant change in the course. More and more entities are using cause related marketing or Corporate social responsibility, encompassing the social, environmental and economic impact of the company's operations, not just as an accountability tool but to drive strategy, unlocking new sources of revenue and growth. Companies are not turning to sustainability for altruistic reasons. Profitability and growth are at the heart of their reasons for building sustainability tools into their business strategy.

In the refined CSR strategy a considerable focus is being set on the benefit of society as a whole. CSR activities are not only merely of charitable nature, but that they also contribute to a positive image of the company, to increased employee and customer satisfaction as well as to other soft factors that need to be taken into account when measuring business success. Corporate social responsibility (CSR), also known as corporate responsibility, corporate citizenship, responsible business, sustainable responsible business (SRB), or corporate social performance, is a form of corporate self -regulation integrated into a business model. CSR policy would function as a built-in, self-regulating mechanism whereby business would monitor and ensure their adherence to law, ethical standards, and international norms.

This idea is mooted with a change in perceptions of doing-business. It is strenuously argued by many that fundamentals of business ethics not only include ethical concomitants of 'doing business', but also encompasses all ancillaries to 'doing business'. These ancillaries include strategizing 'doing businesses' in terms of contributing towards social development, and thereby creating better space and good-will. This idea has later on taken shape in the form of 'Corporate Social Responsibility' (hereinafter referred as CSR).

CSR is often described as an idea where corporation/ companies and other business entities are supposed to perform and contribute in 'social functions', and thereby providing greater welfare to the society. It is believed that duty of CSR is neither against the very fundamental rule of game dealing with corporate functions, nor, it violates 'freedom of market'. Thus, CSR is not only good and ethical in terms of 'doing businesses', but, also propagates constitutional ideals.

Objective - Keeping in view the importance of Corporate social responsibility and cause related marketing in business organizations, the present study was under taken with the following objectives.

1. To study the impact of customer perception on loyalty basing on corporate social responsibility.
2. To ascertain the capability of CSR in enhancing reputation of various business enterprises.
3. To study the strategic decisions that are faced in the strive by business enterprises when trying to improve

*Asst. Prof (Management) S.Y.S.I.T.S., Ratlam (M.P.) INDIA
** H.O.D. (Management) S.Y.S.I.T.S., Ratlam (M.P.) INDIA

their performance of CSR.

Literature Review :

Consumers prefer socially responsible brands: Study - Consumers prefer socially responsible companies and do not mind paying a premium for their purchase because of these organisations' commitment to the community, says a study. According to a global study by Zendesk that explores how consumers feel about businesses that are invested in social, labour and sustainability issues, consumers prefer to purchase from businesses that demonstrate community responsibility. The research found that globally more than 77 per cent of consumers prefer to purchase from these companies, and are also willing to pay 5-10 per cent more because of their commitment to the community. In addition, 74 per cent of these consumers — deemed 'Social Activators' - also put in a kind word for common good companies on social media and review site, the study titled 'Conscious Consumer Survey' noted.

Commenting on the study, KT Prasad, Country Sales Director, Zendesk, India, said, "Brands in India have long since understood the importance of maintaining a socially responsible image as a company in order to sustain in the ever cluttered and competitive marketplace." Prasad said that the study proves that consumers today are not only paying more to companies that contribute to the common good but are also invariably encouraging others to embrace their purchasing preferences.

Why CSR? - The idea of CSR may be related with general idea of welfare that all individual, being part of society must actively participate in the overall welfare of the society. This argument is generally based on the assumption that capacity and reach of any system in doing welfare is always 'limited'. Even 'state' for that matter is considered limited in providing adequate welfare mechanism, and that's the reason that state allows private players in providing welfare means such as health, education, insurance and other welfare needs. This presumption essentially demolishes the very argument that 'every work of a private player, in given market is only profit oriented'. In fact, when state permitted these players, operating their business concerns in the open market, the permission should be deemed to be 'limited' in the sense that such permissions are towards larger welfare, and this must be taken as another instrument in doing or achieving what state endeavors to achieve. Thus, in this larger sense, 'doing businesses is another method of serving people and society', and all individual/personal 'profit' arising out of such welfare work is simply a 'windfall'.

Idea of Business - CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically, or, in a responsible manner. 'Ethically' or 'responsible' means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. 'Social responsibility' includes economic responsibility. Stakeholders exist both within a firm and outside – the natural environment is a stakeholder. The wider aim of social responsibility is to create higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation, for peoples both within and outside the corporation.

Corporate Social Responsibility – is becoming an ever more important field for business. Today's companies ought to invest in corporate social responsibility as part of their business strategy to become more competitive.

The corporate culture cannot simply look for enhancing its profit by establishing new ventures and crafting new avenues. It must show its skill in generating goodwill and acceptability to the masses in the given nail-biting competition of the market. CSR would be an alternative perspective of 'corporate citizenship' and its greater acceptability in given conditions would certainly provide more 'ethical' idea to the 'doing of businesses'.

Social responsibility of enterprises - Social responsibility of enterprises includes many issues. Firstly, businesses must ensure their activities do not cause harm to the environment, which means to show the friendliness with environment in the production processes and their business activities. Wastes from the production process must be handled through a process safe and friendly to environment. Hygiene of staff is also a matter of concern. Employees need to learn to raise awareness of environmental protection work around them. To ensure a clean environment will also contribute to raising productivity and improving work efficiency.

Secondly, enterprises must take care to employees, who serve not only materially but also spiritually. They produce directly products, serve their labor power for the development of the company. The Company need care to workers, such as annual health check, social welfare, trade unions, safety in production.

Third, enterprises shall respect the equality between men and women, not employment discrimination about gender and salaries that must be based on equality of each person's capacity. Some countries such as China, India or more than as South American countries, the U.S. still exists gender discrimination issues.

Next, may not discriminate in ethnic group, not discriminating between normal and impaired body, their past. Another one, providing good quality product, not harm the health of consumers. Continue, to a portion of their profits to the aid community, because enterprise exists in the heart of a community that they cannot just be know themselves. Last one, they must enjoy contribute the peace and security of the country and world.

Through that, we can see at least four groups that businesses are been responsible behavior, including:

1. Market and consumers
2. Employees
3. Community in the region and in society
4. Living Environment

Stakeholder attitudes towards CSR - Stakeholder is defined as "Any group or individual who can affect or be affected during the obtaining of organizational objectives." "stakeholders can be divided into internal, consisting of

employees, shareholders, investors and owners, and external which are represented by customers, government, suppliers, competitors and unions".

It is suggested that it is less important for people to know what a company is doing than why it is doing it. To effectively manage organization's stakeholders, it is imperative that there is consideration of the differential attributes of each stakeholder group as "their values, their relative influence on decisions and the nature of the situation are all relevant information" for stakeholder management. In the competitive sport and entertainment space, it is ever more imperative that organizations pursue and implement management strategies to ensure long-lasting relationships among stake-holders who can contribute to organizational success.

Benefits of CSR :

1. The benefits of building good social responsibility of business was express clearly by:
2. Construction's reputation and brand value
3. Strengthen the commitment of workers and enterprises
4. Improve the financial capacity through cost-saving activities of the business and increase share value
5. Ensure the sustainable development of enterprises
6. Risk management and crisis better
7. Increase productivity, ethics and dedication of worker
8. Increased ability to attract a quality workforce
9. Establish good relationships with government and community
10. A good tool to integrate

Conclusion - This paper has shown that corporate social responsibility is a vital element for any business corporations. It has been shown that there are many different areas in which a company may choose to focus its corporate social responsibility. The first area of focus in corporate social responsibility is with regard to the environment. Other areas that should be considered in the development of corporate social responsibility programs are education, health, nutrition and employment. Social responsibility investment combines investors' financial goals with their obligation and dedication to factors that ensure the well being of society such as environmental friendly practices, economic growth and justice in society. These elements are not only aspects of corporate social responsibility, but also a show of the ethical standards of a company. It is unethical for some individuals to own so much and earn so much, at the expense of other suffering members of society. It is also unethical for companies to engage in environmentally degrading practices that result in illnesses and loss of life. It can be concluded that Corporate social responsibility and the maintenance of **high ethical standards** is not an option but an obligation for all business.

References :-

1. Dr. Moon Urmila, Corporate Social Responsibility in India.
2. Henri Servaes & Ane Tamayo ,The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness, July 2012
3. Chaitra Rangappa Beerannavar, Corporate Social Responsibility in India: The Need of the Hour, 20 Jun 2012
4. Neelmani Jaysawal, Sudeshna Saha, Corporate Social Responsibility (CSR) in India: A Review, Vol 3. No 2(2015)
5. Vikramjit Kaur, Corporate Social Responsibility (CSR): Overview of Indian, Vol 1 No. 3, Dec 2012
6. Sanjay K Agarwal, Corporate Social Responsibility in India, 4 Apr 2008
7. Internatioanl marketing(E-book), Dr F.C. Sharma, Sahitya Bhawan

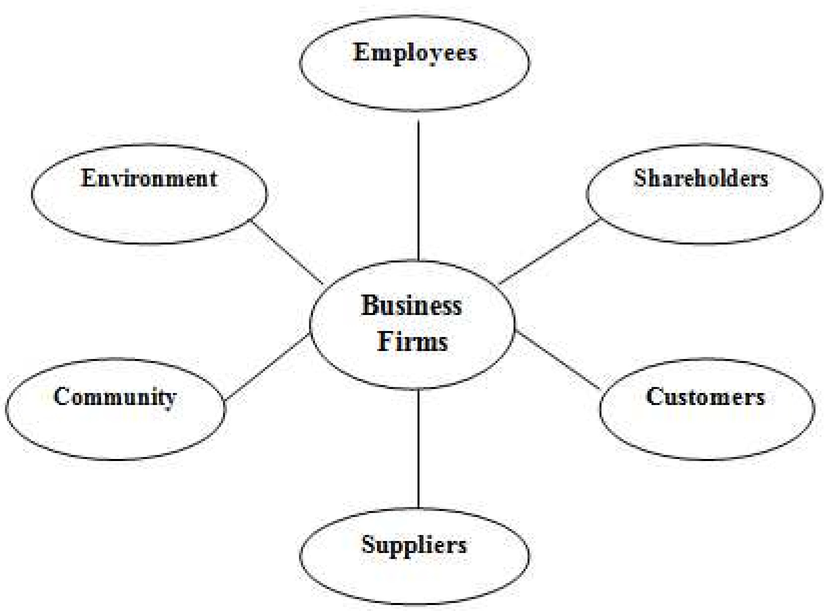

Make In India - A study of Growth in Automobile sector through FDI

Dr. Vaishali Sharma * Dr. Rekha Lakhotia ** Dr. Smita Shah ***

Abstract - The Make in India campaign was launched and started by Prime Minister Narendra Modi in India on September 25, 2014 in a function at the Vigyan Bhavan. It is an initiative of the Government of India to encourage multinational, domestic as well as, companies to Automobile their products in India. An ambitious Make in India campaign by the government of India can not only change the image of the country as a hub for Automobile but also as a destination to do business. Major objective of this scheme focuses on 25 sectors. The sectors are Automobiles, textiles and Garments, Biotechnology, Wellness, Defence, Manufacturing, Ports, Food Processing Mining, Media and Entertainment, IT and PM, Pharmaceuticals, Renewable Energy, Roads and Highways, Railways, Thermal Power, Oil and Gas, Space, Leather, Construction, Aviation, automobile components, chemicals and Electronic System. This paper attempts to study the role of Make in India as a driver of growth of Automobile sector and for this we used the Secondary data with t-test. The secondary data collected from journals, magazines articles, brochures, annual report etc.

Key words - FDI, Automobile sector,GDP.

Introduction - Prime Minister Narendra Modi launched "Make in India" on 25 September 2014 in a function at the Vigyan Bhavan. On 29 December 2014, a workshop was organized by the Department of **Industrial Policy and Promotion** which was attended by PM Modi, his cabinet ministers and chief secretaries of states as well as various industry leaders. The major objective behind the initiative is to focus on job creation and skill enhancement in 25 sectors of the economy. The initiative also aims at high quality standards and minimizing the impact on the environment. The initiative hopes to attract capital and technological investment in India. In other way India should increase FDI in all major sectors.

Under the initiative, brochures on the 25 major sectors and a web portal were released. The program lays emphasis on 25 sectors such as automobiles, chemicals, IT, pharmaceuticals, textiles, ports, aviation, leather, tourism and hospitality, wellness, railways, auto components, design manufacturing, renewable energy, mining, bio-technology, pharmaceuticals, electronics, etc. with focus on job creation, skill enhancement, economic, technical as well as overall infrastructure development. It also focuses on giving Indian industry a global recognition. Automobiles industry requires heavy finance to facilitate the buying of latest modern technology, setting up and development of required infrastructure, developing skill set of its human resource to produce best quality products and survive in ever increasing global competition. Before the initiative was launched, foreign equity caps in various sectors had been relaxed. The application for licenses was made available online and the validity of licenses was increased to three years. Various other norms and procedures were also relaxed. In August 2014, the Cabinet of India allowed 49% foreign direct investment (FDI) in the defence sector and 100% in railways infrastructure and automobiles. The defence sector previously allowed 26% FDI and FDI was not allowed in railways. This was in hope of bringing down the military imports of India. Earlier, one Indian company would have held the 51% stake; this was changed so that multiple companies could hold the 51%. Between September 2014 and November 2015, the government received 1.20 lakh crore worth of proposals from companies interested in manufacturing electronics in India. 24.8% of smartphones shipped in the country in the April–June quarter of 2015 were made in India, up from 19.9% the previous quarter.

The Indian auto industry is one of the largest in the world. The industry accounts for 7.1 per cent of the country's Gross Domestic Product (GDP). The Two Wheelers segment with 81 per cent market share is the leader of the Indian Automobile market owing to a growing middle class and a young population. Moreover, the growing interest of the companies in exploring the rural markets further aided the growth of the sector.

In order to keep up with the growing demand, several auto makers have started investing heavily in various segments of the industry during the last few months. The industry has attracted Foreign Direct Investment (FDI) worth US$ 15.06 billion during the period April 2000 to March

*Associate Professor, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA
**Associate Professor, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA
***Umiya Girls College, Rau, Indore (M.P.) INDIA

2016, according to data released by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP).Made in India policies are also promote FDI in Automobile sectors.

The Government of India encourages foreign investment in the automobile sector and allows 100 per cent FDI under the automatic route through made in India.

While the above mentioned statistics have undoubtedly taken the country's economy forward, the Indian automobile industry has indeed taken its people forward as well by creating nearly 19 million jobs in the country through both direct as well as indirect employment. The Indian automobile industry is responsible for employing 7 to 8 per cent of India's total employed population as of 2013. Automotive hubs across the country have given rise to ancillary industries engaged in manufacturing components for automobiles and more. This has resulted in the development of new urban settlements with civic amenities for healthcare and education, thereby bettering life style as well.

The research and development sector in India has also been complimented well by the automobile industry here through localization and indigenization of technology for the industry. Multiple tie-ups and alliances with multinational companies to gain technical knowhow has fast tracked technological development and growth for India. With a significant number of car makers already present in India and more of them looking to enter the market in the future, the potential of the Indian automobile industry is immense in terms of both revenue generation and employment.

Hypothesis :

1. FDI is helpful to encourage Gross Domestic Product.
2. Automobile sector increasing due to FDI.

Objectives of study :

1. To study the role of Make in India scheme as a driver for growth in different sectors.
2. To study how India is converting into global Automobile sector.
3. To generate employment in the country and its impaction economic growth
4. To motivate domestic and multinational companies to invest in India

Overview - The automobile sector of India is one of the largest in the world and accounts for over 7.1% of India's gross domestic product (GDP). It also contributes to nearly 22% of the country's manufacturing GDP. The sector was first opened to foreign direct investment (FDI) in the year 1991 during the liberalization of the Indian economy and has come a long way since.

Present Situation - The industry produced a total of 23,960,940 vehicles in April-March 2015 as against 23,358,047 in April-March 2014, registering a growth of 2.58% over the same period last year. The country is also currently the 6th largest market in the world for automobiles and is expected to become the world's third-biggest car market by the year 2020.As per the Automotive Components Manufacturers Association of India (ACMA), the world standings for the Indian automobile sector are as follows:

1. Largest tractor manufacturer
2. 2nd largest two wheeler manufacturer
3. 2nd largest bus manufacturer
4. 5th largest heavy truck manufacturer
5. 6th largest car manufacturer
6. 8th largest commercial vehicle manufacturer

Today, 100% FDI is allowed in the sector through the automatic approval route which means that foreign investors do not require the prior authorization of the Government of India. The impact of this decision can be seen in the data released by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) which states that the industry has attracted FDI worth USD 15.065 billion during the period April 2000 to March 2016.[5]

Thus, it can be reasonably concluded that India has emerged as one of the key global players (both as a consumer and a producer) in the automobile industry. It has witnessed tremendous growth, especially in the last few years and has become a base for global manufacturers. Volkswagen, Nissan, Renault, General Motors, Ford, Honda, Suzuki, Hyundai, Daimler, BMW, Skoda, Audi are all present in India and are manufacturing and assembling locally.

New Initiatives & Vision For The Future - The government of India aims to maintain this upward growth trend of the automobile industry and has launched several initiatives to achieve the same.

The Automotive Mission Plan 2016-26 (AMP 2026) is one such initiative. It clearly lays out the government's collective vision on how the automotive sector should grow regarding size, contribution to national development, technological maturity, global competitiveness and institutional structure. It aims to make India among the top three automotive industries in the world and increase exports exponentially to reach 35-40% of overall output. It also intends to increase its contribution to the GDP to over 12 %, generating 65 million more jobs as well as increasing the size to USD 300 billion by 2026.[8]

Another initiative launched by the government was the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric (FAME) India scheme in 2015 with a capital outlay of USD 122.3 million.

Data Base and methodology - In pursuance of the above mentioned objective the following methodology was adopted. The present research work is based on secondary data. The secondary data required for the study is collected through the discussion with the officials, official publication of government of India,

various publications of RBI, Planning Report and from official web RBI.

YEAR	GDP at Market Price	FDI IN AUTO-MOBILE SECTOR
2015-16	135760.9	31.22
2014-15	124882.1	15.89

2013-14	112727.6	45.95
2012-13	99513.44	74.56
2011-12	87360.39	361.25

We are using data of GDP and FDI of Automobile sector and then apply T-Test on it.

Compare the alpha level we chose (i.e. 0.05) to the p-value in the output. The p-value in the output is.0002448 and Table value is 2.776 smaller than the alpha level we chose, accept the hypothesis.

Suggestion and finding - FDI in India by Automobile sector has attracted foreign direct investment (FDI) worth US$13.48 billion during the period April 2000 to June 2015 this data was published by Department of Industrial Policy and Promotion. According to the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), the auto sector accounts for 4% of total foreign direct investment (FDI) inflow into India. In year 2012.This data represents that only 4 % FDI is attract by our auto industry. This was very less percentage. We should encourage our industries to attract FDI's so our GDP will be increased.

We should have to aims of double the contribution of the automotive sector to the country's GDP with providing additional employment to 25 million people by 2016. The automobile industry is one of India's major sectors, accounting for 22% of the country's manufacturing GDP.
FDI equity inflow In the Automobile sector increased by 72% during 2014-16 to USD 5.25 billion from USD 3.05 billion during 2012-14. During April 2016- December 2016, Automobile sector received USD 1453 million in FDI equity inflows, with major 11 countries. We should use our full 100% FDI to attract other countries.

Conclusion - Indian economy is growing and considered as third largest economy in terms of public private partnership. Indian economic policy reforms have given tremendous growth in industries, employment opportunities and living standards of the people. It is evident from the present that FDI inflows have shown significant growth in the post liberalization period and the inflow of

FDI into automobile industry enable to make momentous growth in the production in the various automobiles. The present study concludes that FDI inflows in automobile overcome our drawbacks and to make the Indian automobile as prestigious, profitable, successful and sustainable. India needs to develop a macro vision for promoting 'Make in India' in Automobile sector to attain the level of developed countries in Automobile. It should not only have Make 'In' India approach but also Make 'For' India. It should first satisfy the domestic market and then look for the exports. Present approach is more of export oriented than for the domestic market some changes increase FDI and export for development of country.

References :-

1. Report of the Committee on Compilation of FDI in India. Reserve Bank of India.(2015)
2. Bal M. Make-in-India & Higher Education Policy: the Way Forward. Retrieved from, 2014.
3. Dr. Arvind Chaudhari, Changing Paradox of Street Vendors and Vendor Zones in India. *International Journal of Management*, 5(12), 2014.
4. Vijay R. Kulkarni, A Study of Impact of Merchandise Variety and Assostment on Shopping Experience of Customer SIN Convenience Stores in Organized Retail in India. *International Journal of Management,* 4(1), 2013.
5. www.iimcal.ac.in , Make in India, Academic Perspective, Prof. Parthapriya Dutta.

****

Poverty As A Hurdle In Sustainable Development

Dr. Tabassum Patel *

Abstract - "Poverty is the condition of having insufficient resources or income. In its most extreme form, poverty is a lack of basic human needs to sustain as useful and working efficiency such as adequate and nutritious food, clothing, housing, clean water and health services. Poverty remains the only social problem that man attempts to solve it, has met with many other challenges and societal ills. The terms poverty and sustainable development are not new in our daily parlance but when seen from the practical point of view, they call for the attention of man, especially those who are human with the abuse of human rights. This paper is an attempt to explain the reasons of poverty which are the basic hurdles in sustainable development."

Introduction - Poverty is the oldest and the most resistant virus that brings about a devastating disease in the third world called under development. It is worse than diseases which are claimed to be the highest killer diseases. They attacks only a few number of people in a society which is a negligible portion of the world's population. As of poverty, it is an epidemic that affects a greater number of people in the society and the whole society at large, out of the world's population of more than 6 billion people, nearly 1.3 billion people live on less than a rupee a day, and close to 1 billion cannot meet their basic consumption requirement.

This has seriously affected sustainable development in India today. Consequently, while other societies are struggling to get to the moon, India is struggling to get back to the village. Mankind has failed to give poverty the attention it deserves. That is why a problem from time immemorial is plaguing the world today. Little or no findings have been made about the origin of poverty though Encyclopaedia Encarta says that the reasons of poverty are not clear. Yet there are attempts to eradicate it today. Therefore, in a society plagued by poverty, little can be said about sustainable development if the problem of poverty cannot be redressed. Poverty remains the only social problem that man attempts to solve it, has met with many other challenges and societal ills. The terms poverty and sustainable development are not new in our daily parlance but when seen from the practical point of view, they call for the attention of man, especially those who are human with the abuse of human rights.

Literature Review :

Elkington, 1997, (p.18) :What people tend to neglect and forget is the evolution of the concept of sustainability. Although the history and evolution of a concept might seem unimportant, it could help us predict the future trends and flaws that will appear. And it will help us ensure that the 21st century will be "the Sustainability Century".

Darshini Mahadevia (2001) in her paper entitled **"Sustainable urban development in India: an inclusive perspective"** said that the mainstream debate on urban development looks either at urban development or sustainable cities, and tends to miss out on people-centred approaches to development.

Partha Mukhopadhyay and Aromar Revi (2009) in there paper entitled "Keeping India's Economic Engine Going: Climate Change and the Urbanization Question" have attempted to examine that, urbanization in India is both a necessary input and an inevitable consequence of growth. However, we must accept that the existing urbanization models are unsustainable at the Indian scale and there is no available alternative trajectory.

Poverty - Poverty is the condition of having insufficient resources or income. In its most extreme form, poverty is a lack of basic human needs to sustain as useful and working efficiency such as adequate and nutritious food, clothing, housing, clean water and health services.

From my own perspective, poverty can be viewed as the absence of peace in an individual. This could be as a result of hunger, lack of medical care, marginalisation, denial of human rights relating to the fulfilment of basic human needs, freedom, etc. It is generally known that poverty can be "absolute" or "relative".

Thus, Poverty is one of the most retarding and devastating factors in human life. It is the root of underdevelopment and insecurity in India. The root cause of poverty is not by a person's unwillingness to work, his inability to work, lack of resources to put together or lack of skills. As a matter of fact, a poor person works very hard – harder than others and he or she has more skills and time

* H.O.D. (Management) S.Y.S.I.T.S., Ratlam (M.P.) INDIA

he/she can use. He/she shoulders the yoke of poverty because he/she does not receive the full worth of his work and his rights in the society.

The Poverty Situation In India - While remarkable progress has been made in some developing countries in reducing chronic hunger and abject poverty, especially in Asian countries, the situation has deteriorated in India.

Towards the end of the 1980s, 40 out of 64 low-income, food deficit countries failed to provide enough food to meet average nutritional requirements. One of them is India, their people were perennially condemned to hunger by inadequate incomes. In as much as food security is not just a supply issue, but also a function of income and purchasing power, the results of an assessment of the changes in per capital income during the same period were equally disquieting. It is difficult to know exactly how many people are poor and food insecure in India due to the dearth of information on poverty, food consumption and variation in the definitions and assumptions used. This causes the estimate of the world poor and insecure people to vary from about 300 million to one billion in 1986 FAO (1988). According to World Bank (1986), 340 million people in developing countries in 1980 did not have enough income for a minimum calorie diet that would prevent serious health risk and 730 million did not have enough income for a diet that is required for an active life. The Indian continent alone accounted for half of the population of those people.

Sustainable Development - Generally, when we talk of development, we often associate it with its sustainability. Sustainable here will be any development that can stand the test of time. Development could be defined as a positive change in the economic status of the bottom 50% of the population of a given society. If an effort fails to improve the economic condition of the bottom 50% of the population, it cannot qualify to be categorized as development effort. This is in contrast of the view of many development planners looking at development in terms of per-capita income of nations. In other words, if one is looking for the per capita real income of the bottom half of the population, not the national per capita real income.

During the last decade, we have observed a remarkable upsurge of concern about the sustainability of economic development over the long run. As a result, considerable effort has been invested in the design of an analytical framework that can be used to think about policies that promote sustainable growth. To better understand the term sustainability, one needs to look at it from a feasible and impact point of view. A developmental project that requires physical structures could be accepted sustainable from the structures in place but may not be impact wise sustainable. It is from this point that the sustainability is tied to development.

The Causes Of Poverty In India - The absence of all developmental factors in human life has been the cause of sustainable underdevelopment or “dark ages” in our societies. We must now look behind, sit up and move out of these doldrums. Poverty in Indian society can be attributed to many factors which I will just mention but few in this paper today. These factors are interwoven and so complex in such a way that, if they are not carefully separated and treated, our dreams for sustainable development in India will remain like a faint moon at the horizon.

Illiteracy - It has remained a terrible ulcer on the leg of development in India. It is one of the impediments that have not pushed India forward to achieve sustainable development. It is one of the forces turning the wheel of sustainable development in India anticlockwise. Think of an illiterate who will want to use a computer, think of an illiterate in our so-called global village who is faced with the latter’s challenges, etc.

Low Productivity in Agriculture - The level of productivity in agriculture is low due to subdivided and fragmented holdings, lack of capital, use of traditional methods of cultivation, illiteracy etc. This is the main cause of poverty in the country.

Under Utilized Resources - The existence of under employment and disguised unemployment of human resources and under utilization of resources has resulted in low production in agricultural sector. This brought a down fall in their standard of living.

Low Rate of Economic Development - The rate of economic development in India has been below the required level. Therefore, there persists a gap between level of availability and requirements of goods and services. The net result is poverty.

Price Rise - The continuous and steep price rise has added to the miseries of poor. It has benefited a few people in the society and the persons in lower income group find it difficult to get their minimum needs.

Unemployment - The continuously expanding army of unemployed is another cause of poverty. The job seeker is increasing in number at a higher rate than the expansion in employment opportunities.

This has been as a result of poverty and or negligence by those who can afford to provide these basic needs of life. If a panacea is not sought for, India will remain vulnerable to underdevelopment, ignorance and insecurity. The accusing fingers of the poor in India have always remained pointing at the rich for the later being what they are today.

The Impact Of Poverty On Sustainable Development - The impact of poverty on sustainable development in India is devastating. Due to the inability of the people to harness the resources that will improve their living conditions, it has helped to dismantle their hopes of life. Therefore the economic activities of these people continuously face diminishing returns.

This impact is seriously felt in the agricultural sector as well as other sectors of the economy. Since farmers lack the appropriate technology, updated skills, modern technology, capacity building, innovative techniques, tools,

lack capital to invest in this sector (to improve the soils and multiply the yields), because of this poor state, the sector has seriously been affected.

Considering the indiscriminate population explosion in India in relation to the shrinking food production and the economy, there is a serious threat to food production and food security. The policies to guarantee food security and eliminate hunger in India have remained all theories on the lips of those who preach it to make political gains. Except these theories are transformed into concrete action and realities, one will wonder how this issue of food security that has remained a sing-song for the past decades will be guaranteed and hunger that takes away souls every hour in India will be eradicated.

Suggestions :

1. We should strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.
2. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all.
3. We should aim to empower communities, diversify livelihoods and improve economic resilience through reforestation.

Conclusion - Sustainable development in India can be given a succinct treatment if and only if poverty is eradicated first. This is because we cannot leave the substance and chase the shadow. If we leave poverty to prevail in India societies, then the dream of sustainable development will still be far fetched. This is because if a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich.

References :-

1. Rostow, W. W. (1998). The Great Population Spike and After: Reflections on the 21st Century.New York and Oxford, UK: Oxford University Press.
2. MacKenzie, James J. (1996) Oil as a Finite Resource: When will Global Production Peak?
3. World Bank (1997). Expanding the Measure of Wealth: Indicators of Environmentally Sustainable Development.
4. UNDP, Human Development Report 1994.
5. UNDP Human Development Report 1997, Chapter 3.
6. Holmberg . (1992), Making Development Sustainable, Chapter 1;
7. Reed . (1997), Structural Adjustment, the Environment and Sustainable Development, Chapter 2.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Splintering The Glass Ceiling -The Changing Scenario

Dr. Sunita Wathrey * Astha Rajak **

Abstract - Despite the remarkable increase in the existence of women in the workforce, the entry of women into higher managerial positions remains restricted. Various studies have confirmed this fact. This phenomenon of hampering women's upward advancement to senior management positions has been referred to as the glass ceiling effect.
The status of women in India has been paradoxical from the beginning. Among some classes, women are extremely powerful but still lacking in fewer fields dues to various forces which hinder them. These forces can be socio-cultural, legal, personal, and organizational, behavioral, which affect a woman's rise to the upper echelons of an institution universally for most of the parts.

This paper seeks to examine the status of the women and the presence of glass ceiling in the mid-level jobs basically in Indian IT sectors. The glass ceiling is not an implicit concept but a reality. This is not only because women are held to higher standards as compared to men but also because they are neither made aware of nor given opportunities that would catapult them to the upper echelons. Often, women with technical competencies in line functions such as manufacturing, R&D, and operations end up in staff functions. Experience in line or operational functions, during one's mid-career, are often an unwritten prerequisite to getting into the C-suite.
Key words - Glass Ceiling, Women, Career.

Introduction - The status of women in the Indian society has undergone a sea change in the past few decades from a mere homemaker to a dynamic multitasking individual. They have been able to carve out a niche for themselves and leave behind a mark in the sphere of life including professions still considered male-dominated. This, of course, comprises the corporate business world.

The environment for multinational corporations has been quite capricious with abundant trials for the firms operating in this arena. Recruitment processes have changed and a large number of women have joined the corporate workforce. Throughout the period there have emerged a number of executive women leaders in India who have been recognized for their contributions and hard work to organizational excellence and leadership despite the environment fluctuation, but invariably even a few years back women contributions were not so welcome to hold and glorify the top level positions of different corporate houses.

For years, women had to struggle a lot not only to make their mark in the corporate sector but also to climb up the organizational ladder. Unfortunately, she still struggles with the orthodox beliefs and rigid stereotype perceptions of the society. Right from the recruitment process to working and promotions—women face some or the other barrier. In corporate, she is a victim of harsh effects of "Glass Ceiling" that still happens to be a harsh reality in the Indian corporate world.

What does glass ceiling mean? - According to the US Department of Labour, glass ceiling, usually refers to an artificial barrier, based on attitudinal or organizational that avert qualified and deserving women from progressing to the senior managerial position. The situation is described as a ceiling as there is a constraint blocking upward advancement and glass, transparent because the limitation is not immediately apparent and is normally an unwritten and informal policy.

While in the present times we do see most of the women holding very senior positions in the corporate world and there are no explicit obstacles keeping women away from securing advanced job positions – the 'glass ceiling' as a practice does lie beneath the surface.
According to "Thomson Reuters Foundation" a report published on August 2014,

The report "Women on Boards", by Biz Divas, a Indian network of professional women, and law firm Khaitan and Co, said that men hold 8,640 boardroom positions and women 350 in the India's 1,470 listed firms.
"Archaic cultural stereotypes on the roles of men and women in society are large to blame, while widespread illiteracy and socio-economic problems further worsen the problem."

*HOD & Professor, Pt. Shambunath Govt. P. G. College, Shahdol (M.P) INDIA
**MBA Student, II Year (Management) SGSITS, Indore (M.P) INDIA

The Companies Act, 2013, passed by Indian parliament in August 2013, makes it mandatory for public and private firms with an annual turnover of at least three billion rupees ($50 million) to have at least one female director by October 1, 2014. Experts say the law recognizes that having women in a company's boardroom correlates with better performance and sustainability.

How Does Glass Ceiling Permeate In The Corporate World? - One of the major hurdles in the way of the glass ceiling is that the pyramid tends to grow narrower as one rises up the corporate ladder. And needless to say, there are very fewer commonalities at the senior most management level. And of those that happen to be women, find themselves outnumbered by men at the organizational round table. It goes without saying that women do try and fit in, such as join for a drink, but it is far less prevalent. At senior levels, men instinctively tend to talk other men seriously and their female counterparts.

Needless to say, that prevalence of such practices has an adverse effect on women employees and on the overall company. Promoting a workplace culture that is equitable and ensures a healthy work environment is the duty of every human resources department. Organizations must ensure that the glass ceiling is blurred and even women employees get equal opportunities in the domain of business.

Developing a Recruitment Process to Restrain the Glass Ceiling - Discontented by the effects of glass ceiling many women have sought to the path of self-employment or get involved themselves in households. However, the reality of women working in the corporate sector has to be accepted and organizations along with their respective human resources department have to take an initiative to keep a proper check on this.

Here's what corporate can do in the matter.

1. **Recruit and promote based purely on talent and potential of the individual -** Employers must take the initiative to recruit and promote based on veritable talent. Organizations must overhaul their recruitment processes and opt for nurturing new women employees. Discrimination at any cost must be avoided. The recruitment process must be clear and transparent and must treat everyone equally.
2. **Get rid of evaluation bias -** Recruiters must be conscious about any kind of bias or discrimination that may exist in any processes of the organization. Whether it is the recruitment process or appraisal, training & development, and even social gatherings, employers must make sure that they are able to do away with any kind of biases. Ensure that you deliver honest feedback if there's an issue that's hindering an employee's path to advancement especially the women.
3. **Ensure gender-neutral workplace and promote networking -** The human resources departments must keep a check that they work towards promoting a workplace culture that is completely gender neutral and promotes equality among all employees.

Currently, professional networking is something truly important. Employers need to take this into consideration and promote networking activities that are gender-friendly. Such moves will ensure women employees are also able to get enough and build on their networking skills. Focusing on gender neutral activities are the best options in advocating equality.

Literature Review -

Ms. Anita Sharma, Prof. Sushma Sharma, Dr. Neeraj Kaushik (2011) in their research paper "An exploratory study of glass ceiling in Indian education sector" mentioned that the main objective of the present study was to cogitate whether there exists Glass ceiling in Indian education sector. Data from two hundred and thirty-four respondents (from forty-two colleges of six districts) were collected. The mean score of all statements was taken as Average Glass ceiling score. One must be properly groomed for the top positions and it was observed that women employees lack tremendously in getting mentors.

Deepika Nath, (2000) in the research paper "Gently shattering the glass ceiling: experiences of Indian women managers", determines the issue and challenges that women managers are facing currently. By interviewing the various women managers she seeks to analyze the status of women in their organization including the number and level of women in their workplace, their experience and how those might differ from their male counterpart. She also tries to analyze whether there were any biases within the organization as a whole or part of it against hiring or promoting women. By this research, she concluded that women managers in India have a positive experience in their organizational progress and the family support and encouragement is critical to their success.

Koshal & Gupta (1998) conducted a survey, "Women Managers in India: Challenges and opportunities" to find out the degree of glass ceiling exists in the largest democracy of the world and functions of women manager. The study reveals about the cultural barriers that are existing for women in India that prevent them from advancing to corporate leadership positions The results of study revealed that more than 40 percent men and women believe that there are significant barriers to women's advancement in their organizations and the women are not encouraged enough to assume leadership position. There appears to be inequity in pay in Indian corporate, fifty-seven percent women think that they need to work harder than men to prove their competence. Male stereotyping exclusion of women from an informal communication network, commitment to family responsibilities, lack of business experience, and not being in the pipeline long enough are some of the barriers to women's advancement.

Research Methodology-

Primary Data - The primary data was collected through systematic objective Questionnaires.

Research Design - Descriptive Research

Sample Size - 30 mid-level women executive are selected randomly from a different private sector.

Sampling Technique - Convenience Sampling.

Data Collection Tool - Close-ended Questionnaires were sent to the respondent.

Analysis Tool and interpretation - Data is analyzed on the basis of the online questionnaire by the various mid-level women executive through QuestionPro, an online survey tool.

Research Area - Mid level executive from different private sectors.

Results - Responses are collected through online survey tool from the women who have working experience of up to 8 years. Women at the mid-level executive position had a positive experience in progression through the organization, despite the different traditional environment that might have suggested otherwise. Our survey-based analysis exhibits a reduced level of glass ceiling effect is present at this position. Survey analysis suggested that 70% of women are feeling that they are equally respected at the workplace as their male counterpart. Moreover, almost 90% of women and men have the equal chance of access to business critical roles in this organization and equally considered for career advancement activities in organization development. Interestingly, our studies revealed that mentorship and leadership quality are constant regardless of gender. Intrigued, it might be possible that social and cultural barriers that exist in India prevent women from advancing to corporate leadership positions. The results of the present study also revealed that more than 70% men and women believe that there is an insignificant difference in women's advancement in their organizations and the women are encouraged to climb the ladder of leadership position. Notably, findings suggested that 60% of respondent believe that there is uniformity of proposal acceptance regardless of the gender. However, it could exist above the assumed level. Women are undoubtedly more regular, constructive and balance in their work; even physical disability of women does not affect the work performance and growth of the women within the organization.

Conclusion - A number of studies based on the survey analyzed the work performance of women and compared with men. There is muddled observation exists at a different level of organization. The presence of healthy, co-operative and respectful environment in the organization are uniformly distributed regardless of gender and place at managerial state, it also is noteworthy that paradoxical traditional society may be one of the major and responsible features of the glass ceiling. While it would be too early to claim that Indian women have broken the glass ceiling and assure a respectful position in the different organization.

Enigma of women empowerment in India is still in the development phase. Theoretically, every woman is capable of reaching the top of her organization as what sets women such as Indra Nooyi, Chanda Kochchar, Vinita Bali apart from the rest of the similarly talented women are: a high level of sustained self-confidence and emotional quotient, persistence and patience, the right mentors at various stages of their career, an extremely supportive family and a little bit of luck or opportunity.

References :-

1. https://tejas.iimb.ac.in/interviews/35.php
2. https://www.researchgate.net/publication/277590269_EXISTENCE_OF_GLASS_CEILING_IN_INDIA
3. http://news.northeastern.edu/2017/03/looking-through-the-glass-ceiling-symposium-examines-state-of-womens-advancement/
4. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09649420010310191
5. http://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-24875473/the-indian-women-breaking-through-the-glass-ceiling
6. http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/2016-saw-several-indian-women-breaking-the-glass-ceiling/articleshow/56268702.cms
7. https://www.ripublication.com/ijmibs-spl/ijmibsv4n2spl_03.pdf
8. http://in.reuters.com/article/india-companies-women idINKBN0G71IV20140808
9. http://in.reuters.com/article/india-companies-women-idINKBN0G71IV20140807

****

An Analysis of Impact of Global Recession on Indian Economy

Prof. Bhavik Vora * Dr. Rajeev kumar Jhalani **

Abstract - In the era of globalization most of the countries are integrated with each other. India is integrated with the economy of the world through both Capital and Current Accounts. Financial market crisis that erupted in the United States of America in August 2007 has developed into the world largest shock since the Great economy as the financial turbulence has spread over to the real economy. The downturn that appears to have begun in the U.S.A. has some negative impact on Indian Economy. The recession generated the financial crisis in USA has adversely affected India's foreign trade. For fighting crisis Government of India responded through its monetary policy by pumping the liquidity into the system rather than using effective fiscal policy i.e. Public expenditure and investment to face the recession. This has weakened the impact of global recession on Indian economy. No doubt demand of the economy has been stimulated through the introduction of three financial stimulus packages but it was not sufficient, larger amount should be oriented towards Infrastructure and Agriculture. The present paper is an attempt to analyze the impact of global recession on Indian economy.
Key words - Depreciation, Foreign Institutional Investment (FII), Global financial meltdown, recession

Introduction - In the era of globalization financial crisis seems to have been occurring with greater frequency. The global financial crisis of 2008-09 emerged in September 2008 with the failure merger of several large United States based financial firms and spread with the insolvency of additional companies in Europe, recession and declining stock market prices around the globe. Due to fall in the stock markets and collapse of large financial institutions, government of several countries has to come up with rescue packages to bail out their financial systems. The Global financial crisis of 2008-09 was rooted in the subprime crisis which surfaced over a year ago in the United States of America. During the boom years, mortgage brokers attracted by the big commissions, encouraged buyers with poor credit to accept housing mortgages with little or no down payment and without credit checks. A combination of low interest rates and large inflow of foreign funds during the booming years helped the banks to create easy credit conditions for many years. Bank lent money on the assumption the housing prices would continue to rise. Also the real estate bubble encouraged the demand for houses as financial assets. Banks and financial institution later repackaged these debts with other high risk debts and sold them to worldwide investor creating financial instrument called Collateralized Debt Obligation.

Objectives Of The Study :

1. To study the Impact of Recession on Indian Industrial sector.
2. To study the Impact of Recession on Indian Stock market.
3. To study the Impact of Recession on Foreign institutional Investment.
4. To study the Impact of Recession on Foreign exchange market.
5. To study the Impact of Recession on India's GDP Growth rate.

Research Methodology - The present study based on secondary data only. Secondary data are collected from Central Statistical Organization, Government of India, Bombay stock Exchange India, SEBI Bulletin 2010, Economic survey of India 2010-11 and 2011-12, and other sources like magazine, Government report. Large amount of secondary data is available in the forms of articles, manuals and previously conducted researchers on the similar topic. Also the data the gathered will help in identifying key parameters to examine through further exploration and thus will help in defining the Objectives.

Impact of Global Meltdown on the Indian Economy - The Indian economy has shown negative impact of the recent global financial meltdown. Though the Public sector in India, including nationalized banks could somehow insulate the injurious effects of globalization as we are also part of the globalization strategy of neo liberalization, there is a limit of our ability to resist global recession, which may change into a great depression. The impact of the crisis

*Assistant Professor, R.P.L. Maheshwari College, Indore (M.P.) INDIA
** Principal, R.P.L. Maheshwari College, Indore (M.P.) INDIA

was significantly different for the Indian economy as opposed to the western developed nations.

Impact of Recession on Indian Industrial Sector - During Recession industrial growth was also faltering India's industrial sector has suffered from the depressed demand condition in its export market as well as from suppressed domestic demand due to the slow generation of employment domestic demand due to the slow generation of employment. As per the index of industrial production (IIP) data released by CSO the overall growth in 2008-09 was 3.2 percent compared to a growth of 8.7 percent in 2007-08.

Table I: Index Of Industrial Production (Growth)

Year	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Index of industrial productio-n(growth)	8.0%	11.9%	8.7%	3.2%	10.5%

Source: Central Statistical Organization

Impact of Recession on Indian Stock Market - Indian stock market hold prominent place not only in Asia but across the whole world. Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange are the two famous Stock Exchanges of the India. BSE is the oldest stock exchange of the world whereas NSE is remembered for its sophistication and advanced technology. Indian Stock Market achieved remarkable heights before global recession. Indian Stock Market was badly affected by global recession. Due to global meltdown there was a sharp collapse in the stock prices. As a result, the Sensex fell from its closing peak of 20873 on January 2008 to nearly 8000 in October-November 2008.

Table II: BSE Sensex

Year/Day	2008-09	2009-10	April ,2010	May,2010
BSE Sensex	9708.5	17527.8	17558.7	16944.6

Source: SEBI Bulletin June 2010 Vol.8 number 6

Impact of Recession on Foreign Institution Investment - Foreign institutional Investment noticed outflow from equity market due to global crisis. Foreign Institutional Investment which need to retrench assets in order to cover losses in their home countries and were seeking havens of safety in an uncertain environment, have become major sellers in Indian markets As FIIs pull out their money from the stock market the large likely to be the export and small and marginal enterprises that contribute significantly to employment generation. In 2007-08, net foreign Institutional Investment (FIIs) inflows into India amounted to $16040 million. But in April- November 2008 it was negative to $8857 million.

Table III: Net Investment Of Fiis At Monthly Exchange Rate

(In Us $ Million)

Year	**Amount**
1999-2000	2339
2000-01	2160
2001-02	1846
2002-03	562
2003-04	9949
2004-05	10272
2005-06	9332
2006-07	6707
2007-08	16040
2008-09*	-8857

*April-November, 2008-09

Source: Reserve Bank of India

Impact of Recession on Foreign Exchange Market -The foreign exchange market came under pressure because of reversal of capital flows as part of the global decelerating process. Foreign exchange reserve was depleting. It was $ 309.7 billion in 2007-08 and came down to $252.0 billion in 2008-09 which shows the direct impact of the financial crisis on India's foreign exchange reserve.

Table IV (see in next page)

Impact of Recession on India's GDP Growth Rate -The Impact of the crisis was significantly different for the Indian economy as opposed to the western developed nations. After a long spell of growth, the Indian economy was experiencing a down turn.

Table V : Trends In Gdp At Factor Cost (Rs In Crores)

Year	GDP(2004-05 price)	Growth (%)
2005-06	3254216	9.5
2006-07	3566011	9.6
2007-08	3898958	9.3
2008-09	4162509	6.8
2009-10	4493743	8.0
2010-11	4879232	8.6

Source: Central Statistical Organization, Government of India

The Table shows that in 2006-07 the GDP growth rate was 9.6% which became 9.3% in 2007-08 and due to the impact of recent global financial crisis and global recession, the growth rate of Indian economy became declining. In 2008-09 it reduced to 6.8%. The International Monetary Fund has also projected the growth prospects for Indian economy to 5.1% in next year. And the RBI annual policy statement 2009 presented on July 28, 2009 projected GDP growth at 6% for 2009-10. The declining trends has affected adversely the industrial activity, especially in the Manufacturing, infrastructure and in service sector mainly in the construction, transport and communication, trade, hotels etc.

Conclusion - India has been hit by the global meltdown; it is clearly due to India's rapid and growing integration into the global economy. The strategy to counter these effects of the global crisis on the Indian economy and prevent the latter from any further collapse would require an effective departure from the dominant economic philosophy of the neo-liberalism. The first such departure should be a return to Food first doctrine, not only to ensure food security of the large population but also due to the fact the food production will be more profitable given the current signs of a shrinking market for export oriented commercial crops.

The other important initiatives that needs to be adopted is the building of institution based on the principle of cooperation that will provide an alternative framework of livelihood generation in the rural economy as opposed to the dominant logic of markets under capitalism. Institutions like cooperative markets and credit cooperative can go a long way in addressing the lack of economically viable producer prices and loaning credit availability for economic activities in the primary sector. Such an alternative policy to tackle the consequences of the financial crisis will require effective Keynesian policies in the form of increased public expenditure at the rural and urban infrastructure.

References :-

1. Akyuz, Yilmaz (2008) "The Global Financial crisis and Developing Countries" Resurgence, December, Penang, Third world Network.
2. Patnaik, Prabhat (2007) "Financial crisis, Reserve Accumulation and Capital flow" Economic and Political weekly December 15.
3. Reserve Bank of India (2008), "Annual Policy statement for the year 2008-09" April, Reserve Bank of India, Mumbai
4. Reserve Bank of India "Weekly statistical supplement" Reserve Bank of India Mumbai
5. Central Statistical Organization, Government of India.
6. Economic Survey 2010-11 and 2011-12, Ministry of Finance, Government of India New Delhi.

Table IV : Foreign Exchange Reserve (In Us $ Billions)

Year	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Foreign Exchange Reserve	151.6	199.2	309.7	252.0	279.1	297.3

Source: Reserve Bank of India

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

Liberalization Effect On Indian Agriculture

Dr. Kavita Jadhav *

Abstract - Trade liberalization, by aligning domestic prices with world prices, is envisaged to bring in welfare gains to a country. In the case of indian agriculture, owing to the vastness and diversity of the sector, the impact is likely to be profoundly unequal across regions especially when liberalization is double edged, acting on both output and input sides. This paper views returns from land resource as a primary determinant of farmers' economic well-being and production incentive and considers paddy both as the dominant support for rural population and as a product with comparative advantage, as most studies have demonstrated. Working with state and sub-state level data and taking account of the differences in technologies, productivities and transport costs, the paper finds that the gains vary regionally and may not be positive in all cases when both output and input prices are globally aligned.
Key Words - Liberalization, Agriculture, Development, Growth.

Introduction - Agricultural marketing in india - India is an agricultural country and one third population depends on the agricultural sector directly or indirectly. Agriculture remains as the main stray of the indian economy since times immemorial. Indian agriculture contribution to the national gross domestic product (gdp) is about 25 per cent. With food being the crowning need of mankind, much emphasis has been on commercializing agricultural production. For this reason, adequate production and even distribution of food has of late become a high priority global concern. Agricultural marketing is mainly the buying and selling of agricultural products. In earlier days when the village economy was more or less self-sufficient the marketing of agricultural products presented no difficulty as the farmer sold his produce to the consumer on a cash or barter basis.[1]

The economic liberalization in india - The economic liberalization in india refers to the economic liberalization, initiated in 1991, of the country's economic policies, with the goal of making the economy more market and service-oriented and expanding the role of private and foreign investment. Specific changes include a reduction in import tariffs, deregulation of markets, reduction of taxes, and greater foreign investment. Liberalization has been credited by its proponents for the high economic growth recorded by the country in the 1990s and 2000s. Its opponents have blamed it for increased poverty, inequality, and economic degradation. The overall direction of liberalisation has since remained the same, irrespective of the ruling party, although no party has yet solved a variety of politically difficult issues, such as liberalising labour laws and reducing agricultural subsidies. There exists a lively debate in india as to what made the economic reforms sustainable.

Object Of Research :

1. To study of liberalization impact on india.
2. To study of liberalization impact on agriculture of india.
3. To study of agreeculture present marketing status in india.

Review Of Literature - I shekhar maidamwar, tapan choure said in his research paper that indian agricultural markets are likely to get affected through various readjustments in the output-vector as it exists before and after trade liberalization both at global and indian borders. Nilabja ghoshsaid in his article impact of trade liberalization on returns from land: a regional study of indian agriculture that some moderate gain can come from free trade only in output though not in all states, possibly coming from resource advantages specific to rice. Farmers in andhra pradesh, punjab, uttar pradesh, orissa and madhya pradesh faced higher export price possibilities than what they got in the prevailing regime of controls and would possibly turn out as exporters if the market were fully decontrolled. However, when the farmer is also exposed to the free market in tradable input this gain is eliminated except in one of the seven states 17 considered.

Research methodology - Present paper based on agriculture status of india an impact of liberalization on agriculture, so required data taken from various economic website, research journal and annual reports.

Indian Agriculture Today: A Snapshot - Agriculture employs 60% of the indian population today, yet it contributes only 20.6% to the gdp. (isaac, 2005) agricultural production fell by 12.6% in 2003, one of the sharpest drops in independent india's history. Agricultural growth slowed from 4.69% in 1991 to 2.6% in 1997-1998 and to 1.1% in 2002-2003 (agricultural statistics at a glance, 2006). This slowdown in agriculture is in contrast to the 6% growth rate of the indian economy for almost the whole of the past decade. Farmer suicides were 12% of the total suicides in the country in 2000, the highest ever in independent india's history. (unofficial estimates put them as high as 100,000 across the country, while government estimates are much lower at 25,000. This is largely because only those who

* Mata Jijiabai Govt. P.G. College, Indore (M.P.) INDIA

hold the title of land in their names are considered farmers, and this ignores women farmers who rarely hold land titles, and other family members who run the farms. Agricultural wages even today are $1.5 – $2.0 a day, some of the lowest in the world. (issac, 2005) institutional credit (or regulated credit) accounts for only 20% of credit taken among small and marginal farmers in rural areas, with the remaining being provided by private moneylenders who charge interest rates as high as 24% a month. An nsso2 survey in 2005 found that 66% of all farm households own less than one hectare of land. It also found that 48.6% of all farmer households are in debt. The same year, a report by the commission of farmer's welfare concluded that agriculture was in 'an advanced stage of crisis', the most extreme manifestation of which was the rise in suicides among farmers. Given the performance of agriculture and figures of farmer suicides across the country, this can be said to apply to indian agriculture as a whole.

The biggest problem indian agriculture faces today and the number one cause of farmer suicides is debt. Forcing farmers into a debt trap are soaring input costs, the plummeting price of produce and a lack of proper credit facilities, which makes farmers turn to private moneylenders who charge exorbitant rates of interest. In order to repay these debts, farmers borrow again and get caught in a debt trap. The researcher will examine each one these 3 causes which led to the crisis in andhra pradesh, kerala and maharashtra, and analyse the role that liberalisation policies have played. Andhra pradesh's experience is particularly relevant in this analysis because of its leadership. Chandra babu naidu, chief minister of andhra pradesh from 1995-2004, was an it savvy neo-liberal, and believed that the way to lead andhra pradesh into the future was through technology and an it revolution. His zeal led to the first ever state level (as opposed to national level) agreement with the world bank, which entailed a loan of usd 830 million (aud 1 billion) in exchange to a series of reforms in ap's industry and government. Naidu envisaged corporate style agriculture in ap, and implemented world bank liberalisation policies with great enthusiasm and gusto. He drew severe criticism from opponents, saying he was using ap as a laboratory for extreme neo-liberal experiments. Hence, ap's experience with liberalization is critical.[2]

liberalization and indian agriculture:

1. **Raising the production of foodgrains -** India has been experiencing the increase in the production of food-grains particularly after the inception of new agricultural strategy . Annual growth rate of 2.08 per cent was recorded during seventies. Annual growth rate of 3.5 per cent in food-grains in eighties.

2. **Increasing trend in horticultural output -** The diversity of physiographic, climate and soil characteristics enables india to grow a large variety of horticultural crops which includes fruits, vegetables, spices, cashewnut, coconut, cocoa, arecanut, root and tuber crops, medicinal and aromatic plants etc. India is the largest producer of fruits, and second largest producer of vegetables.

3. **Diversification of agriculture -** Agriculture is not only meeting the demand for food-grains but also other needs of development. In recent years, agricultural sector has been diversified to produce commercial crops and horticultural crops viz., fruits, vegetables, spices, cashew, arecanut, coconut and floricultural products like flowers, orchards etc. Dairy and other animal husbandry products.

4. **Increase in floricultural output -** About 31,000 hectares of land spread over karnataka, tamil nadu, andhra pradesh and west bengal are under flower production. Since the inception of liberalisation, commercial farming of floricultural activities has been increasing gradually. The demand for indian cut flower is increasing continuously in the international market.

5. **Agricultural exports -** Another important emerging trend of agriculture is the increasing volume of agricultural exports. Agricultural exports are playing an important role in expanding economic activities along with generating employment opportunities. The export-import policy (exim) 2002-03 has provided ample opportunities for increasing the volume of agricultural exports.[3]

Conclusion - Although agricultural trade tempo was slow in the initial stages of trade liberalization starting in 1992 due to both high tariffs and non-tariff barriers, subsequently there has been a significant growth in india's two way agricultural trade. While imports of various traditional and non-traditional food items such as vegetable oils, pulses, fruits, nuts, and processed food items recorded a steady growth, export growth in both traditional and non-traditional items such as rice, bovine meat, cotton, oilseed meal, sugar, maize, guar gum, fresh fruits, onions, dairy products and various processed food products was even more spectacular.

larger imports helped to contain the price increase in various food items such as vegetable oils, pulses, and fruits, thereby helping to contain the overall food inflation. However, trade liberalization also led to a definite shift in cropping pattern in favour of export-oriented agricultural and food products such as basmati rice, soybeans, cotton, maize, and some fruits and vegetables such as grapes, onion, etc. Trade liberalization also provided an impetus to the domestic food processing and fast food sectors as food processors and food chains now have increased access to various imported food products and ingredients.

References :-

1. Bhalla, G S (2004): Globalisation and Indian Agriculture, State of the Indian Farmer: A Millennium Study, Volume 19, Academic Publishers. Chand, Ramesh (2002): Trade Liberalisation, WTO and Indian Agriculture: Experience and Prospects (New Delhi: Mittal Publications). MoAC (various years): Area and Production of Principal Crops in India, Ministry of Agriculture and Cooperation, Government of India, New Delhi.
2. http://adhrit.in/impact-of-liberalization-on-agriculture-in-india/
3. http://www.yourarticlelibrary.com/agriculture/liberalization-and-indian-agriculture

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

Cashless Transaction : Opportunities Or Threats

Priti Solanki * Sangeeta Jain ** Dr. Tabassum Patel ***

Abstract - This paper review the Indian government initiative for cashless transaction it reviews the present scenario of E-payment, use of debit cards, use of credit card, mobile wallet in India special reference to Ratlam city. It identify the hurdles in implementing the cashless system The monetary rattle between consumption and affordability slammed the household severely for every now and then in all spheres of life from one pole to another. The findings reveal that the Cashless Transaction System has a charismatic appeal as it has an influential effect. While it is also investigated and concluded that Cashless Transaction System also has its opportunity and threats for the consumers.
Keywords - Cashless Transaction, Mobile wallet ,debit card ,government.

Introduction - The Government has scrapped 500 and 1000 rupee notes, to curb black money in the economy. Black money fuels corruption and terrorism in India. However the scrapping of 500 and 1000 rupee notes, creates the need for an alternative to cash. This gives an opportunity for India to become a cashless economy.

A lot of citizens believe, mobile wallet is the solution to make India cashless. The mobile wallet can help India become a cashless economy. Do you want to send your friend money, using just your phone number? The mobile wallet can help you do so. Want to receive money from a friend? The mobile wallet can help you do that too. You can even transact online using your phone number, without the need for a credit or a debit card

The main advantage of a cashless society is that a record of all economic transactions through electronic means makes it almost impossible to sustain black market or underground economies that often prove damaging to national economies, according to Infowars.com. Because it is also much more risky to conduct criminal transactions or avoid the proper payment of due taxes in a cashless society, such violations are likely to be greatly reduced. Undoubtedly, demonetization is the biggest economy-wide surprise that Indian businesses have faced for decades.

Cash refers to money in the physical form of currency, such as banknotes and coins. In bookkeeping and finance, cash refers to current assets comprising currency or currency equivalents that can be accessed immediately or near-immediately (as in the case of money market accounts).

A **cashless economy** is one in which all the transactions are done using cards or digital means. The circulation of physical currency is minimal. India uses too much cash for transactions. ... The number of currency notes in circulation is also far higher than in other large economies.

Cashless Transaction System - Cashless transaction system is a new and easier way of paying for goods and services . cashless transaction system was introduced in the 1950s Which reduce the risk of handling a huge amount of cash it include debit card, ATMS, smart card , store cards.

The purpose behind the **cashless economy** is to bring maximum financial transaction done through the credit card, debit card, net banking and the other source of electronic payments under the single currency system namely RuPay payment system.

Cashless transaction economy doesn't mean shortage of cash rather it indicates a culture of people settling transactions digitally. In a modern economy, money moves electronically. Hence the spread of digital payment culture along with the expansion of infrastructure facilities is needed to achieve the goal.

On November 8th, Indian government with-drawned Rs 500 and Rs 1000 notes- two highest denominations in circulation. Main objectives were to fight counterfeit money and black money. The action has given tremendous boost to cashless transactions as card based and digital payments were not hindered when all high denomination cash transactions suffered because of absence of high denomination currencies.

Opportunity of cashless Transaction :

1. Removal of black money/Reduces corruption - Cashless societies are generally corruption free. There are

*Asst. Prof (Management) S.Y.S.I.T.S., Ratlam (M.P.) INDIA
** Principal, S.Y.S.I.T.S., Ratlam (M.P.) INDIA
*** H.O.D. (Management) S.Y.S.I.T.S., Ratlam (M.P.) INDIA

lots of benefits for being cashless (doesn't mean being poor). Cost of handling cash is high, it is in the favor of economies to go cashless. Recently transparency international [The Global Anti-Corruption Coalition] did a research on corruption in countries and results was that the cashless countries are in top-30. **If we record of all economic transactions through electronic means makes it almost impossible to sustain black market.**

2. **Control criminal offence** - It helps to control criminal offence. Because it is also much more risky to conduct criminal transactions or avoid the proper payment of due taxes in a cashless society, It will reduce pick pocketing and highway robbery which is very rampant in some countries. Number of robberies has been reduced to a great extent in those countries.

After the bold move by prime minister Modi [This is similar scenario like cashless society] crimes rates has fallen from sky to deep inside sea. Union defence minister said that after demonetization the crime rates in Mumbai has reduced to half. Crimes with a financial motive have dipped sharply in Delhi since the government pulled out high-value banknotes, police data show. The number of robberies, burglaries, extortions and vehicle thefts has fallen in the week beginning November.

3. **Control Money Laundering** - Cashless transaction helps to control money laundering and effective .utilization of financial resources. Money laundering diminishes government tax revenue and therefore indirectly harms honest taxpayers. It also makes government tax collection more difficult. This loss of revenue generally means higher tax rates than would normally be the case if the untaxed proceeds of crime were legitimate.

4. **Convenient to public** - Using a payment card gives convenience and security than making cash withdrawal and moving to where to make purchase. cashless economy increase transparency in system. this makes banker expand their business because each citizen in India required have a bank account now labor get paid in their bank account therefore minimum wages as per Indian labor law can be ensured by each labor in India.

5. **Useful for corporate -** cashless payments will help businesspeople grow their customer base and resource pool, far beyond the limitations of their immediate geographic area. It helps. Eliminates overproduction and under production drive a new market in form of digital payment bank, e-wallet and e payment more entrepreneurs now have opportunities to take advantages
of it.

6. **Tax legislation** - Cashless transaction also helpful for tax legislation. By temporarily turning off the engines which drove the cash economy, India hoped that more people could be brought into the fold by using track-able and taxable digital financing vehicles, like debit cards and e-wallets.

7. **Tool for Cost reduction -** It promote transparency and accountability, reduce transaction costs Going cashless boost economy because cost of managing paper money is high.

8. **Save Environment -** It also adds up to environment as no tree will be cut for printing paper money. It is anti-biotic for fake currencies. There are not any cons as you can use plastic money like as paper money. But you need to invest something in infrastructure for plastic money.

Threats

1. **Time** taken **for a transaction -** The major draw back of cashless transaction that it consumes time . some times it creates a problem for human being. if the person has medical emergency so he will use the card and purchase medicine and pay through online so it will take more time because of low network connectivity and it can be dangerous for the ill person.

2. **Security issues -** it crates securities issues. Sometime it is not the technological fault but the the user, and their lack of understanding of security issues. If we give our card and pin number to other person for any reason it can be misused . Might forgot pin , a cashless society consist of privacy issues and computer hackers can misuse information . Cashless economy comes with its own harms and threats most importantly that of cyber crime and illegal access to private data. Time taken in process of card payment

3. **No privacy with cashless -** There is no privacy switching on cashless means that each and every transaction is tracked and documented. This is great for governance, and for taxation, but there is no protection for citizens, as to who owns that data, whom they can share it with, and how it will be utilised. If I'm using a wallet, where is the law that prevents usage of that data for advertising to me? By switching to cashless, you're not giving users a choice. India doesn't have a privacy and data protection law, and shamefully enough, the Indian government has gone to court arguing that there isn't a fundamental right to privacy in the country.

4. **Language compatibility -** Paytm has recently updated their application with some features enabled in Indian languages. Mobikwik has done English and Hindi. PhonePe works in English, Hindi and Tamil. However, most mobile handsets don't have an Indian language interface, as don't most applications and services.. There's a part of the population in India which still isn't able to read and write, leave alone being able to read and write English, while we don't have phones that are in Indian languages and apps that aren't in Indian languages. The digital divide here is massive. Physical notes are a visual medium of exchange.

5. **Interoperability issues (between payment systems) -** cash is interchangeable you don't need a connection, an application or an account to exchange cash. Here, you have a situation where State Bank of India doesn't allow payment into a Paytm wallet via net banking, or wallet to wallet transfer isn't allowed. There's the Unified Payments Interface, set up by the bank owned group NPCI, where the Reserve Bank of India has not allowed wallet to wallet

transfers. Customers are locked-in whether it is to their bank account (because you need banking systems functional to transfer money) or to their wallets.

6. Litracy Rate - Digital literacy still stands low in India as citizens of cashless society will have to operate devices and they will have to online frauds are increasethe average literacy rate surely play a role in the success of cashless transaction plan of the state government.Many villages do not have proper banking service and more than 20 cent of the eligible people don, have bank account .moreover it is not feasible to force illiterate people to use debit card, and credit card in the name of cashless transaction as the banking system in india is still unsecured and many fraudulent practice like online money thefts continue to occurs many literate people also don't know how to operate cards.

Disscusion - India continues to be driven by the use of cash; less than 5% of all payments happen electronically however the finance minister, in 2016 budget speech, talked about the idea of making India a cashless society, with the aim of curbing the flow of black money.

Even the RBI has also recently unveiled unveiled a document — **"Payments and Settlement Systems in India: Vision 2018"** — setting out a plan to encourage electronic payments and to enable India to move towards a cashless society or economy in the medium and long term.A cashless economy is one in which all the transactions are done using cards or digital means. The circulation of physical currency is minimal.

India uses too much cash for transactions. The ratio of cash to gross domestic product is one of the highest in the world—12.42% in 2014, compared with 9.47% in China or 4% in Brazil.Less than 5% of all payments happen electronically.

Conclusion - Every coin has two sides. So to give conclusion about whether India is ready to go cashless or not so early will not justify the topic completely. Since these decisions are not made in one day and neither their effects so early will justify it therefore for a better conclusion let us give it some more time. But as of now ,I think India is surely on its way to become cashless very soon. Government is doing every possible thing it can do to make India a developed country by making it cashless."Guys we have to learn how to accept a short term pain for a long term gain".

References :-

1. James Adetunji Odumeru, 2013, Goin Cashless: Adoption Of Mobile Banking , Vol. 1, No.
2. Dr. shubrahmanians, s, 1January(2014) ,Paper- Free Payment System In India –An Analaytical Study, Volume 5,Issue
3. Khan, Jashim; Craig-Lees, Margaret 2009, ''Cashless'' transactions : perceptions of money in mobile payments,
4. Mihir Sharma, Nov 09, 2016, India goes cashless too soon: Will Modi's big idea work
5. Bodhisattva Sengupta. (2016). "Endogenous Leadership in a Federal Transfer Game

****

Implementation Of New Media Based Strategies For Sustainable Development Promotion In Higher Education

Dr. Rajesh Jain *

Abstract - It is high time that more and more people must understand that creation of a sustainable world depends on fundamental changes in our socio-economic systems as a whole, supported by a critical re-orientation of our principles, values, behaviors and lifestyles. New media can play a crucial role in advancing ESD in higher education. This argument is based on the fact that access to a variety of new media services is increasingly recognized as a vital factor for educational, economical, social and cultural development. In backdrop of these observations, above proposed strategies offer a road-map for higher education institutions to use new media for promotion of ESD among students community. Suggested strategies intend to support higher education institutions to promote ESD by connecting different sources and forms of knowledge regarding sustainable livelihoods.
Keywords - sustainable, critical, strategies, re-orientation, sustainable livelihoods.

Introduction - The world continues to face various critical challenges such as: human-induced climate change, the rapid depletion of natural resources, the frequency of natural disasters, the spread of infectious diseases, the loss of biodiversity , the violation of human rights, increased poverty, the dependency of our economic systems on continuous growth in consumerism and so forth. It is high time that more and more people must understand that creation of a sustainable world depends on fundamental changes in our socio-economic systems as a whole, supported by a critical re-orientation of our principles, values, behaviors and lifestyles. There are three dimensions of Sustainable Development (SD): social development, environmental development and economic development. These developmental challenges demand that people must assume responsibility and take actions for creating a sustainable future. The Decade of Education for Sustainable Development (DESD) aims to integrate the principles, values and practices of sustainable development into all aspects of education and learning.

ESD Promotion: Role of Higher Education Sector - Higher education represents one large-scale sector with a unique combination of roles that can be harnessed to focus and mobilize its education, knowledge exchange, research, corporate responsibility and future shaping agendas to achieve significant impacts in the area of sustainable development. The role of higher education sector for ESD seems more important considering the fact that there is a shortfall in the number of newly trained professionals equipped to work on the complex challenges of sustainable development, including poverty reduction, biodiversity conservation, disease control, climate change mitigation and adaptation and the creation of livable and sustainable cities. In backdrop of this observation, it becomes clear that higher education sector across the globe is expected to act as torchbearer to promote ESD. The global situation demands that researcher must look for new ways to foster ESD practices and pedagogies, especially empowering student's development. ESD initiatives by

Higher Education Sector need to address sustainability issues by reorienting curriculum, programs, practices and policies. New media can play a crucial role in advancing ESD in higher education. This argument is based on the fact that access to a variety of new media services is increasingly recognized as a vital factor for educational, economical, social and cultural development.

Knowledge Creation and Circulation : Influence of New Media - Education is a key to shaping values and behavior to help realize sustainable development through to help realize sustainable development through acquiring knowledge and skills. Quality education responds to learners' individual needs, endowing them with their own

*Asst. Professor (Commerce) IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA

voice and capacity to exploit their potential to its fullest. New media can play a crucial role to educate people to become citizens of the world, with the skills and competencies to address the climate changes as they come. This argument is based on the observation that New Media has already introduced various cultural experiences, behavioral modes and ways of life for a variety of individuals inside the community. New media is providing the critical knowledge and the analytical tools to empower people as observed by the Ito et al. " Our values and norms in education, literacy and public participation are being challenged by a shifting landscape of media and communications in which youth are central actors." New media is a broad term that emerged in the later part of the 20th century to encompass the amalgamation of traditional media such as film,

images, music, spoken and written word, with the interactive power of computer and communications technology, computer-enabled consumer devices and most importantly the Internet. Use of the term new media implies that the data communication is happening between desktop and laptop computers and handhelds, such as personal digital assistants (PDAS) and the media they take data from such as compact discs and floppy disks. New media mainly includes: Websites, streaming audio and video, chat rooms, e-mail, online communities, web advertising, DVD and CD-ROM media, virtual reality environments, integration of digital data with the telephone, such as Internet telephony, digital cameras and mobile computing.

Using New Media for Promoting ESD in Higher Education : Useful Strategies - Higher education sector is lacking to prepare students for a sustainable future. The results of an international survey revealed some of the more prevalent barriers to addressing education for sustainability. According to this survey the main barriers are too few professionals to provide inspired education for sustainable development (ESD), limit staff awareness and expertise, overcrowded curricula and lack of new teaching methods and courses, insufficient funding and inadequate national . provincial and local policy to support ESD. The current uses of new media in ESD fall into three broad categories: Information resources, tools and portals for educators; supplements to classroom-based activities; and tools for distance/online learning. One such notable examples of using new media for ESD is 'Global Classroom on Sustainable Development Programme' of Earth Institute at Columbia University run with support of MacArthur Foundation. Considering the fact that sustainable development is a worldwide responsibility, this programme aims to bring together students in a dozen universities around the world, to help forge a new discipline of sustainable development. Banking on the use of new media, Global Classroom provides the opportunity for expert lecturers and diverse bodies of students to hold a real-time worldwide discussion on the world's foremost problems of sustainable development so that together they can brainstorm on solutions across core fields of study in agriculture and nutrition; economics; environment and climate science etc.

Conclusion - An essential step in the journey to sustainable development is educating citizens to recognize the problems the world is facing today, as well as the opportunities for innovation and progress and empowering them to act responsibly towards a sustainable future. In backdrop of these observations, above proposed strategies offer a road-map for higher education institutions to use new media for promotion of ESD among students community. Suggested strategies intend to support higher education institutions to promote ESD by connecting different sources and forms of knowledge regarding sustainable livelihoods.

References :-

1. Feinstein, N. (2009). The Emotions of Climate Change. Education Alliance Quarterly, 4, 12-15.
2. Bibby, R., & Posterski, D. (2015). Teen trends: A Nation in Motion. Toronto: Stoddart.
3. Wikipedia. (2013).New Media. Retrieved from http://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.
4. Johnson, L. and others (2012). The 2013 Horizon Report. Austin, Texas: The New Media Consortium.
5. www.highereducation.com
6. www.indianeducationsystem.nic.in
7. http://www.mediaeducation.org

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में सामान्य बीमा दावों का अध्ययन

डॉ. एम.डी. सोमानी * पायल जैन **

शोध सारांश –आधुनिक युग में व्यक्ति के जीवन एंव व्यापार में जोखिम बहुत बढ़ गयी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित एवं निश्चित बनाना चाहता है। इस सुरक्षा एंव निश्चिंतता का सबसे अच्छा साधन बीमा है। यही कारण है कि वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के बीमा प्रचलित हैं, जो व्यक्ति के जीवन, सम्पत्ति, माल, वाहन आदि को भावी दुर्घटनाओं से होने वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति करते हैं। सामान्य बीमा के अन्तर्गत अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा जैसे चोरी, डकैती, आगजनी व लूटपाट के विरूद्ध बीमा आते हैं। इसमें मोटर बीमा, फसल बीमा, स्वास्थ्य बीमा, साख बीमा, यांत्रिक बीमा, पशु बीमा आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में सामान्य बीमा के प्रति व्यक्तियों का आकर्षण बढ़ गया है, वर्षवार सामान्य बीमा व्यवसाय में वृद्धि दर्ज की गई है। इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज 2012 से 2016 तक के दर्ज सभी मामलों में बीमा मामलों का प्रतिशत का घटना एक शुभ संकेत है। वर्ष 2012 में बीमा प्रकरणों का प्रतिशत लगभग 39 था जो 2016 में घटकर लगभग 18 प्रतिशत हो गया। इससे बीमा क्षेत्र पर जनसामान्य का विश्वास निश्चित ही बढ़ेगा। समंकों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में प्रतिवर्ष जीवन बीमा की अपेक्षा सामान्य बीमा के प्रकरण अधिक दर्ज हुए है। अत: सामान्य बीमा कम्पनियों को अपने व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए इस दिशा में भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तथा बीमा उत्पाद विक्रय की अपनी नीतियों में आवश्यक संशोधन करना चाहिए।

प्रस्तावना – 'बीमा एक प्रावधान है, जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति आकस्मिक या अवश्यम्भावी घटनाओं, हानि या दुर्भाग्य के विरूद्ध करता है।' बीमा व्यवसाय सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए प्राण वायु है। बीमा जहाँ व्यक्ति, परिवार व समाज को उन्नत करता है, वहीं सम्पूर्ण राष्ट्र को भी लाभ पहुँचाता है। बीमा समाज को विकसित व खुशहाल बनाने के साथ ही बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी, जैसी जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायक है। बीमा सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रतिफल लेकर उसके जोखिम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। प्राचीन काल में जबकि बीमा का आरम्भ ही हुआ था, तब कुछ लोग आपस में मिलकर किसी भी साथी की हानि को पूरा करने के लिए कोष का निर्माण करते थे, परन्तु आज सुसंगठित संस्थाएँ अस्तित्व में हैं। जो जोखिमों से घिरे हुए व्यक्तियों को दुर्घटना या क्षति होने पर हानि की पूर्ति करने का कार्य करती हैं। जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियाँ भारत में बीमा करने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएँ है।

अध्ययन के उद्देश्य – इस शोध का उद्देश्य इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में सन् **2012 से सन् 2016** तक में दर्ज **सामान्य बीमा** के प्रकरणों का अध्ययन करना है।

अध्ययन की प्रविधि – शोध पत्र को द्वितीय समंकों का आधार लेकर बनाया गया है, विभिन्न संदर्भ ग्रंथों, जिला उपभोक्ता फोरम में उपलब्ध समंकों एंव बीमा विनियामक एंव विकास प्राधिकरण कि वार्षिक रिपोर्ट आदि में उपलब्ध जानकारी एंव समंकों का उपयोग किया गया है।

बीमा व्यवसाय के आधार पर बीमा को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है– **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

सामान्य भाषा में कहें तो जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी बीमा सामान्य बीमा कि श्रेणी में आते हैं। बीमा विनियामक एंव विकास प्राधिकरण कि वार्षिक प्रतिवेदन 2015–2016 के अनुसार भारत में सामान्य बीमा का व्यवसाय करने वाली कम्पनियाँ अग्रानुसार हैं[1]–

सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियाँ–

1. नेशनल इंश्योरेन्स कं.लि.
2. द न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कं.लि.
3. ओरियन्टल इंश्योरेन्स कं.लि.
4. युनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं.लि.

निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियाँ–

1. रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
2. रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
3. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
4. टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
5. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
6. बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
7. चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
8. कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
9. एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
10. फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेन्स कं.लि.
11. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
12. श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
13. भारती अक्सा जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
14. रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.

* प्राध्यापक (वाणिज्य) माता जीजा बाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र) भारत
** शोधार्थी, प. म. ब. गुजराती वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र) भारत

15. एसबीआई जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
16. मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
17. लिबर्टी विडियोकॉन जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.
18. एल एण्ड टी जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी कं.लि.

स्वचलित (स्टैंडअलोन) स्वास्थ्य बीमाकर्ता–

1. अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेन्स कं.लि. कम्पनी
2. सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेन्स कं.लि.
3. मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेन्स कं.लि.
4. रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेन्स कं.लि.
5. स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड इंश्योरेन्स कं.लि.

विशेषीकृत बीमाकर्ता–

1. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.
2. भारतीय कृषि बीमा कं.लि.

पुर्नबीमाकर्ता – भारतीय साधारण बीमा निगम

उक्त सभी बीमा कम्पनियों की शाखा कार्यालय पूरे भारतवर्ष एंव विदेशों में कार्यरत हैं। सभी बीमा कम्पनियाँ आपस में प्रतिस्पर्धा करती हुई सम्पूर्ण भारत में तथा विदेशों में भी सामान्य बीमा व्यवसाय करती है। यद्यपि ये सभी कम्पनियाँ एक सी बीमा पॉलिसियों की बिक्री करती हैं, फिर भी कार्य–शैली और प्रतिद्वन्दता की दृष्टि से इनको पूर्ण स्वतन्त्रता है। भारत में सामान्य बीमा का व्यवसाय प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। बीमा विनियामक एंव विकास प्राधिकरण ने अपनी सन् 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 एंव 2015–2016 की वार्षिक प्रतिवेदन में बताया है कि गैर–जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर) में वर्ष 2012–2013 में 10.20 प्रतिशत थी जो बढ़ कर वर्ष 2013–2014 में 12.51 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2014–2015 में 9.20 प्रतिशत कि वृद्धि दर्ज की गई जो पूर्व वर्ष की तुलना में कम थी, एवं वर्ष 2015–2016 में प्रीमियम कि राशि में 13.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसे हम निम्न तालिका से समझ सकते हैं–

गैर–जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रीमियम आय (भारत के अंदर)(करोड़ रूपये) (तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हैं कि सामान्य बीमा व्यवसाय में लगभग प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन की, अपनी सम्पत्ति एंव मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा चाहता है, इसी के परिणामस्वरूप सामान्य बीमा के उत्पादों के विक्रय में वृद्धि हो रही है। परंतु यदि वास्तविकता की बात करें तो प्रीमियम की आय में वृद्धि के साथ–साथ ही सामान्य बीमा के विरूद्ध दावों के प्रकरणों की वृद्धि इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज की गई है। दावों का निराकरण नियमों के अनुसार न होना, अभिकर्ताओं द्वारा पॉलिसी की शर्तों को स्पष्ट न करना, झूठे व भ्रामक विज्ञापनों के कारण हितग्राहियों को असुविधा व हानि होना आदि कई कारण हैं जिससे उपभोक्ता फोरम में सामान्य बीमा के प्रकरणो की संख्या अन्य किसी भी मद से अधिक ही रही है। वर्ष 2012 से 2016 में दर्ज प्रकरणों से हम इस समस्या की गम्भीरता को रेखाचित्र द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएगें–

(ग्राफ देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2012 में कुल 1361 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 525 प्रकरण बीमा दावों से संबधितं थे। वर्ष 2013 में कुल 1365 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 461 प्रकरण बीमा क्षेत्र के थे। वर्ष 2014 में 1386 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 432 प्रकरण बीमा दावों से सम्बन्धित थे। वर्ष 2015 में कुल 1360 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 352 प्रकरण बीमा दावों के थे। वर्ष 2016 में उपभोक्ता शिकायतों की बढ़ती संख्या एंव निर्णय के निर्धारित समय पर न हो पाने के कारण एक ओर उपभोक्ता फोरम की स्थापना इंदौर जिले में की गई। 2016 में फोरम–1 में कुल 752 तथा फोरम–2 में 346 प्रकरण दर्ज हुए (कुल 1098) जिसमें से फोरम–1 में 138 तथा फोरम–2 में 68 प्रकरण बीमा दावों से संबंधित (कुल206) थे। रेखाचित्र के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्षवार उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरणों में बीमा प्रकरणों की संख्या में कमी आई है। समस्त बीमा व्यवसाय के कुल प्रकरणों में सामान्य बीमा के मामलों का प्रतिशत प्रति वर्ष जीवन बीमा से अधिक रहा है, जिसका विवरण अग्रानुसार है– **(रेखाचित्र देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

रेखाचित्र के अनुसार वर्ष 2012 में दर्ज 525 बीमा के प्रकरणों में 441 प्रकरण सामान्य बीमा के थे, जो दर्ज बीमा प्रकरणों का लगभग 84 प्रतिशत थे। जबकि जीवन बीमा के 84 प्रकरण दर्ज हुए जो बीमा के दर्ज प्रकरणों का 16 प्रतिशत थे। वर्ष 2013 में दर्ज 461 प्रकरण में 355 प्रकरण सामान्य बीमा के थे, जो दर्ज बीमा प्रकरणों का लगभग 77 प्रतिशत थे। वहीं जीवन बीमा के 106 प्रकरण दर्ज हुए जो बीमा के दर्ज प्रकरणों का लगभग 23 प्रतिशत थे। वर्ष 2014 में 432 बीमा के दर्ज प्रकरणों में सामान्य बीमा के 303 प्रकरण दर्ज हुए जो कुल दर्ज बीमा प्रकरणों के लगभग 70 प्रतिशत थे वहीं जीवन बीमा के 129 प्रकरण कुल बीमा प्रकरण के लगभग 30 प्रतिशत थे। वर्ष 2015 में कुल 352 बीमा के प्रकरण दर्ज हुए जिसमें 313 सामान्य बीमा के प्रकरण थे जो बीमा के दर्ज प्रकरण का लगभग 89 प्रतिशत था, जीवन बीमा के 39 प्रकरण दर्ज हुए जो बीमा के दर्ज प्रकरणों का लगभग 11 प्रतिशत थे। वर्ष 2016 में कुल 206 बीमा सम्बन्धित प्रकरण दर्ज हुए जिसमें 182 प्रकरण सामान्य बीमा के थे, जो कुल बीमा के प्रकरणों का लगभग 88 प्रतिशत थे। वहीं जीवन बीमा के 24 प्रकरण दर्ज हुए जो कुल दर्ज बीमा प्रकरणों का लगभग 12 प्रतिशत था। समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 एंव वर्ष 2014 में सामान्य बीमा के प्रकरणों में कमी आई है, परंतु वर्ष 2015 में सामान्य बीमा के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है एंव वर्ष 2016 में सामान्य बीमा प्रकरणों की संख्या में कोई विशेष कमी (मात्र 1 प्रतिशत) दर्ज नहीं की गई है।

उपभोक्ता फोरम में बीमा के दावों की प्रतिशत वृद्धि (वर्ष 2012–2016) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

उपसंहार – समंकों के विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि अब बीमा कम्पनियाँ अपने उपभोक्ताओं के प्रति अधिक सजग हो रही हैं। वर्ष 2012 में समस्त दर्ज प्रकरणों में बीमा क्षेत्र के प्रकरणों का प्रतिशत लगभग 39 प्रतिशत था जो वर्ष 2013 लगभग 34 प्रतिशत, वर्ष 2014 में लगभग 31 प्रतिशत, वर्ष 2015 में लगभग 26 प्रतिशत एंव वर्ष 2016 में घट कर लगभग 18 प्रतिशत रहा है। उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरणों में बीमा के प्रकरणों का अनुपात कम होना निश्चित ही सकारात्मक संकेत है परंतु बीमा के कुल दर्ज प्रकरणों में सामान्य बीमा के दर्ज प्रकरणों का प्रतिशत 2015 से पुन: बढ़ना एक चिन्ता का विषय है। यहाँ आवश्यक है कि सामान्य बीमा के क्षेत्र में कार्यरत सभी सरकारी एंव निजी कम्पनियाँ अपनी बीमा उत्पाद से सम्बन्धित विपणन के तरीकों में सुधार करें। अभिकर्ताओं को भी पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए एंव उन्हें पॉलिसी की पूर्ण जानकारी उपभोक्ताओं को देने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। कौन–कौन सी मदें (विशेष तौर पर स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में) पॉलिसी में कितने समय के लिए कवर नहीं रहेगी इनका पूर्ण उल्लेख पॉलिसी विक्रय के पूर्व में ही करना चाहिए। पॉलिसी के नियमों एंव

शर्तों को आसान एंव जनसामान्य के समझने योग्य बनाया जाए एवं उन्हें सरल भाषा में बीमा प्रस्ताव में उल्लेखित किया जाए। बीमा पॉलिसी में सामान्यत: बहुत सूक्ष्म अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिनके आकार को जनसामान्य के पठन योग्य बनाना चाहिए। विज्ञापनों में भ्रामक जानकारी के द्वारा जनता को आकर्षित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हितग्राहियों द्वारा किए गए दावों का निराकरण नियमानुसार एंव शीघ्र करना चाहिए। बीमा किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अत: इस क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने पर बीमा क्षेत्र को देश के विकास का मुख्य आधार बनाया जा सकता है। भारतीय सामान्य बीमा निगम का एक **उद्देश्य-सूत्र** है **'आपात्काले रक्षिष्यामि'**, जिसका अर्थ है- **'संकट की घड़ी में मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।'** इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए ही ग्राहकों तथा जनता की सेवा के लिए निगम को अपनी नीतियाँ निर्धारित करना चाहिए। अपने इसी सूत्र पर बीमा कम्पनियाँ कार्य करे तो निश्चित ही बीमे के विरूद्ध बढ़ने वाले दावा प्रकरणों पर अंकुश लगाया जा सकता है तथा बीमा व्यवसाय के द्वारा देश का विकास तीव्र गति से किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बीमा विनियामक एंव विकास प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन- 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
2. बीमा के तत्व- बालचंद श्रीवास्तव, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
3. बीमा विधि- डॉ. सुरेन्द्र यादव, युनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर।
4. इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम का से प्राप्त सांख्यिकी जानकारी।
5. www.irda.gov.in
6. www.confonet.nic.in

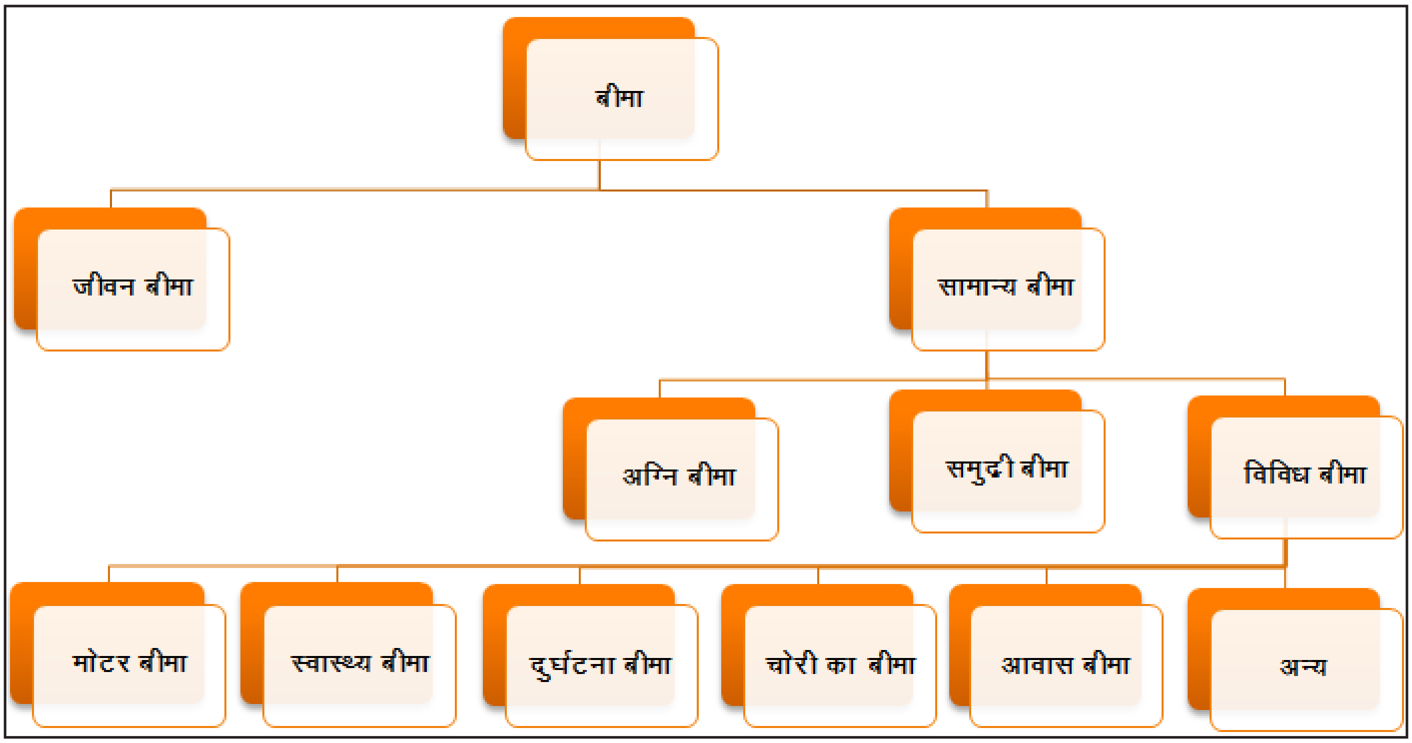

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रीमियम आय (भारत के अंदर)(करोड़ रूपये)

बीमाकर्ता	**2012-2013**	**2013-2014**	**2014-2015**	**2015-2016**
सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता	35022.12(14.60)	38599.71(10.21)	42551(10.24)	47691(12.08)
निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता	27950.53(25.25)	32010.30(14.52)	35090(9.62)	39694(13.12)
स्वचलित स्वास्थ्य बीमाकर्ता	1726.21(4.00)	2245.05(30.06)	2943(31.07)	4153(41.12)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	4454.62(6.75)	4698.74(5.48)	4102(-12.7)	4842(18.04)
कुल	**64698.86(10.20)**	**77553.80(12.15)**	**84686(9.20)**	**96380(13.81)**

स्रोत- बीमा विनियामक एंव विकास प्राधिकरण के वर्ष 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 **के वार्षिक प्रतिवेदन।** (कोष्ठक में आंकड़ें पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि निर्दिष्ट करते हैं)

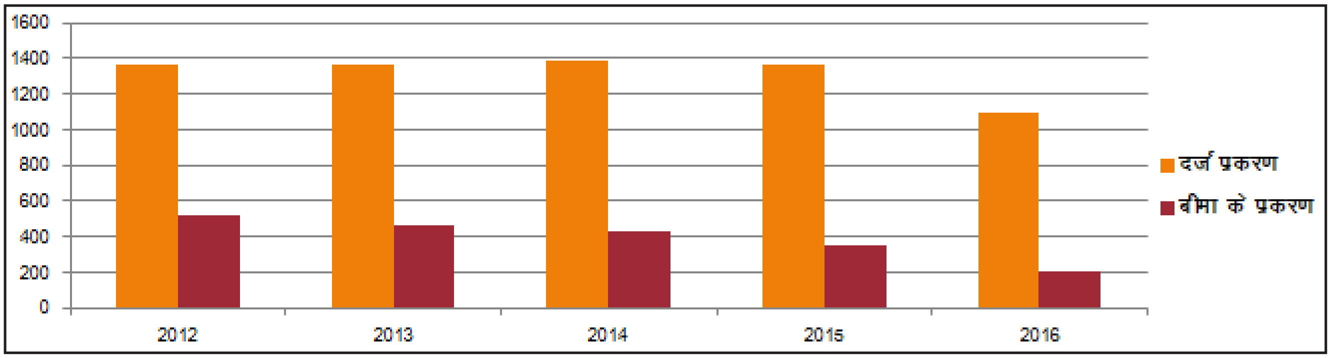

स्त्रोत– इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में पंजीकृत शिकायत (कैलेण्डर वर्ष के अनुसार)

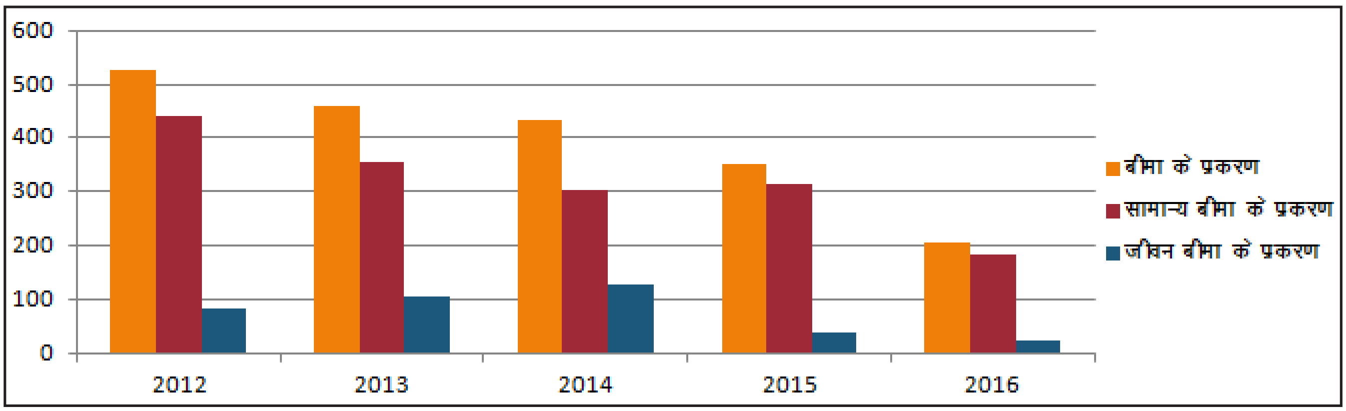

स्त्रोत– इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में पंजीकृत शिकायत (कैलेण्डर वर्ष के अनुसार)

उपभोक्ता फोरम में बीमा के दावों की प्रतिशत वृद्धि (वर्ष 2012–2016)

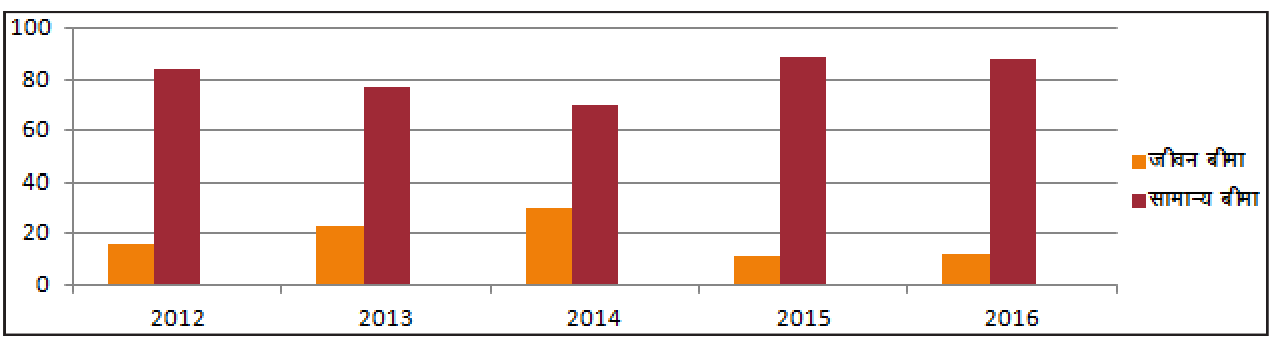

स्त्रोत– इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम में पंजीकृत शिकायत (कैलेण्डर वर्ष के अनुसार)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

विशेष केन्द्रीय सहायता योजना का परिचय एवं मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के संदर्भ में संक्षिप्त अध्ययन

डॉ. एन. एल. गुप्ता * लक्ष्मीकांत गुप्ता **

शोध सारांश – वर्ष 2011 की जनगणनानुसार भारत की जनसंख्या में 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजनाति की जनसंख्या है। आदिवासी मुख्यत: शहरी और ग्रामीण सभ्यता से दूर जंगलो, पर्वतीय क्षेत्रों में निवासरत है। मुख्यत: जनजातीय वर्ग जिन क्षेत्रों में निवास कर रहा है वहॉ अभी भी विकास पहुँच से दूर है, विकास के संसाधनों का अभाव है। आदिवासियों का समग्र विकास सुनियोजित रूप से हो इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा पॉचवी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उपयोजना की अवधारणा क्रियान्वित की गई। आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में राज्य सरकारों के संसाधनों में कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य हेतु अतिरिक्त सहायता के रूप में आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, इसे उपयोजना अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता नाम दिया गया। यह आदिवासी उपयोजना हेतु रणनिति का एक अंग है। वर्ष 1977–78 से आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों को आदिवासी विकास के लिए उपलब्ध कराए जाने वाला अतिरिक्त संसाधन है। इस प्रकार आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य ऐसे आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है, जो की आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को उपर उठाने में सहायक हो।

प्रस्तावना – भारत एक विकासशील देश है। भारत को विश्व का एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है, की राष्ट्र का सर्वोन्मुखी विकास किया जावे। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार भारत की जनसंख्या में 8.6 प्रतिशत अनुसूचित वर्ग की जनसंख्या है। अधिकांशत: जनजातीय वर्ग के लोग अत्यंत दूरस्थ व दुर्गम स्थानों पर रहते है, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तथा अशिक्षित है। ग्रामीण अंचलों में मौजूदा आबादी के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। अविकसित एवं दूर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों का समग्र विकास भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जनजातियों के विकास हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विभागों के माध्यम से आर्थिक विकास, मानवीय संसाधन विकास, क्षेत्र विकास एवं अन्य विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे है। ऐसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता योजना अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में निवासरत जनजातीय बी.पी.एल. परिवार के हितग्राहियों को परिवार/स्वसहायता समूह/समुदाय मूलक रोजगार सह आय सृजन की गतिविधियों में अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने का एक सार्थक प्रयास है।

आदिवासी उपयोजना से आशय – आदिवासी वर्ग के समग्र विकास हेतु भारत सरकार द्वारा पाँचवी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उपयोजना की अवधारणा क्रियान्वित की गई। जिसके अंतर्गत ऐसे अनुसूचित क्षेत्र/ तहसीलों/विकासखंडो को समाहित किया गया जिसमें अनुसूचित जनजातीयों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी।

आदिवासी उपयोजना के मुख्यत: दो उद्देश्य है।

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासी उपयोजना क्रियान्वयन– (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

पॉचवी पंचवर्षीय योजनाकाल में आदिवासी उपयोजना की अवधारणा क्रियान्वयन के पश्चात से निरन्तर उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु योजनाबद्ध तरीके से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों द्वारा विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाएं क्रियान्वित की जा रहीं है, जिसमें नोडल विभाग के रूप में आदिम जाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उत्तरदायित्व निर्वहन किया जाता है। वर्तमान में लगभग राज्य आयोजना की 20 प्रतिशत राशि आदिवासी उपयोजना हेतु सुरक्षित रखी जाती है।

विशेष केन्द्रीय सहायता – आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में राज्य सरकारों के संसाधनों में कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य हेतु अतिरिक्त सहायता के रूप में आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, इसे उपयोजना अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता नाम दिया गया। यह आदिवासी उपयोजना हेतु रणनिति का एक अंग है। विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य आयोजना की एक अनुपूरक सहायता हैं।

पूर्व में आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग परिवार मूलक आय सृजित करने वाली योजनाओं पर किया जाता रहा है। सन 2004 से आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग क्षेत्र में दो तरह की विशेष कमियों (क्रिटिकल गेंप) को दूर करने में किया जाता है, एक तो ऐसी प्राथमिक योजनाएँ जो परिवार/स्वसहायता समूह/समूदाय मूलक रोजगार सह आय सृजित योजनाओं में तथा दूसरी इनसे संबंधित अधोसंरचना विकास के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य ऐसे आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है जो कि आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को उपर उठाने में सहायक

*प्राध्यापक (वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी, जिला – बड़वानी (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी, जिला – बड़वानी (म.प्र.) भारत

हो। विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित कार्यक्रमों के अंतर्गत उपयोजना क्षेत्र में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासी परिवारों/हितग्राहियों को निश्चित प्रयोजन हेतु तय राशि का 100 प्रतिशत अनुदान लाभ, परिवार उन्मुख आय सृजित योजनाओं के लिए दिया जाता है। विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य आदिवासी उपयोजना के लिए एक एडिटिव के रूप में राज्य सरकारों को केन्द्र से आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को विशेष केन्द्रीय सहायता भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान है। यह भारत के समेकित निधि को छोड़कर चार्ज कीया जाता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से पूर्व के मार्गदर्शी निर्देशों को अधिक्रमित कर विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है, जिसके अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त योजना आदिवासी क्षेत्रों में क्रिटीकल गेप की पूर्ति हेतु आदिवासी उप-योजना के एडीटिव (Additive) के रूप में होगी। विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के उद्देश्य / विशेषताएं निम्न है -

विशेष केन्द्रीय सहायता के मुख्य उद्देश्य -

- प्रस्तावित कार्यो के अंतर्गत शिक्षा वं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कर मानव संसाधन विकास करना।
- आदिवासी क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं जैसे - आवास, रोड, आदि में वृद्धि कर जीवन स्तर में गुणवत्ता पूर्ण वृद्धि करना।
- गरीबी और बेरोजगारी में निरन्तर कमी लाने के लिए आय सृजित योजनाओं को बढ़ाना।
- आदिवासियों की क्षमती वृद्धि कर उन्हें उन्नति के लिए मिलने वाले अवसरों में वृद्धि करना।
- शोषण एवं उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करना।
- वर्ष 2016-17 से आगामी वर्षो हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों को मिलने वाली राशि के प्रावधान का आधार।
- राज्य की अनु. जनजाति जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत राशि।
- राज्य के आदिवासी क्षेत्र (परियोजना / माडा / अंचल) के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर 25 प्रतिशत राशि।
- राज्यों के आउटकम बेस्ड परफारमेन्स (Outcome based performance) के आधार पर शेष 25 प्रतिशत राशि ।

म0प्र0 में क्रियान्वयन ईकाई - भौगोलिक दृष्टि से मध्यप्रदेश का लगभग 30.19 प्रतिशत भू-भाग आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित है। मध्यप्रदेश आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विकास कार्यो/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग जनजातीय मंत्रालय है, जो संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन करवाता है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण अंतर्गत प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर 31 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं (26 वृहद, 05 मध्यम), 30 माडा पॉकेट, तथा 06 लघु अंचल निर्मित है, जो संचालनालय के अंतर्गत क्षेत्र में योजनाएं क्रियान्वयन करते है। इस योजना के क्रियान्वयन में आय.टी.डी.पी./आय.टी.डी.ए. ब्लाक,कलस्टर को एक भौगोलिक इकाई माना जा सकता है। प्रत्येक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में परियोजना सलाहकार मण्डल गठित है, जिसमें विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्थानीय विकास कार्यक्रमों का चयन/स्वीकृति दी जाती है। इस मण्डल को 20.00 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए है। आदिवासी उपयोजना रणनिति के तहत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को इकाई बनाया गया है।

बड़वानी जिले के संदर्भ में विशेष केन्द्रीय सहायता का संक्षिप्त अध्ययन - मध्यप्रदेश सर्वाधिक 21.13 प्रतिशत जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। मध्यप्रदेश में बड़वानी जिले की पहचान अनुसूचित जनजाति बहुल और पिछड़े क्षेत्र के रूप में की गई है। बड़वानी जिले की स्थापना 25 मई 1998 को हुई। पूर्व में यह जिला खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिले का एक भाग था। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार बड़वानी जिले की कुल अजजा जनसंख्या 9.62 लाख है जो बड़वानी जिले की कुल जनसंख्या 13.86 लाख का 69.42 प्रतिशत है। नि:संदेह जिले में आदिवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या है। भील, भिलाला एवं बारेला यहाँ की प्रमुख जन-जातीयां हैं । इन आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताएं व परम्पराएँ है । जहां तक इनकी आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, वह निर्विवाद रूप से चिंताजनक है । वनों के विनाश के कारण अब वनोपज इन्हें उपलब्ध नहीं है।

इनकी कृषि भूमि सम्पन्न गैर आदिवासियों के कब्जे से पूर्ववर्ती वर्षो में शासन द्वारा मुक्त कराई गई है एवं शासन द्वारा पट्टे दिए जाकर भूमि आबंटन किया गया है। जिले के अविकसित एवं सुदूर जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। गरीब आदिवासी परिवारों को रोजगार तथा एक सामान्य क्षेत्र के दर्जे का स्तर मुहैया कराना आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।

बड़वानी जिले में विकासखण्डवार जनसंख्या स्थिति (सारिणी देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

बड़वानी जिला आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत विकास कार्यो/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दो इकाईयाँ (आय.टी.डी.पी) संचालित है। पहली एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बड़वानी तथा दूसरी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सेंधवा। बड़वानी परियोजना क्षेत्र अंतर्गत चार विकासखण्ड बड़वानी, पाटी, ठीकरी तथा राजपुर सम्मिलित है, सेंधवा परियोजना क्षेत्र में विकासखण्ड सेंधवा, निवाली तथा पानसेमल सम्मिलित है।

इन दोनों परियोजनाओं के द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्षेत्र में ऐसी प्राथमिक योजनाएँ जो परिवार/स्वसहायता समूह/समूदाय मूलक रोजगार सह आय सृजित योजनाएं तथा दुसरी इनसे संबंधित अधोसंरचना विकास के ऐसे आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है जो की आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को उपर उठाने में सहायक हो।

विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित कार्यक्रमों के अंतर्गत उपयोजना क्षेत्र में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासी परिवारों/हितग्राहियों को निश्चित प्रयोजन हेतु तय राशि का 100 प्रतिशत अनुदान लाभ, परिवार उन्मुख आय सृजित योजनाओं के लिए दिया जाता है। अपने विस्तृत स्वरूप में उक्त अनुदान गतिविधि सन 2004-05 से संचालित है। बड़वानी जिले के उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक 12494 अनुसूचित जनजातीय बी.पी.एल. परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है। विशेष केन्द्रीय सहायता योजना बड़वानी जिले के आदिवासी परिवारों के उत्थान में अपनी सार्थकता किस स्तर तक सिद्ध कर पाई है, यह शोध का विषय है।

राशि का प्रावधान - बड़वानी जिले में परियोजना बड़वानी तथा सेंधवा अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्रावधानित/प्राप्त राशि का विवरण

क्र.	वर्ष	प्राप्त राशि लाखों में
1	2011-12	749.96
2	2012-13	869.97
3	2013-14	600.6
4	2014-15	227.28
5	2015-16	239.77

बड़वानी जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से लाभांवित बी.पी.एल.आदिवासी परिवारों का विवरण वर्ष 2011-12 से 2015-16 (विकासखण्डवार) **(सारिणी देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

निष्कर्ष –आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता एक अति महत्वपूर्ण योजना है बशर्ते उसके बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए की योजना आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखकर बनाए जिससे सीधे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से ली गई योजनाओं के संबंध में भौतिक/वित्तीय लक्ष्य समय सीमा में निर्धारित किए जाने चाहिए, जिससे उनका सतत मूल्यांकन किया जा सके। ऐसे कार्यक्रम लिए जाने चाहिए जो उपयोगी हो। व उनकी गरीबी का उन्मूलन कर सके। जनसहयोग ही वह सूत्र है, जिससे की आदिवासीयों का विकास संभव है। अत: इसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। राशि जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत की गई है उसी की पूर्ति हेतु व्यय सुनिश्चित किया जावे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनगणना 2011, घटनाचक्र (सम-सामायिक)।
2. विशेष केन्द्रीय सहायता से आदिवासी उपयोजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों का संकलन (म0प्र0 शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)।
3. नवीन शोध संसार, पत्रिका।
4. दैनिक पत्र-पत्रिकाएँ।
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, बड़वानी म.प्र.।

आदिवासी उपयोजना क्रियान्वयन –

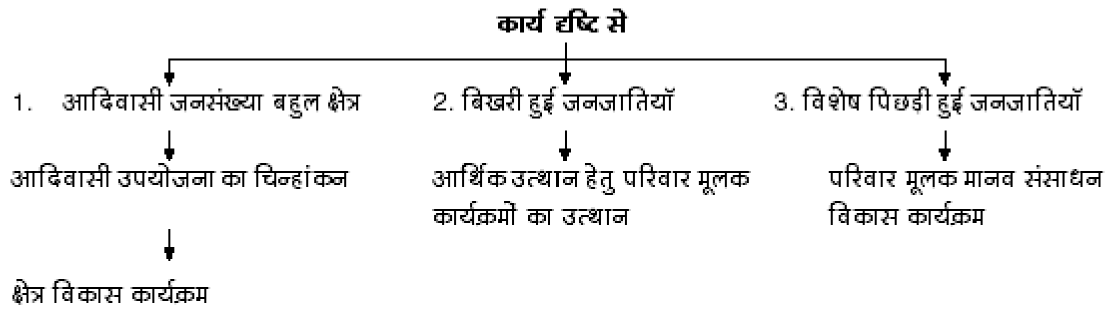

बड़वानी जिले में विकासखण्डवार जनसंख्या स्थिति

क्र.	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या (2011)	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (2011)	कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल. परिवार जनसंख्या (स्त्रोत-जिला पंचायत)
1	2	3	4	5	6
1	बड़वानी	211061	124010	58.76	21228
2	पाटी	162432	136455	84.00	27125
3	ठीकरी	168519	65336	38.77	5606
4	राजपुर	213216	151302	70.96	14385
5	सेंधवा	360039	276304	76.74	31706
6	निवाली	112639	98467	87.41	13506
7	पानसेमल	157975	110271	69.80	12048
	योग-	**1385881**	**962145**	**69.42**	**125604**

स्त्रोत – जनगणना सूचकांक 2011

बड़वानी जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से लाभांवित बी.पी.एल.आदिवासी परिवारों का विवरण वर्ष 2011-12 से 2015-16 (विकासखण्डवार)

राशि लाखों मेर

क्र.	विकास खण्ड/ वर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		योग	
		स्वीकृत राशि	लाभांवित हितग्राही संख्या	स्वीकृत राशि	लाभा. हित. संख्या	स्वीकृत राशि	लाभा. हित. संख्या	स्वीकृत राशि	लाभा. हित. संख्या	स्वी. राशि	लाभा. हित. संख्या	स्वी. राशि	लाभा. हित. संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बड़वानी	101.28	522	11.7	597	71.60	358	33.72	72	34.03	60	252.33	1609
2	पाटी	101.10	521	155.40	784	81.80	409	35.70	89	31.54	70	405.54	1873
3	ठीकरी	47.95	231	28.37	148	58.20	291	23.97	48	28.36	50	186.85	768
4	राजपुर	144.10	732	144.40	735	92.20	461	36.81	90	36.24	70	453.75	2088
5	सेंधवा	159.00	879	235.00	175	146.60	733	52.49	175	65.10	147	658.19	3109
6	निवाली	120.40	644	118.69	593	77.00	385	25.80	86	17.40	58	359.29	1766
7	पानसेमल	76.13	432	70.41	352	73.20	366	18.79	62	27.10	69	265.63	1281
	योग-	749.96	3961	869.97	4384	600.60	3003	227.28	622	239.77	524	2687.58	12494

स्त्रोत - एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बड़वानी एवं सेंधवा।

मध्यप्रदेश विद्युत ऊर्जा दरों में वृद्धि का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अनूप कुमार व्यास * सुरभि ढिंगरा **

शोध सारांश – विद्युत ऊर्जा देश के विकास की धुरी है। ऊर्जा किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और चतुर्मुखी विकास का सबसे विश्वसनीय मापदण्ड भी रही है अर्थात् वर्तमान में ऊर्जा आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक सभ्यता एवं विकास का मापदण्ड है। कृषि, उद्योग, वाणिज्य व संचार अर्थात् अर्थव्यवस्था के समस्त पहलुओं के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस हेतु यह अपरिहार्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति निर्बाध एवं युक्तियुक्त दरों पर हो, ताकि विद्युत वितरण कम्पनियों एवं उपभोक्ताओं दोनों पर आर्थिक बोझ न पड़े।

शोध-पत्र में विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि मध्यप्रदेश में सिर्फ चुनावी वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष विद्युत ऊर्जा की दरों में वृद्धि होती रही है। विद्युत वितरण कम्पनियाँ, प्रत्येक वर्ष म. प्र. विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विभिन्न दलीलों का हवाला देकर ऊर्जा दर में वृद्धि करवा लेती हैं, जैसे उत्पादन लागत बढ़ना (ईंधन महँगा होना, परिवहन/ढुलाई शुल्क), पारेषण-वितरण हानियों में वृद्धि, संयंत्रों का ठप्प हो जाना ऊर्जा क्रय ऋण ब्याज भुगतान आदि जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है, अपितु इससे प्रदेश का आर्थिक विकास भी बाधित होता है।

नए एवं पुराने उद्योगों का विकास किसी भी प्रदेश का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऊर्जा दर वृद्धि व शासन की नीतियों के फलस्वरूप उद्यमियों में असन्तोष उठने लगा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि विद्युत नियामक आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के हिसाब-किताब पर गौर करे एवं विद्युत वितरण कम्पनियाँ भी नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें एवं अपने खर्चों पर नियन्त्रण करे।

मुख्य शब्द – विद्युत ऊर्जा दर, विद्युत नियामक आयोग, वितरण कम्पनियाँ।

प्रस्तावना – देश में विद्युत मण्डलों का गठन विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत विद्युत मण्डलों को अधिकार दिया गया है कि वे धारा 49 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्युत दरों का निर्धारण कर सकते हैं। विद्युत दरों के पुनरीक्षण विद्युत (प्रदाय) अधिनियम की धारा 59 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। इसके अनुसार विद्युत मण्डल का यह दायित्व है कि वह अपनी विद्युत दरों का निर्धारण इस प्रकार करे कि राजस्व के तहत होने वाले समस्त व्ययों को वहन करने के पश्चात् अपनी अचल आस्तियों की शुद्ध मूल्य का न्यूनतम् तीन (03) प्रतिशत अतिशेष अर्जन कर सकें। इस सम्बन्ध में मण्डल के योजना विभाग द्वारा वर्ष भर में होने वाले विभिन्न राजस्व व्ययों जैसे ईंधन पर व्यय, केन्द्रीय संस्थानों से विद्युत क्रय करने का व्यय, संचालन/संधारण का व्यय आदि एवं विभिन्न राजस्व प्राप्तियाँ यथा विद्युत विक्रय से राजस्व प्राप्ति, विविध राजस्व प्राप्तियाँ आदि का आँकलन कर वर्ष के प्रारम्भ में सेवारत् सकल अचल आस्तियों के मूल्य के तीन (03) प्रतिशत अतिशेष अर्जन हेतु आवश्यक अतिरिक्त राजस्व की गणना की जाती है।

उपभोक्ताओं को प्रदाय की जाने वाली विद्युत ऊर्जा के प्रभारों की वसूली हेतु प्राय: विद्युत प्रदाय में लगे सभी संस्थानों द्वारा द्विस्तरीय विद्युत दरों की संरचना को अपनाया गया है। मण्डल द्वारा भी विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण हेतु अधोसंरचना की स्थापना हेतु व्यय की गयी राषि पर ब्याज, अवक्षयण तथा संचालन के तहत् होने वाले नियत व्ययों की वसूली हेतु स्थायी प्रभार या नियत प्रभार एवं ईंधनों यथा कोयला, तेल, गैस आदि पर होने वाले व्ययों की वसूली हेतु ऊर्जा प्रभार का निर्धारण किया जाता है। विद्युत कम्पनियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों की विद्युत दरों के निर्धारण हेतु मुख्य रूप से निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है :-

1. विद्युत प्रदाय का दाब (वोल्टेज)।
2. विद्युत उपभोग का उद्देश्य।
3. उपभोक्ता का सम्बद्ध भार (Connected Load)/संविदा भार (Contract Demand)।
4. राज्य शासन द्वारा अपनायी जा रही सामाजिक व आर्थिक नीति।
5. संयोजन की कालावधि अर्थात् पूर्णकालिक (स्थायी) अथवा अंशकालिक (अस्थायी)।

प्रथमतया, विद्युत दरें दाब (वोल्टेज) के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में नियत की गयी है :-

(अ) निम्न-दाब विद्युत दरें।

(आ) उच्च-दाब विद्युत दरें।

विद्युत दरें इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि उच्च-दाब विद्युत दरें, निम्न-दाब विद्युत दरों की तुलना में अत्यधिक रियायती हों। मण्डल द्वारा भी अपनी उच्च-दाब एवं निम्न-दाब दरों के निर्धारण हेतु उक्त सिद्धान्त का पालन वर्ष 1985 तक किया गया। इसके पश्चात् उक्त सिद्धान्त अपना महत्व खोता गया तथा एक अन्य सामाजिक-आर्थिक सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो गया जिसके अनुसार ''वे उपभोक्ता जिनकी भुगतान क्षमता अधिक हो,

* प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष एवं निर्देशक (वाणिज्य) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.) भारत

उनके लिए अपेक्षाकृत उच्चतर विद्युत दरें प्रयुक्त की जाएँ तथा जिनकी भुगतान क्षमता कम हो, उनके लिए अपेक्षाकृत निम्न विद्युत दरें प्रयुक्त की जाएँ।' परिणामत: उच्च-दाब विद्युत दरें समय के साथ (वर्ष 1985 के पश्चात्) निम्न-दाब विद्युत दरों की अपेक्षा ज्यादा होती गयी, जबकि कुछ श्रेणी के निम्न-दाब उपभोक्ताओं के लिए प्रयुक्त होने वाली दरें विद्युत प्रदाय की लागत से भी कम निर्धारित की गयी।

विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत् राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है तथा इस अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत् प्रदेश में विद्युत दर निर्धारित करने का अधिकार अब मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को ही है।

देश में हर राज्य में विद्युत दरों का निर्धारण विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण एवं उपभोक्ता सेवा से सम्बन्धित लागत पर आधारित होता है। यह लागत इन गतिविधियों हेतु भिन्न-भिन्न होती है, इसके घटक हैं

(अ) उत्पादन लागत में भिन्नता के कारण - उत्पादन की लागत प्रदेश में उपलब्ध उत्पादन क्षमता, संयंत्रों के प्रकार, आयु तथा उत्पादन के लिए लगने वाली सामग्री की उपलब्धता तथा इसके परिवहन के व्यय इत्यादि पर निर्भर होती है, उदाहरणस्वरूप - (1) मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के विघटन पश्चात् कोयला खदानों का लाभ छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के ताप उत्पादन केन्द्रों को मिला एवं मध्यप्रदेश में ऐसे कई पुराने ताप विद्युत गृह हैं, जिनकी आयु चालीस (40) वर्ष से भी अधिक हो चुकी हैं, परन्तु विद्युत की विद्यमान माँग की तुलना में उत्पादन की कमी के कारण इन्हें बन्द किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है (2) ऐसे राज्य जहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की तुलनात्मक क्षमता ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता से अपेक्षित रूप से अच्छी हैं, वहाँ पर उत्पादन की कुल लागत कम हो जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ जल विद्युत उत्पादन में प्रति यूनिट लागत ताप विद्युत उत्पादन की तुलना से कम होती है।

तालिका 1 - मध्यप्रदेश में ऊर्जा लागत की स्थिति

(रूपए/यूनिट)

वर्ष	लागत
2010-11	4.22
2011-12	4.49
2012-13	4.90

स्त्रोत - मध्यप्रदेश विद्युत ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर।

तालिका से स्पष्ट है कि, प्रतिवर्ष उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है।

(ब) पारेषण लागत में भिन्नता के कारण - पारेषण लागत, उत्पादन केन्द्र से उत्पादित की गयी विद्युत ऊर्जा को उसके उपभोग केन्द्र पर पहुँचाने में की गयी पारेषण व्यवस्था, इसके रख-रखाव का खर्च तथा विद्युत ऊर्जा के परिवहन में हुई क्षति आदि पर निर्भर करती है। मध्यप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा राज्य है, जहाँ पारेषण लाइनें अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत लम्बी हैं। इसके अतिरिक्त ज्यादातर उत्पादन केन्द्र प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं, जबकि विद्युत ऊर्जा की माँग पश्चिम क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा हैं। पारेषण प्रणाली में हो रही तकनीकी क्षति मुख्य रूप से विद्युत भार तथा सम्वाहक तारों की मोटाई व लम्बाई पर निर्भर करती है।

तालिका 2 -मध्यप्रदेश में पारेषण लागत (करोड़ रूपए) वितरण कंपनी **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

(स) वितरण लागत में भिन्नता के कारण - पारेषण प्रणाली से होकर विद्युत प्रदाय वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचता है। वितरण प्रणाली से होने वाली हानि पारेषण प्रणाली की तुलना में काफी अधिक है क्योंकि वितरण प्रणाली में होने वाली हानि में तकनीकी हानि के साथ वाणिज्यिक हानि का बड़ा योगदान है। वाणिज्यिक हानि से अभिप्राय है वितरण प्रणाली की निम्न-दाब व्यवस्था से बड़ी मात्रा में सीधे तार डालकर, मापक-यन्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर तथा अन्य अनुचित साधनों द्वारा विद्युत चोरी की जाती है अर्थात् विद्युत ऊर्जा का अनधिकृत रूप से उपयोग किया जाता है, जिसका कोई मूल्य प्रदाय-कर्त्ता को प्राप्त नहीं होता। अत: इस तरह से अनाधिकृत रूप से उपयोग की गयी विद्युत ऊर्जा की मात्रा को हानि में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में (मुख्यत: एक-बत्ती एवं कृषि उपयोग) के संयोजनों पर मापक-यन्त्र नहीं लगे होते हैं अथवा पुराने दोषयुक्त (Defective) या बन्द मापक-यन्त्र लगे हैं। जिससे इन संयोजनों में हो रही खपत अनुमानित आधार पर आँकी जाती है तथा निश्चित तौर पर यह पता नहीं चल पाता कि विद्युत ऊर्जा की वास्तविक खपत कितनी हुयी ? ऐसे उपभोक्ताओं पर एक निश्चित राशि का देयक निर्धारित होता है व अतिरिक्त किए गए उपयोग का भाग वितरण हानि में सम्मिलित हो जाता है। मापक-यन्त्र से छेड़-छाड़ कर चोरी की घटनाएँ भी सामने आती हैं। इस प्रकार कम दर्ज हो रही खपत के परिणामस्वरूप वितरण हानि में बढ़ोत्तरी होती है। यह वाणिज्यिक हानि हर क्षेत्र (हर सम्भाग, हर जिले में) एक समान नहीं होती- कहीं अधिक, तो कहीं कम।

तालिका 3 -प्रदेश में इन्दौर-उज्जैन संभाग में सतर्कता विभाग द्वारा चोरी प्रकरणों की स्थिति **(देखे अगले पृष्ठ पर)**

तालिका 3 आँकड़े यह दर्शाते हैं कि इन्दौर-उज्जैन संभागों में चोरी के प्रकरणों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ प्रकरणों में वसूली हो रही है और कई प्रकरण विशेष न्यायालय में लम्बित हैं।

विद्युत दर नीति - समुचित आयोग, दरों की अवधारण के लिए निबन्धन व शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा करते समय विद्युत अधिनियम, 2003 के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा -

1. केन्द्रीय आयोग द्वारा उत्पादन कम्पनियों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू प्रशुल्क की अवधारणा के लिए विनिर्दिष्ट सिद्धान्त।
2. विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण हेतु तय किए गए वाणिज्यिक सिद्धान्त।
3. वे बातें, जैसे प्रतिस्पर्धा, दक्षता, सन्साधनों का मितव्ययी उपयोग, अच्छा कार्य निष्पादन और अधिकतम विनिधान (निवेश)।
4. उपभोक्ता हितों का संरक्षण और युक्तियुक्त विधिक रीति से विद्युत लागत की वसूली।
5. निष्पादन में दक्षता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त।
6. बहुवर्ष दर (टैरिफ) सिद्धान्त।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 को अनुपालन करते हुए 12 फरवरी, 2005 को अधिसूचित की गयी राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा दर नीति को अधिसूचित करती है।

शोध पत्र का उद्देश्य -

1. विद्युत ऊर्जा दरों में लगातार हुई वृद्धि के कारणों का अध्ययन करना।
2. दरों के सम्बन्ध में सरकारी नीति का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. ऊर्जा दरों में वृद्धि के कारण इन्दौर (नगर) व सम्पूर्ण प्रदेश की आर्थिक विकास की गति बाधित हुई है।
2. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इन्दौर (मध्यप्रदेश) की राजस्व आय में वृद्धि हुई है।

अध्ययन प्रणाली – मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग, भोपाल से प्राप्त 'दर आदेश' (वार्षिकांक) (द्वितीयक समंकों) का संकलन एवं क्रमबद्ध सारणीयन कर परिकल्पना की विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण किया गया है। इन्दौर नगर (म. प्र.) का सर्वेक्षण कर एवं प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुझाव देना प्रस्तावित है।

अध्ययन की सीमाएँ – शोध पत्र में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर का एवं नवगठित मध्यप्रदेश विद्युत ऊर्जा उत्पादन कम्पनी, पारेषण कम्पनी एवं तीन वितरण कम्पनियों में से, इन्दौर नगरवासी होने के कारण, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इन्दौर का कार्यक्षेत्र एवं सीमा।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष :

तालिका 4 – मध्यप्रदेश में वार्षिक ऊर्जा दर दर्शाती है।

वर्ष	दर वृद्धि (प्रतिशत)
2009–10	3.61
2010–11	10.66
2011–12	6.14
2012–13	7.17
2013–14	0.77
2014–15	0.00
2015–16	9.83

स्त्रोत – मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल, दर आदेश वार्षिकांक।

तालिका से स्पष्ट है कि सिर्फ विधानसभा चुनावी वर्ष को अपवाद रखकर प्रति वर्ष दर वृद्धि द्रुत गति से हुई है। वर्ष 2013–14 में वितरण कम्पनियों ने 9.38 प्रतिशत औसत वृद्धि माँगी थी किन्तु आयोग ने महज 0.77 प्रतिशत ही मंजूर की। वर्ष 2015–16 में विद्युत वितरण कम्पनियों ने ऊर्जा दरों में 24 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की माँग की, परन्तु विद्युत ऊर्जा 9.83 प्रतिशत महंगी हो गयी। कृषि क्षेत्र (–)13 प्रतिशत दर वृद्धि, घरेलू (–)06 प्रतिशत महंगी एवं औद्योगिक में 09 प्रतिशत दर वृद्धि हो गयी।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की वर्ष 2012–13 में राजस्व आय 6,425.92 करोड़ रूपए एवं राजस्व व्यय 9,119.73 करोड़ रूपए। राजस्व अंतर (–) 2,693.18 करोड़ रूपए साफ परिलक्षित होता है कि राजस्व व्यय में वृद्धि कहीं अधिक है। इन्दौर नगर में 50 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया, जिससे यह तथ्य उजागर हुआ कि 65 प्रतिशत उपभोक्ता दरवृद्धि से असंतुष्ट हैं। सभी श्रेणियों के उपभोक्ता चाहे वे आम आदमी हो या कृषक या उद्यमी विद्युत ऊर्जा की ऊँची दरों से त्रस्त है। विशेषकर, दर वृद्धि से उद्योगों का सारा अर्थतन्त्र दुष्प्रभावित हो रहा है। उद्यमियों के अनुसार महँगे कर्ज, कुशल श्रमिक, कच्चे माल की लागत के साथ ही महँगी विद्युत उर्जा के प्रभाव से उद्योगों की लागत में इज़ाफा होता है और उत्पादकता में भी कमी आती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता भी प्रभावित होती है। हालाँकि, नियामक आयोग ने वर्ष 2012 में आबद्ध ऊर्जा संयंत्र 50 प्रतिशत स्वयं उत्पादित ऊर्जा से पूरी करें, शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित विद्युत कम्पनियों से क्रय करके पूरा करें और निजी ऊर्जा उत्पादन करने पर प्रति यूनिट उपकर भी राज्य सरकार को देना पड़ेगा और ऐसे उपभोक्ता जिनकी खपत एक मेगावॉट या उससे अधिक है, वे खुली पहुँच (Open Access) (कहीं से भी ऊर्जा क्रय करने के लिए स्वतंत्र) का उपयोग कर सकते हैं परन्तु उन्हें प्रति–सहायिकी (Cross-subsidy) और देयक शुल्क सम्बद्ध विद्युत वितरण कम्पनी को चुकाना होगा। इन सबके साथ–साथ जून, 2012 में विद्युत नियामक आयोग ने ईंधन लागत समायोजन (F.C.A.) शुल्क (अपीलीय न्यायाधिकरण अनुसार) का प्रावधान कर दिया अर्थात् एक से तीन माह में ईंधन की कीमतों के कारण ऊर्जा दरों में परिवर्तन होता है। अतः, कुप्रबन्धन की वजह से उपभोक्ताओं को कमर तोड़, महँगाई के जमाने में महँगी विद्युत ऊर्जा का तेज प्रवाह (Current) झेलना पड़ रहा है।

सुझाव :

1. विद्युत ऊर्जा क्रय में पारदर्शिता लाई जाए, जिससे घोटालों पर रोक लगेगी एवं बड़ी राशि जो कि करोड़ों रूपयों में होगी, को बचाया जा सकता है।
2. वर्तमान में अधिकतर कार्य पर्यवेक्षण शुल्क के अन्तर्गत कराए जा रहे हैं, जबकि पूर्व में कार्य निक्षेप योजना (Deposit Scheme) के तहत कराए जाते थे। अत: करोड़ों रूपयों की राजस्व हानि हो रही है, जबकि विद्युत वितरण कम्पनी के पास इस कार्य करने हेतु अनुभव तथा व्यवस्था है। इस हेतु निक्षेप योजना के कार्य करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
3. विद्युत कम्पनियों का एकाधिकार (Monopoly) खत्म हो। इस हेतु निजी क्षेत्र को भी अनुज्ञा–पत्र देना आवश्यक है, ताकि स्वस्थ प्रतियोगिता की स्थिति निर्मित हो सके और उपभोक्ताओं को न्यूनतम दरों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ''दर आदेश'' मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।
2. मध्यप्रदेश विद्युत ऊर्जा उत्पादन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
3. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
4. मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल।
5. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर।

तालिका 2 –मध्यप्रदेश में पारेषण लागत (करोड़ रूपए)

वितरण कंपनी	वर्ष 2010–11		वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13	
	अन्तर्राज्यीय प्रभार	राज्यान्तर प्रभार	अन्तर्राज्यीय प्रभार	राज्यान्तर प्रभार	अन्तर्राज्यीय प्रभार	राज्यान्तर प्रभार
पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	53.01	411.75	53.01	467.07	53.01	467.07
मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	464.96	60.16	527.69	87.21	527.69	123.65
पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	–	398.71	219.49	445.37	223.34	447.59

स्त्रोत – मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों से प्राप्त अनुसार।

तालिका 3 –प्रदेश में इन्दौर–उज्जैन संभाग में सतर्कता विभाग द्वारा चोरी प्रकरणों की स्थिति

वर्ष	जाँचे गए प्रकरण (संख्या)	चोरी के प्रकरण (संख्या)	वसूल की जाने वाली राशि (करोड़ में)	वसूल की गयी राशि (करोड़ में)
2006-07	10,89,883	1,89,482	77.37	54.14
2007-08	10,51,939	1,83,491	91.34	62.16
2008-09	8,58,959	1,26,385	53.70	41.15
2009-10	9,48,756	1,95,427	198.06	134.14
2010-11	12,51,250	2,00,000	210.00	140.00

स्त्रोत – मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर।

****

भारत के राष्ट्रीय विकास हेतु महिलाओं की भूमिका का आर्थिक सर्वेक्षण

डॉ. हर्षा चचाने * डॉ. राजू रैदास **

शोध सारांश – भारत एक विकासशील देश है, जहाँ वेद, पुराणों के अनुसार स्त्री को पुरूष की अर्द्धांगिनीं कहा गया है, अर्थात् स्त्री एवं पुरूष को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। पुरूष के विकास में स्त्री का महत्वपूर्ण सहयोग स्वीकारा गया है। यदि राष्ट्र का विकास करना है, तो सबसे पहले व्यक्ति, घर, परिवार एवं समाज का विकास करना आवश्यक है और यह तभी सम्भव है, जब घर में महिलाओं को सभी अधिकार दिये जाये, चाहे वह शैक्षिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनैतिक हो। प्रत्येक क्षेत्र में हमें स्त्री को अधिक से अधिक अवसर देने की आवश्यकता है। यदि महिलाओं को पुरूषों के समान स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर बनाया जाय तो निश्चित रूप से हमारा देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में समद्धि (शाली एवं विकसित राष्ट्र कहलाएगा। हमें सम्पूर्ण स्त्री जाति को विवेकशील एवं सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हमें प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर देने की आवश्यकता है, ताकि ये अपनी प्रतिभा का विकास पूर्ण रूप से कर सकें। इसके लिए राज्य व केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि महिला शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए तथा विभिन्न योजनाओं की प्राथमिक लाभार्थी महिलाओं को ही बनाया जाए। जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जा सके तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रस्तावना – महिलाओं को पुरूषों के समान स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनाने, उन पर हो रहे अन्याय को कम करने का कार्य प्राचीन समय से ही संघर्षपूर्ण रहा है। लेकिन ये संघर्ष सामाजिक सुधार के रूप में महात्मा बुद्ध के समय से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है उन्होंने स्त्री–पुरुष में किसी भी प्रकार की असमानता को खारिज करते हुए अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। इसी प्रयास में उन्होंने वेदों की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा कर स्त्री और पुरूष की बराबरी की वकालत की। बुद्ध की इसी स्त्री सुधार की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोलकर महिलाओं को शिक्षित करने का संघर्षपूर्ण कार्य किया तो बाद में पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने महिलाओं के आत्म सम्मान और उनके अधिकारों की वकालत की। राजाराम मोहन राय और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भी सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाकर स्त्री को स्वतंत्र और परम्परागत रूढ़ियों से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया। डॉ. अम्बेडकर ने भी स्त्रियों को स्वतंत्र बनाने, अधिकार दिलाने की दिशा में प्रयास किया बल्कि उन पर हो रहे समस्त अत्याचारों शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और उन्हें विभिन्न प्रयासों के माध्यम से दूर किया। उन्होंने सालो पुरानी कई हिन्दू पितृसत्तात्मक व्यवस्था से स्त्रियों के दासता पूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनका मानना था कि दलितों के साथ महिलाए भी चतुवर्णीय धर्मशास्त्र की शिकार रही है। स्मृति और शास्त्र लिंग के आधार पर भेदभाव करते है। इसलिए शास्त्रों की पवित्रता को खारिज करते हुए पुरूषों और स्त्रियों को इनकी बाध्यताओं से निजात दिलानी होगी। राष्ट्र के विकास में समाज के प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, समूह तथा समुदाय की भागीदारी को आवश्यक माना गया है। विकास की इस आवश्यकता में समाज की आयी आबादी अर्थात् महिलाओं की भागीदारी को भी अत्यन्त आवश्यक माना गया है। इतिहास इसका गवाह है कि राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दिया है। विकसित राष्ट्रों ने महिलाओं की सहभागिता के आधार पर पूरे विश्व के समक्ष एक मानक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन विश्व के कुछ गिने चुने विकसित राष्ट्रों को छोड़ दे तो बाकी बचे देशों में महिलाओं की स्थिति पुरूषों के बराबरी की भी नहीं हैं। जबकि बहुत से देशों में की स्थिति पुरूषों के बराबरी की भी नहीं हैं। महिलाओं को इस स्थिति से निकाल पुरूषों के साथ बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए इसे विकास के सिद्धान्त से जोड़ना अति आवश्यक था। महिलाओं को पुरूषों के बराबरी में खड़ा करने के लिए जरूरी था कि उसे आवश्यक एवं अनिवार्य रूप से कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाये।

भारत के राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की आवश्यकता –

1. सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों तरह के संस्थाओं में महिलाए कार्य करती हैं। हमें दोनों स्तरों पर विकास की आवश्यकता है, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। सिर्फ पुरूष जाति को विकसित करके राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। अत: हमें स्त्री एवं पुरूष दोनों जातियों का विकास साथ–साथ आवश्यक है।
2. अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को कानूनी दाँव–पेंच की जानकारी नहीं होती है, लेकिन व जानती हैं कि सीमित साधनों में आश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है तथा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है।
3. घर तथा खेती के कार्यो में महिला पुरूष दोनों का सक्रिय योगदान रहता है। इसके लिए यह जरूरी है कि निर्णय करने में दोनों की भागीदारी हो।
4. ग्राम सभा की आधी सदस्य महिलाएँ अत: उनका श्रेय, विचार एवं निर्णय ग्राम के विकास के लिए आवश्यक है जिनके द्वारा देश का विकास सम्भव है।

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

5. परिवार की भाँति ग्राम सभा में भी महिला-पुरुष बैलगाड़ी के पहिए के समान है अत: दोनों की सहभागिता से ही ग्राम स्वराज्य कार्यक्रम बहुत गति से आगे बढ़ सकता है एवं देश का विकास सम्भव हो सकता है।
6. पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य के रूप में यदि अवलोकन करें तो महिला प्रतिनिधि मिल बैठकर बातचीत करके तथा अपनी समस्याएं व अनुभव एक दूसरे को बताकर बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूँढ सकती है।
7. घर, परिवार तथा समाज की व्यवस्था का आभार मुख्यत: महिलाएं ही होती है, वही घर-परिवार के खर्चे आदि की व्यवस्था करती है। अत: इनकों इन क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से शिक्षित एवं सशक्त बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही से समाज एवं देश का विकास प्रभावित होता है।

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयास – राष्ट्रीय विकास में महिलाओं को सशक्त बनाकर ही राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। क्योंकि इनके विकास के अभाव में राष्ट्र का विकास असम्भव है। महिलाओं के सशक्तिकरण को विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास द्वारा किया जा सकता है –

1. सामाजिक सुधार के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता फैलाकर महिलाओं को हिस्सेदार बनाया जा सकता है। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। महिलाओं को पुरूषों के साथ बराबरी का अधिकार देकर।
2. नारी शिक्षा एवं स्वतन्त्रता के द्वारा महिलाओं की सही दिशा में उन्नति एवं प्रगति करके महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। लड़कों के साथ लड़कियों को भी शिक्षा दी जाए। समाज में नर और नारी की समान सहभागिता को अनिवार्य मानते हुए कहा गया है कि समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है, नारी की उन्नति के समाज एवं राष्ट्र की उन्नति असम्भव है।
3. परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण में नारी की अहम् भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि नारी शिक्षा पुरूष शिक्षा से भी अधिक आवश्यक है। वह राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करने की महती भूमिका निभाती है।
4. नारी प्रगति को समाज की प्रगति का मापदण्ड मानने वाले बाबा साहेब ने एक राष्ट्र महिला सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 'नारी राष्ट्र की निर्मात्री है राष्ट्र का हर नागरिक इसकी गोद में पलता है, नारी की जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास असंभव है'। उन्होंने नारी को शिक्षित करने और राष्ट्रीय उन्नति में भागीदारी बनाने का आहवान किया। भारतीय नारी में चेतना जगाने और उनको मानवाधिकार दिलाना अति आवश्यक है। स्त्रियों को संपति में समान अधिकार, विधवाओं को पुनर्विवाह अधिकार महिलाओं को भी तलाक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, बहुपत्नी विवाह का अन्त आदि में अधिकार दिलाने की आवश्यकता है।
5. नारी अधिकार और संविधान के अंतर्गत भारत के महान सपूत, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबासाहेब सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर समाज का निर्माण कर आधुनिक भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और सभी वर्गों के स्त्री-पुरूष को समान रूप से मत देने का अधिकार सुनिश्चित किया, जो नारियों को राजनीतिक स्वंतत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए बहुत से प्रावधान संविधान में सुनिश्चित किए।
6. यहाँ महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए वैश्विक प्रयासों का सर्वेक्षण आवश्यक हो जाता है। महिला उत्थान और महिला अधिकार से संबंधित बहुत से सम्मेलनों का आयोजन वैश्विक परिदृश्य में 20वीं सदी के आरम्भ से ही किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक पहल संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वर्ष 1975 में किया गया। वर्ष 1975 को 'महिला सशक्तिकरण' वर्ष के रूप में मनाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 से 1985 तक के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित कर महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को सशक्त और सार्थक स्वरूप प्रदान किया। 'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' का मौलिक उद्देश्य स्त्री-पुरुष समानता पर बल देते हुए विकास कार्य तथा विश्व शांति में महिलाओं के सक्रिय सहयोग व सेवा को प्राप्त करना था। 1975 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम विश्व सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण के लिए जिन विकास कार्यक्रमों को इस सम्मेलन में तय किया था वो निम्न थे- साक्षरता और शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि साधनों में बराबर की हिस्सेदारी, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना, सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति, नीति निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी, कल्याण सेवाओं में वृद्धि नागरिक, सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार, महिलाओं के कार्य का आर्थिक मूल्यांकन, विभिन्न संस्थाओं के भीतर महिला संगठन को बढ़ावा देना, कृषि, प्रौद्योगिकी तथा अन्य सहायक सेवाओं को महिलाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित करना।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता – सहभागिता की तीन महत्वपूर्ण व्याख्याओं का वर्गीकरण किया और बताया कि देश के विकास में इन तीनों क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। इनकी भागीदारी सुनिश्चित करके ही महिलाओं को सशक्त किया जा सकता एवं देश के विकास को अग्रसर किया जा सकता है।

1. योजना के रूप में सहभागिता को निश्चित करना।
2. संगठन के रूप में सहभागिता को निश्चित करना।
3. सशक्तिकरण की प्रक्रिया के रूप में सहभागिता को निश्चित करना।
4. सामाजिक सहभागिता।
5. आर्थिक सहभागिता।
6. राजनैतिक सहभागिता।
7. सांस्कृतिक सहभागिता।

राजनीतिक सहभागिता का मुख्य आधार प्रतिनिधित्व है, किन्तु राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व के नीचे भी बड़ा अंतर है। राजनीतिक सहभागिता के लिए बहुत से सहायक और अनूकूल परिस्थितियों का निर्माण आवश्यक रुप से अनिवार्य है, जबकि प्रतिनिधित्व को कानून या आपसी सहमति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत महिलाओं की सहभागिता पर दृष्टि डाले तो इस संदर्भ को कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आलोकन में देखा जाना आवश्यक हो जाता है। राजनीतिक सहभागिता का आवश्यक अनिवार्य शर्त यह होती है कि राजनीति की और व्यक्ति का स्वत: स्फूर्त झुकाव हो। गिलब्रैथ राजनीतिक सहभागिता के लिए तीन गतिविधियों को महत्वपूर्ण मानते है ये

तीन गतिविधियाँ निम्न है, दर्शक गतिविधि ,सांस्कृतिक गतिविधि और लड़ाकू गतिविधि। दर्शक गतिविधि में व्यक्ति केवल राजनीतिक चर्चाओं या सभाओं में भाग लेता है, संक्रांतिक गतिविधि में व्यक्ति प्रत्याशी या दल से संबंधित बैठकों में भाग लेता है। लड़ाकू गतिविधि में वह सक्रिय रुप से सहभागी भूमिका का निर्वाह करता है अर्थात वह राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपना लेते है। गिलब्रैथ की इन गतिविधियों की दृष्टि से भारत में हम पाते है कि महिलाएँ बहुत ही सीमित संख्या में लड़ाकू गतिविधि को अपना पाती है। ये स्थिति भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कमावेश यही स्थिति है। लोकतंत्र की वृद्धि से सहभागिता की प्रथम दो गतिविधियाँ दर्शक गतिविधि और सांस्कृतिक गतिविधि के फैलाव महिलाओं में भी आवश्यक है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का सीधे चुनाव या विधायिका की मंचों से जोड़ कर देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की औपचारिक राजनीति में इनकी सहभागिता बहुत सीमित रही है। स्व-शासन और प्रजातंत्र में चुनाव एक मंत्र भी है और इन संस्थाओं को जनता से जोड़ने का माध्यम भी है। इसलिए वंचित समूहों की समस्याओं की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में चुनावों का विशेष महत्व है। लेकिन अनेक शोध व अध्ययन इस तथ्य को उद्घाटित करते है कि चुनावों के रूप में भी बहुत सीमित है। जान माथई की पुस्तक 'विहोज गर्वनमेन्ट इन ब्रिटिश इंडिया' का है, जिसमें यह वर्णित है कि पंचायत स्तरीय विभिन्न समितियों के सदस्य बनने में महिलाएँ प्रतिबंधित नहीं थी। पं. जवाहर लाल नेहरु की पुस्तक 'भारत की खोज' का है जिसमें इस तथ्य की ओर इशारा किया गया है कि महिलाएँ भी इन ग्रामीण स्वागत समितियों की सदस्या बन सकती थी। मुस्लिम सत्ता धारकों के युग में महिलाओं के ग्रामीण सहभागिता की ये संभावनाएँ भी समाप्त हो गई क्योंकि उनका ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करें। ऐतिहासिक अवतरणों से भी स्पष्ट होता है कि इस्लाम में अन्य प्रचलित धर्मो की अपेक्षा महिलाओं को कम स्वायत्ता दिया गया है। औपनिवेशिक सत्ता के युग में भी यह प्रयास नहीं किया गया कि इन ग्रामीण स्वायत्ताशासी संस्थाओं में उनकी सहभागिता में वृद्धि की जाए। इस युग में महात्मा गाँधी ने महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने में अपने विचारों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए जिसका प्रभाव आगे आने वाले आंदोलनों और व्यवस्था में प्रत्यक्ष रुप से महसूस किया गया। 15 मई, 1989 को पंचायती राज से सम्बन्धित 64 वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद के प्रस्तुत किया गया। जिसमें 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के आरक्षित किया गया था जिससे पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो।

निष्कर्ष – वर्तमान समय में जिस प्रकार बालक के विकास को पूर्णता के रूप में देखते है। उसी प्रकार राष्ट्र के विकास को हमें सम्पूर्ण मानव जाति को देखना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार बालक के किसी एक पक्ष को विकास करके उसके विकास को पूर्ण नहीं समझा जा सकता ठीक उसी प्रकार राष्ट्र को सिर्फ पुरूष जाति को पूर्ण रूप से विकसित करके गतिशीलता प्रदान नहीं की जा सकती। यह तभी सम्भव है, जब पुरूष के साथ-साथ महिलाओं का भी पूर्ण विकास किया जाए इस प्रकार हम कह सकते है कि भारत की सम्पूर्ण स्त्री जाति को विचारशक्ति, विवकेशक्ति, बनाने की आवश्यकता है। नारियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें अवसर देना चाहिए। अब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत का भविष्य महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता और उनका प्रतिनिधित्व आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था ने महिला सहभागिता में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। महिला शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए भले ही इसकी उत्तरदायित्व राज्य व सरकार उठाए। अंतर्जातीय विवाह करने वाले युगलों को पंचायतों में अलग से आरक्षण दिया जाए। धर्म, परम्पराओं और मान्यताओं को वैज्ञानिक आधार पर उचित व अनुचित करार दिया जाए। महिलाओं के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण परिवर्तन हेतु पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जाना चाहिए। विभिन्न योजनाओं की प्राथमिक लाभार्थी महिलाओं को ही बनाया जाय। महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। पितृ सत्तात्मक मान्यताओं और प्रावधानों को समाप्त किया जाए। महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास के लिए शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए जाने चाहिए। महिला सशक्तिकरण हेतु विविध सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास किए गए और यह मानना है कि सरकारी प्रयास जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ गैर-सरकारी प्रयास हेतु पहल सरकार, समाज, व्यक्ति और सर्वाधिक शिक्षित महिलाओं को करना चाहिए। महिलाएं ही महिला सशक्तिकरण कर सकती हैं क्योंकि पर्यावरण निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सशक्तिकरण स्वयं की पहल की माँग करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सामुदायिक विकास और पंचायती राज, दिल्ली - साहित्य मंडल प्रकाशन।
2. पंचायती राजव्यवस्था सिद्धान्त एवं व्यवहार, दिल्ली - राजपाल प्रकाशन।
3. पंचायतों में महिलाएँ, सीमाएँ एवं संभावनाएँ, दिल्ली - साराशं प्रकाशन।
4. www.google.com/wikipedia.com

****

जीनिंग कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों से संबंधित नियम क्रियान्वयन की बाधाओं का अध्ययन (खरगोन जिले के संदर्भ में)

डॉ. संध्या आमगा *

प्रस्तावना – आधुनिक उद्योगों के उदय और विकास ने ही जिसमें एक जटिल औद्योगिक पद्धति शामिल है, विभिन्न देशों में श्रम समस्याओं को जन्म दिया। विश्व के हर औद्योगिक रूप से बढ़े हुए देश में श्रमिकों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को खास तौर से श्रम कानूनों के द्धारा ही सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है और इसलिए किसी राष्ट्र के राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।

शोध अध्ययन का औचित्य – मध्यप्रदेश का खरगोन जिला कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था का जिला है। जहाँ कृषि उपज पर आधारित कारखानें कार्यरत है , जिनमें जीनिंग फैक्ट्री की संख्या अधिक है। जीनिंग फेक्ट्री में पुरूष के साथ महिला श्रमिक भी कार्यरत् है । इन महिला श्रमिकों को इनके कल्याण के लिए बनाए सनियमों का कितना लाभ प्राप्त हो रहा है । हमारा शोध अध्ययन इस प्रकार पूरे देश के कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों के लिए उपयोगी है, इससे शासन एवं प्रषासन एवं अन्य लोगों को महिला श्रमिकों के लिए नियम निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा प्रशासन हेतु दिशा मिलेगी ।

उद्देश्य– मेरे शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न है :–

1. जीनिंग फैक्ट्री में कार्यरत् महिला श्रमिकों से संबन्धित प्रचलित विभिन्न महत्वपूर्ण अधिनियमों का अध्ययन करना तथा उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और सुझाव देना ।
2 जीनिंग कारखानों के संबंध में महिला श्रमिकों की जागरूकता का अध्ययन करना था।
3. जीनिंग फेक्ट्री में कार्यरत् महिला श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी पद्धतियों का अध्ययन करना तथा मजदूरी निर्धारण की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में महिला श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया । विभिन्न शासकीय एवं प्रचलित नियमों, अधिनियमों के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से जिला स्तर पर किया गया । अध्ययन को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक समंकों एवं द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया ।

परिकल्पनाएँ :

1. सरकार द्वारा निर्धारित, जीनिंग फैक्ट्री में महिला श्रमिकों के लिए विभिन्न अधिनियमों का पूर्णत: पालन नहीं किया जाता हैं
2. जीनिंग फैक्ट्री में महिला श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी में भिन्नता रहती हैं ।
3. जीनिंग फैक्ट्री में महिला श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं हैं। कुशलता और अकुशलता में अन्तर नहीं किया जाता हैं ।

समय के बदलने के साथ ही उद्योगपतियों ,सरकारों के विचार बदले। श्रम को अब कमोडिटी नहीं, लिविंग लाइफ शक्तिपुन्ज, उपादेय समझा गया और औद्योगिक उत्पादन का उतना ही महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा जितना की पूँजी को। दोनों को इस निमित्त एक दूसरे के पूरक तथा सह भागीदारी के रूप में मान्यता मिली। अब वैयक्तिक संविदा का स्थान सामूहिक संविदा ने ग्रहण किया । महिलाओं की प्रसूति सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किया गया। बंधुआ मजदूर प्रथा कान्ट्रेक्ट लेबर प्रथा समाप्त करने के लिए सन्नियम बने समान वेतन अधिनियम बने। समान वेतन अधिनियम लागू किया गया ताकि संविधान की भावना के अनुकूल समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को लागू किया जा सके। इससे श्रमिकों को संविदा के स्थान पर स्टैट्स प्रदान किया गया। जबरी छुट्‌टी, छंटनी, उद्योगों की तालाबंदी, उनके ट्रान्सफर आदि के लिए प्रावधान और प्रतिबंध क्रमश: बनाए और लगाए गये। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई जो नियोजक की इच्छा पर नहीं थी।

खरगोन जिले के जीनिंग कारखानों के सन्दर्भ में शोधकर्ता ने विशेष रुप से मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, औधौगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, के अन्तर्गत पारित नियमों व उपबन्धों का अध्ययन किया और अपने शोधकार्य के दौरान सर्वेक्षण कार्य में इन अधिनियमों के अनुबध किस सीमा तक जीनिंग कारखानों में लागू हो रहे हैं तथा महिला श्रमिकों को उन अधिनियमों का कितना लाभ मिल रहा हैं कि जानकारी प्राप्त की।

शोधकर्त्ता ने पाया कि इन श्रम सन्नियमों का पूर्णत: पालन नहीं हो रहा है, इनके परिपालन में जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है –

प्रशासनिक बाधाएं – प्रशासनिक बाधाओं के रूप में मुख्यत: शोधकर्त्ता ने उन बाधाओं का अध्ययन किया जो श्रम सन्नियमों के जीनिंग कारखानों में महिला श्रमिकों के हितार्थ परिपालन में प्रशासन व कारखाना मालिकों के सहयोग या मिलीभगत के कारण आ रही हैं, जिसके कारण निम्नलिखित हैं–

1. **निरीक्षण सम्बंधी बाधा –** कल्याण विषयक उपबंधों के अनुसार किसी कारखानों मे आचरण हो रहा है या नहीं इसको देखने तथा अनुपालन

*प्राचार्य, सुभाष यादव मेमोरियल डिग्री महाविद्यालय, बोरावां (म.प्र.) भारत

कराने के उद्देश्य से ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जो उदासीन भाव से कभी-कभी निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण की खानापूर्ति कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझते हैं। ऐसे अधिकारी श्रमिकों के प्रति वांछित सहानुभूति नहीं रखते हैं।

2. भ्रष्टाचार – जीनिंग कारखानों मालिकों और श्रम निरीक्षण की मिलीभगत से श्रम सन्नियम प्रभावी रूप से लागू नहीं हो रहे हैं तथा श्रमिकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

3. राजनीतिक प्रश्रय – श्रम सुरक्षा एवं कल्याण तथा अन्य नियमों के परिपालन करवाने में राजनीति दबाव उल्लेखनीय है, चूंकि ये कारखाने मौसमी रहते हैं। अत: सरकार भी ऐसे कारखाने के संबंध में नियमों के पालन करवाने में रूचि नहीं लेती है और न ही उचित नियम बनाने में भूमिका निभाती है। इस प्रकार प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है।

4. समानता संबंधी बाधा – हमारे श्रम सन्नियमों में काफी असमानताएं हैं, इसका कारण श्रम विषयों को केन्द्रीय, सीमावर्ती तथा राज्य सूचियों में विभक्त करना है। पूरे देश के श्रमिकों से संबंधित एक जैसे नियम नहीं बनाएं गये हैं।

श्रम संघ निर्माण संबंधित बाधा – श्रमिकों से सम्बंधित संघ का गठन न होने के कारण संवाद की स्थिति शुन्य रहती है अत: प्रशासन और प्रबंध श्रमिकों की भावनाओं एवं कार्य स्थितियों को नहीं समझ पाते। अत: विवाद की स्थितियां बनती रहती हैं, जो मजदूरी कार्य दशाओं, कार्य के घण्टे, सुरक्षा, साफ- सफाई है और अन्य कल्याण कार्यवाहियां नहीं हो पाती हैं।

ब. गैर प्रशासनिक बाधाएं – गैर प्रशासनिक बाधाओं में शोधार्थी ने मुख्यरूप से उन बाधाओं का अध्ययन किया जो श्रम सन्नियमों के परिपालन में कारखाना मालिकों और महिला श्रमिकों के बीच आवश्यक तालमेल न होने के कारण उत्पन्न होती हैं। पूँजीपति वर्ग सदैव ही श्रमिकों से अधिक कार्य लेकर उन्हें कम वेतन व सुविधाएं प्रदान करना चाहता है। वही मजदूर वर्ग को अपनी अज्ञानता तथा अपनी विपरीत आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के कारण पूँजीपति वर्ग के हाथों वर्षो से शोषित होता आया है। श्रम सन्नियमों के परिपालन में उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैर प्रशासिनक बाधाएं निम्न हैं

महिला श्रमिक की भर्ती नीति – विभिन्न श्रम सन्नियमों के परिपालन में एक प्रमुख कठिनाई महिला श्रमिक की भर्ती नीति है। जीनिंग कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों की भर्ती के लिए किसी प्रकार के मापदंड निर्धारित नहीं हैं। महिला श्रमिकों की भर्ती के समय उन्हें यह नहीं पता रहता है, कि उन्हें कितने समय के लिए काम पर रखा गया है जहां महिला श्रमिको की भर्ती मुकद्दम के माध्यम से होती है, वे अपने मिलने-जुलने वाले या रिश्तेदार महिला श्रमिकों की भर्ती कर लेते हैं।

शिक्षण स्तर – जीनिंग कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों की शिक्षा का स्तर निम्न है। महिला श्रमिकों की अज्ञानता के कारण उन्हें श्रम सन्नियमों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का ज्ञान नहीं होता है।

सामाजिक चेतना – महिला श्रमिकों में कार्य के प्रति सामाजिक चेतना का अभाव है, दूसरे शब्दों में उनमें कार्य के प्रति ईमानदारी का अभाव है जो कि नियम क्रियान्वयन की बहुत बड़ी बाधा है। उनमें कार्य को टालने का भाव है तथा वे निष्ठापूर्वक कार्य का निर्वहन नहीं करती हैं।

प्रोत्साहन का अभाव – प्रबंधकीय कार्यों में उच्चप्रबंध द्वारा अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित कर बेहतर परिणाम की प्राप्ति की जाती है। जीनिंग कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों को उनके द्वारा अच्छा कार्य करने पर भी (मौद्रिक, अमौद्रिक) किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है।

पारिश्रमिक संबंधी समस्या – जीनिंग कारखानों में कार्यरत् विभिन्न महिला श्रमिकों को मिलने वाली पारिश्रमिक की दर में भिन्नता पाई जाती है। जिले के विभिन्न जीनिंग कारखानों में पारिश्रमिक की दर में भिन्नता है।

परिकल्पनाओं का परीक्षण एवं निष्कर्ष :

1. सरकार द्वारा निर्धारित, जीनिंग फैक्ट्री में महिला श्रमिकों के लिए विभिन्न अधिनियमों का पूर्णत: पालन नहीं किया जाता हैं

उपरोक्त परिकल्पना शत्-प्रतिशत सही सिद्ध हुई शोधार्थी ने सर्वप्रथम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सर्वेक्षण कार्य के दौरान ज्ञात हुआ, कि इस अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णत: पालन नहीं किया जाता है। कारखाना अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधानों जिनमें मुख्यत: स्वास्थ्य, सुरक्षा व श्रम कल्याण सम्बंधी सुविधाएं जो, कि अधिनियम द्वारा श्रमिकों के हितार्थ प्रदान की गई उनका संपूर्ण लाभ श्रमिकों को प्राप्त नहीं होता है।

प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 जो, कि महिलाओं की प्राकृतिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, के प्रावधानों का लाभ भी महिला श्रमिकों को प्राप्त नहीं हो रहा है। जीनिंग कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें निर्धारित प्रसूति अवकाश व सुविधा प्राप्त नहीं है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का मुख्य उद्देश्य रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं व पुरूषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलवाना है तथा महिलाओं के साथ पारिश्रमिक की दर में जो भेद-भाव किया जाता है, उसको रोकना है, परन्तु जीनिंग कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों के साथ पारिश्रमिक की दर में भेदभाव किया जाता है, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस प्रकार किसी भी अधिनियम के संपूर्ण प्रावधानों का जिले के किसी भी जीनिंग कारखानों में पालन नहीं किया जाता है अत: प्रथम परिकल्पना कि '**सरकार द्वारा निर्धारित जीनिंग कारखानों में महिला श्रमिकों के लिए विभिन्न अधिनियम का पूर्णत: पालन नहीं किया जाता है**' स्वीकृत की जाती है।

2. जीनिंग फैक्ट्री में महिला श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी में भिन्नता रहती हैं।

उपरोक्त परिकल्पना शतप्रतिशत सही सिद्ध हुई है। शोधार्थी द्वारा जिले के विभिन्न जीनिंग कारखानों में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि जिले के विभिन्न जीनिंग कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों को प्राप्त पारिश्रमिक की दर में भिन्नता रहती है तथा जीनिंग कारखानों में कार्यरत् महिला श्रमिकों व पुरूष श्रमिकों के बीच समान कार्य होने पर भी पारिश्रमिक की दर में भिन्नता होती है। अत: द्वितीय परिकल्पना ''**जीनिंग कारखानों में महिला श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी में विभिन्नता रहती है।**'' स्वीकृत की जाती है।

3. जीनिंग फैक्ट्री में महिला श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं हैं। कुशलता और अकुशलता में अन्तर नहीं किया जाता हैं।

उपरोक्त परिकल्पना शत प्रतिशत सही सिद्ध हुई है। जिले की विभिन्न जीनिंग कारखानों में महिला श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए किसी प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं है। जिसका लाभ महिला श्रमिकों को प्राप्त हो सके तथा वे अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकें जिससे उनकी आय व कार्य दक्षता बढ़ सके।

अत: तृतीय परिकल्पना कि ''**जीनिंग कारखानों में महिला श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। कुशलता**

और अकुशलता में अंतर नहीं किया जाता है। स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष – सामान्य या औद्योगिक स्तर पर वे श्रम संबंधों कामगारों या उनके संघ तथा संबंधित प्रबंधक के बीच संबंधों का रूप लेती है।अतः किसी औद्योगिक समाज की श्रम समस्याएं ,श्रम सेवाओं के खरीदने, बेचने तथा किए जाने पर केन्द्रित होती हैं। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली सभी श्रम समस्याओं को शामिल करने वाले तीन प्रमुख क्षेत्र बताए जा सकते हैं, अर्थात् आय, सुरक्षा तथा संगठन इस दृष्टिकोण से श्रम समस्याओं को एक खास तरह की सामाजिक समस्याएं समझा जा सकता है।शोधार्थी ने खरगोन जिले के जीनिंग कारखाना कार्यरत् विभिन्न महिला श्रमिकों से संबंधित विभिन्न सन्नियमों के परिपालन के संबंध में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है। खरगोन जिले में 39.48 प्रतिशत महिला जनसंख्या कार्यशील है, जो परिवार के पालन पोषण में महिला श्रम के महत्व को प्रतिपादित करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 औद्योगिक समाजशास्त्र : डी.एस. बघेल, विवेक प्रकाशन
2 श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक संबंध : टी.एन. भगोलीवाल, साहित्य भवन
3 व्यावहारिक अर्थशास्त्र : डॉ.वी.सी.सिन्हा
4 भारत में आर्थिक विकास एवं नीति : मिश्र एवं पूरी
5 भारत की आर्थिक समस्याएँ : डॉ. मामोरिया एवं जैन
6 भारत जनगणना 2001
7 विभिन्न समाचार पत्र
8 www.com wikipedia

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

इंदिरा आवास योजना आर्थिक विश्लेषण - खरगोन जिले के संदर्भ में

डॉ. पुरूषोत्तम गौतम * डॉ. परमजीत सिंह सलुजा **

शोध संक्षेप - इंदिरा आवास योजना योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को भी शामिल कर लिया गया तथा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निधियों के आवंटन को राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कुल संसाधनों के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया, परन्तु शर्त यह थी कि गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों (आरक्षित वर्ग) के गरीबों को दिया जाने वाला लाभ जवाहर रोजगार योजना के कुल आवंटन का 4 प्रतिशत से अधिक न हो। इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग कर 1 जनवरी, 1996 से एक स्वतंत्र योजना बना दी गई हैं। ''इंदिरा आवास योजना' भारत सरकार की कार्यनीति भारत निर्माण जैसे कार्यक्रमों में परिलक्षित होती हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जीवन शैली की गुणवत्ता को सुधारना हैं। इसके अतिरिक्त उक्त जनकल्याणकारी योजना ने सुनिश्चित किया हैं कि ग्रामीण गरीब लोगों के पास गारंटी युक्त रोजगार के माध्यम से अपनी बुनियादी जरूरतों विशेष रूप से खाद्य के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति बची रहती हैं।
शब्द कुंजी - इंदिरा आवास योजना, हितग्राही, लागत लाभ विश्लेषण, अनुदान, गरीबी रेखा।

प्रस्तावना - इंदिरा आवास योजना का परिचय - मानव के जीवन निर्वाह के लिए आवास बुनियादी जरूरतों में से एक हैं। एक साधारण नागरिक के लिए आवास उपलब्ध होने से उसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा मिलती हैं। एक बेघर व्यक्ति को आवास उपलब्ध हो जाने से उसके अस्तित्व में सामाजिक परिवर्तन आता हैं तथा उसकी पहचान बनती हैं और इस प्रकार वह शीघ्र ही अपने सामाजिक वातावरण से जुड़ जाता हैं।

इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से हुई हैं, जो 1980 के शुरू में प्रारंभ हुए। 1980 में शुरू होने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 1983 में शुरू होने वाले ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य गतिविधियों में से एक गतिविधि आवासों का निर्माण था। हालांकि, राज्यों में ग्रामीण आवास के लिए कोई समरूप नीति नहीं थी। जैसे, कुछ राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों में से निर्माण लागत का एक हिस्सा देना ही मंजूर किया और शेष राशि की पूर्ति लाभार्थियों द्वारा अपनी बचत अथवा स्वयं हासिल किए गए ऋणों से की जानी थी। दूसरी ओर अन्य राज्यों ने संपूर्ण खर्च को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों में से पूरा करना मंजूर किया। कुछ राज्यों ने नए आवासों के निर्माण की मंजूरी दी, जबकि कुछ ने लाभार्थियों के मौजूद आवासों के मरम्मत की अनुमति दी। जून, 1985 में भारत सरकार ने एक घोषणा की, जिसमें ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम की निधियों के एक हिस्से को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बँधुआ मज़दूरों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु अलग रखा गया। इस घोषणा के परिणामस्वरूप ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू हुई थी, जो अप्रैल 1989 से शुरू हुई जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में जारी रही। जवाहर रोजगार योजना की कुल निधियों का 6 प्रतिशत भाग इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए आबंटित किया जाता था। वर्ष 1993-94 से इंदिरा आवास योजना के क्षेत्र को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को भी शामिल कर लिया गया तथा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निधियों के आवंटन को राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कुल संसाधनों के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया, परन्तु शर्त यह थी कि गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों (आरक्षित वर्ग) के गरीबों को दिया जाने वाला लाभ जवाहर रोजगार योजना के कुल आवंटन का 4 प्रतिशत से अधिक न हो। इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग कर 1 जनवरी, 1996 से एक स्वतंत्र योजना बना दी गई हैं।

1999-2000 से जीर्ण-शीर्ण कच्चे मकानों को सुधारने के प्रावधान बना कर तथा गरीबों के कतिपय वर्गों को अनुदान के साथ ऋण देकर ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सुधार लाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण आवास में किफायती, आपदा-रोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी बल दिया गया हैं।

उद्देश्य - इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का उद्देश्य मुख्य रूप से अनुसूचित जातियोंअनुसूचित जनजातियों, मुक्त बँधुआ मज़दूरों के सदस्यों को और भी गैर-अजा/अजजा ग्रामीण गरीबों की गरीबी रेखा के नीचे के लिए घरों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए हैं।

ग्रामीण लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाइयों के निर्माण उन्नयन में मदद करना।

शोध परिकल्पना - प्रस्तुत शोध अध्ययन के परीक्षण हेतु यह परिकल्पना

* प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी व डीन (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** 49, जवाहर मार्ग, बड़वानी (म.प्र.) भारत

की जाती हैं कि,

1. इंदिरा आवास योजना आवासहीन बी.पी.एल. आदिवासी परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक रही हैं।
2. योजना द्धारा संचालित कार्यक्रमों में रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई हैं।
3. योजना में ग्राम पंचायत स्तर से/जनपद पंचायत स्तर का पूर्ण योगदान होता हैं।

शोध विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन के अनुसंधान में निर्देशन पद्धति के आधार पर संकलित प्राथमिक एवं द्धितीयक समंकों का उपयोग किया जावेगा। प्राथमिक समंकों को संकलित करने के लिए निमाड़ में जिला स्तर से प्रत्येक विकास खण्ड अन्तर्गत ग्रामों के 50-50 चयनित पात्र हितग्राहियों का साक्षात्कार प्रश्नावली के अनुसार सर्वेक्षण कार्य किया गया हैं।

लक्ष्य समूह – लक्ष्य समूह में गरीबी रेखा के नीचे के बीच लाभार्थियों के चयन के लिए प्राथमिकता के क्रम इस प्रकार हैं –

(i) मुक्त बँधुआ मज़दूर
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों, जिसमें मुखिया विधवा और अविवाहित महिला हो तथा परिवार की उनके द्धारा अध्यक्षता की जाती हो।
(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों को, जो किसी अत्याचार के शिकार हैं।
(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को, जो बाढ़, आग, भूकंप, चक्रवात और इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो।
(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्य परिवारों।
(vi) गैर-अजा/अजजा परिवारों।
(vii) शारीरिक रूप से विकलांग।
(viii) परिवारों/विधवाओं की कार्रवाई में मारे गए रक्षा सेवाएँ तथा अर्द्ध सैन्य बलों के कर्मियों को।
(ix) विकासात्मक परियोजनाओं, खानाबदोश, अर्द्धघुम्मकड़ और न्यून जनसंख्या वाला आदिवासी समुदाय का सदस्य, विकलांग सदस्यों और आंतरिक शरणार्थियों के साथ परिवारों के कारण विस्थापित व्यक्तियों के अधीन गरीबी रेखा के नीचे जा रहे परिवारों के लिए।

खरगोन जिले में लाभान्वितों की संख्या व प्रतिशत

क्र.	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या	लाभान्वित	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	खरगोन	200831	6745	3.36
2	भीकनगाँव	138586	4340	3.13
3	भगवानपुरा	148625	4826	3.25
4	झिरन्या	151664	4795	3.16
5	गोगाँवा	101300	3121	3.08
6	बड़वाह	231184	6819	2.95
7	महेश्वर	167024	4802	2.88
8	कसरावद	185693	6253	3.37
9	सेगाँवा	68952	3029	4.39
	योग –	**1393859**	**44730**	**3.21**

योजना हेतु शासन द्धारा जारी राशि (लागत) का विश्लेषण (सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)

प्राप्त लाभ की गुणवत्ता तथा औचित्य –

1. स्वास्थ्य एवं पोषण
2. कृषि विकास
3. शिक्षा एवं दक्षता विकास
4. परिवहन हेतु सड़क सुविधा में विस्तार

प्राप्त लाभ का परिणाम –

1. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
2. ग्रामीण अवसंरचना एवं विकास
3. भारत निर्माण

योजना का पिछड़े क्षेत्रों पर प्रभाव – साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि मानव विकास के संकेतक, जैसे साक्षरता एवं शिक्षा और मातृत्तव व शिशु मृत्यु दर सतत् सुधार दर्शाते हैं, लेकिन वे यह भी दर्शाते हैं कि प्रगति धीमी हैं और हम एशिया में अन्य अनेक देशों से लगातार पिछड़े हैं। जबकि साक्षरता दर, जो वर्ष 1951 में 18.3 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्ष 2001 में 64.80 प्रतिशत हो गई हैं। अभी भी अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 304 मिलियन से अधिक हैं, जिससे भारत विश्व में सर्वाधिक अशिक्षित जनसंख्या वाला देश हो गया हैं। जीवन प्रत्याशा दर वर्ष 1951 में 18.30 प्रतिशत थी, यह वर्ष 2001 तक बढ़कर 64.80 प्रतिशत हो गई हैं।

भारत विश्व में सर्वाधिक अशिक्षितों की संख्या वाला देश माना गया हैं। जीवन प्रत्याशा दर वर्ष 1951 की तुलना में लगभग 32 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2001-06 की अवधि में पुरूषों के लिए 63.90 वर्ष व महिलाओं के लिये 66.90 वर्ष हुई हैं। यह औद्योगीकृत देशों में यह 80 वर्ष हैं। चीन में जहाँ यह 72 वर्ष हैं, की तुलना में काफी नीचे हैं। यद्यपि औद्योगीकृत देशों के समान भारतीय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा दर भारतीय पुरूषों से उच्च हैं, फिर भी भारत में प्रत्येक 1000 पुरूषों पर केवल 933 महिलाओं का प्रतिकूल लिंगानुपात हैं। सबसे शोचनीय हैं कि बाल लिंगानुपात (0-6 आयु वर्ग में), जो 1981 में 962 था, वह तेजी से गिरकर 2001 में 927 रह गया हैं। भारत में मातृत्व व बाल मृत्यु दरें पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में काफी अधिक हैं, जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच को दर्शाती हैं। नौवीं योजना से लेकर अब तक कृषि क्षेत्र की वृद्धि काफी धीमी रही हैं, जिससे ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर गहराया हैं और इससे ग्रामीण क्षेत्र के कुछ इलाकों में बहुत असंतोष उत्पन्न हुआ हैं। यद्यपि वर्ष 2004 के बाद बीते कुछ सालों में कृषिगत विकास में कुछ बदलाव दिखा हैं। अर्थव्यवस्थागत कुल रोजगार में तेज बढ़ोत्तरी हुई हैं, लेकिन मानव श्रम संबंधी स्थायी रोजगार घटा हैं, यद्यपि इस क्षेत्र की फर्में अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे आर्थिक विकास का क्षेत्रीय संतुलन नहीं हुआ हैं और कई अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर आवश्यक सामाजिक सेवाओं का प्रदाय अपर्याप्त हैं। यह असमान विकास लिया जाए, तो अर्थव्यवस्था के वर्तमान ढाँचे के भीतर ही मानव विकास के और उच्चतर स्तर प्राप्त किए जा सकते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उल्लेखनीय आर्थिक उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। जिन पर अपनी स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तथापि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर गरीबी, अज्ञान, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयास किया था। 11 वीं योजना, दसवीं योजना में हासिल उपलब्धियों को और सबल बनाने और दर्शित खामियों को सुधारने के लिए निर्णयात्मक रूप से काम

करने का अवसर प्रदान करती हैं।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याएं

क्र.	विवरण	प्रतिशत
1	हितग्राहियों के चयन की समस्या	7
2	आदिवासी बी.पी.एल. परिवार के चयन की समस्या	5
3	आदिवासी बी.पी.एल. परिवारों को प्रदान की गई योजना के पूर्ण लाभ दिलाने में समस्या	6
4	राशि के आवंटन एवं वितरण की समस्या	11
5	हितग्राही द्वारा उपयुक्त योजना में राशि का विनियोजन	14
6	हितग्राही परिवार को योजना की व्यापक सूचना का अभाव	18
7	हितग्राही परिवार को व्यापक प्रचार प्रसार का अभाव	39

निष्कर्ष – 'इंदिरा आवास योजना' अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएँ निर्मित करते हुए आवासहीन परिवारों को आवास प्रदाय करने का सरकार का प्रमुख कार्यक्रम हैं, जिसका उद्देश्य गरीब और नि:सहाय वर्गों को मानवीय सुरक्षा प्रदान करना हैं। इस योजना का जन्म के संबंध में कहा जा सकता हैं कि अनेक योजना में शामिल होकर 1980 के शुरू में हुआ। बीतते समय के साथ-साथ योजना अपने मूर्त रूप में आते आते 01 जनवरी, 1996 को एक स्वतंत्र योजना बना दी गई हैं। जो वर्तमान तक प्रचलित होकर अनेकों आवासहीन परिवारों को प्रदाय लक्ष्यानुसार प्रतिवर्ष आवास प्रदाय किया जा रहा हैं।

1999-2000 से जीर्ण-शीर्ण कच्चे मकानों को सुधारने का प्रावधान बना कर तथा गरीबों के कतिपय वर्गो को सब्सिडी के साथ ऋण देकर ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सुधार लाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण आवास में किफायती, आपदा-रोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी बल दिया गया है।

'इंदिरा आवास योजना' भारत सरकार की कार्यनीति भारत निर्माण जैसे कार्यक्रमों में परिलक्षित होती हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जीवन शैली की गुणवत्ता को सुधारना हैं। इसके अतिरिक्त उक्त जनकल्याणकारी योजना ने सुनिश्चित किया हैं कि ग्रामीण गरीब लोगों के पास गारंटी युक्त रोजगार के माध्यम से अपनी बुनियादी जरूरतों विशेष रूप से खाद्य के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति बची रहती हैं।

'इंदिरा आवास योजना' विकास कार्यो में सहायता प्रदान करना अथवा अन्य कार्यक्रमों के महत्तव को बढ़ाना हैं, जैसे कि भारत निर्माण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अवस्थापना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया हैं, किन्तु जैसे क्रान्तिक अन्तरों को पाटने के लिए पूरकता की ज़रूरत हैं। इसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में विकास को उत्प्रेरित करना तथा अवस्थापना की व्यवस्था करके 2- सुशासन तथा कृषि सुधारों को प्रोत्साहित करके 3- पूरक ढाँचे और क्षमता निर्माण के जरिए अभिसरण, इन जिलों में पर्याप्त विद्यमान विकास अप्रवाह करके आदि।

नीतियों की चरम कसौटी गरीबी को कम करने में उनकी सफलता के संदर्भ में होती हैं, परन्तु गरीबी के मोर्चे पर मध्यप्रदेश को काफी रास्ता तय करना है। मध्यप्रदेश की कुल गरीबी 37.20 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया हैं। अर्थात् जनसंख्या का 37 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह कर रहा हैं तथा खासकर ग्रामीण जनसंख्या का 41.80 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 25.70 प्रतिशत हिस्सा गरीब हैं।

'इंदिरा आवास योजना' में भारत निर्माण कार्यक्रम में आश्रयहीनता को समाप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया और इसे उचित प्राथमिकता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम ने 2005 से 2009 तक 02 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं। भारत निर्माण के पहले दो वर्षों में 1.69 लाख मकानों का निर्माण किया गया हैं।

इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुरक्षा की प्रतिबद्धता को मज़बूत बनाने के लिए लागू किया गया हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 सलोदिया, डॉ. अजय ग्रामीण विकास एवं वित्त प्रबंध बोहरा प्रकाशन जयपुर, 1997
2 यादव, सुबहसिंह ग्रामीण विकास का आधुनिक दर्शन रामप्रसाद एण्ड सन्स भोपाल।
3 चक्रवर्ती रंगराजन भारत की अर्थनीति नये आयाम राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली, 2000
4 कैसा हो ग्रमीण विकास की दिशा, जनवरी 2002 डोंगरा भारत।
5 ग्रामीण बेरोजगार, नये विकल्प मई 2001 श्रीवास्तव, आई.सी.।
6 भारत, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली, वर्ष 1996 से 2002 तक।

योजना हेतु शासन द्वारा जारी राशि (लागत) का विश्लेषण

क्र.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वित्तीय वर्ष में आवंटित	कुल उपलब्ध	व्यय
1	2000-01	-216.78	142.13	-74.65	228.74
2	2001-02	-203.64	177.66	-25.98	280.77
3	2002-03	-306.75	276.89	-29.86	187.81
4	2003-04	-217.67	664.52	446.85	369.34
5	2004-05	77.51	451.39	528.9	507.43
6	2005-06	21.47	871.88	893.35	859.93
7	2006-07	33.42	493.51	526.93	546.83
8	2007-08	-19.9	638.43	618.53	542.08
9	2008-09	76.45	699.05	775.5	873.2
10	2009-10	-97.7	1423.28	1325.58	1381.45
11	2010-11	-55.87	1548.84	1492.97	1486.95

मध्य प्रदेश के बीड़ी उद्योग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का आर्थिक आलोचनात्मक अध्ययन (इन्दौर जिले के सन्दर्भ में)

डॉ. विजय ग्रेवाल*

प्रस्तावना – सामाजिक सुरक्षा किसी देश के नागरिकों का वह मानवीय अधिकार है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक जोखिमों तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है। सामाजिक सुरक्षा एक अत्यधिक व्यापक शब्द है । इसके अंतर्गत सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता और समाज सेवा को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएँ उद्देश्य सुविधाएँ, आवास सुविधाएँ, मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएँ, समूह बीमा योजनाएँ, लाभांश, अवकाश एवं भविष्य निधि आदि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।

इन्दौर जिले के बीड़ी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता का अध्ययन करने से पता चलता हैं कि इस क्षेत्र के बीड़ी उद्योग में इस योजना का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है । संगठित उद्योगों में सामाजिक सुरक्षा ओर सहायता को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इन्दौर जिले के बीड़ी श्रमिकों के लिए न तो सामाजिक बीमा अनिवार्य है न किसी प्रकार की सामाजिक सहायता की योजना लागू की गई हैं। बीडी निर्माण एक ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए श्रमिकों को घण्टो लगातार बैठना पडता है। यही कारण है कि वे अनेकों प्रकार के असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते है, जैसे तपेदिक, आत की बीमारी, पेट में कीडे, लीवर संबंधी बीमारी आदि। इसी कारण बीड़ी श्रमिकों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है और धीरे-धीरे मौत के करीब होते जाते है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यस्था में बीडी श्रमिकों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। अत: मध्यप्रदेश सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि वो बीडी श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए बीडी उद्योग में सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को शीघ्र अति शीघ्र लागू करें।

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के जिन नगरों में बीड़ी उद्योग केन्द्रित हैं, वहाँ बीडी श्रमिकों के लिए अस्पताल एवं चलित अस्पताल की व्यवस्था की हैं, परन्तु बीड़ी श्रमिकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये चिकित्सा सुविधाएँ अपर्याप्त हैं क्योंकि बीड़ी श्रमिक केवल नगरों में ही निवास नहीं करते है बल्कि अधिकांश बीड़ी श्रमिक गाँव में भी निवास करते है, जहाँ तक यह सुविधा पहुँच नहीं पाती है। बीड़ी श्रमिक दिन भर तम्बाकू के संपर्क में रहते है। इससे तम्बाकू के कण बीडी श्रमिको के शरीर में श्वास के माध्यम से जाते रहते है। परिणामस्वरूप वे टी.बी. जैसे भयावह रोग से ग्रसित हो जाते है। शासन को चाहिए वे बिखरे गाँवों में जहाँ ये मजदूर रहते है अस्पतालो की सुविधा उपलब्ध कराए, चलित औषधालयों की संख्या में वृद्धि करें ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इसका लाभ उठा सके। सरकार को चाहिए कि वे नियोक्ताओं को बाध्य करे कि ऐसे श्रमिक जो रोगग्रस्त हो गए हो उनके स्वस्थ होने तक सवैतनिक अवकाश दे, साथ ही साथ महिलाओं हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान करें। जो श्रमिक तीन वर्ष तक कारखाने में कार्य कर ले चाहे वो साझेदारों के अधीनस्थ ही क्यों न हो उन्हें स्थायी सेवा के योग्य घोषित किया जाए। जो श्रमिक नौकरी के अंतर्गत मृत्यु को प्राप्त होता है उसके परिवार के सदस्यों को निश्चित राशि दे जो उसकी सेवाओं का प्रतिफल हो।

यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो बीमारी के कारण, वृद्धावस्था के कारण जिन श्रमिकों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, उसे कचरे की तरह फेंका जाता रहेगा और श्रमिकों की स्थिति निरंतर दयनीय होती रहेगी । नियोक्ता के शिंकजे से बीड़ी श्रमिकों को मुक्त कराकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा के घेरे में लाना जहाँ एक ओर सरकार का कर्तव्य है, वही दूसरी ओर अन्य वर्गों को भी जो सामाजिक उत्थान में प्रयत्नशील है, आगे आना होगा तभी स्वस्थ बीडी मजदूरो की कल्पना सार्थक हो सकती है।

मध्यप्रदेश शासन का समाज के संरक्षक के रूप में यह नैतिक दायित्व है कि वह बीडी उद्योग में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लागू करे। मध्यप्रदेश के बीड़ी निर्माता ज्ञान की कमी के कारण, कुछ मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण कभी भी सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम लागू करने के प्रति उत्साहित नहीं होगें। मध्यप्रदेश शासन को इस संबंध में अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना चाहिए। सरकार की प्रत्येक नीति में कुछ न कुछ सुरक्षा का भाव अवश्य विद्यमान रहता है, फिर भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ सुविधाजनक ढंग से लागू की जानी चाहिए। जिससे कर्मचारी बीमारी से अपनी रक्षा कर सकें साथ ही, अपनी उचित चिकित्सा करा सकें तथा जब वे उत्पादक कार्य में संलग्न न हो तो ऐसी सहायता प्रदान की जाए, जिससे वे कुछ लाभपूर्ण कार्यो में संलग्न रहें।

1. यदि कारखाने में कर्मचारी ने बीडी भांजक के रूप में लगातार तीन वर्ष तक कार्य किया है, तो उसे कारखाने का स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए तथा साथ ही साथ उसे अर्जित अवकाश, पेन्शन तथा भविष्य निधि से संबंधित सभी सुविधाएँ दी जाए।
2. यदि कोई कर्मचारी तीन वर्ष की सेवाए अर्पित कर चुका हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके दाह संस्कार की राशि नियोक्ता द्वारा उसके परिवार को दिलवायी जानी चाहिए। तथा उसके सेवाओ से संबंधित अन्य राशियों का भुगतान जो एक स्थायी कर्मचारी को प्राप्त होती है उसके परिवार को दिलाई जानी चाहिए।
3. श्रमिक की मृत्यु के पश्चात् यदि वह स्थायी श्रमिक रहा है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को उसके स्थान पर कारखाने में स्थायी रोजगार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
4. महिला श्रमिकों के लिए कार्य के घण्टें सुनिश्चित किए जाए जो कि सरकार ने निश्चित किए है परंतु इसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए कार्य के घण्टें की सुनिश्चितता का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।
5. महिला श्रमिको को प्रसुति अवकाश सवैतनिक दिया जाना चाहिये, ये सुविधा सिर्फ दो बच्चो के लिए ही हो।
6. स्थायी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को उद्देश्य संबंधी अनुदान

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

नियोक्ता के द्वारा दिया जाना चाहिए, ताकि परिवार शिक्षित हो सके।

7. यदि कोई कर्मचारी दो वर्ष की सेवाएँ कर चुका हो तो ऐसे श्रमिक को वर्षा ऋतु या मंदीकाल में नियोक्ता द्वारा न निकाला जा सके ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। यदि इन काल में ऐसा संभव न हो तो उस समय तक जब तक कि उसे बाहर रखा गया है, उसकी औसत मासिक मजदूरी का 50 प्रतिशत नियोक्ता द्वारा दिलाया जाना चाहिये। यहाँ यह आवश्यक है कि एक वर्ष में मजदूर को निकाले जाने की अवधि 4 माह से अधिक न हो। जितने समय के लिए मजदूर को हटाया गया है, वे प्रतिदिन 3 घण्टें कारखाने में उपस्थित हो। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मजदूर से वहीं कार्य लिया जाए जो लिया जाता रहा है अन्य कार्य करवाने की छूट नियोक्ता को न दी जाये।
8. जो कर्मचारी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो जाए उसके लिए चिकित्सा की उचित व्यवस्था उद्योगपति को करनी चाहिए और जब तक उसे स्वास्थ्य लाभ न हो जाए तब तक का सवैतनिक अवकाश देना चाहिए। ये व्यवस्था स्थायी और अस्थायी दोनों श्रमिकों के लिए हों। अस्थायी श्रमिक को अवैतनिक अवकाश न मिले, परंतु चिकित्सा व्यय उद्योगपति को उठाना पड़ेगा। चिकित्सा के दिनों के अवकाश में गृह खर्च हेतु मदद जो उचित हो सके की जानी चाहिए।
9. देश में जो अधिनियम संगठित उद्योगों के लिए लागू किए गए है उन अधिनियमों को बीड़ी उद्योग में भी लागू किया जाये। कर्मचारी बीमा अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, भविष्यनिधि अधिनियम तथा बोनस अधिनियम तत्काल लागू होने चाहिए।

उपर्युक्त समाधानो को लागू करने से बीड़ी मजदूरों को सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सकेगा जो योजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करें सरकार द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर होने वाले व्यय का भार बीड़ी श्रमिकों पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वे अत्यंत दयनीय स्थिति में है यदि ऐसा किया जाए तो श्रमिक और अधिक मात्रा में इस उद्योग की ओर उत्कृष्ट होगें। जिससे बीड़ी उद्योगो का विकास होगा उत्पादन के स्तर में वृद्धि होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान और बढेग़ा, बीड़ी उद्योगपतियों ने आज तक श्रमिको को कुछ न देकर सिर्फ अपनी तिजोरी भरी है। अब उन्हें चाहिए वे स्वंय आगे आये सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें जिससे श्रमिक समाज राज्य और देश सभी उन्नत हो सके। इस कार्यक्रम में जो नियोक्ता अपना सहयोग देने को तैयार न हो उस पर शासन को कार्यवाही करना चाहिए तभी श्रमिक अपना सही हक प्राप्त कर सकेंगे अन्यथा आर्थिक विषमता जिस तरह देश में व्याप्त है और अधिक होती चली जायेगी जो देश समाज के लिए हानिकारक ही होगी।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए सरकारी प्रयास – बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने भी कार्य किए है। यह बात अलग है कि व्यवस्था अभी तक समुचित नहीं हो पायी है। मध्यप्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु बीड़ी श्रमिक कल्याण संगठन की स्थापना की गयी है। इस संगठन ने बीड़ी श्रमिको के कल्याण की दिशा में कार्य किया है।

मध्यप्रदेश शासन ने कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों को जनभागीदारी, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से परिणाम मूलक बनाने का प्रयास व्यापक स्तर पर किया है। कल्याणकारी राज्य की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को सार्थक बनाने की राज्य शासन व केन्द्र शासन की पहल नि:संदेह कामगार हितकारी है लेकिन इस दिशा में अभी काफी कुछ किए जाने की संभावनाएँ है। योजनाओं व उपायों को बीड़ी कामगारों के लिए अनुकूल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि केन्द्र एवं राज्य शासन के सक्षम अधिकारी एवं पदाधिकारी अपने दायित्वो को ईमानदारी एवं निष्पक्षता से पालन करें। बीड़ी कामगार वर्ग के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रारंभ से ही कल्याण व सामाजिक दशा अत्यंत सोचनीय व दयनीय बनी रही। मध्यप्रदेश राज्य में बीड़ी सोचनीय कामगारों के कल्याण के लिए अनेक कल्याण कार्य किए जा रहे है।

जब हम मध्यप्रदेश के बीड़ी उद्योग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का आर्थिक आलोचनात्मक अध्ययन करते है, तो स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बीड़ी श्रमिकों को श्रम कल्याण योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीड़ी प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूपेण व्यावसायिक संस्थाओं के ढंग पर विकसित नहीं किया जा सका है। भारतीय औद्योगिक व्यवस्था में आज भी कई ऐसे धनात्मक बिंदु है, जिन्हें बीड़ी उद्योग द्वारा नि:संदेह अंगीकार किया जा सकता है। प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में यह अहसास होता है कि बीड़ी उद्योगपति बीड़ी कामगारों व उपभोक्ताओ से सीधे जुडे नहीं है। इन बीड़ी उद्योगपतियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो, इनकी इकाईयो की कार्यप्रणाली, कामगार कल्याण व्यवस्था एवं न्यूनाधिक सुविधाओं के प्रदाय आदि में सभी पक्षों से सर्वत्र पक्षपात का आभास होता है, जिससे इन बीड़ी प्रतिष्ठानों की विश्रृंखलित निरंतरता एवं अपर्याप्त अनुवर्ती प्रयासो में पर्याप्त पार्थक्यसूचक स्थिति दृष्टिगत होती है। इसे स्वाश्रयी स्थिति नहीं की जा सकता। मध्यप्रदेश राज्य ही नहीं वरन् भारत की संचरणशील अर्थव्यवस्था में बीड़ी उद्योग के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए बीड़ी कामगारों व बीड़ी निर्माताओं की मूलभूत आवष्यकताओं एवं दैनिन्दिन तकलीफों का जायजा लेकर शासकीय प्रयासों की सार्थक पहल होना चाहिए। इन बीड़ी उद्योग इकाईयों के पास प्रचुर मात्रा में पूँजी एवं अनुभवी विशेषज्ञों की बहुतायत है। सवाल केवल अनुभवपरक बिन्दुओं पर इन असीम संभावनाओं को उत्पादों दिशा में मोड़ने, उर्द्धपाजन एवं उदारीकरण का है। इस दिशा में प्रत्येक स्तर पर सरकारी उत्तेलक एवं सलाभ उन्नयन के रचनात्मक क्रांतिकारी परिवर्तनों को क्रियाशील करने की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश राज्य के बीड़ी उद्योग में संलग्न बीड़ी कामगारों व अन्य कार्यकर्ताओं को बीड़ी एवं सिगार (शर्तें एवं नियोजन) अधिनियम 1966, बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम 1976, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1970 बाल कामगार अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 आदि के लागू होने के उपरांत काफी राहत मिली है और उनके शोषण पर काफी हद तक अंकुश लगाया गया है। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ने बीड़ी कामगारों के हितार्थ अनेक कल्याणकारी कदम उठाए है, इन सबका मिला जुला प्रभाव यह हुआ है कि बीड़ी कामगारों एवं अन्य बीड़ी कर्मकारों का जीवन-स्तर ऊँचा उठ गया है। शासकीय स्तर पर और गैर-शासकीय स्तर पर बीड़ी कामगारों के पारिश्रमिक, कामगार कल्याण व सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो प्रयास किएगये है उन्हें संतोषजनक नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस दिशा में व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने की काफी गुजांइश है। शोधकर्ता के मत में जब तक अंतिम बीड़ी कामगार को इनका लाभ नहीं मिलता, तब तक इनकी सफलता को संदेह की दृष्टि से ही देखा जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बी. एम. पहाडिया - सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध।
2. डॉ. आर.के. शर्मा - सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान।
3. डॉ. रविन्द्रनाथ मुखर्जी - सामाजिक शोध के सिद्धांत।
4. डॉ. टी. एन. भगोलीवाला - श्रम अर्थशास्त्र एवं सामाजिक सुरक्षा।
5. डॉ.एस.सी. सक्सेना - श्रम समस्याएँ एवं समाज कल्याण।

भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न पॉलिसियों के विपणन का आलोचनात्मक अध्ययन(इन्दौर मण्डल के संदर्भ में)

डॉ. मनीषा ग्रेवाल *

प्रस्तावना – भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन बीमा व्यवसाय करने वाला सार्वजनिक संस्थान है। इसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के तहत् 1 सितम्बर, 1956 को हुई। निगम का केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में है। जीवन बीमा व्यवसाय के लिए पूरे देश को आठ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसके अधीन अनेक मण्डल कार्यालय है और प्रत्येक मण्डल कार्यालय के अधीन पर्याप्त संख्या में शाखा कर्यालय स्थापित किए गए है। नव व्यवसाय में वृद्धि एवं ग्राहको को विक्रयोपरांत उत्कृष्ट सेवाएँ देने के उद्देश्य से इन्दौर मण्डल में विपणन विभाग की स्थापना की गयी है। इन्दौर मण्डल की स्थापना निगम की स्थापना के समय ही 1 सितम्बर, 1956 को हुई। यह देश का पुराना एवं ख्यातनाम मण्डल है। यह मण्डल 11 जिलो तक फैला हुआ है तथा इसके अंतर्गत 32 शाखा कार्यालय कार्यरत् है।

निगम की प्रचलित प्रमुख बीमा पॉलिसियाँ –

परम्परागत बीमा योजनाएँ –

1. आजीवन पॉलिसी तालिका संख्या – 2 (लाभ सहित)
2. बन्दोबस्ती पॉलिसी तालिका संख्या – 14 (बोनस सहित)
3. सीमित भुगतान बन्दोबस्ती पॉलिसी तालिका संख्या – 48
4. धन वापसी पॉलिसी तालिका संख्या 75 एवं तालिका संख्या – 93
5. जीवन मित्र पॉलिसी तालिका संख्या – 88 (दुगुनी सुरक्षा) एवं तालिका संख्या 133 (तिगुनी सुरक्षा)
6. जीवन साथी पॉलिसी तालिका संख्या – 89
7. विवाद बंदोबस्ती / शिक्षा पॉलिसी तालिका संख्या – 90
8. नई जनरक्षा पॉलिसी तालिका संख्या – 91
9. जीवन किशोर पॉलिसी तालिका संख्या – 102
10. जीवन छाया पॉलिसी तालिका संख्या – 103
11. जीवन विश्वास पॉलिसी तालिका संख्या – 136
12. जीवन आनंद पॉलिसी तालिका संख्या – 149
13. जीवन रेखा पॉलिसी तालिका संख्या – 152
14. जीवन भारती पॉलिसी तालिका संख्या – 160
15. जीवन सरल पॉलिसी तालिका संख्या – 165
16. जीवन प्रमुख पॉलिसी तालिका संख्या – 167
17. जीवन अनुराग पॉलिसी तालिका संख्या – 168

नवीन बीमा योजनाएँ –

1. जीवन अक्षय पॉलिसी तालिका संख्या – 170
2. फ्यूचर प्लस पॉलिसी तालिका संख्या – 172
3. मनी प्लस पॉलिसी तालिका संख्या – 180

ऊपर उल्लिखित विभिन्न बीमा पॉलिसियों के विपणन एवं विक्रय हेतु निगम के विपणन विभाग द्वारा व्यूह रचना तैयार की जाती है।

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में विपणन प्रबंध की उपयोगिता – जीवन बीमा व्यवसाय के संदर्भ में विपणन प्रबंध की उपयोगिता को करीब चार दशक पूर्व स्वीकार किया गया है। परम्परागत रूप से यह धारणा बनी हुई थी कि, जीवन बीमा व्यवसाय में विपणन प्रबंध की आधुनिक विधियों की कोई उपयोगिता नहीं है। जीवन बीमा व्यवसाय के विपणन का कार्य नवीन व्यवसाय तथा अभिगोपन के कार्य के साथ संयुक्त रूप से सम्पादित होता था तथा सामान्य धारणा यह थी कि कुशल अधिकारी और प्रभावशाली अभिकर्ता के कार्य के साथ संयुक्त रूप से संपादित होता था तथा सामान्य धारणा यह थी कि कुशल अधिकारी और प्रभावशाली अभिकर्ताओं की सहायता से जीवन बीमा का विपणन कार्य सम्पन्न हो जाता है। यह धारणा भी प्रचलित थी कि, कमीशन तथा आय के प्रलोभन में जीवन बीमा का विक्रय किया जाता है। बीमा कराने वालो की आवश्यकताओं और सुविधाओं पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। विज्ञापन और प्रचार की आधुनिक विपणन संबंधी विचारों से जीवन बीमा व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। नवीन व्यवसाय के अलावा विक्रय तथा विकास से संबंधित कार्यो को भी पृथक से संगठित किया गया है।

यह नहीं बीमाधारियों की सेवा को भी समान रूप से महत्ता प्रदान की गई है। विज्ञापन और प्रचार की आधुनिक विधियों भी काम में लाई गई है। विकास और अनुसंधान पर भी ध्यान दिया गया है तथा विभिन्न वर्गो के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अनेक आकर्षक नई बीमा योजनाएँ भी प्रारंभ की गई है। प्रीमियम दरों तथा बोनस दरों में परिवर्तन किए गए है। इसके साथ ही निवेश की ऐसी योजनाओं को विशेष रूप से चुना गया है, जिनका संबंधी बीमाधारियों के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष हितों से हो। गृह निर्माण हेतु ऋण की योजनाओं को लोकप्रिय बनाया गया है। पिछले 50 वर्षो में भारतीय जीवन बीमा निगम ने शेयर बाजार से सम्बद्ध बीमा प्लस, फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनीप्लस, एवं मार्केट प्लस आदि योजनाओं को प्रारंभ किया है। इसमें से **'मनी प्लस'** सर्वाधिक बीमा व्यवसाय करने वाली यूलिप बीमा योजना रही। विदेशों में भी जीवन बीमा व्यवसाय का विपणन करने के लिए पृथक से एक संस्था बनाई गई है। समूह बीमा को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। इस प्रकार की विपणन की विचारधारा को जीवन बीमा व्यवसाय में पूर्णत: मान्यता मिल गई है।

विज्ञापन तथा प्रचार – जैसा कि हम सब जानते है कि विज्ञापन तथा प्रचार पर किया गया व्यय विनियोग है, व्यय नहीं। निजी बीमा कम्पनियों से चल रही प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार के लिए क्या नीति अपनायी है। ज्ञात हुआ कि निगम द्वारा

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) माता जीजा बाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र–पत्रिकाओं, पोस्टर, डायरी, बेनर, होर्डिंग्स, पेम्पलेट, मेलों एवं प्रदर्शनियों में स्टॉल आदि का प्रयोग किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रचार–प्रसार से जीवन बीमा निगम के संगठन तथा महत्व, निगम की बीमा योजनाओं और बीमा सुरक्षा का सन्देश प्राप्त होता है। विपणन के क्षेत्र में किसी वस्तु अथवा सेवा की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए विज्ञापन को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।

विज्ञापन तथा प्रचार के विभिन्न तरीके – भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए विज्ञापन, पोस्टर, डायरी, कैलेण्डर और अन्य विज्ञापन सामग्री विकास अधिकारियों तथा अभिकर्ताओं को दी जाती है। दीवालों पर विज्ञापन एवं मेले आदि में भी स्टॉल लगाए जाते है। इसके अलावा निगम के विकास अधिकारी एवं अभिकर्ता जनसम्पर्क के माध्यम से लोगों को पॉलिसियों की खूबियों से अवगत कराने का प्रयास करते है।

निजी बीमा कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा के चलते निगम द्वारा विज्ञापन तथा प्रचार के लिए निम्न माध्यम अपनाए जाते है –

1. दूरदर्शन
2. आकाशवाणी
3. दीवारों पर विज्ञापन
4. पेम्पलेट
5. होर्डिंग्स
6. बेनर
7. मेले एवं प्रदर्शनियों पर स्टॉल
8. जनसम्पर्क

विज्ञापन तथा प्रचार द्वारा प्रदत्त जानकारी – भारत में जीवन बीमा निगम के विज्ञापन तथा प्रचार तीन प्रकार की सूचनाओं पर आधारित है –

1. जीवन बीमा निगम के संगठन तथा महत्व को प्रतिपादित करने वाले।
2. जीवन बीमा निगम की विशिष्ट योजनाओं की जानकारी देने वाले और,
3. जीवन बीमा का सन्देश देने वाले।

विज्ञापन तथा प्रचार का संभाव्य ग्राहकों पर प्रभाव – जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया विज्ञापन उत्कृष्ट, कलात्मकता तथा उच्च श्रेणी का होता है। उसके विज्ञापनों का अवलोकन करने से पता चलता है कि विज्ञापन कला के उपयोग में जीवन बीमा निगम ने प्रमाणिकता, रचनात्मकता तथा उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना की है। कहीं भी लालच या हल्के स्तर की व्यावसायिक दृष्टि जीवन बीमा निगम के विज्ञापनों में नहीं दिखलायी पड़ती। जीवन बीमा निगम के प्रकाशन, अभिकल्पना तथा मुद्रण की दृष्टि से उत्कृष्ट स्तर के होते है। कहीं भी उनमें सरकारी विभाग या संस्था की झलक दिखलायी नहीं पड़ती। किन्तु यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने विज्ञापनों की उपयोगिता को समुचित रूप से अंगीकार नहीं किया है। जीवन बीमा निगम के व्यवसाय की अपरिमित सम्भावनाओं और बीमा सन्देश को जन–जन तक पहुँचाने की आवश्यकता की तुलना में विज्ञापन तथा प्रचार पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। जीवन बीमा निगम को अपनी विज्ञापन नीति पर पुर्नविचार करना चाहिए और विज्ञापनों को बहुमुखी, सतत् तथा प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

विज्ञापनों की तुलना में प्रचार के मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य अधिक प्रभावशाली रहा है। समाचार पत्रों और जनसंचार माध्यमों ने जीवन बीमा निगम की प्रगति और उपलब्धियों को पर्याप्त महत्व दिया तथा समाचारों, टिप्पणियों, लेखों और समीक्षाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यो की सराहना की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर को जीवन बीमा निगम का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

निगम की पॉलिसियों के विपणन में विज्ञापन तथा प्रचार का योगदान – इन्दौर मण्डल कार्यालय में विपणन विभाग के अन्तर्गत एक जन सम्पर्क एवं प्रचार अधिकारी नियुक्त है। उसका विभाग मेले और प्रदर्शनियों में जीवन बीमा निगम की ओर से स्टॉल लगाने, फिल्म दिखाने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के कार्य करता है। प्रतिवर्ष दिसम्बर को बीमा दिवस भी मनाया जाता है। नवीन बीमा योजनाएँ और बोनस की घोषणाओं की जानकारी भी प्रसारित की जाती है। बीमा साधना शीर्षक नामक गृह पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। मण्डल कार्यालय की ओर से वह स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित करता है। किन्तु ये विज्ञापन कार्यालयीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु होते है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्मों और समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों में मण्डल कार्यालयों की कोई भूमिका नहीं होती है। वे केवल सुझाव भेज सकते है। किन्तु अभी तक मण्डल कार्यालय से ऐसा कोई सुझाव नहीं भेजा गया। इन्दौर मण्डल कार्यालय ने हिन्दी भाषा में कार्य करने को लोकप्रिय बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। हिन्दी भाषा में किए गए प्रकाशनों के अलावा औपचारिक तथा व्यावसायिक कार्य भी हिन्दी भाषा में सम्पादित हो रहा है। बीमा प्रस्ताव के प्रपत्र, समाचार तथा चेक आदि भी हिन्दी भाषा में लिखे जा रहे हे।

अधिकांश बीमाधारी, अभिकर्ता, विकास अधिकारी और निगम कर्मचारी जीवन बीमा निगम के जन सम्पर्क तथा प्रचार से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं है। वे इसे निरपेक्ष, तटस्थ तथा शिथिल मानते है। उनका मत है कि ऐसा जन सम्पर्क तथा प्रचार निगम को सम्मान तो दिला सकता है किन्तु न तो जन सामान्य को निकट लाता है और न व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि करता है। विज्ञापन नीति पर पुनर्विचार कर इसे बहुमुखी, सतत् तथा प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक उपायों की आवश्यकता है।

जीवन बीमा निगम के विज्ञापन तथा प्रचार से संबंधित कार्यो की सफलता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि जीवन बीमा व्यवसाय को समाज में महत्वपूर्ण तथा सम्मानित स्थान दिया जाने लगा है। अब बहुत से लोग जीवन बीमा निगम के कार्यालय तथा अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने में किसी प्रकार का संकोच अनुभव नहीं करते है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। लोग बीमा कम्पनियों और अभिकर्ताओं से बचने का प्रयास करते थे तथा जीवन बीमा व्यवसाय में कार्यरत् लोगों के प्रति सम्मान तथा श्रद्धा की भावना नहीं थी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जीवन बीमा निगम को देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संगठन माना जाने लगा और जीवन बीमा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव भी आया। इस दृष्टि से जीवन बीमा निगम के विज्ञापन और प्रचार को सार्थक तथा प्रभावशील माना जा सकता है, किन्तु विपणन प्रबंध की दृष्टि से व्यवसाय संवर्धन में विज्ञापन तथा प्रचार की जो भूमिका होनी चाहिए, उस पर जीवन बीमा योजनाओं के लिए किया गया विज्ञापन व्यवसाय संवर्धन में सहायक रहा। ठीक इसी प्रकार जीवन बीमा निगम, गृह वित्त योजनाओं का विज्ञापन भी कुछ अंशों में उपयोगी रहा। इसके कारण व्यवसाय में वृद्धि हुई। ऐसे विभिन्न विज्ञापन विपणन प्रबंध के लिए सहायक तथा उत्प्रेरक होते है। मगर अन्य

मामलों में विज्ञापनों की भूमिका उतनी प्रभावोत्पादक नहीं रही। यह कहा जा सकता है कि, भारतीय जीवन बीमा निगम को अपनी विज्ञापन नीति इस प्रकार से बनानी चाहिए कि विज्ञापन जीवन बीमा निगम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ-साथ व्यवसाय संवर्धन में भी सहायक हो और उनके माध्यम से जीवन बीमा का संदेश सम्पूर्ण देश के कोने-कोने में फैले हुए ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी लोगों तक प्रभावशील ढँग से पहुँच सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एम.एन. श्रीनिवासन - बीमा के सिद्धांत, रामानुज पब्लिशर्स, बैंगलुरू वर्ष 2015
2. डॉ. मनमोहन प्रसाद - बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार, इलाहाबाद लॉ जनरल हाऊस, इलाहाबाद वर्ष 2014
3 ओमप्रकाश वाजपेयी - जीवन बीमा, किताब महल, इलाहबाद वर्ष 2014
4 डॉ. महानारायण मिश्रा - बीमा प्रबंध एवं प्रशासन, लोक भारती प्रकाशन वर्ष 2014
5 योगक्षेम पत्रिका - भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई वर्ष 2015
6 बीमा अभिकर्ता निर्देशिका - भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई
7 भारतीय जीवन बीमा निगम की वार्षिक डायरी - भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई वर्ष 2015
8 वेबसाइट। www.licindia.in

****

भारत में ग्रामीण एंव कृषि क्षेत्र का विकास-जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के विशेष संदर्भ में

डॉ. बी. एस. मक्कड़ * रितेश शर्मा **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध प्रबंध में भारत में ग्रामीण विकास तथा कृषकों के विकास का अध्ययन किया गया है। जिसके लिए नाबार्ड एंव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की नीतियों तथा योजनाओं का कृषि एंव ग्रामीण क्षेत्र में विकास के स्वरूप को दर्शाया गया है। भारत सरकार द्धारा ग्रामीणों के विकास के लिए अग्रणीय कदम उठाए गए है, जिसे शोध कार्य में अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कृषि क्षेत्र का नया रूप लाने का प्रयास किया गया है। केन्द्र सरकार द्धारा नाबार्ड एंव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से कई नीतियों एंव योजनाओं को लागू किया गया। इसके परिणाम ये हुये हैं कि कृषि विकास में उन्नति हुई है। नई आधुनिक नीतियों तथा उपकरणों के माध्यम से अच्छी कृषि की जा रही हैं। सिंचाई योजनाओं में विद्युतीकरण को लागू किया जा रहा है, कृषि उपकरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विकास दर दुगुनी हो जाए। उचित भूमि सुधार के कार्यक्रमों पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा हैं, फसल बीमा योजना का नया रूप लाया गया। जिससे कृषकों को नवीन ऋण योजना व बीमा योजना का लाभ मिल सकें।
शब्द कुंजी – भारतीय कृषक, नाबार्ड व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की नीतियाँ व योजनाऐं।

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी रीढ़ की हड्डी कृषक को माना जाता है। भारत के आर्थिक विकास में कृषि की अहम भूमिका हैं। भारत की जनसंख्या का 50 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंश अग्रणीय है। कृषि के विकास पर देश का आर्थिक विकास संभव है। भारत को न केवल वर्तमान जनसंख्या के लिए खाद्यान्न जुटाना है, बल्कि प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक पैदा होने वाले बच्चों की आवश्यकता के लिए भी कृषि उत्पादन बढाना आवश्यक है। इसमें हरित क्रांति के साथ रबी की फसल व खरीफ की फसल में वृद्धि दर की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में नयी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई है। जिसमें कृषि के लिए वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकिग सुविधाओं का विस्तार किया गया। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक कृषि साख विभाग तथा कृषि पुनर्वित एंव विकास निगम को मिलाकर इस बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड 'प्रौद्योगिकी अपनाने की क्षमता का निर्माण' के जरिए किसानों को जागरूक और प्रेरित करता है। जिसमें ग्रामीण नवोन्मेश निधि योजना अग्रणीय है। नाबार्ड प्राथमिक सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंको एंव राज्य सहकारी बैंको के ऋण संबंधि कार्यो में भी शीर्षस्थ संस्था का कार्य करती हैं। सहकारी साख संस्थाओं का ढाँचा पिरामिड के सदृश्य है। सहकारी साख व्यवस्था का आधार गाँव है, अत: इनके ढाँचे का आधार प्राथमिक सहकारी समितियाँ बनाती है जो ग्रामीण जनता को प्रत्यक्ष रूप से साख सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। प्राथमिक साख समितियाँ मिलाकर जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित किए गए है। जिनका कार्य क्षेत्र एक जिला है, प्रदेश के समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को मिलाकर प्रदेश स्तर पर एक शीर्ष संस्था है। जिसे राज्य सहकारी या ऐपैक्स बैंक कहते है।

उद्देश्य –

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास संबंधी नीतियों को प्रोत्साहित करना।
- ऋण योजनाओं व फसल बीमा की जानकारी प्रदान करना।
- कृषि संबंधी बाजारीकरण को बढ़ावा देना।
- भारत में नाबार्ड व सहकारी बैंकों का कृषि एंव ग्रामीण विकास में योगदान देना।

परिकल्पनाएं –

- कृषि अर्थव्यवस्था पर ऋण नीतियों का प्रभाव पड़ता है।
- नाबार्ड एंव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की वित्तीय योजनाओं को क्रियान्वित करने से कृषक जीवन पर प्रभाव पड़ता है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एक 'विश्लेषण' – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ग्रामीण कृषि भूमि रूपी शरीर में एक ह्रदय के समान कार्य करता है तथा निरंतर गाँव-गाँव में स्थापित सहकारी साख समितियों के माध्यम से साख रूपी रक्त प्रवाह करता है। सहकारी साख समितियों के सफल संचालन, सक्रिय तथा सजीव रखने में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक सिद्ध हुआ है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का कार्य राज्य सहकारी बैंक एंव प्राथमिक सहकारी समिति के मध्य पुल या मध्यस्त का कार्य करना है। इसके अलावा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अन्य कार्य निम्न प्रकार है, जो भारत के ग्रामीण एंव कृषि क्षेत्र के विकास में सहायक है।

- सदस्यों को साख उपलब्ध करवाना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- कृषि विपणन कार्य।
- बचत बैंक द्धारा जनता की अमानतें संग्रहण करना।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के उपरोक्त कार्य बैंक द्धारा निर्धारित योजनाओं के अतर्गत पूर्ण किए जाते है। इन योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है –

1. **मौसमी उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण –** मौसमी कृषि के उत्पादन

* प्राचार्य, शासकीय माधव कला एंव वाणिज्य महाविद्यालय, उज्ज्ैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्ज्ैन (म.प्र.) भारत

हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को अल्पकालीन साख उपलब्ध कराई जाती है। जिसका निर्धारण प्रति हेक्टेयर औसत मूल्य तथा भुगतान क्षमता के आंकलन के आधार पर निर्भर करता है। अल्पकालीन साख को वस्तु तथा नगद साख में विभाजित किया जाता है। जिसमें स्वीकृत नगद–वस्तु ऋण का अनुपात 75:25 किया गया है।

2. **राष्ट्रीय फसल बीमा योजनाएँ –** इस योजना के अतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋणों का बीमा कराए जाने का प्रावधान है।
3. **किसान क्रेडिट कार्ड योजना –** केन्द्र सरकार की तरफ से बैंको पर आधारित यह योजना किसानों के लिए रामबाण साबित हुई है। कृषकों को विशेष साख सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एंव प्राथमिक साख समितियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे कृषक साहूकारों एंव महाजनों के चंगुल से मुक्त हो सकें।
4. **कृषि उपकरण हेतु ऋण –** कृषि उपकरणों हेतु ऋण योजना में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा ट्रेक्टर एंव ट्राली थ्रेशर, बैल क्रय, बैलगाड़ी क्रय एंव सीडड्रील आदि कार्यो हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तथा यह ऋण दीर्घावधि ऋण योजनान्तर्गत उपलब्ध कराए जाते है।
5. **बीज वितरण –** कृषकों को वित्त के अभाव के कारण अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हो पाते जिससे उत्पादन स्तर कम होता है तथा विक्रय मूल्य भी कम प्राप्त होता है। इसलिए केन्द्रीय बैंकों द्वारा कृषकों को बीज वितरण का कार्य किया जाता है जिसके लिए शीर्ष संस्था पूँजी प्रदान करती है।
6. **उपभोक्ता सामग्री के भंडारण हेतु गोदाम –** ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज को अच्छे और पक्के भण्डार गृहों में रखने की सुविधा का अभाव आज भी विद्यमान है। इसी असुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको द्वारा उपभोक्ता सामग्री के भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण कराया जाता है।
7. **रासायनिक साख वितरण हेतु वित्त व्यवस्था –** कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक खाद का वितरण केन्द्रीय बैंक की एक प्रमुख गतिविधि है। जिसके अंतर्गत शीर्ष बैंक द्वारा शीर्ष विपणन संघ, इफको एंव अन्य संस्थाओं को खाद व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी एंव साख सीमा प्रदान की जाती है।
8. **साख का विपणन से संबंधीकरण –** सदस्यों द्वारा उत्पादित उपज का विक्रय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने पर सदस्यों को ऋण अदायगी में सुविधा प्राप्त होने के साथ–साथ उनकी उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त हो सकेगा।
9. **साख विस्तार कार्यक्रम –** साख विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक नए सदस्य बनाने तथा उन्हें साख प्रदाय करने पर जोर दिया जा रहा है।

ग्रामीण उद्यमिता विकास – ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को अपने उद्यम स्थापित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर दशक के प्रारंभ में किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रम आर.ई.पी. ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए एक सफल मॉडल के रूप में अपनी जगह बना ली है।

कृषि साख कोष – केन्द्रीय सरकार अपने कृषि एंव खाद्य मंत्रालय के अधीन कृषि (सहायता व जमानत) कोष स्थापित करेगी जिसमें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रूपया जमा होगा। यदि अकाल आदि अन्य कारणों से सहकारी संस्था अपना पुराना ऋण न चुका सके तब इस कोष में से राज्य सरकारो द्वारा सहकारी संस्थाओं को सहायता दी जाएगी। अत: अकाल व बाढ के समय सहकारी संस्थाओं को अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए सहायता दी जाती है। इस कोष की सहायता से सहकारी संस्थाओं के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने की व्यवस्था भी की गयी। समिति का सुझाव है कि इस प्रकार के कोष राज्य स्तर पर राज्य के कृषि एंव खाद्य मंत्रालयों में भी स्थापित किए जाए। ये तीनों कोष नयी कृषि साख व्यवस्था के आधार–स्तम्भ के रूप में कार्य करते है तथा संकटकाल में सहकारी साख संस्थाओं को प्रदान करके साख व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते है।

सहकारी समितियाँ अथवा सहकारी संस्थाऐं – भारत में कृषक को महाजन के चुंगल से छुटकारा दिलाने के लिए सन् 1904 में सहकारी समितियों का कानून पास किया गया। जिसके अंतर्गत देश में साख समितियाँ गठित की गयी। आज सहकारी संस्थाएं कृषक को साख प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर प्रमुख सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक तथा गाँव स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि–साख समितियाँ स्थापित की गयी है। ये सभी संस्थाएं कृषको के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एंव दीर्घकालीन साख का प्रबंध करती है।

राज्य सरकारों के अधीन कोष – ग्रामीण–साख की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व स्थायित्व प्रदान करने के लिए समिति ने राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित दो कोषों की स्थापना के सुझाव दिए कि प्रत्येक राज्य के कृषि एंव साख मंत्रालय में राज्यकृषि साख कोष स्थापित करना चाहिए। इस कोष का उपयोग अकाल व बाढ़ तथा अन्य संकटकालीन समय में कृषकों को साख प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में सहकारिता विकास कोष की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि राज्य सरकारें बिक्री करने वाली तथा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली समितियों की पूँजी में साझेदारी प्राप्त कर सकें। तथा सहकारिता का विपणन एंव उत्पादन के क्षेत्र में भी विकास हो सके।

शासन द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं – शासन की अनुदान सहायता के साथ लागू किए जा रहे ऋण युक्त कार्यक्रम है। एस.जी.एस.वाय, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंति शहरी रोजगार योजना तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाऐं और राज्य शासन की नई योजनाऐं जैसे रानी दुर्गावत्ती योजना, दीनदयाल रोजगार योजना तथा गोकुल ग्राम योजना। सरकार ने कृषि अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया है।

निष्कर्ष एंव सुझाव – उपरोक्त योजनाओं के वर्णन से स्पष्ट है कि भारत के ग्रामीण एंव कृषि साख संरचना के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रायोजित योजनायें एंव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अहम भूमिका निभा रहा है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देकर कृषि साख की पूर्ति कर रहा है। कृषक निजी बैंकों की अपेक्षा सहकारी बैंकों से ऋण लेना अधिक पसंद करते है क्योंकि निजी बैंकों की तुलना में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का कार्य एंव कागजी कार्यवाही अधिक जटिल एंव लम्बी नहीं होती है। राष्ट्रीयकृत बैंक एंव निजी बैंकों की ब्याज दर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की ब्याज दर की अपेक्षा बहुत अधिक है। सहकारी बैंक एक ऐसी संस्था है। जो एक साल तक 0 प्रतिशत ब्याज पर कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाती है। जिसके परिणामस्वरूप कृषक कृषि कार्य हेतु आवश्यक साधन जुटा सकें। इन बैंकों को एक साल की अवधि तक का

ब्याज राज्य शासन 6 प्रतिशत एंव केन्द्र शासन 5 प्रतिशत अर्थात् कुल 11 प्रतिशत शासन प्रदाय करती है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद कृषि क्षेत्र को साख प्रवाह करने वाली अन्य संस्थाओं के अथक प्रयासो के बाद भी कृषि के लिए पर्याप्त वित्तिय संस्थाओं की पूर्ति एक मुख्य समस्या है। इन समस्याओं से मुक्ति के लिए कुछ सुझाव निम्न प्रकार है –

1. कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं का प्रबंधन कुशल एंव ईमानदार व्यक्तियों को सौपा जाए।
2. ऋण देते समय ऋण अदायगी पर अधिक जोर देना होगा।
3. ऋण प्रक्रिया को अधिक सरल एंव व्यवस्थित बनाना चाहिए।
4. शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा।
5. कृषि विपणन में लगे कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण देना
6. सरकार द्वारा फसल उगाने से पूर्व क्रय मूल्य घोषित किया जाना चाहिए।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के लिए स्थानीय मूल्य मण्डियों, रेडियों, दैनिक समचार–पत्रों एंव टेलिविजन के माध्यम से प्रचारित एंव प्रसारित किए जाने चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. द न्यू स्ट्रेटजी इन इण्डियन एग्रीकल्चर लेखक श्री सुब्रमण्यम सी प्रकाशक विकास पब्लिशिंग नई दिल्ली 1979
2. भारतीय आर्थिक नीति–लेखक चन्द्रसिंह गुप्ता, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल म.प्र.।
3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था लेखक आर.पी.शर्मा, कल्याणी प्रकाशन नई दिल्ली।
4. भारत की आर्थिक समस्याऐं लेखक वी.सी.सिन्हा, लोक भारतीय प्रकाशन इलाहबाद।
5. एग्रीकल्चर एण्ड रूरल बैंकिंग इन इण्डिया–लेखक एम.एस.देसाई, हिमालया पब्लिकेशन न्यू दिल्ली 2004
6. सहकारिता – लेखक डॉ.बी.एस.माधुर सहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
7. पत्र पत्रिकायें – कुरूक्षेत्र, योजना, जिला सहकारी बैंक की पत्रिका ऋण नीति, जिला सहकारी बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन।
8. समाचार पत्र – नईदुनिया, दैनिक भास्कर, पत्रिका।
9. वेव साईटस – www.hubard.org, www.agri.coop.nic, http :/ रूरल.निक.इन/साईटस/प्रोग्रामर्स–स्कीमर्स–पीएमजीएसवाय.ए.एसपी।

****

नगर निगम के कार्यों का आर्थिक वर्ग समूह पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन (इन्दौर शहर के विशेष संदर्भ में)

वैभव शर्मा *

प्रस्तावना - आर्थिक विकास में शहरों का योगदान निश्चित ही अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है परन्तु यह भी सर्वविदित है कि बिना सुदृढ़ अधोसंरचना के यह विकास खोखला है। जो शहर स्वयं ही बिना नींव की इमारत के भाँति है वह किसी अर्थव्यवस्था का आधार कैसे हो सकते हैं।यदि हम आर्थिक विकास की आशा करते हैं, तो निश्चित ही पहले उसका आधार मजबूत करना होगा फिर उस आधार पर विकास का स्वप्न मूर्तरूप ले सकता है। शासन, नीति निर्माता व निवासी सभी एक अच्छी अधोसंरचना चाहते हैं। छोटे-बड़े शहरों का मुख्य आकर्षण ही वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का होना तथा रोजगार की संभावना है, ऐसे में स्थानीय प्रशासन संस्थाओं का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इन्दौर शहर में विकास के उद्देश्य से ही नगर निगम अपना कार्य संपन्न कर रहा है, परन्तु जब शहरों पर जनसंख्या का भार पड़ता है तो अधोसंरचना न केवल अपर्याप्त बल्कि अव्यवस्थित भी हो जाती है। शहरी अधोसंरचना का निर्माण व विकास न केवल वर्तमान वरन् भावी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और इसी के माध्यम से आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति संभव हो पाती है।

शोध का उद्देश्य - किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीति-नियमों के साथ-साथ स्थानीय शासन का भी विशेष प्रभाव होता है। इन्दौर मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी है। अत: इसके विकास में भी स्थानीय शासन का योगदान महत्वपूर्ण है। इसी विचार पर आधारित इसका मुख्य उद्देश्य है -

नगर निगम के कार्यों का आर्थिक वर्ग समूह पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना -

समंकों का संग्रहण एवं शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। समंकों का संग्रहण इन्दौर नगर निगम द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ, वित्तीय विवरण, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, सूचना पत्र एवं इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

इन्दौर शहर में गत पाँच वर्षों में नगर निगम द्वारा किए गए आधारभूत विकास कार्यों का विवरण - शहर को जलप्रदाय हेतु 16248 लाख रु. के विकास कार्य, 1500 लाख रु. सड़क निर्माण पर व्यय, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए लगभग 626 लाख रु. के विकास कार्य, वाटर रिचार्जिंग एवं पौधारोपण हेतु लगभग 912 लाख रु. खर्च किए गए, गरीब बस्ती निवारण योजना में 106.47 लाख रु. के विकास कार्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंध हेतु 595 लाख रु. की राशि खर्च की गयी, सीवरेज एवं वर्षा जल निस्तारण हेतु 413 लाख रु. के निर्माण कार्य किए गए।

नर्मदा जलप्रदाय योजना एवं अकस्मात जलप्रदाय पर 18930 लाख रु. के पूँजीगत कार्य, 3257 लाख रु. के सड़क निर्माण कार्य, वाटर रिचार्जिंग एवं पौधारोपण 442 लाख रु., सीवरेज एवं जल प्रबंधन पर 2220 लाख रु. के निर्माण कार्य, गरीब बस्ती योजना पर 441 लाख रु. के विकास कार्य, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था एवं मरम्मत हेतु व्यय 1120 लाख रु., सुभाष चौक पर 2 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण, रानीपुरा में 2 करोड़ की लागत से व्यवसायिक भवन का निर्माण, शहर में 1 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टॉप का निर्माण, विद्युत बचत परियोजना हेतु 5 करोड़ के विकास कार्य, शहर के विभिन्न स्थानों पर सुविधाघरों का निर्माण जिसकी लागत 2 करोड़ रु. रही, यशवंत सागर जलग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु 23.75 करोड़ की योजना स्वीकृत।

सड़कों का निर्माण कार्य 4506 लाख रु.। मरम्मत एवं रखरखाव पर 466 लाख रु. व्यय किए गए, शहर की जलप्रदाय योजना पर 24507 लाख रु. के विकास कार्य, गरीबों के आवास निर्माण हेतु 1400 लाख रु. के विकास कार्य, जनभागीदारी से 1500 लाख की सीमेंट कांक्रीट सड़कों का निर्माण, शहर में 70 स्थानों पर आधुनिक बस स्टाप का निर्माण, बहुमंजिला पार्किंग भवनों का निर्माण जिसकी लागत लगभग 77 करोड़ रु.।

शहरी जलप्रदाय हेतु 15527 लाख रु. पूँजीगत विकास कार्य, लगभग 7000 लाख रु. के सड़क निर्माण कार्य, वाटर रिचार्जिंग एवं पौधारोपण हेतु 515 लाख रु. के पूँजीगत विकास कार्य संपन्न, प्रकाश व्यवस्था हेतु 163 लाख रु. के विकास कार्य एवं मरम्मत एवं रखरखाव हेतु 1893 लाख रु. खर्च, ठोस अपशिष्ट एवं सीवरेज हेतु 9057 लाख रु. के निर्माण कार्य, शहरी जलप्रदाय के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 37 टंकियों का कार्य पूर्ण किया गया, शहर सीमा में 8 मुख्य सड़कों पर 12 करोड़ के विकास कार्य, शहर में लगभग 24 स्थानों पर नि:शुल्क पार्किंग व्यवस्था शुरू, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 11 चिन्हित स्थानों पर हॉकर्स झोन का निर्माण व गरीब क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ, गरीबों के लिए 62 करोड़ के आवास निर्माण कार्य।रिवर साइड कॉरिडोर का निर्माण शुरू लागत 210 करोड़ रु., सरवटे और गंगवाल बस स्टेण्ड पर रैन बसेरे का निर्माण, शहर के विभिन्न स्थानों में 17 नई सड़कों का निर्माण प्रारंभ।

नगर निगम के कार्यों का आर्थिक वर्ग समूह पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन - आधारभूत सुविधाओं के बिना विकास को मूर्तरूप देना एक कल्पना मात्र ही है। किसी भी स्थान का विकास वहाँ उपलब्ध अधोसंरचना के माध्यम से ही किया जा सकता है। इन्दौर में नगर निगम द्वारा भारी मात्रा में शहरी विकास कार्य किए गए हैं एवं इन कार्यों से निश्चित ही यहाँ का आर्थिक वर्ग समूह भी प्रभावित हुआ है। यहाँ आर्थिक वर्ग समूह से तात्पर्य शहर में कार्य कर रहे व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगपति एवं उन लोगों से है जो

* सहायक प्राध्यापक, आई.पी.एस. एकेडमी, इन्दौर (म.प्र.) भारत

मॉल से लेकर सड़क के किनारे बैठकर अपनी आजीविका चलाते हैं। नगर निगम ने जो कार्य किए हैं, उनके प्रति इस आर्थिक वर्ग समूह एवं आम नागरिकों के क्या विचार है एवं इन कार्यों से वे किस प्रकार लाभांवित हुए हैं, इसे पता लगाने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से निगम के कार्यों का महत्व तथा सत्यता की जाँच की गयी है। प्रश्नावली में नगर निगम के कार्यों का आर्थिक वर्ग समूह पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन का प्रयत्न किया गया है। **प्रश्नावली** जो कि विशेषकर आर्थिक वर्ग समूह के लिए बनाई गयी थी जिसमें 250 व्यवसायियों, उद्योगपतियों, फुटकर विक्रेता एवं छोटा-मोटा व्यापार करने वाले व्यक्तियों से नगर निगम के विकास कार्यों एवं उनके महत्व के बारे में प्रश्न पूछे गए जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

व्यवसायिक दृष्टिकोण से इन्दौर को समृद्ध शहर का दर्जा देने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग 75% रहा वहीं 25% लोग अभी इसे विकासशील शहर ही मानते हैं। शहर के आर्थिक विकास में नगर निगम के योगदान को 90% लोगों ने स्वीकार किया, जबकि 10% लोगों का जवाब नकारात्मक रहा।

व्यवसायिक स्थल हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता को 60% लोगों ने स्वीकार किया जबकि शेष वर्ग अभी भी भूमि को अपर्याप्त मानता है। 70% व्यक्तियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि नगर निगम की सड़क निर्माण योजना एवं नर्मदा तृतीय चरण योजना से उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। नर्मदा पेयजल व्यवस्था से उन औद्योगिक इकाईयों को काफी लाभ हुआ है, जिन्हें पेयजल की भीषण समस्या से जूझना पड़ता था। हाल ही में सांवेर स्थित 200 औद्योगिक इकाईयों को पेयजल सुलभ होने से इस मद पर व्यय की जाने वाली राशि में भारी कमी आई है और निश्चित ही यह बचत कहीं न कहीं आर्थिक प्रयोजन में ही निवेश की जाएगी।

किसी भी व्यवसाय-उद्योग के विकास के लिए अनिवार्य तत्व है-आधारभूत सुविधाएँ जिन्हें बुनियादी सुविधाएँ भी कहते हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से ही एक शहर विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। जिस शहर में बुनियादी सुविधाएँ जितनी अधिक सुलभ होगी, वहाँ आर्थिक विकास का चक्र उतनी ही तेजी से घूमता है। 65% व्यक्ति यह मानते हैं कि विकास के लिए अनिवार्य सभी बुनियादी सुविधाएँ निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है एवं इन सुविधाओं के कारण उनके व्यवसाय आदि का विकास भी हुआ है। वे लोग जिन्हें निगम के विभिन्न विभागों से अधिकांशत: सहयोग प्राप्त होता है, मात्र 52% ही है, शेष वर्ग ने सहयोग को पूर्णत: नकारा है। वे लोग जिन्हें निगम के विभागों से सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है, उन्होंने दबे शब्दों में भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर किया है। असामाजिक तत्वों से अपने उद्योग धंधे को सुरक्षित मानने वाले लोग 40% है, जबकि आंशिक सुरक्षित एवं असुरक्षित लोगों का प्रतिशत क्रमश: 50 एवं 10 है। निगम द्वारा निर्मित मल्टीलेवल पार्किंग एवं हॉकर्स झोन से लाभांवित लोगों का प्रतिशत 72 है। वहीं शेष लोगों को लाभ तो नहीं हुआ किन्तु उन्हें हानि भी नहीं हुई है। नगर निगम के द्वारा विविध स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग एवं हॉकर्स झोन का निर्माण किया गया है। अनेक व्यवसायी एवं व्यापारियों ने स्वीकार किया कि पार्किंग निर्माण से न केवल उनके व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि हुई है बल्कि एक हद तक अव्यवस्थित यातायात से भी शहर को मुक्ति मिली है। पार्किंग निर्माण से उन व्यापारियों को अधिक लाभ पहुँचा है, जिनकी दुकान पर ग्राहक इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके वाहनों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था। नगर निगम की करारोपण प्रक्रिया एवं अन्य शुल्क आदि व्यवस्था से लोग आधे से अधिक संतुष्ट है किन्तु शत-प्रतिशत संतुष्टि का अभी भी अभाव है। नगर निगम की समय-समय पर सरचार्ज आदि में दी जाने वाली छूट एवं अधिक राशि होने पर किश्त सुविधा की अनेक व्यापारियों ने सराहना की। लगभग 90% लोगों के अनुसार सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था से उनके व्यवसाय/व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है, जबकि 10% लोग इस व्यवस्था से अप्रभावित रहे हैं। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था एवं चौराहों पर हाईमास्ट आदि के प्रयोग से इन स्थानों पर छोटा-मोटा व्यापार-धंधा करने वाले लोगों को काफी लाभ हुआ है। पर्याप्त प्रकाश होने से एक ओर इनके बिजली व्यय में कमी आई वहीं दूसरी ओर लोगों का आवागमन भी देर रात तक चलता रहता है जिससे असुरक्षा भी एक सीमा तक कम हुई है।

निगम के ठोस अपशिष्ट सीवरेज एवं वर्षा जल प्रबंध से संतुष्ट लोगों का प्रतिशत 58% है। निगम के अधोसंरचनात्मक कार्यो से 70% लोगों के व्यापार-व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं शेष वर्ग ने भी आंशिक वृद्धि को स्वीकारा है। विकास के लिए अनिवार्य आधारभूत सुविधाओं को 60% लोगों ने पर्याप्त माना है, जबकि शेष लोगों ने सुविधाओं को संतोषप्रद माना है।

निगम के जिन कार्यो से आर्थिक वर्ग समूह ने स्वयं का आर्थिक विकास किया है, वे हैं, सड़क निर्माण, पेयजल, पुल फ्लायओवर, चौराहे एवं रोटरी, लोक परिवहन एवं सामाजिक अधोसंरचना।

आर्थिक विकास में नगर निगम की भूमिका को 45% लोगों ने अतिउत्तम श्रेणी प्रदान की है वहीं शेष इसे उत्तम श्रेणी देते हैं। विकास कार्यों को देखते हुये लगभग 72% लोग अपने उद्योग/व्यवसाय के भावी विस्तार की योजना बना रहे हैं।

निष्कर्ष - नगर निगम के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यो से व्यापार-व्यवसाय जगत अनुकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। स्थानीय शासन का कर्तव्य होता है। अपने शहर के नागरिकों को वे समस्त आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करें जो कि उनके व्यवसायिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। खुशी की बात यह है कि इन्दौर को प्रदेश की व्यापारिक राजधानी सिर्फ नाम के लिए ही नहीं पुकारा जाता बल्कि नगरीय शासन ने इसे व्यापारिक राजधानी का दर्जा दिए जाने के योग्य भी बनाया है। निगम द्वारा किए जा रहे इन कार्यों से अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है। पेयजल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जलनिकास एवं सामाजिक अधोसंरचना के कार्यों से नागरिकों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ हो रहे हैं। जिससे शहरी आर्थिक विकास में आम नागरिकों की सहभागिता बढ़ती जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पी. सी. जैन - म.प्र. नगर पालिक अधिनियम ।
2. डॉ. दीपक कुमार भट्टाचार्य - रिसर्च मेथोडॉलाजी एक्सेल बुक्स, नई दिल्ली ।

समाचार पत्र एवं पत्रिका -

1. दैनिक भास्कर
2. नईदुनिया

वेबसाईट -

1. www.imcindore.org
2. www.wikipedia/indore

इन्दौर नगर निगम वार्षिक बजट प्रतिवेदन ।

बचत एवं विनियोग का महत्व

डॉ. एन. एल. गुप्ता * ऊँकार सिंह रावत**

प्रस्तावना – 'बचत' एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत गुण है और इसका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साधारणतया, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय नहीं करता है, वरन् वह आय का निश्चित अनुपात व्यय करके कुछ भाग बचा लेता है। किसी भी व्यक्ति को, उसकी आय (धन) को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उसकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाना चाहिए, इसका कारण यह है कि, 'बचत' व्यक्ति की महत्वपूर्ण 'संपदा' है, जिसके आधार पर वह अपने जीवन के संध्याकाल को प्रसन्न व सुरक्षित बना सकता है।

विनियोग का महत्व स्वयंसिद्ध है। जिस प्रकार बीजों को एकत्र कर लेने मात्र से ही फल-फूल की प्राप्ति होगी, ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार, 'बचत' कर लेने मात्र से ही लाभांश या ब्याज की कल्पना करना भी व्यर्थ है। यही वह विचारबिंदु है, जहाँ पर विनियोग का महत्व दृष्टिगत होता है। जब हम अपनी बचतों को सही ढंग से विनियोजित करते हैं, तब ही हमें उचित प्रतिफल प्राप्त होता है। दिन-प्रतिदिन पूँजी की बढ़ती हुई आवश्यकता, विनियोग के महत्व को अभिवृद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। किसी भी राष्ट्र में पूँजी की आवश्यकता जितनी अधिक होगी, विनियोग की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और इसके फलस्वरूप 'बचतें' भी उत्पन्न होंगीं।

जैसे कि, मैदान में जलता हुआ 'अलाव' वायु में अपनी ऊष्णता खो देता है, लेकिन इंजिन में बंद होकर वही 'अलाव' संचालन शक्ति का अखण्ड भंडार बन जाता है। ठीक उसी तरह, 'बचत' यदि तिजोरी में बंद होकर रह जाए, तो उसका महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन यदि, उसे सही निवेश में विनियोजित कर दिया जाता है, तो वही 'विकास का मार्ग' और 'सुरक्षा' का साधन बन जाता है।

महत्व –

1. **आर्थिक आधार पर –** व्यक्ति या संस्था द्वारा जब बचत साकार होती है, तब उसे क्षेत्र विशेष में विनियोजित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उस बचत रूपी धन की सुरक्षा का दायित्व उस संस्था विशेष पर होता है, जहाँ उसे विनियोजित किया गया है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विनियोग के महत्व को हम आर्थिक विकास के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। विनियोग के माध्यम से ही 'धन' एकत्र होता है। ये संस्थाएँ पेशेवर रूप में इस कार्य में संलग्न हैं। इन संस्थाओं की सक्रियता से धन अधिक उपयोगी बनता है और धन में वृद्धि होती है। अत: विनियोग धन की सुरक्षा, उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

2. **सामाजिक आधार पर –** 'भारत', एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ की पृष्ठभूमि गौरवशाली व संस्कृति-प्रधान है। यहाँ के निवासियों द्वारा यहाँ के रीति-रिवाज़ों का पालन भी बड़े उत्साहपूर्वक किया जाता है, जिस हेतु वे अपनी 'बचतों' को संग्रहित करते हैं।

विनियोग से धन में वृद्धि होती है। यह सर्वविदित है, कि जो संस्था या व्यक्ति इस तथ्य से सुपरिचित हैं, वे धन को सुनियोजित ढंग से विनियोजित कर आय के वैकल्पिक स्त्रोत को निर्मित कर अपने आर्थिक पक्ष को मज़बूत करते हैं। एक सत्य यह भी प्रचलित है, कि आर्थिक पक्ष सक्षम होने पर व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। साथ ही साथ, ये विनियोजित धन आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहयोग करता है। इन सामाजिक दायित्वों की प्रतिपूर्ति के लिए वित्त नियोजन की धारणा को अपनाया जाता है।

3. **सरकार के लिए –** अर्थव्यवस्था गतिशील बनाए रखने में 'बचत' अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार पर 'जन-कल्याण' व 'औद्योगिक विकास', दोनों का भार होता है, जिस हेतु बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। जिसमें 'बचत' के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष माध्यमों से 'धन-संग्रह' में सहायता मिलती है।

सरकार पर कई प्रकार के दायित्व हैं, जैसे प्रशासन का प्रबंधन करना, रक्षा व्यवस्था करना एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ विविध प्रकार के आदेश जारी करना इत्यादि। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा स्थापित योजनाओं (अर्थात् उद्योग व समाज कल्याण की योजनाओं) की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रतिपूर्ति उसके द्वारा संचालित बचत एवं विनियोग योजनाओं के माध्यम से ही होती है। विनियोग के फलस्वरूप आय व रोज़गार में वृद्धि होने से राष्ट्र की बेरोज़गारी का भी समाधान होता है, साथ ही सामाजिक जीवन-स्तर भी उन्नत होता है।

4. **उद्योगों के लिए –** यह सर्वविदित है, कि पूँजी व्यवसाय की प्राणवायु है। व्यवसाय हेतु जितनी सुगमतापूर्वक पूँजी उपलब्ध होती है, उस व्यवसाय की प्रगति भी उतनी ही अधिक होती है। बचतों से सर्वाधिक महत्व उद्योगों व व्यवसाय के संदर्भ में परिलक्षित होता है। उद्योगों द्वारा स्वयं भी अपनी ओर से बचतें की जाती हैं एवं बचतों को संग्रहित करने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु कंपनियों द्वारा स्वयं अंशपत्र ऋणपत्रों का निर्गमन कर, बचतों को एकत्र करके पूँजी निर्माण करते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है, कि बचत व विनियोग किसी भी अर्थव्यवस्था के ऐसे आधारभूत तथ्य हैं, जो कि राष्ट्र को केवल बहुमूल्य पूँजी प्रदान करते हैं, अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए इन्हीं के माध्यम से

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म. प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.) भारत

ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

तरलता, भुगतान संतुलन, क्रय शक्ति नियोजन और भावी अनिश्चितताओं से समाज को संरक्षित रखने में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि, 'यदि किसी देश के नागरिकों में 'बचत' एक आदत के रूप में विकसित हो चुकी है और उन्हें यदि विनियोग के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हैं, तो फिर ऐसा देश कभी भी आर्थिक रूप से रूग्ण नहीं हो सकता।' यही बचत और विनियोग का महत्व है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', श्री सिंह राजीव कृष्ण, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000.
2. 'बैंकिंग विधि एवं व्यवहार', बी. एल. ओझा, रमेश बुक डिपो, जयपुर - 2011.

****

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का देवास जिले के ग्रामीणों पर प्रभाव

तृप्ति आगस्त्या *

प्रस्तावना – भारत गाँवों का देश है। ग्रामीण विकास को अनदेखा कर कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था में गाँवों से ही देश का सर्वांगीण विकास सम्भव है। 2001 की जनगणना से ज्ञात होता है कि भारत की 74.27% आबादी गाँवों में ही निवास करती है।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में विगत 30 वर्षो (1973–2003) में व्यापक आर्थिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में कृषि निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के योगदान में व्यापक परिवर्तन हुए। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का करीब आठ गुना और सेवा क्षेत्र का योगदान करीब ग्यारह गुना बढ़ गया। किन्तु उत्पादन वृद्धि की तुलना में इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं बढे। विनिर्माण क्षेत्र में मात्र ढाई गुना और सेवा क्षेत्र में मात्र तीन गुना ही रोजगार के नये अवसर सृजित हुए है। वर्ष 1973 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 45% के करीब था, वहीं विनिर्माण क्षेत्र का 30% और सेवा क्षेत्र का 25% योगदान था। जबकि कृषि क्षेत्र में 75% व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। मात्र 10% को विनिर्माण क्षेत्र में और 15% को सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हुआ था। अत: सरकार ने अनुभव किया कि ग्रामीणों का आर्थिक विकास उनके रोजगार द्वारा ही होगा।

इस हेतु सरकार अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाओं के माध्यम से शिक्षित एवं अशिक्षित युवकों को समुचित रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया। सर्वप्रथम 1978–80 में रायबरेली में लघुकृषक योजना, 1980–81 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 15 अगस्त 1993 प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 1 अप्रैल 1997 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयन्ती ग्रामस्वरोजगार योजना सम्पूर्ण भारत में लागू की गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में युवाओं के रोजगार सृजन हेतु अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2003 में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 50% बढ गया और विनिर्माण क्षेत्र का करीब 30% योगदान हो गया, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान घट कर 22% ही रह गया किन्तु कृषि क्षेत्र में अभी भी 68% व्यक्ति रोजगार में लगे हुए है। इससे स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार की आवश्यकता अधिक है किन्तु अवसर न्यून्तम है। ऐसी भयानक स्थिति ग्रामीण परिवार में गरीबी, ऋणग्रस्तता एवं मानसिक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न करती है।

जिसके कारण अपराध में वृद्धि होना आम बात है एवं जो ग्रामीण काम करना चाहते है, वे शहरों की ओर पलायन करते है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 5 सितम्बर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम पारित किया जिसका क्रियान्वयन 2 फरवरी 2006 से मध्यप्रदेश में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा अधिनियम है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे ग्रामीणों को रोजगार मांगने का अधिकार उपलब्ध है एवं रोजगार मांगने पर 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है। तथा 15 दिनों में रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है।

मनरेगा का उद्देश्य – इस अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में परिवार के लिए 100 दिवस रोजगार की गारंटी और स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

लाभार्थी कौन होंगे –

1. जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले पंजीकृत परिवार का वयस्क सदस्य (18 वर्ष) हो।
2. जॉब कार्ड प्राप्त कर रोजगार हेतु ग्राम पंचायत को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो।
3. प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा। रोजगार हेतु पंजीयन ग्राम पंचायत में करवाना होता है, ग्राम पंचायत आवेदक को जॉब कार्ड बनाकर देती है। जो कि पाँच वर्ष हेतु बनाया जाता है।

अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी की दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित होती है एवं आवेदक को 15 दिनों में रोजगार न मिलने की दशा में बैरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो कि पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधे की दर से दिया जाता है। कार्य स्थल पर मजदूरों के बच्चों के लिए झूलाघर, कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, कार्यस्थल पर मृत्यु या स्थाई अपंगता पर 25000/–रूपये का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है एवं कुल मजदूरों में एक तिहाई महिलाऐं होगी। योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन, वन रोपण, सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य, भूमि सुधार तालाबों की गाद निकालना बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी, सड़क निर्माण एवं राज्य सरकार की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कार्य जो अधिसूचित किए जावे। कार्य प्राथमिकता से करवाए जाते है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यो की मानीटरिंग हेतु 'ग्राम सतर्कता एवं निगरानी समिति' का गठन किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत को सौपती है। समिति के सभी सदस्य गाँवों के ही होते है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का देवास जिले के ग्रामीणों पर प्रभाव – म.प्र. का देवास जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। क्षेत्र में वर्ष 2001

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

में कुल जन संख्या का 72.60 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता था। जबकि वर्ष 2011 में यह मात्र 71.11 प्रतिशत भाग रह गया। इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पलायन था। वर्ष 2001 की जन गणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 61 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक है, जो कि मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात देवास जिले में ग्रामीणों के लिए रोजगार के द्वार खुल गये। वर्ष 2008-09 में 108861, वर्ष 2009-10 में 1,34,650, वर्ष 2010-11 में 160600, वर्ष 2011-12 में 172768, एवं वर्ष 2012-13 में 246836 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। जो कि रोजगार मांगने वालों के 100 प्रतिशत थे। जबकि बैरोजगारी भत्ता किसी भी व्यक्ति को भुगतान नहीं करना पड़ा।

देवास जिले में वर्ष 2008 में मजदूरी दर 91 रूपये थी। जो कि इस योजना के पश्चात 2012 में बड़कर 150 रूपये हो गई। महिला को भी एक तिहाई पंजीयन होना अनिवार्य था। इसके कारण महिलाओं की आय भी बड़ी एवं महिला पुरूष को समान भुगतान मिलने लगा।

महिलाओं को गर्भवती होने पर अवकाश, बच्चों के लिए झूलाघर, नि:शुल्क चिकित्सा, मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा प्राप्त होने से सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि हुई एवं स्थाई परिसम्पत्ति में भी वृद्धि हुई। ग्रामीण साहूकारों के चुंगल से मुक्त हुए। बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हुई। देवास जिले में यह योजना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाई है।

निष्कर्ष - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि इसके कारण गाँवों में ही रोजगार के अवसर बड़े, ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई। सामाजिक सुरक्षा बड़ी, महिलाओं को समान अधिकार मिला, अपराध प्रवृत्ति में कमी आई। शहरों की ओर हो रहे पलायन में अचानक गिरावट हुई। ग्रामीणों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ग्रामीणों का पंजीयन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। जबकि बेरोजगारी भत्ता निरंक रहा है। स्थाई सम्पत्ती निर्माण कार्य सामूदायिक मुलक कार्य के अन्तर्गत हो रहे हैं। जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्र श्रीकांत एवं डॉ. आर. एन. 'भारत में कृषि विकास'।
2. श्रीवास्तव ओ.एस.'मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास'।
3. श्री अग्रवाल एन. एल.'भारतीय कृषि का अर्थतत्व'।
4. विकास के कार्यक्रम म.प्र. शासन पंचायत विकास विभाग भोपाल।
5. म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- म.प्र. शासन।
6. जिला साख्यिकीय विभाग-देवास।

****

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कृषकों पर प्रभाव (देवास जिले के संदर्भ में)

निलेश कुमार टेलर *

प्रस्तावना - शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा देवास जिले की 6 तहसीलों में दैव निर्देशन पद्धति से 50 कृषकों का चयन किया गया । जो विगत 3 वर्ष या उसके अधिक समय से किसान क्रेडिट कार्ड धारक है। कृषक एवं बैक अधिकारियों से अनुसूची द्वारा साक्षात्कार एवं बैक के प्रकाशनों से समंक एकत्र कर शोध कार्य किया गया।

शोध के उद्देश्य -

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कृषकों पर होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव को जानना है।
2. किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रांरभ होने पश्चात् कृषकों के साहूकारों के चगुंल से मुक्ति के बारे मे जानना है।
3. किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण राशि का उपयोग कृषक कृषि कार्य पर कर रहे है या नही ? इस बारे में जानना है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना - पाश्चात्य देशो में औद्योगिकरण को आर्थिक प्रगति का घोतक माना जाता है, जबकि भारत में कृषि विकास ही आर्थिक विकास माना जाता है । आज भारतीय कृषि की स्थिति बड़ी दयनीय है, भारत में परम्परागत कृषि तकनीक,कृषि प्रशिक्षण का अभाव ,मानसून आधारित कृषि, प्राकृतिक आपदाऐं ऐसे अनेक कारण जिसके फलस्वरूप कृषि कभी लाभ का व्यवसाय नहीं बन पाई एवं कृषक सदैव साहूकारों का ऋणी ही रहा। कृषक पर जब भी आकस्मिक खर्चे (शादी,नुक्ता,बड़ी बीमारी) आते है तो वह साहूकारो के सामने ही घुटने टेकता है एवं अपनी ऋण राशि में और बढोतरी करवाता है । साहूकार ऋण वसूली हेतु कृषक को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट देता है जिसके कारण कभी कभी कृषक आत्महत्या जैसा कृत्य भी कर लेता है तथा कृषक की मुत्यु के पश्चात् भी उसका परिवार इसी संकट से जूझता रहता है। यह स्थिति स्वतन्त्रता के पूर्व से ही है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में 43 करोड़ रू.,दूसरी पंचवर्षीय योजना में 240 करोड़ रू.,तीसरी पंचवर्षीय योजना में 550 करोड़ रू., चौथी पंचवर्षीय योजना में 1050 करोड़ रू.,पांचवी पंचवर्षीय योजना में 3000 करोड़ रू, छठी पंचवर्षीय योजना में 5415 करोड़ रू., सातवी पंचवर्षीय योजना में 30495 करोड़ रू, आठवी पंचवर्षीय योजना में 9285 करोड़ रू, नवी पंचवर्षीय योजना में 229956 करोड़ रू, दसवी पंचवर्षीय योजना में 736570 करोड़ रू, एवं ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में 1921 हजार करोड़ रू., कृषि साख हेतु प्रस्तावित किए। योजना अनुसार कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर यह राशि खर्च की गई किन्तु आज भी इतने व्यापक स्तर पर चल रही। योजनाओं के पश्चात् कृषक गरीबी में जीवन जीने को मजबूर है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए **श्री आर.वी.गुप्ता** की समिति द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैक एवं नाबार्ड ने संयुक्त रूप से अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रांरभ की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को बैंक से जुड़ना एवं उन्हें अल्पकालीन कृषि आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण राशि उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत वे सभी कृषक जिनके पास सिंचित या असिंचित कृषि भूमि है, उन्हें 6 माह की अल्पावधि हेतु 3 लाख रू. अधिकतम ऋण प्रदान किया जा सकता है, जिस पर ब्याज दर 11 प्रतिशत (परिवर्तनशील) वार्षिक होती है। ऋण राशि का उपयोग कृषि यंत्र क्रय करने ,बीज,खाद,एवं अन्य कृषि कार्य पर किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष में नवीनीकरण करवाना पड़ता है। 1 अप्रैल 2009 से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 2रू 67 पैसे में 50 हजार रू. का दुर्घटना एवं मुत्यु बीमा भी बैंक द्वारा किया जाने लगा है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की विशेषताऐं -

1. ऋण लेने की सरल प्रक्रिया ।
2. कम ब्याज दर ।
3. ऋण की आकर्षित धनराशि।
4. 70 वर्ष तक की आयु के सभी कृषकों को पात्रता।
5. योजना में फसल एवं दुर्घटना बीमा।
6. योजना का लचीलापन।
7. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ऋण अवधि बढ़ाई जा सकती है।
8. कम कागजी कार्यवाही।

योजना के उद्देश्य -

1. कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना
2. कृषकों की आर्थिक स्थिति को सृदंढ करना।
3. कृषकों को साहूकारों के चगुंल से मुक्त कराना।
4. कृषि कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराना।
5. कृषकों की आय में वृद्धि करना।

मार्च 2011 तक देश में 10169 लाख किसान क्रेडिट कार्ड पर 72625 करोड़ रू की राशि वितरित की जा चुकी है।मध्यप्रदेश में 627 लाख किसान क्रेडिट कार्ड पर 5740 करोड़ रू की राशि वितरित की जा चुकी है।देवास जिले में 7.5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड पर 108 करोड़ रू की राशि वितरित की जा चुकी है। देवास जिले में जिला सहकारी बैक एवं अन्य बैक इस योजना के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर रही है।

देवास जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2010-2011 तक कुल वितरित ऋण राशि में 71 प्रतिशत ऋण राशि किसान क्रेडिट कार्ड योजना हेतु वितरित कि गई। जबकि वर्ष 2010-2011 तक 74087 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इस प्रकार वर्ष 2005-

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

2006 वर्ष 2010–2011 तक जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 66 प्रतिशत एवं जिला वाणिज्यिक बैंक ने 65 प्रतिशत भाग कुल ऋण राशि में से किसान क्रेडिट कार्ड पर वितरित किया। जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्धारा 84329 एवं जिला वाणिज्यिक बैंक द्धारा 92375 किसान क्रेडिट कार्ड वर्ष 2011 तक जारी किए जा चुके थे। वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2010–2011 तक जिला सहकारी बैंक में 67 प्रतिशत , जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 35 प्रतिशत एवं जिला वाणिज्यिक बैंक में 25 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में वृद्धि हुई है। देवास जिले में जिला सहकारी बैंक एवं अन्य बैंक इस योजना के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर रही है।

प्रमुख निष्कर्ष– शोध कार्य से ज्ञात होता है कि योजना से 90 प्रतिशत कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है। 91 प्रतिशत कृषक साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो चुके है। 75 प्रतिशत कृषक ऋण राशि का उपयोग कृषि कार्य पर ही करते है। 77 प्रतिशत कृषक ऋण राशि का समय पर भुगतान करते है। 88 प्रतिषत कृषकों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई है एवं उनका जीवन स्तर सुधरा है। अंत में कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषकों के लिए महत्वपूर्ण एवं सफल योजना है जिससे की कृषकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नावार्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011
2. कृषि अर्थव्यवस्था डॉ.मिश्र जयप्रकाश।
3. ऋण नीति जिला सहकारी बैक देवास।
4. दैनिक भास्कर समाचार पत्र।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

Employment through Agro-Waste based Industry in Rural India

Dr. Meena Matkar *

Introduction - It is known fact that agriculture does not provide employment to all the villagers throughout the year. To a large number of people, it provides only "seasonal employment". Even the problem of "disguised unemployment" is a serious issue here. This is why 75% of the rural population comes under weaker sections of the society, who are poor and economically backward. This causes hindrance in cirulation of money and as people are sitting idle, they pose a threat to the society. The upliftment of rural people and the alleviation of rural poverty can be achieved only by providing them employment all the year round. The solution can be found within agriculture itself. Noted industrialist, Mukesh Ambani of Reliance Industries comments, "India's future is in her farms". Agriculture has the potential to accelerate the economic growth and social development in India. It is clear, that for the economic and social development in India, we will have to concentrate on an important sector of agriculture.

India produces around 200 million tonnes of food-grains from an area of approximately 141 million hectares and almost the same amount of agricultural waste and residues are also produced in the process. Many of these are produced by agriculture itself or by the utilization of the produce by man and machines. As agricultural yield is increasing in our country, the amount of waste which is generated with crops is also increasing. Thus crop residues and farm-wastes are abundantly available and some of them pose a serious disposal problem. Now-a-days, the situation is further aggravated as crop residues burning in the field is prohibited by regulations. The scope and potential for recycling a variety of waste and by-products is vast by any standard.

Waste utilization can be given a form of rural industry with which, benefits of industrialization can be achieved and in addition we can get a cleaner environment, a healthier habitat and an intelligent use of all recyclable resources without condemning these as waste. Also, the surplus work-force of villagers get employment and income, throughout the year.

This will result in

1. Increased financial capacity
2. Increased social strata
3. Enhancing economic development and growth

Thus a Win-Win situation for all.

Dr. Pathak of Punjab Agricultural has studied the potential of agricultural wastes in a village in Ludhiana district and found that after all the fodder need of the village were met, the energy potential of the remaining crop waste and animal waste was enough to meet all the energy requirement of the village and still leave a surplus. There is wide prospect of waste utilization. We can obtain high potential things just by putting little efforts and thus converting waste and residues into useful resources. And we can prove that "there is no waste material, but only wastage of materials". It is right time when 'waste' needs to be considered as a 'resource' and 'raw material' for generation of energy and other fruitful products through adoption of appropriate technologies.

Let us consider the example of production of rice in India, which in the year 2012-13 is estimated to be near about 100 million metric tonnes. Approximately, 125 million metric tonnes of straw, which is the agro-waste of rice will be generated. This agro-waste can be further used in the manufacturing of paper of straw-board.

Hence, paper manufacturing industry should be setup in rice growing areas, so as to utilize the rice-straw, otherwise, the left-over straw has to be disposed off as waste, which is cumbersome.

The soft wood and bamboos, as raw material source for paper industry have limitations, as these are not protected under the forest act. The first priority being given to protect the forest resources. Agricultural residues have become important raw materials with the scarcity of bamboo. Decades ago, the country has been planning to use straw for the manufacturing of paper. The straw will be the major source of raw material for the pulp and paper industries in the days to come. Rice straw is one of the oldest raw materials for paper making. The major advantage of straw based pulp is seen in its low cost of production because of its agricultural origin. Straw being rich in carbohydrates with low lignin content also, gives good yield with less chemical consumption, Since rice straw is very suitable raw material for production of high grade paper, and is available in huge quantity, it is advisable to set small

*Asst. Professor (Economics) Devi Ahilay Vishwavidyalay & Mateshwari Sugnidevi Girls College, Indore (M.P.) INDIA

paper mills using rice straw as raw material.

Technical aspect of paper making from rice straw -

To make paper, straws are cooked in digester with an aqueous solution of caustic soda at elevated temperature to yield pulp of relatively pure cellulose. During pulping process, the pulping chemicals selectively dissolve the lignin and separate the cellulose fibers. The pulp is washed to make it free from soluble impurities and bleached. The residual liquor is evaporated to dryness, burnt and causticized with lime to regenerate caustic soda. The pulp is bleached to brightness with bleaching powder. After refining, this bleached pulp is converted into paper in paper making machine. In order to provide strength to paper made from straw, jute fiber and waste paper is added to pulp before being bleached. The capacity utilization up to 45 tons per day will be most appropriate. The setting up of mini paper mills will have various advantages given below:-

1. The agricultural residues and other waste material which are traditionally thrown away or burnt will be used by paper mill.
2. Paper plants can come up throughout the country by fixing up site where the raw material is abundantly available. This will also decentralize the large industrial centers from one place and provide employment and economic boost in different rice producing regions.
3. This will reduce the effluent disposal problem as the treatment will not be so complicated.
4. The total capital investment being lower, the return on investment is likely to be relatively high.
5. Paper plant can be setup in backward districts in various parts of rice producing region. This will help in uplifting the economic status of the region.
6. As the requirement for water and electricity is less for small units, the same can be easily met at most of the locations.
7. The procurement of plant and machinery is easier as it can be arranged from the indigenous suppliers and manufactures.
8. Technical know-how is easily available for mini paper plant and the gestation period is shorter as compared to the larger units.

A paper making unit in Bilaspur district is studied with reference to its requirements of land area, building plant and machinery, power requirement, raw materials, man power, capital investment and raw material cost.

The details of this projects is summarized in table and the table reveals that land requirement for a paper mill project from rice-straw of capacity 10000 m ton per annum is 10 acres. The requirement of this large area of land is mainly attributed to storage of straw, cutting of straw and effluent treatment of waste materials. The fixed capital required for building is Rs. 8 crores and for that of plant and machinery is Rs. 45 crores. Most of the plant and machinery is available indigenously and only the paper making machine is imported. The power connection required is 850 KVA and man power required is 400. The para or paddy straw, caustic soda flakes and jute threads contribute to major raw materials and other raw materials required are dilute acid, chemicals of bleaching action and packing materials. The average yield of paper is 34 percent of para or paddy straw. The annual requirement of para is approx. 30 thousand tons.

The cost structure for production of paper is summarized as in the table below:-

Table 1 (See in next page)

The net realization on production of per m. ton paper is Rs. 6000. The paper mill based on usage of rice straw and production capacity 10000 ton per annum can yield a net profit of Rs. 6 crores per annum.

flow-chart (See in next page)

The flow-chart clearly depicts the process of utilization of Rice-straw in the manufacturing of paper

In order to explore the potential of agro-waste utilization, we need to facilitate the rural entrepreneurs at three levels vis-à-vis.

1. Administration and Policy level
2. Financial level
3. Technical level

Administration and Policy level requires government initiative and indulgence in building policies and administering them, as a result of which various financial institutions and NGOs, etc have the confidence to provide support at financial level. As soon as financial support is provides, various educational institutes like agricultural colleges providing basic process knowledge, engineering colleges providing machine and power support, research organizations providing skill development techniques, capacity building methodologies, and various NGOs providing vocational trainings come forward to lend support at Technical level. This leads to positive involvement of private sector, resulting in creation of Demand-Supply chain for these products in the market.

Considering the above example of utilizing the agro-waste, it can be inferred that when major part of the population gets employment, they will enhance the growth and development of the country, by spending their earned income.

References :-

1. Personal survey.

Table 1 (See in next page) Cost Structure Of Paper Per M Ton

S.	Description	Quantity (Kg)	Rate	Expenses (Rs)
1	Rice Straw	2940	Rs. 500 / m ton	1470
2	Jute Cuttings	580	Rs. 4000/ m ton	2320
3	Caustic Soda Flakes	117	Rs. 48 / kg	5616
4	Chemicals Required for Bleaching, Finishing, Glazing, etc.			2000
5	Packing Cost			300
Other Expenses				
6	Labour cost + Salary + Related administrative expenses			5000
7	Power Cost			3000
8	Running Cost (Repair and Maintenance, Boiler Running Expenses, etc.)			2000
9	Service Cost of Capital for per metric ton of paper			7200
10	Marketing Cost			3500
11	Administrative and Incidental Charges			1500
	Total Cost of production (Total of 1 to 9) rounded to			34000

Profit = Selling Price-Cost of Production (Average Revenue-Average Cost)6000 = 40000-34000 per ton

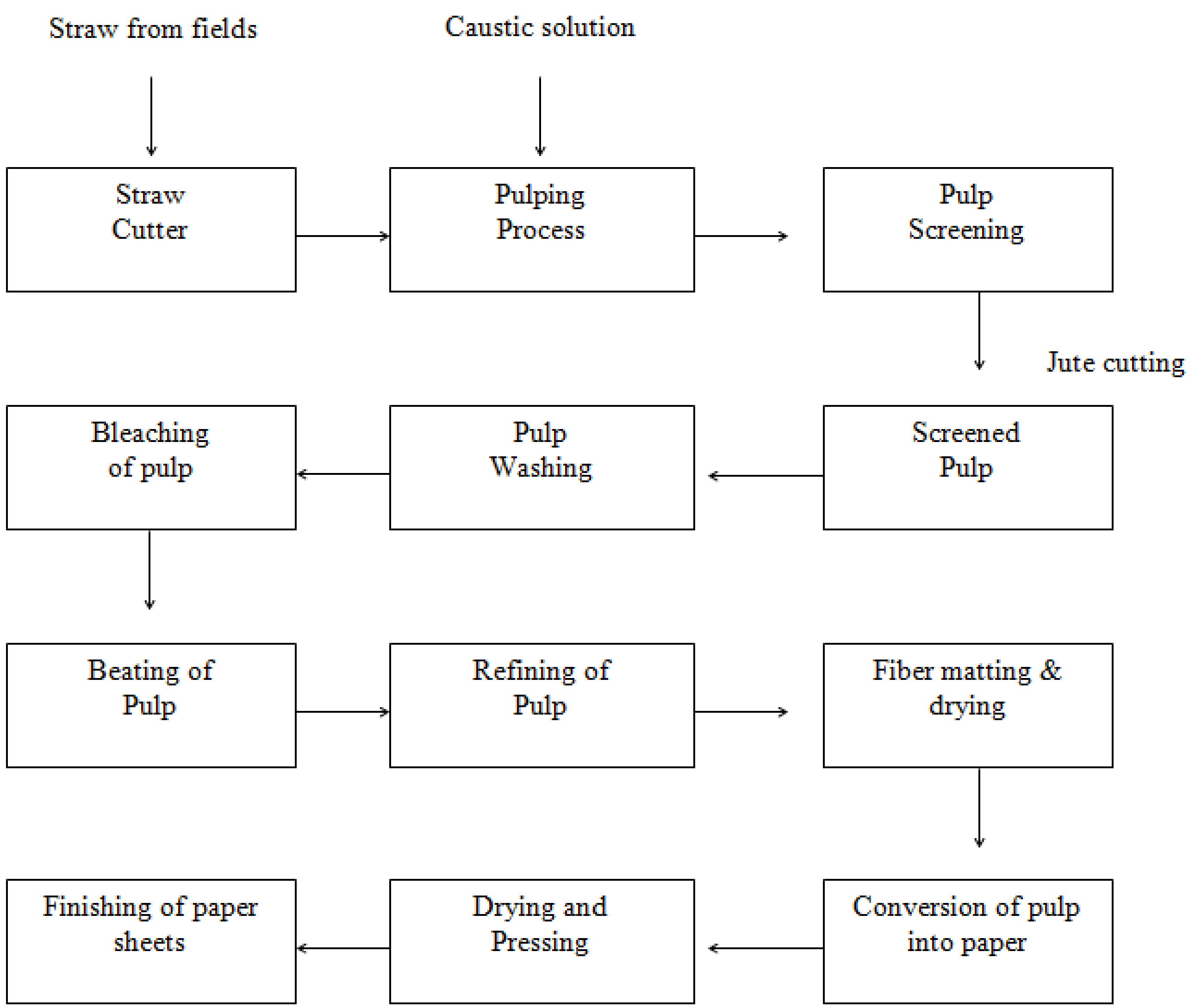

Process flow diagram for paper from rice straw

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

Study Of Promoting Agriculture Finance (State Bank Of India)

Abhishikha Parmar *

Abstract - One of the major strategies of the bank to increase its involvement in the development of agriculture was to open agriculture development branch with adequate technical and extension support at the centre with the requisite potential for agriculture development. In this study we highlight how the state bank of India, has been playing a pioneering role on financing agriculture and rural development through its special branches called Agriculture Development through its special branch called Agriculture Development Branch in the country. This role has been multi-dimensional and it has always given lead to others. The schemes of Agriculture development branches started by state Bank of India is unparalleled in the history of rural banking not only in this country but also in the whole world.

Introduction - With view to providing credit to farmers on an intensive areas basis the state Bank of India and its Associate Banks have initiated new experiment by setting up special "Agriculture Development Branches in selected intensive centre throughout the country. As a part of the area approach, the state bank of India has formulated the "villages Adoption Approach in !973-74 for the financing of agriculture operations for the benefit of small farmers under the scheme a branch adopts a few villages for intensive and integrated financing of farmers for meetings their credit requirements. These Agriculture Development branches have been opened in backward and underdeveloped areas. The state Bank of India group adopted 14304 villages since the inception of the scheme to 30 September 1974-43.

The states of the Uttar Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh and west Bengal passed bill to enables commercial Banks to undertake financing of agriculture on a large scale. These bills become Act during the year 1973-74. During the year 1974-75, three more states viz. Karnataka, Maharashtra and Rajasthan passed the necessary enactment to facilities lending by commercial banks for agriculture as suggested by the Talwar committee Report . Draft Bill have been prepared by the government of Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Jammu & Kashmir, Meghalaya and Orissa also.

History - The state Bank of India was originally the Imperial Bank of India, before it took the shape of public sector on 1st July 1955 the all India Rural Credit survey committee appointed by Reserve Bank of India, recommended in 1952, the creation of a state Bank of India by amalgamation certain state- owned banks with the Imperial Bank. The committee recommended the setting up of a state Bank of India as one strong integrated, state partnered commercial Banking institution with an effective machinery of branches spread over the whole country for simulating banking development by providing vastly extended remittance facilities for co-operative and other banks and following a policy which would be in effective consonance with the national policies adopted by government without departing from canons of sound business " Accepting the recommendation of the committee, the government of India Enacted the state Bank of India Act 1955.

The state Bank of India was established by the statutory amalgamation of Imperial Bank and ten other state associated banks and since 1963 there have been running seven its subsidiaries. That was in line with opinion expressed by the Rural Banking Enquiry committee in 1950 that, " If these Banks could be integrated in to one institution, and if that one institution could be aligned to national policies then indeed that would be an extremely important and extremely desirable line of development." The setting up of the state Bank was an important steps towards the development of strong commercial Banking system. Thus, the nationalization of the Imperial bank and the establishment of the State Bank of India was an important milestone on the road to the establishment of an integral commercial banking unit with branches all over the country under effective state control.

Consequently on 1st July 1955 the Imperial Bank of India was nationalized and in its place the State Bank of India was established July 1st 1955 is thus considered as a Red Letter Day and a new chapter of state ownership in the history of commercial banking in India.

Literature Review - State Bank of India: The pioneer in Agriculture lending : This study is made by o.p. Bhatt. To Providing focused attention on the banking requirement of the agriculture segment.

A study of Role in Financing of Agriculture and Industries sectors by state Bank of India with special references to Bihar: This paper is written Dr. Kumudani

* Research Scholar, D.A.V.V., Indore (M.P.) INDIA

Mangal (Dept. of Economies somnth- Gujrat) – A study to examine the Impact of the state banks finance in Rural development . The problems of both the bankers and farmer and gave suggestion to overcome the problems.

Objective :

1. To examine the role of Agriculture Development Branch of SBI.
2. Object is to give preference to the areas which are backward.
3. Object is not only to finance Agriculture but also to promote Agriculture Development as a whole in the areas of its operations.

Research Methodology - In order to complete our study we visited many websites. We read many interviews of the professionals. We went through many magazines and previous studies. Also we met many people who belong to the SBI banks and the SBI Branch of Agriculture Development Bank based on all these studies data has been collected.

Result and Analysis - One of the major strategies of the bank to increase its involvement in the development of agriculture was to open Agriculture development Branches with adequate technical and extension support at the centers with the requisite potential for agriculture development. The main analysis of this study is that the State Bank Of India, has been playing a pioneering role in financing agriculture and rural development through its special branches called Agriculture Development Branches in the country. This role has been multi-dimensional and it has always given a lead to others. The scheme of Agriculture Development Branches started by State bank of India is unparalleled in the history of rural banking not only in this country but also in the whole world.

The Agriculture development Branches of the bank provide packages of assistance which, besides credit support including technical and other facilities. For the purpose, each Agriculture Development Branch is staffed by a set of technical officer, extension officers, veterinary surgeons and agriculture assistance according to the requirement of the areas. In order to guide the technical wing of the ADB's each local head office of the bank has a separate technical cell consisting of a chief technical officers and technical officers specializing in animal husbandry, agronomy, horticulture etc.

Besides the above activities, the agricultural Development Branches will also accept deposits from farmers and grant- agriculture loans against gold ornaments and silver wares even if requests for such services are received from the villages/ areas not covered by them.

Conclusion - Here we have discussed about nature and object of SBI including ADB's and few steps taken by the Indian commercial Bank for improving their business as a whole. The success of bankers at that level depends on his capacity to understand, co-operates and to influence the other participants in the planning process. This is the new dimensions of the banking business in India to which utmost awareness and still acquisition are demanded.

References :-

1. https://www.sbi.co.in
2. www.nabard.org
3. In.alhea.com
4. Bank.sbi.com
5. www.sbiantwerp.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

Role of Econometrics in Economic Analysis

Dr. Rashmi Gupta *

Introduction - The main role of econometrics lies in the estimation and testing of economic models. The first step in the process is, therefore, specification of the model in the mathematical form, for as we have seen that "a priori" restrictions derived from economic theory are not usually sufficient to yield a precise mathematical form. Then we should collect relevant data from the economy or sector that model purports to describe. Thirdly, we employ data to estimate parameters of the model and finally we carry out test on estimated model in an attempt to adjudge whether it constitutes a sufficiently realistic picture of the economy being studied or whether a somewhat different specification has to be estimated.

Field Of Econometrics

The entire field covered by econometrics is indicated through following chart

(See Chart in Next Page)

Usefulness Of Econometric Models - Econometric models are advancement for the success of economic planning in developing as well as underdeveloped countries. These help in minimizing unemployment and maintaining stability in the rate of economic growth in developed countries and also for other purposes. The ways providing this device are based on the deviation of mathematical formulae. These models represent the operation of economic cause and effect relationship- the laws of rules of economic behavior, and show the reactions initiated by changes in casual factors. Econometric models are relatively new; they have recently been developed and are being constantly refined to suit the ever changing circumstances.

Economics is, fundamentally based on rational behavior of human beings and not on the mechanical laws of Physics and other natural sciences. Hence, the laws of economics cannot be measured accurately and precisely like the laws of physics. Nevertheless, they provide improved guidance to economic policy- makers besides the guidance provided by their own experience.

Economics differs from Physics in two ways:

1. It is not at all possible to conduct controlled laboratory experiments where the effects of each factors can be measured directly: and
2. The laws of physics are always certain, while economic laws are uncertain and involve flexible reactions of human behavior.

Thus it can be asserted that, laws based on human behavior can be verified in an approximate sense. They are probables, they will tend to be accurate on the average, over time; but they will not be completely be accurate at any point of time. If an econometric model can help in forecasting economic events, its value and usefulness to policy-makers and planners is enhanced. These models help the policy makers in following ways:

1. Models reflecting the influence of a change in prices paid by the foreigners for domestic goods (exported) on the quantity of imports they buy, and the effect of changes in the cost of imports on the countries own (domestic) imports; help the planners to make necessary variation in exchange devaluation.
2. These models reveal relative importance of the effect of taxes on saving and consumption expenditure, because savings are necessary for financing the investment leading to economic development.
3. They can provide guidance to export industries for their establishment, development and expansion.

Methodology Of Econometric Research - Applied econometric research is concerned with the measurement of parameters of economic relationships and with the prediction of the values of economic variables. An econometric research, actually involves four stages in enumerated here under:-

Stage I: Specification of a model - This stage is often referred as the formulation of maintained hypothesis.

Stage II: Estimation of parameters - This stage includes the estimation of a model through appropriate econometric techniques. This stage is often known as testing of maintained hypothesis.

Stage III: Evaluation - Once the model has been estimated, one should proceed with the evaluation of estimates. It decides on the basis of certain criteria whether the estimators are satisfactory, reliable and therefore yield consistent results.

Stage IV: Forecasting and predicting the model - This final is concerned with the evaluation of forecasting and predicting the validity of the model. It also ascertains whether estimators are useful in decision making and policy

***Asst. Professor (Economics) M.J.B.P.G. Govt. Girls College, Moti Tabela, Indore (M.P.) INDIA**

recommendations. The econometrician, at this stage must ascertain and satisfy himself about the forecasting power of the model.

Limitations Of Econometrics - In econometrics we are only concerned with quantitative statistics. The statistics of prices, production, employment, purchases, exports, weather conditions and many other- variables relevant to economic behavior or decision making, provide raw material for economic research. These data are insufficient and inaccurate information is not obtained in time. Besides this, the results are based on human behavior which is never consistent i.e. rational. Delays are made even in the collection of data.

Predictions are made through sampling methods. The limitations of sampling methods are thus, the limitation of econometrics. Its study requires a sound knowledge of mathematics and statistics.

Economics And Econometrics - We know that econometrics is the application of a specific method in the general field of economic science in an effort to achieve quantitative results and to verify economic aws. It consists in the application of economic theory and statistical methods to economic data; in order to find quantitative results in the field of economics and to verify economic theorems. Let us assume, that consumer aims at maximizing his total utility. The prices of all the commodities and services and his present level of income are independent of his actions. From the above assumptions we can arrive at certain properties of the individual demand function for all commodities and services. If we have quantitative information about prices and quantities of goods, we may test statistically the validity of certain theories e.g.: elasticity of demand for various goods with respect to price and income. Similarly we can solve the problem of an entrepreneur who aims at maximizing his profit under perfect competition, monopoly, imperfect competition, oligopolistic competition or duopolistic competition. Through competitive information we can derive certain properties of demand and supply functions of these firms. In case we have relevant data, we may apply econometric methods to derive the price elasticity of demand and supply or test the required hypothesis about this elasticity's.

References :-

1. Johnston, J, Econometric Methods
2. Mathematical Statistics: Ray and Sharma
3. Econometrics- J.K. Joyal, B.K. Saxena

ECONOMETRICS

METHODS

Single Equation
1. Classical Least Squares
2. generalised least squares (Types)
a. Estimation
b. Testing
c. Forecasting
d. Dummy variables
e. Linear restrictions
f. Grouping of variables
g. Specification of errors
h. Multicollinearity
i. Lagged variables'
j. 'A priori' information
k. Error in variables
l. Auto correlation
m. Hetroscedasticity

Simultaneous Equation
Identification Estimation
-Two Stage least squares
-Limited information
-Three stages least squares
-Full information
-Maximum Likelihood

APPLICATIONS

1. Models of National Economy (aggregate, less aggregate; highly disaggregative)
2. Models of sectors (consumers behavior, firms and Industries, foreign trade etc.)

****

मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान - एक विवेचना

प्रो. हिरासिंह जामोद *

शोध सारांश – मध्यप्रदेश को वर्ष 2013-14 में गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च 'कृषि कर्मण अवार्ड' दिया गया है। पुरस्कार में 2.00 करोड़ रू.राशि प्रदान की गई। मध्यप्रदेश द्वारा अनाज उत्पादन के क्षेत्र में लगातार चौथी बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। लगातार चार वर्षो से यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पूर्व वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में खाद्यान्न फसलों के लिये प्रदेश का यह सम्मान महामहिम राष्ट्रपति के करकमलों से प्रदान किया गया था। प्रदेश की कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। 2011-12 में 19.85 प्रतिशत 2012-13 में 20.16 प्रतिशत तथा 2013-14 में (प्रावधानित) 24.99 प्रतिशत के साथ हम देश के अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल हैं। आयुक्त भू अभिलेख के 2013-14 के अन्तिम पूर्वानुमान (FFC) के अनुसार विगत एक वर्ष में प्रदेश निम्नलिखित फसलों मे राष्ट्रीय औसत उत्पादकता से आगे निकल गया है। प्रदेश की उत्पादकता धान 27.89 क्विं./हे. ज्वार 15.00 क्विं./हे. बाजरा उडद 20.03 क्विं./हे. मूगंफली 15.71 क्विं./हे. कपास 11.45 क्विं./हे. कुल दालें 9.27 क्विं./हे. रेकार्ड दर्ज किया है।

प्रस्तावना – क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था किन्तु 31 अक्टुम्बर 2000 को इसका विभाजन करके 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कर 1 नवम्बर 2000 के पश्चात् वर्तमान में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। जिसकी सीमाएँ पांच राज्यों को उत्तर में उत्तरप्रदेश दक्षिण में महाराष्ट्र उत्तर-पूर्व में छत्तीसगढ़ पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात को छूती है। राज्य का क्षेत्रफल 308.2 हजार वर्ग कि.मी. है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किमी. तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किमी. है।

म.प्र. की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 725.98 लाख है। यह देश की जनसंख्या का 6.0 प्रतिशत है। राज्य की कार्यशील जनसंख्या का 17.48 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। प्रदेश की 80.2 प्रतिशत आबादी 54903 ग्रामों में बसती है। प्राथमिक क्षेत्र को 93.2 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होता है। राज्य में वर्षा की स्थिति क्षेत्रवार भिन्न - भिन्न है। प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा सामान्यत: उत्तर पश्चिमी भागों में सामान्यत: 60 से.मी. तथा दक्षिणी पूवी भाग में 100 से 120 से.मी. होती है। मध्यप्रदेश जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी ओर विविध फसल पेटर्न के साथ अलग सम्पन्न राज्य है इसलिए इसकी भूमि क्षेत्रों को 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में विकास एवं प्रगति के लिए नये मुकाम हासिल कर लिए है। पिछले कुछ वर्षो में खाद्यान्न उत्पादन में अधिक या दुगनी वृद्धि दर्ज कर रखी है। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तरप्रदेश तथा पंजाब के बाद आता है । भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में यह 7.7 प्रतिशत का योगदान देता है। तिलहन उत्पादन के मामले म.प्र. देश में 25.5 प्रतिशत का योगदान देता है, जिसमें यह देश में पहले स्थान पर है।

भूमि उपयोग – मध्यप्रदेश के अधिकांश जनसंख्या का जीविका का साधन कृषि ही है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का 73.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करता है। राज्य की कुल भूमि की 49 प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है, वर्ष 2009-10 समस्त फसलों के अंतर्गत कुल बोया गया क्षेत्रफल 215.45 लाख हेक्टेयर था। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 150.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल कुल बोए गए क्षेत्रफल में द्विफसली क्षेत्रफल 64.40 लाख हेक्टयर है। म.प्र. में सकल घरेलु उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 2004-05 में 25.97 प्रतिशत था जो 2008.09 में घटकर 22.47 प्रतिशत रह गया। राज्य में कृषि क्षेत्रों का विभाान्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया।

- **प्रदेश की प्रमुख फसलें –** प्रदेश में उत्पादित की जाने वाली फसलों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है- खाद्यान्न फसलें - व्यापारिक एवं नगदी फसलें
- मध्यप्रदेश देश में सोया प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है (देश के कुल उत्पादन में 49.95 प्रतिशत) तिलहन उत्पादन (देश के कुल उत्पादन में 21.34 प्रतिशत) देश में में प्रथम स्थान तथा दलहन उत्पादन (देश के कुल उत्पादन में 20.46 प्रतिशत) में दुसरे स्थान पर है।

प्रदेश की प्रमुख फसलों में गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, चना, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अलसी, गन्ना, कपास, अरहर, मेस्टा व सनई आदि है। प्रदेश में गेहूँ का वितरण असमान है। मालवा का पठार उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद सीहोर विदिशा रायसेन जिलों का स्थान है तथा रीवा का पठार नर्मदा घाटी आदि क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में सकल बोया क्षेत्र 30 से 35 प्रतिशत भाग पर गेहूँ उत्पादित होता है। प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेंहूँ उत्पादन को हुआ है।

मध्यप्रदेश में फसल आधारित कृषि क्षेत्र विभाजन –

- **ज्वार का क्षेत्र –** गुना, शिवपुरी, श्योपुर व पश्चिमी मुरैना।
- **गेहूँ व ज्वार का क्षेत्र–** इसका विस्तार बुंदेलखण्ड का पठार तथा मालवा के मध्य भाग पर है, इसके अतिरिक्त पश्चिमी मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, पूर्वी गुना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, नरसिहपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा भी गेहूँ व ज्वार के क्षेत्र है।
- **कपास व गेहूँ का क्षेत्र –** उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास और सीहोर है।

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, हरसूद, जिला - खंडवा (म.प्र.) भारत

- **कपास का क्षेत्र –** खरगोन, रतलाम, बड़वानी, धार व झाबुआ।
- **चावल व कपास का क्षेत्र –** खण्डवा, बुरहानपुर।
- **चावल कपास व ज्वार क्षेत्र –** बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी।
- **चावल का क्षेत्र –** संपूर्ण पूर्वी मध्यप्रदेश शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मण्डला, सीधी, जबलपुर एवं सिवनी के कुछ भाग।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि प्रदेशों का विभाजन – वर्ष 2006 में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कर दिया गया। विभाग द्वारा प्रदेश को 5 प्रदेशों में विभाजित किया है –

- **पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश –** मंदसौर नीमच रतलाम झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, इन्दौर, खण्डवा, खरगोन आदि ज्वार व कपास के प्रदेश है।
- **उत्तर में ज्वार गेहूँ का प्रदेश –** मुरैना श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, तथा टीकमगढ़ जिलों में है। तथा बैतूल व छिंदवाड़ा जिलें है।
- **मध्य गेहूँ का प्रदेश –** भोपाल, सिहोर, नरसिहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, सागर तथा दमोह जिलें शामिल है।
- **चावल गेहूँ प्रदेश –** इसमें पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिणी भाग स्थित है।
- **सम्पूर्ण पूर्वी प्रदेश चावल प्रदेश –** इसमें रीवा, सीधी, शहडोल, अनुपपुर, डिंडोरी ,मण्डला, बालाघाट आदि जिले सम्मिलित है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रवार निष्पादन –

- **प्राथमिक क्षेत्र –** कृषि (पशुपालन सहित), वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना एवं मछली उद्योग सम्मिलित है।
- **द्वितीयक क्षेत्र –** खनन तथा उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित है।
- **तृतीयक क्षेत्र –** व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, परिवहन, भण्डारण, संचार, वित्त, बीमा, स्थावर सम्पदा एवं व्यावसायिक सेवाए। सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित है।

सारणी (अ) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सकल घरेलू उत्पाद में –प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं सह उत्पाद) का अंश आधार वर्ष में 27.66 प्रतिशत था, जो घटकर स्थिर (2004-05) भावों पर वर्ष 2013-14 में 29.04 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि द्वितीयक(उद्योग) एवं तृतीयक (सेवा) क्षेत्र का अंश आधार वर्ष (2004-05) में क्रमश: 27.15 एवं 45.19 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 25.59 एवं 45.37 प्रतिशत होने का अनुमान है। स्थिर (2004-05) भावों पर वर्ष 2012-13 के त्वरित अनुमान की तुलना में प्राथमिक (कृषि एवं सह उत्पाद) क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2013-14 में 23.28 प्रतिशत की वृद्धि एवं द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्र एवं तृतीयक (सेवा) क्षेत्रों में क्रमष: 2.15 प्रतिशत एवं 9.54 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में प्रचलित भावों पर 299.28 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 111.22 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, जबकि गत वर्ष की तुलना में प्रचलित भावों पर 21.15 प्रतिशत एवं स्थिर भावों पर 11.08 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।

चित्र-1(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

वर्ष 2010-11 में कृषि क्षेत्र में 11.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वर्ष 2011-12 में कृषि क्षेत्र में 27.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वर्ष 2012-13 में कृषि क्षेत्र में 31.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2013-14 में कृषि क्षेत्र में 40.02 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने का अनुमान है। चालु कीमतों के अनुमानों के आधार पर द्वितीयक व तृतीयक दोनों ही क्षेत्रों में गिरावट आयी है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में लगभग चार गुना अधिक दर से वृद्धि हुई। इस प्रकार म.प्र. की आर्थिक विकास की दर के पीछे म.प्र. का कृषि क्षेत्र है जिसके कारण से प्रदेश दो अंकों की विकास दर से वृद्धि कर रहा है।खाद्यान्न उत्पादन के मोर्चे पर म.प्र. देश में अग्रणी प्रदेशों की सूची में अपना स्थान बना चुका है। स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का क्षेत्रवार योगदान का एक वृत चित्र 2004-05 एवं 2013-14 का एक तुलनात्मक विवरण इस चार्ट के द्वारा देखा जा सकता है।

चित्र-2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका एवं वृत्तचित्र से स्पष्ट है कि वर्ष 2004-05 कृषि क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पादन में 27.66 प्रतिशत था जो 2013-14 में बड़कर 29.04 प्रतिशत हो गया। उक्त अवधि कृषि क्षेत्र का योगदान एसजीडीपी. में 31238 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 69,250 करोड़ रूपए हो गयी जो कि कृषि क्षेत्र में 121 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

सारणी (ब) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी (स) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

कृषि क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य एवं प्रमुख फसलों का उत्पादन उपरोक्त सारणी (ब) में दिया गया है। जिसमें कृषि क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष 2012-13 में गत वर्ष की तुलना में स्थिर (2004-05) भावों पर कृषि उत्पाद एवं पशुधन के मूल्य में क्रमश: 20.44 एवं 5.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रमुख फसलों के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान धान, गेहूँ, मक्का, चना, तुअर, उड़द, मसूर, सरसों एवं सोयाबीन के उत्पादन में क्रमश: 32.54, 10.87, 81.19, 33.99, 3.85, 57.58, 54.63, 21.77 एवं 29.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि ज्वार, बाजरा और मूंगफली के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 1.09, 1.79 एवं 13.64 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

मध्यप्रदेश को वर्ष 2013-14 में गहूं उत्पादन के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च कृषि सम्मान 'कृषि कर्मण अवार्ड' दिया गया है। पुरस्कार में 2.00 करोड़ रू.राशि भी प्रदान की जाती है। प्रदेश द्वारा इस प्रकार लगातार तीसरी बार कृषि कर्मण अवार्ड हासिल करने का गौरव प्राप्त किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2012-13 तथा 2011-12 में खाद्यान्न फसलों के लिए प्रदेश का यह सम्मान महामहिम राष्ट्रपति के करकमलों से प्रदान किया गया था।

प्रदेश की कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। 2011-12 में 19.85 प्रतिशत 2012-13 में 20.16 प्रतिशत तथा 2013-14 में (प्रावधानित) 24.99 प्रतिशत के साथ हम देश के अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल हैं। आयुक्त भू अभिलेख के 2013-14 के अन्तिम पूर्वानुमान (FFC) के अनुसार विगत एक वर्ष में प्रदेश निम्नलिखित फसलों मे राष्ट्रीय औसत उत्पादकता से आगे निकल गया है। फसल प्रदेश की उत्पादकता धान 27.89 क्विं./हे. ज्वार 15.00 क्विं./हे. बाजरा उ. 20.03 क्विं./हे. मूगंफली 15.71 क्विं./हे. कपास 11.45 क्विं./हे. कुल दालें 9.27 क्विं./हे. रिकार्ड दर्ज किया है।

18 फरवरी 2016 को ग्राम शेरपुर जिला सिहोर म.प्र. में मा.प्रधानमंत्री द्वारा अगले छ: वर्षो में किसानों की आय दुगुनी करने का रोडमेप जारी

किया जिसमें तिहाई हिस्से पर परम्परगत कृषि तिहाई हिस्से पर कृषि वानिकी/कृषि उद्यानिकी तथा तिहाई हिस्से पर पशुपालन का मुख्य आधार बताया। मुख्य रूप से खेती को लाभ का व्यवसाय, लागत में कमी कृषि का यंत्रीकरण, विविधिकरण, मृदा परीक्षण, बीजोपचार, जैविक खेती, सिंचाई क्षेत्र में विस्तार जिसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। म.प्र. सरकार विजन 2018 में यह संकल्प निर्धारित किया गया है कि प्रतिवर्ष 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विस्तार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में शुन्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हुए इस क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहित किया है, जिसका परिणाम हमें रिकार्ड उत्पादन के रूप में प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की कृषि क्षेत्र में अपार विकास की संभावनाएं है, जिसमें मुख्य रूप से विपणन, सिचाई एवं कृषि तकनीकों के आधुनिक उपयोग से ही संभव है, साथ इस क्षेत्र को शोध एवं नवाचार की महती आवश्यकता है। उच्चतम विकास दर को बनाए रखने के लिए उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना अति आवश्यक है। खेती की आधुनिक तकनीकों का ज्ञान सीमांत किसानों को हो तथा सभी किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषकों व श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सरकार के लिए मुख्य चुनौती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पंत, जे.सी. एवं मिश्रा जे.पी., भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2014, पृष्ठ -157
2. म.प्र. राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान, 2004-05 से 2013-14 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचानालय म.प्र-.2014 पृष्ठ-9,10
3. प्रशासनिक प्रतिवेदन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्यप्रदेश, 2014-15 पृष्ठ-01
4. मध्यप्रदेश कृषि आर्थिक सवेक्षण 2016
5. दृष्टि पत्र 2018 म.प्र. शासन।
6. म.प्र. शासन का पोर्टल।
7. भारत सरकार का पोर्टल।

सारणी (अ) - क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष /क्षेत्र	प्रचलित कीमतों पर			स्थिर कीमतों पर (2004-05)		
	2011.12(प्रा.)	2012.13(त्व)	2013.14(अ.)	2011.12(प्रा.)	2012.13(त्व)	2013.14(अ.)
प्राथमिक क्षेत्र	84069	110274	154405	47349	56171	69250
अंशवृद्धि	26.97	29.63	34.24	24.23	26.16	29.04
दर	27.45	31.17	40.02	18.17	18.63	23.28
द्वितीयक क्षेत्र	85924	95344	103321	56642	59749	61029
अंशवृद्धि	27.57	25.62	22.92	28.99	27.82	25.59
दर	12.25	10.96	8.37	5.05	5.48	2.15
तृतीयक क्षेत्र	141677	166552	193174	91417	98824	108248
अंशवृद्धि	45.46	44.75	42.84	46.78	46.02	45.37
दर	17.20	17.56	15.98	8.63	8.10	9.54
स.रा.घ.उ.	311670	372171	450900	195409	214741	235828
वृद्धि दर	18.33	19.41	21.15	9.69	9.89	11.08

चित्र-1

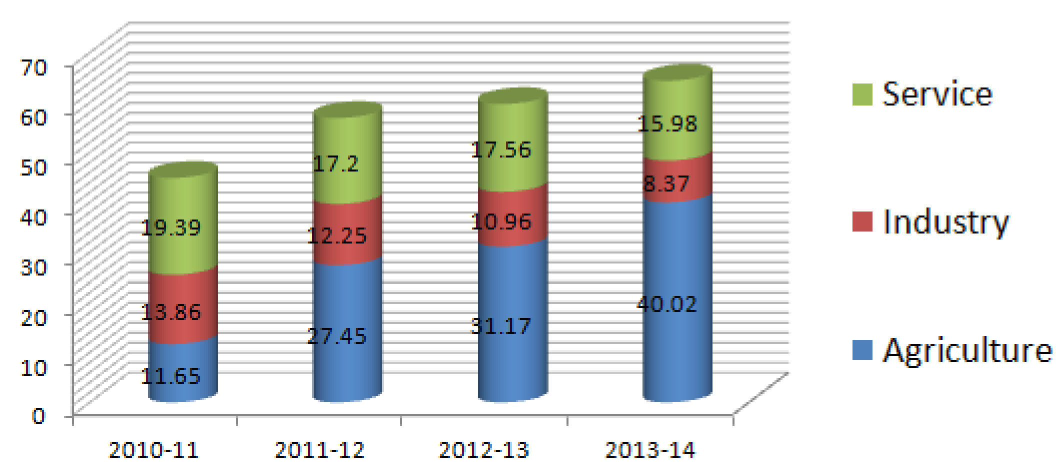

म.प्र. की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक व सेवा क्षेत्र की वृदि दर (प्रचलित कीमतों पर)

चित्र-2

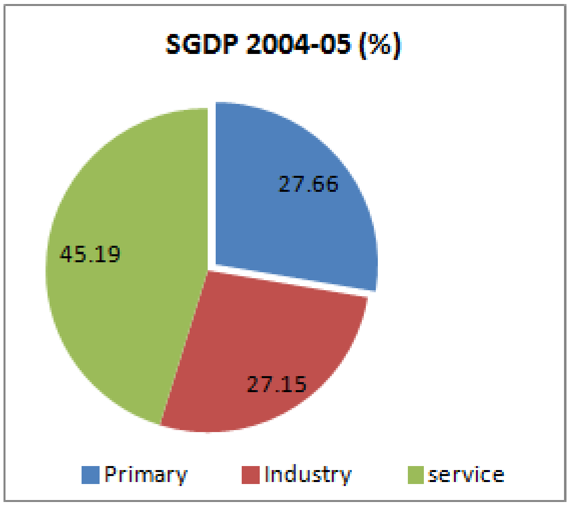

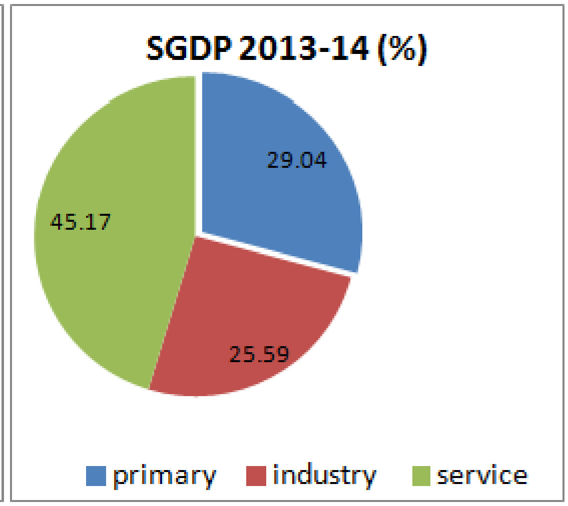

सारणी (ब)

कृषि क्षेत्र का निष्पादन

(स्थिर मद (2004-04) भावों पर उत्पादन का मूल्य करोड़ रूपये में)

वर्ष	2004.05	2005.06	2006.07	2007.08	2008.09	2009.10	2010.11	2011.12	2012.13
कृषि	29329	30248	31408	30643	33422	36724	36334	43200	52031
पशुधन	9750	11053	11287	11742	12257	13077	14192	16063	17025

सारणी (स)

म.प्र .की प्रमुख फसलों का उत्पादन

(लाख टन में)

वर्ष	2004.05	2005.06	2006.07	2007.08	2008.09	2009.10	2010.11	2011.12	2012.13
धान	19.64	25.42	20.94	19.98	23.67	20.44	26.60	34.20	45.33
गेहूं	73.27	62.00	78.48	67.37	72.80	88.73	92.27	14.44	161.25
ज्वार	6.22	6.10	5.65	6.04	5.98	6.03	6.05	5.51	5.45
बाजरा	2.51	2.75	2.54	2.78	2.63	2.96	3.87	3.91	3.84
मक्का	12.31	12.48	8.54	11.19	11.40	10.27	13.40	13.24	23.99
चना	24.75	23.78	25.57	19.26	28.15	32.31	22.66	28.45	38.12
तुअर	2.48	2.42	2.13	1.97	2.47	2.57	2.06	3.38	3.51
उड़द	1.96	1.73	1.63	1.97	1.98	2.16	2.17	1.65	2.60
मसूर	2.63	2.93	2.62	2.21	2.64	2.73	2.02	2.16	2.34
सोयबीन	37.60	48.14	47.89	53.68	59.24	64.28	62.81	64.97	84.16
मुगफली	2.45	2.31	1.92	1.92	2.40	2.54	3.05	3.74	3.23
सरसों	7.56	8.56	7.06	5.94	7.99	8.05	8.19	7.90	9.62

स्त्रोत-म.प्र. राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान, 2004-05 से 2013-14 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचानालय म.प्र.-.2014पृष्ठ-9,10

****

स्व-सहायता समूह से ग्रामीण महिला विकास का परिदृश्य-एक अध्ययन (मंडला एवं बालाघाट के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अरूणा कुसुमाकर *

प्रस्तावना - स्व-सहायता समूह योजना ग्रामीण महिला विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूह का गठन किया गया। स्व-सहायता समूह में यह लक्ष्य रखा गया कि देश की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। भारत में स्व-सहायता समूह अपेक्षाकृत नया प्रयोग है किन्तु पिछले वर्षो से यह काफी सफल हो रहा है। भारत में गठित लगभग 36 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों में से लगभग 90 प्रतिशत महिलाओं के समूह हैं।

स्व-सहायता समूह महिलाओं का ऐसा अनौपचारिक समूह है,जो अपनी बचत तथा बैंकों के सूक्ष्म वित्तीयन से अपने समूह की पारिवारिक व व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करता है और विकास संबंधी कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी दूर करने तथा महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अध्ययन के उद्देश्य -

- स्व-सहायता समूह योजना का अध्ययन करना।
- स्व-सहायता समूह का ग्रामीण महिला विकास में योगदान का अध्ययन करना।
- स्व-सहायता समूह से ग्रामीण महिला विकास के परिदृश्य को ज्ञात करना।
- प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रेषित करना।

अध्ययन प्रविधि - अध्ययन की प्रकृति मूलत: सर्वेक्षण, अवलोकन एवं साक्षात्कार पर आधारित है।

अध्ययन हेतु उद्देश्यात्मक निदर्शन पद्धति के द्वारा बालाघाट जिले एवं मण्डला जिले केअन्तर्गत आने वाले दो-दो विकास खण्डों का चुनाव किया गया है। बालाघाट जिले के दो विकासखण्ड (वारासिवनी, लालवर्रा) एवं मण्डला जिले के दो विकास खण्ड (आमानाला, बर्राटोला) का चुनाव दैव निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है। प्राथमिक समंक, बालाघाट एवं मण्डला जिले के उपर्युक्त विकास खण्डों से कुल 20 ग्रामों से 2000 महिला सदस्यों का दैव निदर्शन पद्धति से चयन कर अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा विचार विमर्श के द्वारा संमकों का संकलन किया गया है। संकलित संमकों को आवश्यकतानुसार वर्गीकृत कर सारणियाँ बनाई गई तथा संमकों का निर्वचन प्रतिशत के द्वारा किया गया है।

उद्देश्यों के अनुसार निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग कर स्व-सहायता समूह के योगदान से ग्रामीण महिला विकास के परिदृश्य की वास्तविक स्थिति को ज्ञात कर उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

विश्लेषण - भारत में स्व-सहायता समूह की शुरूआत 1992 में नाबार्ड ने एक योजना के अन्तर्गत की, किन्तु वास्तविक रूप में आने में काफी समय लगा। स्व-सहायता समूह की अवधारणा संगठन में शक्ति पर आधारित है। ग्रामीण भारत में स्व-सहायता समूह ने हजारों लाखों अशिक्षित गरीब वर्ग की महिलाओं को न केवल घर की चौखट के बंधन से मुक्त कर बाहर निकाला है वरन् उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाया है।

स्व सहायता समूह ग्राम या नगर के व्यक्तियों के छोटे-छोटे समूह होते हैं जिसके माध्यम से एक जैसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के लोग अपनी समस्याएँ परस्पर सहयोग से हल करने का प्रयास करते हैं। स्व-सहायता समूहों में ग्रामीण अपनी इच्छा से संगठित होते हैं। गरीब अपनी थोड़ी-थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं। स्व-सहायता समूह द्वारा इस राशि का उपयोग सदस्यों की आकस्मिक जरूरतों जैसे बीमारी के लिए काम धंधे के लिए, आपसी लेन-देन द्वारा किया जाता है। स्व-सहायता समूह के सदस्य एक सप्ताह पन्द्रह दिन अथवा माह में एक बैठक कर विभिन्न विषयों पर सामूहिक चर्चा कर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं। स्व-सहायता समूह के अपने नियम होते हैं, जिसका पालन समूह के सभी सदस्य आवश्यक रूप से करते हैं।

स्व-सहायता समूह का गठन ऐसे संगठन कर सकते हैं, जो निर्धनों के आर्थिक विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के कार्यक्रमों से सम्बद्ध हैं एवं उनके विकास में रूचि रखते हैं। प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी स्व-सहायता समूह का गठन किया जा सकता है। विभिन्न बैंक के शाखा प्रबंधक भी स्व-सहायता समूह का गठन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण निकाय, जिला पंचायत सरकार के सेवा निवृत्त अधिकारी, विकास से संबंधित क्लब एवं अन्य भी स्व-सहायता समूह का गठन कर सकते हैं।

स्व-सहायता समूह गरीबों का अपना छोटा बैंक है। जिस प्रकार बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार समूह सदस्यों की थोड़ी-थोड़ी बचत इकट्ठी होकर बड़ी राशि बन जाती है। स्व-सहायता समूह को बैंक द्वारा विशेष मान्यता प्राप्त है। वास्तव में स्व-सहायता समूह एक ऐसा मंच है, जहाँ विचार व्यक्त करने, समस्याओं का समाधान करने तथा निर्णय लेने में योगदान का अवसर प्राप्त होता है।

भारत में स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिला विकास के लिए आवश्यक आधार तैयार कर रहे हैं। समूह में जुड़कर महिलाएँ शिक्षा, स्व-रोजगार, कानूनी अधिकार, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य व पोषण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने में तथा उनके सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्व-सहायता समूहों ने अपनी विशेष भूमिका निभाते हुए विभिन्न रूपों में अपना योगदान दिया है। इन समूहों के माध्यम से जहाँ नियमित बचत द्वारा प्रत्येक सदस्य के आर्थिक स्तर में सुधार तथा स्वावलम्बन में वृद्धि हुई है, वहीं इन समूहों ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निराकरण में भी अपने मार्गदर्शन से ग्रामीण महिला विकास के परिदृश्य को बदल दिया है।

स्व-सहायता समूहों के प्रयासों के माध्यम से बहुसंख्यक ग्रामीण महिलाओं में अपने रोजगार, व्यवसाय, निवेश के चयन, अपने धन प्रबंधन एवं संसाधन प्रबंधन आदि की शिक्षा प्राप्त कर उनमें सही वित्तीय निर्णय लेने का आत्म विश्वास पैदा हुआ है। वास्तव में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को मजबूत आर्थिक आधार प्राप्त हो रहा है।

समूह में सम्मिलित होने के पश्चात समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने की स्थिति- स्व सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद ग्रामीण महिलाएँ अपने घर परिवार से बाहर निकल कर समूह के कार्यों को पूरी मेहनत व लगन के साथ पूर्ण कर रही है। जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के समूह में सम्मिलित होने के पश्चात समाज में साख बढ़ने की जानकारी प्राप्त की गई जो इस प्रकार है -

समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने की स्थिति (तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि मण्डला एवं बालाघाट के आमानाला, बर्राटोला, वारासिवनी एवं लालबर्रा विकासखण्ड के स्व-सहायता समूह की 78.75 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। केवल 21.25 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि न होने के कारणों को ज्ञात करने पर ज्ञात हुआ है कि ये महिलाएँ समूह में पूर्णत: सक्रिय नहीं हैं।

सामाजिक कुरीतियाँ दूर करने की स्थिति - स्व-सहायता समूह में सम्मिलित ग्रामीण महिलाएँ समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का निरन्तर प्रयास कर रही हैं। अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, अंधविश्वास आदि को दूर करने में महिलाएँ कहाँ तक सफल हुई हैं, इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है -

सामजिक कुरीतियाँ दूर करने की स्थिति (तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को दूर करने की स्थिति 50.5 प्रतिशत है तथा नशामुक्ति का 41 प्रतिशत है। यद्यपि दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक अभिशाप है परन्तु ग्रामीण महिलाएँ इसे रोकने में केवल 5.75 प्रतिशत ही सफल हो पाई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह भी अत्यन्त प्रचलित कुप्रथा है। इसे रोकने में भी केवल 2.75 प्रतिशत ही सफलता प्राप्त हो सकी है। चूँकि समाज में ये सामाजिक कुरीतियाँ अपनी जड़ें वर्षो से जमाए हुए हैं। अत: इतनी शीघ्र एवं आसानी से इन्हे समाप्त करना कठिन है। समूह की महिलाएँ इन सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध आवाज उठा रही हैं तथा भविष्य में धीरे-धीरे इन कुरीतियों को समाप्त करने में सफलता मिलेगी।

ग्रामीण महिलाओं की आय वृद्धि की स्थिति - स्व-सहायता समूह गठन के पश्चात बचत बैंक प्रक्रिया, आवर्ति निधि ऋण एवं अनुपात प्राप्त कर समूह अपनी आर्थिक गतिविधियों को प्रारम्भ कर आय में वृद्धि करते हैं। समूह से जुड़ने के बाद ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि की स्थिति इस प्रकार है -

आय वृद्धि की स्थिति (तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि स्व-सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद 72.5 प्रतिशत महिलाओं की आय में वृद्धि हुई हैं, जबकि 27.5 प्रतिशत महिलाओं की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि ये महिलाए समूह की गतिविधियों में निष्क्रिय थी।

महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की स्थिति - ग्रामीण महिलाएँ स्व-सहायता समूह से जुड़कर विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता कर रही हैं तथा अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा उठा रही हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तथ्य निम्नानुसार हैं -

महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की स्थिति (तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि 72 प्रतिशत महिलाओं के समूह से जुड़ने पर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुआ है जबकि 28 प्रतिशत महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास नहीं हुआ है क्योंकि वे समूह की गतिविधियों में पूर्णत: सक्रिय नहीं हैं।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि स्व-सहायता समूह से ग्रामीण महिला विकास के परिदृश्य में निम्नलिखित स्थितियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं -

1. स्व सहायता समूह के माध्यम से एक सशक्त प्लेटफार्म मिलने से तथा इनकी सहायता से महिलाओं की आय, बचत एवं उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है।
2. स्व-सहायता समूह के कारण महिलाएँ सामाजिक दृष्टि से निर्भीक और मुखर हुई हैं। जिससे उनकी झिझक तथा भय दूर हुआ है तथा वे घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज के बीच अपनी बात खुलकर रख पाने में सक्षम हुई हैं। समूह के कारण इनका सामाजिक दायरा बढ़ा है।
3. स्व-सहायता समूहों के परिणामस्वरूप ग्रामीण महिलाओं का एक बड़ा भाग सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र में अत्यन्त सशक्त हुआ है तथा महिलाएँ स्थानीय निकायों के चुनावों तथा अन्य सामाजिक, राजनैतिक गतिविधियों में खुलकर भाग ले रही हैं।
4. स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
5. स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से शोषित पिछड़ी महिलाओं में आत्म सम्मान के भाव का उदय हुआ है।
6. स्व-सहायता समूहों से जुड़ने के बाद अशिक्षित एवं अर्द्धशिक्षित महिलाएँ भी समाज की एक उत्पादन एवं महत्वपूर्ण इकाई बन गई है।
7. स्व-सहायता समूहों के कारण महिलाएँ जागृत हुई हैं। जिससे वे समाज में विद्यमान लिंग आधारित कुरीतियों, घरेलू हिंसा, दहेज-प्रथा, बहुविवाह आदि के विरूद्ध प्रयासरत हैं।
8. स्व-सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उन्हें साहूकारों के शोषण से मुक्ति प्राप्त हुई है।
9. स्व-सहायता समूहों ने समाज से जातिगत विषमताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
10. स्व-सहायता समूह के कारण सामाजिक जागरूकता में भी वृद्धि हुई है। जिससे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, आधारित संरचना विकास अस्पृष्यता बाल-विवाह, दहेज प्रथा, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, महिला उत्पीड़न से बचाव आदि में सक्रिय भूमिका

के निर्वाह का आत्मविश्वास पैदा हुआ है।

यद्यपि स्व- सहायता समूह से ग्रामीण महिला विकास को नए आयाम नई ऊँचाइयाँ प्राप्त हुई किन्तु और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं।

सुझाव –

1. स्व-सहायता समूहों में शिक्षा, साक्षरता व क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देना होगा।
2. समूह की सदस्याओं को व्यावहारिक एवं उच्च स्तर रोजगार परक तकनीकी ज्ञान आधारित शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।
3. शासन द्वारा स्व-सहायता समूह के लिए विभिन्न सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए तथा ग्राम पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को इस योजना की विस्तृत एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहिए।
4. बैंक की ऋण प्रक्रिया को सरलतम किया जाना चाहिए तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे और अधिक महिलाएँ उद्यम के लिए प्रेरित हों।
5. स्व-सहायता समूह के गठन के समय उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का चयन, क्षेत्र विशेष की आधारिक संरचना, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम संसाधन की उपलब्धता व विपणन व्यवस्था को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
6. स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय हेतु प्रत्येक जिले में स्थाई बाजार की व्यवस्था करना चाहिए। जिससे निर्मित उत्पादों के विपणन की व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से की जाए।
7. स्व-सहायता समूह में सहभागिता बढ़ाने हेतु सुविधाओं एवं रियायतों को बढ़ाया जाना चाहिए।
8. ग्रामीण महिलाओं के संकोच और उदासीनता को दूर कर रूढ़िवादी सोच एवं परम्पराओं को बदलकर नि:संकोच समूह की गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।
9. स्व-सहायता समूह के विकास हेतु गाँवों में महिला उद्यमियों के लिए परामर्श सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए तथा उद्यमी साहित्य की उपलब्धता एवं उसे महिला उद्यमियों को समझाने की व्यवस्था की जाना चाहिए।
10. स्व-सहायता समूह में पारम्परिक कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ नवीन तकनीकी कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाना चाहिए।
11. ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु हर सम्भव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

निष्कर्ष – सृजन महिलाओं की स्वाभाविक प्रवृति होती है। महिलाएँ घरेलू उद्योगों के रूप में पापड़, बड़ी, अचार, मसालें, मोमबत्ती, झाड़ू, माचिस, दोना-पत्तल आदि वस्तुओं का बेहतर तरीके से उत्पादन करती रही हैं। वर्तमान समय में स्व-सहायता समूह के तहत महिला उद्यमी विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पादन में तेजी से विकास कर रही हैं।

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने, उन्हें जीविकोपार्जन साधन एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, उनमें बचत एवं निवेश के लाभों की समझ विकसित करने तथा उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में स्व-सहायता समूह का महत्वपूर्ण योगदान है। स्व-सहायता समूह योजना की ग्रामीण महिला सदस्यों ने अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। समूह से जुड़ने वाली महिलाएँ उद्यमशील विकास के माध्यम से न केवल अपने लिए आय पैदा करती हैं वरन् अपने आस-पास की अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं साथ ही स्वयं, परिवार समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर ग्रामीण महिला विकास को नए आयाम दे रही हैं

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. विप्लव, महिला सशक्तिकरण विविध आयाम, 2013 राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
2. स्व-सहायता समूह गठन मार्गदर्शिका 2004 अनुपमा एजुकेशन सोसायटी-भरहुत नगर सतना, म.प्र.
3. स्व-सहायता समूह व्यावहारिक-मार्गदर्शिका 2007, राजकीय प्रकाशन, म.प्र. ग्रामीण, विकास विभाग, भोपाल, म.प्र.
4. यादव जी.पी., शर्मा ज्योति 'महिलाओं के आर्थिक उत्थान में लघु वित्त की भूमिका' रिसर्चलिंक 2008, वर्द्धमान अपार्टमेंट ओल्ड पलासिया, इन्दौर
5. शुक्ला दीप्तिमा, 'ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं-सेवा समूहों तथा सूक्ष्म ऋण की भूमिका 'मध्यप्रदेश साामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, 2007, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन
6. www.gdrc.org.icm/nanda-1.html.
7. www.shg.in

समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने की स्थिति

क्र.	स्थिति	मण्डला		बालाघाट		योग	प्रतिशत
		आमानाला	बर्राटोला	वारासिवनी	लालबर्रा		
1.	हाँ	380 (76)	360 (72)	410 (82)	425 (85)	1575	78.75
2	नही	120 (24)	140 (28)	90 (18)	75 (15)	425	21.25
	कुल योग	500 (100)	500 (100)	500 (100)	500 (100)	2000	100

स्रोत – सर्वेक्षण से प्राप्त संमकों के आधार पर

सामजिक कुरीतियाँ दूर करने की स्थिति

क्र.	स्थिति	मण्डला		बालाघाट		योग	प्रतिशत
		आमानाला	बर्राटोला	वारासिवनी	लालबर्रा		
1.	बालविवाह	10 (2)	10 (2)	20 (4)	15 (3)	55	2.75
2	दहेज प्रथा	25 (5)	10 (2)	30 (6)	50 (10)	115	5.75
3.	नशा मुक्ति	230 (46)	260 (52)	180 (36)	150 (30)	820	41
4.	विभिन्न अंधविश्वास एवं रूढ़ियाँ	235 (47)	220 (44)	270 (54)	285 (57)	1010	50.5
	कुल योग	500 (100)	500 (100)	500 (100)	500 (100)	2000	100

स्रोत – सर्वेक्षण से प्राप्त संमकों के आधार पर

आय वृद्धि की स्थिति

क्र.	स्थिति	मण्डला		बालाघाट		योग	प्रतिशत
		आमानाला	बर्राटोला	वारासिवनी	लालबर्रा		
1.	हाँ	350 (70)	380 (76)	340 (68)	380 (76)	1450	72.5
2.	नहीं	150 (30)	120 (24)	160 (32)	120 (24)	550	27.5
	कुल योग	500 (100)	500 (100)	500 (100)	500 (100)	2000	100

स्रोत – सर्वेक्षण से प्राप्त संमकों के आधार पर

महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की स्थिति

क्र.	स्थिति	मण्डला		बालाघाट		योग	प्रतिशत
		आमानाला	बर्राटोला	वारासिवनी	लालबर्रा		
1.	हाँ	350 (70)	340 (68)	370 (74)	380 (76)	1440	72
2	नहीं	150 (30)	160 (32)	130 (26)	120 (24)	560	28
	कुल योग	500 (100)	500 (100)	500 (100)	500 (100)	2000	100

स्रोत – सर्वेक्षण से प्राप्त संमकों के आधार पर

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

कृषि विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका : एक अध्ययन

नयना शाक्या *

शोध सारांश – कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी कहलाती है। जिनसे 49 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। मार्च 1985 तक बैंकों द्वारा कृषि के लिए कुल ऋण का 15 प्रतिशत भाग दिया था, बाद में ये लक्ष्य बढ़कर 18 प्रतिशत कर दिया गया। कृषि के लिए वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ और ग्रामीण बैंकों ने रियायती ब्याज दर पर हाथ खोलकर ऋण दिया है, जिससे कृषि उन्नति में गति प्रदान की गई।

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशिष्ट महत्व रहता है। औद्योगिक देश कहलाने वाले यूरोपिय देश भी विकास की सीढ़ियों पर तभी आगे बढ़ सके जब तक कृषि कार्य में आशातीत सफलता पाकर अर्थव्यवस्था की इमारत के लिए मजबूत आधार न बना ले। विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के प्रमुख विकसित देशों को देखा जाए तो यह देश भी कृषि प्रधान रहे है भले ही यह देश आज उद्योग प्रधान देश है फिर भी इन देशों में कृषि की अपनी भूमिका है,क्योंकि देश के विकास में अलग-अलग क्षेत्रों का अपना अलग महत्व है, वैसा ही कृषि का भी है।

वर्तमान संदर्भो में भारत में कृषि के महत्व को कम नही आका जा सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की 83.33 प्रतिशत (तीन चौथाई) जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। देश में पिछले वर्षो में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ देश में बेरोजगारी, गरीबी तथा भूखमरी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 0.33 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 4.25 करोड़ से भी अधिक हो गयी है। तथा देश की 37 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। सरकार गरीबी उन्मूलन तथा कृषि विकास के लिए जो कार्य पहले स्वयं करती थी आज उन्हीं में से कई योजनाओं का क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से करने लगे है, बैंकों द्वारा कृषकों, व्यापारियों अन्य व्यक्तियों एवं वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए समूह आधारित कई ऋण योजनाएं लागू की गई है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकें।

प्रदेश की कुल जनसंख्या का 74.73 प्रतिशत भाग गांवो में निवास करता है। उनके अधिकाश: कृषि से अपनी आजीविका अर्जित करते है। कृषि से औद्योगिकरण, व्यवसाय, वाणिज्य, रोजगार, आम जीवन स्तर, सामाजिक सेवाएं आदि सभी में वृद्धि होती है और स्थानीय जनता के द्वार तक विकास एवं खुशहाली के फल स्वत: पहुंचने लगते है, इसमें बैंकों की भूमिका नींव के पत्थर के समान होती है। कृषि के विकास में बैंकों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, बैंक छोटी-छोटी धन राशि को एकत्रित करता है, तथा बचत को बढ़ावा देते है। इन एकत्रित धन राशि को उन क्षेत्रों में विनियोजित करते है जहां उनकी आवश्यकता होती है। बैंकों पर मुद्रा निगमन, लेन-देन तथा अन्य वित्तीय कार्यो के क्रियान्वयन का दायित्व होता है।

मार्च 1985 तक बैंकों द्वारा कृषि के लिए कुल ऋण का 15 प्रतिशत भाग दिया था। बाद में यह लक्ष्य बढ़ाकर 18 प्रतिशत का दिया गया। कृषि के लिए वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि, सहकारी समितियां और ग्रामीण बैंकों ने रियायती ब्याज दर पर हाथ खोलकर ऋण दिया है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक 2014 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार क्रयशक्ति समानता के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम आता है, जो कि वर्ष 2005 में दसवें स्थान पर थी।

उद्देश्य – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कृषि विकास की प्रगति एवं स्थिति का मूल्यांकन करना शोध पत्र का उद्देश्य है।

शोध प्रविधि – शोध प्रश्न पत्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए द्वितीयक समंको का उपयोग किया गया। जिसका वर्गीकरण, विश्लेषण और सारणीयन के माध्यम से निष्कर्षण किया गया।

साहित्य समीक्षा – शर्मा, ओ. पी.(1999), ने अपनी पुस्तक '' भारतीय अर्थव्यस्था की आधुनिक प्रवृत्तियाँ'' देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अन्य देशों के समान कृषि विकास पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि के नये नये अनुसंधान, कृषि यंत्र, परिवहन, नई तकनीक तथा कृषि की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण संरचना का विकास अति आवश्यक है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक पूँजी लगाने की आवश्यकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि विकास में बैंक की भूमिका एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।

ग्रामीण बैंकों का विकास – कृषि व ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Dovelopment-NABARD) नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को लोकसभा में आवश्यक विधेयक पारित करके की गयी थी। इसकी स्थापना कृषि लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और गांवों में अन्य आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। 31 मार्च 2010 को नाबार्ड की प्रदत्त पूंजी 2,000 रू. करोड़ थी। 2010 तक

* शोधार्थी, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) भारत

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी (एनआरआरडीए) को आर.आई.डी. एक के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृति रू. 18,500 करोड़ की थी जो पूरी तरह जारी की जा चुकी है। वर्ष 2012-13 के लिए 2,000 करोड़ का फण्ड रखा गया था।

क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों की स्थापना विशेषकर दूरदराज के ऐसे गाँवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए की गई थी, जहां पहले ऐसी सेवाओं की पहुँच ही नहीं थी। बैकिंग कमीशन 1969 तथा नरसिम्हा कार्यकारी दल 1975 के द्वारा भी ग्रामीण साख की पूर्ति हेतु ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए सुझाव दिए गऐ थे। परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की घोषणा की गई।

क्रमांक-1 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं

वर्ष	शाखाएं
2010	33,378
2011	34,811
2012	37,471
2013	40,837
2014	NA
2015	46,126

स्त्रोत : मासिक पत्रिका योजना, अगस्त 2015

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएँ वर्ष 2010 में 33,378 हजार, 2011 में 34,811 हजार, 2012 में 37,471 हजार, 2013 में 40,837 हजार और 2015 में 46,126 हजार है। अत: इससे ज्ञात होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कृषि उन्नति की गति को तीव्र किया जा सके।

ग्रामीण बैंको का लक्ष्य ग्रामीण साख के क्षेत्र में कार्यरत् अन्य संस्थानों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, अपितु इन्हें सहायक संस्था के रूप में कार्य करना है। प्राथमिक क्षेत्रों में साख पूर्ति की दृष्टि से ये बैंक प्रभावकारी सिद्ध हुए है, क्योंकि इनके कुल वितरित किए गए अग्रिम में प्राय: 80-90 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र के संबंध में होते है। आज भारतीय बैंकिंग व्यवस्था तेज गति से ग्रामोन्मुखी होती जा रही है। रिजर्व तथा नाबार्ड के प्रयासो से वाणिज्य बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने वित्त प्रबंध को इस प्रकार की दिशा देने लगे है कि अधिकतम साख वित्त की पूर्ति ग्रामीण क्षेत्रो में लघु व सीमांत कृषक, भूमिहिन किसान, ग्रामीण कारीगर, कुटीर व ग्रामीण उद्योग तथा कमजोर वर्ग को की जा सके। वस्तुत: प्राथमिक क्षेत्र के विकास में व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा ग्रामीण बैंकों की भूमिका मानी गई है।

कृषि विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका - भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण होने के कारण देश के कृषि विकास का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीण विकास के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की वित्तीय योजनाएँ प्रारंभ की, ताकि ग्रामीण क्षेत्रो में पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के माध्यम से हो रही है। प्राचीन समय में जब ग्रामीण को वित्त की आवश्यकता होती थी तो वे गांवो में रहने वाले साहूकार, महाजन द्वारा कर्ज लेते थे और जिसके बदले अधिक मात्रा में ब्याज देना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीणों का शोषण होता था। इस शोषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों को वित्त व्यवस्था हेतु बैंकों की स्थापना पर जोर दिया गया, ताकि ये बैंक सस्ती ब्याज दरों पर ग्रामीणों के लिए ऋण उपलब्ध करा सके। आज सभी क्षेत्रों में बैंकों की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण बनती जा रही है। बैंकों का उद्देश्य कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्रों के विकास तेज करना है। ये बैंक ग्रामीण बचतों को एकत्र करने और कृषकों को वित्तीय आश्यकताओं के साथ-साथ सहायक बैंकिंग सेवाएं, गोदामों का निर्माण, कृषि विपणन सहायता और क्षेत्रों के सम्पूर्ण सहायक बैंकों के रूप में कार्य करना है। बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गो को सहायता प्रदान करके अपने प्रमुख उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इन सभी सफलता को प्राप्त करने में बैंकों का योगदान सराहनीय हैं।

भारत सरकार के माध्यम से बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास में अत्यधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है, जो ग्रामीण विकास के लिए वरदान साबित हुई हैं, बैंकों द्वारा वर्तमान समय में निम्न ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। जैसे प्रत्यक्ष ऋण- इसके अन्तर्गत कृषि ऋण और पशुपालन। अप्रत्यक्ष ऋण- इसमें ग्रामीण कारीगरों को ऋण, लघु व्यवसायी को ऋण एवं अन्य ऋण सुविधा आदि।

क्रमांक-2 : ग्रामीण बैंक की स्थिति

पूंजी व दायित्व	अनुसूची	यथा 31/03/2014	यथा 31/03/2013
I पूंजी	1	50000	50000
अंश पूंजी जमा	1A	1112511	1112511
आरक्षित तथा अधिशेष	2	2846691	2018144
जमा	3	37402180	33336674
पुनर्वित्त (उधार)	4	7280530	5973583
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	1171378	902531
योग		49863290	43393443
II आस्तियां			
रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	6	1606279	1613751
बैंकों के साथ जमा एवं मांग तथा अल्प सूचना पर	7	9435825	11750111
निवेश	8	9347188	7428082
ऋण	9	28473926	21727026
स्थाई आस्तियां	10	69406	57478
अन्य आस्तियां	11	930666	816995
		49863290	73393443

स्त्रोत : नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, वार्षिक प्रतिवेदन, 2013-2014.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आरक्षित तथा अधिशेष, जमा, पुनर्वित्त (उधार) निवेश और ऋण में 2013 की अपेक्षा 2014 में वृद्धि दर्ज की गई, जो कि विकास का सूचक है।

निष्कर्ष - ऋण दो धारी तलवार है। यदि इसका उपयोग ठीक तरह से किया जाता है, तो वह विकास और उत्पादन में मददगार सिद्ध हो सकता है और यदि इसका दुरूपयोग किया जाता है, तो वह बोझ बन जाता है। ऋणी कर्ज के दलदल में फस जाता है और वह गरीब होता जाता है। चूंकि विकास दर बढ़ाने का मूलतंत्र कृषि ही है। अतएव इस क्षेत्र के लिए ग्रामीण बैंकों को ठोस एवं प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन से ही सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की धुंधली होती तस्वीर को उजला बनाना संभव है। हालाँकि इन प्रयासों की सफलता

कुछ क्षेत्रों तथा समूहों तक ही सीमित है। उम्मीद की जाती है कि बैंक की नीतियों से कृषि उन्नति की गति को बढ़ावा मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुलाटी, राजेन्द्र और ब्राह्मणिया, विनायक (2014), ''सर्वांगिण ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका' ISSN 2231-2951
2. मेहता, बसंत (2012), '' गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन में बैंकों की भूमिका ISBN 81-86026-26-08-8
3. Narmda Jhabua Gramin Bank- Annual Report 2013-14
4. सालोदिया, ए.के (2002), ''ग्रामीण विकास एवं बैंकिंग वित्त प्रबंधन' ISBN 81-85234-38
5. सिंहचरण, दाधीय सी.एल. एवं अनंत एस (2015), ''वित्तीय समावेशन और सामाजिक बदलाव' ISSN0971-8397
6. वर्मा सवलिया बिहारी, कुमार कमलेश एवं कुशवाह ज्योति (2011), ''ग्रामीण विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि' ISBN978-81-7555-344-6
7. वर्मा सवलिया बिहारी, गुप्ता संजीव एवं पाठक अनिलचन्द्र (2011), ''ग्रामीण गरीबी उन्मूलन' ISBN978-81-7555-342-2

****

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन - बड़वानी जिले के संदर्भ में

डॉ. आशासाखी गुप्ता * डॉ. जयराम सोलंकी **

प्रस्तावना – सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीड़ीएस एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप में भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को वितरित करता है। यह योजना 01 जून 1997 को भारत में लांच की गई थी। 1997 में वस्तुओं मुख्य भोजन में अनाज, गेहूँ, चावल, चीनी, और मिट्टी का तेल को उचित मूल्य की दुकानों (जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के माध्यम से वितरित किया गया। भारतीय खाद्य निगम सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियन्त्रण रखती है। खाद्य राशन की दुकानों द्वारा अनाज वितरित किया जाता है। वह गरीबों की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है या घटिया गुणवत्ता का है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज की खपत का औसत स्तर प्रति व्यक्ति /माह केवल एक किलोग्राम है। आज भारत के पास चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अनाज स्टॉक है, जिस पर सरकार 750 अरब रूपये (13.6 अरब $) प्रति वर्ष खर्च करती है। जो सकल घरेलु उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत है, तब भी अभी तक 21 प्रतिशत कुपोषित है, आज की तारिख में भारत में 5 लाख उचित मूल्य की दुकाने है वही मध्यप्रदेश में 22422 व बड़वानी जिले में 361 उचित मूल्य की दुकाने है। राज्य सरकारों कों आवंटन और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करने, पर्यवेक्षण और एफपीएस के कामकाज की निगरानी सहित परिचालन की जिम्मेंदारिया भी है। पी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत महीनें 35 किलोग्राम चावल या गेहूँ के लिए पात्र है, लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार हेतु पौष्टिक व पर्याप्त भोजन आवश्यक है।सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं को सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित कर रही है। हमारी सामाजिक पृष्ठ्भूमि ही वर्तमान समय में आर्थिक आधारों पर टिकी है, कार्लमार्क्स का कथन है कि 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन उससे पहले वह एक आर्थिक प्राणी है'

उद्देश्य – बड़वानी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली के निम्न उद्देश्य होने चाहिए।

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित होने वाली सरकारी राशन की दुकानों की सतत् निगरानी की जानी चाहिए ताकि पात्र परिवारों को खाद्यान्न की सही मात्रा उपलब्ध हो।
2. सरकारी राशन की दुकानों की संख्या में वृदिध की जाना चाहिए।
3. राशन वितरण की ईकाई हितग्राही परिवार न होकर हितग्राही सदस्यों की संख्या होना चाहिए।

अध्ययन की परिकल्पना –

1. जिले के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सर्वेक्षण करना।
2. प्रश्नावली के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रत्यक्ष संपर्क कर जानकारी प्राप्त करना।
3. शोध पत्र को विश्वसनीय बनाने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रत्यक्ष संपर्क कर जानकारी प्राप्त करना। प्रस्तुत शोध बड़वानी जिले के हितग्राहियों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संतुष्टि से सम्बधित है, इसलिए साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा उन तथ्यों को ज्ञात करने का प्रयास किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जनता को वास्तव में प्राप्त हो रहा हैं क्या हितग्राही इस व्यवस्था से संतुष्ट है, ऐसे कौन-कौन से कारक है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता को प्रभावित करते है। प्रस्तुत शोध पत्र में साक्षात्कार अनुसूची के उत्तरदाताओं के रूप में उद्देश्य परक प्रतिदर्श प्रणाली के आधार पर बड़वानी जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति हितग्राहियों के अन्र्तगत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का चयन किया गया है। जो तालिका क्रंमाक एक के द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

तालिका क्र.01 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तलिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण एवं शहरी कुल 400 हितग्राहिया सें साक्षात्कार लिया गया है। जिसका उल्लेख तालिका क्र.01 के द्वारा दिया गया है।

तालिका क्र.02
उचित मूल्य दुकान की स्थिति

क्र	उत्तर	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हमारे ही ग्राम में	156	39
2.	पास के ग्राम में	244	61
	कुल योग	**400**	**100**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उचित मूल्य की दुकानों में 39.00 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि राशन की दुकान हमारे ही ग्राम में है। व 61.00 प्रतिशत का मानना है कि उचित मूल्य की दुकान पास के ग्राम में है।

इस आधार पर कहॉ जा सकता है कि आज भी राशन के लिए दूसरे ग़ांव में जाना पड़ता है। सरकार के द्वारा मिलने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के बारे में जानकारी है या नही, इसका विवरण तालिका क.

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
* पी.डी.एफ., शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

03 के द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका क्र 03
राशन संबंधी जागरूकता

क्र.	उत्तर	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हॉ	345	86.25
2.	नही	55	13.75
	कुल योग	**400**	**100**

उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण निर्धनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी के पक्ष में 86.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राशन संबधी जानकारी है व 13.75 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता है, जिनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं है। इस तथ्य के आधार पर कह सकते है कि अधिकाशत उपभोक्ताओं राशन की दुकान के नाम से जानते है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (खाद्य सामग्री) के नाम से नही।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुभवमूलक अध्ययन करने के बाद यह ज्ञात होता है कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अभी भी बहुत खामियॉ है। सभी उत्तरदाताओं का मानना था कि-

1. उचित मूल्य की दुकानों के मालिक खुले बाजार में राशन को बेचने के लिए भारी मात्रा में बोगस कार्ड बना लेते है।
2. इस प्रकार की गतिविधियों से गरीब लोगों को पोषित और सुरक्षित खाद्यान्न नहीं मिल पाता है, जिससे खाद्यान्न असुरक्षा पैदा होती है।
3. एफ.पी.एस. के कमजोर पर्यवेक्षण और जवाबदेयता के अभाव के कारण मध्यम वर्ग गरीब लोगों का फायदा उठा जाते है।
4. यह एक बहुत बड़ा कारण है पी.डी.एस. के असफल होने का एक परिवार को जो वस्तुऍ मिलती है, वो एक साथ मिलती है, किस्तों में नहीं खरीद सकते है।
5. बहुत सारे बी.पी.एल. परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं होता क्योंकि या तो वे मौसमी मजदूरी है या फिर अवैध कालोनियों में रहते है।

वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इस तंत्र में सुधार के लिए उत्तरदाताओं के द्वारा प्रतिक्रियास्वरूप जो निम्न सुझाव निकलकर आए वे इस प्रकार है -

1. सिविल सप्लायी कारपोरेशन को उचित दर की दुकाने ग्रामों में ज्यादा से ज्यादा खोलनी चाहिए।
2. एफ.सी. आई. को वितरण के लिए अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध करवाना चाहिए।
3. एक निश्चित समय अन्तराल में विभिन्न जॉच और छापा ड़ालकर गलत, नकली और फर्जी कार्डो को पकड़ना चाहिए।
4. उचित दर की दुकानों के सामने ब्लैक बोर्ड पर चार्ट और उपलब्ध मात्रा लिखी होनी चाहिए।

प्रस्तुत अध्याय में बड़वानी जिले के 400 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के अनुसार इस तंत्र में अनेक समस्याओं और समाधान सामने निकलकर आई जो कि महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण -फरवरी 2017 पृष्ठ सं 19
2. नई दुनिया-मई 2017, पृष्ठ सं 04
3. कुरूक्षेत्र-फरवरी, 2017 पृष्ठ सं 17
4. रोजगार निर्माण -जनवरी -2016 पृष्ठ सं 15

तालिका क्र.01
(चयनित न्यादर्श)

क्र.	विकासखण्ड	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति/ जनजाति कुल उत्तरदाता
		ग्रामीण	शहरी	कुल उत्तरदाता	ग्रामीण	शहरी	कुल उत्तरदाता	
1	बड़वानी	15	05	20	30	14	44	64
2	पाटी	05	05	10	36	20	56	66
3	ठीकरी	20	10	30	18	06	24	54
4	राजपुर	15	05	20	40	20	60	80
5	सेंधवा	15	05	20	66	50	116	136
	कुल योग	**70**	**30**	**100**	**190**	**110**	**300**	**400**

****

जनजातीय वर्ग के विकास में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 की भूमिका का अध्ययन

राकेश पटेल *

शोध सारांश - जनजातीय वर्ग एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हैं। जिसकी अपनी जीवन शैली है, इनके विशिष्ट रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक पहचान है तथा साथ रहने एवं विवादों का समाधान करने की प्रथाऐं हैं। यह वर्ग सादियों से अलगाव की स्थितियों में राष्ट्र की मुख्य धारा से पृथक रहे हैं। इस अलगाव ने इस वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टियों से पिछडा रखा तथा पारिणामत: यह वर्ग गरीबी, अज्ञान, शोषण, भूख एवं बीमारी का शिकार रहा। इन्होंने अपने देवता के रूप में पहाड़ों, भूमि, नदियों, जंगलों एवं प्रकृति को माना है।

अत: यह आवश्यकता सदैव महसूस की जाती रही कि अनुसूचित क्षेत्रों का संस्थागत ढाँचा आदिवासियों की आवश्यकताओं, उनकी प्रकृति एवं आदिवासी संस्थाओं, जिनसे कि यह सदियों से जुडे है ,के अनुरूप होना चाहिए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996' बनाया गया हैं।

प्रस्तावना - प्रस्तुत शोध पत्र में जनजातीय वर्ग के विकास में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996' की भूमिका का अध्ययन किया गया हैं।

1995 में भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243 (3) निर्दिष्ट पाँचवी अनुसूची क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996' अधिनियमित किया। इस अधिनियम को संक्षिप्त रूप में 'पेसा अधिनियम 1996' कहा जाता है। पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। **साहित्य की समीक्षा -** यतीन्द्र सिंह सिसोदिया (1999) ने मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं राजनीतिक चेतना के अध्ययन में स्पष्ट किया है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद पिछले दो-तीन दशकों में जनजातियों की राजनीतिक चेतना में अभिवृद्धि हुई है।

महिपाल (1999) ने आठ राज्यों में 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996' के प्रावधानों के अन्तर्गत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ग्राम सभा की स्थिति को स्पष्ट किया है। इन्होंने अध्ययन में पाया कि इस अधिनियम में ग्रामसभा को अधिक अधिकार देने का उद्देश्य था किन्तु इस अधिनियम की कमियों का लाभ उठाकर कुछ राज्यों ने यह अधिकार पंचायतीराज की विभिन्न संस्थाओं को दे दिया हैं।

उपाध्याय (2010) ने 'शेडयूल एरियास ए फरेश लेगल पर्सपिक्टीव' में पेसा अधिनियम 1996 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा जनतातीय समुदायों को प्रदान किए गए अधिकारों की समीक्षा की है। जिसमें उन्होंने बताया है कि उक्त अधिनियमों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु पुन: वर्तमान कानूनी परिप्रेक्ष्य में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जनजाति समुदायों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

पिछले दशकों में हुए अध्ययन हमें पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996' के प्रति जनजातीय वर्ग मे जागरूकता की कमी को दर्शाते है।

शोध पत्र का उद्देश्य एवं शोध प्रविधि -

उद्देश्य -

1. जनजाति विकास में 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996' की भूमिका का अध्ययन करना।
2. जनजातीय वर्ग के संदर्भ में 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996' के प्रावधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि - अध्ययन का समग्र मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है। छिन्दवाड़ा जिले के दो विकासखण्ड तामिया एवं जून्नारदेव को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक चयनित विकासखंड से 5-5 ग्राम पंचायतों का स्तरीय यादृच्छिक प्रतिनिधित्व निदर्शन प्रणाली के आधार पर चयन किया गया है। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के जनजातीय वर्ग के सदस्य अध्ययन की इकाई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10-10 उत्तरदाताओं को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार निदर्शन का आकार 10 ग्राम पंचायत से 100 उत्तरदाता है। तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एंव द्वितीय स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संग्रहण हेतु साक्षात्कार अनुसूचियों का प्रयोग किया गया है। इस हेतु अवलोकन पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। तथ्यों का विश्लेषण ।साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त तथ्यों को कम्प्यूटर से SPSS सॉफ्टवेयर के द्वारा विश्लेषित किया गया है। जो इस प्रकार है -

तालिका क्रमांक 01

उत्तरदाताओं की जनजाति

क्र.	जनजाति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	गौंड	85	85%
2.	भारिया	09	09%
3.	मवासी	06	06%
	योग	100	100%

*शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) भारत

तालिका क्र. 01 में अध्ययन में सम्मिलित अलग-अलग जनजातियों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका क्र. 01 से स्पष्ट है कि 85 प्रतिशत उत्तरदाता गौंड जनजाति के है। इसी प्रकार भारिया एवं मवासी जनजाति के उत्तरदाताओं की संख्या क्रमशः 09 प्रतिशत एवं 06 प्रतिशत है। अतः अधिकांश उत्तरदाता गौंड जनजाति के है।

जनजातीय वर्ग अनेक जनजातियों में विभाजित है। जनजातीय वर्ग में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा एक ऐसा कारक तत्व है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के द्वार खोल देता है। तालिका क्रमांक 02 में उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर को दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 02

उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

क्र.	शैक्षणिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर	21	21%
2.	साक्षर	20	20%
3.	प्राथमिक स्तर	16	16%
4.	माध्यमिक स्तर	28	28%
5.	उच्चतर माध्यमिक स्तर	13	13%
6.	स्नातक अथवा अधिक	02	02%
	योग	100	100%

तालिका क्र. 02 से स्पष्ट है कि निरक्षर उत्तरदाताओं की संख्या 21 प्रतिशत है। साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की संख्या 28 प्रतिशत है। जबकि उच्चतर माध्यमिक एवं स्नातक अथवा अधिक की संख्या क्रमशः 13 प्रतिशत एवं 02 प्रतिशत है। अतः कहा जा सकता है कि आज भी जनजातीय वर्ग में अशिक्षा का अभिशाप दूर नहीं हुआ है।

तालिका क्रमांक 03 में उत्तरदाताओं की पेसा अधिनियम 1996 के प्रति जागरूकता को दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 03

उत्तरदाताओं की पेसा अधिनियम 1996 के प्रति जागरूकता की स्थिति

क्र.	पेसा अधिनियम 1996 के प्रति जागरूकता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पेसा अधिनियम की जानकारी है	04	04%
2.	पेसा अधिनियम की जानकारी नही है	96	96%
	योग	100	100%

तालिका क्र. 03 से स्पष्ट है कि 04 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पेसा अधिनियम की जानकारी है। इन्हें भी सिर्फ इतनी जानकारी है कि इस अधिनियम का सम्बन्ध अनुसूचित क्षेत्रों से है। जबकि 96 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों की सामान्य जानकारी भी उत्तरदाताओं को नहीं है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि पेसा अधिनियम के प्रति जागरूकता की भारी कमी है। इसका प्रमुख कारण जनजातीय वर्ग का भोला-भाला होना, शिक्षा का स्तर कम होना तथा कानूनी मामलों के प्रति रूचि का अभाव है।

पेसा अधिनियम के द्वारा जनजातियों के आपसी झगड़ों या विवादों का समाधान परम्परागत आधार पर हल करने का अधिकार ग्रामसभा को दिया गया है। तालिका क्र. 04 में ग्रामसभा के माध्यम से विवादों के समाधान की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 04

ग्रामसभा द्वारा परम्परागत न्याय के माध्यम से विवादों का समाधान

क्र.	ग्रामसभा द्वारा विवादों का समाधान	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	47	47%
2.	नहीं	53	53%
	योग	100	100%

तालिका क्र. 04 से स्पष्ट है कि 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामसभा के माध्यम से परम्परागत न्याय के आधार पर विवादों का समाधान किया जाता है। जबकि 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामसभा में विवादों का समाधान नहीं किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामसभा में केवल छोटे विवादों का समाधान किया जाता है जबकि बड़ें विवादों के लिये न्यायालय की शरण ली जाती है।

पेसा अधिनियम के माध्यम से ग्रामसभा को ग्राम पंचायत में संचालित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। तालिका क्र. 05 में ग्रामसभा के माध्यम से स्थानीय योजनाओं के स्त्रोतों एवं व्ययों पर नियंत्रण की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 05

ग्रामसभा के माध्यम से स्थानीय योजनाओं के स्त्रोतों एवं व्ययों पर नियंत्रण की स्थिति

क्र.	स्थानीय योजनाओं के स्त्रोत एवं व्ययों पर नियंत्रण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	94	94%
2.	नहीं	04	04%
3.	मालूम नहीं	02	02%
	योग	100	100%

तालिका क्र. 05 से स्पष्ट है कि 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामसभा के माध्यम से स्थानीय योजनाओं के स्त्रोत एवं व्ययों पर नियंत्रण रखा जाता है। 04 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि नियंत्रण नहीं रखा जाता है जबकि 02 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस विषय में जानकारी नहीं है।

अतः कहा जा सकता है कि अधिकांश ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय योजनाओं के स्त्रोत एवं व्ययों पर नियंत्रण रखा जाता है।

पेसा अधिनियम ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजित बाजार एवं मेलों का प्रबंधन करने की शक्ति ग्रामसभा को देता है। तालिका क्र. 06 में ग्रामसभा के माध्यम से ग्राम के बाजार तथा मेलों के प्रबंधन को दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 06

ग्रामसभा के द्वारा बाजार एवं मेलों के प्रबंधन की स्थिति

क्र.	बाजार एवं मेलों का प्रबंधन	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	10	10%
2.	क्षेत्र में बाजार तथा मेला का आयोजन नहीं होता है	90	90%
	योग	100	100%

तालिका क्र. 06 से स्पष्ट है कि 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामसभा के माध्यम से ग्राम के बाजार तथा मेलों का प्रबंधन किया जाता है। जबकि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके क्षेत्र में बाजार एवं मेलों का आयोजन नहीं होता है या इनका स्वरूप छोटे स्तर का

होता है। जिसमें ग्राम सभा की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

अत: कहा जा सकता है कि अधिकांश क्षेत्रों में बाजार एवं मेला का आयोजन नहीं होता है तथा जिन क्षेत्रों में आयोजन होता है, उनका प्रबंधन ग्रामसभा द्वारा किया जाता है।

निष्कर्ष – विस्तृत अध्ययन से स्पष्ट है कि पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत एवं जनजातीय वर्गों के विकास हेतु नींव का पत्थर सिद्ध हुआ है। अध्ययन में तीन जनजातियाँ सम्मिलित हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा गौंड़ उत्तरदाता है।

जनजातीय वर्ग की शिक्षा का स्तर आज भी निम्न है। दो–तिहाई उत्तरदाता की शिक्षा का स्तर प्राथमिक विद्यालय या इससे कम है, जिसमें इक्कीस प्रतिशत उत्तरदाता पूरी तरह निरक्षर है।

पेसा अधिनियम के प्रति उत्तरदाताओं में जागरूकता की भारी कमी है। मात्र चार प्रतिशत उत्तरदाता को पेसा अधिनियम की बहुत कम जानकारी है। शेष के लिए यह अधिनियम अनसूना है। इसका एक बड़ा कारण जनजातीय वर्ग की नियम कानून के प्रति उदासीनता है।

परम्परागत न्याय के माध्यम से विवादों के समाधान के मामले में लगभग आधे उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामसभा के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। जबकि आधे से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामसभा में आपसी विवादों का समाधान नहीं किया जाता है। परिचर्चा में पाया गया कि छोटे विवादों को ही ग्रामसभा के माध्यम से सुलझाया जाता है। जबकि बड़े विवादों के समाधान में न्यायालय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

पेसा अधिनियम ग्रामीण बाजारों पर नियंत्रण का अधिकार ग्रामसभा को प्रदान करता है। जहाँ बाजार एवं मेला का आकार सामान्य है, वहाँ पर अधिकांश ग्रामसभा द्वारा उन पर नियंत्रण रखा गया है।

ग्राम पंचायत में संचालित स्थानीय योजनाओं के स्त्रोत एवं व्ययों पर नियंत्रण का अधिकार ग्राम सभा को प्रदान किया गया है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामसभा के माध्यम से स्थानीय योजनाओं के स्त्रोत एवं व्ययों पर नियंत्रण रखा जाता है।

पेसा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष के पद जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित है, जिससे की पंचायत राज व्यवस्था में जनजाति वर्ग की सहभागिता में वृद्धि हुई है।

सुझाव – जनजातीय वर्ग का शैक्षणिक स्तर कम है। अत: इस वर्ग के महत्व के प्रति जागरूक करना आवश्यक हो गया है। इस वर्ग को पेसा अधिनियम के प्रावधान की जानकारी नहीं है। अत: विशेष आयोजनों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में इस अधिनियम के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। विवादों के समाधान हेतु ग्रामसभा स्तर पर विवाद समाधान शिविर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि यह वर्ग अनावश्यक कोर्ट कचेरी के चक्कर लगाने से बच सके। स्थानीय योजनाओं के स्त्रोत एवं व्यय पर नियंत्रण में और अधिक पारदर्शिता लानी चाहिये। ग्रामसभा को अपने स्तर पर ग्रामीण बाजार विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ग्रामीण जन की शहरों पर निर्भरता में कमी आएगी। ग्रामसभा को संवैधानिक रूप से पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त है। जरूरत है, तो सिर्फ उनके सफल क्रियान्वयन की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (1999) – 'पॉलिटिकल कंशसनेस अमंग ट्राइवल्स', राव पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. महिपाल (1999) – 'पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में ग्रामसभा के अधिकार एवं शक्तियाँ', कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, अक्टूबर।
3. उपाध्याय, संजय(2010) – 'शेडयूल एरियास नीड ए फ्रेश लेगल पर्सपेक्टीव', इकॉनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली 09 अक्टूबर।
4. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एवं आशीष भट्ट (2011), 'मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था – विविध आयाम', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
5. http://pesadarpan.gov.in/en.

****

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु म.प्र. शासन द्वारा आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में – एक विश्लेषण

डॉ. मीनाक्षी पँवार *

प्रस्तावना – आज़ादी के एक लम्बे अन्तराल के बाद बहुत समय पहले से ही अनुसूचित जाति, जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में राजनीतिज्ञों, योजनाकारों ने मानवीय धरातल पर इस समाज के विकास के लिए स्वप्न बुने है, जब चारों ओर से विकास की बात कही जा रही हो, तब किसी समाज का पिछड़ जाना निश्चित ही मानवशास्त्रियों और शासन के लिए एक कलंक की बात है। संकुल रूप में आर्थिक उन्नयन के इस युग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का भी विकास हो और वे भी जन सामान्य व्यक्ति की तरह अर्थ-व्यवस्था के व्यापक धरातल से जुड़ सके, ऐसे प्रयास होने चाहिए, इसलिए सत्ता और शासन के सद्प्रयासों के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजातियों के विकास के लिए जो कार्यक्रम निश्चित किए जाते है, वे ही उन्हें विकास की राह दिखलाते है। इसी संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस सामज के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है ताकि यह समाज भी विकास के बिन्दु को छू सके।

वर्तमान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत चलायी जा रही विकास की योजनाओं में छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएँ, कार्यक्रम, नीतियाँ तैयार की जाती है तथा उनके सफल क्रियान्वयन के प्रयास किए जाते है, जिसके सुखद परिणाम प्राप्त होते है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो छात्रवत्ति के रूप में प्रदान की जाती है, के परिणाम सामने आते हैं।

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना।
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
3. यह शोध पत्र छात्रवृत्ति की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुँचाने में सफल होगा। इस जानकारी से अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी इसका लाभ लेने के लिए आगे आएगे और प्रदेश के विकास में अपना सक्रिय योगदान दे सकेंगे।

शोध प्रविधि – छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए शोध की प्रविधि में साक्षात्कार, प्रश्नावली, म.प्र. शासन की योजनाओं का अध्ययन विश्लेषण विधियों को अध्ययन में शामिल किया गया तथा विषय से सम्बन्धित ग्रंथों का अध्ययन भी उपयोग में लाया गया हैं।

- महाविद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/ जनजातियों के विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त की गई।
- विद्यार्थियों के अभिभावकों से सम्पर्क कर चर्चा की गई।
- महाविद्यालयों के छात्रवृत्ति प्रभारी, अधिकारी, कर्मचारी से ली गई जानकारी।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में – तकनीकी शिक्षा –

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं जिसमें आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा भी सम्मिलित है, में अध्ययन करने वाले अनूसचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है –

समूह	विषय	दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर (रू. में)	
		छात्रावास	गैर छात्रावास
वर्ग-1	चिकित्सा, इंजीनियरिंग ओर साईंस वित्त प्रबंधन समूह	1500	550
वर्ग-2	आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी विज्ञान में डिप्लोमा ओर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	820	530
वर्ग-3	इंजीनियरिंग, प्रोद्योगिकी, कृषि चिकित्सा विज्ञान, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	570	300
वर्ग-4	सामान्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सामन्य प्रथम वर्ष	380	230

रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना –

उद्देश्य – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवक-युवतियों को उच्च तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना।

पात्रता – इस प्रशिक्षण के लिए युवक-युवतियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना और हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। महिलाओं और नि:शक्तजनो के लिए आरक्षण है।

प्रक्रिया – पात्र युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग से बनी संस्था सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड इण्डस्ट्रीयल स्टॉफ परफार्मेन्स (क्रिप्ट) में

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को विशेष पठन-पाठन सामग्री और 500 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।

ग्रामीण इंजीनियर योजना -

उद्देश्य - योजना के अन्तर्गत ग्रामीण इंजीनियर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

पात्रता - एक गांव से एक उम्मीद्वार का चयन किया जाता है, जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक न हो और हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण हो। अजा और अजजा के दसवीं उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रक्रिया - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जाता है। इसमें प्रत्येक गांव के चयनित एक युवा को 110 दिन की अवधि में तीन व्यवसाय मेंसन, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। दक्षता आधारित इस प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को 500 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र -

उद्देश्य - अनुसूचित जाति/जनजाति के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पी.एम.टी., पी.ई.टी., पी.ए.टी. आदि के लिए प्रशिक्षित करना।

पात्रता - विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र बुलाए जाते है तथा संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य प्रावीण्य सूची के अनुसार विद्यार्थियों का चयन करते है। यह प्रशिक्षण केन्द्र म.प्र. के भोपाल, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, सागर, जबलपुर, इंदौर में संचालित है।

प्रक्रिया - परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों भोपाल, ग्वालियर, सागर, रीवा, मुरैना, जबलपुर, इंदौर संभागों में प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रति शिक्षणार्थियों को शिष्यवृत्ति एवं छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति के विधि स्नातकों को छात्रवृत्ति -

उद्देश्य - विधि स्नातकों को विधि व्यवसाय में सुप्रशिक्षित कर स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना।

पात्रता - विधि स्नातकों के आवेदन-पत्र जिसमें बार कौंसिल का प्रमाण पत्र विधि परीक्षा की अंकसूची संलग्न हो, का परीक्षण जिला कार्यालय में किया जाता है तथा हितग्राही का चयन किया जाता है।

प्रक्रिया - मध्यप्रदेश के सभी जिलों में अनुसूचित जाति के विधि स्नातकों का परीक्षण कर 200 रू. प्रतिमाह एक वर्ष के लिए स्वीकृत किए जाते हैं।

उच्च शिक्षा -

गाँव की बेटी योजना -

उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता -

1. छात्र को गाँव का निवासी होना चाहिए।
2. 12वीं कक्षा गाँव में रहकर गांव की पाठशाला से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. जिस सत्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।
4. नवोदय विद्यालय से पढ़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्रायें अगर उपरोक्त शर्तें पूर्ण करती है, तो पात्र होगी।
5. 12वीं कक्षा के पश्चात् शासकीय शैक्षणिक संस्थाए, अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थाए जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार होना आवश्यक है।
6. छात्रा निरंतरता के साथ आगामी कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।

प्रक्रिया -

1. प्रत्येक पाठशाला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक मैरिट सूची तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रेषित करेगी। कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई छात्राओं को गांव की बेटी का प्रमाण पत्र जारी करेगी।
2. छात्रा द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित गांव का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जनपद पंचायत द्वारा जारी किए जाने वाले गॉव की बेटी के प्रमाण पत्र के साथ अध्ययनरत् महाविद्यालय में आवेदन देना चाहिए।

लाभ -

1. पाठयक्रम के लि निर्धारित शुल्क में छूट।
2. छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राथमिकता।
3. परम्परागत् पाठ्यक्रम हेतु 500/- प्रतिमाह की दर से सालाना छात्रवृत्ति।
4. तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन करने वाली छात्रा को रू. 750 प्रतिमाह सालाना छात्रवृत्ति।

प्रतिभा किरण योजना -

उद्देश्य - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेघावी छात्राओं को बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता -

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नगरीय क्षेत्र निवासी परिवार से आने वाली 12वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा जिन्होंने 12वीं कक्षा शहर में रहकर उत्तीर्ण की हो।
2. जिस सत्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।
3. स्नातक स्तर पर छात्रा का नियमित अध्ययनरत् होना तथा निरंतरता से अगली कक्षा में प्रवेश लिया जाना आवश्यक होगा।
4. 12वीं कक्षा के पश्चात् शासकीय शैक्षणिक संस्थाए, अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थाए जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार होना आवश्यक है।
5. छात्रा को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।

प्रक्रिया - संबंधित छात्रा द्वारा प्रतिभा किरण योजना के अन्तर्गत प्रारूप में आवेदन, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा की अंकसूची को महाविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी को समयावधि में देना होगा।

लाभ -

1. शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता।

2. छात्रावास में प्रवेश में प्राथमिकता।
3. छात्रावास शुल्क में छूट।
4. पाठ्यक्रम हेतु छात्रा को प्रतिमाह 500 रू. वार्षिक। तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रू. प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) प्रति शैक्षणिक सत्र वार्षिक।

एकीकृत छात्रवृत्ति योजना –

उद्देश्य – उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न नियमित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान कर आर्थिक सहयोग दिया जाता है।

पात्रता – मा.शि. मण्डल म.प्र. तथा म.प्र. के विश्वविद्यालयों में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ही आवेदन प्रस्तुत करेन की पात्रता होगी। एकीकृत छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय **25000/–** रू. से अधिक न हो। वेतनभोगी अधिकारी/ कर्मचारी/अभिभावकों को आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्य वर्गीय व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा सत्यापित आय घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

प्रक्रिया – वर्तमान में संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ और उनका कोटा निर्धारित है। शोध, एम.फिल. स्नातकोत्तर योग्यता, सह–साधन, खेलकूद, स्नातक योग्यता, सह–साधन, संस्कृत छात्रवृत्तियाँ, फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान पूणे, राष्ट्रीय अनुसंधान कला नई दिल्ली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, म.प्र. के सैन्य महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को छात्रवृत्ति। इच्छुक विद्यार्थी अपने शैक्षणिक संस्थानों से आवेदन पत्र प्राप्त कर संस्था प्रमुख के माध्यम से कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल को भेज सकते हैं।

शोध हेतु छात्रवृत्ति –

उद्देश्य – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शोध हेतु छात्रवृत्ति।

पात्रता –

1. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति छात्र छात्राए।
2. म.प्र. का मूल निवासी।
3. किसी विश्वविद्यालय में शोध हेतु पंजीकृत हो।
4. स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त हो। समान अंक के मामलों में एम.फिल. उपाधि को वरियता।
5. परिवारिक आय आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
6. निजी व्यवसाय/सेवा में कार्यरत् न हो।
7. अन्य किसी संस्था से अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो।

लक्ष्य – अनुसूचित जाति के कुल 44 विद्यार्थियों के लिए तथा अनुसूचित जनजाति के कुल 56 विद्यार्थियों के लिए।

प्रक्रिया – संकायवार स्नातकोत्तर मेरिट के आधार पर चयन सूची के क्रमानुसार संचालनालय द्वारा चयन किया जाता है।

लाभ –

1. छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से तीन वर्ष अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा होने तक जो पहले हो।
2. प्रतिमाह रू. 8000/– छात्रवृत्ति
3. नवीनीकरण हेतु गाईड से प्रगति प्रतिवेदन हर छ: माह अतिरिक्त संचालन को प्रस्तुत करना होगा।

विकलांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति –

लक्ष्य – 10 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष।

उद्देश्य – विकलांग विद्यार्थियों को शोध अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने तथा विशिष्ट विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने एवं सामाजिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गई है।

पात्रता –

1. म.प्र. का मूल निवासी।
2. किसी विश्वविद्यालय में पंजीयन।
3. स्नातकोत्तर में निर्धारित प्राप्तांक।
4. पलक आय सीमा 1 लाख तक।
5. विकलांगता प्रमाण पत्र।
6. अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं।

पात्रता – स्नातकोत्तर स्तर पर मेरिट सूची के आधार पर स्नातकोत्तर में नंबर एक जैसे हो तो एम.फिल को वरीयता।

लाभ –

पंजीयन पर	10,000 रू.
अनुसंधान प्रगति 60 प्रतिशत होने पर	30,000 रू.
अनुसंधान कार्य पूर्ण होने पर	60,000 रू.
कुल	1,00,000 रू.

नि:शक्त छात्रवृत्ति –

उद्देश्य – प्रदेश के नि:शक्त विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।

पात्रता – ऐसे नि:शक्त विद्यार्थी जो बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी., स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक स्नातक परीक्षाएँ प्रतिवर्ष लगातार उत्तीर्ण कर रहे हो।

प्रक्रिया – नि:शक्त छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आवेदक अपनी नि:शक्तता दर्शाते हुए फोटोग्राफ के साथ निशक्तता प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग में प्रस्तुत किए जाते है। सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण के बाद छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति –

उद्देश्य – मध्यप्रदेश के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान कर आर्थिक सहयोग दिया जाता है।

पात्रता – ऐसा उम्मीद्वार जो म.प्र. का मूल निवासी हो तथा भूमिहीन कृषक मजदूर के पुत्र/पुत्री हो। छात्र/छात्राओं के पालकों की आय 25000 रू. से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार का मान्य किया जाएगा।

प्रक्रिया – व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो। व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा, सामन्य शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम/संकाय सम्मिलित है। इन छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों का चयन एक समिति द्वारा समय सीमा में योग्यता के आधार पर अर्थात मैरिट के आधार पर उस वर्ष की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में से किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को 2500/– रू. वार्षिक पाठ्यक्रम समाप्ति तक अर्थात स्नातक अंतिम वर्ष तक देय होगी।

निष्कर्ष –

1. मध्यप्रदेश के आर्थिक नियोजनकारों ने सामाजिक परिदृश्य को देखकर आर्थिक सहायता की सुविधाएँ प्रदान की है। उनमें छात्रवृत्तियों का

महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इससे सम्पूर्ण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का विद्यार्थी लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि आर्थिक सहायता के द्वारा ही उत्कर्ष के परिणाम परिलक्षित होते हैं।

2. प्रदेश सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं की समग्र जानकारी से छात्र–छात्राए पूर्ण रूप से अवगत होकर लाभन्वित हो रहे हैं।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना जैसे कार्यक्रम क्रियान्वित हुए, जिसमें यह महसूस किया जाने लगा है कि इनका विकास पिछली योजनाओं की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में देखा गया है।
4. अनुसूचित जाति/जनजातियों के विद्यार्थियों के मन में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक ललक उत्पन्न हुई है।
5. विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है।
6. विद्यार्थी उच्च शिक्षा, मेडिकल तथा इंजीनियरितंग महाविद्यालय तक की शिक्षाएँ प्राप्त कर रहे हैं।
7. छात्र–छात्राओं के पालकों में भी शिक्षा के प्रति रूझान इतना अधिक देखा गया है कि लगभग पालक अब अपने लड़के/लड़कियों को शिक्षित करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. मीनाक्षी पँवार – जनजातियों के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2014
2. छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

****

भारत में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति - एक अध्ययन

साधना खराड़ी * डॉ. निशा वशिष्ठया **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र भारत में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के अध्ययन पर आधारित है। इसके अन्तर्गत महिलाओं की वैदिक काल से आधुनिक काल तक की जो समाज में स्थिति है उसका उल्लेख इसमें किया है। यह महिलाओं के राजनीतिक पहलुओं, लोकसभा एवं विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

प्रस्तावना – आज विकसित एवं विकासशील सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार करने तथा उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयास हर स्थान और हर स्तर पर किए जा रहे है। परिणामस्वरूप आज सभी स्थान एवं क्षेत्रों में महिलाओं को समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण विकसित हो रहा है। महिलाओं को प्रशासन एवं राजनीति में समानाधिकार प्रदान करने में अग्रणी देश अमेरिका, फ्रॉंस व ब्रिटेन है। इन देशों के साथ ही साम्यवादी देश रूस, ईरान जैसे कट्टरपंथी राष्ट्र, अल्पविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से शक्ति सम्पन्न बनाया जा रहा है। महिलाए वैश्विक राजनीति में अपनी प्रभावशाली भूमिका दर्ज कराने में सफल हो रही है। विश्व के अधिकांश देशों में आज महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी अन्तनिहित क्षमता के बल पर ऊँचाईयों को छू रही है। अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ नीति-निर्माणक संस्थाओं में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन कर रही है।

महिलाओं में नेतृत्व के गुण जन्मजात रूप से पाए जाते है। परिवार के कुछ मसलों पर महिलाएँ स्वयं ही निर्णय लेती है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएँ अपने निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग परिवार के साथ-साथ समुदाय में भी करे। संगठन अथवा महिला विकास के उद्देश्यों में से अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनकी सक्रिय सहभागिता हो।

भारत पहले ही प्राथमिक स्कूल प्रवेश में लैंगिक समानता हासिल कर चुका है। बजट 2016-17 में वित्तामंत्री ने 'बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ' जो कि विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग की संयुक्त पहल है, 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। जो कि स्वागत योग्य है, 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं' द्विआयामी योजना है। जिसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना और बेटियों को पढ़ाना है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. भारत की राजनीति में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन की शोध प्रविधि –प्रस्तुत शोध पत्र का विषय 'भारत में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना है। अध्ययन से संबंधित आँकड़ों का संकलन द्वितीय समंकों पर आधारित है। द्वितीय स्त्रोत से संबंधित पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, शोध एवं जर्नल, शासकीय प्रकाशन, समाचार पत्र, पूर्व शोध अध्ययन आदि से संकलन किया गया है।

भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति – भारत में महिलाओं का विकास तथा उनकी उन्नति समय के अनुसार धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती रही है। वैदिक युग से लेकर आज तक की महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। कहा जाता है कि – 'कोई भी समाज जितना सुसभ्य व सुसंस्कृत होगा, महिलाओं की स्थिति वहाँ पर उतनी ही श्रेष्ठ होगी।' महिलाओं की सामाजिक स्थिति के मामले में वैदिक युग को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। लेकिन इसके बाद के काल में महिलाओं की सामाजिक व धार्मिक स्थिति में परिवर्तन आना शुरु हो गया। इस समय सतीप्रथा, बाल-विवाह तथा बालिका हत्या जैसी कुरीतियों का जन्म हुआ।

भारत में अंग्रेजों के आगमन ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रारम्भ ने समाज को विचारों, मनोवृत्तियों व मूल्यों को काफी प्रभावित किया। साथ ही स्त्री-पुरुष की समानता को महत्व दिया जाने लगा। भारत में ऐसे अनेक कानून बने है, जो मूलत: स्त्रियों के अधिकार से संबंधित है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दु विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 तथा वेश्यावृत्ति (निवारण) अधिनियम 1956 इत्यादि। स्त्रियों की समस्याओं एवं समाधान हेतु एक अखिल भारतीय संगठन भी है। विभिन्न राज्यों में विकास निगमों की स्थापना की गई है। जो महिलाओं को तकनीकी परामर्श देने तथा बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण दिलाने एवं बाजार की सुविधा दिलाने का प्रयत्न करते है।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति – महिला विकास भारतीय राजनीति एवं समाज का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। महिलाएँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान एवं सहभागी इकाई है। अत: विधायी अभिकर्ता अर्थात् महिला विधायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं को सत्ता के स्वरूप निर्धारण तथा उसमें सहभागिता के लिए वैधानिक समानता एवं स्वतंत्रता प्राप्त है। किन्तु व्यावहारिक स्तर पर यह समानता एवं स्वतंत्रता दृष्टिगत

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

नहीं होती है। भारत की केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा लोकसभा में महिलाओं को मात्र 10.68 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त है। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सहभागिता से वंचित रखा गया। महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र वंचित तथा पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र माना गया।

महिला एवं पुरुष के अनुभव भिन्न-भिन्न होने के कारण राजनीतिक विषयों के संदर्भ में उनकी पृथक-पृथक प्राथमिकताएँ होती है। इस सन्दर्भ में यह माना जाता है कि विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि से महिला विधायक महिलाओं के हितों के पक्ष में विधायन करेगी जिससे महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार संभव हो सकेगा।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा महिलाओं के विकास हेतु 27 से भी अधिक योजनाओं की शुरुआत की गई है। ये योजनाएँ भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों जैसे - ग्रामीण विकास, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान व तकनीकी कल्याण, महिला व बाल विकास इत्यादि के द्वारा चलाए जाते है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता वाले कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये मुहैया कराती है।

निष्कर्ष - भारतीय समाज में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है। देश की आधी आबादी को राजनीति तथा विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित किए बिना देश की समृद्धि, सुदृढ़ सामाजिक संरचना एवं सर्वांगीण विकास की कल्पना करना नितान्त ही अव्यवहारिक होगा। नारी चेतना को जागरूक कराने हेतु राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं महिला संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में महिला उद्यमिता में भी प्रगति हुई है और आज अनेक महिलाएँ अपने स्वयं के कारखाने एवं उद्योग चला रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. मौर्य शैलेन्द्र (2011), महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
2. महावीर सुनिल (2013), भारत में महिला सशक्तिकरण विविध आयाम और चुनौतियाँ, आविष्कार पब्लिकेशन, जबलपुर
3. राउन एन. यू. (2013) : 'महिला सुरक्षा एवं समाज', सत्यम पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स, जयपुर
4. सारस्वत स्वप्निल, सिंह डॉ. निशांत (2004), 'समाज, राजनीति और महिलाएँ (दशा और दिशा)', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली - 110002
5. योजना पत्रिका (मार्च 2016)

****

भारतीय सामाजिक समरसता में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव

मनीषा दीक्षित *

प्रस्तावना – सन् 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त् मुगल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया। राजनैतिक अराजकता की स्थितियाँ हर तरफ व्याप्त हो गयी। इसी कारण सें भारतीय समाज असुरक्षा एवं अस्थिरता की जाल में फसता चला गया।[1] जनप्रचलित हिन्दू धर्म अपने नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों, उदान्तता तथा पवित्रता से वंचितप्राय था। समाज एवं धर्म में अंधविश्वास,पाखण्ड,कुरीतियों कुप्रथाओं का बोलबाला था।

बालिकावध, बालविवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा जैसे अनेक कुप्रथाऐं भारतीय समाज में विद्यमान थी। इसी प्रकार जातपात, अस्पृश्यता, महिलाओं को पर्दे में रखना तथा गुलाम जैसी सामाजिक प्रणालियाँ शास्त्रोचित समझी गए इसीलिए उन्हें विधिसम्मत तथा गौरव की बात मान लिया गया, जिनका आधार अंधविश्वास तथा अज्ञानता थी। सारा सामाजिक ढांचा अन्याय तथा असमानता पर आधारित था। समाज भंयकर रूप सें पिछड़ गया उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी तथा वह दिशाहीन था।[2] परन्तु ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कुछ ऐसी ऐतिहासिक शक्तियाँ सक्रिय थी जिनके कारण से भविष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाले थे। ब्रिटिश सत्ता के स्थापित होने के फलस्वरूप भारत में पाश्चात्य उद्देश्य का भी प्रचार हुआ। अंग्रेज राजनीतिज्ञो ने भारत में पाश्चात्य उद्देश्य का प्रारम्भ केवल ऐसे वर्ग को उत्पन्न करने के लिए किया जो बाहरी रूप में तो भारतीय हो लेकिन अन्दर से उसकी मनोवृत्ति तथा संस्कृति पूरी तरह से पश्चिमी हो क्योंकि उन्हें अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु ऐसे दब्बू वर्ग की आवश्यकता थी।[4] यद्यपि लार्ड मैकाले ने भारतीय सभ्यता को घटिया बताकर भूल की, लेकिन वह आत्मा से चाहता था कि भारत के लोग पाश्चात्य विज्ञान और चिन्तन से अच्छी तरह परिचित हो। 1857 में मद्रास ,बम्बई तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके पूर्व दिनांक 2 फरवरी 1835 का मैकाले के मिनिट्स तथा 9 जुलाई 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच द्धारा भारत में पाश्चात्य उद्देश्य प्रणाली की शुरूआत हुई।[5]

अंग्रेजो की राजनीतिक गतिविधियों प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा आर्थिक शोषण के साथ ही साथ भारतीय जनजीवन में पश्चिम के तमाम आधुनिक विचारों एवं ज्ञान का भी प्रवेश हुआ। भारतीय समाज पर उनके प्रबुद्ध एवं विकसित विचारो का तुरन्त ही असर हुआ तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति का भी श्री गणेश प्रारम्भ हुआ। पाश्चात्य उद्देश्य ने भारत में एक नये प्रकार के बौद्धिक और राजनीतिक जीवन की नीव डाली। आधुनिक बंगाल के निर्माताओं में यदि सब नहीं तो अधिकांश ऐसे है। जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षण संस्थाओं से उद्देश्य पायी थी। राजा राम मोहन राय, अरविन्द, विवेकानन्द, जे.सी तथा पी.सी.राय आदि सभी ने पाश्चात्य उद्देश्य से उच्च उपाधियाँ प्राप्त की।

यही बाते महाराष्ट्र में प्रतीत होती है आर.के भण्डारकर,महादेव गोविन्द रानाडे, तिलक,आगरकर,तथा गोखले इत्यादि अंग्रेजी उद्देश्य की उपज थे। गांधी जी ने पाश्चात्य उद्देश्य की ऊँचे स्वर से निन्दा की, लेकिन उनके पास भी लंदन की विधि उपाधि थी। नेहरू जी तो पाश्चात्य उद्देश्य के बीच ही पले बढ़े थे। अंग्रेजी भाषा के प्रति किया गया निर्णय दोनों हेतु अच्छा रहा। इसका प्रत्यक्ष लाभ जहाँ शासन को हुआ वही अप्रत्यक्ष लाभ भारतीय पुनर्जागरण को भी प्राप्त हुआ। अंग्रेजी उद्देश्य एवं साहित्य के सम्पर्क में आनें सें भारतीयों को अन्य देशों के राष्ट्रीय विचारों को पढ़ने समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ।[6] उन्होंने मिल,हरबर्ट स्पेन्सर मिल्टन लॉक और रूसो आदि को पढा, इससे ये राष्ट्रीयता और लोकतंत्र के महत्व को समझने में सफल हुऐ। अंग्रेजों की संसदात्मक व्यवस्था विधि शासन एवं लोकतांत्रिक अधिकारो की स्थिति को आत्मसात् किया।[7] वे फ्रास की राजक्रान्ति से भी प्रेरित हुये। अमेरिका की स्वतंत्रता ने उन्हें नवीन दृष्टि प्रदान की। वे रूस की साम्यवादी क्रान्ति से लाभान्वित हुए। आयलैण्ड की गृहयुद्ध ने उन्हें अपने स्वराज्य की प्राप्ति हेतु उकसाया। भारतीयो ने अनुभव किया कि यदि जर्मनी तथा इटली के लोग अपनी स्वतंत्रता और एकता को प्राप्त कर सकते है, तो वे भी वैसा ही कर सकते है। उन देशों के जीते जागते आदर्श ने भारतीयो के मन में अपने देश की स्वतंत्रता हेतु लड़ने की भावना उत्पन्न की। अंग्रेजी शासन ने भारत को एकता के सूत्र में बांधकर भावी राष्ट्रीय जागृति का मार्ग प्रशस्त किया।[8]

पाश्चात्य उद्देश्य ने समाज एवं धर्म में अनेक वांछित सुधारों को प्रेरित किया। भारतीय संस्कृति से आधारभूत रूप सें भिन्न मानी जाने वाली, विश्वास की अपेक्षा तर्क बुद्धि को श्रेष्ठ मानने वाली तथा व्यक्ति की भावना को बाह्य बन्धनों से अधिक महत्व प्रदान करने वाली पश्चिमी संस्कृति सभ्यता ने सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक अधिकारों की नयी चेतना को जन्म दिया जिसके फलस्वरूप भारतीयो ने, असंगत परम्परावाद एवं अन्धविश्वास पर आधारित, सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक प्रथाओं परम्पराओं को मानने से इन्कार किया और उन्हें अब तर्क तथा बुद्धि की कसौटी पर कसने लगे।[9] भारतीय सभ्यता धर्म और समाज व्यवस्था से उनका विश्वास उठने लगा और एक समय ऐसा भी आया जब यह प्रतीत होने लगा कि सम्पूर्ण भारत पश्चिमी सभ्यता का दास हो जायेगा, परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नही रही। भारतीयों को अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप के अन्वेषण की प्रेरणा भी प्राप्त हुयी। भारतीयों में अपने धर्म एवं संस्कृति की महानता के प्रति गौरव एवं सम्मान की भावना पनपने लगी साथ ही इनमे आ गई बुराईयों को दूर करने की ओर भी प्रवृत्त हुए। भारतीयों का ध्यान अस्पृश्यता, असमानता, स्त्रियों की निम्न स्थिति, सती प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह, पर्दाप्रथा, देवदासी प्रणाली, स्त्री उद्देश्य के अभाव, निरक्षरता, विवाह विच्छेद

* शोधार्थी (इतिहास) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

आदि सामाजिक बुराईयों की ओर आकृष्ट हुआ और इसके विरूद्ध आन्दोलन चलाए गए। नये ज्ञान के प्रकाशन में ईश्वर द्वारा आदेशित माने जाने वाले अनेक सामाजिक दोष मनुष्य की मुर्खता के रूप में देखे जाने लगे। मानवतावादी दृष्टिकोण ने समाज एवं धर्म सुधार आन्दोलन को प्रेरणा प्रदान की।[10] राजा राम मोहन राय व ब्रह्म समाज का इसमे अग्रणी स्थान है, इस आन्दोलन ने जातिपाति के भेद को दूर करने के साथ एकेश्वरवाद का समर्थन एवं मूर्ति पूजा का खण्डन एवं सती प्रथा का अन्त भी किया।[11] संसदीय लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पाश्चात्य उद्देश्य का वरण एवं न्यायिक तथा प्रशासनिक सुधारों के समर्थन में उन्होने अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये।

धर्म एवं समाज सुधार आन्दोलन के अध्ययन में दूसरा प्रमुख नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती का है। अपने गहन संस्कृति ज्ञान द्वारा उन्होंने वेदों की पुन: प्रतिष्ठा की तथा जनमानस में भारतीय संस्कृति धर्म एवं प्राचीन साहित्य के महत्व को स्थापित किया। वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नायक थे और विदेशी धर्म तथा विदेशी राज्य की दासता के घोर विद्रोही थे।[12] समाज सुधार की दृष्टि से उन्होने जातिप्रथा विरोध, विधवा विवाह समर्थन तथा हरिजनोद्धार का प्रगतिशील कार्य किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चितंन में उग्र राष्ट्रवाद का समावेश किया। उनका ध्येय भारतीयों के मानस में आत्मविश्वास उत्पन्न करना था ताकि वे स्वतंत्रता का वरण कर सके। उन्होंने वेदान्त तथा उपनिषद् के दार्शनिक तत्वो को साधारण जनता तक पहुँचाया तथा भारतीय संस्कृति के मग्न स्तम्भों का नवीनीकरण किया।[13] श्री मती एनी बेसेन्ट ने थियोसोफिकल सोसायटी द्वारा भारत के प्राचीन गौरव एवं सम्मान का भाव भारतीयों में जागृत किया। पाश्चात्य सभ्यता एवं साहित्य की अंधभक्ति द्वारा भारतीयों में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जो ग्लानि एवं अचेष्टा उत्पन्न हो गयी थी। उसको श्री मती बेसेन्ट ने दूर कर सनातन हिन्दू सिद्धान्तों में अपनी एवं देश विदेश के सहस्त्रो नरनारियों में निष्ठा उत्पन्न की।[14]

ईसाई मिशनरियों ब्रह्मसमाज, रामकृष्णमिशन आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी ,दलितवर्ग मिशन तथा गाँधी जी के हरिजन उद्धार आन्दोलन और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों ने दलित के उत्थान में सहायता पहुँचायी। ये सारे आन्दोलन अंग्रेजी उद्देश्य की ही देन थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यदुनाथ सरकार, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब खण्ड-5 पृ0 264
2. शैलेन्द्र प्रसाद पॉदरी, आधुनिक भारतीय नवजागरण पृ0
3. एन.एन.लॉ, प्रोमोशन ऑफ लर्निंग इन इण्डिया बाई अर्ली यूरोपियन सोटिलर्स पृ0 7-8
4. मैकाले मिनट बाई जिलानर, एजूकेशन इन इण्डिया पृ0 60
5. सिलेक्शन्स फ्रॉम एजूकेशनल रिकार्ड्स ऑफ गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया खण्ड-1 पृ0 284-285
6. वी.पी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पृ0 2
7. डॉ. कैलाशचन्द जैन, आधुनिक भारत पृ0 12
8. ए.आर. देसाई, सोशल बैक ग्राउड ऑफ इण्डियन नेशनलिज्म पृ0 209
9. जे. बी. ब्यूरी, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ थॉट पृ0 127-128
10. डी. एस.शर्मा, हिन्दूइज्मथू द एजेज पृ0 68
11. डॉ. तारा चन्द्र, हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेन्ट इन इण्डिया पृ0 96-97
12. सत्यार्थ प्रकाश, वैदिक यन्त्रालय अजमेर संस्करण 34 पृ0 12
13. स्वामी विवेकानन्द, मार्डन इण्डिया पृ0 21-75
14. दी बेसेन्ट स्पिरिट भाग-3 पृ0 103

****

Contemporary Challenges For Girls Education And Their Dropout Rate In Rural Areas - Specially Their Safety Issues In Education

Amita Joshi * Dr. Prarthana Nigam **

Abstract - this paper discusses how perception of personal safety, security, poverty and other extraneous variables impact on school dropout rate and enrollment of rural girls in India. It mainly focuses on threats of education spread in Indian rural society about girls' education. These security fears can include insecurity that girls suffer from as they go to school, may through the use of unsafe routes; insecurity that girls feel at school and the insecurity they suffer from their homes. Although poverty can be a source and/ or an indicator of insecurity, this paper does not focus solely on poverty. The paper relies on quantitative data collected in rural area of Rajgarh district in M.P. the paper analyses data from individual interview and questionnaire based on impact of education attainment. The conclusion in this paper is that insecure feeling may have a negative impact on schooling. As a result, enhanced accessibility of education in rural area, sensitization of parents about girls' education and safety issues handled by GOs, NGOs and public partnerships can also improve school strength.

Introduction - "The best thermometer of the progress of a nation is its treatment of its women." –Swami Vivekanand.

As we know that India is an independent country but still, the condition of girls is always been a matter of grave concern especially in rural areas. Time has changed but attitude toward girls have never been changed so far. In the era of modernization also girls have to fight for their equal rights.

It is very true that women in India are given a place of Goddess Laxmi in Indian society. However we also cannot ignore the negative aspect of women position in India. Every day and every minute of same woman of all walks of life (a mother, a sister, a wife, a young girl and girl baby children) are getting harassed, molested, assaulted and violated at various place all over the country. Areas like streets, public places, public transports have been the territory of women and girls hunters. Girl students studying in the school or colleges have to shield themselves through books or bags or they have to wear clothes which can cover them completely. In some cases a girl child is sale by her parents just to earn some money. Girls generally face acid attacks on streets and kidnapping for the sex purpose by strangers.

There's an African proverb which goes "If you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate an entire Nation" and this is the single most important thing that our country needs to understand at this moment. In 2015, 3.7 million eligible girls were out of school and in rural areas girls receive an average of fewer than four years of education. In country where 21.9% of population is below its poverty limit, it does not come as a surprise that poverty is the major obstacle that limits education for girls.

But the poverty is not the only thing that is disrupting the fundamental right of education amongst Indian girls, there are many more contributing factors such as safety, distance of school form the corresponding villages, lack of sanitation facilities in schools, shortage of female teacher, gender bias in curriculum absence of support from their respective families and this list is never ending. There is a common belief among rural households that girls should stop schooling after reaching puberty because more often than not they are tested by boys throughout the long walk from their home to school. India has the number of child bride in Asia and inevitable there is this dogma surrounding young girls that educating them is a waste of time and money as they are borne only to be married off and manage the household. In rural households and especially amongst the poor, the girl child is a valuable resource for house work and in the fields, an additional hand that cannot be wasted away through an education with almost invisible gains and for too heavy a price that most rural and poor families cannot afford to pay.

Methodology -

Objectives –

1. To find out the issues of school dropouts in rural girls.
2. To know the attitude of parents towards their daughter's education.

Hypothesis - there in no significant relationship between girls' safety and their school dropout rate.

On the basis of objectives and hypothesis the

*Research Scholar (Social Work) Madhav College, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
** Assistant Professor, Government Madhav Arts and Commerce College, Ujjain (M.P.) INDIA

investigator found it suitable to use descriptive survey method in the present study, non-probable purposive sampling was used in which the whole population was selected is easily accessible to the investigator, available subjects are simply entered into the dropout girls without any randomization. So that it solves the purpose of the researcher. In the present study data was collected from 50 respondent in which school dropout girls and the parents (especially mother) from rural area of district Rajgarh in M.P, in the equal proportion of 25:25. In order to collect data personal interview and questionnaire will be used and Chi- square test will be performed to test the hypothesis.

Findings and Discussion -

Causes of dropouts is perceived by parents

S.No.	Causes of dropout	Views (in %)
1	Safety	21.7
2	Poverty	19.0
3	Lack of interest	14.7
4	Parents death	10.3
5	H H chores	9.8
6	School at distance	8.0
7	Teacher attitude	5.3
8	Lack of free education	5.0
9	Migration	4.0
10	Lack of school	2.2

Source - completely based on field data.

The table above shows the reasons for girls leaving schools before the completion of primary, middle or secondary education. It is quite evident that safety is the dominant reason for girls dropping out from the schools. The cultural perceptions of society as parents do not want to sand their girls to school in the absence of proper safety or security. The culture is entrenched in the parents perception and 21.7 percent of them believed that girls leave school due to lack of safety. Another major reason is poverty. Parents remove their girl child from school because of their economic conditions and engage them in either domestic activities or make them work. As mentioned above it is a perception shared by many especially in rural areas that investment on boys' education benefits parents and family at large unlike on investment on girls' education which would not benefit parents.

More than 40% of parents believe that their girls are not interested in studies. One or both parents' death is also a factor that compels girls to leave school due to financial or psychological reasons.

More than 9% of the parents believed that enrollment in household activities force girls to leave school before completion of their education. They also felt that the girls always preferred to attend school close to home due to security reasons as discussed earlier.

Almost 8% of parents' stated that schools were located at vary long distances from home and girls were forced to stay at home, rather than continue their studies. Some parents said that the negative attitude of teachers, lack of free education, migration and unavailability of schools were also the contributing towards girls dropping out of school. However it should be mentioned that only 5% were of the view that lack of free education was a hindrance to girls' education.

Causes of drop out perceived by rural girls - The children are the recipients of education and therefore the focal point of the study on this issue. They are the one how are directly or indirectly impacted. Their views are therefore pivotal for the purposes of this study or any study on this topic. The figure below shows the responses on rural girls. **(Graph See in the last page)**

According to the girls the most compelling reason for not completing primary or secondary schooling was poor economic condition of their families which is 20.2%. parents also mentioned this as a major reason. There were numerous other reasons given which were held responsible for dropouts in rural girls. Prominent among these were 11.1% of lack of school facilities and 9.4% of involvement of household chores. 4.1 % of given girls held their brothers responsible for not sending them to schools. Girls also wanted to stop education because of they wanted to go an all-girls school instead of an co-education school is 4.7 %. Parents' illness and death is also contributed towards girls dropping out of school.

Hypothesis result - For testing hypothesis, researcher performed Chi-square test and following result is received- By performing X^2 test the calculated value of data is received 7.12, which has the table value of X^2 is 0.488 on the significance level of 0.5 and the degree of freedom of 4.

(Calculated value) 7.12 > 0.488 (Table value)

Hence null hypothesis that there is no significant deference between girls' safety and their school dropout rate, is rejected because safety of girls is dominant variable (reason) for dropping out rate in school in rural areas.

Readmission Effects - Despite the traditional reasons unearthed by the study, the majority of the parents wanted to send their girls to schools for primary or secondary education. Only 28% of parents did not want their girls to go to school because they wanted to involve them in household chores.

Table - Readmission Effects

No.	Re-admission effects	Views (in %)
1	Yes	72
2	No	28

Source- completely based on field data.

Conclusion - The study explores the reason behind dropouts in rural girls. The perception of the parents and girls were studied to find out possible reasons. The main reasons given by all parents for this were safety and security of girls and reason of low economic status of the family were given by both respondents (parents and girls) for continuing primary or secondary education. Other compelling reasons were the parents and child's interest in primary education, parent/s death, involvement in household chores and economic activities, low investment in girls' education is primarily due to perceived low returns

a described above. As is evident intra- household inequalities do exist and girls are victims of these.

Based on the findings the study proposes the following recommendations to improve rural girls' primary and secondary education -

- Parents must be sensitized regarding the investment on girls education.
- To address the safety and poverty education issues. NGOs, GOs and public partnerships must be established through fostering greater confidence of government on NGOs working in the education sector.
- Accessibility of education must be enhanced in rural areas, so that parents can send their girls to nearby schools without worrying about their safety.
- In the addition, the scope of incentives should not be limited only to the concession of the school fee on the girl students for low income families but should also be provided transport and lunch facilities for remarkable advancements in human development, in spite of serious internal conflicts and upheavals.
- In addition to providing for instructional materials it is necessary to invest in school structures including classrooms, libraries, gender sensitivities and providing a safe water supply in schools.

References:-

1. UNDP. 2010,½the millennium goal report ¼, United Nations Development programme , new york, USA.
2. UNICEF. 2007, ½ The State of the world's children 2008:child survival¼, United Nations Children's fund, new york USA .
3. National council of Educational Research and Training, 2000, ½ National curriculum Framework ¼, New Delhi.
4. Anandalakshmy, s (ed), 1994, ½ The Girl Child and the Family ¼, Department of women and child development , MHRD, Government of India, New Delhi.
5. Mathis .w, 2013, ½ Research Based Options for education Policy Making ¼, Dropout prevention , Boulder , CO : National Education policy centre.
6. American Psychological association, 2012, ½ Facing the School Dropout Dilemma ¼ washington D.C., author, Retrieved from www.apa.org/families/resources/school-dropout-prevention.aspz
7. Davies P.T,, Harold, GoekeMorey, M.c., and Cumminhs, E.M., 2002, ½ Child Emotional Security and Interpersonal Conflict.¼ Monographs of the Society foeResearch in Child Development, 67pp.1-113.
8. Government of India, 2010, select Educational Statistics,2008-09 (pp.III,XIX,12,61,85), ministry of human Resources Development, Department of higher Education.

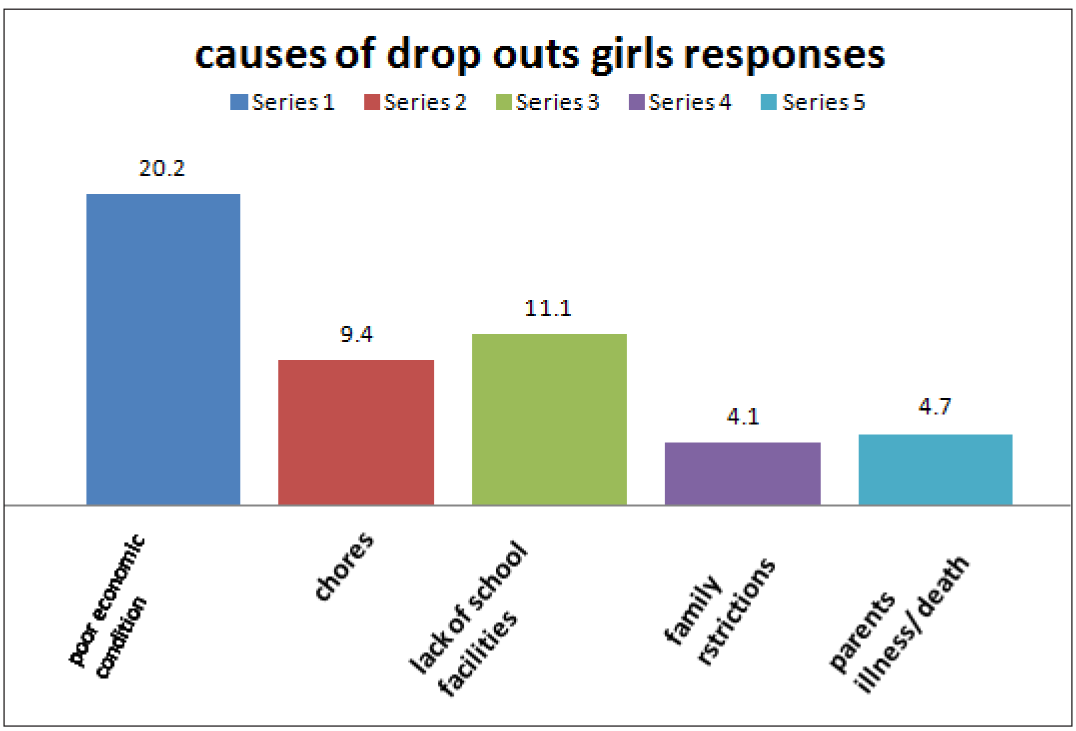

Source:- completely based on field data.

****

अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के शैक्षणिक विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका' - खरगोन जिले के विशेष सन्दर्भ में

मनीषा सावले * डॉ. प्रार्थना निगम **

शोध सारांश – बालिकाओं की शिक्षा सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा है कि 'यदि एक लड़का शिक्षित होता है, तो केवल वह स्वयं ही शिक्षित रहता है परन्तु एक लड़की शिक्षित होती है, तो वह दो परिवारों को शिक्षित करती है।' वर्ष 2009 में शिक्षा के अधिकार का विचार देते हुए इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भी की गई। उसके बाद नीति निर्माताओं में सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

प्रस्तुत शोध – पत्र में अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के शैक्षणिक विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका का अध्ययन किया गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए तथा उनमें शैक्षणिक विकास हो तथा शैक्षणिक असमानता और सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रस्तावना – जीवन को सांस्कृतिक एवं विवेकशील बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा मानव जीवन का सबसे आवश्यक संस्कार, सामाजिक परिवर्तन का आधार एवं आर्थिक उन्नति का एक सशक्त माध्यम है। संविधान की स्थापना करते समय राज्य की नीति निर्देशक सिद्धान्तों में सबके लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को शामिल किया गया। साथ ही सामाजिक भेदभाव मिटाने की सभी व्यवस्थाए सुनिश्चित करना।

साहित्य समीक्षा – योजना, जनवरी 2016 – एस श्री निवासराव ने वंचितो के लिए शिक्षा, चिंताएं, चुनौतियाँ और भावी योजनाओ से संबंधित यह स्पष्ट किया कि बच्चो की स्कूली शिक्षा जारी रखने और उन्हें स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने से रोकने के लिए सरकारो, स्कूलों और समुदायों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे समस्त बच्चों विशेषकर अनुसूचित जनजातीय बच्चों को स्कूलो में भेदभाव रहित वातावरण उपलब्ध कराए।

कुरूक्षेत्र, सितम्बर 2004 – रमेश नैयर ने जनजातीय क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की विवेचना की गई, जिसमें स्पष्ट किया कि जनजातीय क्षेत्रो में बालिकाओ की शिक्षा में उचित परिवर्तन नहीं हुआ है। जनजातीय क्षेत्रो में कई सरकारी प्रयास किए जा रहे है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हो।

अध्ययन विधि – प्रस्तुत शोध – प्रबंध में अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंको का संकलन अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूचि के माध्यम से किया गया है। साक्षात्कार – अनुसूची के माध्यम से शोध क्षेत्र खरगोन जिले की अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की 80 बालिकाओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. जनजातीय बालिकाओं को प्राप्त शासकीय योजना के लाभो का अध्ययन करना।
2. शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका एवं शैक्षणिक विकास में योगदान का अध्ययन करना।
3. शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा में निरन्तरता, कक्षाओं में उपस्थित एवं उनमें शैक्षणिक विकास का अध्ययन करना।
4. शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना।
5. शासकीय योजनाओं के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए वर्तमान में चल रही योजनाएँ प्रमुख है –

1. **गणवेश वितरण योजना –** शालाओं में नामांकन सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रायमरी एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं की बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश उपलब्ध कराए जाते है। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की सभी बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा गणवेश उपलब्ध हो रही है।
2. **शालाओं हेतु पुरस्कार –** बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली शालाओं हेतु पुरस्कार दिए जाते है।
3. **राज्य छात्रवृत्ति योजना –** अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े तथा पढ़ाई में उनकी रूचि बना रहे, इस उद्देश्य से छात्रवृत्ति दी जाती है।
4. **प्रावीण्य छात्रवृत्ति –** अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्रा को आर्थिक सहायता देकर अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
5. **साक्षरता प्रोत्साहन –** ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 6, 9 एवं 11 में प्रवेश लेती है, उनके प्रवेश लेने पर क्रमश: 500, 1000 एवं 3000

* शोधार्थी (समाजकार्य) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (समाजकार्य) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

रूपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त देय होती है।

6. अनुसूचित जनजाति के छात्रावास और आश्रम शालाएं –

इस योजना के तीन भाग है –

a. **प्रीमैट्रिक छात्रावास –** इन छात्रावासों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। छात्र – छात्राओ को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है।

b. **आश्रम शालाएं –** आश्रम शालाएं छात्राओं के लिए कक्षा 1 से 8 तक संचालित है।

c. **पोस्टमैट्रिक छात्रावास –** कक्षा 11वी एवं उससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है।

7. **मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम –** इसका उद्देश्य शिक्षा का लोक व्यापीकरण, विद्यार्थियों के पोशण सार में सुधार और छात्र – छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि और उपस्थिति में निरन्तरता लाना।

8. उत्कृष्ट छात्रावास योजना – 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 9 से 12 तक के मेधावी छात्राओं का गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

9. नि:शक्त छात्रवृत्ति योजना

शासकीय योजना के लाभो से संबधित –

तालिका क्र. 1

शैक्षणिक स्थिति सुधारने संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	नियमित स्कूल जाती है।	61	76.25
2.	नियमित स्कूल नही जाती है।	19	23.75
	योग	**80**	**100**

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से 76.25 प्रतिशत उत्तरदाओं को योजनाओं का लाभ मिला है जिससे इनमें शैक्षणिक स्थिति को सुधारने में बालिका विद्यालय जाने के लिए प्रेरित हुई है, जबकि 23.75 प्रतिशत नियमित उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इनकी संख्या कम पायी गयी।

तालिका क्र. 2

सर्वशिक्षा अभियान से शिक्षा में सुधार संबंधी शिक्षकों की भूमिका का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सकारात्मक अन्तर	49	61.25
2.	नकारात्मक अन्तर	31	38.75
	योग	**80**	**100**

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 61.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान जब से शुरू हुआ तब से लेकर वर्तमान तक शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। जबकि 38.75 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान से शिक्षा में सुधार नही हुआ है, उन्हे आज भी शिक्षा संबंधी समस्या होती है। क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता है।

तालिका क्र . 3

योजनाओ के लाभ से शाला में बालिकाओं ने प्रवेश लिया है, संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	शाला में प्रवेश लिया	61	76.25
2.	शाला में प्रवेश नही लिया	19	23.75
	योग	**80**	**100**

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 76.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं को योजनाओं का लाभ से शाला में प्रवेश लिया है 23.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं को योजनाओं के लाभ से शाला में प्रवेश नही लिया।

'शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा में निरन्तरता कक्षाओं में उपस्थिति एवं उनमें शैक्षणिक विकास का अध्ययन संबंधी' –

तालिका क्र. 4

शिक्षा में सकारात्मक अन्तर दिखाई दिया संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	उपस्थिति ज्यादा होना	24	30
2.	शिक्षा का स्तर ज्यादा होना	12	15
3.	भेदभाव कम होना	05	6.25
4.	उपरोक्त सभी	39	48.75
	योग	**80**	**100**

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 48.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उपरोक्त सभी में अन्तर दिखाई दिया। जबकि 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि शिक्षा के स्तर में ज्यादा अन्तर दिखाई दिया।

तालिका क्र . 5

शासकीय योजनाओ के क्रियान्वयन में बाधा संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	क्रियान्वयन में बाधा हुई	46	57.5
2.	क्रियान्वयन में बाधा नही हुई	34	42.5
	योग	**80**	**100**

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं मे से 57.5 प्रतिशत उत्तरदाओं को शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन मे बाधा होती है तथा जबकि 42.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा नहीं होती है।

तालिका क्र. 6

शासकीय योजनाओं के प्रति अभिभावको की जागरूकता संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अभिभावक जागरूक है	35	43.75
2.	अभिभावक जागरूक नहीं है	45	56.25
	योग	**80**	**100**

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 43.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि शासकीय योजनाओ के प्रति अभिभावकों में जागरूकता है तथा 56.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि शासकीय योजनाओं के प्रति अभिभावक जागरूक नही है।

तालिका क्र. 7

शासकीय योजनाओं के प्रति अभिभावको की रूचि संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	योजनाओं में रूचि है	54	67.5

2.	योजनाओं मे रूचि नहीं है	26	32.5
	योग	**80**	**100**

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से 67.5 प्रतिशत उत्तरदाताओ को योजनाओं के प्रति रूचि रखते है तथा 32.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को योजनाओं के प्रति रूचि नही है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण के आँकड़ो से प्राप्त शोध अध्ययन में यह देखा गया कि शासकीय योजनाओं के लाभों से बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति मे सुधार हो रहा है यह बालिकाएं नियमित स्कूल जाती है। जिनका प्रतिशत 76.25 अधिक पाया गया। साथ ही साथ अनेक छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं का लाभ ले रही है। और प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। चुकि अनुसूचित जनजाति की बालिका दूर दराज क्षेत्रो में निवास करती है जिससे वे अपनी शिक्षा पूर्ण करने में असमर्थ होती है। इसके लिए वे छात्रावास सुविधा पाकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर रही है।

सर्वशिक्षा अभियान से शिक्षा मे सुधार हुआ है। जिसका प्रतिशत 61.25 देखा गया। कि 63.75 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने कहा कि शासकीय योजनाओं के लाभ से इनके परिवारों मे शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। बालिकाओं की शिक्षा मे निरन्तरता कक्षाओ में उपस्थिति संबंधी सकारात्मक अन्तर दिखाई दिया, जो कि 71.25 प्रतिशत है।

सुझाव

1. वर्तमान में शिक्षा नीति रोजगारपरक न होने से प्रत्येक बच्चों को किताबी ज्ञान तक सीमित कर दिया जाता है। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार से मुक्त बाते निहीत हो जिसे बच्चे पढ़कर, सीखकर छात्राएं स्वय अपना रोजगार खोल सके।
2. स्कूलो में खेल हेतु मैदान व खेल सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चों की शैक्षणिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास संभव होगा।
3. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलो में खाद्यान योजना पहुँचाने की व्यवस्था अध्यापक को ने देकर विकासखण्ड स्तर के किसी कर्मचारी या अधिकारी को सौंपकर इसे अधिक सफल किया जा सकता है चूँकि अध्यापक को यह जिम्मेदारी शिक्षा विभाग द्धारा देकर शिक्षक बच्चो को पढ़ाने में कम रूचि लेता है।
4. अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं शैक्षणिक विकास के लिए सभी योजनाओं की जानकारी शिक्षको व अभिभावको को होनी चाहिए साथ ही शिक्षको को सभी योजनाओं संबंधी प्रशिक्षण होना चाहिए, जिससे इनके योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा न हो।
5. जनजातीय क्षेत्रो में जहाँ माध्यमिक शाला तक की सुविधा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल तक की व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही साथ शिक्षको की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. गिरी कुसुम (1977) – 'शिक्षा का समाजशास्त्र' रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
2. नैयर रमेश (2004) – 'जनजातिय क्षेत्र में बालिका शिक्षा' कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, *पेज. न. 34*
3. राव एम. श्री निवास (2016) – 'वंचितो के लिए शिक्षा – चिंताएं, चुनौतियां और भावी योजनाएं' योजना मासिक पत्रिका, *पेज न. 58*
4. सदगोपाल अनिल (2000) – 'शिक्षा मे बदलाव का सवाल' उत्तम नगर, नई दिल्ली।
5. आगे आये लाभ उठाये, (2011) – जनसंपर्क विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।

****

महिलाओं के सामाजिक एंव आर्थिक विकास में म. प्र. सरकार की योजनाओं का अध्ययन

प्रो. मीना जैन * हेमा परमार **

प्रस्तावना – सृष्टि की जन्मदात्री महिला ही है इसलिए पूर्वजों ने ऋषियों और स्मृतियों में महिला पूजा का विधान रखा तथा 'या देवी सर्व भूतेषू, शक्ति रुपेण संस्थिता' कहकर महिला की गरिमा को बढ़ाया। महिलाओं के प्रति सम्मान की परम्परा हमारे इतिहास से चली आ रही है, भारतीय संस्कृति का इतिहास महिलाओं के त्याग, बलिदान, कर्त्तव्यनिष्ठा, कार्य के प्रति समर्पण से भरा है। महिला पृथ्वी की तरह सहिष्णुता की मूरत है।

महिलाओं को मानव के सृजन में ही नही वरन् समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। महिला और पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते है। अनेक परिवारों से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता है। यदि हम विश्व इतिहास पर द्दष्टि डाले तो हमें यह पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम महिलाओं को ही दिया जाता है। परन्तु महिलाओं की प्रस्थिति सभी समाज में एक नहीं है। किसी समाज में यदि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया है, तो किसी समाज में उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम अधिकार प्राप्त है। विभिन्न क्षेत्रो नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न धर्मो और जाति समूहों में महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति और उससे जनित समस्याएँ बहुत विभिन्नताएँ रखती है। भारतीय समाज में महिला विकास समय के साथ-साथ उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहा है।

महिलाओं के विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्धारा आयोजित योजनाएं :

1. **रोजगार –** शिक्षित बेरोजगारों जिसमें महिलाएं भी शामिल है इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना और दीनदयाल रोजगार योजना में उघोग, व्यवसाय शुरु करने के लिए ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है। रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति,जनजाति स्वरोजगार योजना भी शिक्षित बेरोजगारों को खुद का रोजगार शुरु कराने के लिए है। ये तीनों योजनाएं उद्योग विभाग संचालित करता है।
2. **स्व सहायता समूह –** स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ब्लाक स्तर पर गठित स्व सहायता समूहों में से 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए है। महिला एंव बाल विकास विभाग द्धारा क्रियान्वित स्वयंसिध्दा योजना में तेरह जिलों के 36 विकासखण्डो में 3600 स्व सहायता समूह गठित किये जा चुके है। अब तक गठित समूहो में 41,000 महिलाएं सदस्य बनाई गई है।
3. **पुरस्कार–** राज्य की महिलाओं के लिए पुरस्कार योजना शुरु की गई है। इनमें एक रानी अंवतिबाई वीरता तथा दूसरा पुरस्कार राजमाता श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार है । योजना में पुरस्कृत महिला को 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रतीक, चिन्ह प्रशस्ति, पत्र दिए जाते है।
4. **किशोरी बालिका दिवस –** आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को किशोरी बालिकाओं को संतुलित आहार, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है।
5. **गांव की बेटी-प्रतिभा किरण योजना–** गांव की प्रतिभाशाली बेटी की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। उच्च शिक्षा विभाग द्धारा क्रियान्वित की जा रही है। 'गांव की बेटी योजना' के तहत गांव के स्कूल से 12 वीं कक्षा सर्वश्रेष्ठ अकों से उत्तीर्ण करने वाली बालिका को लाभ मिल रहा है। पात्र बालिका को 500 रुपये प्रतिमाह यानी कुल 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष की राशि उपलब्ध कराई जाती है।
6. **बेटी बचाओ अभियान–** बेटी बचाओं अभियान मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के व्यक्तिगत नेतृत्व के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्धारा की गई पहल है। लड़कियों के लिंग अनुपात में जारी गिरावट को रोकना और उससे जुडे सामाजिक असर और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना इस अभियान का उद्देश्य है।
7. **गणवेश–** अनूसुचित जाति की कक्षा एक से पांचवी तक बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश प्रदान किए जा रहे हैं पात्र हितग्राही बालिकाएं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी या पास के स्कूल से सम्पर्क कर योजना का लाभ उठा रही है।
8. **लाड़ली लक्ष्मी योजना–** महिला सशक्तिकरण के ठोस प्रयासो का परिणाम है, लाड़ली लक्ष्मी योजना। इस योजना में बालिका को 6 वीं कक्षा में 2 हजार रुपये और 11वी कक्षा में प्रवेश पर 7500 रुपये तथा उसके बाद 11-12 वीं की पढ़ाई के दोरान दो सौ रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे है।
9. **जन्म दिवस–** आंगनवाडी केन्द्रों पर माह विशेष में पड़ने वाले सभी बच्चों का सामुदायिक जन्मदिन मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बालक -बालिकाएं लाभान्वित हो रहे है।
10. **महिला डेयरी परियोजना–** महिला दुग्ध सहकारी का गठन,डेयरी व्यवसाय में महिला भागीदारी के लिए प्रोत्साहन, दूध संकलन, संसाधन और विपणन का प्रभावी संचालन तथा दूध उत्पादकों को उचित मूल्य के भुगतान के लिए पशु पालन विभाग द्धारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इसका लाभ महिला सहकारी दुग्ध समिति की ऐसी महिलाएं जो पशुपालन एंव डेयरी व्यवसाय में रुचि रखती है।
11. **उषा किरण योजना–**घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उषा किरण योजना लागू की गई है।योजना के तहत पीड़ित महिलाओं को परामर्श सेवा व विधिक

* प्राध्यापक (समाजशास्त्र) मा.ला.च. शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, खण्डवा (म. प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाज विज्ञान) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.) भारत

सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

12. स्वधारा योजना– स्वधारा योजना कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं को आश्रय,कपडे,पोषण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनके पुनर्वास के लिए चलाई जा रही है। मध्यप्रदेश में नौ आश्रय गृह एंव 61 हेल्पलाइन के प्रस्तावों पर स्वधारा योजना के संचालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सहमति दी गई है।

13. कानूनी सहायता– कानूनी सहायता की जरुरत वाली उत्पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संगठनों से विपत्तिग्रस्त महिलाओं को कानूनी सलाह दी जाती है।

14. खेलकूद– महिलाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने एवं प्रतिभाओं का आयोजन किया जाता है। इसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

15. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना– सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत रोजगार के अवसर सुरक्षित रखने का प्रावधान है। क्योंकि बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण बेरोजगार हो जाने की स्थिति में सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव महिलाओं व बच्चों पर ही पड़ता है। इस योजना में नगद राशि व अनाज दी जाती है।

16. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना –गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को योजना के तहत नि:शुल्क उपचार का लाभ दिया जाता है। प्रति परिवार के मान से 20000 रुपये की सीमा तक जांच एंव उपचार नि: शुल्क कराया जाता है।

17. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना–गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का ऐसा सदस्य जो कि कमाई करता हो ,की मुत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा दस हजार रुपए की एक मुश्त सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।

18. समस्याग्रस्त महिलाओं की सहायता – सामाजिक या आर्थिक रुप से गरीब महिलाओं को राज्य सरकार एंव गैर सरकारी संगठनो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

सरकारी संस्थाओं में प्रमुख नारी निकेतन संस्थाए है, जो इन्दौर, जबलपुर, सतना ,ग्वालियर में चलाई जा रही है। यहां कोई भी संकटग्रस्त या निराश्रित महिला आकर रह सकती है, जहां उसकी सुरक्षा खान पान इलाज प्रशिक्षण और पुनर्वास की नि:शुल्क व्यवस्था है।

19. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण एंव अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक विकासखण्ड पर गठित स्व–सहायता समूहों में से 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के होते है।

20. इन्दिरा आवास योजना – योजना के तहत ग्राम क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विशेषकर महिलाओं को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराए जाते है। इन आवासों में स्वच्छ शौचालय, और धुंआ रहित चूल्हों का निर्माण कराया जाता है।

21. विपत्तिग्रस्त महिलाओं के कानूनी सहायता – कोई भी उत्पीड़ित महिला या बच्चें जिन्हें कानूनी सहायता की जरुरत है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

22. महिला जाग्रति शिविर– महिलाओं के कानूनी अधिकार शासकीय योजनाओं की जानकारी देने और योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी विकासखण्डों में जाग्रति शिविर लगाए जाते है। इसका लाभ सभी महिलाएं ले सकती है।

23. विपदाग्रस्त महिलाओं की पुन: स्थापना के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना–वे आश्रित महिलाएं जो गरीबी रेखा में आती है। उन्हें योजना के तहत आवास, सुरक्षा, भोजन,स्वास्थ्य एंव रोजगार प्रदान किया जाता है। यह गैर सरकारी संगठनो से चलायी जाती है।

24. उषा किरण योजना – घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उषा किरण योजना लागू की गई है। योजना के तहत पीड़ित महिला को परामर्श सेवा से विधिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

25. समेकित बाल विकास परियोजना – प्रदेश में 367 समेकित बाल विकास परियोजनाएं तथा 238 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। प्रदेश के सभी ग्राम तथा नगर पंचायतों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कई सुविधाएँ और सेवाएँ दी जा रही है। हर मां एंव बच्चा स्वस्थ रहे इसके लिए शहर व गांव में आंगनवाडी केन्द्रो के माध्यम से सरकार द्वारा कई सरकारी योंजनाओं का संचालन किया गया है।

26. जननी सुरक्षा योजना –गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली गर्भवती महिला यदि अस्पताल में प्रसव कराती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए नकद दिए जाते है।

27. अन्नप्राशन योजना – अन्नप्राशन योजना आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को मातृ शिशु दिवस पर गांव की सभी महिलाओं को आंगनवाड़ी केन्द्र पर आंमत्रित करती है। केद्रों पर 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को ऊपरी आहार की शुरुआत की महत्ता एंव परिवार के अन्य सदस्यों को परामर्श दिया जाता है।

28. तेजस्विनी योजना – महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करने के लिए तेजस्विनी योजना महिलाओं को समाज में सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है।

29. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना – महिलाओं के आर्थिक एंव सामाजिक विकास करने के लिए यह योजना सरकार द्वारा प्रत्येक शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की गई है।

30. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना – सशक्त महिलाएं, समृद्ध समाज द्वारा ही महिलाओं का विकास किया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है।

सुझाव – महिलाओं के विकास हेतु शासन ने अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की है लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ सुझाव निम्नानुसार है –

1. महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।
2. सभी स्तरों पर स्वास्थ्य की देखभाल, स्तरीय शिक्षा, जीविका तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यसायिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सार्वजनिक पदों इत्यादि में महिलाओं की समान पहुंच हों।
3. राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी तथा निर्णय स्तर तक समान पहुँच हो।
4. राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सिविल सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त

मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वंत्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुत: उपयोग करना।

5. महिलाओं की पूर्ण क्षमताओं के प्रति महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक नीतियों के माध्यम से वातावरण का सृजन करना।

निष्कर्ष – वर्तमान सूचना एवं तकनीक युग में जहाँ महिलाओं के विकास एंव सशक्तिकरण की मांग को प्रशस्त किया है,वही इन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक स्थिति को बदला है, वही अपने कार्य संचालन में भी तमाम समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज का दौर महिलाओं के लिए चुनौती भरा दौर है, क्योंकि जितना संघर्ष महिलाओं के लिए किया जावेगा उतना ही उनको अधिकारिक तौर पर मजबूत बनाया जाएगा जिससे महिलाओं की स्थिति को और अधिक सुधारा जा सके।

अब समय आ गया है कि पुरुष और महिलाएं थोपी गई परम्पराओं से बाहर निकलकर कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़े। समानता पर आधारित पारिवारिक व सुव्यवस्थित सामाजिक प्रणाली विकसित करनी होगी, जिससे महिलाएं भेदभाव रहित व उत्साहवर्धक वातावरण पाकर अपनी निहित क्षमताओं का उपयोग करके वास्तविकता में सशक्त बने। इस प्रकार महिला उत्थान द्धारा समाज कल्याण का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, सुरेन्द्र एंव वर्मा, आर. वी. एस, 2001 'भारत में समाज कार्य के क्षेत्र' न्यू रायाला बुक कम्पनी लखनऊ।
2. राधा मुखर्जी: चिन्तन परम्परा जनवरी– जून 2015 समाज विज्ञान संस्थान बरेली (उ. प्र.) पृ क्र. 29
3. शोध छात्रा, श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशासी पी.जी.कालेज, परमानदपुर वाराणासी–चन्द्र बाहदुर सिंह, प्र.क्र. 87
4. नईदुनिया, 29 नवंबर 2016. पृ क्र. 2

****

स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका - झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में

नवनीता तिवारी *

प्रस्तावना - इस कथन में बिल्कुल संदेह नहीं हैं कि एक उत्तम सामाजिक विकास के लिए अंत: प्रेरणा से जो कार्य होते हैं, वे निश्चित ही व्यवहारिक एवं सकारात्मक परिणाम दायक होते हैं। जब मानव स्वयं सेवा हेतु तत्पर होता है तो उसकी आत्म शक्ति मुखर एवं उर्जावान होकर प्रबल हो उठती है, क्योंकि इसमें जन कल्याण की भावना निहित होती हैं जो कि पारमार्थिक कार्य है।

भारतीय संस्कृति अनादि काल से ही नि:स्वार्थ सेवा परायण रही है। भारत में ऐच्छिक समाज सेवा कार्यों की एक समृद्ध परम्परा रही है। हमारी सभ्यता और संस्कृति मूलत: अध्यात्मवाद तथा मानव कल्याण को संबंधित करने वाले प्रयासों को पोषित करती थी।

स्वयं सेवी संगठन जमीन से जुडकर कार्य करती है, तथा समानता व सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करती है। उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट है, कि मानव कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठन झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के सामाजिक विकास के सहायक की भूमिका का निर्वहन कर रहे है।

झुग्गी झोपडी का विकास तीव्र औद्योगिकरण तथा बढती हुई जनसंख्या का परिणाम है। धीरे-धीरे यह क्षेत्र झुग्गी झोपडी क्षेत्र में परिवर्तित होने लगता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप झुग्गी झोपड़ी प्राय: प्रत्येक नगर का एक भाग बन गयी है।

19वीं शताब्दीं के बाद से ही स्वयं सेवी संगठनों ने व्यवस्थित रूप से कार्य करना प्रारंभ किया, प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखा। आज ऐच्छिक सामाजिक कल्याण के व्यक्तिगत प्रयास स्वभावत: कम हो चुके है, ठीक इसके विपरीत पंजीकृत स्वयं सेवी संगठनों की संख्या स्वतंत्रता के बाद निरंतर वृद्धि पर हैं, क्योंकि आज अधिकांश कार्य स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से संपादित हो रहे है।

आज स्वयं सेवी संगठनों द्वारा इन क्षेत्रों में बाल श्रमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ-साथ इस क्षेत्र के रहवासियों को स्वयं से भी शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे है। स्वयं सेवी संगठन द्वारा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते है। जिसके कारण पुरूष व महिलाएं घरेलु कामकाज के अलावा, अन्य कार्य भी कर रही है, और घर की आर्थिक व्यवस्था में अपना सक्रिय सहयोग दे रही हैं।

झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में स्वयं सेवी संगठन द्वारा सभी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे है। इनमें बच्चों, बडों, महिलाओं, प्रोढों सभी के लिए समावेशित शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जा रहे है।

स्वयं सेवी संगठनों द्वारा इन क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड नाटकों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में बालश्रमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आदि कार्यक्रम चलाये जा रहें है। शिक्षा ज्ञान का प्रसार करती है, समाज में व्याप्त पाखण्ड, समस्याओं, बुराईयों, कुरीतियों एवं रूढियों से लोगों को मुक्ति दिलाती है और उनके स्थान पर वैज्ञानिक विचारों की स्थापना करती है। इससे समाज में सुधार और परिवर्तन आता है तथा स्वस्थ सन्तुलित और संगठित नवीन समाज की स्थापना होती है।

झुग्गी झोपडी क्षेत्र में स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा हैं, जो भी कार्यक्रम स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसका फंड उन्हें शासकीय योजना अंतर्गत मिलता हैं। जिससे वह कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।

स्वयं सेवी संगठन द्वारा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में व्यक्तियों में बचत की आदत को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें इस विषय में जागरूक बना रहें हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें ऋण आदि की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं, एवं नि:शुल्क रोजगार प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोडने का प्रयास कर रहे है। जिससे इन क्षेत्रों के रहवासी स्वयं से आगे बढने को प्रेरित हो रहे हैं।

अत: स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारें सामान्य जन नागरिकों के लाभ और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाती है और अपनी साधन सीमा में उनका क्रियान्वयन करती हैं, लेकिन प्राय: यह देखा जाता है कि उनके अथक प्रयासो के बावजुद न तो वह सारी योजनाएं और कार्यक्रम सभी तक पहुंच पाते हैं और न ही व्यापक रूप उनका लोगों को लाभ मिल पाता है। एक तरफ इधर लोगों में भी असंतोष और राज्य सरकारों के प्रति उपेक्षा उत्पन्न होती है, तो दुसरी तरफ सरकारें भी अपनी विफलता के कारण क्षुब्ध रहती है। चाहे इसके कितने भी कारण, जिसमें अपर्याप्त अथवा दोषपूर्ण योजना निर्माण , घटिया क्रियान्वयन अथवा संप्रेषण अयोग्य निष्पादनकर्ता वर्ग आदी शामिल है, रहते हों पर इन सबका एक मूल परिणाम यह हैं कि राज्य सरकारों की भावनानुकूल उसके प्रयास और कार्यक्रम लोगों तक नहीं पहुच पाते। संभवत: इस स्थिति ने ही अराजकीय संस्थाओं अथवा निजी स्वयंसेवी संस्थाओं को जन्म दिया हैं अथवा यदी यह कहे कि उपर्युक्त समस्याओं के कारण ही एन.जी.ओ. एवं पी.वी.ओ. की उत्पत्ति हुई है, जिनका मुख्य ध्येय ऐसी संकटमय स्थितियों से लोगों को छुटकारा दिलाना हैं, तो कोई त्रृटिपूर्ण नहीं है। स्वयंसेवी संगठनों के कार्य की सार्थकता तभी है जबकि सरकारी तंत्र से सहयोग सकारात्मक प्राप्त होता हैं। सातवी पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से लिखा है- विभिन्न विकास कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें लागु करने में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएगे। इसी कारण वर्तमान परिपेक्ष्य में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका हर सामाजिक क्षेत्र में बढी है।

अत: स्पष्ट है कि स्वयंसेवी संगठन महज सेवी ही नहीं देती है, बल्कि

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

इन कमजोर समुहों को भीतर से मजबूत करने का काम करती है। ताकि वे अपने मुद्दों को उठा सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। चेतना ही झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के निवासियों की जीवन निर्वाह के लिए मार्गदर्शक बन जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आप्टे गोपाल नारायण – एन.जी.ओ. कार्यप्रणाली, सिद्धांत व्यवहार कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
2. डॉ. कटारिया सुरेन्द्र पेज न. 184,185 – सामाजिक प्रशासन आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स।
3. डॉ. मिश्रा अनिल दत्त – कुरूक्षेत्र पेज न. 39 फरवरी 1988 ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनो की भूमिका।
4. डॉ. सक्सेना आभा – मलिन बस्ती की महिलाए अपराध और पुलिस क्लासिक पब्लिकेशन नई दिल्ली।
5. तिलारा कुंवरसिंह – समाज कार्य सिद्धांत और व्यवहार प्रकाशक केन्द्र, लखनउ।
6. पाण्डेय तेजस्कर, श्री ओजस्कर पाण्डेय – समाजकार्य भारत प्रशासन, लखनउ।

****

जालौर जिले की चितलवाना पंचायत समिति में मानव गरीबी का स्तर : एक ग्राम पंचायत स्तरीय भौगोलिक अध्ययन

सिद्धार्थ कुमार गौरव * दिलभाग **

शोध सारांश – देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास में प्रादेशिक असमानता को कम करने के लिए नब्बे के दशक में नियोजित विकास के मॉडल को अपनाया गया, लेकिन वर्तमान समय में आजाद भारत कई दशक गुजर जाने के बाद भी ग्रामीण समुदाय की परिस्थितियों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया हैं। आज भी देश के कुछ ग्रामीण हिस्सों को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में ग्रामीण आबादी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, भ्रष्टाचार, सामन्तवाद, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी जैसी कई समस्याओं से जूझ रही हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, उद्योग, एवं रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधा, संचार एवं परिवहन के साधनों के अभाव के कारण गरीबी का स्तर सर्वोच्च हैं। क्षेत्र में मानव गरीबी सूचकांक के स्तर का आंकलन करने पर ज्ञात होता है कि चितलवाना पंचायत समिति की खेजरियाली ग्राम पंचायत में मानव गरीबी का स्तर उच्च, जबकि केरीया ग्राम पंचायत में सबसे निम्न पाया जाता हैं।

शब्द कुंजी – नियोजित विकास, सामन्तवाद, गरीबी रेखा, कुपोषण, बेरोजगारी।

प्रस्तावना – गरीबी मूलत: वंचन से संबंधित हैं। गरीबी से तात्पर्य जीवन की कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहने से है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के उद्देश्य से कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें लकड़ावाला तथा तेन्दुलकर समिति प्रमुख हैं, लेकिन सामान्यत: भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण एवं गरीबी का आंकलन करने के लिए नीति आयोग (पूर्व योजना आयोग) के मापदंड को अपनाया जाता है। यह आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा पांच वर्ष के अंतराल पर निर्धनता अनुमान लगाता है। भारत में गरीबी के मापन के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग तथा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय दो मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इन मापदंडों के आधार पर भारत में गरीबी का पहला अनुमान 1962 में योजना आयोग द्वारा लगाया गया था। विश्व बैंक के अनुसार विकासशील एवं अल्पविकसित देशों के ऐसे व्यक्ति को गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है जिनकी प्रतिदिन की आय 1.25 अमेरिकी डॉलर से कम हो जबकि विकसित देशों के लिए यह 2 डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर सम्पूर्ण देश के लिए न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी निर्धारित की गई है। राजस्थान में ग्रामीण गरीबी हेतु निर्धारित गरीबी रेखा 755 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा 25.16 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 846 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा 28.2 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित मरूस्थलीय जिले सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अत: इन जिलों में रहने वाले लोगों में गरीबी का स्तर उच्च पाया जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृषि, उद्योग एवं रोजगार के अवसरों की कमी के कारण इन क्षेत्रों में गरीबी की प्रवृत्ति कई गुना बढ़ जाती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में जालौर जिले की चितलवाना पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव गरीबी सूचकांक के स्तर का आंकलन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन मानव गरीबी के स्तर का आंकलन करने के लिए जालौर जिले की चितलवाना पंचायत समिति का चयन किया गया है। यह पंचायत समिति पूर्णतया: ग्रामीण एवं नव सृजित पंचायत समिति हैं। जो मानव विकास की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं। यह पंचायत समिति राजस्थान राज्य के दक्षिण-पश्चिम भाग गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित है। इस पंचायत समिति के उत्तर में भीनमाल पंचायत समिति, पश्चिम में बाड़मेर जिला पूर्व में सांचोर पंचायत समिति तथा दक्षिण में गुजरात राज्य का बनासकांठा जिला अवस्थित हैं। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 1807 वर्ग किलोमीटर है, जो कि जिले के कुल क्षेत्रफल का 16.98 प्रतिशत है। पंचायत समिति की कुल जनसंख्या 210636 है। चितलवाना पंचायत समिति में 125 गांव एवं 31 ग्राम पंचायत है जिसमें 37594 परिवार रहते हैं।

मानचित्र : 1 अध्ययन क्षेत्र की स्थिति **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

शोध के उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन चितलवाना पंचायत समिति में मानव गरीबी के स्तर का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया।

1. पंचायत समिति में मानव गरीबी के स्तर का विश्लेषण करना।
2. पंचायत समिति में मानव गरीबी के स्तर के स्थानिक प्रारूप एवं वितरण का वर्णन करना।
3. पंचायत समिति में मानव गरीबी के लिए जिम्मेदार कारणों एवं उसके उचित समाधानों की खोज करना।

स्रोत एवं शोध विधि – यह अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित हैं। प्राथमिक आंकडे एकत्रित करने के लिए 31 ग्राम पंचायतों में से 31 ऐसे गांवों का चयन किया गया, जिसमें आधे से अधिक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इन 31 गांवों में से प्रत्येक गांव से 10

* शोधार्थी (भूगोल) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (भूगोल) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

परिवारों का सर्वेक्षण कर निरक्षरता का प्रतिशत तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच के आंकडे एकत्रित किए गए। बी.पी.एल. परिवारों के आंकडे बी.पी.एल. जनगणना 2002 से लिए गए हैं।

इस अध्ययन में गरीबी का स्तर ज्ञात करने के लिए परिवारों के जीवन स्तर, शैक्षणिक योग्यता एवं लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत का समग्र गरीबी स्तर का आंकलन निम्नलिखित तीन कारकों के आधार पर किया गया।

1. बी. पी. एल. परिवारों का प्रतिशत
2. बी. पी. एल. परिवारों की निरक्षरता का प्रतिशत
3. बी. पी. एल. परिवारों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का प्रतिशत

उपर्युक्त तीनों कारकों के आधार पर निम्न सूत्र की सहायता से समग्र गरीबी सूचकांक का आंकलन कर परिणाम को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं।

$$x = \frac{\text{Actual Value} - \text{Lowest Value}}{\text{Highest Value} - \text{Lowest Value}}$$

Where
x = Factor Value

अंत में प्रत्येक ग्राम पंचायत का HPI मूल्य का आंकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया गया।

$$HPI = \frac{\sum x}{n}$$

Where
x= Factor Value
n =Number of Factor

पंचायत समिति में मानव गरीबी का स्तर – पंचायत समिति में मानव गरीबी के स्तर का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि देश के अन्य क्षेत्रों की भांति चितलवाना पंचायत समिति में गरीबी का स्तर उच्च हैं। पंचायत समिति की खेजरियाली ग्राम पंचायत में मानव गरीबी का स्तर सर्वोच्च हैं जबकि केरीया ग्राम पंचायत में सबसे निम्न पाया जाता हैं। अध्ययन से स्पष्ट है कि पंचायत समिति की पांच ग्राम पंचायतों में मानव गरीबी का स्तर उच्चतम, 15 ग्राम पंचायतों में मध्यम, 7 ग्राम पंचायतों में निम्न तथा 4 ग्राम पंचायतों में निम्नतम हैं।(सारणी–2) अत: पंचायत समिति के अधिकांश परिवारों में गरीबी का स्तर सर्वोच्च हैं। पंचायत समिति में मानव गरीबी के स्तर का निम्नलिखित चार श्रेणियों में विश्लेषण किया गया है। (सारणी 2)

सारणी– 1 – चितलवाना पंचायत समिति में मानव गरीबी सूचकांक

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	X1	X2	X3	HPI
1	खेजरीयाली	0.706	1.000	1.000	0.848
2	सुराचन्द	0.843	0.706	0.886	0.812
3	काछेला	1.000	0.412	0.942	0.785
4	गोमी	0.800	0.588	0.857	0.748
5	केसूरी	0.743	0.617	0.228	0.729
6	भीमगुडा	0.643	0.588	0.676	0.636
7	डूंगरी	0.856	0.323	0.714	0.631
8	निम्बाऊ	0.357	0.823	0.617	0.599
9	टांपी	0.557	0.529	0.686	0.591
10	भाटकी	0.586	0.352	0.800	0.579
11	सूंथरी	0.486	0.414	0.828	0.576
12	होतीगांव	0.643	0.470	0.600	0.571
14	झाब	0.586	0.266	0.800	0.557
13	दूठवा	0.557	0.441	0.657	0.552
15	गुडा हेमा	0.543	0.353	0.743	0.546
16	रनोदर	0.743	0.088	0.800	0.544
17	डावल	0.643	0.294	0.657	0.531
18	जानवी	0.500	0.294	0.800	0.531
19	चितलवाना	0.614	0.382	0.571	0.522
20	जोड़ादर	0.457	0.529	0.594	0.500
21	परावा	0.357	0.382	0.743	0.494
22	सिवाड़ा	0.643	0.117	0.600	0.453
23	सेसावा	0.486	0.206	0.600	0.431
24	आकोली	0.300	0.206	0.657	0.388
25	इटादा	0.143	0.176	0.743	0.354
26	विरावा	0.257	0.235	0.457	0.316
27	देवड़ा	0.314	0.176	0.441	0.310
28	जोधावास	0.229	0.294	0.371	0.298
29	हाड़ेचा	0.643	0.235	0.000	0.293
30	डी.एस. ढाणी	0.428	0.000	0.428	0.285
31	केरीया	0.000	0.382	0.428	0.270

Source - Calculate by Authors

1. **उच्च मानव गरीबी स्तर –** चितलवाना पंचायत समिति की पांच ग्राम पंचायतों खेजरीयाली, सुराचंद, काछेला, गोमी, एवं केसूरी में मानव गरीबी का स्तर उच्च हैं, इन ग्राम पंचायतों का मानव गरीबी सूचकांक 0.700 से ऊपर हैं। अत: इन ग्राम पंचायतों को उच्च गरीबी स्तर में शामिल किया गया है। ये सभी गाँव निम्न लूणी नदी बेसीन में स्थित हैं। इस क्षेत्र में पुरातन जलौढ़ मिट्टी पाई जाती हैं लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होने के कारण इसमें कृषि करना सम्भव नहीं हैं। जिससे लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए इन ग्राम पंचायतों में गरीबी स्तर उच्च पाया जाता हैं।
2. **मध्यम मानव गरीबी स्तर–** मानव गरीबी सूचकांक 0.699 – 0.500 मान रखने वाली 15 ग्राम पंचायतों भीमगुडा, डूंगरी, निम्बाऊ, टांपी, भाटकी, सुथडी, होतीगांव, दूठवा, झाब, गुडाहेमा, रनोदर, डावल, जानवी, चितलवाना, एवं जोड़ादर, को गरीबी स्तर की माध्यम श्रेणी में रखा गया हैं। इन ग्राम ग्राम पंचायतों में भी रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं लेकिन कई गांवों में सिंचाई हेतु कम मात्रा में जल उपलब्ध हो जाने के कारण लोग सब्जियां की कृषि करते हैं, जिन्हें कुछ समय रोजगार मिल जाता हैं।
3. **निम्न मानव गरीबी स्तर –** पंचायत समिति की परावा, सिवाड़ा, सेसावा, आकोली, ईटादा, विरावा, तथा देवड़ा ग्राम पंचायत में मानव गरीबी का स्तर निम्न हैं। इन ग्राम पंचायतों का मानव गरीबी सूचकांक 0.499–0.300 के मध्य पाया गया हैं। इन ग्राम पंचायतो के अधिकांश गांवों में भूमिगत जल अन्य गाँवो की तुलना में सिंचाई के योग्य एवं मात्रा में उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर ये गाँव नर्मदा मुख्य नहर इन गांवों से होकर गुजरती हैं। अत: किसानों को वर्ष भर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध रहता हैं। इसलिए इन ग्राम पर्याप्त पंचायतों में लोगों का जीवन स्तर अन्य गांवों की तुलना में उच्च होने क कारण मानव गरीबी का स्तर निम्न पाया जाता हैं।
4. **निम्नतम मानव गरीबी स्तर –** चितलवाना पंचायत समिति की जोधावास, हाड़ेचा, डी.एस.ढाणी, केरीया ग्राम पंचायत में मानव गरीबी

का स्तर निम्नतम पाया गया। इन ग्राम पंचायतों का मानव गरीबी सूचकांक 0.299 से नीचे हैं। इन गांवों में सरकारी कर्मचारी अधिक हैं जिससे गरीबी का स्तर निम्न है। हाड़ेचा गाँव पंचायत समिति का सबसे विकसित गाँव है जो सुविधा संपन्न हैं लेकिन साक्षरता की कमी है। इन ग्राम पंचायतो में बेहतर रोजगार के साथ–साथ अवसंरचनात्मक विकास अच्छा होने के कारण गरीबी का स्तर निम्नतम हैं।

सारणी– 2 व मानचित्र 2 – (देखे आगे पृष्ठ पर)

निष्कर्ष एवं सुझाव – पंचायत समिति में मानव गरीबी के स्तर का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि देश के अन्य क्षेत्रों की भांति चितलवाना पंचायत समिति में गरीबी सर्वोच्च स्तर पर हैं। इस पंचायत समिति की 31 में 20 ग्राम पंचायतों में गरीबी का स्तर उच्च है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र में गरीबी का प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कमी हैं। अत: इस में कृषि, उद्योग, परिवहन एवं सांचार के साधनों का बेहतर विकास कर लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता हैं। नर्मदा नहर परियोजना चितलवाना पंचायत समिति के विकास में रीढ़ की हड्डी हैं लेकिन इसमें कई खामिया होने के कारण क्षेत्र के विकास मे गौण साबित हो रही हैं। इस परियोजना में सुधार कर लोगों तक जल पहुंचा कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता हैं। साथ ही क्षेत्र में मानव विकास में प्रादेशिक असमानता कम करने के लिए चितलवाना पंचायत समिति के सभी गाँवो के सतत विकास पर जोर देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. BPL Census Survey 2002 Government of Rajasthan, Jaipur
2. District Census Handbook 2011, District Jalore, Rajasthan
3. Doi, R. D. and Singh, V .V, (2001). Levels of Development in Moti Sagar Watershed (Banas Basin, Tonk District) Based on Infrastructure Development Facilities, Studies in Geography, Vol.19 pp.7-18.
4. Joshi, Hemlata. (2005). Human Poverty Index at Panchyat Samiti Level Rajasthan- 2001 Indian journal of Regional Science. Vol. 37 No. 1. pp 47 – 62
6. Naseer, Yasmeen (2004). Levels of Development: A Case Study of Western Plain of Uttar Pradesh. Geographical Review of India. Vol.66 No. 4, pp. 350-60.
6. Nayak, L.T. and Narayankar, D.S. (2009). Identification of Regional Disparities in levels of development in Bellary District-Karnataka Indian Journal of Regional Science, Vol. 41, No.1, pp.37-47.
7. Swarnakar Premlata & Gauav Shhidarth Kumar (2017), चितलवाना पंचायत समिति में मानव गरीबी सूचकांक 2016,International research journal of multidisciplinary studies Vol. 3, No. 7, P.P. 1-7

मानचित्र – 1 अध्ययन क्षेत्र की स्थिति

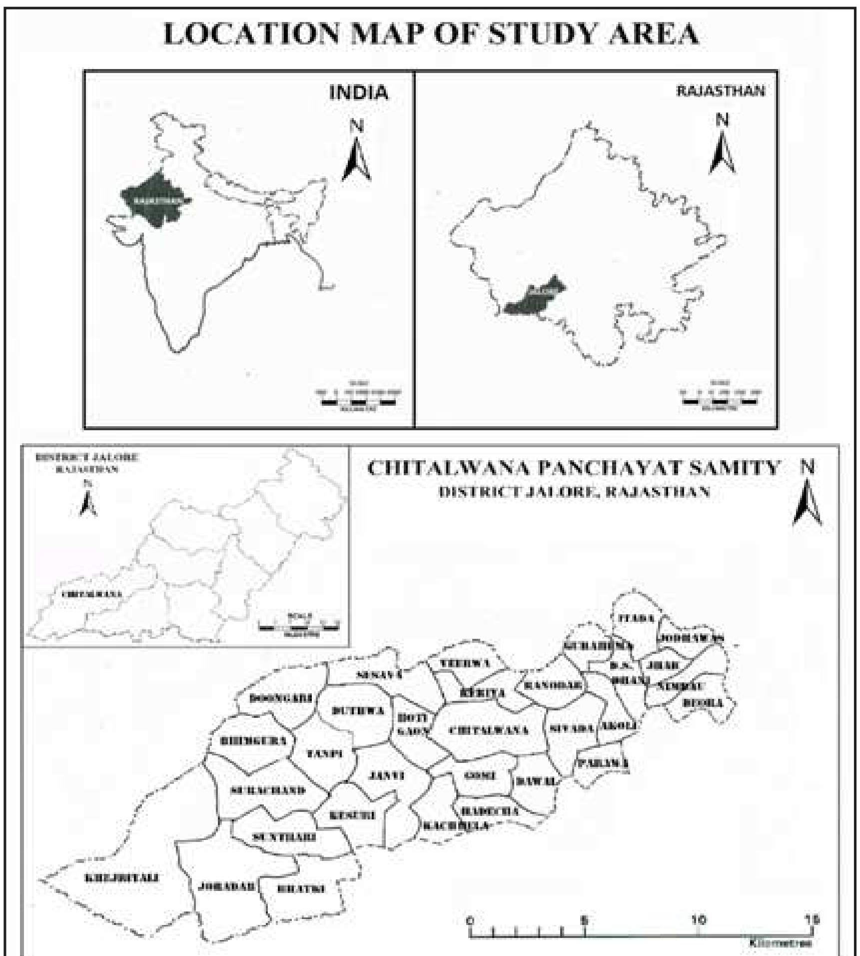

Source: Calculate by Authors

सारणी– 2 – चितलवाना पंचायत समिति में मानव गरीबी के स्तर का वितरण

क्र. सं.	श्रेणी	ग्राम पंचायत
1.	High HPI 0-700 Above5 ग्राम पंचायत	खेजरीयाली, सूराचन्द, काछेला, गोमी, केसूरी
2.	Medium HPI 0.699 - 0.50015 ग्राम पंचायत	भीमगुडा, डूंगरी, निम्बाऊ, टांपी, भाटकी, सुथडी, होतीगांव, दूठवा, झाब, गुडाहेमा, रनोदर, डावल, जानवी, चितलवाना, जोड़ादर,
3.	Low HPI 0.499 - 0.300 ग्राम पंचायत	परावा, सिवाड़ा, सेसावा, आकोली, ईटादा, विरावा, देवड़ा
4.	Very Low HPI 0-299 Below 4 ग्राम पंचायत	जोधावास, हाड़ेचा, डी.एस.ढाणी, केरीया

Source - Calculate by Authors

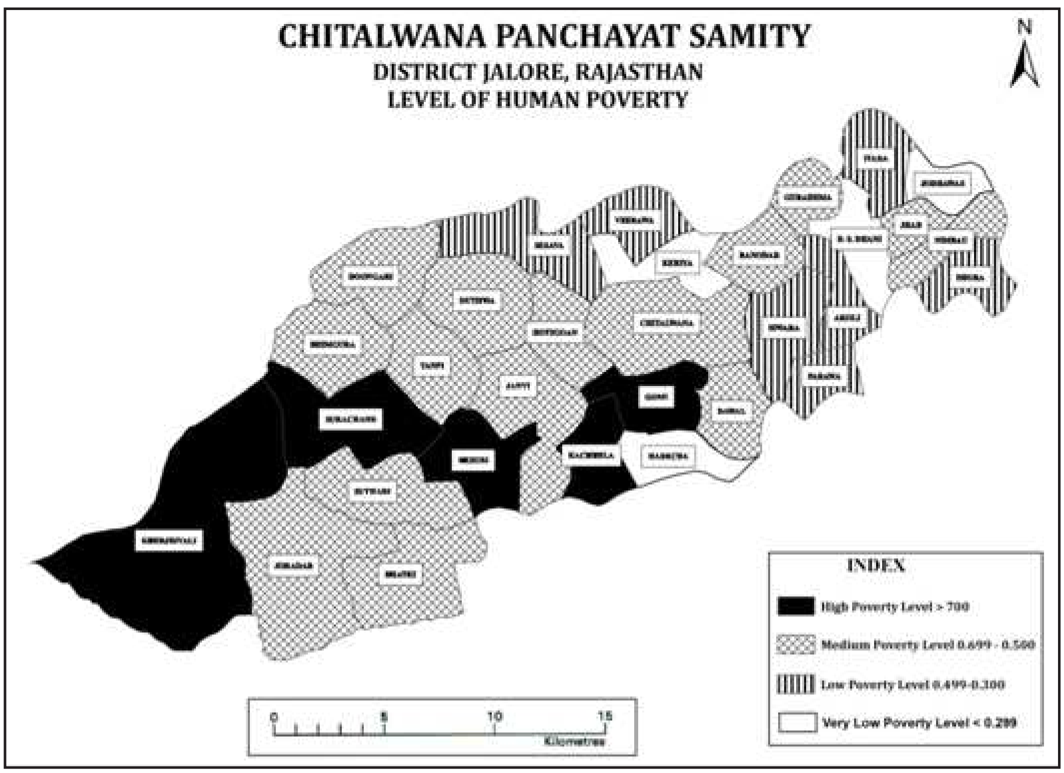

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के दर्शनीय स्थलों का भौगोलिक परिचय

डॉ. फरखन्दा नूरीन फिरदौसी *

प्रस्तावना – 15 अगस्त 1947 ई0 को देश को अंग्रेजी शासन से आजादी मिलने के बाद रीवा रियासत बुन्देलखंड की 34 रियासतों को मिलाकर विन्ध्यप्रदेश का गठन किया गया। उमरिया जिला रीवा रियासत का एक भाग था तथा रीवा राज्य के 22 वें प्रशासक विक्रमादित्य के शासन के मध्यकाल तक उमरिया रीवा राज्य की राजधानी रही हैं। वर्ष 1952 ई0 को बाद उमरिया में स्थित समस्त सरकारी मुख्यालय धीरे-धीरे शहडोल को स्थानांतरित होते रहें। 1 नवम्बर 1956 ई0 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ और उमरिया को शहडोल जिले में शामिल किया गया। 6 जुलाई 1998 ई0 को उमरिया को जिले का दर्जा मिला।

उमरिया पूर्व में तीन तहसीलों मानपुर, पाली एवं बांधवगढ़ (करकेली) में विभाजित थी। चौथी तहसील के रूप में चंदियां एवं पांचवी तहसील के रूप में नौरोजाबाद को शामिल किया गया है। इस प्रकार उमरिया जिलें में वर्तमान में 5 तहसीलों (मानपुर, पाली, बांधवगढ़, चंदिया,नौरोजाबाद तथा 3 विकास खण्ड) बांधवगढ़, पाली और मानपुर है। 14 जून 2008 ई0 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के 10 वें संभाग के रूप में शहडोल संभाग बनाया गया है। शहडोल संभाग के अन्तर्गत शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तथा डिंडौरी जिलों (कुल 4 जिले) को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में उमरिया जिला शहडोल संभाग के अन्तर्गत आता है।

प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल – उमरिया जिले के प्रसिद्ध दर्शनीय एवं पर्यटक स्थलों में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ का किला, मणिबाग, मंदिर, सागरेश्वर मंदिर, बिरासिनी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, तथा डमरार जलाशय प्रमुख है। उमरिया जिले के उपर्युक्त दर्शनीय स्थलों का विवरण निम्नानुसार है –

1. **बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान –** उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी विख्यात राष्ट्रीय उद्यान है। उमरिया रेल्वे स्टेशन से 33 कि0मी0 की दूरी पर उमरिया-रीवा सड़क मार्ग पर स्थित बांधगवढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाधों (White Tiger) के लिए विश्व विख्यात है। 437 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाधों के अतिरिक्त तेन्दुआ, चीतल, साँभर, नीलगाय, हिरण आदि वन्य जीव तथा कई विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते है। भारत सरकार द्वारा 1968 ई0 में स्थापित इस राष्ट्रीय उद्यान को 1993 ई0 में प्रोजेक्ट टाईगर में शामिल किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 छोटी-बड़ी पहाड़ियों के समूहों से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख पर्यटक आते हैं, जिनमें से लगभग 75 हजार विदेशी तथा 25 हजार देश के पर्यटक/सैलानी होते है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 कि0मी0 में एक बाघ (Tiger) पाया जाता है। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य दिनों में यह राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए खुला रहता है।

2. **बांधवगढ़ का किला –** उमरिया रेल्वे स्टेशन से लगभग 40 कि0मी0 की दूरी पर उमरिया-रीवा सड़क मार्ग पर स्थित बांधवगढ़ किला एक प्राचीन किला है। समुद्रतल से 2662 फिट की ऊँचाई पर बांधव नामक पहाड़ी पर स्थित यह किला 32 अन्य छोटी-बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आम लोगों के लिए यह किला रामनवमी तथा जन्माष्टमी पर्वो पर खोला जाता हैं, तथा विशेष अनुमति लेकर भी इस किले के नाम पर ही उमरिया जिले की एक तहसील का नाम बांधवगढ़ रखा गया हैं।

बांधवगढ़ का किला देश के प्राचीन किलों में से एक माना जाता है। यह किला चारों ओर से घने जंगलों के बीच में स्थित हैं। किले तक पहुंचने के लिए सीधी एवं खड़ी चट्टानों को पार करते हुए सावधानी पूर्वक चलना पड़ता हैं तथा किले तक पैदल पहुँचने के लगभग 2 घंटे का समय लगता हैं। बांधवगढ़ के किले के समीप ही ताला नामक ग्राम स्थित हैं, जो कि मानपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत आता हैं।

बांधवगढ़ का यह क्षेत्र प्राचीनकाल में मद्यवंशीय राजाओं की राजधानी थी। बांधवगढ़ में बघेल राजाओं का शासन 13वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। गुजरात के राजा कर्ण का विवाह हयवंशी त्रिपुरी के कल्चुरी शासक सोमदत्त की पुत्री पद्मकुंवर से हुआ था, और बांधवगढ़ का दुर्ग राजा कर्ण को दहेज में प्राप्त हुआ था। बाद में तत्कालीन गहोरा के राजा रामचंद्र बघेल ने 1562 ई0 में अपनी राजधानी गहोरा से स्थानांतरित कर बांधवगढ़ बनाई। बांधवगढ़ का किला प्राचीन एवं अमेद्य था, इसलिए अन्य शासक भी इसे जीतना चाहते थें, परन्तु वे सफल नहीं हो सके। 1597 ई0 में मुगल सम्राट अकबर ने बांधवगढ़ के इस प्रसिद्ध किले को जीत लिया तथा 1602 ई0 तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा, फिर यह किला पुन: बघेल राजाओं को मुगलों ने दे दिया। 16 वीं-17वीं शताब्दीं में बांधवगढ़ के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजाधानी बांधवगढ़ से हटाकर रीवा कर लिया। जनश्रुति के अनुसार यह किला भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने बनवाया था। परन्तु आधुनिक इतिहासकार ऐसा नहीं मानते है। आधुनिक इतिहासकार इस किले को 9-10 वीं शताब्दीं में निर्मित कल्चुरी कालीन किला मानते है। किले के रास्ते में जाते समय मार्ग में पत्थरों को काटकर बनाया गया अस्तबल हैं, जहाँ पर पत्थरों के स्तंभों में छेद करके घोड़ों को बांधा जाता था। यह अस्तबल अभी भी अच्छी हालत में है। कुछ दूर आगे चलने पर चट्टानों को काट कर बनाई गई कचेहरी (अदालत) हैं, जिसमें मुकदमों का निपटारा किया जाता था। इसके आगे भगवान विष्णु की शेषशाई प्रतिमा है जो कि विशाल पत्थर को काटकर बनाई गई है। इसकी लम्बाई 34 एवं चौड़ाई 14’ है। प्रतिमा के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं,

* (भूगोल) वार्ड नं. 15 घरौला मोहल्ला, शहडोल (म.प्र.) भारत

जिसे हिन्दू मान्यताओं के आधार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा कहा जाता हैं। प्रतिमा के पैर से एक पतली जलधारा प्रवाहित होती हैं, जिसे स्थानीय लोग 'चरण गंगा' कहते हैं। प्रतिमा के पास ही एक शिव लिंग भी है। इस प्रतिमा का निर्माण कल्चुरी राजा युवराज देव के मंत्री गोल्लक ने 10वीं शताब्दी में कराया था। किले के अंदर प्रवेश करने का एक ही रास्ता है। किले के मुख्य द्वार को कर्णपोल दरवाजा कहा जाता , क्योंकि स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इस दरवाजे का निर्माण हैं हयवंशी कल्चुरी राजा कर्ण ने करवाया था। किले के अन्दर भगवान विष्णु की वामन अवतार प्रतिमा हैं, जो लगभग 19 फुट ऊँची हैं। किले के अन्दर ही पत्थरों पर बड़ी सी कच्छप (कछुए) की प्रतिमा हैं, जिसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस प्रतिमा से कुछ ही दूरी पर मत्स्य प्रतिमा हैं, जो विशाल पाषाण से निर्मित है। मत्स्य प्रतिमा से थोड़ी दूरी पर वाराह की मूर्ति हैं, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। उक्त दोनों प्रतिमाएं कल्चुरी कालीन हैं, जो लगभग 10वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। बांधवगढ़ राजा रामचन्द्र द्वारा लगभग 1662-65 ई0 के मध्य निर्मित मोतीमहल तथा बांधवाधीश मंदिर हैं। मोतीमहल राजा का निवास स्थल या तथा बांधवाधीश मंदिर बघेल राजाओं के कुलदेवता का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति है। किले के अन्दर उक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त अन्य कई दर्शनीय मूर्तियां हैं। किले में कई सरोवर थें, जिनमें से वर्तमान समय में 3-4 सरोवर ही ऐसे हैं, जिनमें साफ जल रहता हैं, बाकी सूख गए हैं। इस तरह प्राचीन किले को देखने हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते है। साथ ही प्राकृतिक वातावरण का आनंद तथा वन्य जीव के अवलोकन हेतु यह बहुत ही अच्छा स्थल है।

3. **सगरा मंदिर** - उमरिया रेल्वे स्टेशन के समीप ही यह भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर खजुराहों शैली में निर्मित मूर्तियों की नक्काशी की हुई है। मंदिर से लगा हुआ तालाब तथा कब्रगाह है।

4. **ज्वालामुखी मंदिर** - उमरिया रेल्वे स्टेशन से लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर ज्वालामुखी देवी का मंदिर है। यहाँ रामनवमी के अवसर पर जवारें रखे जाते हैं। इस देवी के नाम पर ही उमरिया शहर की एक कॉलोनी का नाम ज्वालामुखी कॉलोनी है।

5. **मणिबाग मंदिर** - उमरिया रेल्वे स्टेशन से लगभग 8 कि0मी0 की दूरी पर उमरिया-शहपुरा मार्ग पर स्थित यह भगवान शंकर का मंदिर हैं, जो कल्चुरी कालीन मंदिर है। उमरिया शहर से दूर घने जंगल के बीच में स्थित इस मंदिर के बाहरी भाग में अंकित आकृति खजुराहों मंदिरों की शैली की याद दिलाती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मंदिर का निवासियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था तथा कुछ लोग इसे चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित मानते हैं। एकांत स्थान एवं घने जंगल के मध्य स्थित यह मंदिर हजारों लोगों की आस्थाओं का प्रतीक हैं। प्राकृतिक वातावरण से पूर्ण यह मंदिर मन को शांति प्रदान करता है। इस मंदिर को देखने विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते हैं।

6. **बिरासिनी मंदिर** - उमरिया से 33 कि0मी0 की दूरी पर जिले के पाली विकासखण्ड में स्थित यह मंदिर बिरसिंहपुर पाली नगर के मध्य में स्थित है। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें 9-10 वीं शताब्दी में कल्चुरी कालीन बिरासिनी देवी की प्रतिमा है। बिरासिनी देवीं की प्रतिमा अत्यंत भव्य एवं मनोहरी हैं। जिले का यह सर्वाधिक धार्मिक प्रसिद्ध स्थल है। दशहरा एवं रामनवमी त्यौहरों के समय यहाँ विशाल जवारें का जुलूस निकलता है। जिसमें लाखों की संख्या में जवारे लिए औरतें/लड़कियाँ सड़कों पर निकलती हैं। इस जुलूस पर पाली की सड़को पर दूर-दूर तक जवारे की हरियाली दिखाई देती है। पाली का जवारे का जुलूस देशभर में प्रसिद्ध है।

7. **संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र** - उमरिया जिले के पाली विकास खण्ड में पाली नगर से 7 कि0मी0 की दूरी पर मंठार में स्थित संजय गाँधी ताप विद्युत गृह है। जिसमे ताप एवं जल दोनों प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसे देखने काफी संख्या में लोग जाते है।

8. **उमरार जलाशय** - उमरिया जिले के बांधवगढ़ करकेली तहसील के अन्तर्गत उमरिया से 8 कि0मी0 की दूरी पर उमरिया शहपुरा मार्ग में कारीमाटी गांव के समीप उमरार नदी पर यह जलाशय बनाया गया है। 9 मई 1973 को म0प्र0 के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचंद्र सेठी ने इस बांध का शिलान्यास किया था तथा यह बांध 1977-78 में बनकर तैयार हुआ । 197.37 लाख रू0 की लागत से निर्मित यह बांध अत्यंन्त विशाल हैं, बांध से कई नहरें निकाली गई है। वर्षा ऋतु में यह जलाशय लबालव भरा रहता है। एकांत स्थल पर निर्मित इस जलाशय को देखने काफी संख्या में लोग आते है। उमरिया नगर के लोगों के लिए यह एक पिकनिक स्थल है। यहाँ गर्मियों के दिनों में शाम के समय भारी संख्या में लोग आते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शहडोल जिले का गजेटियर।
2. जिलाध्यक्ष कार्यालय उमरिया म.प्र. से प्राप्त जानकारी।
3. शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण।

****

इक्कीसवी सदी में स्त्रीत्व के मानचित्र का औचित्य

सुधा जैन *

प्रस्तावना – स्त्री के बिना हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि स्त्री न केवल परिवार वरन् समाज की भी धुरी होती है। ईश्वर प्रदत्त मातृत्व क्षमता ने उसे जीवनदायिनी होने के पवित्र गौरव से महामान्वित किया है। सृष्टि के प्रारम्भ काल से ही वह भिन्न-भिन्न रूपों में समाज एवं परिवार को आकार एवं दिशा देती चली आ रही है। वर्तमान इक्कीसवी सदी में स्त्री को लेकर चारों ओर चर्चाएं चल रही है, अधिवेशन बुलाए जा रहे है, सेमिनार हो रहे है। समस्त विश्व में स्त्री के लेकर चिन्तन-मनन एवं विचार-विमर्श किया जा रहा है। नये-नये नियम कानून बनाए जा रहे है। वस्तुत: 21वीं सदी में नारी के उत्थान, उसके विकास, समानाधिकार आदि की आवाजे विचारक, सुधारक, राजनेता इत्यादि उठा रहे है। महिला सशक्तीकरण 21वीं सदी में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है।

21वीं सदी में महिला कितनी समक्ष है, कितनी त्रस्त है यह शोध का विषय है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस सदी में दुनिया में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा मिली है। शिक्षित होकर स्त्री ने अपने अधिकारों को समझकर स्वालम्बन के रास्ते अपनाए हैं। फिर भी इक्कीसवीं सदी के 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी स्त्री की स्थिति में ऐसे परिवर्तन नहीं हुए हैं जिनके आधार पर यह कह सके की स्त्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं सुरक्षित है। हमारा समाज स्त्री के बगैर अधूरा है। स्त्री-पुरूष रथ के दो पहिए है, जो एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। अर्थात् समाज निर्माण के लिए स्त्री एवं पुरूष दोनों के अस्तित्व का होना जरूरी है। स्त्री हमें माँ, बेटी, पत्नी आदि के रूप में मिलती है। इस संबंध में निर्मला पुतुल अपनी कविता में लिखती हैं –

‘क्या तुम जानते हो
पुरूष से भिन्न
एक स्त्री का एकान्त ?
घर, प्रेम और जाति से अलग
एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन
के बारे में बता सकते हो तुम ?
बता सकते हो
सदियों से अपना घर तलाशती
एक बेचैन स्त्री को
उसके घर का पता।’

समाज में स्त्री को पूर्ण रूप से मुक्ति कब मिलेगी ? यह विचारणीय प्रश्न है। आजाद परिन्दे की तरह वह कब उड़ेगी ? अपने अस्तित्व को कब बचा पाएगी ? इन सब के लिए सभी को आगे आना होगा और सबसे पहले स्त्री को ! 21वीं सदी में स्त्री की दशा एवं दिशा में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते है। महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। स्वयं सेवी संगठन भी महिलाओं के उत्थान के लिए सक्रिय भूमिकाएँ निभा रही है। अत: समाज एवं राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए स्त्रियों का योगदान आवश्यक है। स्वामी विवेकानन्द ने भी इस संबंध में कहा है – ‘स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना विश्व का कल्याण सम्भव नहीं है। एक पंख से समाज रूपी चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती।’[53] नारी को अपना अधिकार जानने के लिए सामने आना होगा इसके लिए आवश्यक हो कि वह जागरूक हो यह तभी सम्भव है, जब वह शिक्षित हो। उद्देश्य के बिना वह अपना अस्तित्व नहीं बचा सकती।

नारी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। वह शारीरिक बल से चाहे पुरूष से कम रहती हो पर आत्मिक, नैतिक, करूणा, सहनशीलता, भावुकता आदि में ज्यादा होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी को अनेक यातनाएँ सहन करनी पड़ रही है, दिन-प्रतिदिन उसका शोषण बढ़ रहा है। सामाजिक अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में विचार-विमर्श करना अत्यन्त जरूरी है। आज नारी समाज में यौन-शोषण, दहेज प्रथा, लिंगानुपात, बलात्कार आदि से ग्रस्त है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि 21वीं सदी में नारी स्वतंत्र है, वह अपने अधिकार के प्रति जागरूक है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। समाज में प्रत्येक नारी तब स्वतंत्र होगी जब वह शिक्षित होगी, और वह अपने अधिकार के प्रति जागरूक होगी –

‘एक स्त्री यथार्थ में
जितना अधिक घिरती जाती है इससे
उतना ही अमूर्त होता चला जाता है,
सपने में वह सब कुछ अपनी कल्पना में हर रोज
एक ही समय में स्वयं को
हर बेचैन स्त्री तलाषती है
घर प्रेम और जाति से अलग
अपनी एक ऐसी जमीन
जो सिर्फ उसकी अपनी हो।’

आज के परिवेश में स्त्री अपने महत्व को पहचानने में सफल हो रही है, किन्तु समाज में नारी के प्रति शोषण एवं उत्पीड़न की घटनाएँ निरन्तर बढ़ रही है। आज नारी अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रही है। फिर भी आज देखा जा रहा कि महिलाएँ शासन, प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रही है, महिलाएँ वायुयान चला रही है, अंतरिक्ष में भी जा चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की महिलाओं में जोश है, उत्साह है, ताजगी है और दृढ़ इच्छा है, आगे बढ़ने की, स्वाबलम्बी बनने की। वह पुरूष से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है फिर भी वह समझ लेना की वह स्वतंत्र है, गलत है क्योंकि हम

* जैन भवन बुढ़ार रोड, शहडोल (म.प्र.) भारत

ऐसे समाज में रहते है, जहाँ सिखाया जाता है कि स्त्री भले ही जहाज उड़ाने लगे लेकिन उसे घर के कार्य करने पड़ेंगे। समाज में इस पितृसत्तात्मक और रूढ़ मानसिकता से स्त्री की मुक्ति 21वीं सदी में भी नहीं हो पा रही है। आज भी समाज में पुत्री की अपेक्षा पुत्र के जन्म को अधिक महत्व दिया जाता है। किसी ने भी कभी स्त्री के भीतर खौलता उसका इतिहास पढ़ा है। उसके जीवन का अनुभव किया है, उसकी मासुमियत, उसकी संवेदना को जाना है कि कितनी सहनशील होती है स्त्री ! इस संबंध में निर्मला पुतुल ने अपनी कविता में लिखा है –

'तन के भूगोल से परे
एक स्त्री के मन की गांठे खोलकर
कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास ?
अगर नहीं !
तो फिर क्या जानते हो तुम
रसोई और बिस्तर से परे
एक स्त्री के बारे में।'

आज 21वीं सदी में महिला सशक्तकरण ने महिलाओं को स्वतंत्रता या मुक्ति की ओर अग्रसर किया है। वे अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रकट कर सकती है और अपने तौर तरीकों से जवीन–यापन कर सकती है। आवश्यकता है। उसमें उत्साह, जोश और दृढ़ता होनी चाहिए। साथ ही जरूरत है मानसिक सशक्तिकरण की। दरअसल नारी को अपनी सोच में भी बदलाव चाहिए यही वजह है कि वह आज भी अबला है, असहाय है, विवश है।

कामकाजी महिलाओं की स्थिति आज के संदर्भ में कुछ हद तक संतोषजनक मानी जा सकती है। लेकिन सर्विस–पेशे के दौरान किन–किन परिस्थितियों से उसे दो–चार होना पड़ता है, इसे नजरअन्दाज भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रभा खेतान का वक्तव्य है – 'बाहरी दुनिया में काम करते हुए अधिकतर स्त्रियों की मुख्य समस्या है गृहिणी और बच्चों के साथ स्वयं का सामंजस्य बैठाना। स्वाभाविक है कि किसी भी भूमिका का सही तरह से पालन न कर पाने के कारण वे अपराधबोध से ग्रस्त होती है। न वे अच्छी माँ बन पाती है और न कार्य जगत में एक कुशल पेशेवर। उसकी इस कमजोरी का फायदा व्यवस्था उठाती है। स्त्री के संदर्भ में प्रबन्धन कह देता है कि अपने कमतर एवं हीन स्थिति के लिए स्त्री स्वयं जिम्मेदार है। आप यदि आधे मन से काम करोगी तो पूरा पैसा कैसे मिलेगा ? व्यवस्थाकारों को सोचना होगा कि यह नैसर्गिक कारण है। एक स्त्री का माँ बनने के साथ–साथ पारिवारिक जिम्मेदारी को भी निभाना पड़ता है। आज स्त्री को चाहिए कि वह स्वयं आँखे खोले और अपनी बेहतरी के लिए स्वयं सामाजिक सांख्यिकी का निर्माण करे। मृदुला गर्ग का विचार है – 'आज हर प्रबुद्ध स्त्री के सामने चुनौती यह है कि, वह केवल स्त्री सम्बन्धी अन्याय का नहीं, पूरी राष्ट्रीय नीति का आंकलन करें। शिक्षित व समर्थ स्त्रियों के लिए पुरूषों के बराबर हम मांगने तक सीमित न रहें। आम औरत को अपने बराबर का हक दिलवाने के लिए भी तैयार हो और उसके लिए उपर्युक्त सामाजिक वातावरण बनाए। वर्ना हम इस भ्रांति में पड़े रहेंगे कि इक्का–दुक्का स्त्री के पहाड़ पर चढ़ लेने से पहाड़ स्त्री के अधीन हो गया है। वास्तविक सत्ता प्राप्त करने के लिए भ्रामक सत्ता का नशा छोड़ना होगा। वास्तविकता तो यह है कि किसी भी राष्ट्र का विकास बिना आधी आबादी को साथ लिए सम्भव ही नहीं है। स्त्री और पुरूष दोनों विकास के दो पहिये हैं और जब तक दोनों पहिये समान रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक किसी देश या राष्ट्र के विकास की परिकल्पना करना महज कोरा बकवास सिद्ध होगा।

नारी को जरूरत है मुक्ति की गाँवों से शहरों तक रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से, सड़ी–गली परम्पराओं से, दहेज से, पर्दा प्रथा से, विधवा, तलाक, बलात्कार जैसी संगीन समस्याओं पर सोच–विचार करने की और अनाचारी को न्यायालय तथा समाज से उचित दंड दिलवाने की तभी स्त्री समाज एवं परिवार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी।

स्त्री को सार्वजनिक जीवन में भी एक नागरिक रूप से पुरूषों के बराबर रहना चाहिए। अगर वास्तव में उन्हें पुरूषों के बराबर आना है, तो वहां लेडीज फर्स्ट कह कर स्वयं को कमजोर करने या महसूस करने का प्रयास न करें। धार्मिक रूप से महिलाओं को मानसिक दृढ़ता दिखानी चाहिए। जैसे शमशान में जाना एवं जहाँ उन्हें रोका जाता है, वहाँ भी जाने के लिए या जिन कार्यो में उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है, उन कार्यो को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। शादी की रस्में में भी बहुत–सी बुराईयाँ है। जैसे उपवास करना, जूठा खाना, कन्यादान करना आदि भी नारी को सदियों पीछे धकेलती है। इसके अलावा अगर हम अपने देश के विकास के प्रति चिन्तित है, तो सर्वप्रथम हमें समाज में लड़कियों के गिरते हुए अनुपात को तथा उनके साथ किए जा रहे भेदभाव पर चिन्तन करना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी यही कहना था कि – 'जब स्त्रियाँ आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ते है, गाँव आगे बढ़ते है और राष्ट्र भी अग्रसर होता है।'

सही मायने में यदि हम थोड़ा त्याग करे तो बहुत पाएगे। दो कदम तुम चलो दो कदम हम चले तभी समानता आएगी और वुमन लिबरेशन की लड़ाई आधी रह जायेगी। तभी हम गर्व से कह सकेंगे –

'नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में।
पीयूष स्त्रोत–सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।।'

यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो 21वीं सदी में नारी सशक्तिकरण का अर्थ है – नग्नता, उच्छंखलता और बाजारूपना यह सब हम विज्ञापनों, फिल्मों, टेली फिल्मों आदि में देख सकते हैं और जिसका व्यापक प्रभाव आज की पीढ़ी पर तेजी से हो रहा है। संस्कारों से दूर नारी बाजारू और बिकाऊ वस्तु के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। आज की कुछ नारियाँ इसी को सशक्तिकरण का रूप मान रही है। आज जरूरत है, नारी को अपनी कल्पनाएँ, दूरदर्शिता, व्यवहारशीलता के साथ मध्यम मार्ग को चुनना होगा, अपने आप को अतिवाद से बचाना होगा। तर्क, तथ्य एवं परिणाम पर ध्यान देकर अपना वर्चस्व सिद्ध करना ही सही रूप से सशक्तिकरण होगा। देखा जाए तो नारी, पुरूष प्रधान समाज में हर तरफ से समकक्ष एवं सक्षम है। उन्हें अपनी भूमिकाओं को समझकर एक स्वस्थ समाज की रचना में अपनी भागीदारी निभानी होगी। फिर कोई शोषण नहीं होगा केवल सम्मान और शौर्य होगा। मानवीय गुणों को विकसित करना और तर्क संगत, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण ही नारी सशक्तिकरण का लक्ष्य है।

आज के परिवेश में नारी को पुरूष के बराबर अधिकार मिले, उन्हें स्वतन्त्रता मिले, आर्थिक रूप से वे स्वाबलम्बी बने, अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति मिले आदि समस्याओं के निदान के लिए निम्नांकित उपाय करने की जरूरत है –

1. महिलाओं के विरूद्ध होने वाले हिंसा, अत्याचार, बलात्कार, शोषण जैसे विभिन्न अपराधों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण और उसका अतिषीघ्रता से निष्पादन करने की जरूरत है। तभी महिलाओं में विधायी व्यवस्था एवं प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा और वे समाज में अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में भयमुक्त होकर अपनी सहभागिता सुनिष्चित कर सकेगी।

2. महिलाओं में अब जागृति उत्पन्न किया जाए और उनके आत्म विश्वास को जगाया जाए ताकि वे अपने अधिकारों को भलीभांति समझ सके। इसके लिए महिला उद्देश्य की ठोस व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
3. उत्पीड़ित महिलाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. दहेज प्रथा से मुक्ति के लिए कठोर कदम उठाना होगा। इसके लिए स्वयं नारियों को आगे आने की आवश्यकता है।
5. महिलाओं के प्रति समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

समाज एवं राष्ट्र में नारियों की इतनी समस्याओं के बीच इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। इसी सदी में महिलाएँ तेजी से शिखर पर आरूढ़ हो रही है। कामयाबी के साथ उसकी समाजिक एवं आर्थिक तस्वीर बदल रही है। समाज के सभी पुरूष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में महिलाओं ने शानदार प्रवेश किया है। वर्तमान स्थिति में नारी ने जो साहस का परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उसका परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से प्रवेश हो चुका है। आगे आने वाला समय सिर्फ नारियों का होगा उनके कदमों को कोई नहीं रोक सकता। अत: 21वीं सदी में नारियों के उज्जवल भविष्य की सम्भावनाएँ सन्निहित है। इसी कामना एवं विश्वास के साथ ....

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महिला सशक्तिकरण - डॉ. सरिता पाण्डे, पृष्ठ - 18 प्रकाशक आशा पब्लिशिंग कम्पनी आगरा, सन् 1913-14
2. साहित्येतिहास में स्त्री-विमर्श-सं. डॉ. शिवचन्द्र, पृष्ठ - 160, प्रज्ञा प्रकाशन पटना 2010
3. निर्मला पुतुल - नगाड़े की तरह बजते शब्द, पृष्ठ - 9 भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन नई दिल्ली 2005
4. हंस - सं. राजेन्द्र यादव, पृष्ठ - 42 अक्टूबर 2003, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली ।
5. वसुधा - सं. स्वयं प्रकाश पृष्ठ - 69 नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली ।
6. चुकते नहीं सवाल - मृदुला गर्ग, सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली ।
7. कामायनी - जयशंकर प्रसाद, पृ. - 20 वाणी प्रकाशन नई दिल्ली ।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

मन्नू भंडारी की कहानियों में चरित्र वैविध्य - नारी के संदर्भ में

डॉ. जगदीश चौहान * डॉ. मंजुला जोशी **

प्रस्तावना - कहानी गद्य की वह विधा है, जिसमें कहानीकार अपने विचारों को एक विशिष्ट शैली एवं भाषा - प्रवाह में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। चूँकि साहित्य समाज के यथार्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए वर्तमान में घटने वाली घटनाएँ उसमें निश्चित रूप से प्रतिबिंबित होती है। साहित्य के पात्र समाज में क्रियाशील दिखाई देते हैं । साहित्यकार इन्हीं पात्रों को अपने साहित्य के ताने-बाने में सँजोकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं । उस साहित्य को पढ़कर पाठक आश्चर्य चकित हो जाता है कि यह सब तो हमारे आस-पास ही घटित हो रहा है। ये ही पात्र तो समाज में हमें चलते -फिरते व क्रियाशील दिखाई देते हैं।

कहानी या साहित्य की किसी भी विधा को जीवंत बनाने के लिये उस कहानीकार या साहित्यकार का मन-मस्तिष्क के साथ-साथ व्यक्तित्व भी उदात्त व प्रभावी होना चाहिए। वह अपने व्यक्तित्व की प्रभावशीलता से अपनी लेखन शैली व विचारार्थ व्यक्ति के चातुर्य से अपनी रचना को प्रभावी ढंग से साहित्य में प्रस्तुत कर सकता है।

मन्नूजी ने अपनी जीवन शैली जिस सादगी से बिताई है, उतनी सादगी उनकी कहानियों में भी मिलती है। जिस यथार्थ को उन्होंने भोगा है, वही उनके लेखन में भी अभिव्यक्ति पाता रहा है। उनके सादगीपूर्ण जीवन के संदर्भ में श्री गिरिराज किशोर ने अपने एक लेख में लिखा है कि - 'मन्नूजी की पहचान उस बिंदी से शुरू हुई थी और आज रचनाओं तक पहुँच गई है। .... मन्नूजी को पहली बार देखकर यह प्रश्न जरूर मन में आया कि क्या ये ही वो हैं, जो कहानियाँ लिखती है ? महिला कहानी लेखिकाओं को देखने और इन्हें एक विशिष्ट रूप में स्वीकार करने की आदत के फलस्वरूप मन्नूजी कहानी लेखिका उतनी नजर नहीं आती, जितनी घरेलू स्त्री।'[1]

मन्नूजी मूलत: शिक्षकीय पेशे से जुड़ी रही हैं, इसलिए साहित्य पढ़ने व लिखने की प्रवृत्ति उनमें स्वाभाविक रही है। इस संबंध में उन्होंने अपनी स्व-संपादित 'अपने से पर'य किताब में साहित्यकार के लिए कर्त्तव्य निर्धारित करते हुए लिखा है कि - 'एक अच्छा कहानी लेखक बनने से पहले अनिवार्य है, एक अच्छा कहानी पाठक बनना ।'[2]

उनकी इस बात की प्रामाणिकता हेतु कि वे अपने इस वचन या कथन का पालन करती हैं या नहीं, डॉ. श्रीमती अनिता राजूरकर का यह कथन प्रमाण है - 'उनके कमरे की लायब्रेरी में प्रेमचंद ,यशपाल से लेकर अभिमन्यु अनंत तक की समस्त पुस्तकें उपलब्ध हैं। वहाँ जयशंकर प्रसाद, चन्द्रकांत बांदिवदेकर, रामनगरकर, ममता कालिया, मीनाक्षी पुरी, शीला रोहेकर, मृदुला गर्ग, दिनेश कामू आदि सभी नये पुराने चर्चित-अचर्चित साहित्यकारों की पुस्तके देखी जा सकती है। दान क्विक्जोट और भारतीय संस्कृति जैसी पुस्तकें भी वहाँ मौजूद थी। मन्नूजी ने शरतचन्द्र, प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय आदि का संपूर्ण साहित्य पढा है और उनसे प्रभावित भी हुई है।'[3]

जो साहित्यकार इतने साहित्यकारों के साहित्य को सतत् अध्ययन करता हो, उसके साहित्य से उसके गंभीर चिन्तन से समाज का कोई पक्ष अछूता रह ही नहीं सकता । मन्नूजी ने विशेषकर नारी पात्रों को लेकर उनके अन्तर्मन के अनछुए पहलुओं को स्पर्श किया। उन्हें गंभीरता से विचार कर समाज के सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया।

नारी के विभिन्न रूपो व नातों को समाज के समक्ष रखकर उन्हें चिंतन के लिये विवश किया है। चाहे फिर वह बेटी हो या बहू, सास हो या माँ, पत्नी हो या प्रेयसी या कोई भी रिश्ता , नारी पात्र को पूरी शिद्दत के साथ रखा है।

माँ के हृदय की अतल गहराई में छिपे वात्सल्य को जिस अनूठे ढंग से मन्नूजी ने प्रस्तुत किया है, वह निश्चित रूप से श्लाघनीय है। माँ को जब अपने पुत्र के आने की सूचना भर प्राप्त होती है, तो उसकी मानसिक व शारीरिक दोनों ही अवधारणाएँ बड़ी विचित्र हो जाती है। 'मजबूरी' कहानी की माँ अपने पुत्र, बहू व पोते के आने के समाचार मात्र से अपने शारीरिक कष्ट को भी भूल जाती है -

'घूटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया और बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही ।'[4]

माँ के वात्सल्य की ममता किसी से भी नहीं की जा सकती। 'नशा' कहानी की आनंदी को जब चिट्ठी के माध्यम से यह पता चलता है कि उसे उसका पुत्र लेने आ रहा है, तो उसकी जो दशा होती है, उसका चित्रण मन्नूजी ने बड़ी गहराई से किया है - 'कल किशनू आ रहा है, सचमुच ही किशनू आ रहा है और जैसे इतनी देर बाद उसे पहली बार बोध हुआ कि उसके जीवन में क्या कुछ घट गया। बारह साल बाद उसका बेटा आ रहा है- एकाएक चबूतरे पर बैठकर ही आनंदी फूट -फूटकर रो पड़ी। ऊपर से सदा ही शांत रहने वाली पर्वत के भीतर का ज्वालामुखी जब फूटता है, तो कोई भी शक्ति उस आवेग को रोक नहीं पाती ।'[5]

माँ की भाँति बहन भी त्याग व सहनशीलता की पूतिमूर्ति होती है। बहन के त्याग व सहनशीलता की एक सीमा है। जब उसकी सहनशीलता की सीमा से बाहर त्याग की बात आती है, तो फिर बहन उसे सहन नहीं कर पाती। 'घूटन' कहानी की मोना अपने छोटे भाई-बहनों व माँ के वृद्धावस्था के सुखमय जीवन के लिए तथा माँ की रूग्णावस्था को देखते हुए अरूण से प्रेम करते हुए भी विवाह नहीं करती, क्योंकि उसके विवाह कर लेने पर परिवार में जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं था। साथ ही उसकी माँ भी उसके विवाह करने के पक्ष में नहीं थी - 'पर मोना की माँ नहीं चाहती कि मोना उससे

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शासकीय शहीद भीमानायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

(अरूण) ब्याह करे। मोना ब्याह कर लेगी, तो उसके छोटे भाई-बहनों को कौन पालेगा, बूढ़ी की तीस दिन में से उनतीस दिन रहने वाली बीमारी का खर्चा कहाँ से आएगा। .... सौ -सौ बार हार चुका हूँ। वह रात-रात भर रोती है , दिन दिन घुलती और घुटती रही है, पर इसके आगे कुछ नहीं जब अरूण आता है, तो वीराने में हरियाली अवश्य छा जाती है, पर बड़ी क्षणिक होती है वह हरियाली, वह तरावट वह नमी इसलिये जीवन उसका सुखा का सुखा ही रह जाता है।'[6]

घर की समस्त जिम्मेदारियाँ पिता के पश्चात् पुत्र ही संभालते हैं , लेकिन मन्नूजी ने समाज के इस सत्य को अपनी कहानियों आकाश नाइं...., आते-जाते यायावर, एक कमजोर लड़की की कहानी के माध्यम से बताया है कि बेटियाँ तो पिता के जीवित रहते ही घर की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। परिवार के प्रति अपने कर्त्तव्य निर्वहन के बाद जब वह अपने विवाह के संबंध में सोचती है, तो घर वाले उससे नाराज हो जाते हैं। आकाश नाइं...., की सुषमा जब अपने विवाह की तारीख स्वयं तय कर लेती है, तो घर में कोहराम मच जाता है, तब सुषमा कहती है 'पिछले तीन साल से मैं केवल घर वालों के लिए मर-खप रही हूँ। नौकरी के साथ दो - दो ट्यूशन करके मैंने घर का सारा खर्च चलाया। अब पिंकी ने बी.ए. पास कर लिया, तो अपनी बात पर सोचना शुरू किया। पर इन लोगों से इतना भी नहीं होता कि मेरी हँसी खुशी में साथ दें।'[7]

नारी का सबसे कठिन कर्त्तव्य होता है, बहू के रूप में। हर सास चाहती है कि उसे अपने आदेशों का पालन करने वाली बहू मिले। उसकी बहू घर-परिवार व समाज की मर्यादा का ध्यान रखें।, 'नशा कहानी की आनंदी बहुत वर्षों तक पति की मार व अत्याचार सहती रही, लेकिन जब उसे बेटे व बहू की स्नेहभरी सेवा मिलती है, तो उसका मन प्रसन्नता से गदगद हो जाता है।

'देवी-देवता जैसे हैं, उसके बेटे-बहू कितना ख्याल रखते हैं उसका। जाने कौन-सा पुण्य किया था उसने, जो उसका बुढापा सुधर गया। एक ठंडी साँस उसके कलेजे से निकल गई, संतोष की या विषाद की, वह स्वयं नहीं समझ पायी।'[8]

मर्यादा में बँधकर संस्कारों को लेकर आने वाली बहू यदि शिक्षित भी हो , तो समाज में घर परिवार में निश्चित ही उसे सम्मान प्राप्त होता है। वैसे भी संस्कारी, व्यवहार-कुशल व विनम्र रहने वाली बहू सभी को प्राप्त नहीं होती।

एखाने आकाश नाइं... कहानी की नायिका लेखा एक आदर्शवादी व समन्वयवादी विचारधारा की बहू है, इसीलिए वह विचार करती है कि - 'वह गौरा (ननद) से बात करेगी। रमेश और सुरेश (देवर) को जैसे भी होगा, अपने पास बिठाएगी। वह इस परिवार के लोगों के साथ घुलेगी, मिलेगी। आखिर वह भी इस परिवार की एक सदस्या है।'[9]

मन्नूजी ने नारी के पत्नी रूप को भी अपनी विभिन्न कहानियों में परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है। वह परिवार के आधार की धुरी होती है। पत्नी अपने पति और परिवार को विषम परिस्थितियों में संबल, साहस प्रदान करती है, जब उसे ही अपने पति से उपेक्षा व धोखा मिले तो उसका मन टूट जाता है। उसका घर संसार व पति के प्रति अपना मोह समाप्त हो जाता है। 'बंद दराजों के साथ' कहानी की मंजरी इसी कारण अपने पति को त्याग देती है।

पत्नी को जब अपने पति से अपनत्व प्राप्त नहीं होता, जब वह धन कमाने में ही अपना सारा समय लगा देता है, तो पत्नी का अन्तर्मन विक्षिप्त हो जाता है 'कील और कसक कहानी की रानी अपने पति कैलाश से इसीलिए रूष्ट है।'

पश्चिमी संस्कृति ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को किस स्तर तक गिराया है, इसका उदाहरण हमें मन्नू जी की कहानी 'ऊँचाई' में मिलता है। शिशिर की पत्नी शिवानी विवाह के पश्चात् भी अपने प्रेमी से शारीरिक संबंध रखते हुए भी स्वयं को पतिव्रता मानती है और अपने पति से कहती है कि - 'मेरे जीवन में तुम्हारा जो स्थान है, उसे कोई नहीं ले सकता, लेना तो दूर, उस तक कोई पहुँच भी नहीं सकता। किसी के कितनी ही निकट चली जाऊँ, चाहे शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लूँ, पर मन की जिस ऊँचाई पर तुम्हें बिठा रखा है, वहाँ कोई नहीं आ सकता, किसी से उसकी तुलना करने में भी तुम्हारा अपमान होता है।'[10]

नारी प्रेयसी के रूप में भी अपने प्रिय के लिए समाज की मर्यादाओं की परवाह कभी नहीं करती। उस स्थिति में उसे अपना प्रिय और अपना प्रेम सबसे ताकतवर लगता है। वह अपने प्रेम के बल पर, अपने साहस के बल पर सारी दुनिया से लड़ने को भी तत्पर हो जाती है। मन्नूजी ने यही सच है, 'एक बार और', 'गीत का चुंबन, कील और कसक' में नारी के इस रूप का चित्रण किया है। कहीं वह त्रिकोण प्रेम के जाल में फँसती है, तो कभी प्रेम की एकाग्रता के कारण अपने पूर्व प्रेम को विस्मृत नहीं कर पाती। ययही सच है' की दीपा त्रिकोण प्रेम के कारण ही संजय की ओर, तो कभी निशीथ की ओर आकर्षित होती है। 'वहीं एक बार और' कहानी की बिन्नी कुंज से प्रेम करती है। जब कुंज किसी ओर से प्रेम करने लगता है, तो वह भी नंदन से प्रेम करने लगती है, लेकिन फिर भी कुंज के प्रेम को अपने मन से विस्मृत नहीं कर पाती।

'आज सबेरे से उसने कितनी बार कुंज का पत्र पढ़ा है।'[11]

तो कभी वह पत्नी बनने के बाद पति से प्रेम प्राप्त न होने पर प्रेयसी की भूमिका में आ जाती है। 'कील और कसक' कहानी की नायिका रानी विवाह के प्रथम दिन ही जब पति द्वारा उपेक्षित कर दी जाती है, तो वह शेखर के प्रति आकर्षित हो जाती है।'[16]

उक्त पात्रों के साथ नारी मामी, नानी, बुआ, भाभी, मौसी, देवरानी , जेठानी और अन्य अनेक रूपों में समाज में अपनी भूमिका निभाती है। हर रिश्ते नाते को वह बखूबी निभाने का प्रयास करती है। 'अकेली' कहानी की बुआ पूरे गाँव की बुआ के रूप में जानी जाती है। उनका मानना केवल यही था कि कोई प्रेम से बुलाए तो तुलसीदास की इस बात का समर्थन करती है कि-

'आवत ही हरषे नहीं, नैनन नहीं सनेह।
तुलसी तहँ ना जाइये, कंचन बरसत मेह ।।

जो उनसे प्रेम संबंध रखते हैं, वे उनके घर बिना बुलाए भी चली जाती है। उस संबंध में वे राधा भाभी से कहती हैं कि - ' मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम न रखे, तो दस बुलावे पर नहीं जाऊँ और प्रेम रखे, तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊँ।'[12]

संतान को माँ की भाँति वात्सल्य देने वाली मौसी होती है, इसीलिए उसे 'मा-सी' अर्थात् माँ जैसी कहा जाता है। मन्नूजी ने इस नारी पात्र का चित्रण भी अपनी कहानी यगीत का चुंबन में किया है। कनिका की माँ न होने पर उसे उसकी मौसी ही पालती है तथा अपनी संतान की भाँति वात्सल्य स्नेह प्रदान करती है - 'उस दिन वह इतना जान पाया कि बचपन में ही माँ के मर जाने से मौसी ने ही कनिका को पाला है, वे अपने बच्चों से अधिक प्यार करती हैं।'[13]

इसी तरह मन्नूजी ने दादी के हृदय को भी माँ जैसा वात्सल्य स्नेह से

युक्त बताया है। दादा–दादी का दुलार भी माता–पिता के स्नेह से कम नही होता । पोते पोतियों को भी अपने दादा–दादी से अधिक लगाव होता है। 'मजबूरी' कहानी में मन्नूजी ने दादी के स्नेह की व्यापकता व गंभीरता को अभिव्यक्त किया है – 'बीस दिन के बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रयाण किया, बेटू ने न जिद की, न वह रोया ही । माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना जहाँ कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा ।'[14]

इस प्रकार मन्नूजी ने अपनी विभिन्न कहानियों में विभिन्न नारी पात्रों का चारित्रिक उद्घाटन किया है। ये पात्र आज भी हमें समाज के किसी–न–किसी वर्ग, संप्रदाय और अमीर गरीब में देखने को मिल जाते हैं। साहित्यकार युग–द्दष्टा व युग–सृष्टा होता है । उसके चिंतन की गंभीरता इतनी होती है कि समाज में घटने वाली घटनाएँ उनकी कालम से कागज के कोरे पन्नों में उकेर दी जाती है। वे पात्र उनका चरित्र चित्रण स्वभाव विचार व चिंतन के साथ मन में उठने वाले भावों की अभिव्यक्ति भी हमें साहित्यकार के साहित्य में पढ़ने को मिल जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. गिरिराज किशोर – मनोरमा – अक्टूबर 1977 ,6
2. देशबंधु – दैनिक पत्रिका – 28 जनवरी, 1977
3. अनिता राजूरकर – कथाकार मन्नू भंडारी,8
4. मन्नू भंडारी – मेरी प्रिय कहानियाँ – मजबूरी ,20
5. मन्नू भंडारी – यही सच है – नशा, 89–90
6. मन्नू भंडारी – तीन निगाहों की एक तस्वीर – घुटन, 63–64
7. मन्नू भंडारी – मेरी प्रिय कहानियाँ – एखाने आकाश नाइं 49
8. मन्नू भंडारी – यही सच है –नशा, 97–98
9. मन्नू भंडारी – मेरी प्रिय कहानियाँ –एखाने आकाश नाइं,65
10. मन्नू भंडारी – एक प्लेट सैलाब – ऊँचाई ,134
11. मन्नू भंडारी – एक प्लेट सैलाब – एक बार और ,70
12. मन्नू भंडारी – मेरी प्रिय कहानियाँ –अकेली,13
13. मन्नू भंडारी – मैं हार गई – गीत का चुम्बन,25
14. मन्नू भंडारी – मेरी प्रिय कहानियाँ – मजबूरी ,23

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर के विचारों की प्रासंगिकता

डॉ. आई. के. बेक * डॉ. दीपक गुप्ता **

प्रस्तावना – आज भारत के साथ–साथ सम्पूर्ण विश्व अराजकता एवं अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व अशांति, आतंक और युद्ध के वातावरण में अपने आपको महसूस कर रहा है। जीवन मूल्य एवं मानवता पर खतरा मंडरा रहा है। मनुष्य के मानव मूल्यों के इस खतरे से केवल संतों की वाणी ही बचा सकती है। क्योंकि मानव मूल्यों का अपार भंडार संतों की वाणी में व्याप्त है। कुल मिलाकर कहे तो सम्पूर्ण विश्व को संत साहित्य ही बचा सकते है। संत साहित्य में केवल एक नाम हमारी सोच में सबसे पहले आता है, वह है कबीर। कबीर हमारे लिए एक अचूक औषधी है। उनका दिखाया गया मार्ग मनुष्यता के लिए वरदान है। वे मनुष्य के नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना के लिए प्रतिबद्ध है।

कबीर हमें किसी भी परिस्थितियों में हतोत्साहित नहीं करते वरन् निराश लोगों में आशा की ज्योति जगाते है और इस तरह हमें आत्मवान बनाते हैं। कबीर साधारण से साधारण इन्सान को आन्तरिक विकास की संभावनाओं से जोड़कर परमात्म स्थिति से भी आगे ऊपर की संभावनाएं दिखाते है –

कबिरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर।
पाछे–पाछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर।।

आज लगभग सभी धर्म सम्प्रदाय अपनी मानवतावादी दृष्टि खो रहे हैं, ऐसे में कबीर के विचार अधिक आधुनिक, अधिक प्रासंगिक, अधिक मानवीय होकर समूचे विश्व को एक केन्द्र में रखकर उन्हें वैश्विक स्तर पर अद्वितीय और ग्राह्य बना रहे हैं। कबीर ने मानवतावादी, संवेदनशीलता, न्याय आदि की स्थापना इस दृष्टि से स्थापित कर दी कि उसके सामने किसी और का समाजदर्शन फीका लगने लगता है–

सुखिया सब संसार है, खावै और सोवै।
दुखिया दास कबीर है, रोवे और जागें।।

कबीर समाज सुधारक से पहले आत्म सुधारक है। वह व्यक्ति और उसकी आत्मा को सुधारना चाहते हैं क्योंकि व्यक्ति ही समाज है। व्यक्ति को सुधारने से समाज सुधर जाता है। इसलिए कबीर की वाणी व्यक्ति या समाज की वाणी नहीं आत्मा और अध्यात्म की वाणी है, जो समूची मानव सभ्यता के सुधार के आकांक्षी है।

एक साधै सब सधै, सब साधै सब जाए।

इतना ही नहीं कबीर दीन पर दया करने दुखी से सहानुभूति रखने की शिक्षा देते हैं 'केरि' और 'हाथी' तक को समान तथा परमात्मा की रचना कहते हैं, ताकि जीव दया का अपना दायित्व मनुष्य निभाना सीखे।

'साई के सब जीव है केरि कंजर दोय।'

मानव प्रेम, जीव–दया, समानता, भ्रातृ–भाव की नई धारा कबीर ने प्रवाहित करके समाज की चली आ रही कुरीतियों पर कठोर प्रहार किए। साथ ही नव समाज की रचना का मार्ग प्रशस्त कर मानव मात्र के नए सूर्योदय की अतुल संभावनाएं जगाई।

इस तरह सामाजिक क्षेत्र में कबीर के विचार बड़े क्रांतिकारी है। वे वर्ग, जाति और सम्प्रदाय के खिलाफ है। वे मनुष्य और मनुष्य के मध्य भेद नहीं करते वे तो समानता के पक्षधर है। ब्राम्हण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के भेदभाव को नहीं मानते। इस सम्बन्ध में व्यंग्य के साथ तर्क करते हुए कहते है –

'भूला भरमि परै जिनि कोई।
हिंदू तुरूक झूठ कुल सोई।।'

अत: मानव प्रेम, समानता, भातृभाव की नई धारा कबीर ने प्रभावित करके समाज की चली आ रही कुरीतियों पर जहाँ एक ओर तर्क और व्यंग्य के साथ कठोर प्रहार किए वहीं दूसरी ओर नये समाज की रचना का मार्ग दिखाकर मानव के लिए नये सूर्योदय की अतुल संभावनाएं जगाई।

आज विश्व के सामाजिक और अस्तित्ववादी, दार्शनिक पर जो बहस हो रही है, उसे कबीर ने छ: सौ वर्ष पहले कह दी थी। इस सम्बन्ध में डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है – 'जातिगत, कुलगत, धर्मगत, संस्कारगत, विश्वासगत, शास्त्रगत, सम्प्रदायगत बहुतेरी विशेषताओं के जाल को छिन्न करके ही वह आसन तैयार किया जा सकता है, जहाँ एक मनुष्य दूसरे से मनुष्य की हैसियत से ही मिले। जब तक यह नहीं होगा तब तक अशांति रहेगी। महामारी रहेगी। हिंसा प्रतिस्पर्धा रहेगी। कबीरदास ने इस महती साधना का बीज बोया था।'

इस तरह कबीर के पास मानव के लिए गहरी सोच एवं संवेदना है। कबीर तो प्रेम एवं करूणा पर विश्वास करने वाले हैं। वे तो सभी प्राणी से प्रेम करने वाले थे।

वस्तुत: कबीर अपने औघड़, निर्भय, साहसी, चुनौतीपूर्ण, सत्यनिष्ठ मंच पर खड़े होकर जो वचन कहते हैं, वे समूची मानवता की धरोहर है। समाज के गरीब से गरीब या निरीह से निरीह व्यक्ति के लिए भरोसे और अवलम्बन का आधार है। सचमुच कबीर अद्‌भुत हैं, अनूठे हैं। उनमें भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी समाई हुई है।

विश्व के सभी संतों एवं महापुरूषों के विचार कबीर की वैचारिकता के आगे फीके एवं अधूरे लगते है। कबीर ऐसे क्रांतिकारी हैं, जिनके समक्ष सभी क्रांतियाँ अधूरी और अपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में ये कहे तो गलत नहीं होगा कि कबीर के विचारों में आधुनिकता ही नहीं वरन् उत्तर आधुनिकताएं भी समाहित है। साम्यवाद, जनवाद, अस्तित्ववाद आदि विचारों के मूल्यों को ऐसे लगता है कि कबीर ने अपने समय पर खड़े होकर भविष्य की सदियों तक की वैचारिक

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढ़ार, जिला – शहडोल (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (हिन्दी) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढ़ार, जिला – शहडोल (म.प्र.) भारत

संभावनाओं का साक्षात्कार कर लिया है।

कबीर की लोगों से इस बात पर लड़ाई थी कि मनुष्य को मनुष्य की तरह जीना नहीं आया क्योंकि जब–जब समाज में मनुष्य के स्थान पर धर्म को विशेष महत्व दिया गया तब–तब मानवता के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा और उसका स्वरूप विकृत हुआ। कबीर के शब्दों में –

'कबीरा आप ठगाइये और न ठगिए कोई।
आप ठगै सुख उपजै और ठगै दुख होइ।।'

कबीर ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज में उपयुक्त वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। समाज की बुराइयों और कुरीतियों को समाज के सामने रखकर इन्हें दूर करने को कहा है, इसके अलावा मानव के अन्दर मानव धर्म एवं मानवीय चेतना के बीज बोये है। उनका स्पष्ट मानना था कि मन के विकार का त्याग प्रथम आवश्यकता है। यदि मन में विकार रहेगा तो उसमें मनुष्यता नहीं आ सकती। वस्तुत: यदि मनुष्य में अच्छाइयाँ होगी तो परिवार भी अच्छा होगा और यदि परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा बनेगा।

स्पष्ट है कि कबीर की मानवता पर प्रगाढ़ आस्था थी। वस्तुत: कबीर ने एक ऐसे मानवधर्मो को जन्म दिया जो देश, काल, जाति, वर्ण, धर्म, आदि किसी भी घेरे से परे हैं। उन्होंने मानव जीवन के विकासशील तत्वों को धर्म में स्थान दिया, उन्हें तर्क एवं बुद्धि का आधार प्रदान कर उस पर पड़े आडम्बर एवं अंधविश्वास के आवरण को हटाया। कुल मिलाकर उन्होंने मनुष्य के भीतर एक दिव्य ज्योति की कला आलौकित की।

कबीर की असाधारणता एवं अद्वितीयता को रेखांकित करते हुए विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं – 'भारतीय रहस्यवादियों के इतिहास में एक ही रोचक व्यक्तित्व है कवि कबीर .... कबीर की मेधा के सर्वश्रेष्ठ गुणों में यह गुण है कि उन्होंने अपनी कविताओं में अद्वैतवाद और द्वैतवाद को घुला मिला कर एक कर दिया है .... एक महान, धार्मिक सुधारक, इस पर भी एक रहस्यवादी कवि के रूप में कबीर हमारे लिए जीवंत हैं ....। विश्वविख्यात कवि दार्शनिक ओशों रजनीश भी कहते हैं 'मनुष्य जाति के इतिहास में कबीर के सूत्रों का कोई मुकाबला नहीं है। इससे सरल और सीधे स्पष्ट और साफ वचन पृथ्वी पर कभी भी बोले गए, यह तो दुर्भाग्य की बात है कि कबीर भारत के बाहर न के बराबर परिचित है अन्यथा झेन फकीर फीके पड़ जाएँ, हदीस फकीरों का नाम लोग भूल जाएँ, सूफियों की दया बिसात है ? कबीर के एक–एक वचन जैसे हजारों शास्त्रों का सार है। गीता होगी कितनी ही कीमती लेकिन कबीर के शब्द में समा जाए।'

कबीर ने अपने समय की संघर्षमूलक प्रवृत्तियों से सामना करने का मार्ग दिखाया और रूढ़िवादी विचारों को छोड़ने को कहा तथा मनुष्य को पारस्परिक प्रेम तथा सद्‌भावना का संदेश दिया तथा मिथ्या आडंबरों तथा पाखण्डों को चुनौती और जनता को विचार करने की शक्ति दी वे लोगों को लोगों के बीच प्रेम का संदेश देते है। उनके विचार से योगी और पंडित, राजा और रंक, वैद्य और रोगी में कोई विभेद नहीं है –

'जब थै आतम तत विचारा,
तब निरबैर भया सबहिन थैं काम क्रोध व गहि डारा।।
व्यापक ब्रह्म सबनि में ऐके, को पंडित को योगी,
कहैं कबीर गुणी, अरू पंडित, मिलि लीला जस गावैं।'

एक ही रूप से समस्त विश्व बना है फिर उनसे भेद कैसा ? – 'एक नूर तैं सब जग किआ, कौन भले कौन मंदे।'

इसी संदर्भ में कबीर ने हिन्दू–मुस्लिम के भेदभाव को दूर करने के उपदेश दिए है। दोनों धर्मो के बीच समन्वय पूर्ण वातावरण को निर्मित करने का प्रयास किया है। वे दोनों धर्मो के लोगों से कहते है –

'हिन्दू तुरक का करता एवं ता गति लखी न जाई'

कबीर ने 'ऊँच नीच सब गोरख धंधे, सब है अल्लाह के बंदेय' कहकर विविध जातियों एवं धर्मो में एकतत्व स्थापित करते हुए विश्व प्रेम का परिचय दिया है।

कई लोगों का कहना है कि कबीर की नजरों में नारी का सम्मान नहीं है वे उसे माया कहकर उसकी निंदा करते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। कबीर को नारी निंदक कहने वालों को हमारा कहना है कि कबीर ने कभी नारी जाति की निंदा नहीं की, अन्यथा कबीर यह क्यों कहते –

'नारी जननी जगत की, पाल पोष दे तोष।
मूरख राम बिसार कर, साहि लगावै दोष।।'

वस्तुत: नारी जग जननी है। पाल–पोसकर बड़ा भी करती है। इस तरह कबीर की नजरों में नारी का विशेष महत्व है। वे नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते है। वे हमेशा कहते थे कि पुरूष का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

इस तरह कबीर ने समाज में गृहस्थ जीवन को विशेष महत्व प्रदान किया है। गृहस्थी में अनासक्त भाव से कर्मरत मनुष्य का विशेष आदर होता है। आदर्श गृहस्थ के लिए स्त्री की धर्म निष्ठा, पतिव्रत धर्म के महत्व, पति के लिए परिवार और पत्नी के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह एवं दोनों की पारस्परिक निष्ठा का उल्लेख कबीर करते हैं।

कबीर के चिन्तन में एक छोर धरती से जुड़ा था दूसरा छोर अपर स्थिति से। एक ओर तो वे एक ही फूल में ब्रह्मा विष्णु और महेश को साकार मानते है तो दूसरी ओर फूल तोड़कर मूर्तियों पर चढ़ाने को मना करते है और अपने घर का पता बताते हुए कहते है –

'सुर नर मुनिजन, औलिया, ये सब उरसि तीर।
अल्लाह राम का गय नहि, तहाँ घर किया कबीर।।'

सुर, नर, मुनिजन औलिया विश्व के जैविक प्रवाह के उरले किनारे भौतिक जगत में विचर रहे है। अल्लाह और राम भी, जिन परिस्थिति चैतन्य संसार के भी पार की स्थिति को उपलब्ध नहीं कर सकते, कबीर का वहॉ निवास है।

इसी प्रकार कबीर ने सत्य पर केवल विचार हीं नहीं किया, उसे अनुभव भी किया है क्योंकि सत्य विचार से नहीं वरन् अनुभव से आता है। वह हमें बंधन में नहीं बाँधता बल्कि हमें स्वतंत्र करता है। अत: कबीर स्वयं सत्य होने के समान होने में निष्ठा रखते है। बनने में या बंधने में नहीं। कबीर की वाणी में सत्य कहीं भी बंधा हुआ नहीं मिलता। वह उन्मुक्त है। वह हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा।

मूल रूप से कबीर ने ऐसे मानव धर्म की स्थापना की जिसकी विश्व में प्रासंगिकता है। उनका मानव धर्म देश, काल, जाति, धर्म, वर्ण आदि से दूर है। उन्होंने मानव जीवन के विकासशील तत्वों को धर्म में स्थान दिया। उन्हें तर्क एवं बुद्धि का आधार प्रदान कर उस पर पड़े आडम्बर और अंधविश्वास के पर्दे को हटाया। ऐसा करने में उन्हें वैश्विक परिस्थितियों से ही प्रेरणा मिली। उन्होंने मानव के भीतर एक दिव्य ज्योति की प्रभा आलोकित की। उन्होंने किसी धर्म की सैद्धांतिक रूप से निंदा नहीं की। केवल उसी ओर संकेत किया जिसे लोगों ने धर्म समझ लिया था और अंधेरे में भटक रहे थे। तब उन्होंने आवाज देकर अंधों को मार्ग दिखाया –

'प्रीतम नहीं बाजार में, वहै बजार उजार।

प्रीतम मिले उजार में, वहै उजार बजार।।'

कबीर ने अपने वात्सल्य, प्रेम एवं सहज भक्ति से समाज एवं विश्व के बीच द्वेष, घृणा हिंसा आदि के जहर को दूर कर सबके बीच प्रेम और स्नेह के परम व मधुर सम्बन्ध को प्रतिष्ठा की। मानव और मानव के बीच सम्प्रदाय धर्म जाति आदि के भेद को तुच्छ मानकर सबके अन्दर प्रवाहित विश्व प्रेम और सौहार्द भाव को देखा और पहचाना तथा उसे सहज भक्ति के द्वारा व्यक्त किया।

आज विश्वभर में जिसे पर्यावरण चेतना के नाम से प्रचार-प्रसार कर प्रचारित किया जा रहा है, उसे कबीर ने मानव का चैतन्य परिवेश माना और पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों को अपने समान प्राणवान मानकर उनकी रक्षा का बोध जगाया -

'बकरी पाती खात है, ताकी काढी खाल।
जे नर बकरी खात है, ताकौ कौन हवाल।।'

इसी प्रकार कबीर ने श्रम की महत्ता पर भी प्रकाश डाला जिससे समस्त श्रमिक वर्ग तथा निम्न वर्ग गौरवान्वित अनुभव करने लगा। कबीर ने स्पष्ट रूप से कहते थे कि ऊँचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति समाज में ऊँचा नहीं बन जाता। ऊँचा व्यक्ति बनता है, ऊँचे सामाजिक कार्य से-

'ऊँचे कुल क्या जनभिया, जे करणी ऊँच न होय'

मूल रूप से देखे तो कबीर अपने ज्ञान, संवेदना, सहानुभूति और विवेक के बल पर इस संसार का झगड़ा निपटाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी आँखों से इस संसार को जलते हुए देखा है। यहाँ हर कोई अनेक प्रकार से जल रहा है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों के अलावा ऊँच-नीच, जाति-वर्ण, हिन्दू-मुस्लिम छूत-अछूत आदि बुराइयों से जल-मर रहा है। इसे बचाने का प्रयास कबीर कर रहे हैं-

'आग लगी आकाश में, झटपट पड़े अंगार।
संत न होत जगत में, जल जाता संसार।।'

वस्तुतः कबीर का समय और समाज अनेक आधियों-व्याधियों में घिरा था। मुस्लिम शासकों के कारण सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि स्थितियाँ गंभीर हो गई थी। गरीब शोषित, पीड़ित वर्ग अपमान की मार सह रहा था। जाति-पॉति का विष समाज में फैला हुआ था। ऐसे में कबीर ने लोगों को समझाते हुए कहा -

'जाति-पॉति पूछे नहिं कोई।
हरि को भजै सौ हरि का होई।।'

इस तरह पंडा, पुरोहित, मौलवी आदि के महत्व को नकार कर कबीर ने हरि को भजने और उसकी कृपा को प्राप्त करने का नया मार्ग खोल दिया। इसी प्रकार छुआ-छूत का विरोध करते हुए और हिन्दु मुसलमान के बीच भेदों पर प्रहार करते हुए उन्हें ललकारा -

'जौ तूँ बॉभन बाँभनी जाया।
तौ आन बाट हवै क्यों नहीं आया।।
जौ तूँ तुरूक तुरकानी जाया।
तौ भीतर खतना क्यों न कराया।।'

आज कबीर के चिन्तन का वैश्विक मूल्य प्रासंगिक हैं। उनके विचारों एवं दर्शन से व्यक्ति को अपनी मुश्किलों एवं कठिनाइयों से रास्ता मिल सकता है। वैसे कबीर को पूरा ग्रहण न करना कबीर चिन्तन के प्रति अन्याय है। मार्क्सवादी विद्वान कबीर को केवल समाज दर्शन के संदर्भ में ही ग्रहण करते है। वे अध्यात्म पक्ष को अनदेखा कर देते है। धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, वंश, नस्ल, देश, प्रदेश आदि के अनेकानेक भेदों से विदीर्ण मानव एकात्मता का अहसास आज जितना वक्र और विकट होकर सामने आ रहा है, कबीर उतना ही अनिवार्य होकर याद आ रहे हैं। समूचे विश्व को अपनी आध्यात्मिक अनुभूति और मानवीय संवेदनशीलता में पुनः बांधने वाले कबीर आज सर्वथा अपरिहार्य हो गए हैं। पूरा विश्व जो एक ओर भूमण्डलीय के नाम पर निकट आता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक लूट, हिंसक-विश्व युद्ध आदि बतीवों के कारण छिटककर पहले से भी अधिक शत्रुता में बंटकर दूर होता जा रहा है। ऐसे में कबीर के विचार एवं दर्शन विश्व को विकास के साथ एक होने का संदेश दे सकता है।

निष्कर्षतः कबीर अपने जैसे अकेले महापुरूष हुए है, भारत में, जिन्हें विश्व अभी पूरी तरह से नहीं जानता। साहित्यकार एवं विद्वान उन्हें क्रांतिदर्शी कवि मानते हैं, समाज राजनीति के लोग महान् समाज सुधारक कबीर पंथी अनुयायी ईश्वर का अवतार। धर्म अध्यात्म योग के क्षेत्र में वह स्वयंवेद या वेद की अवतारणा करने वाले अनन्य योगी और धार्मिक माने जाते है। हिन्दू उन्हें हिन्दू मानते हैं, मुसलमान उन्हें मुसलमान। कबीर स्वयं को न हिन्दू मानते हैं न मुसलमान। सिर्फ एक इंसान मानते है और दुनिया में उनका यही प्रमुख उपदेश है कि खुद को एक इंसान मानो और संसार में एक अच्छा इंसान सिद्ध करो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कबीर ग्रंथावली - सं. डॉ. श्याम सुन्दर दास।
2. संतवाणी अंक - कल्याण पत्रिका।
3. अक्खड व्यक्तित्व के धनी कबीर - अनिल कुमार 'सलिल'।
4. भारतीय संत परम्परा - बलदेव वंशी।
5. हिन्दी साहित्य का इतिहास - सं. डॉ. नगेन्द्र।
6. कबीर - हजारी प्रसाद द्विवेदी।

****

मालवा की कृष्ण भक्त लोक कवयित्री- नवनिधि कुँवर खांगारोत

डॉ. वन्दना जैन * कादम्बिनी जोशी **

शोध सारांश – मालवा में कृष्ण भक्ति की धारा मध्यकाल से आधुनिक काल तक निरन्तर बह रही है। इस भक्ति धारा को प्रवाह मान करने में मन्दसौर क्षेत्र के भाटखेड़ी (मनासा) रियासत की नवनिधि कुँवर खांगारोत का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बहुत से सरस गीत, भजन एवं दोहों की रचना की है। मान्यता है कि नवनिधिजी का जन्म सन् 1892 में जयपुर के जोबनेर रियासत में हुआ था। पाँच वर्ष की छोटी आयु में उनको भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन हो गये थे। तभी से उन्होंने डिंगल में काव्य रचना शुरू कर दी थी। उनका सारा साहित्य लोक में व्याप्त है, वे कृष्ण भक्ति प्रवाह की करुणामयी काव्य साधिका थी। जिस पर मालवा को हमेशा गर्व रहेगा।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश के पश्चिम मध्य भाग में स्थित मालवांचल में कृष्ण भक्ति की धारा बही, जिसकी निष्पत्ति लोक कवयित्री नवनिधि कुँवर के पदों से लेकर मालवी लोक गीतों में हुई है। उनका सारा सृजित साहित्य लोक में व्याप्त है, जिसे महिलाएँ और भजन मण्डलियाँ खूब गाती है। नवनिधिजी कृष्ण भक्ति प्रवाह की करुणामयी काव्य साधिका थी।

रामपुरा(मन्दसौर) क्षेत्र के भाटखेड़ी (मनासा) रियासत की **माँ साहब नवनिधि कुँवर** एक राजपूत रमणी थी। विवाह होते ही उन्हें वैध्वय झेलना पड़ा। जिससे उनका लक्ष्य भगवान श्रीकृष्ण बन गए। नवनिधिजी पूर्णत: भक्ति साधना में लीन हो गई और उन्होंने बहुत से सरस गीत, भजन एवं दोहों की रचना की। उनका पितृगोत्र खांगारोत था। इसलिए उनका नाम भी नवनिधि कुँवर खांगारोत पड़ा।

मान्यता है कि नवनिधिजी का जन्म सन् 1892 में जयपुर के जोबनेर रियासत में हुआ था। पाँच वर्ष की छोटी आयु में उनको भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन हो गए थे। तभी से उन्होंने डिंगल में काव्य रचना शुरू कर दी थी। सन् 1908 में 16 वर्ष की छोटी उम्र में उनका विवाह रामपुरा के भाटखेड़ी (मनासा) रियासत के कुँवर सज्जनसिंह चन्द्रावत के साथ हो गया था। उस समय कुँवर सज्जनसिंह इन्दौर के डेली कॉलेज में पढ़ते थे। विवाह के तुरन्त बाद उन्हें राज्य के कार्य से इन्दौर जाना पड़ा। कहते हैं, वहीं उन्हें साँप ने डस लिया। साँप के डसने से सज्जनसिंह का देहान्त हो गया। विवाह के मात्र 19 दिनों के पश्चात् ही पति की मृत्यु ने नवनिधि कुँवर को बहुत विचलित कर दिया। जिसका बोध उनके पदों से प्राप्त होता है–

बालपणे चुड़लो खण्डयो, रीति होई बाँह।
जद री थारे आसरे, आई थारी छाँह।
नागण सौतण ने डस्यों, म्हारो भाग सुभाग।
नागण जाया फुँफकरे, जदरा कारा नाग।
झट आओ रगसा करो, साँवरियाँ सरकार।

जिस समय सज्जनसिंह का देहान्त हुआ था। उस समय वे भाटखेड़ी रियासत के राजा थे। उनका कोई वारिस नहीं था। इस कारण से भाटखेड़ी रियासत होलकर स्टेट के अधीन हो गई, स्वयं नवनिधिजी ने इन्दौर जाकर तुकोजीराव होलकर से प्रार्थना की तथा अपनी रियासत एवं गोद लेने का हुकुमनामा दोनों प्राप्त किए। सन् 1912 में उन्होंने मनासा के पास चपलाना गाँव से विजयसिंह को गोद लिया। सन् 1937 में रावत विजयसिंह की भी मोतीझरा (टायफाइड) से मृत्यु हो गई। नवनिधिजी के पौत्र कुँवर प्रतापसिंह को गद्दी पर बैठाया गया।

नवनिधिजी ने भी अहिल्याबाई के समान अनेक राजनैतिक षडयंत्रो का सामना किया। राजनैतिक षड़यंत्रो से जूझते हुए उन्होंने अपनी रियासत को सुरक्षित रखा था। उन्हें **माँ साहब** पुकारा जाता था। पुत्र की मृत्यु ने नवनिधिजी को बहुत विचलित कर दिया। पति एवं पुत्र की मृत्यु का आघात असहनीय हो गया। तब उन्होंने स्वयं को पूर्णत: भक्ति साधना और साहित्य सृजन में लगा दिया। नवनिधिजी ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर भजनों की रचना की है। वे रोज सुबह स्वरचित भजनों को गाती थी और कृष्ण को याद करती थी। कहते हैं कि जब नवनिधिजी सुबह अपने मधुर भजन गाती थी, तो आस-पास की महिलाएँ अपने गीतों को भूलकर नवनिधिजी के मधुर भजनों के आधार पर घट्टी(आटा पीसने की हाथ चक्की) पीसती थी।

नवनिधिजी का सम्पूर्ण साहित्य लोक में व्याप्त है। उनके पद आज भी मालवा की स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। नवनिधिजी के पदों में सूरदास, मीरा, चन्द्रसखी आदि के साक्ष्य पर कृष्ण की भक्त वत्सलता के वर्णन के साथ ही स्वयं के हृदय की पुकार भी सुनाई देती है। उन्होंने 19 पुस्तकों की रचना की थी। जिनमें प्रमुख मालवी काव्य कृतियाँ है– मीरा रो मरम, चन्द्रसखी म्हारी गोठण, गाया माया गीत, नान्ही सी चरकली, सीपी रो दरद, छब चितरावण क्रसन री आदि। उन्होंने हिन्दी में गद्य कृतियाँ भी लिखी हैं। जिनमें वीर-चित्रावली प्रमुख है। नवनिधिजी ने कृष्ण लीलाओं पर अनेक भजन लिखे और उन्हें सुबह शाम गा-गाकर लोक में प्रचारित किया। कन्हैया कानूड़ा की टेर उनका जीवन व्रत रहा। वे एक लोक न्याय करने वाली राजमाता रही, जो गाँव के लोगों के पारिवारिक झगडे, विवाद निपटाती और न्याय करती। सन् 1927 में उन्हें पक्षाघात हुआ। परिवार ने उनका कोई इलाज नहीं करवाया। उस समय उनके भाई नरेन्द्रसिंह ने उनका इलाज करवाया। उसी मानसिक, शारीरिक पीड़ा तथा पारिवारिक अनदेखी के भाव को उन्होंने

*विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
**शोधार्थी (हिन्दी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

काव्य रूप में व्यक्त किया है। आर्तआहें नामक एक लघु काव्य है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। 23 मई सन् 1947 को मालवा की करुणामयी साधिका ने अंतिम साँस ली। नवनिधिजी कृष्ण भक्ति गीत रचते-रचते और गाते-गाते इस संसार से विदा हो गई। वे मारवाड़ से आयी थी और मालवा की होकर चली गई।

नवनिधिजी अत्यन्त सुरीली कंठ वाली राजपूत कन्या थी। वे अपने मीठे कंठ से स्वरचित कृष्ण भक्ति के गीत गाती और कानूड़ा-कानूड़ा करके कन्हैया को आवाज लगाती-

कानूड़ा चरण शरण में ले लो।
जतरो दुख-सुख लिख्यो भाग में, जस तस करता झेल्यो।
अब तो सहयो नी जावे कान्हा,
चरण शरण में ले लो।।

नवनिधिजी कहती हैं, कि हे कन्हैया जिस प्रकार द्रोपदी, मीरा, चन्द्रसखी, सूरदास आदि की पुकार सुनकर आप दौड़ते हुए चले आए थे उसी प्रकार आप मेरे हृदय की पुकार सुनकर मुझे दर्शन देने के लिए चले आइए। मेरी पीड़ा का हरण कर लिजिए। हे कृष्ण कन्हैया मेरी विनती सुन कर मुझे दर्शन देने के लिए जल्दी आ जाओ-

साँझ, सवेरे, दोपराँ थारोइ सुमरूँ नाम।
भीतर, बाअर तू रमें, थारोई अटल मुकाम।।
चन्द्रसखी रा वीरणा, मीरा रा भरतार।
रूकमण जी रा सहिबा, राधा रा सिंणगार।
नवनिधि की विपदा हरो, विपदा टारणहार।
विरधा उभर आ थगी, झट आओ करतार
हेला पाणू सांवरा, कद की ढाणी रार।
नवनिधि की झट सुण पुगो, कान्हा क्रसन मुरार।

नवनिधिजी का दोहा संग्रह **छब चितरावण क्रसन री** को उनके कामदार किशनलालजी पोरवाल ने उनकी बीमारी के समय लिखा था। उस समय वे लिख पाने की स्थिति में नहीं थी और उन्होंने कामदार जी को लिखने का आदेश दिया था, ऐसा आभास होता है। उन्होंने कहा है-

कामदार जी लीखियो, दे वाणी पे कान।
भूल चूक राखी नही, पूरो आखर ज्ञान।।
लिख्यो जो सब सुण लियो, हे मन में संतोस
आखर-आखर सोध्या, काढ़ दिया सब दोस।

उन्हीं दोहों को डॉ. पूरन सहगल ने किशनलालजी के पुत्र माणकलाल फरक्या पोरवाल से प्राप्त कर **मालवा की ऐतिहासिक लोक कवयित्रियाँ** ग्रंथ में शामिल किया है। **छब चितरावण क्रसन री** में 135 साखियाँ है। जिसमें उन्होंने विविध कृष्ण-लीला की चित्रावलियों का अंकन किया है। वे सृष्टि के चित्रकार से कामना करती हैं कि वे रंग संयोजना के अनुरूप सृष्टि का चित्रण करते हैं। मैं आपकी लीलाओं का चित्रण कर रही हूँ, आप मेरी भूलों को मत देखना और मेरी लाज रख देना। उन्होंने कृष्ण लीलाओं और सौंदर्य को अद्भुत एवं अनुपम शब्दों में प्रस्तुत किया है-

छब चितराऊँ आप री, कर आखर सिंणगार।
रंग भर दीजै सोवता, जग रा सिरजण हार।।
तू चितरावे सृष्टि ने, मू छब चितरणकार।
म्हारी लज पत राखजे, तू मोटो चितकार।।
बाल सखा रे खांद चढ़, माखन चोर लबार।
इण छब आ हिरदै रमौ, साँवरिया सिरकार।।
राधा ने सिणगारता, फूला गजरा हार।
इण छब आ हिरदै रमो, साँवरिया सिरकार।।
गोचारण कर आवता, धूर धूसरित गुवार।
इण छब आ हिरदै रमो साँवरिया सिरकार।।

नवनिधिजी रात के चौथे प्रहर जाग कर जब भी कृष्ण भक्ति के गीत गाती थी। तब आस-पास की महिलाएँ भी उनके साथ घट्टी पीसते हुए गाने लगती थी। वे जब भी गाती थी, तब उनका मुँह हमेशा कभी गोकुल की ओर तो कभी मथुरा-वृन्दावन की ओर होता था। अपने कानूड़ा के शहरों को पीठ देकर वे कभी भी नहीं गाती थी। नवनिधिजी कहती हैं कि राधा-कृष्ण उनके हृदय में बसे हुए हैं, उनके रोम-रोम में कृष्ण का अनुराग समाया हुआ है-

कन्हैया थन्ने मुरली मधुर बजाई।
पेले परोड़े मुरली वागी, मूँ सूती झट जागी।
आँख मूंद सूती री सूती, होण लगी रस पागी।।
रोम-रोम हरसावण लागो, मन होयो अनुरागी।
तन और मन बिंदराबन होया, कालिंदी हरसागी।
राधा संग कंदब रे रेटे, लसै रूप छवि भागी।
हिरदै में पधराई जोड़ी, नयणा ने हरसागी।
कन्हैया थन्ने मुरली मधुर बजाई।

नवनिधिजी के अनुसार श्री कृष्ण की छवि इतनी सुन्दर हैं कि उसे देखकर मनुष्य का मन हर्षित हो जाता है। कन्हैया का मोर-मुकुट और उनके कानों के कुण्डल सहज ही मन को हर लेने वाले हैं। मेरे कन्हैया की दोनों आँखे सूरज-चन्द्रमा के समान है। गले की वैजन्ती माला, गजरा, कजरा, लाली और बिंदी सभी मतवाला कर देने वाली है। कृष्ण का ऐसा मतवाला रूप चर, अचर सभी को मोहित कर देता है-

कान्हा थारी निरखण, अजब अनूप।
मोर मुकुट रा माणक मोती, झलमल आभा देवे।
काना कुण्डल झूल-झूमने, सहजाइ मन हर लेवे।
चन्दो सूरज दोई आँखाँ, साँरया ने सेवे।
गल मोतिन की माला सोभे, सुभ वैजंती माला।
भंवर कड़ी झलकारा देवे, बेसर मोतिन माला।
गजरा कजरा लाली बिंदी कर देवे मतवाला।
जड़ जंगल सब मोवित कर दे,
मोहन मुरली वाला।
कान्हा थारी निरखण अजब अनूप।
नवनिधि निरख-निरख हरशाये, अद्भूत थारो रूप।

नवनिधि कुँवर ने **आर्तआहे** नामक कृति की रचना उस समय की जब वे पक्षाघात से पीड़ित थी। उनका इलाहबाद में इलाज चल रहा था। इस लघु कृति में 66 पद है। इसका प्रकाशन झालरा की रानी देवी सौभाग्यवतीजी ने संवत् 1991 में करवाया था। इस संग्रह में उनकी कारुणिक आर्तआहें अविरल रूप से संकलित है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा पारिवारिक उपेक्षा के भाव को उन्होंने इस संग्रह में काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। उनके इन पदों में आत्मव्यथा का अंकन हुआ है। वे कहती हैं -

हीनी रोग दबाय-पडियां दूखे पांसल्या।
हा! हा!! मारी हाय क्यो न सूणे, रे कान्हडा।
चसमो लोभ चढाया-कम सनेह परिजन कयो।
हा! हा!! मारी हाय-क्यो न सूणे रे कान्हाड़ा।
बालपणे विधवा हुई बढ़तो गयो विसाद।

नवनिधि ने आयो नहीं–सूख रो तनिक सवाद।
पुत्र और परिवार से–सब विधि भई निराश।
अब तो दुखिया हद्य में–यदुपति तेरी आश।।

नवनिधि कुँवर का सारा साहित्य लोक में व्याप्त है। उनके द्वारा रचित भजनों को नारियाँ तथा भजन मण्डलियाँ खूब गाती है। उनके विवाह के पहले का साहित्य उनके भाई कुँवर नरेन्द्रसिंह खांगारोत के पास सुरक्षित रहा। नवनिधिजी के विषय में कोई भी सामग्री उनकी भाट्खेड़ी रियासत से न मिलकर उनके सम्पर्क में रहने वाले दूसरे समाजजनों से मिली। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके भाई उनकी समस्त पोथियाँ अपने साथ ले गए थे।

नवनिधिजी मालवी लोक साहित्य की करुण रस की सिद्ध कवयित्री थी। उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनेक भक्ति परक भजन लिखे और उन्हें रोज सुबह–शाम गा–गाकर लोक में प्रचारित भी किया। मृत्यु के दिन भी उन्होंने तीन–गीत गाए थे। पहला प्रभात में, दूसरा दोपहर पश्चात्, तथा तीसरा सूर्यास्त के समय। तीसरा गीत गाते–गाते उन्होंने अपनी आँखे बंद कर ली थी। अपने आराध्य कृष्ण की छवि को निहारते–निहारते सूर्यास्त के साथ ही उन्होंने स्वयं को कृष्ण में समाहित कर दिया। कृष्ण भक्ति की करुणामयी काव्य साधिका कृष्ण में विलीन हो गई।

वह तीसरा गीत जो उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व गाया था–
कानूड़ा री रूप सूरूप छब न्यारी।।
मोर मुकुट पीताम्बर धारया, गल मोतिन री माला।
राधा रे संग सामे आयो, वृन्दावन रो लाला।।
बंसी बजातो, मंद मुलकातो, अजब गजब छब न्यारी।
जे निरखूँ वे एक रूप छब, ऊभा क्रसन मुरारी।।
चला चली री वेला आता, सुण ली अरजी म्हारी।।
नवनिधि ने खूद दरसन देवण, आया क्रसन मुरारी।।

यह गीत नवनिधिजी द्वारा मालवी लोक साहित्य को दिया गया आखिरी उपहार है। गीत गाते–गाते और रचते–रचते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वे आयी तो मारवाड़ से थी किंतु उन्होंने अपना सारा जीवन मालवा और अपने आराध्य कानूड़ा की भक्ति में बिताया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 डॉ पूरन सहगल– मालवा की ऐतिहासिक लोक कवयित्रियाँ।
2 डॉ शैलेन्द्रकुमार शर्मा– हिन्दी नाटक, निबन्ध तथा स्फुट गद्य विधाएँ एवं मालवी भाषा साहित्य।
3 डॉ पूरन सहगल– मालवा के संत भक्त।

****

अमृतराय कृत 'बीज' उपन्यास में राजनैतिक पक्ष

विद्या बिसेन *

प्रस्तावना – अमृतराय जी का रचना काल सन् 1936 से प्रारंभ होता है और तभी से हमारे देश में राजनीतिक उथल-पुथल भी अधिक तीव्र हो जाती है। इस समय तक ब्रिटिश शासन द्वारा दमन चक्र आरम्भ हो चुका था और दूसरी ओर गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन भी पूरे जोरों पर था। सन् 1935 में प्रान्तों में विधान सभाओं एवं विधान परिषदों का निर्माण हो चुका था। सन् 1936 में कांग्रेस का 49 वॉ अधिवेशन लखनऊ में हुआ। सन् 1936 के निर्वाचन में कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली। उन्होंने नागरिको को स्वतंत्रता देने के प्रयत्न किए। सन् 1945 में सुभाषचन्द्र बोस का असामयिक निधन हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया किन्तु इस विभाजन के भीषण परिणाम हुए। साम्प्रदायिक दंगे, बेरोजगारी, शरणार्थी समस्या आदि का हमारी नवनिर्मित सरकार को भयंकर सामना करना पड़ा। इन्ही दंगों के परिणाम स्वरूप 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई।

अमृतराय जी के साहित्य में इस राजनैतिक अस्थिरता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। किसी भी साहित्यकार की रचना धर्मिता को आकार देने में उसके परिवेश और संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रेमचन्द के पुत्र होने के नाते अमृतराय में प्रेमचन्द जी के गुणों का आना स्वत: है। इस दृष्टिकोण से हो सकता है कि दोनों के क्षेत्र समान रहे हो, किन्तु यह भी सत्य है कि अमृतराय की रचनाधर्मिता का अपना ही स्वतंत्र व्यक्तित्व रहा है। अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनके परवर्ती लेखन पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक प्रभावों की छाप स्पष्ट दिखलायी देती है। उन्हीं प्रभावों में सर्वोपरी है, राजनैतिक प्रभाव। 'हंस' के प्रकाशन के साथ-साथ ही अमृतराय जी का प्रथम उपन्यास 'बीज' सन् 1952 में प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत उपन्यास के केन्द्र में है।आजादी के बाद की परिस्थितियॉं। 'बीज' उपन्यास की पृष्ठभूमि में तत्कालीन राजनीति का उल्लेख है। 'युद्ध है, जमाखोरी है और भुखमरी है मेहनत मजदूर है, उनका शोषण है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है।'[1]

साम्यवादी विचारधारा के पोषक अमृतराय जी ने प्रस्तुत उपन्यास में तत्कालीन राजनीतिक हलचलों के जीवन्त चित्र उकेरे है। सन् 1942 की जनक्रांति, बंगाल का अकाल, शरणार्थी समस्या, स्वतंत्रता प्राप्ति, पाकिस्तान का निर्माण और स्वतंत्रता के पश्चात् भी देश की निरन्तर बढ़ती हुई दुर्दशा का विस्तृत उल्लेख 'बीज' में मिलता है।

उपन्यास का प्रमुख नायक है सत्यवान। सत्यवान के हृदय में देश के प्रति जितना गहरा प्रेम है, अंग्रजों से उतनी ही गहरी नफरत। वह जुलूस, नमक आन्दोलन, हड़ताल, प्रदर्शन आदि में सक्रिय रूप से भाग लेता है और इसी संदर्भ में '20 अगस्त 1942 को सत्य को 9 महीने की सजा होती है।'[2] जेल में ही उसकी मुलाकात एक राजनैतिक कैदी, वीरेन्द्र से होती है। सत्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 'आजाद हिन्द फौज' की रही। जिससे संबंधित सभी मीटिंगों में वह सहभागी होता है। स्वयं अमृतराय जी ने 'आजाद हिन्द फौज' के अनुशासन की प्रशंसा की है – 'एक लम्बे जमाने के बाद हिन्दुस्तान ने इस तरह के लाखों लोगों के जूलूस देखें और रैलियाँ देखीं जो बगावत के सैलाब की तरह थी, जिन पर डंडे-गोली का कोई असर नहीं था, जो डंडे खाकर उस वक्त तो तितर-बितर हो जाते थे मगर फिर चार अलग-अलग गलियों से होकर एक नुक्ते पर जाकर मिल जाते थे और आगे बढ़ने लगते थे। शायद दूसरी गोली की बारिश के इन्तजार में। जिन्दगी और मौत की यह ऑख-मिचौनी, सिर पर कफन बांधे बहादुरों का ये मर्दाना खेल कलकत्ते ने बहुत देखा।'[3]

लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास में बंगाल के अकाल का वीभत्स वर्णन भी किया है। जिसमें 30 लाख लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह मर गए। अनेक भयंकर दृश्य उपस्थित हुए। यह स्थिति वास्तविक न होकर व्यापारियों द्वारा जानबूझ कर उत्पन्न की गई थी। जिससे एक ओर जनता फौज में नाम लिखाने पर विवश हो जाए तथा दूसरी ओर शेष इतने कमजोर हो जाए कि देश की आजादी की लड़ाई में कोई भी भाग न ले सकें। आढ़तियों ने हजारों मन अन्न भर लिया था और इसके मनमाने मूल्य वसूल कर रहें थे। एक ओर काला बाजार बढ़ रहा था, जिससें आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही थी और दूसरी ओर भूख के कारण हुई मृत्युदर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, स्थिति इतनी असहनीय हो गयी थी कि भूख से निजात पाने के लिए लड़कियॉं अपनी देह का व्यापार करने के लिए विवश हो गई।'[4]

आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया। वर्षो की गुलामी की जंजीरें तो टूट गई पर स्थिति जस को तस ही बनी रही। जनता ये आशाएं लिए बैठी थी कि अब उनको भूख, गरीबी, जहालत और अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिल जाएगा। अब वह सुख पावेंगे। इसी कारण उसके स्वागत की तैयारी में चारों ओर 'शहनाईयॉं बज रही थी, ढोल और नगाड़े बज रहे थे, दीवालियॉं मनायी जा रही थी, जुलूस निकल रहे थे, कामनाओं के फूल खिल रहे थे।'[5] फिर भी अमृतराय जी के अनुसार साधारण जनता में वह उत्साह/उमंग नहीं था, जो वस्तुत: देश की आजादी के लिए होना चाहिए था। जनता केवल झंडाभिवादन, पकवान बनाने एवं दीए जलाने से ही संतुष्ट थी। 'क्योंकि कहीं दीवाली सज रही थी, कहीं होली जल रही थी, मकानों की, जिस्मों की, आबरूओं की।'[6]

यह वह समय था, जब एक ओर मार्क्सवाद का बोलबाला था तो दूसरी ओर प्रशासन उनको हथकड़ियॉं पहना रहा थी। उपन्यास का एक अन्य पात्र कम्यूनिस्ट अमूल्य पार्टी की सभा में बोलते हुए पकड़ लिया जाता है। उसके

*शोधार्थी (हिंदी) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

घर की तलाशी यह सोच कर ली गई कि 'जब इसका भाषण आपत्तिजनक था, तो जरूर उसके घर में आपत्तिजनक सामग्री भी होगी।'[7] वहीं अमूल्य का छोटा भाई ज्योति भी सड़क पर पोस्टर लगाते हुए पकड़ा जाता है। उसे जेल ले जाया जाता है और जेल में अनेक यातनाऍं दी जाती है। खानें के नाम पर खराब भोजन खाने को दिया जाता है। यही स्थिति सभी कैदियों की होती है। यहॉं तक कि कैदियों के माता-पिता को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में लेखक यह सोचकर अचरज में पड़ जाते है कि 'यह हालत है आजाद हिन्दुस्तान के मजिस्ट्रेटों की।'[8] लेखक के अनुसार देश की स्वतंत्रता के बाद भी जेल के अधिकारी सारी इन्सानियत खो बैठें है उसने तो- 'खिलवाड़ बनाया है, यह जेल है जेल। ज से जंट। ज से जल्लाद। ज से जेल।'[9]

इतना ही नहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बावजूद किसानों एवं निर्धनों को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इनकी भी स्थिति वैसी ही दीन-हीन बनी रही। जो स्वप्न इन लोगों ने देखा था, कि देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद उनको अपनी आवश्यकता की समस्त चीजें उपलब्ध हो जायेगी, शोषण से मुक्त हों जायेंगे। पर दुर्भाग्यवश 'सारी आशाएं धुऑं हो गयी।'[10] अमृतराय जी के समय में राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी पराकाष्टा पर पहुॅंच चुका था। अत: राष्ट्र के महत्तर स्वार्थ के समक्ष अमृतराय जी निजी एवं परिवारिक स्वार्थो को गौण समझते हैं। इसका उदाहरण हमें उपन्यास की नायिका 'उषा' में देखने को मिलता है। उषा अपने परिवार और गृहस्थी की चिन्ता किए बगैर महतरों की लड़ाई में सहयोग देने के लिए कूद पड़ती है, 'जहॉं सब कुछ जल रहा है वहॉं जलने में ही सुख है। यह अग्नि महान है, सृष्टि के नवजन्म का कुण्ड है।'[11]

अमृतराय जी का 'बीज' स्वतंत्रता के एक दम बाद रचा गया उपन्यास है। अत: इसमें स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् की राजनीतिक घटनाओं एवं परिणाम स्वरूप उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना का विस्तृत चित्रण मिलता है।

निष्कर्ष - इस प्रकार हम पाते है कि 'बीज' उपन्यास में राष्ट्रीय जीवन की विशिष्ट घटनाओं, असंगतियों, सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार और अनाचार को सशक्त अभिव्यक्ति मिली है। स्वतंत्रता के कई वर्षो पश्चात् भी देश की स्थिति, अधिक विषम अधिक दुर्भाग्यपूर्ण होती जा रही है। आज देश की समस्त जनता भी लेखक के साथ जागरूक है। वे जानते है कि यदि देश को समृद्ध बनाना है, तो इन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को पद से विमुख कर, सम्पूर्ण जनता में स्वस्थ राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना का संचार करना आवश्यक है। आज भी सत्य, वीरेन्द्र, अमूल्य, ज्योति और उषा जैसे युवाओं की इस देश को आवश्यकता है। जो देश की आम जनता के हृदय में क्रांति का शंखनाद कर उन्हे प्रेरित करते रहे। यही उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजली होगी, जिन्होंने आजाद भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गिरिजा कुमार माथुर - एक अंतरंग बातचीत अमृत से पृ0 62
2. अमृतराय - बीज पृ0 29
3. अमृतराय - बीज पृ0 133 - 134
4. अमृतराय - बीज पृ0 48
5. अमृतराय - बीज पृ0 217
6. अमृतराय - बीज पृ0 217
7. अमृतराय - बीज पृ0 180
8. अमृतराय - बीज पृ0 296
9. अमृतराय - बीज पृ0 296
10. अमृतराय - बीज पृ0 219
11. अमृतराय - बीज पृ0 332

****

लोकदेवता देवनारायण एवं बगड़ावत गाथा

डॉ. मेधा मनीष तिवारी *

प्रस्तावना – मालवा के लोकजीवन में लोकदेवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक और पौराणिक देवताओं के साथ-साथ ऐसे लोकदेवताओं की मान्यता भी समाज में प्रचलित होती जा रही है, जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण एवं लोकोपकारी कार्यो के कारण दैविक अंश के प्रतीक के रूप में स्थानीय जनमानस द्वारा स्वीकार किए गए हैं। जो यहाँ के जनमानस की धार्मिक आस्था जीवन मूल्यों एंव लोक विश्वासों का केन्द्र बिन्दु है।

ऐसी अटूट आस्था और विश्वास मालवाँचल में हर जगह दिखाई देता है। लोकदेवताओं के प्रति यहाँ जन-जन में अपार श्रद्धा है, ये गाँव-गाँव और घर-घर में स्थापित एवं पूजित हैं। भगवान से बढ़कर भी लोक में इनकी मान्यता है। इनमें प्रमुख है, गोगा जी, पाबूजी, रामदेवजी, तेजाजी, देवनारायण जी इनमें ऐसे अनेक गुण थे जिसके कारण ये श्रेष्ठ पुरूष लोकदेवता की श्रेणी में आए। यदि हम इनके जीवन पर दृष्टि डाले तो हम देखते हैं, कि ये सभी महान योद्धा थे, पराक्रमी योद्धा के साथ-साथ सभी उच्चकोटि के साधक भी थे।

साहस, निर्भयता, और वीरता के साथ-साथ सभी लोकदेवताओं ने योग साधना के द्वारा आध्यात्मिक सिद्धियाँ भी प्राप्त की थी, ये सभी आदर्श के लिए जिए और आवश्यकता पड़ने पर उसी के लिए बलिदान भी हो गए। ये लोकदेवता परोपकार, साहस गौ-रक्षा एवं स्त्री रक्षा, वचन निर्वाह आदि उदात्त गुणों से सम्पन्न होने के कारण आज भी लोकमानस में स्थापित है। विभिन्न अंचलों की लोककथा, गाथा और गीतों से लेकर विभिन्न लोकाचारों और लोकविश्वासों में इनकी प्रतिष्ठा है। लोकदेवताओं में भी देवनारायण महाराज को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। देवजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये लौकिक-अलौकिक गुणों से सम्पन्न देवता माने गए हैं। इनका जीवन चरित्र बगड़ावत नामक वीरगाथा में समाहित है।

देवजी का जन्म बगड़ावत गौत्र में हुआ था, इसलिए इस गाथा को ''बगड़ावत गाथा'' या ''बगड़ावत भारत'' भी कहा जाता है। ''बगड़ावत'' शब्द का सामान्य अर्थ है, बिगड़ा हुआ। वस्तुत: ''बगड़ावत'' बाघराव के पुत्र थे, इसलिए वे बगड़ावत कहलाए। राजस्थान में पैतृक संबंध पिता के नाम के आगे ''वत्'' अथवा ''उत्'' लगाकर दिखलाया जाता है। अत: बाघराव के पुत्र बाघरावत कहलाए। ''घ'' का अल्प प्राणीकरण तथा ''र'' का ड़ होकर बगड़ावत बना है। आदि स्वर ह्रस्व होकर रूप हुआ है।

बगड़ावत – बाघराव + वत् = बाघरावत > बागड़ावत > बगड़ावत [1]

बगडा़वत गूजरों की एक शाखा है। वैसे सोंधिया जाति की एक शाखा ''बगड़ावत'' भी है।

''हीड़'' की आंतरिक पुष्टि से यही बात प्रतीत होती है कि बगड़ावतों की उत्पत्ति सूर्याराव से होती है, पाँचवी पीढ़ी में बाघरावत उत्पन्न हुए। जिनके यहाँ 24 भाई बगड़ावतों ने जन्म लिया इनमें सबसे बडे भ़ोजाजी थे जिनकी लोकप्रसिद्धि का कारण उनकी तपस्या एवं ''देवनारायण'' जैसे पुत्र की प्राप्ति है।[2]

मालवा में देवनारायण जी को लोकसाहित्य में पर्याप्त स्थान मिला है। मालवा के लोकजीवन में ''हीड़' लोककाव्य मौखिक परम्परा के रूप में प्रचलित है। जो एक वृहद महागाथा का रूप लिए हुए हैं। इस लोक काव्य की विषय वस्तु मुख्यत: राजस्थान से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना को आत्मसात किए हुए हैं। जिसका संबंध मालवा से भी रहा है। मालवा एवं राजस्थान की ''हीड़' नामक गीतकथा बगड़ावतों के जीवन से संबंधित है। वे तत्कालीन समय में अपने वैभव, पराक्रम एवं मंगलकारी कार्यो के लिए प्रसिद्ध हुए थे। जिनके कार्यो का गुणगान आज भी बड़ी संख्या में भारत के मालवा परिक्षेत्र का लोकहृदय मुख्यत: दीपावली के पर्व पर स्वछन्द रूप से करता है। इस लोकगाथा में मालवा के तत्कालीन समाज एवं संस्कृति के साथ-साथ पशुपालन परम्परा एवं कृषि का वर्णन मिलता है। बगड़ावतों के संबंध में मालवा के लोकजीवन में यह मान्यता है कि इनके पूर्वज तथा इनका प्रारंभिक जीवन अत्यन्त दयनीय था, जो अपने परिश्रम और पशुपालन के विकास से अपने आप को सम्पन्न बनाते हैं।

इस प्रकार इन्हें धन तथा वैभव प्राप्त होता है और वे उसका उपभोग करते हैं। इस सम्पन्नता का उपयोग वे अनुचित कार्यो के लिए करने लगे, वह अन्याय पर उतर आए और उनका विनाश हो गया।

कालान्तर में उन्हीं के वंश में देवनारायण का जन्म होता है। जिनके अलौकिक एवं लोककल्याणकारी कार्यो से यह वंश उज्ज्वल होता है। देव जी बगड़ावतों में से प्रमुख भोजा की गूजर स्त्री साढूमाता के पुत्र थे।

मारवाड़ की मर्दुमशुमारी रिपोर्ट 1894 के अनुसार देवनारायण का जन्म संवत् 1300 के आस-पास हुआ। देवजी संपूर्ण राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात के गूजर गायरी समुदाय के देवता है।[3]

इन्हें देव, धर्मराज तथा नारायण नाम से सम्बोधित किया जाता है। उदल और कृष्ण भी इन्हें कहा जाता है। मुस्लिमों में उदलदातार के नाम से इन्हें मान्यता प्राप्त है। उज्जैन जिलें में (फरनाखेड़ी) में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। मालवा के प्राय: हर गाँव में देवजी के थानक मिलते हैं। इनकी पूजा, धूप, ध्यान देवरों में होती हैं। इनकी पूजा में नीम की पत्तियों को आवश्यक रूप से काम में लिया जाता है। नीम की पत्ती को पाँती की प्रतिष्ठा भी इन्होंने ही दी हैं। देवजी पुत्र प्रदाता है। नि:संतान औरतें आज भी देवनारायण के नाम का उनके देवरें में पालना बाँधकर मनचाही संतान प्राप्त करती है। लोकदेवता

* हिन्दी अध्ययन शाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

देवनारायण दिव्यपुरूष थे गौ-रक्षा, जल संरक्षक, वनसंपदा की रक्षा, जल स्त्रोतों की रक्षा आदि उन्हे लोकनायक बनाते हैं। देवनारायण बगड़ावत गाथा हमारी जातिय स्मृतियों, जीवन मूल्यों और इतिहास का दस्तावेज है। संपूर्ण बगड़ावत इतिहास में देवजी जैसा देवपुरूष और कोई नहीं हुआ। इनका यशस्वी जीवन अद्भूत कौशल और मानवीय उच्चादर्शो का अनुकरणीय उदाहरण है।

लोकदेवताओं की आराधना विभिन्न लोककलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। राजस्थान और मालवा में प्रचलित पड़ वाचन इसी प्रकार का एक सशक्त माध्यम है। लोकदेवता देवनारायण की आराधना भी पड़ वाचन के द्धारा की जाती है। भोपा जाति के गायक गायिकाऐं पड़ वाचन के द्धारा अपना विशिष्ट स्थान बनाते हैं। ये भोपा राजस्थान में मुख्यरूप से देवनारायण जी, गोगाजी, पाबूजी, भेरूजी, माताजी, आदि के मिलते हैं। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मालवा आदि अंचलो में देवनारायण जी के भोपे होते हैं। देवजी के भोपे लोकदेवता देवनारायण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को गाकर सुनाते हैं।

पड़ों मे सबसे पहले देवनारायण की पड़ बनी यह पड़ 13 हाथ से लेकर 25 हाथ तक की लम्बाई लिए होती है। सबसे अधिक चित्रांकन तथा सबसे लम्बी गाथा इसी पड़ में मिलती है। इसे मुख्यत: गूजर लोग बाँचते हैं। इनके अतिरिक्त राजपूत गाडरी तथा बलाई जाति के भोपे भी इसका वाचन करते हैं। इसे दो अथवा तीन भोपे मिलकर बाँचते हैं। इसके साथ बजने वाला वाद्य जंतर होता है। जंतर के साथ साथ कहीं कहीं मंजीरा तथा चिपियाँ भी बजाया जाता है।

पड़ प्रारम्भ करने से पूर्व सर्वप्रथम कुंआरी कन्या से चौका दिलाया जाता है। पूरी पड़ चित्रित करने से पहले उसमें देवजी की आँख तथा वासक कोर दिया जाता है। संवत्, मिति, भोपे तथा देवरे का नाम खाली छोड़ दिया जाता है। जिसकी पूर्ति भोपे द्धारा पड़ ले जाते समय कर दी जाती है। राजस्थान में पड़ बाँचने की 500 वर्ष पुरानी लोक परम्परा प्रचलित रही है। यह लोक कला शाहपुरा भीलवाड़ा के पड़ चित्रकारों की एक अनूठी देन हैं।[4]

राजस्थान के ग्रामीण परिवेश से निकलकर आज यह कला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक पृथक पहचान बना चुकी है। भीलवाड़ा के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सिद्धहस्त शिल्पकार श्री लाल जोशी ने इसे विश्व के अनेक देशों में लोकप्रिय बनाया है। यह विशुद्ध रूप से लोककला है, जो ग्राम्य जनजीवन से जुड़ी है। यह कपड़े और केनवास के साथ ही मंदिर और महलों की भीतरी दिवारों पर चित्रित की जाती है। इन चित्रों में लाल, पीले, हरे, बैंगनी, काले, सफेद और सुनहरे रंगो का विशेष प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर पड़ पेटिंग लोकदेवताओं की बनाई जाती है। इसमें भी देवनारायण, तेजाजी, पाबूजी, रामदेवजी, की पड़ प्रसिद्ध है। देवनारायण की पड़ सबसे लम्बी पड़ है। सबसे लम्बी गाथा भी इसी पड़ में मिलती है, इनकी जीवनगाथा पर आधारित एक बहुमूल्य पड़ चित्र आज भी जर्मनी के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। यह लोक कला गायन, वादन, नृत्य, मौखिक साहित्य चित्रकला का अद्भूत संगम है। पड़ ग्रामिणों के सरलतम विवरणात्मक व क्रमबद्ध कथन का सुन्दर प्रतीक है। यह हिन्दू धर्म से सम्बंधित है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू धर्म के प्रचार प्रसार का एक सुन्दर माध्यम है। यह जीविकोपार्जन का भी एक रूचिकर एवं सशक्त माध्यम है।

शीत ऋतु की रात्रियों में ही इसका गायन किया जाता है। ग्रीष्म में इसे गाना श्रम साध्य है। गाथा के वीररस प्रधान होने से गायन करते समय गायक औज एवं उत्साह से आपूरित हो उठता है। परिणामत: परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। देवजी के भोपे देवनारायण की जीवनगाथा से चित्रित परदा प्रदर्शन स्थल पर तान देते हैं। इनका प्रदर्शन रात को होता है। इसमें गाने वाले केवल भोपा और भोपी ही होते हैं। ये बहुत उँचे स्वरों में देवजी के पवाड़े गाकर सुनाते हैं। गूजर जाति के लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति होने पर देवजी की पड़ करवाते हैं। देवजी और उनके पूर्वजों के जीवन की अनेक चमत्कारिक घटनाऐं बगड़ावत महागाथा में समाहित है। इन्हीं घटनाओं से चित्रित परदे का प्रदर्शन देवजी के पड़ के भोपे गायन, संगीत एवं नृत्य से करते हैं।

इस प्रकार यह गाथा केवल देवनारायण की गाथा ही नहीं है।यह असत्य के प्रति सत्य का संघर्ष भी है, सदाचार और अनाचार की लड़ाई है। इस गाथा में जो शिक्षा दी गई है। उसका महत्व हर मनुष्य के लिए है। हमें इन गाथाओं को नष्ट होने से बचाना है, और इनको सहेजना है, तभी हम इनके अंदर छिपी शिक्षाओं को जान पाएंगे। यह पूरी गाथा हमें जीवनमूल्य और जीवन दर्शन सिखाती है। देवनारायण की इस गाथा में सामाजिक-धार्मिक समरसता और सहिष्णुता के दर्शन होते हैं। और ऐसा हो भी क्यों न देवनारायण का चरित्र है, ही ऐसा वे जाति धर्म क्षेत्र सबसे ऊपर है, उन्होंने अपना सर्वस्व जन और जीव की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। उनकी गाथा संकेत देती है, महनीय विश्वास यही है कि चैतन्य सत्ता एक ही है, अलग-अलग नामों से पुकारे जाने पर भी सुनती है, बशर्त पुकार सच्चे दिल से निकली हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा : राजस्थानी लोकगाथा का अध्ययन, पृ.65
2. डॉ. प्रहलादचन्द्र जोशी : मालवी लोककथाऍं, पृ.467
3. डॉ. महेन्द्र भानावत : देवनारायण रो भारत, पृ.5
4. श्री धर्मेन्द्र भटनागर : वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, राजस्थान 2004, पृ.640

****

डॉ. अम्बेडकर के विचार एवं उनके संविधान में दिए गए अधिकार

डॉ. निरूपमा व्यास *

प्रस्तावना – डॉ. अम्बेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य-भारत (अब मध्य प्रदेश में) स्थित नगर सैन्य छावनी महु में हुआ था। वे श्री रामजी मालोजी सकपाल और भीमा बाई की 14 वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो आंबडवें गाँव जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से सम्बंधित था। वे हिन्दू महार जाति से थे, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था।

स्कूली पढाई में सक्षम होने के बावजूद भीमराव को अस्पृश्यता के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, रामजी सकपाल ने स्कूल में अपने बेटे का उपनाम सकपाल की बजाय 'आंबडवेकर' लिखवाया, क्योंकि लोग अपना उपनाम गाँव के नाम से लगा देते थे, इसलिए भीमराव का मूल आंबडवें गाँव से आंबडेकर उपनाम में दर्ज किया। बाद में एक देशसत ब्राह्मण शाकिषक कृष्णा महादेव अम्बेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके नाम से 'आंबडवेकर' हटाकर अपना सरल 'अम्बेडकर' उपनाम जोड़ दिया, जो आज अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं।

डॉ. भीमराव का सम्पूर्ण साहित्य एवं लेखन – डॉ. अम्बेडकर के ग्रन्थ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं और पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं। उनके विचारों की पूरे विश्व में सरहाना की गयी। उनके लिखे हुए महान भारतीय संविधान को भारत का राष्ट्र ग्रन्थ माना जाता है, भारतीय संविधान किसी भी धर्म ग्रन्थ से कम नहीं है तथा वो विश्व के प्रमुख महानतम ग्रंथों में से एक है। भगवान बुद्ध और उनका धर्म ग्रन्थ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रन्थ है तथा बौद्ध देशों में बहुत मशहूर एवं महत्वपूर्ण है।

डॉ. अम्बेडकर बहुत प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। भीमराव को 6 भारतीय और 4 विदेशी, ऐसे कुल दस भाषाओं का ज्ञान था, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच और बंगाली ये भाषाए वे जानते थे। डॉ. अम्बेडकर ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लिखा है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के बावजूद भी उनकी इतनी सारी किताबें, निबंध, लेख, एवं भाषणों का इतना बड़ा यह संग्रह वाकई 'अद्‌भुत' है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे और यह प्रतिभा एवं क्षमता उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से हॉसिल की थी। वे बड़े साहसी लेखक और ग्रन्थकर्ता थे। उनकी हर किताब में उनकी असामान्य विद्धत्ता एवं उनकी दूरदर्शिता का परिचय होता है।

धर्म परिवर्तन (बोद्ध धर्म में) – सन 1950 के दशक में भीमराव अम्बेडकर बोद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्धानों के एक सम्मलेन में भाग लेने के लिए श्रीलंका (तब सीलोन) गए। पुणे के पास एक नए बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने घोषणा करी, कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं, और जैसे ही समाप्त होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे।

1954 में अम्बेडकर ने म्यांमार का दो बार दौरा किया। दूसरी बार वे रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने 'भारतीय बौद्ध महासभा' या 'बुद्धिस्ट सोसायटी आफ इण्डिया' की स्थापना की। अक्टुम्बर 1956 को नागपुर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजानिक समारोह का आयोजन किया। डॉ. अम्बेडकर ने श्रीलंका के महान बौद्धभिक्षुओं महतथवीर चंद्रमणि से पारंपरिक तरीके से त्वरित ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। भीमराव ने 15 अक्टूम्बर को नागपुर में अपने 2,00,000 अनुयायियों को बोद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल भीमराव ने 10 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। 'उनके इन विचारों से प्रभावित होकर बौद्धदेशों में से कई अभिनंदन प्राप्त हुए।'

अम्बेडकर ने दीक्षा-भूमि नागपुर, भारत में ऐतिहासिक बौद्ध धर्म में परिवर्तन के अवसर पर 14 अक्टूम्बर 1956 को अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाए निर्धारित की। जो बौद्ध धर्म का एक सार या दर्शन है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्धारा 10,00,000 लोगों का बौद्ध धर्म में रूपांतरण ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण था।

सन् 1927 में डॉ. अम्बेडकर ने छुआछुत के खिलाफ एक व्यापक आन्दोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्धारा, पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। अम्बेडकर ने कहा कि उस हिन्दू तीर्थो में जहाँ उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया।

'उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गाँधी द्धारा रचित शब्द ''हरिजन'' पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की।' सन 1941 और 1945 के बीच में उन्होंने बड़ी संख्या में अत्यधिक विवादस्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किए। जिसमें उनके विचारों ने लोगों को काफी प्रभावित किया।

डॉ. अम्बेडकर के विचारों में जाति व्यवस्था – डॉ. अम्बेडकर जी ने मुस्लिमों में व्याप्त बाल-विवाह की प्रथा और महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा-प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा हल्का पर्दा हिन्दुओं में भी होता है, पर इसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं, जबकि इसके विपरीत तुर्की जेसे देशों ने अपने आपको बहुत बदल दिया है।

डॉ. अम्बेडकर जी भारत के प्रथम कानूनी मंत्री, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके विचारों नें दलित बोद्ध आन्दोलन को प्रेरित किया

* (हिन्दी साहित्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया।

संविधान दिवस (26 नवम्बर) भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 125 वे जयंती वर्ष के रूप में 26 नवम्बर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। डॉ. अम्बेडकर जी ने भारत के महान संविधान को 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, में 26 नवम्बर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया।

अम्बेडकरवादी और बौद्ध लोगों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 में डॉ. अम्बेडकर के इस महान योगदान के रूप में 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' मनाया गया। 26 नवम्बर का दिन संविधान के महत्त्व का प्रसार करने और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था ।डॉ. अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। '1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न से सम्मानित किया गया है'। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। जैसे आंध्रप्रदेश का डॉ.अम्बेडकर मुक्त विश्विधालय, बी. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में हैं, जो पहले सोनगाँव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। अम्बेडकर का एक बड़ा अधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है।

मुंबई में हर साल लगभग पंद्रह लाख लोग उनकी वर्षगांठ (14 अप्रेल), पुण्यतिथि (6 दिसंबर) और धर्म चक्र परिवर्तन दिन (14 अक्टूम्बर) नागपुर में, उन्हें अपनी श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए इकट्टे होते हैं।

स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय में आंबेडकर के कुछ सिद्धांत थे, जिसे अम्बेडकरवाद के नाम से जाना जाता है ।

शिक्षित और अनपढ़ – शिक्षित व्यक्ति की भाषा में व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, इनकी भाषा व्याकरण सम्मत होती है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति की भाषा में व्याकरण का प्रयोग शिक्षित की तुलना में कम किया जाता है। शिक्षित की भाषा विचार-प्रधान होती है, जबकि अशिक्षित की भाषा में भाव की प्रधानता होती है।

शिक्षित की भाषा में विचार की प्रधानता होने के कारण यह साहित्य से निकटता रखती है, विचारों का आदान-प्रदान होने से विचारों में परिपक्वता आती है। और लेखन शैली विकसित होती है, बिना विचारे व्यक्ति किसी भी कार्य में पुर्णत: सफल नहीं हो सकता। 'विचारों के माध्यम से वह आगे बढ़ता है और समाज में अपनी अहम् भूमिका निभाता है'। विचार अच्छे हों तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होता है और विचार अच्छे न हो तो व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता।

विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षित व्यक्ति द्वारा अध्यापन कराया जा सकता है, क्योंकि उनकी भाषा विचार प्रधान होती है। अपनी श्रेष्ठ भाषा के प्रयोग के द्वारा किसी दुसरे व्यक्ति को किसी भी विषय पर स्पष्टतया समझाया जा सकता है। 'इंजिनियर, डाक्टर, वकील की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही, ये उच्च पद प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इन व्यक्तियों की भाषा समाज को नयी दिशा प्रदान करती है'। अशिक्षित व्यक्ति की भाषा स्वयं की ही अपरिमार्जित होती है, वह दूसरों का मार्गदर्शन नहीं करता है।

शिक्षित व्यक्ति विभिन्न सामाजिक बुराईयों से दूर रहता है तथा अन्य व्यक्तियों को भी इस हेतु प्रेरित करता है। भारत में प्राचीन काल से सुव्यवस्थित शिक्षा की परंपरा रही है। ब्रिटिश काल में इसके सीमित प्रयास किए गए अत: केवल 18 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में काफी प्रयास किए गए। किन्तु अभी भी भाषा में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति न केवल सामाजिक बुराइयों से बच सकता है। बल्कि वह अपने अर्जित ज्ञान से विज्ञान व तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकता है। 'अत: शिक्षित व्यक्ति अपनी भाषा के प्रोयग द्वारा समाज के हर क्षेत्र में उन्नति करता जा रहा है'।

अशिक्षित की भाषा के विषय में कहा जा सकता है की –
साहित्य संगीत कला विहीन:, साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीन:
तृणम न खादन्नपि जीवमान:, तद भाग देयम परम पशुनाम 1)
अर्थात

जो मनुष्य साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला से विहीन है, वो साक्षात पुंछ और सींगो से विहीन जानवर की तरह है। यह जीव घास तो नहीं खाता पर अन्न से जीता रहता है। ऐसे मनुष्य को परम पशुओं की श्रेणी में रखना चाहिए ।

1. हिंदी निबंध और पत्र लेखन डॉ. रामविलास गुप्त, पृष्ठ संख्या 130

ग्रामीण और शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, इन क्षेत्रों के लोग सामान्यत: आड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के लोग कई तरह की भाषाओ का प्रयोग करते हैं। जिसमें खड़ी बोली का विशेष स्थान है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, स्पेनिश आदि। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में इन भाषाओँ को सीखने के लिए कई शिक्षण संस्थाएं संचालित की जाती है, ताकि शहरी क्षेत्रों के बच्चे अन्य शहरों में जाकर उस शहर में वहीं की भाषा का प्रयोग कर सकतें हैं और वहाँ पर अपना व्यवसाय या रोजगार स्थापित कर सकतें हैं।

ग्रामीण के द्वारा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग तोड़-मोड़ कर किया जाता है, जबकि शहर में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अधिक व स्पष्ट रूप से किया जाता है। ग्रामीणों की भाषा सीधी और सरल होती है। जबकि शहरी भाषा में बनावटीपन होता है। ग्रामीण भाषा मे अधिकतर कठे जई रिया, कई करी रिया, ऐसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

इस प्रकार गांव में और शहर की भाषा में अंतर होता है, गाँव वालों को ज्यादा कहीं बाहर जाने का अवसर नहीं मिलता है। शहरों में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाए होती हैं, जहाँ के लोग आपस में मिलते जुलते हैं, उनमें बातचीत होती है। एक दूसरे से परिचय बढ़ता है। इसी कारण एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण कई भाषाओ का ज्ञान प्राप्त होता है । 'शहरीकरण और शहरों की दुर्व्यवस्था की प्रवृत्ति के कारणों से सरकारी नीतियों की अदूरदर्शिता भी विद्यमान हैं, किसी कार्यालय के मंत्रालय का सम्बन्ध विशुद्ध ग्रामीण व्यवस्था या कृषि जैसे कार्यो से ही क्यों न हों, उनकी अवस्थिति नगरों में ही रखी गई हों' ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संविधान ।
2. सर्वोदय पुस्तक ।
3. डॉ. अम्बेडकर का साहित्य ।
4. विभिन्न पत्र-पत्रिका ।
5. डॉ. अम्बेडकर के लेख ।

मेहरून्निसा परवेज की कहानियों का समकालीन कहानी लेखन के आधार पर स्त्री विमर्श

डॉ. रश्मि दीक्षित *

प्रस्तावना – साहित्य में मूल्यगत मर्यादा के विकास की एक सहज सुदीर्घ प्रकृति सदैव विद्यमान रही है। यह प्रकृति मूल्य संबंधी चिंतन की अनवरत परंपरा का परिणाम है। प्राचीन धर्म ग्रंथों ,वेद, उपनिषद्, पुराण, गीता एवं भारतीय दर्शन में मानवीय मूल्य चिंतन व्यापक रूप में परिलक्षित होता है। रामायण एवं महाभारत में भी मानवीय मूल्य संबंधी चिंतन विविध संदर्भो में प्रस्तुत है।

भारतीय दृष्टि चेतनावादी है। जिसमें जड– चेतन और प्राणी मात्र में कोई भेद नहीं रहता। सर्वत्र ही ईश्वरीय सत्ता की अभिव्यक्ति हैं। अत: भारतीय मनीषियों ने व्यक्ति में उदात्त गुणों और सात्विक प्रवृत्तियों की कल्पना करते हुए उसे ईश्वर का प्रतिरूप बताया है। सात्विक प्रवृत्तियों में करूणा, दया, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, अहिंसा, सत्य, क्षमा, आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार, समस्त जड चेतन के मध्य तादात्मय, लोक मंगल की भावना, कर्त्तव्यबोध आदि उदात्त गुण है, जो मानवीय मूल्य का निर्धारण करते है। मूल्य सृजन की प्रक्रिया में मानवीय चेतना एवं अनुभूति महत्वपूर्ण है। इसका प्रकट पक्ष भारतीय जीवन दर्शन में उदात्तता, काल प्रवाह की निरंतरता मनुष्य जीवन के लक्ष्य एवं आस्था में है।

मानवीय मूल्य से उपजी मानवीय चेतना संकुचित विचारधाराओं में सीमित न होकर व्यापक क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये सार्वभौमिक ,सार्वकालिक एवं शाश्वत् होते है। युगीन परिवेशगत भिन्नता होने पर इनका मात्र स्वरूप बदलता है। श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों में भेद नहीं होता।

समकालीन लेखन – विभिन्न कालों में मानवीय चेतना संबंधी चिंतन का विवेचन समसामयिक रचनाओं में प्राप्त होता है। आधुनिक काल में मानव अस्मिता के संकट के कारण साहित्य में मानवीय चेतना संबंधी चिंतन को प्रमुखता दी गई। आधुनिक काल में मूल्य संबंधी चिंतन का महत्व शताब्दियों की दासता से उपजी मानसिक विकृतियों, सामाजिक अव्यवस्थाओं, कुरीतियों, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति एवं महायुद्धों से उपजे मानवीय संकट के परिणाम स्वरूप रेखांकित हुआ। मानव में आस्था के स्थान पर अनास्था का स्वर प्रमुख रूप से उभरा। चारों ओर अमानवीयता, असहिष्णुता तथा स्वेच्छाचारिता का वातावरण निर्मित हो गया। जहां व्यक्ति सबसे अधिक असुरक्षित होने लगा। परंपराओं की शाश्वत्ता को परखे बिना ही आधुनिकता बोध के नाम पर उन्हें त्याज्य मान लिया गया।

इन परिस्थितियों में आधुनिक काल के साहित्यकारों ने मानव की प्रतिष्ठा हेतु मानवीय चेतना संबंधी चिंतन का रचनात्मक रूप साहित्य की विविध विधाओं में रखने का प्रयास किया। विभिन्न कहानी संग्रहों तथा उपन्यासों में समसामयिक युगीन परिस्थितियों एवं समस्याओं को उभारा गया तथा समाज सुधार हेतु समाधान प्रस्तुत किए। युगीन समस्याओं का मानव की संवेदना के आधार पर मानवीय मूल्य एवं चेतना ,अस्तित्व संघर्ष, प्राचीन एवं नवीन मान्यताओं का संघर्ष एवं आदर्श का प्रतिपादन देखा जा सकता है।

प्राचीन काल से मनुष्य का मन जिज्ञासु रहा हैं। मनुष्य की जीवन अनुभूतियों का व्यापक क्षेत्र होने के कारण मनुष्य की जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढती गई। जीजीविषा होने के कारण मनुष्य ने निरंतर जीवन के नये मार्ग खोजने के प्रयास किए है, उसकी इस खोज में कला साहित्य एवं संस्कृति अधिक उपयोगी सिद्ध हुए। साहित्य में मानवीय मूल्य संबंधी चिंतन की विशाल परंपरा है। मूल्य यद्यपि दर्शन का विषय है, तथापि साहित्य की कलात्मक अभिव्यक्ति में यह सहज रूप से उपलब्ध है। साहित्य के अतिरिक्त मानवीय मूल्य संस्कृति में भी उपलब्ध होते है। साहित्य और संस्कृति दोनों में मानव के उत्थान पतन ,उपलब्धियां और परिस्थितियां सुरक्षित होती है। अतएव मानवीय मूल्य की विवेचना साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य के सामाजिक परिवेश के माध्यम से संपन्न होती है।

मेहरून्निसा परवेज के प्रारंभिक कहानी संग्रहों की श्रेणी में 'आदम और हव्वा', 'उसका घर' आदि आते है। इन कहानी संग्रहों में लेखिका ने मानवीय मूल्यों के आधार पर अपने समयानुसार तथा परिवेशगत कहानीयों की रचना की है।' पाश्चात्य मानवीय मूल्य चिंतन का महत्व फ्रांस की क्रांति इंगलैंड की औद्योगिक क्रांति तथा प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् मुखर हुआ है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि मानवीय अस्तित्व के संघर्ष के परिणाम स्वरूप मानवीय मूल्य संबंधी चिंतन एवं साहित्य अस्तित्व में आया। यद्यपि भारतीय तथा पश्चिमी जीवन में मूल्य चिंतन के धार्मिक तथा मिथकीय स्त्रोत पूर्व से विद्यमान थे तथापि इनका सुव्यवस्थित अध्ययन बीसवी शताब्दी की देन है

स्त्री विमर्श – सदियों से होते रहे स्त्रियों पर शोषण व दमन के प्रति स्त्री शक्ति ने ही स्त्रियों की स्थिति पर सोचने के लिए विवश कर दिया है। स्त्रियों के आत्म–सम्मान, गौरव, समता का अधिकार आदि को दिलाने की पहल की जा रही है। यह वस्तुत: स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद की संकल्पना है लेकिन बीसवीं शती के बाद इसे आगे बढ़ने का वातावरण मिला।

नारी को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विमर्श की आवश्यकता पड़ी। पुरूषों का एकाधिकार तथा फरमानशाही का माहौल ही स्त्री को बाहर लाने में समर्थ हुआ। स्त्री विमर्श का अर्थ है– अपनी अस्मिता की पहचान, 'स्व' की चिंता, अपने अस्तित्व का बोध और अपना अधिकार बताने की स्वतंत्रता। यह पुरूषों की सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का जरिया है। 'अहं' की चिंता ही स्त्री विमर्श की शुरूआत है। जब मन पर बुद्धि हावी हो जाती है, तो परंपराओं को तोड़कर आधुनिकता को अपना लिया जाता है। तभी स्त्री

* व्याख्याता, कर्मवीर विद्यापीठ, खंडवा (म.प्र.) भारत

शक्ति आगे बढती है। वर्तमान समय में आधुनिक स्त्री के बारे में प्रभा खेतान की मान्यता है कि 'आज स्त्री ने सदियों की खामोशी तोड़ी है। उसकी नियति में बदलाव है, उसके व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य दर्शन, उसका मन-मिजाज सभी बदल रहा है।'

समकालीन हिन्दी साहित्य में भी स्त्री विमर्श की अपूर्व पहल नजर आती है। यह सही है कि स्त्री जीवन हिन्दी की कहानियों का केन्द्रिय विषय भी रहा है। अनेक रचनाकारों ने अपनी कहानियों में स्त्रियों के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। चाहे मेहरून्निसा की 'फाल्गुनी' हो, या शिवानी की 'अपराधिनी', मृणाल पांडे की 'परिधी' की नायिका, सभी में नारी ही केन्द्रिय भाव में नजर आती है। इनमें स्त्री ही लोक जीवन की कथा का केन्द्र रही या अपनी कथा व्यथा सुनाती रही। अपनी अस्मिता, आत्मचेतना एवं अस्तित्व बोध के प्रति नारी की सजगता स्वतंत्रता के बाद की कहानियों में ज्यादा स्पष्ट दिखाई दी।

समकालीन हिन्दी कहानी में नासिरा शर्मा की 'औरत के लिए औरत', ममता कालिया का 'छुटकारा', उषा प्रियवंदा का 'कितना बड़ा', मालती जोशी 'आनंदी', मेहरूनिसा परवेज 'अम्मा' आदि में स्त्री विमर्श की पहल दिखाई देती है।

नारी अपने शरीर को बहुत बार स्वेच्छा से नहीं बल्कि अधिकांशत: मजबूरन बेचती है, कभी परिवार वालो के कहने पर, नहीं तो परिवार के भरण-पोषण के लिए उसे अपनी देह को कमाई का जरिया बनना पड़ता है। लेकिन इस सच्चाई को भी वह निडरता से व्यक्त करती है तथा खुलेआम अपने काम को स्वीकार करती है। मेहरून्निसा परवेज का 'खेलावड़ी' तथा 'ओढ़ना आदि कहानियाँ इसी पर आधारित है। 'खेलावड़ी' में नारी मजबूरीवश वेश्या बनी है जबकि 'ओढ़ना' में बनाई गई है।

वर्तमान नारी आर्थिक रूप से स्वयं पूर्ण बन रही है। वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेती है तथा पुरूषों पर आश्रित नही है। यहां तक की बिना पत्नी बने मातृत्व स्वीकारने में भी उसे कोई झिझक नहीं है। मेहरून्निसा परवेज की कहानी 'शनाख्त' में नायिका बिना अपने पति के साथ रहे अपनी पुत्री को पालती है। वह कहती है 'पति यदि अच्छा रहे तो ठीक नहीं तो चिथड़े का गुड्डा ही अच्छा है।' शराबी पति, निकम्मा और बहशी हो तो स्त्री कब तक उसे सहन करती रहेगी'।

हमारे समाज में नारी को घर-गृहस्थी का दायित्व संभालने के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षित भी किया जाता है, आधुनिक काल में भी पढ़ी-लिखी नारी को भी रसोई के कौशल में परिपूर्ण बनाया जाता है। लेकिन स्त्री-विमर्श के प्रभाव स्वरूप महिला वर्ग में कुछ ऐसे पात्र दिखाई देते है। जिनमें आत्मनिर्भरता की चेतना के फलस्वरूप हर मामले में पूर्ण बनने की धारणा विकसित दिखाई देती है। 'अयोध्या से वापसी' कहानी में भी नायिका की विद्धवत्ता का शोषण किया जाता है।

निष्कर्ष- स्त्री शक्ति, स्त्री विमर्श आदि कठिन शब्दों ने जहां नारी को पुरूषों के आगे ससम्मान बिठा दिया हो पर फिर भी नारी है तो कोमलांगी, उसके मन में भी कोमल मन है, वह अपने मन में अथाह समुद्र समेटे हुए है, दुख सुख परेशानियाँ सब सहते हुए जीती है, पर आवाज उठाना नही चाहती, अपने मन के भाव व्यक्त नहीं कर पाती। अपनी भावनाएँ, कुंठा, अवसाद आदि को किससे कहे, मन ही मन कुढती है, पति का साथ, असंतुष्टि की भावना, अतृप्ति सब सहन करती है। पर अपनी बेबसी किसी से नहीं कह पाती है। अपने अस्तित्व एवं आत्मचिंतन के परिणाम स्वरूप अब स्त्री इतनी स्वतंत्र है कि वह अपने को महज बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं मानती। संस्कारों एवं समाज की खातिर वह अपने को चारदीवारी में कैद नहीं कर सकती है। 'स्व' के प्रति कर्मठता अपने अधिकार एवं अस्तित्व की चेतना स्त्री विमर्श की मुख्य शक्ति है, जो समकालीन कहानी साहित्य में दिखाई देती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मेहरून्निसा परवेज-सोने का बेसर (कहानी संग्रह) 1991
2. मोर्चे पर स्त्री-अंजु दुआ जेमिनी, 2008
3. साठोत्तरी महिला कहानीकार - डॉ. मंजु शर्मा, 1992

****

अम्बेडकरवाद की चुनौतियाँ और समाधान

डॉ. बिन्दु परस्ते *

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य में दलित लेखन का प्रादुर्भाव होने के पूर्व ही मराठी में दलित साहित्य लेखन की सुदीर्घ परम्परा थी। अत: हिन्दी का दलित साहित्य मराठी के दलित साहित्य से प्रेरित रहा।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा 03.11.1920 को सम्पादित और प्रकाशित पत्र मूलनायक से दलित साहित्य का उद्‌भव माना जा सकता है क्योंकि डॉ. अम्बेडकर ने दलित समाज में जागृति लाने हेतु सर्वप्रथम समाचार पत्र को ही अपना माध्यम बनाया था। अपने विचारों, चिन्तन और उद्देश्य की क्रियान्विति हेतु इसी पत्र का सहारा लिया लेकिन तीन वर्ष तक प्रकाशन होने के पश्चात्‌ डॉ. अम्बेडकर के विलायत चले जाने पर यह बंद हो गया। अप्रैल 1927 में इसका नाम परिवर्तन हुआ और वही समाचार पत्र बहिष्कृत भारत के पश्चात्‌ 'समता' नामक मासिक पत्र जून 1928 को प्रकाशित होने लगा। सन्‌ 1953 में औरंगाबाद के श्री सुखराम हिवराले की अध्यक्षता में दलित साहित्य परिषद का अधिवेशन हुआ।

दलितों के उत्थान में महात्मा गाँधी के अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गाँधीजी ने दलितों की समस्याओं का गहन चिंतन मनन किया। गाँधीजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दलित ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य हैं। हम सभी मनुष्य एक समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। गाँधीजी ने दलितों को 'हरिजन' नाम दिया जिसका अर्थ है हरि अर्थात ईश्वर के पुत्र।

इस प्रकार दलित साहित्य विविध पड़ावों को पार कर एक साहित्यिक आंदोलन का स्वरूप ले पाया। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका डॉ. अम्बेडकर की प्रेरणा से 1974 में स्थापित 'दलित पैन्थर' के दलित साहित्यकारों ने तीखे शब्दों में अपनी रचनाओं के माध्यम से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरूद्ध आक्रोश व्यक्त किया। वास्तव में दलित रचनाकारों की यह मान्यता है कि दलित लेखक द्वारा रचित साहित्य ही दलित साहित्य है, उनकी संकुचित मानसिकता का प्रमाण है।

'इस दृष्टि से तुलसीदास, अमृतलाल नागर, निराला, प्रेमचन्द, महादेवी वर्मा, नागार्जुन आदि के साहित्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि साहित्य में महत्व संवेदनाओं का होता है।'

दलित साहित्य पर विचार करते समय जो अन्य प्रश्न हमारे समक्ष उठता है, वह यह है कि सवर्ण लेखकों तथा दलित लेखकों के बीच साहित्य के सौन्दर्य–शास्त्र की कसौटी को लेकर विवाद बना हुआ है। क्या दलित साहित्य परम्परागत सौन्दर्य–षास्त्र की कसौटी पर खरा उतर सकता है? यदि नहीं तो दलित साहित्य में सौन्दर्य बोध के कौन–कौन से आधार हैं? क्या इस साहित्य की कला पक्ष की दृष्टि से समीक्षा आवश्यक है? इन सभी प्रश्नों पर विचार करते समय सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि सवर्ण लेखकों व दलित लेखकों के इस सम्बंध में क्या तर्क है? सवर्ण लेखकों का मानना है कि पाठक साहित्य को साहित्य के रूप में पढ़ता है चाहे वह किसी भी वर्ग द्वारा लिखा गया हो। दलित लेखक अपने साहित्य को अपनी कथा, वेदना, प्रश्न और समस्याओं की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में देखता है लेकिन दलित साहित्य का पाठक लेखक की पुस्तक को 'साहित्य' के रूप में ही पढ़ता है। इस कारण लेखक और पाठक के बीच होने वाली समानधर्मिता टूट जाती है।

दलित्तेतर समीक्षकों की मान्यता है कि किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन कलावादी दृष्टि व मूल्यों के आधार पर ही होना चाहिए। दलित साहित्यकारों द्वारा अलग समीक्षाशास्त्र की रचना करने का कोई औचित्य नहीं है। उनका साहित्य यदि महान होगा तो वह किसी भी कसौटी पर खरा उतरेगा, नकारने से मूल्य नष्ट नहीं होते। मूल्य नकार दिए जाएँ तो दलित साहित्य मूल्यांकन से वंचित होगा।

सवर्ण समीक्षक यह मानते है कि दलित साहित्य का मूल्यांकन रूढ़ व परम्परागत समीक्षाशास्त्र के आधार पर होना चाहिए। साहित्य के जो चिरन्तन मूल्य हैं, वे कभी नहीं बदलते। 'सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌' की अवधारणा ही भारतीय साहित्य का आधार हैं।

इसके विपरित दलित साहित्यकारों की मान्यता है कि कला नामक संकल्पना अस्थिर और परिवर्तनशील होती है। बदलती संस्कृति के साथ साहित्य भी बदलता है। यदि ये कसौटियाँ बदलती नहीं है तो साहित्य और समीक्षा का सम्बंध टूट जाएगा। साहित्य की भाँति समीक्षा का स्वरूप भी बदलता रहा है।

दलित साहित्य का मंतव्य ही मानवता, समता, न्याय तथा स्वतंत्रता की स्थापना है। अत: इस साहित्य में कला मूल्य की तुलना में सामाजिक मूल्यों पर बल दिया गया। इस संदर्भ में दामोदर मोरे ने लिखा है – 'दलित सौन्दर्यबोध पूर्णता के साथ मनुष्य के निजत्व को पालने वाली अदम्य आकांक्षाओं को निरंतर बलवान करता है। वस्तुत: यह सौन्दर्यबोध संघर्ष का है, तो मनुष्य को दासवृत्ति, जड़ता, छुआछुत, ऊँचनीच, शोषण, उत्पीड़न आदि से जूझने की षक्ति प्रदान करता है।'

इसी तारतम्य में शरण कुमार लिंबाले कहते हैं – 'आनंद और सौन्दर्य के लिए दुनिया में कभी कोई क्रांति नहीं हुई। समता, स्वतंत्रता और न्याय को स्वीकार करने वाला साहित्य क्रांतिकारी होता है और वह मनुष्य और समाज को केन्द्र बिन्दु मानता है। स्वतंत्रता की भावना साहित्य का प्राण तत्व तो है ही उसमें सौन्दर्य तत्व के रूप में भी है। दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र (1) कलाकारों की सामाजिक प्रतिबद्धता (2) कलाकृति में जीवन मूल्य (3) पाठकों के मन में जाग्रत होने वाली समता, स्वतंत्रता, न्याय और भ्रातृभाव की चेतना मूल तत्वों पर टिका रहने वाला है।

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

उपर्युक्त विवेचनोपरांत स्पष्ट है कि सवर्ण समीक्षकों और दलित लेखकों को दलित साहित्य के सौन्दर्यशास्त्र के विवाद को आगे न बढ़ाकर परस्पर सौहार्द का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। दलित वर्गो द्वारा रचित साहित्य परम्परागत सौन्दर्यशास्त्र द्वारा निर्धारित कलात्मक मूल्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से शोषित वर्ग जो कटु यथार्थ का सामना आजीवन करता रहा है। उसके द्वारा अनुभूत कटु सत्य की अभिव्यक्ति तो हो सकती है जिसके कारण उनकी भाषा में विद्रोह और नकार का भाव प्रभावी है परन्तु उनसे उस सूक्ष्म व काल्पनिक तथा परिष्कृत भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, जो प्राय: रंजनवादी सवर्ण साहित्य में दिखाई देती है। फिर भी इस वर्ग को अपने साहित्य को और बेहतर बनाने, अपनी भाषा को संयत व प्रभावी बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। सवर्ण समीक्षकों को भी सौन्दर्य बोध की पृष्ठभूमि को देखते हुए दलित साहित्य की अनुभूति तीव्रता को देखते हुए उसमें सौन्दर्य को खोजने की दृष्टि लानी होगी।

आज हम सतह पर विचरण कर रहे हैं। इसकी मुख्य पृष्ठभूमि डॉ. अम्बेडकर ने बहुत पहले तैयार कर दी थी। डॉ. अम्बेडकर जिन्होंने दलित उत्थान में अपना जीवन समपर्ण कर दिया। उन्होंने ही हमें सिखाया कि समाज में आने वाली समस्याओं और उनसे जूझने की ताकत हम कैसे कर सकते हैं। अपनी सोई हुई शक्तियों को जाग्रत कर समाज में अपना स्थान कैसे बना सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर के अमूल्य योगदान के लिए भारत देश उनका हृदय से ऋणी रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सामाजिक संचेतना और नासिका शर्मा वैश्वीकरण, स्त्री विमर्श, दलित चेतना – डॉ. (श्रीमती) मनीषा शर्मा।
2. दलित साहित्य आंदोलन – डॉ. चन्द्रकुमार वरठे।
3. दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र – डॉ. शरणकुमार तिम्बाले।
4. दलित चेतना – प्रणव बंधोपाध्याय।

****

हिन्दी एकांकी में आर्थिक जीवन की अभिव्यक्ति

डॉ. मनीषा सिंह मरकाम *

प्रस्तावना – वर्तमान आधुनिक समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए एकांकियों का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से हम समाज में व्याप्त समस्याओं को विस्तारपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं और उन समस्याओं को समाज के सम्मुख भी रख सकते हैं। समाज पर वर्तमान भविष्य पर किसी भी प्रकार से हो रहे अत्याचार अपनी रचनात्मकता के आधार पर दिखाकर हम अपने समाज के खोखलेपन उनके दोषों को बताकर अन्याय की संभावना होने पर उसे रोककर तत्कालीन राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष को नई दिशा और आयाम दे सकते हैं। हमारे समाज में यूँ तो कई समस्याएँ हैं किन्तु यदि हम हमारी एकांकियों में निम्न वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति पर बात करें तो उन लोगों का जीवन अत्यंत ही दुरूह है, सबसे पहले पिछड़ेपन का कारण उस वर्ग के लोगों में अशिक्षा का होना। अशिक्षा उनकी भूख, गरीबी, रहन–सहन के तरीकों को कई तरह से प्रभावित करती हैं। उनमें घुटन, संत्रास, मानसिक विकृतियों का बोलबाला है। निम्न वर्ग के लोगों का हर तरह से शोषण करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। समाज दो वर्गों में बँटा था दास और स्वामी दास या गुलाम परिस्थितिवश आजन्म अपने स्वामियों का काम करते थे। आजकल समानता के प्रयास कि जा रहे हैं। पूँजीवादी परम्परा को समाप्त करने के उपाय सुझाए जा रहे हैं। एकांकियों के द्वारा समाज में एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कोई ऊँच–नीच, धनी–निर्धन, लिंगभेद नहीं हो, परन्तु यह विचार निस्संदेह काल्पनिक और अव्यवहारिक भी प्रतीत होते हैं। क्योंकि निम्न वर्ग के लोगों की आर्थिक एवं अन्य सभी प्रकार से दुर्दशा ही दुर्दशा है। वे बेहद लाचारी का जीवन जीने को आज भी विवश हैं। उच्च वर्ग उनके साथ सदाचार से पेश आए यह तो एक स्वप्न की भाँति लगता है। उनकी लाचारी के कई दृश्य लक्ष्मीनारायण लाल ने अपनी एकांकी 'औलादी का बेटा' में बताए हैं – दसिया एक भंगिन है। भीखी उसका बेटा है और क्याँरी उसकी बेटी। घर के सब लोग गाँव की सड़कों पर झाड़ना, नालियों को साफ करना आदि काम करते हैं। उन्हें कभी पेट भर खाना नहीं मिलता। घर में क्वारी बेटी है लेकिन बिना पैसे से उसका विवाह कैसे हो? इसलिए विवश होकर दसिया ऐसी जगह उसका रिश्ता पक्का कर देती है। जिसमें अदला–बदला है। अपनी बेटी उनके घर और उनकी बेटी अपने घर। रिश्ता पक्का करने जब मेहमान आते हैं, मेहमान दो दिन रूकते हैं, उन दो दिनों में उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। मेहमानों को भोजन कहीं से मांग कर खिलाया जाता है। उन दिनों दसिया, भीखी और हिरिया तीनों को भूखा रहना पड़ता है। मेहमान की खातिरदारी में दसिया काम पर नहीं जाती, जमादार खूब गालियाँ देता है। जवान बेटे को मेहमानों के सामने जूते से मारता है। नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है, परन्तु वे तो सदा से ही अपमानित, प्रताड़ित हैं। वे क्या कर सकते हैं? नौकरी चली जाने पर वे क्या खाएँगे। मेहमानों के सामने और अधिक बेइज्जती नहीं हो इसलिए दसिया और भीखी को ही जमादार के चरणों में झुक कर माफी माँगनी पड़ती है।

सुबह से शाम तन तोड़कर मेहनत करने पर भी उन्हें दो जून की रोटी और मनुष्यों का सम्मान नहीं मिलता। वह सिर्फ दिखने में जानवरी नहीं हैं इसलिए उसे सिर्फ मानव मान लिया गया है पर मानवोचित्त कोई भी एक अमीर, जमींदार, व्यापारी उस गरीब व्यक्ति के साथ नहीं करता। इसलिए उसका मन सदैव नैराष्यता से परिपूर्ण रहता है। मध्यमवर्गीय परिवारों की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। वे भी अधिकारियों एवं शोषकों द्वारा शोषित हैं। वे लोग भी अधिक कठिनाईयों का सामना करते–करते त्रस्त होकर आत्मबलिदान की स्थति को प्राप्त करते हैं। रामचन्द्र महेन्द्र द्वारा रचित 'कलम का एक मजदूर' एकांकी के माध्यम से वह सुनहरीलाल बाबू जैसे कई पीड़ितों की कहानी को बयाँ करते हैं।

सुनहरीलाल बीमार हैं और बीमारी की अवस्था में भी वह दफ्तर जाते रहते हैं परन्तु उनका बुखार बढ़ता ही चला जाता है और उन्हें लम्बे अरसे की छुट्टी लेने को मजबूर होना पड़ता है। अब उनके घर की स्थिति बड़ी विचित्र बन जाती है। सुनहरीलाल की पत्नी अपनी बेटी को रामरतन के यहाँ से चार आने लाने को कहती है। रामरतन की पत्नी कहती है – 'रोज–रोज पैसे मांगने आ जाती है। आप बीमार हैं तो हम क्या करें? यहाँ क्या कुएँ खुदे हैं या तुम्हारा कर्ज है जो उमर भर देते रहेंगे। आज तो दिए देती हूँ, आगे मत आना।' इन पंक्तियों से हमें यह सबक मिलता है कि अच्छे दिन में भी साथ देते हैं और बुरे दिन में सभी साथ छोड़ देते हैं। यह एकांकी हमें बतलाती है कि यदि एक नौकरी पेशा आदमी अपनी नौकरी से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो फिर उससे त्याग, तपस्या, सच्चाई ईमानदारी की कल्पना करना व्यर्थ है। अपने सहयोगी साथियों, अधिकारियों की स्वार्थ सिद्धी से भी बेचारा शोषक निराश हो जाता है। अंततः सुनहरीलाल का हार्ट फेल हो जाता है, फिर भी मैनेजर अविश्वास व्यक्त करते हुए कहता है – 'हार्ट फेल हो गया। बहाना तो नहीं कर रहा है।' फिर कहता है – 'बैंक का फर्ज यह नहीं कि क्लर्क के मुर्दे जलाने का इंतजाम करे। यह नहीं हो सकता। इनके घर वालों को खबर दो कि मुर्दा उठा ले जाएँ।'

मध्यमवर्गीय परिवार में कोई सुखी नहीं है। धनवानों के जीवन में पैसों का बड़ा महत्व है। उनका मानना है कि रूपयों के बल पर दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। वे अपने द्वारा किए गए बुरे कार्यों को भी धन से धोना चाहते हैं। वह अपने धन के बल पर किसी के जीवन से खिलवाड़ भी कर सकते हैं, वे प्रेम की अपेक्षा पैसे को अधिक महत्व देकर प्रेम को खरीदने की कोशिश करते हैं, पैसों के घमंड में चूर–चूर होकर धनी लोग किसी को कुछ

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

भी नहीं समझते। विनोद रस्तोगी की एकांकी 'प्यार और पैसा' में कामना अपने प्रेमी की अवहेलना करती है – 'क्या तुम समझते थे कि तुम्हारे साथ नंगी–भूखी रहने के लिए शादी कर लूँगी? मेरी अपनी इच्छाएँ, अपने सपने हैं जो उन्हें पूरा कर सकेगा मैं उसी से शादी करूँगी।' इस एकांकी में लेखक के द्वारा यह दर्शाया गया है कि अमीरों में पैसों की चाह आत्मीयता और सहानुभूति को समाप्त कर देती है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है, जिससे शोषक–शोषित की समस्या और अधिक गम्भीर होती चली जा रही है। यह समस्या तब तक बरकरार रहेगी जब तक सामाजिक मूल्यों में भिन्नता सामाजिक अयोग्यता, राजनीतिक पक्षपात जैसी परिस्थितियाँ होगी, परन्तु वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह विचार योग्य प्रश्न है कि आर्थिक संरचना ही इस तरह के संघर्ष का मुख्य बिन्दु है, मानव मात्र समान है, हमें इस बात की ओर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुछेक परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो हमारा समाज अब बदल रहा है, जब हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी तब किसान और मजदूर वर्ग जमींदारों के अत्याचारों को सहन करते हुए अपना जीवन यापन करता था, किन्तु अब षोषित वर्ग भी चेतना सम्पन्न हो गया है, वे संगठित होकर मुकाबला करने को तैयार हो गये हैं।

मानवी जीवन में कुछ एकसी प्रवृत्तियाँ है. जो निम्न, मध्य या उच्च वर्ग की धरोहर नहीं हैं। अर्थ लोलुपता, काम भावना, रिश्वतखोरी, दया, घृणा, धन जमा यह सभी स्तर के लोगों में समान रूप से पाई जाती है। इस तरह से हमारे समाज में जीवन के आर्थिक पक्ष का दायरा बहुत विस्तृत है, हम जिन जीवन मूल्यों पर बल देते हैं, वे दृढ़ से दृढ़तर होने चाहिए। हमें अपने जीवन से विघटनात्मक मूल्यों को हटाकर नीति धैर्य की रक्षा कर तनाव कम करना चाहिए। मानव मन में जब अज्ञानता और अशिक्षा का शिकार होता है, तब असत्य को ही सत्य मान बैठता है। संसार में किसी भी अर्थ की स्थिति और सत्ता एक सी नहीं रहती। बदलती हुई सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति के कारण अर्थ का स्वरूप बदलता चला जा रहा है। समय के अनुसार अर्थ के स्वरूप को बदलना ही चाहिए। दुनिया उलझनों से भरी हुई है। पैसा रात–दिन मनुष्यों की नई–नई उलझनों को सुलझाने का काम करता रहता है। सुशिक्षितों और बेकारी का प्रश्न आए दिन गम्भीर होता जा रहा है। जिसका मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, अपूर्ण औद्योगिक विकास, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली विश्वविद्यालयों की भरमार आदि अनेक ऐसे कारण हैं, जो समाज को पूर्ण विकसित नहीं होने दे रहे हैं। सभी एकांकीकारों ने कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के जीवन में ठहराव लाने का प्रयास किया है। हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह् ही लगाया है बल्कि उसमें नैतिक दृष्टि से परिवर्तन करने का मार्ग भी सुझाया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लक्ष्मीनारायण लाल – 'औलादी का बेटा' एकांकी।
2. रामचन्द्र महेन्द्र – 'कलम का एक मजदूर'।
3. विनोद रस्तोगी – 'प्यार और पैसा'।
4. राजेन्द्रकुमार शर्मा – 'कालिख और लाली'।

****

सितार वादन पर तराना शैली का प्रभाव

डॉ. अंकित भट्ट *

प्रस्तावना – गायन और वादन में पारस्परिक सम्बन्ध तराना गायकी में उपलब्ध होता है। सितार वादन में गायकी अंग की शैली से तात्पर्य उस वादन शैली से है, जिसमें गायन शैली की बंदिशें सितार पर बजाई जाती हैं। गायन शैली की बंदिशों से तात्पर्य ध्रुवपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा आदि से है। इस शोध पत्र में सितार वादन पर तराना शैली के प्रभाव को विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है।

तराना भी ख्याल के प्रकार की ही एक गायकी है। इसमें गीत के बोल ऐसे होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे – ता ना दा रे, तदारे, ओदानी, दीम, तनोम इत्यादि।

तराने के दो भाग होते हैं – स्थायी व अंतरा। तानों का इसमें खूब प्रयोग होता है। तराना में राग, ताल, लय का आनन्द है। इसमें शब्दों की ओर कोई ध्यान नहीं देता।[1]

तराने में निरर्थक पदों का (शब्दों) का यद्यपि कोई बुद्धिगम्य नियत अर्थ नहीं होता, फिर भी संगीत में उनकी विशेष ध्वनि व छन्द संयोजन मन को प्रभावित करने में सक्षम होती हे, जैसे– तोम् ताना नोम् आदि शब्दों से युक्त रागालाप या तराना इत्यादि।[2]

कुछ विद्वान तरानों के बोलों को निरर्थक नहीं मानते उनकी धारणा है कि तराना के शब्द या बोल फारसी के सार्थक शब्दों जैसे 'ओदानी' का अर्थ वह जानता है, 'त दानी' का तुम जानते हो तथा परमात्मा के लिए पर्यायवाची शब्दों जैसे अली, अला, अलहिला, लिल्ला, अललूम आदि द्वारा रचित तथा अर्थपूर्ण होते हैं।[3]

बहुत से नए एवं पुराने उस्तादों ने तरानों की रचना में योगदान किया। सेनिया घराने के बहादुर हुसैन खाँ (प्यार खाँ के भान्जे व दत्तक पुत्र) ने सैंकड़ों तरानों व सरगमों की रचना की। उ. अब्दुल करीम खाँ, उ. फैयाज खाँ, मुश्ताक हुसैन, कृष्णराव शंकर पंडित, उस्ताद आमिर खाँ आदि ने तराना गायकी को विशेष दिशा दी तथा वर्तमान काल में तराने को काफी तेज़ लय में गाने की एक शैली प्रचलित हुई है।[4]

डॉ.शंकरलाल मिश्रा ने एक साक्षात्कार में कहा कि गायन और वादन में पारस्परिक सम्बन्ध तराना गायकी में उपलब्ध है। कई तरानों पर आधारित गत की रचना की गई है और कई गतों पर आधारित तरानों की रचना की गई है। तराने के विषय में मैं यह बताना चाहूँगा कि इसके बोलों को लोग अर्थहीन मानते हैं किन्तु कुछ मुसलमान गायक इसके बोलों का संबंध फ़ारसी और अरबी भाषा से जोड़ते हैं। मैंने संस्कृत के अमर कोष में काफी समय लगाने के बाद प्रचलित तरानों के बोलों का सम्बन्ध संस्कृत भाषा से पाया। प्रचलित तराने के बोलों को संस्कृत के शब्दों को जोड़कर अर्थ सहित तरानों की रचना मैंने की है।[5]

कहा जाता है कि सितार वादन की रज़ाखानी गत का प्रचलन तरानों से ही हुआ। वाद्ययंत्र संगीत में जिस प्रकार भाषा के बदले बोलों के माध्यम से स्वर सुललित छंदो में ध्वनित होते हैं, कण्ठ में भी इन बोलों के समान तराना की वाणी का व्यवहार होता है।

तरानों के आधार पर ही वाद्ययंत्र संगीत में रजाखानी गत की सृष्टि हुई।[6] गुलाम रज़ा नामक एक अच्छे सितार वादक लखनऊ में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में थे। इन्होंने बंदिशों की ठुमरी तथा तराने के आधार पर मध्य तथा द्रुत लय की गतें निर्मित की जो बड़ी आकर्षक थीं।[7]

गायन की अन्य शैलियों पर आधारित अन्य गतों की ही तरह गायकी की एक प्रमुख शैली तराने पर आधारित करके भी सितार की कई बंदिशों का निर्माण किया गया है। इन बंदिशों में मिजराब के बोलों द्वारा तराने के शब्दों का आभास कराया जाता है। तराना शैली पर आधारित बंदिशों में मिजराब की प्रधानता नहीं होती है बल्कि इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि उस तराने के शब्द स्पष्टत: सितार पर उच्चारित हो सकें जिस पर कि वह बंदिश आधारित है। द्रुत लय का तराना तंत्र वादकों की द्रुत गत से निकट संबंधित है। इसमें लयकारियों व तिहाइयों आदि का प्रयोग होता है तथा मिजराब के बोलों की तरह झड़ी बांध दी जाती है। विभिन्न सितार वादकों ने तराना शैली पर आधारित अनेक बंदिशों की रचना की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सितार वादन पर तराना गायन शैली का भी बहुत प्रभाव रहा है। विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर ने तो अपने गुरु बाबा अलाउद्दीन खान साहब के वादन शैली में गायन की सभी विधाओं के प्रयोग का उल्लेख इस प्रकार किया है 'Musician who follow Baba's example may now choose from a great many vocal and instrumental style-alap, dhrupad, dhamar, khayal, tarana, tappa, thumri and synthesize creating a whole new concept of interpretation and performance.'[8]

पद्म भूषण श्री देबू चौधरी के अनुसार नाद का उच्चारण सबसे पहले हुआ, भाषा बाद में आई। चाहे सितारियों ने तराना बनाया हो या तराने के बाद सितार की गत बनी हो। हमें दोनों ही मान लेना चाहिए। ग्वालियर घराने के जो तराने होते हैं, वह तंत्रकारी अंग के तराने होते हैं। कुछ तराने साज की बन्दिश पर बने और कुछ तरानों पर साज की बन्दिशें बनीं।[9]

तराना शैली की गतों को सितार वादकों ने अपनाकर तथा इस शैली पर आधारित नवीन बंदिशों की रचना करके सितार वादकों ने अपनी वादन शैली को और भी कलात्मक रूप प्रदान किया। भिन्न–भिन्न सितार वादकों ने ख्याल, ठुमरी, टप्पा व तराना आदि पर आधारित बंदिशों का अपनी रुचि अनुसार वादन किया। उनके वादन में जिस अंग की प्रमुखता रहती है, उन्हें

* सहायक प्राध्यापक, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई टोंक (राज.) भारत

उसी शैली का वादक कहा जाता है। वर्तमान कालीन प्राय: सभी तंत्रकारी अंग के सितार वादक अपनी वादन शैली में गायकी अंग का समावेश मानते हैं।

प्रस्तुत है मिज़राब के बोलों के विवरण के साथ उपर्युक्त तराने की स्वरलिपि –

राग बिहाग 'द्रुतलय गत' ताल तीन ताल[10] (देखे)

गत समीक्षा–उपर्युक्त बंदिश राग बिहाग के तराने पर आधारित है, जिसे उस्ताद इनायत खाँ साहब ने सितार पर बजाया है। सम्पूर्ण गत में ष्दारा दारा बोल की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है तथा गत का चलन भी सीधा व सरल है।

निष्कषर्त: तराना भी ख्याल के प्रकार की एक गायकी है। इसमें गीत के बोल ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे – ता ना दा रे, तदारे, ओदानी, दीम, तनोम इत्यादि। कुछ लोग अमीर खुसरो को तराना गायकी का जन्मदाता कहते हैं, तो कुछ लोग संस्कृत के आधार पर तरानों की उत्पत्ति बताते हैं। एक अन्य मतानुसार तराने की उत्पत्ति ध्रुपद गायन शैली से तथा सितार–सरोद जैसे तंत्रवाद्यों के बोलों से हुई है।

द्रुत तराना, तन्त्रवादकों की द्रुत गत से निकट से सम्बन्धित है। तीनताल में द्रुत गतों की तरह ही इसमें लयकारियों, तिहाइयों आदि का प्रयोग होता है तथा मिज़राब के बोलों की तरह झड़ी बाँध दी जाती है। कुछ गायक मध्य लय अथवा द्रुत लय में ख़याल गायन की तरह इसका विस्तार करते हैं।

तरानों की बंदिशों में ज़्यादातर गायकों और वादकों ने बंदिशों के अंतर्गत मूल स्वरावली वही रखी ,परंतु सितार के बोल युक्त करने हेतु कुछ परिवर्तन करने पड़े। प्रस्तुत है उस्ताद शाहिद परवेज़ द्वारा बजाया हुआ राग दरबारी का यह अति लोकप्रिय तराना।

राग दरबारी – ताल –एकताल (देखे आगे पृष्ठ पर)

उस्ताद शाहिद परवेज़ जी ने इस तराने को उस्ताद अमीर खाँ के गायन के आधार पर बजाया है, जो कि वर्णित स्वरलिपि से थोड़ा हटकर है। उस्ताद शाहिद परवेज़ जी ने यह उस्ताद अमीर खाँ की गायकी के आधार पर ही पूर्णत: बजाया है न कि स्वरलिपि के आधार पर।

इस तराने की दूसरी पंक्ति यानि 'माँझा' में उस्ताद शाहिद परवेज ने अपने तरीके से बजाया है। स्थाई में दूसरे पर खाली पर के ध परदे से ध़ सा ऩी रे सा ऩी सा मींड़ एक ही परदे से ली है। यह तीन मात्रा की मींड़ है, जो बहुत सुंदर एवं कठिन तरीके से ली गई है; जो सितार पर गायन का प्रभाव उत्पन्न करती है।

केवल तराना गायन ही तन्त्रवादन से प्रभावित नहीं है, जिस प्रकार द्रुत ख़याल और ठुमरी पर आधारित गतों का वादन होता है, उसी प्रकार तराना की बन्दिशों पर आधारित द्रुत गतों को बजाया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. गर्ग ,एल.एन. – संगीत विशारद – पृष्ठ सं. 147
2. शुक्ल , डॉ. शत्रुधन – ठुमरी की उत्पत्ति, विकास और शैलियाँ – पृष्ठ सं. 295
3. मिश्रा , अरूण – भारतीय कंठ संगीत और वाद्य संगीत – पृष्ठ सं. 106
4. जैन , डॉ. वीणा कुमारी – सैनिया घराने की शैली एवं परंपरा; शेध प्रबंध – पृष्ठ सं. 301
5. मिश्रा , अरूण – डॉ. शंकरलाल मिश्र जी से साक्षात्कार – भारतीय कंठ संगीत और वाद्य संगीत – पृष्ठ सं. 285
6. चौधरी , विमल कांत राय – भारतीय संगीत कोष – पृष्ठ सं. 66
7. वर्मा , डॉ. गौरी – तंत्री वाद्य सितार एवं वादनीय बंदिशें – पृष्ठ सं. 78
8. रॉय , डॉ. एस. सुदीप – जहाँ–ए–सितार – पृष्ठ सं. 88
9. मिश्रा , अरूण – भारतीय कंठ संगीत और वाद्य संगीत – पृष्ठ सं. 268
10. रॉय , डॉ. एस. सुदीप – जहाँ–ए–सितार – पृष्ठ सं. 88

राग बिहाग 'द्रुतलय गत' ताल तीन ताल[10]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
स्थाई								सा	मम	गग	म	प	प	नी	सां
								दा	दिर	दिर	दा	दा	रा	दा	रा
नी	–	ध	प	ग	म	ग	सा								
दा	–	दा	रा	दा	रा	दा	रा								
								ऩी	प़	ऩी	सा	ग	म	प	नी
								दा	रा	दा	रा	दा	रा	दा	रा
सां	रें	संनी	धप	ग	म	ग	सा								
दा	रा	दिर	दिर	दा	रा	दा	रा								
अंतरा								ग	गग	ग	म	प	प	नी	सां
								दा	दिर	दा	रा	दा	रा	दा	रा
सां	नी	प	नी	सां	नी	सां	सां	प	नी	सां	गं	गं	रे	सां	नी
दा	रा	दा	रा	दा	रा	दा	रा	दा	रा	दा	रा	दा	रा	दा	रा
सां	नी	ध	प	ग	म	ग	सा								
दा	रा	दा	रा	दा	रा	दा	रा								
ग				2				0				3			

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

राग दरबारी – ताल –एकताल

स्थाई

रे	–	रे	रे	–	सा	धसा	नी	रेसा	ध	–	नि
दा	ऽ	रा	दा	ऽ	रा	दाऽ	ऽ	ऽऽ	दा	ऽ	रा
अंतरा										म	म
										दा	रा
प	–	प	ध	नी	प	सां	–	सां	–		
दा	ऽ	रा	दा	रा	दा	दा	ऽ	रा	ऽ		
										प	प
										दि	र
पनी	सांरें	रें	रें	–	सां	ध	नि	प	–		
दिर	दिर	दा	रा	ऽ	दा	दा	रा	दा	ऽ		
										प	प
										दि	र
गं	गं	मं	रें	सां	–	ध	नी	प	–	पम	प
दा	रा	दा	रा	दा	ऽ	दा	रा	दा	ऽ	दिर	दा
पं	सां	सां	म	प	नी	ग	म	रेसा	ध	–	नी
दा	ऽ	रा	दा	रा	दा	दा	र	दिर	दा	ऽ	र
ग		0		2		0		3		4	

****

सांची स्तूप में अंकित नारीयाँ

सोनाली टोके * डॉ. अल्पना उपाध्याय **

प्रस्तावना – सांची मध्य भारत में लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यहां कई बौद्ध स्मारक है, जो तीसरी शताब्दी ई.पू. से बारहवीं शताब्दी के बीच के काल के है। सांची में रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। यही एक महान स्तूप स्थित है। लगभग ढाई सौ फीट ऊंची पहाड़ी पर तीन स्तूप है। इनमें से जो सबसे बडा अंडाकार स्तूप है। उसके तोरणों के शिल्प के कारण ही सांची को विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त हुई है। प्रकृति देवी की गोद में सांची की श्री देखते ही बनती है। वर्षा में पहाडियां निखर जाती है। तब खिरनी के धुले हुए पत्तों की हरीतिमा भी मन को मोह लेती है। सांची में तीन स्तूप है, जिस स्तूप पर यह शिल्प–कृतियां आंकी गई है। वह मौर्य काल का है।[1]

सांची के तोरण क्रम से तैयार हुए थे। दक्षिण, उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम तोरण क्रमश: निर्मित हुए। तोरण के कारण सांची की बनावट अत्यंत सौन्दर्मय हो जाती है।[2] चारों तोरण द्धार अलंकरण में लगभग एक से हैं। लगता हैं कि इनका निर्माण काष्ठकारों ने किया था। इनके बीच में चौकोर शीर्षक तथा तीन छोटे स्तम्भ हैं। शीर्षकों के ऊपर पीठ से पीठ सटायें सिंहों का अग्रभाग एवं खड़े हुए हाथी या बौने बैठे दिखाए गए हैं। नीचे के सिरदल के सिरों को संभालती हुई वृक्षिकाएं, वृक्षदेवता, शाल, भंजिमाएं या पक्षियां खड़ी हैं। ऊपर की वृक्षिकाएं आकार में छोटी हैं। अन्य खाली स्थानों में अश्वारोही या गजारोही विद्यमान हैं। तोरणों को प्राचीन साहित्य में धनुषाकार और विचित्र लता–पत्रों से अलंकृत बताया गया हैं।[3]

सांची के प्रभविष्णु स्तूप और महान वेदिका युक्त तोरण द्धार, किन्तु सुन्दर गढ़ी हुई मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई। एक ओर वास्तु शास्त्र के नए विधान स्थिर किए गए, दूसरी ओर मूर्ति शिल्प में लालित्य और रूप विधान का भी विकास हुआ। जिसके फलस्वरूप यक्षी, सुदर्शन यक्षी जैसी सुन्दर स्त्री मूर्तियों की रचना की गई है, अनेक प्रकार के आभूषणों ओर वस्त्रों द्धारा सौन्दर्य विधान का बहुत अच्छा विकास मिलता है। इसी के साथ साथ शुंग कालीन कला में रसतत्व और आनन्द को भी विशेष स्थान दिया गया। स्त्री के मुखों पर प्रफुल्लता से भरा हुआ दिव्य आनन्द छलकता हुआ दिखाई देता है। कला में इस प्रकार का हंसतामुखी सौन्दर्य एवं मग्नानन्दी अंकन तभी होता है जब कलाकार शिल्पी हंसते–खेलते लोक जीवन के साथ तन्मय हो गया हो।[4]

यहां बुद्ध के जन्म का प्रतीकात्मक अंकन मायादेवी को स्वप्न में स्वर्ग से आकर एक श्वेत गज को गर्भ में प्रवेश करते हुए दर्शाया गया हैं। सांची की वेदिका पर गजलक्ष्मी का अंकन भी विशेष लोकप्रिय प्रतीत होता है जिसमें कमल पुष्प पर लक्ष्मी वस्त्राभूषण धारण किए हुए खड़ी हैं तथा दो हाथी उन्हें घड़े से उड़ेलकर स्नान कराते हुए अत्यन्त कलात्मक ढंग से प्रदर्शित किए गए हैं।[5] नायिका के अलंकारों को भी अनुभावों में सम्मिलित कर लिया गया है। नायिका की शारीरिक चेष्टाओं में तो भाव की प्रेरणा स्वीकार की जा सकती है। किन्तु भावना से असम्बद्ध सामान्य अलंकारों को भी अनुभावों में स्थान देना उचित नहीं कहा जा सकता।नायिका के अलंकारों को भी अनुभावों में सम्मिलित कर लिया गया है। नायिका की शारीरिक चेष्टाओं में तो भाव की प्रेरणा स्वीकार की जा सकती है। किन्तु भावना से असम्बद्ध सामान्य अलंकारों को भी अनुभावों में स्थान देना उचित नहीं कहा जा सकता।[6]

सांची स्तूप में शालभंजिका, सुर–सुन्दरी, नायिका, अप्सराओं की प्रतिमाएं वस्त्राभूषणों से अलंकृत उन्नत वक्ष, क्षीण कटि बड़े नितम्ब, और दीर्घ जंघा के माध्यम में, क्षेत्रीय रमणीय सौन्दर्य की कमनीय छवि के लिए हुए है। सांची स्तूप जिन यक्षिणी की आकृतिया खुदी है, उनके नितम्ब तथा वक्षस्थल स्थूल तथा भार सहित दिख पड़ते है। कला की सुन्दरता के अन्य नमूने अप्सराओं के अंग प्रत्यंग के विन्यास से उपलब्ध होते हैं। सांची स्तूप पर खुदी यक्षिणी स्वस्थ तथा मांसपेशियों सहित प्रदर्शित है। उन्हें वृक्ष के सहारे खड़ा रहना सुन्दरता का साधन समझते थे। इसलिए वृक्षिका (शालभंजिका) पत्र तथा शुंगकालीन कला में प्रदर्शित की गई थी।[7]

तारा मूर्ति द्धिरथ चौकी के कमल पर खड़ी हैं। बाएं हाथ के कमल की नाल बाई और रखें कमल से निकलती हैं। यहां पट्ट दो भागों में विभाजित हैं। इसके आभूषणों में हीरकहार, मेखला, कड़े, पायल और कंकण उल्लेखनीय है। त्रिभंग में खड़ी यह मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण हैं।[8]

स्त्रियों की सुन्दर मूर्तियां गढ़ने में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई, जैसा वेदिका स्तम्भों से प्रकट है। उनके रुप और आकृतियों में बहुत लालित्य है और आभूषण एवं वस्त्रों का भी न्यूनतम प्रयोग किया गया है। वेदिका स्तम्भें की शालभंजिकाऐं उद्यान क्रीड़ा और सलिल क्रीड़ा की विविध मुद्राओं में दिखाई गई है। इन दृश्यों में सामाजिक संस्कृति का स्फुट अंकन है। स्त्री मूर्तियां पृष्ठभूमि से उर्ध्व निर्गम के साथ खम्भों पर गढ़–गढ़कर काढ़ी गई है।[9]

सांची की कृतियों में यक्षिणी के जिस सौन्दर्य का वर्णन मिलता है। कलाकारों ने तदनुरुप आकृति देने की भरपूर चेष्टा की।[10] इस आकर्षण से यौन–भावना ही नहीं अन्य अनेक भावावेग आविर्भूत होते हैं, जो एक दूसरे का समन्वय करते हुए अथवा संयुक्त होते हुए अत्यन्त मनोहारी प्रतीत होते हैं। यहीं कारण है कि संसार के सब सौन्दर्य श्रृंगार में सन्निहित हो जाते है।[11]

सांची शिल्पी भंगिमाओं द्धारा दृश्य में मोहकता ले आता हैं रस सृजन

* शोधार्थी (चित्रकला) माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** गाइड (चित्रकला) माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

के लिए जिन तत्वों का समावेश आवश्यक हैं, शिल्पकार उन सब को दृश्यों में ले आने की चेष्टा करता हुआ दिखाई देता हैं।[12]

संदर्भ ग्रंथ सुची :-

1. कला के प्राण बुद्ध – चन्द्र डॉ. जगदीश – मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद, पृ. 51
2. प्राचीन भारतीय स्तूप गूहा एवं मंदिर, उपाध्याय, डॉ. वासुदेव बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ. 64
3. शिवराममूर्ति – एम.ए.एस. आई. (73), पृ. 10 ''दूराल्लक्ष्यं सुरपति धनुष्चारूणा तोरणेन'' (मेघदूत 2.15), ''तोरणैः काञ्चनैर्दिप्तां लतांपंक्ति विचित्रत्रैः'' (रामायण, 5/2/18)।
4. भारतीय कला – अग्रवाल डॉ. वासुदेवशरण – पृथिवी प्रकाशन वाराणसी, पृ. 155
5. भारतीय स्थापत्य एवं कला – उपाध्याय डॉ. उदयनारायण – तिवारी प्रो. गौतम, पृ. 71
6. भारतीय साहित्य में श्रृंगार रस – गुप्त डॉ. गणपति चन्द्र – नेशनल पब्लिशिंग हाउस, पृ. 21
7. प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान – उपाध्याय डॉ. वासुदेव – चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी–1 पृ. 304
8. सांची – मिश्र भास्करनाथ – मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृ. 62
9. भारतीय कला – अग्रवाल डॉ. वासुदेवशरण – पृथिवी प्रकाशन, वाराणसी पृ. 262
10. प्राचीन भारत का राजनीतिक वं सांस्कृतिक इतिहास – पाण्डेय डॉ. रामनिहोर – प्रामानिक पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद पृ. 640
11. प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी – शर्मा डॉ. गजानन, पृ. 30
12. कला के प्राण बुद्ध – चन्द्र डॉ. जगदीश – मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद, नागपुर, पृ. 76

****

Corporate Social Responsibility

Chirag Banthiya *

Abstract - August 29, 2013 was a red-letter day in the field of Indian corporate Law when the Companies Act 2013 was enacted with the aim of improving and simplifying corporate governance norms and legislate the role of whistle-blowers. One of the revolutionary provisions is that of mandating Corporate Social Responsibility (CSR) activities in India. The vision behind this move is this that a Corporation must not only achieve its economic goal but also adopt the principles of corporate social responsibility. Section 135 in the Act states that every company with the prescribed net worth or turnover must necessarily constitute a CSR Committee, with clearly defined composition ,activities to be undertaken ,budgets and responsibilities of the Committee, so formed. This would ensure that right steps are taken by companies in pursuance of the CSR provisions of the Act.

However, complying with this law may not seem to be an easy task due to some grey areas in the provision and its Rules which require clarifications because the fundamental argument arises as to how can the Companies act on behalf of the Government to uphold the spirit of the provision. Due to this, the Corporations in India have a mixed opinion about this move by the Centre. For example, some of the issues that have been brought to the fore are regarding the restrictive scope of activities mentioned under Schedule VII which will lead to the polarization of CSR resources. The limited geographical focus as provided under section 135(2) is another issue since it may subvert the idea of inclusive development in the society. On the other hand it can be argued that with the allowing CSR expenditure as a deduction, the funds allocated by companies for social development would voluntarily increase by leaps and bounds, obviating the need of a mandatory provision. Therefore, clarifications with respect to these, and many more Loopholes become the need of the hour to achieve the true purpose with which this provision was enacted.

Introduction - Corporate Social Responsibility (CSR) has been in existence for a long time and is almost as old as civilization. It is based on the Gandhian Principle of "trusteeship concept" whereby business houses are looked upon as trustees of the resources they draw from society and thus are expected to return them back manifold. CSR is extremely important for sustainable development of all stakeholders (all the people, on whom the business has an impact, including the society at large). Proponents of CSR argue that companies make more long term profits by operating with a perspective, while critics argue that CSR distracts from the economic role of businesses. Nevertheless, the importance of CSR cannot be undermined. Corporate social responsibility is also called corporate conscience, corporate citizenship, social performance, or sustainable business. It is a form of corporate self-regulation integrated into a business model. CSR policy functions as a built-in, self-regulating mechanism whereby a business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law ethical standard and international norms.

Companies Act of 2013, which has already been notified partially, gives the concept of CSR the importance it deserves. Section 135 of the Companies Act, 2013 contains provisions exclusively dealing with Corporate Social Responsibility. Schedule VII contains a list of the activities which a company can undertake as part of its CSR in initiatives.

Provisions Of Companies Act, 2013 On CSR

Applicability - Following companies to constitute CSR committee ·

1. Net worth of 500 crore or more
2. Turnover of 1000 crore or more
3. Net profit of 5 crore or more

CSR rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette and shall be applicable from the financial year 2014-15.

CSR Committee - CSR Committee should consist of atleast 3 directors out of which atleast 1 director should be independent director. Some companies many not be mandatorily required to appoint independent directors as per provisions of Companies Act 2013 but CSR applicability may be there for those companies. How will this criteria of independent director be met in case of those companies need to be clarified. Board's Report to disclose composition of CSR Committee.

***Advocate, Ujjain (M.P.) INDIA**

Functions Of CSR Committee:

1. Formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company as specified in Schedule VII of the Act.
2. Recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (a)
3. Monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the company from time to time.
4. Prepare a transparent monitoring mechanism for ensuring implementation of the projects / programmes / activities proposed to be undertaken by the company.

Contents Of CSR Policy

CSR policy of the company should reflect the following:

1. Projects and programmes that are to be undertaken by the company in pursuit of CSR. · List of CSR projects/programmes which a company plans to undertake during the implementation year, specifying modalities of execution in the areas/sectors chosen and implementation schedules for the same.
2. A statement that surplus arising out of the CSR activity will not be part of business profits of a company.
3. A statement that the corpus would include the following:

a. 2% of the average net profits,
b. Any income arising there from
c. Surplus arising out of CSR activities.

Activities Which May Be Included By Companies In Their Corporate Social Responsibility Policies

Activities relating to :-

1. Eradicating extreme hunger and poverty;
2. Promotion of education;
3. Promoting gender equality and empowering women;
4. Reducing child mortality and improving maternal health;
5. Combating human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome, malaria and other diseases;
6. Ensuring environmental sustainability;
7. Employment enhancing vocational skills;
8. Social business projects;
9. Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government or the State Governments for socio-economic development and relief and funds for the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women; and
10. Such other matters as may be prescribed.

Other Important Points Relating To CSR ·

1. Tax treatment of CSR spend will be in accordance with the IT Act as may be notified by CBDT.
2. A Company may set up an organization which is registered as a Trust or Section 8 Company, or Society or Foundation or any other form of entity operating within India to facilitate implementation of its CSR activities in accordance with its stated CSR Policy.
3. A company may also conduct/implement its CSR programmes through Trusts, Societies, or Section 8 companies operating in India, which are not set up by the company itself.
4. Companies may collaborate or pool resources with other companies to undertake CSR activities and any expenditure incurred on such collaborative efforts would qualify for computing the CSR spending.
5. Only such CSR activities will be taken into consideration as are undertaken within India.
6. Only activities which are not exclusively for the benefit of employees of the company or their family members shall be considered as CSR activity.
7. Company shall give preference to the local area and areas around it where it operates, for spending the amount earmarked for Corporate Social Responsibility activities.
8. Format of annual report on CSR initiatives to be included in the board report by qualifying companies has been prescribed under draft Rules.

Voluntary CSR Initiative V/S Mandatory Provision - Before the statutory provision of mandating CSR initiatives in the Indian corporate sector was introduced, it is said that CSR was already textured in the activities of various corporations and business groups in India.

For example, IBM had joined hands with the Tribal Development Department of Gujarat as a part of its Corporate Service Corps Programme aiming at upliftment of the tribals in the Sasan area of Gir forests the Tata Group had a range of projects which is based on CSR activities like providing health services, family planning, endorsing sports as a part of life by establishing football and archery academies. The Business group also organized several relief programmes for natural disasters and has contributed towards the field of education as well. Another notable company voluntarily undertaking CSR activities is Infosys which is involved in various community programmes to a large extent and has created a not-for-profit trust named Infosys Foundation to which it contributes up to 1% of profits after tax annually. Their Management team has also taken various initiatives in areas of education, research, community service, programmes for generating employment, promoting & providing healthcare and education for poor. Reliance Industries Ltd, being a corporate giant in India, has launched a "Project Drishti" which is a countrywide initiative to help the visually challenged people belonging to economically weaker section of the society in restoring their eye-sight.

Apart from this, the provision, along with Rules has several loopholes which have raised concerns. Many Indian Companies and Businesses see this provision as impractical and unnecessary as the Government has failed to show any specific purpose or objective for adoption of this model for which such expenditure must be made by any Company. The companies wish such initiatives to remain a voluntary step since it is believed that mandating CSR would lead to meddling by the implementing officers

in the operations of the company and would ultimately defeat the very purpose of CSR initiatives with which these are actually adopted. No clear guidelines or instructions have been put in place which shows how vague this model/ provision seems to be. A valid point has been made in this regard that when a tobacco company would comply with section 135 it would be at the same footing as any company with produces eco-friendly products for the society, with respect to corporate social responsibility. Such questions remain unanswered by this new provision.

It also affects the fundamental right guaranteed under Article 19(1)(g) of the Indian Constitution which provides the right to freely practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business . However, the Government may argue that clause (6) of the very same article of the Constitution allows the Government to impose reasonable restrictions for the benefit of the general public. Here, it is questioned whether such a restriction is reasonable at all because this would mean imposing the burden of charity by the Government on the Indian companies.

Conclusion - Companies Act, 2013 has introduced the concept of CSR in the Act itself and even though the Act advocates it strongly but it has still prescribed a "comply or explain" approach only. This means as per the new norms, the two per cent spending on CSR is not mandatory but reporting about it is mandatory. In case, a company is unable to spend the required amount, then it has to give an explanation for the same

References :-

1. Rajeev Prabhakar and Ms. Sonam Mishra , A Study of Corporate Social Responsibility in Indian Organization: An-Introspection , Proceedings of 21st International Business Research Available at: http://www.wbiworld conpro.com/uploads/canada-conference 2013/ management/1370168444_430-Sonam.pdf
2. Nishith Desai Associates, Corporate Social Responsibility & Social Business Models in India- A Legal & Tax Perspective, November 2013,
3. Sanjay Kumar Sharma , A 360 degree analysis of Corporate Social Responsibility (CSR) Mandate of the New Companies Act 2013 , Global Journal of Management and Business Studies, ISSN 2248-9878 Volume 3, Number 7 (2013), pp. 757-762, available at:http://www.ripublication.com/gjmbs_spl/gjmbsv3n 7_09.pdf
4. Gahlot Sushmita , Corporate Social Responsibility: Current Scenario, Research Journal of Management Sciences, Vol. 2(12), 12-14, December (2013) , ISSN 2319–1171, available at : http://www.isca.in/IJMS/ Archive/v2/i12/3.ISCA-RJMS-2013-105.pdf
5. P. Paramashivaiah and Puttaswamy, CSR for sustainable development: an empirical study on the corporate social responsibility focus of top listed companies of BSE, AL-SHODHANA, Vol.-I, No.2, July 2013,
6. Handbook on Corporate Social Responsibility in India, Confederation of Indian Industry, available at: http:// www.pwc.in/en_IN/in/assets/pdfs/publications/2013/ handbook-on-corporate-social-responsibility-in-india.pdf

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

A Comparative Study of Religious Interest of Secondary School Students

Sangeeta Aggarwal * Dr. Ritu Bala**

Abstract - The present study aims to determine the religious interest of secondary school students. The research was carried out on random sample of 800 students of Rural & Urban secondary schools from Sri Ganganagar district. The researcher use standardised tools for the study. Statistical Techniques of t-test was used to analyse the religious interest of secondary school students. The result indicated that there was significant difference in the religious interest of Rural & Urban Secondary school students.

Introduction - "Interest may refer to the motivating force that impels us to attend to a person, a thing or an activity or it may be the effective experience that have been stimulated by the activity itself". In other words "interest can be the cause of an activity & the result of participation in the activity". We may say that we attend to such objects which interest us.

In educational psychology, the concept of educational interest is interpreted as a content specific motivational variable that can be investigated & theoretically constructed an important analysis lies in the manifold interelations between educational interest, learning & human development. There are many students who pass the examination, yet they fail to achieve as much as they could have in terms of their ability. Many parents & teachers have the concept that the failing students lack intelligence but the fact is that failing students have sufficient intelligence but they are unable to reach the desired level of success due to certain non-cognitive factors as educational interest, self concept, parental involvement & adjustment.11

Educational interest is intimately related with child's acquisition of knowledge, understanding & skills which actually forms the basis for his educational choice. The educational interest plays very significant role in educational guidance.

Religious Interest - Family is the only institution where religious interest of the child can be ensured. In a secular state like India, it is the duty of family alone to impart religious education to the child. In the religious environment of the family, the child learns to follow the principles of a particular religion with the result that religions, moral & ethical values develop in him without any difficulty. Students receive religious education through religious books religious tales & other religious activities.

Religion plays an important role in their lives. Some students are more spiritual & some are less spiritual. Students do not leave their personal values & faith wherever they go. In their journey through school, students seek out valid ways of knowing for themselves, seek a place to stand in the midst of uncertainty around them & develop relationships that evolve from strong dependence upon authority figure to an interdependence amongst their peers.

They cultivate social relationship with others whose personal values & religious perspectives differ from their own. In terms of religious interest, they develop new form of religious & spiritual engagement. Many students find that their form of worship evolve from the traditional ones of their youth into a more inclusive & diverse set of meditation practice.

What influences the religious interest of students - Social & cultural environment influence the growth & development of students we divided environment into four major domains in which student development take place - culture, curriculum, co-curriculum & community.

Culture - Culture of a house & neighborhood exerts significant influence on the spiritual journey of students. In general, those children whose family environment is religious have developed a deeper sense of spiritual growth than children have lived without religious environment. Rituals & ceremonies are conducted in families promotes religious interest of students.

Curriculum - Academic programs also influence student's understanding of religion & the role of spirituality in providing a forum for self discovery as well as academic development. Student enrollment in religious courses has helped students develop a more complex understanding of who they are & what they believe But students do not always find sufficient support in their guest to find meaning & purpose in life in their academic pursuits. Students are assisted in matters of faith & religion but a students religious interest is regarded

*Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
**Associate Professor (Faculty of Education) Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

largely as a private matter & thus, its development & practice is primarily fostered & developed in non-academic setting by other institutions. Students are enrolled in courses that emphasize different worldviews in which students are instructed to not only understand the various theological foundations but also to take note of the implications in their lives & to practice those that are most appealing to them in their journey of faith development. Students in the interviews often referred to their own religious perspective when speaking about their self development & described how they are developing & expanding their understanding of their religious commitments & their engagement both as academic students & contributing members of society.

Co-curriculum - Students who participate in religious activities are more apt to have stronger religious interest than who are not as involved. Students who are engaged in religious activities are also more apt to be engaged in other school activities. Their religious engagement is considered to be helpful in having a positive attitude towards life. The program is designed to take into account the full development needs of the students. An atmosphere of safety & openness is created for students as they are pushed beyond what they think they can do while also providing a safe & sacred place for them to change.

Community - Community is the most effective in fostering student religious interest when students regard it as a community for support & challenge. A sense of community is an important factor in how students evaluate their journey through life. The relationship they develop with other fellow students, faculty & professionals play an important role in providing the often necessary social support for students.

Statement of the Problem -

"A Comparative Study of Religious Interest of Secondary School Students"

Objectives -

1. To study the Religious Interest of Rural & Urban secondary school students.
2. To study the Religious Interest of Rural Private and Rural Government secondary school students.
3. To study the Religious Interest of Urban Private and Urban Government secondary school students.

Hypothesis -

1. There is no significance difference in the Religious Interest of Rural & Urban secondary school students.
2. There is no significance difference in the Religious Interest of Rural Private and Rural Government secondary school students.
3. There is no significance difference in the Religious Interest of Urban Private and Urban Government secondary school students.

Methodology -

Method of Study - In the study, Survey method is used and information will be obtained from students.

Tools - Multiphasic Interest Inventory by Dr. (Mrs.) S.K. Bhawa.

Sampling in the Present Study -

Students (800)

Rural (400) Urban (400)

Private (200) Govt. (200) Private (200) Govt. (200)

Statistics to be Used in the Study -

1. Mean
2. Standard Deviation
3. T-Test

Analysis & Interpretation - (See in the next page)

Major Findings of the Study -

1. There is significant difference in the Religious Interest of Rural & Urban Secondary School Students.
2. There is significant difference in the Religious Interest of Rural Private and Rural Govt. Secondary School Students.
3. There is No Significant Difference in the Occupational Interest of Urban Pvt. and Urban Govt. Secondary School Students.

Conclusion - In the present study, it was revealed that :

1. Religious Interest of rural & urban secondary school students is different on both levels of t-table value.
2. Religious Interest of Rural Pvt. & Rural Govt. is different on both levels of t-table value.
3. Religious Interest of Urban Pvt. & Urban Govt. is same on both level of t-table value.

Educational Significance -

1. It is beneficial for policy makers to formulate policies according to the religious interest of students.
2. It is beneficial for teachers and management.
3. Parents should create such type of atmosphere in their homes, so their child develop religious interest.

References :-

1. Ainley M. Hidi, S & Bernadorff D (2002), Interest, Learning & the Psychological Process that Mediate their relationship, Journal of Educational Psychology, 545-561.
2. Bhatnagar A.B., Meenkakshi & Anurag (2007), "Advanced Educatioal Psychology Meerut : International Publishing House".
3. Hidi S & Baird W. (1988), "Strategies for Increasing Test-based interest & students recall of expository text Reading Research Quality 23/465-483.
4. Sankhala D.P. (2007), "Research Methodology in Education", New Delhi, Adhyayan Publication.

Analysis & Interpretation -

1. There is no significance difference in the Religious Interest of Rural & Urban secondary school students.

Dimension	Area	No.	Mean	S.D.	T-value	Remarks
Religious Interest	Rural	400	23.75	13.81	3.31	0.05 Level Significant Difference
	Urban	400	27.07	14.56		0.05 Level Significant Difference

2. There is no significance difference in the Religious Interest of Rural Private and Rural Government secondary school students.

Dimension	Area	No.	Mean	S.D.	T-value	Remarks
Religious Interest	Rural Private	200	22.06	13.39	2.49	0.05LevelSignificant Difference
	Rural Govt.	200	25.45	13.78		0.01LevelSignificant Difference

3. There is no significance difference in the Religious Interest of Urban Private and Urban Government secondary school students

Dimension	Area	No.	Mean	S.D.	T-value	Remarks
Religious Interest	Urban Private	200	26.34	16.69	1.000	.05 LevelNo Significant Difference
	Urban Govt.	200	27.80	12.07		0.01 LevelNo Significant Difference

****

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी का उनके समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. स्मिता भवालकर * सोनाली कदम **

प्रस्तावना – बालक कुछ सहज योग्यताऐं लेकर जन्म लेता है। उसकी ये योग्यताऐं अपने प्राकृतिक रूप में विकसित होती हैं। उचित वातावरण न मिलने पर उसके मन को स्वस्थ वायु नहीं मिलती तो उसकी जीवन शक्ति के मर्म पर आघात होता है। बालक में किसी भी प्रकार की संभावनाऐं और योग्यताऐं क्यों न हों , जब तक उसे उचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो सकता । वातावरण के साथ अनुकूलन हेतु डार्विन ने 'योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत' दिया है। जो इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि जो जीव वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार स्वंय को ढाल लेता है, वह प्रकृति के साथ संघर्ष में विजयी होकर जीवन यापन कर लेता है किंतु इसके विपरीत स्वंय को प्रकृति के अनुरूप न बदल पाने पर उस जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मानव जीवन भी चुनौतियों तथा संघर्षों से परिपूर्ण है। मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं और वही चाह हमें प्रतिपल संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। जो जिस सीमा तक उचित प्रकार से यह जीवन संघर्ष करता है, वह उतनी ही सफलता से जीवन यापन करता है। स्वंय को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेना ही इस सफलता का आधार है। वास्तव में यही समायोजन है। जीवन में सदैव वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है । ऐसी परिस्थिति में एक क्षेत्र में असफलता के बाद दूसरे क्षेत्र का चुनाव करना तथा अपने लक्ष्य की ऊँचाई को अपनी योग्यता तथा परिस्थितियों के अनुसार घटा देना ही उचित है। इस प्रकार के संशोधित तथा परिवर्तित व्यवहार को ही 'समायोजन' की संज्ञा दी जाती है। 'समायोजन' एक प्रक्रिया है,एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा सुखी तथा संतोषप्रद जीवन यापन संभव है। एक भलीभाँति समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं पर दृष्टिपात किया जाए तो उसकी निम्न विशेषताएं सामने आतीं हैं –

1. शारीरिक दृष्टि से समायोजित,
2. संवेगात्मक रूप से समायोजित,
3. स्वंय की अच्छाइयों तथा कमजोरियों का ज्ञान,
4. स्वंय तथा दूसरों का सम्मान,
5. सामाजिक रूप से समायोजित,
6. महत्वाकांक्षा का उचित स्तर,
7. मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति,
8. आलोचक नहीं ,
9. व्यवहार का लचीलापन,
10. अपने हालातों से संतुष्टी,
11. हालातों से संघर्ष करने की क्षमता।

एक व्यक्ति का संसार जहाँ उसके अपने शारीरिक,मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं के इर्द गिर्द घुमती है, वहीं उसे विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है यथा –

1. व्यक्तिगत समायोजन,
2. सामाजिक समायोजन,
3. व्यावसायिक समायोजन

समायोजन की क्षमता तथा योग्यता का विकास बालक में धीरे–धीरे होता है, जब वह परिवार,समाज तथा विद्यालय के वातावरण में विकसित होता जाता है। विद्यालय की भूमिका इसमें सर्वोपरि हो जाती है, क्योंकि विद्यालय ही ऐसी सम्यक स्थितियाँ उपलब्ध करवाता है। जिनमें बालक में वांछित गुणों का विकास हो सके। एक कक्षाकक्ष में उपलब्ध परिस्थितियाँ,वातावरण तथा संसाधनों का शिक्षण प्रक्रिया व उसके परिणामों को उपयुक्त तथा अनुपयुक्त दिशा प्रदान करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। कक्षाकक्ष में उपलब्ध ये परिस्थितियॉ, विद्यार्थी तथा शिक्षक की अंत:क्रिया ही 'कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी' है। यह ठीक उसी तरह है, जिस प्रकार कि पर्यावरण तथा पर्यावरण के विभिन्न घटकों का संबंध 'पारिस्थितिकी' कहलाता है। एक कक्षाकक्ष के विभिन्न घटक परस्पर प्रभावित होते रहते है तथा प्रभावित करते रहते है। कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी में शिक्षक,छात्र व कक्षा के भौतिक तत्व एवं परिस्थितियाँ तीन घटक हैं, जिनकी परस्पर अंत:क्रिया से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है एवं शिक्षकीय कार्य हेतु अंतर्संबंधित प्रक्रिया चलती है।

एक शिक्षक द्वारा निर्मित वातावरण शिक्षण क्रिया तथा विद्यार्थियों को पूर्णत: प्रभावित करता है। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति एवं विकास के साथ साथ उनकी संवेगात्मक स्थिति एवं विकास को भी प्रभावित करती है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ और अनुकूल वातावरण द्वारा बच्चों को अपना भावात्मक संतुलन बनाए रखने और अपना उचित समायोजन करने में आसानी होती है। एक बालक को प्रभावी अधिगम एवं कक्षाकक्ष की परिस्थितियों में समायोजन हेतु दो वातावरण प्रभावित करते हैं, एक 'स्व–वातावरण' एवं दूसरा 'बाहय वातावरण' एक बालक के विकास एवं अधिगम को कक्षाकक्ष का वातावरण जितना प्रभावित करता है,उतना ही उसका 'स्व वातावरण' भी। क्योंकि एक बालक का 'स्व' जितना विकसित होगा, उसका कक्षाकक्ष की परिस्थितियों में उतना बेहतर समायोजन हो सकेगा। समायोजन क्षमता के विकास में विद्यालयीन तथा कक्षाकक्ष की परिस्थितियॉ अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा

* प्राचार्य, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, न्यू ईरा शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.) भारत

करती हैं। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए 'उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी का उनके समायोजन पर प्रभाव का शोधकार्य हेतु चयन किया गया।

उद्देश्य – उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी का उनके समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना – उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी ,लिंग एवं इनकी अंत:क्रिया का उनके समायोजन पर सार्थक प्रभाव नहीं है।

प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। इस अध्ययन में न्यादर्श के रूप में देवास शहर के तीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 10 के कुल 90 विद्यार्थियों का चयन किया गया। एक शासकीय विद्यालय महारानी राधाबाई उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला (बालिका शिक्षा तथा हिन्दी माध्यम) एवं दो अशासकीय विद्यालयों,विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर (सहशिक्षा एवं अंग्रेजी माध्यम) एवं मिशनरी द्वारा संचालित सैंट मैरीज कॉन्वेंट विद्यालय (सहशिक्षा एवं अंग्रेजी माध्यम)। इन विद्यालयों में क्रमश: 30 बालिकाओं, 20बालकों तथा 10 बालिकाओं,15 बालकों तथा 15 बालिकाओं को न्यादर्श के रूप से सम्मिलित किया गया। अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में लिए गए विभिन्न विद्यालयों में सर्वप्रथम क्षीरसागर(2012) द्वारा निर्मित 'कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी परीक्षण' प्रशासित किया गया। इस परीक्षण की सहायता से कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी से संबंधित 03 आयामों का अध्ययन किया गया छात्र–छात्र अंत:क्रिया,शिक्षक–छात्र अंत:क्रिया तथा मनोसामाजिक वातावरण। कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी का मापन प्रमाणित विवरण पुस्तिका की सहायता से परीक्षण की जॉच करके किया गया। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के रूप में कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी का मापन किया गया। प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण Analysis of Variance (ANOVA) द्वारा किया गया। प्राप्त परिणाम तालिका क्रमांक – 01 में दिये गये हैं।

तत्पश्चात् श्री ए.के.पी.सिन्हा तथा श्री आर.पी.सिंह द्वारा निर्मित Adjustment Inventory for school students का उपयोग किया गया। इस परीक्षण की सहायता से समायोजन से संबंधित 03 आयामों – भावात्मक, सामाजिक तथा शैक्षणिक समायोजन का अध्ययन किया गया। समायोजन का मापन प्रमाणित विवरण पुस्तिका की सहायता से परीक्षण की जाँच करके किया गया। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के रूप में समायोजन का मापन किया गया। प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण 2x2 कारकीय अभिकल्प प्रसरण का विश्लेषण (2x2 Factorial Design ANOVA) द्वारा किया गया। प्राप्त परिणाम तालिका क्र. 01 में दिये गये हैं

तालिका क्रमांक 01 : उच्चतर माध्यमिक स्तर के विभिन्न विद्यालयों के समायोजन पर कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी,लिंग एवं इनकी अंत:क्रिया के प्रभाव के अध्ययन के लिए 2x2 कारकीय अभिकल्प प्रसरण के विश्लेषण का सारांश

Sources of Variance	df	SS	MSS	F-Value
Classroom Ecology	1	1.36	1.36	0.0065
Sex	1	27.53	27.53	0.133
Classroom Ecology & Sex	1	0.64	0.64	0.0031
Error	86		206.33	
Total	89			

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन पर कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी के प्रभाव का अध्ययन

तालिका क्रं – 01 के अनुसार कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी के लिए F का मान 0.0065 पाया गया, जो किसी भी स्तर पर (0.01 तथा 0.05) पर सार्थक नहीं है। यह मान प्रदर्शित करता है कि कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी का विद्यार्थियों के समायोजन पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। इस संदर्भ में अध्ययन की शून्य उपपरिकल्पना 'उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के समायोजन पर कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी का सार्थक प्रभाव नहीं है' निरस्त नहीं की जाती है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन –

तालिका क्रं – 01 के अनुसार लिंग के लिए F का मान 0.133 पाया गया जो किसी भी स्तर (0.01 तथा 0.05) पर सार्थक नहीं है। यह मान प्रदर्शित करता है कि लिंग का विद्यार्थियों के समायोजन पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। इस संदर्भ में अध्ययन की शून्य उपपरिकल्पना 'उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के समायोजन पर लिंग का सार्थक प्रभाव नहीं है' निरस्त नहीं की जाती है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन पर कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी, लिंग तथा इनकी अंत:क्रिया के प्रभाव का अध्ययन।

तालिका क्रं – 01 के अनुसार कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी एवं लिंग की अंत:क्रिया के लिए F का मान 0.0031 पाया गया जो किसी भी स्तर पर (0.01 तथा 0.05) पर सार्थक नहीं है। यह मान प्रदर्शित करता है कि कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी,लिंग तथा इनकी अंत:क्रिया का विद्यार्थियों के समायोजन पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। इस संदर्भ में अध्ययन की शून्य उप–परिकल्पना 'उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन पर कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी ,लिंग तथा इनकी अंत:क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं है, निरस्त नहीं की जाती है।

प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी का उनके समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। संभवत: इस पर अन्य कारक भी अपना प्रभाव डालते है। जिनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। फिर भी विद्यालयीन वातावरण तथा कक्षाकक्ष पारिस्थितिकी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में नींव का कार्य करते हैं। अत: सकारात्मक तथा सार्थक वातावरण प्रदान करके उनके व्यक्तित्व को उत्तरोत्तर उन्नत किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. गेरेट,एच.ई.(1972),'शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी', हरियाणा : कल्याणी पब्लिशर।
2. लिन्ग्रेन,हैनरी क्ले, अनुवाद देवसरे हरिकृष्ण(1972–73),'कक्षा अध्यापन में शिक्षा मनोविज्ञान, 'भोपाल,मध्यप्रदेश :हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
3. माथुर,एस.एस.(2001),'शिक्षा मनोविज्ञान,'आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
4. श्रीवास्तव,पंकज (2007),'पर्यावरण शिक्षा,'भोपाल,मध्यप्रदेश: हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

श्रीमद्‌भगवद् गीता में निहित मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों के व्यवसाय चयन का विश्लेषण

लक्ष्मी चौहान *

प्रस्तावना – भगवान श्री कृष्ण 'श्रीमद्‌भगवद् गीता' के द्वितीय अध्याय में 'व्यावसायात्मिका बुद्धि' निरुपित करते हुए कहते है –

'व्यावसायित्मका बुद्धिरेकेह कुरूनन्दन।
बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम।।
(अध्याय-2/1)

हे अर्जुन! – इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन संकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुभेदों वाली और अनन्त होती है।

'श्रीमदभगवद् गीता' के सन्दर्भ में महाभारत में दो ही पात्र महत्त्वपूर्ण है – महारथी, महायोगी श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन्तेय, पार्थ, धनुर्धर अर्जुन। व्यावसायित्मका बुद्धि के सन्दर्भ में महाभारत का संशयग्रस्त अर्जुन, द्रौण शिष्य के रूप में अपने लक्ष्य संधान में कितना दृढ़ निश्चयी और स्पष्टदर्शी है। वह केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि केन्द्रित करता है। पुन: श्रीकृष्ण उसे इसी निश्चयात्मिका बुद्धि की ओर आमन्त्रित करते है और धनुर्धारण करने का आह्वान करते है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व – महर्षिवेदव्यास द्वारा रचित विश्व की महानतम् काव्य रचना 'महाभारत' के भीष्म पर्व की अंग स्वरूपा 'श्रीमदभगवत् गीता' सचमुच एक कालजयी कृति है। कालजयी कृति मनुष्य जीवन और वैश्विक जीवन के सम्बन्धों – अन्तर्सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में नवीन प्रश्न उठाती है ओर युगीन सन्दर्भो में अपनी प्रासंगिकता को अक्षुण्ण बनाए रखती है।

शोध अनुसंधान का औचित्य –

ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय की दृष्टि से – गीता में मानव जीवन के विभिन्न पक्ष संनिहित है, तथा कर्म, ज्ञान, भक्ति, संयम, ईश्वर, सांख्य योग, ब्रह्म, जीव, मानव प्रकृति, मोक्ष-सन्यास योग आदि। इन पक्षों पर अनेक दार्शनिकों, विचारकों, आदि द्वारा अनेक भाष्य लिखे गए है।

समस्या कथन – श्रीमद्‌भगवद्गीता में निहित मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों के व्यवसाय चयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

प्रस्तावित शोध अध्ययन के उद्देश्य –

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों की व्यावसायात्मिका बुद्धि का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की व्यावसायात्मिका बुद्धि का अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की व्यावसायात्मिका बुद्धि की तुलना करना।

शोध परिकल्पना –

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की व्यावसायात्मिका बुद्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध परिसीमन एवं न्यादर्श –

परिसीमन – प्रस्तुत शोध अध्ययन में रतलाम जिले के विकास खण्ड़ों के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित रखा गया।

न्यादर्श – विकास खण्ड शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रत्येक विद्यालय के कुल विद्यार्थी **(सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त विधि – शोधकर्त्ती ने प्रस्तुत शोध में आदर्शमूलक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया।

शोध में प्रयुक्त उपकरण

स्वनिर्मित उपकरण

(i) व्यावसायात्मिका बुद्धि अभिवृत्ति प्रमापनी (विद्यार्थियों के लिए)
(ii) साक्षात्कार अनुसूची (प्राध्यापकों के लिए)

शोध निष्कर्ष –

1. **सांख्योग-**व्यवसाय चयन करने से पहले सुख-दुख को ध्यान में रखना, व्यवसाय में धन लगाने से पहले लाभ-हानि का ध्यान रखना, जीवन में कोई ऐसे व्यवसाय का चयन नहीं करना, जिससे पाप लगता हो तथा अच्छे व्यवसाय चयन का परिणाम अच्छा होता है तथा गलत व्यवसाय चयन का परिणाम गलत होता है में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की अभिवृत्ति अधिक पायी गयी।
2. **कर्म योग-**निष्काम भाव से (कर्म) व्यवसाय करना, प्रत्येक मनुष्य को अपने किए गए कर्मो का फल भोगना पड़ता है, धन इकट्ठा करने के लिये अनैतिक कार्य करने का परिणाम बुरा होना, व्यवसाय को सत्य एवं धर्म को ध्यान में रखकर करना तथा वसुदैव कुटुम्बकम् की भावना से कार्य करने में छात्रों की तुलना में छात्राओं की अभिवृत्ति अधिक पायी गयी।
3. **ज्ञान कर्म-सन्याय योग –** सच्चा ज्ञान प्राप्ति पर मनुष्य अच्छे-बुरे का निर्णय लेने में सक्षम होना, अज्ञानी व्यक्ति हमेशा अन्तर्गत तरीके से धन कमाने की चेष्ठा करना, जीवन-यापन के लिये भीख मांगना, चोरी करना, लूट-खसोट करना को व्यवसाय नहीं मानना तथा व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व हवन-पूजा पाठ, वेदों का अध्ययन, पर्यावरण की शुद्धता के लिये जरूरी है, कथनों में लगभग समान अभिवृत्ति पायी गयी।
4. **दैवी और असुर सम्पद विभाग योग –** जीविकोपार्जन करते हुए जीवों के प्रति दयाभाव रखना, व्यवसायी का कर्त्तव्य है, व्यवसायी में कभी भी अहम-घमण्ड, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने वाले व्यवसायी जनता की निगाहों से गिर जाते है तथा जो

* शोधार्थी (शिक्षा) पेसिफिक यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

व्यवसायी काम, क्रोध, मोह, लोभ में उलझे रहते है, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है, कथनों पर छात्रों एवं छात्राओं की अभिवृत्ति लगभग समान पायी गयी।

5. श्रद्धात्रय विभाग योग – जिस व्यवसायी की कर्मो में आसक्ति नहीं रहती है, वह कभी भी 'मैं' और 'मेरा' अर्थात् घमण्ड नहीं करता है तामसी प्रवृत्ति वाले व्यवसायी कर्मशील नहीं होते है, उत्तम व्यवसायी श्रद्धा से अपना लक्ष्य प्राप्ति में तल्लीन रहते हैं कथनों पर छात्रों एवं छात्राओं की अभिवृत्ति लगभग समान पाई गई।

6. मोक्ष सन्यास योग – किसी भी व्यवसाय को चयन करने से पहले व्यवसायी स्थान, साधन, अलग–2 चेष्ठाएँ एवं लक्ष्य को ध्यान में रखता है, व्यवसायी की सफलता या असफलता का श्रेय स्वयं, सहकर्मी, साधन, वातावरण आदि पर निर्भर करता है, परोपकारी व्यवसायी प्राणी मात्र में एक ही आत्मा को पहचानता है, बुद्धिमान व्यवसायी अनेकता में एकता' की पहचान रखते है तथा व्यवसाय करने वाले को कोई भी कार्य करने से पहले उसे मन में निश्चय करना जरूरी है। कथनों पर छात्रों एवं छात्राओं की अभिवृत्ति लगभग समान पाई गई।

परिकल्पना का सत्यापन – व्यावसायात्मिका बुद्धि के सभी घटकों का मध्यमान क्रमश: 157.66 व 161.88 प्राप्त हुआ, मानक विचलन क्रमश: 3.85 व 5.60प्राप्त हुआ। टी' का मान 9०802 आया, जो टी' के सारणी मूल्य से अधिक है। अत: अन्तर सार्थक कहा जा सकता है। अर्थात् परिकल्पना संख्या 1 को स्वीकृत किया जाता है।

शैक्षिक निहितार्थ –

शैक्षिक दृष्टि से – गीता शिक्षा का अनन्त भण्डार है, गीता की शिक्षा सम्पूर्ण शैक्षिक जगत के लिये महत्त्वपूर्ण है। विद्यार्थियों से यही अपेक्षा की गई है कि वह अपने शिक्षकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, उस पर मनन करे और अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अंगीकार करें। क्योंकि एक श्रेष्ठ गुरू ही अपने ज्ञान से विद्यार्थियों के जीवन सुसंस्कारित बना सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. स्वामी प्रभुपाद ए.सी. भक्ति वेदान्त – श्रीमदभगवदगीता, मुम्बई, भक्ति वेदान्त बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम। जुहू, 1990
2. तिलक, बालगंगाधर 'श्रीमदभगवद्गीता रहस्य, नारायण पेठ केसरी ऑफिस, पूना सिटी, महाराष्ट्र।
3. गुप्ता, वासुदेव (2011) 'गीतामृत', तरूण प्रकाशन, जयपुर–3

Research -

1. Singh, Anup (2014) "A comparative study of vocational interest of secondary level students".
2. Chauhan, Manju and Singh, R.P. (2014) "A study of parental aspiration anxiety and of senior secondary school students of Navodaya Vidhyalaya and Public School Meerut, Mandal".

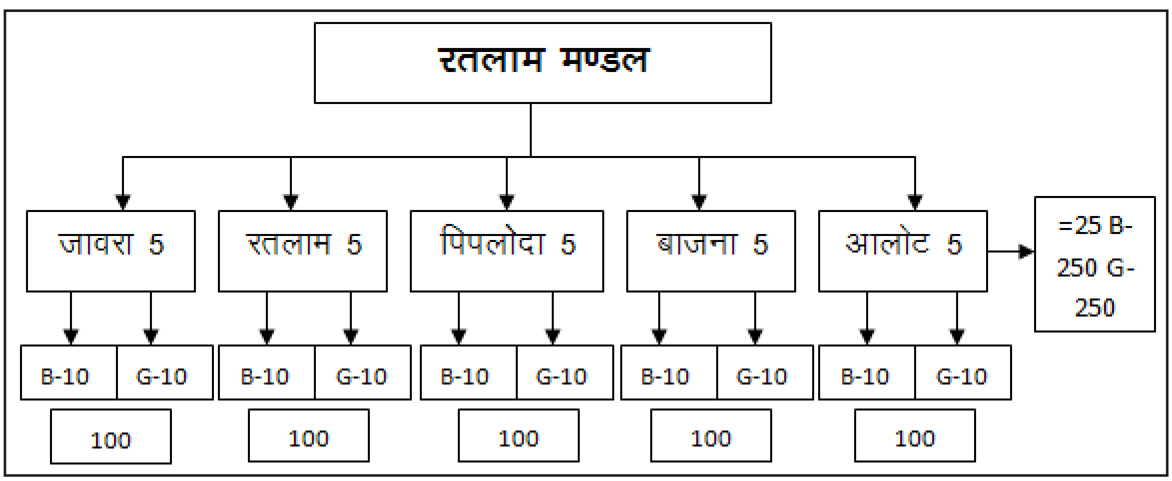

****

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन

महेश कुमार शर्मा *

प्रस्तावना - जनसंचार की अवधारणा - जनसंचार का मूल कार्य जनअभिवृत्ति को प्रभाववित करना होता है, लेकिन 'जन' (पब्लिक) विश्वरूपी है। यथा व्यापारिक क्षेत्र में 'जन' का अर्थ उपभोक्ता, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शासन की दृष्टि जनता तथा सांगठनिक क्षेत्र में इसका आशय संबद्ध कार्मिक तथा उससे संबद्ध जनता के रूप में किया जाता है। जनसंचार के विभिन्न आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत करने से पूर्व इसकी परिभाषा, प्रकृति एवं स्वरूप आदि से सम्बद्ध विवेचन करना समीचीन तथा प्रासंगिक होगा। जनसंपर्क अवधारणा में आए 'जन' शब्द से तात्पर्य जनसाधारण जनता, विद्यार्थी अथवा लोकसमूह से होता है। दूसरे शब्दो में 'जन' उर्दू के 'आम' का समानार्थी शब्द है। संचार शब्द अंग्रेजी के शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, एक समान। संदेशों का आदान-प्रदान लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक हो सकता है। माध्यम बातचित, विज्ञापन, रेडियों, टेलीविजन, समाचारपत्र, ई-मेल, पत्राचार आदि कुछ भी हो सकता है। संचार को संदेशवाहन, संप्रेषण अथवा संवहन आदि समान अर्थ वाले शब्दों से भी पुकारा जाता है।

संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाता है। इससे व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। अत: संचार शब्द का अर्थ सम्बन्ध स्थापित करना भी होता है।

सामान्य भाषा में इस युग्म जनसंपर्क को जनता/जनसाधारण से सानिध्य अथवा सम्बन्ध स्थापित करना या निकटता बनाए रखना कहा जा सकता है। अभी तक बौद्धिक जगत में 'जनसंचार' अवधारणा की कोई सर्वमान्य भाषाशास्त्रीय व्याख्या उपलब्ध नहीं है। विभिन्न विद्धानों ने इसे अपने-अपने विवेकानुसार परिभाषित किया है तथा कोई भी दो परिभाषाएं एकसमान नहीं है। इतना होते हुए भी वे परिभाषाएं अपने सिमित अर्थो में महत्वपूर्ण है, पर उनमें से एक परिभाषा के आधार पर जनसंचार जैसे बहुआयामी महत्व के विषय को विश्लेषित नही किया जा सकता है।
सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सुधार द्वारा मान्यता प्राप्त एनसाइक्लोपिडिया ऑफ साशल साइंसेज की परिभाषा प्रस्तुत करना तर्कसंगत होगा जिसके अनुसार **'जनसंचार' किसी उद्देश्य के लिए सूचनाएॅं संप्रेषित करते हुए जन अभिवृत्ति रूझान को उस उद्देश्य की तरफ परिवर्तित करने के एक संगठित प्रयास का नाम है।**

ब्रिटेन के जनसंचार संस्थान ने जनसंपर्क को एसी प्रक्रिया माना है, जिससे **सुविचारित, सुनियोजित तथा सतत् प्रवाहमान प्रयासो के माध्यम से किसी संगठन तथा उससे सम्बद्ध जनता के मध्य आपसी सहमति को संस्थापित करने के प्रयास किए जाते है।** प्रस्तुत परिभाषा में जनसंचार के कतिपय कार्य निर्धारित किए गए है। इसके अनुसार 'जनसंचार' कोई सामयिक/स्थायी प्रकृति की क्रिया नहीं है, यानी इसकी भूमिका मात्र किसी संगठन की जनता में छवि अच्छी बना देना ही पर्याप्त नही है, बल्कि उस छवि को श्रेष्ठ रखने के लिए स्थायी तौर पर प्रयत्नशील भी रहा जाए। अत: यह कहा जा सकता है कि 'जनसंचार' के लिए निरन्तरता का तत्व भी विद्यमान होना भी आवश्यक है।

भारतीय विद्धान प्रो. बलदेवराज गुप्ता के मतानुसार जनसंचार एक व्यवहार शास्त्र है, जो कि संगठन तथा उसकी जनता के मध्य संप्रेषण विभेद को पाटने तथा उसके मध्य एक सेतुबंध की स्थापना के रूप में कार्य करता है, ताकि उनके मध्य विश्वास तथा सद्भाव की भावना स्थापित करने में समर्थ हो सके। इस परिभाषा में किसी संगठन तथा उससे सम्बद्ध व्यक्तियों के मध्य संप्रेषणात्मक नेकट्य स्थापित करके उन दोनों में सद्भाव स्थापित करने वाले व्यवहार शास्त्र के रूप में जनसंपर्क को देखा जा सकता है।

जनसंचार माध्यमों का इतिहास एवं महत्व - जनसंचार माध्यमों का महत्व पूर्वकाल आदिम समाज से ही रहा हैं। पूर्व में समाज में मुखिया/गणपति अपने अनुयायियों या जनसाधारण को बल, धौंस, आंतक, भय अथवा अन्य रिंझानें के साधनों से नियंत्रित या प्रभावित करते थे।

जनसंचार के साधनों एवं प्रकार्यो में सामाजिक परिवर्तन तथा मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ क्रमश: विस्तार होता चला गया। जनसंचार के विकासक्रम को जनसंचार माध्यमों के क्रमिक विकास से सम्बद्ध करके यदि देखा जाए, तब यह ज्ञात होगा कि जैसे-जैसे इन माध्यमों का विकास हुआ है, वैसे-वैसे ही जनसंचार के कार्यक्षेत्र/प्रभाव क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। आज का मानव सांकेतिक/वाचिक या भावाभिव्यक्ति, संभाषण या संवाद कला, मुद्रणालय की सहायता से लेखनकर्म के चरणो से चलता हुआ रेडियों, टेलीविजन तथा उपग्रह सूचना माध्यम के नवयुग में प्रवेश कर गया है। इस प्रकार इस विकास यात्रा में जनसंचार के जितने साधन जुड़ते गए, सभी का उपयोग विचाराभिव्यक्ति तथा आम राय या जनमत को प्रभावित करने के लिए अनवरत रूप से किया जाता रहा।

संभवत: मानव ने ईसा से लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिपि का आविष्कार किया। यह घटना जनसंपर्क के इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। इस आविष्कार के फलस्वरूप मानव सभ्यता को जनमत को प्रभावित करने का स्थायी तथा सुव्यवस्थित प्रकृति वाला एक साधन प्राप्त हुआ।

मेसोपोटामिया (इराक), मिश्र, चीन तथा सिंधु घाटी की प्राचीन मानवीय सभ्यताओं के आदिकाल से ही जनमत को नियंत्रित करने तथा प्रभावित किए जाने के लिए जिन प्रयासो का सूत्रपात हुआ, उनका प्रचार एवं प्रसार क्रमश: सभ्यता की विकास यात्रा के साथ होता रहा। इस विकास यात्रा के इतिहास में जनसंचार के महत्व को रेखांकित करने अथवा प्रभावित करने के प्रयास यूनान, रोम, फिलिस्तीन, भारत तथा ब्रितानीया में होते रहे तथा

*शोधार्थी (शिक्षा) पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

इसके लिए इन सभ्यताओं, संस्कृतियों अथवा राष्ट्रो के अनेक सिद्ध पुरूषों, पैंगबरों, धर्मसुधारकों, समाजसुधारकों, सुधारकों, दार्शनिकों अथवा सम्राटों ने जनसंपर्क प्रयासों के क्षेत्र में एक दिशाबोधक भूमिका का निर्वाह किया है।

जनसंचार के आधुनिक युग का श्रीगणेश पुनर्जागरण आंदोलनकाल के प्रारम्भ से माना जाता है, जो कि 1300 ई. के लगभग प्रारम्भ हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन के युग में अनेक विचारकों, समाज–सुधारकों, कलाकारों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, प्रचारकों, इतिहासकारों, दार्शनिकों आदि के प्रयासों से न केवल मानव जीवन दर्शन में परिवर्तन आने लगा था वरन् इसके साथ ही जनमत को प्रभावित तथा वांछित दिशा में प्रेरित करने की दिशा में एक नवीन चिंतन का भी सुत्रपात हुआ। इसके लिए एसी युक्ति का आविष्कार किया जाना आवश्यक था, जो कि जन–जन तक विचार, साहित्य, अथवा सूचनाओं को पहुँचाने में सहायक हो सके।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में सैद्धांतिक आधार जनसंपर्क को जनमत बनाने, वांछित दिशा में जनअभिवृत्ति को प्रभावित करने तथा जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य समझा जाने लगा था। इस काल तक जनसंपर्क के लिए आवश्यक, महत्पूर्ण जनसंचार साधनों का भी प्रादुर्भाव हो चुका था। जहॉं विगत में मुद्रण कला के आविष्कार के कारण पुस्तकें, समाचार–पत्र, पत्रिकाएँ तथा प्रचार सामग्री व्यवहार में आने लगी, वहॉं वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ से पॉचवे दशक तक तार, टेलीफोन, रेडियों तथा टेलीविजन के क्रमिक विकास ने जनसम्पर्क अभियान को जनसम्पर्क अभियान को एक नवजीवन प्रदान किया।

भारत में जनसंचार के प्रसंग में जनमत के महत्व को स्वीकार किए जाने की परंपरा के प्रमाण वैदिक कालीन सभ्यता से ही प्राप्त होने लगते है।

रामायण तथा महाभारत काल में भी जनमत को अपने पक्ष में रखने के लिए राजाओं को विद्वतजनों द्वारा शिक्षा दी जाती थी तथा इसके लिए राजाओं को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता था। अत: कहा जा सकता है कि इस काल में भी जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए जनसंपर्क साधनों को अपरिहार्य पूर्ण आवश्यकता माना जाता था।

जनसंचार के माध्यम – जिस विधा को आधुनिक युग में जनसंचार कहा जाता है, उसके माध्यम जनसंचार के विविध साधन होते है। जनसंचार के माध्यमों में देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक उन्नति तथा सामाजिक परिवर्तन के कारण भिन्नता हो सकती है, लेकिन इन साधनो को जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में वाचिक तथा प्रकाशित, साहित्य, दृश्य, श्रव्यसाधन, प्रचार–प्रसार सामग्री, चलचित्र, रेडियों, टेलिविजन आदि को गिनाया जा सकता है। जनाभिवृत्ति के परिवर्तन के लिए जनसंपर्क मात्र एकपक्षीय भूमिका का निर्वाह नही करता है, यानी जनसंपर्क का कार्य केवल सूचना देने मात्र से पूर्ण नहीं होता है, वरन् उसे जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं का भी पता लगाना होता है। जनसंचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया का नाम है। जनसंचार एक प्रकार की मोहिनी विधा है, जो 'जन' को मोहित करते हुए लक्ष्यों, उद्देश्यों की और स्वेच्छा से आकर्षित होने के लिए प्रेरित करती है।

अत: जनसंचार माध्यमों के द्वारा आवश्यक सूचना, ज्ञान तथा जानकारी में गुणात्मक वृद्धि करते हुए एक ही समय में असंख्य लोगों तक सूचना पहुॅचाई जा सकती है।

जनसंचार माध्यम निम्न प्रकार के होते है–जैसे टी.वी., रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, इन्टरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन, वायरलेस, टेलिकॉफ्रेसिंग, फेक्स, पत्र–पत्रिकाएं, शिक्षण मशीन आदि।

जनसंचार माध्यमों की आवश्यकता एवं उपयोग – लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों का विशेष महत्व है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आस–पास देश–विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में जानने को जिज्ञासु रहता है। उसकी जिज्ञासा शांत करने के विधि संचार साधन ही है।

शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नूतन परिवर्तन होते जा रहे है। नित्य नये नये आविष्कारों से शिक्षा का रूप अत्याधुनिक होता जा रहा है। आज की परिस्थितियों में निम्न तकनिकों का नवीन तकनिकों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है– जैसे टी.वी., रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, वायरलेस, फेक्स, पत्र–पत्रिकाएं आदि।

कम्प्यूटर का शैक्षिक उपयोग – (Educational usage of Computer) आधुनिक युग के महत्वपूर्ण आविष्कारों में कम्प्यूटर का स्थान सर्वप्रथम है। कम्प्यूटर का सभी यौगिक, आर्थिक, मूल्यांकन संबंधी कार्यो को बहुत शीघ्र किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर एक नूतन नवाचार है। जब से शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ है तब से शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कार्यो में तीव्रता आ गई है। यह शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जटिल समस्याओं का समाधान अत्यंत तिव्र गति से करता है। साथ ही साथ यह शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यो को भी करने में समर्थ है।

शिक्षा में इण्टरनेट का प्रयोग (Usage of Internet In Education) – वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में इण्टरनेट का प्रयोग आवश्यक हो गया है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो या वाणिज्य का, खेल का क्षेत्र हो या मनोरंजन का समस्त क्षेत्रों में इण्टरनेट की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगाा है। इण्टरनेट द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ तथा अत्याधुनिक शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। इण्टरनेट का प्रयोग कर छात्र व शिक्षक प्रत्येक विषय से सम्बन्धित नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को इण्टरनेट द्वारा समाप्त किया जा सकता है। भारत में इग्नू विश्वविद्यालय एवं आई.आई टी. जैसी संस्थाओं ने इण्टरनेट आधारित कार्यक्रम शुरू कर दिए है।

शिक्षा में जनसंचार – विद्यार्थियों को जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूक बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षकों को इनके प्रति जागरूक बनाना होगा। जिसके लिए इनको प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही इनके महत्व को समझाकर जागरूक बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनसंचार माध्यमों की सही जानकारी प्रदान कर शिक्षा व शिक्षण में इनका उपयोग किया जा सकता हैं। लोकतंत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यमों का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज छात्र एवं शिक्षक अपने आस–पास, देश–विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में जानने को जिज्ञासु रहता है। उसकी जिज्ञासा शांत करने के विधि साधन जनसंचार के माध्यम ही है। जैसे टी.वी., रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, वायरलेस, फेक्स, पत्र–पत्रिकाएं आदि आदि।

उपरोक्त जनसंचार माध्यमों का शिक्षा की दृष्टि से महत्व और भी बढ़ जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक, शिक्षक–प्रशिक्षणार्थी एवं विद्यार्थी जनसंचार माध्यमों का उपयोग कर इनका लाभ ले सकते है। शिक्षक–प्रशिक्षणाथी इन माध्यमों का निम्न प्रकार इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर व इनका शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग कर नये आयाम स्थापित कर सकतें है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

वर्तमान परिदृश्य में शांति शिक्षा की आवश्यकता

डॉ. श्रुति तिवारी * मधु यादव **

प्रस्तावना – राष्ट्रीय अभिलाषाओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप देश के भावी नागरिकों का निर्माण के अनुरूप देश के भावी नागरिकों का निर्माण करने की दिशा में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब भी समाज में अवांछनीय असामाजिक तत्व सामाजिक व्यवस्था के समक्ष एक चुनौति बनकर खडे होते है, तब समाज की सामाजिक व्यवस्था एवं शांति को बचाने का एक मात्र तरीका हमें शिक्षा व्यवस्था दिखाई पड़ता है। शिक्षा तत्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप। अपना रूप परिवर्तन कर किंचित नया स्वरूप धारण कर उस चुनौति का उत्तर देने के लिए सक्षम हो जाती है। हिंसा घृणा व आंतकवाद से पीडित वर्तमान 21 वीं शताब्दी के युग में शिक्षा इस चुनौति के समक्ष सामाजिक जुडाव बढ़ाने हेतु शांति शिक्षा का स्वरूप लेकर आ खड़ी हुई हैं।

मुख्य बिन्दु –

1. शांति शिक्षा की अवधारणा
2. शांति शिक्षा की आवश्यकता
3. शांति शिक्षा के स्तम्भ
4. शांति शिक्षा का स्वरूप
5. शांति शिक्षा में प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका

वर्तमान युग वैचारिक क्रान्ति युग है। आज का मानव शांति की खोज में इधर-उधर भटक रहा है। आज मानव के पास धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, और भौतिक संसाधन भी है। लेकिन शांति नहीं है। वर्तमान में हमारा समाज ऐसी स्थिति में है जहाँ वह असुरक्षा व निराशा का जीवन व्यतीत कर रहा है। आज का मानव मानसिक अशांति व क्लेश से पीड़ित है। जब समाज भ्रष्टाचार अनाचार व अत्याचार की व्याधियों से ग्रस्त हो जब राजनीति मनुष्य के जीवन को उभारने वे संवारे की बजाय नष्ट भ्रष्ट कर रही हो, जब विज्ञान मनुष्य की स्मृद्धि को बढ़ाने की बजाय सम्पूर्ण वातावरण में जहर घोल रहा हो, तब हमें निश्चय ही इस बात पर चिन्तन व मनन करना होगा कि किस तरह इस तिमरान्छन की स्थिति को छिन्न-भिन्न कर समाज में शांति की स्थापना की जा सकती है।

शांति प्राप्ति/शांति शिक्षा पर चिन्तन करते ही हमारे मस्तिष्क में निम्नलिखित प्रश्न उभरते हैं–

1. शांति एवं शांति शिक्षा क्या है?
2. शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों हैं?
3. शांति शिक्षा कब व कैसे प्रदान की जाए?
4. शांति शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की भूमिका।

1. शांति एवं शांति की शिक्षा क्या है? – मनुष्य की वह मानसिक अवस्था जो उसे सकारात्मक दिशा में ले जाये और व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करें।

थोरेसा. एस.वे. एवं ग्वेलडोलिन यू टर्नर (1995) के अनुसार 'शांति एक व्यवहार है, जो व्यक्ति की अन्त: क्रिया में बोलने व सुनने में सदभावना को बढ़ाता है, और उन क्रियाओं को हतोत्साहित करता है, जो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाती है, नष्ट करती है और ठेस पहुँचाती है।

वस्तुत: शांति मन की एक अवस्था है, जिसे युनेस्कों के संविधान की प्रस्तावना में खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया है:-Since wars begin in the minds of men. It is in the mind at men that the defense of peace must be constructed.

यूनेस्कों ने शांति शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है–

'शांति शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जो उन ज्ञान कौशलों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को विकसित करती हैं, जो बच्चों, युवाओं व व्यस्कों को बाह्य व आन्तरिक संघर्षो व हिंसा से रोके तथा स्वयं की आन्तरिक शांति, आपसी समूहों तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना हेतु उचित वातावरण का निर्माण कर सके।'

अर्थात शांति वो नहीं है, जो संधियों व समझौतों में होती है। शांति मन का आभूषण है, जो मानव को जीवन जीने का कौशल सिखाती है। शांति प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती है–

1. आन्तरिक शांति
2. सामाजिक शांति
3. प्रकृति वातावरण के प्रति शांति

2. शांति शिक्षा की आवश्यकता – अन्नन्त काल से शांति मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता नहीं है। विभिन्न देशों, समाजों संस्कृतियों, धर्मो एव जातियों में शांति संस्कार के रूप में विद्यमान थी। आध्यात्म के अनुसार भी आत्मा का मौलिक गुण शांति ही है। वेदों, उपनिषदों एवं सभी प्रकार के साहित्य में प्राणीमात्र से प्रेम को महत्व दिया है। यूनेस्कों ने शांति को विकास की पहली शर्त माना है, तथा शांति शिक्षा को विभिन्न मानवीय मूल्यों एवं अभिवृत्तियों का आधार माना और 'अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट' की संज्ञा दी जिसके अन्तर्गत त्याग, दया, प्रेम, सहयोग, अहिंसा, न्याय, मानवाधिकार आदि उच्च नैतिक मूल्य व्यक्ति को शांति के केन्द्र की ओर ले जाते है। परन्तु जब हम वर्तमान परिदृश्य पर दृष्टिपात करते है, तो देखते है कि आज सम्पूर्ण समाज सभ्यता के समक्ष यदि कोई सर्वाधिक जवलन्त प्रश्न है, तो वह यही है कि हम परिवार, पड़ोस, समाज और अंतत: विश्व शांति को किस प्रकार मूर्तिमान करें क्योंकि वर्तमान में दो राष्ट्रों के मध्य सामंजस्य का अभाव

* प्राचार्य (शिक्षा) सुरेश ज्ञान विहार, विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (शिक्षा) सुरेश ज्ञान विहार, जयपुर (राज.) भारत

नजर आता है। व्यक्ति व्यक्ति के मध्य टकराव नजर आता है। यहाँ तक कि व्यक्ति के अन्तर्मन में भी विभिन्न विचारों का महाभारत निरन्तर चलता रहता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा (2005) की पृष्ठ संख्या 69 में शांति शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए लिखा है–

'हम अभूतपूर्व हिंसा के दौर में जी रहे है। इस दौर में असहिष्णुता कट्टरवाद, विवाद और विस्वरता की निरन्तर आशंकाए है। नैतिक कार्य शांति का कल्याण कार्यो के सामने नई चुनौतियाँ पेश आ रही है। शांति स्थापित करने की दीर्घ कालीन प्रक्रिया में शांति शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है।'

3. शांति शिक्षा कब व कैसे प्रदान की जाए– सामान्य विद्यालयी शिक्षा व्यक्ति के जीवन के उन वर्षो से संबंध रखती है, जब उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है। यह नये संस्कारों को ग्रहण करने के लिए सर्वथा अनुकूल स्थिति होती है। इस अवस्था में रखी गई नीव पर ही बालक के जीवन के पूर भवन का निर्माण होता है। इसके पश्चात् हमारे संस्कार क्रमश: परिपक्व एवं स्थाई होते चले जाते हैं।

महात्मा गाँधी ने कहा था– 'अगर हम संसार में वास्तव में शांति चाहते है तो उसकी शुरूआत हमें विद्यालयों के विद्यार्थियों से करनी होगी'

अत: यदि बालक को सही तरीके से चिन्तन की प्रक्रिया सिखाई जाए, सही व गलत में उचित अन्तर करना सिखाया जाए तो वह न केवल सरलता से इसे सीख लेगा वरन् आत्मसात भी कर लेगा। यूनेस्को की हैण्डबुक में शांति शिक्षा के लिए दस विशेषताओं के प्रतिमान को बताया गया है। इसे इशिकावा ने फिशबोन संरचना के रूप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है–

शांति के इन दस केन्द्रीय मूल्यों की स्थापना शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ा कर या अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर दी जा सकती है एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी दी जा सकती है। योग, ध्यान, आसन, प्राणायम आदि विचारों की शुद्धता एवं इन्द्रियों के नियंत्रण के प्रमुख साधन है, जिसका प्रशिक्षण बालक को बाल्यावस्था से ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि उनमें सकारात्मक चिन्तन, आत्मा के शुद्धिकरण, विचारों की पवित्रता एवं नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने ही अभिवृत्ति विकसित की जा सके।

4. शांति शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की भूमिका – किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश की शिक्षा व्यवस्था जैसी होती है, उस देश का विकास भी वैसा ही होता है। किसी देश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीती, शैक्षणिक संस्थानों एवं शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षण व्यवस्था के प्रमुख तीन आधार स्तम्भ होते है–

1. शिक्षक 2. शिक्षार्थी 3. पाठ्यक्रम

नि: सन्देह शिक्षक शिक्षण व्यवस्था का आधार स्तम्भ होता है। शिक्षक ही विद्यार्थियों। शिक्षार्थियों में ज्ञान, संस्कार, मूल्य, दृष्टिकोण व अभिवृत्तियों का संचरण करने वाला होता है। शिक्षक ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। शिक्षक शांति शिक्षा में मुख्य रूप से अपना योगदान निम्न प्रकार दे सकता है–

1. अपने आचरण के माध्यम से
2. कक्षा शिक्षण के माध्यम से
3. पाठ्यसहगामी क्रियाओं के माध्यम से

इस दृष्टि से शांति शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका के लिए यही कहा जा सकता है कि जब तक शिक्षक शांति शिक्षा हेतु प्रयास नहीं करेंगे, शांति शिक्षा के प्रसार हेतु अग्रणीय भूमिका नहीं निभाएगे, तब तक हम शांति शिक्षा को उसकी जड़ों तक पहुँचाने में सफल नहीं होंगे।

महान विचारक जे. कृष्णमूर्ति भी यही मानते थे कि शांति एवं ज्ञान सम्पन्न समाज के निर्माण का उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही है।

अत: विश्व समुदाय के शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वह समूचे विश्व की जनता में जो कि विद्यार्थी के रूप में उसके सामने है, उसमें शांति शिक्षा का प्रचार प्रसार करे और उन्हें शांति के महत्व को समझायें।

उपसंहार – सारांशत: यही कहा जा सकता है कि वर्तमान में चहुँ ओर हिंसा व अशांति का साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है। स्वयं को समस्त चराचर में परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ घोषित करने वाला मनुष्य स्वयं ही इस हिंसा व अशांति के ताण्डव के लिए उत्तरदायी है। उसने ईश्वर प्रदत्त विलक्षण उपहार, अपने मस्तिष्क का उपयोग शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के लिए ना करके संघर्ष का विनाशकारी मार्ग अपने लिए वरण किया है। अत: शांति शिक्षा की आवश्यकता एवं क्रियान्वित अत्यंत आवश्यक है।

सचमुच शांति शिक्षा के लिए एक ही विचार की सर्वाधिक आवश्यकता है और वह है, हमारा ईमानदार, शक्तिशाली व आत्मविश्वास से भरा एक कदम तो आइये यह कदम हम आज ही क्यों ना उठायें।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

Sports Ground/Court (Indore & Outdoor) in India

Dr. Ramneek Jain *

Abstract - Competitors are utilizing the most refined supplies and innovation keeping in mind the end goal to draw out the best execution with slightest consumption of vitality and time. At each progression new innovation has been presented. Correspondingly radical change has happened in Physical Environment incorporating into play ground and surfaces of donning exercises on which entertainers are making execution. Presently, aside from the dirt, grass and solid, engineered and furthermore logical play ground surfaces are being utilized. There are for the most part two sorts of engineered surfaces-Turf framework and Track System. Engineered grass has many preferences over common turf, for example, - no watering and safe playing surface and low support expenses. Manufactured turf frameworks, frequently alluded to as Astroturf, are transcendently utilized for Football and hockey. Three unique sorts of track surface are Solid Polyurethane Systems, Porous System and Sandwich Systems are based on similar establishments yet each offers contrasting execution and expenses. Diverse Synthetic surface are utilizing for indoor movement and also for open air action. With regards to picking indoor games surfaces, the primary decision that weaving machines wood versus manufactured. Specialists educate to utilize regarding extensive variety of synthetics, Synthetics, for the most part fall into three classes:
(1) Urethane, (2) Rubber and (3) PVC. Synthetics additionally can be introduced three distinctive ways:
(1) either poured on as a fluid, (2) taken off in long sheets or (3) set up together like a confuse as interlocking tiles.

Introduction - The execution in any focused games occasion rely on upon such components as physical wellness, strategy, strategies and aptitude despite the fact that the relative commitment of these variables clearly differs from game to brandish. Furthermore, some different elements like constitution, body structure and mental qualities of the entertainer additionally assume a fundamental part on performance With the modernization of games condition, the advancement of preparing strategies and procedures of games preparing are vital considers winning. For better and higher exhibitions standards of a few fundamental sciences and innovation has realized a progressive change from games entertainer to be a game excellent. Today competitors are prepared after logical standards of instructing and preparing, utilizing the most refined supplies and innovation keeping in mind the end goal to draw out the best execution with minimum consumption of vitality and time. Sports execution is enhancing, by games preparing as well as, likewise misusing sports science and innovation. At each progression new innovation has been presented. So also radical change has happened in Physical Environment. There is a radical change in play ground and surfaces of brandishing activities. As playing surface for the most part we consider such surfaces which are made of earth, grass or cement. In Indian games situation these surfaces are for the most part utilized. Presently, aside from these short of surfaces some current and logical play ground surfaces are being utilized.

There are for the most part two sorts of engineered surfaces:

1. Turf and Track framework

Turf Systems: Synthetic grass is presently broadly utilized as a part of numerous nations. This is exceptionally helpful in all climates. Manufactured grass has many preferences over normal turf, for example,

- No watering, safe playing surface, Low support expenses

Simulated turf frameworks, regularly alluded to as Astroturf, are overwhelmingly utilized for Football and hockey despite the fact that we are finding a protected surface for their students to play on at all circumstances to forestall damage and conceivable lawful activity.

Track Systems - Three distinctive sorts of track surface are based on similar establishments however each offers contrasting execution and expenses.

Strong Polyurethane Systems - Solid PU frameworks offer unrivaled execution and are the decision for top rivalry tracks. These tracks offer a significantly quicker running surface due to their unbending nature, this additionally offer much preferable toughness over the milder track surfaces.

Permeable System: This track framework is greatly

* Assistant Professor (Physical Education) Shri JJT University, Jhunjhunu (Rajasthan) INDIA

improved suited to schools and universities due to its gentler qualities that will diminish the danger of damage; yet it is as yet reasonable for rivalry utilize.

Sandwich Systems - Sandwich framework offers a surface moderate in both execution and cost. By offering the gentler permeable base of our permeable System blended with the harder top layer of our Solid System this track Surface offers a less expensive option for preparing tracks.

Indoor and Outdoor Ground Surface facilities in Uttar Pradesh

INDOOR

Contemplations on wood - When it comes to picking indoor games surfaces, the fundamental decision that weavers wood versus engineered. Wood remains the best quality level for multipurpose spaces for an assortment of reasons. Wood is prized for its appearance, it's capacity to return vitality – the level of "skip"- and its toughness. In the event that appropriately kept up, it can last up to 70 years or more. It is known element along with history of execution. Also, the very appearance of wood can show a guarantee to athletics. On the opposite side of the record, however, wood requires exact, conferred support. It grows and contracts with mugginess and temperature changes, requiring a consistent ventilation framework; it ends up plainly harmed on the off chance that it gets wet; it requires ability in establishment; and as a hard material, it has no point-versatile, padding attributes.

Manufactured thoughts - While wood frequently appears the most evident decision for gym and multipurpose floors, it may not generally be the best arrangement. Specialists educate to utilize regarding extensive variety of synthetics, which can be a superior fit by and large. Synthetics, which cover anything aside from wood, for the most part fall into three classes:

(1) Urethane, (2) Rubber and (3) PVC (Polyvinyl chlorate).Synthetics additionally can be introduced three diverse ways: (1) either poured on as a fluid, (2) taken off in long sheets or (3) set up together like a confuse as interlocking tiles .If utilize the PVC sheet products, There may have been unimaginably solid and simple to clean-they run in there with a power washer.

Open air - On track : Outside, running tracks have voyage light years from the times of soot fiery remains or black-top and now for the most part highlight manufactured vulcanized elastic made of granules bound with polyurethane, or expelled vulcanized elastic. Like indoor surfaces, both poured-in –place and sheet-great frameworks are accessible.

Tennis surfaces: Outdoors and in, tennis surfaces offer an extensive variety of decisions. All in all, tennis courts are part in two classifications. (1) Traditional, delicate court outside surfaces incorporate dirt and grass, alongside counterfeit turf that imitates grass. (2) Hard-court surfaces, which contain around 70 percent of all courts, incorporate cement and black-top overlaid with a shading covering. This covering by and large is made out of finished latex, elastic or other engineered materials. In an inexorably prominent alternative, courts may contain a strong layer of padding 6mm to 13mm thick between the black-top or concrete and shading covering. At last, interlocking polypropylene tiles and sheet merchandise are two different frameworks being utilized progressively for tennis.

Fake turf - Artificial turf, which most makers now call engineered turf, has progressed significantly from its presentation in the 1960s, with a lot of biomechanical research. As a sign of how far turf has come, FIFA, the International Soccer Federation now states it is "especially in support" of the utilization of simulated turf. Grass filaments, which can be made of polypropylene, nylon or a mix of the two, can be amassed in a few ways. Manufactured turf requires no cutting, watering or preparing, it brings its own particular arrangement of support issues. The possibility of a story, at first glance, appears to be truly basic: something to remain on. Outside, it implied grass or earth. Include games and amusement into the psyche, and it moves toward becoming something to remain on, keep running on, hop on, sit on, move on, bob on, fall on, race on, move on, meet on More entangled yet, consistently appears to carry another game or wellness with new ground surface necessities: for reasons unknown, training and attentive arranging can decrease the cerebral pains and clear the way to the correct floor. Really, say the specialists, picking the floor is the last and now and again most effortless piece of the procedure. The crucial step lies in asking – and replying – the inquiries that prompt the correct floor. The many distinctive materials are coordinated by many diverse execution qualities best for various games, with a speedy lesson in material science and biomechanics vital for each. For most games surfaces, the objective is to decrease the measure of vitality lost to the surface. The Foundations for Flooring: There are the same number of various sentiments and choices on ground surface as there are frameworks and producers that may be, handfuls. However, the specialists all concur that game surfacing decisions must fulfill seven key variables:

Establishment - How troublesome is it to introduce the framework? Will's identity doing the introducing ? Does the producer offer its own particular establishment groups, or is your staff sincerely up to the assignment? How soon can the surface be utilized after establishment? Does it radiate any dangerous outgases or poisonous scents?

Bolster - How much and what sort of upkeep required? Are a couple of substances typically found at your site risky to the surface? Will your staff perform minor repairs or ought to the maker be called? Strength: How long does this surface last? Whatever degree do you require it to last? That is, might you genuinely want to go 40 years before supplanting the thing? What sorts of where does the thing show and by what means may it be settled? Does the kind of usage you mastermind impact robustness

Cost - Don't just look at frank costs, look at lifetime costs. What sum does foundation cost? What are the bolster

costs? What sum are the things key for support and how straightforward would they say they are to get? What does bolster cost in delegate hours?

Security - Does this floor meet the biomechanical needs of it expected vocations? Is there genuine cushioning for impact? Is it unnecessarily subtle? Not adequately hazardous? Does it oblige an extent of customers? Are there any lumps that can cause a risk?

Ranking System - To help resolve these issues use a ranking system, provide a sheet of flooring attributes furthermore, asking that the gathering number them arranged by importance. These include:

1. Toughness
2. Sound stifling
3. Clean ability
4. Versatility/stun penetrability
5. Ball bob/roll/execution
6. Coefficient to erosion (slip versus slide versus nonslip)
7. Shading
8. Establishment time
9. Smell amid/after establishment
10. Guarantee
11. Spike resistance
12. Execution/transportability.

Standard of Care - notwithstanding the science of synthetics terms and the material science of wood, floor purchasers must take in the letters in order soup of affirmations. As of now, there is nobody, brought together models framework that covers all parts of execution, establishment and plan for games surface, yet various associations cover segments of these issues.

Standard twisting - The profundity to which a story indents under a heap of weight.

Twisting control - The spread of a disfigurement, or the region it covers, when a story indents under a heap of weight. Sliding conduct: The separation a story can allow a competitor's foot to turn or deliberately slide, while as yet anticipating uncontrolled sliding. Commotion measures oblige floors to have a sliding separation of 0.4 to 0.6 meters. EDPM: Ethylene propylene dine monomer, a sort of engineered elastic ground surface that comes in granule shape. SBR: Styrene butadiene elastic, another granulized type of manufactured elastic. PVC: Polyvinyl chloride, a typical type of manufactured ground surface that, yes, is a similar stuff of which you're pipes funnels are made. Polypropylene: Another type of plastic, regularly utilized for games flooring squires or tiles. Pre-assembled sheet frameworks or sheet merchandise: Synthetic ground surface made off site and conveyed in rolls or sheets. Cast set up frameworks: Synthetic ground surface frameworks made nearby.

Basic phrasings identified with manufactured ground surface:

1. Point-flexible surface.
2. Range flexible surface.
3. Composite surface.
4. Versatility.
5. Dampness content.
6. Sleeper framework.
7. Board framework.
8. Tied down framework.

Acclimatization - Drive lessening. Ball bounce back. Standard miss happening. Disfigurement control. Sliding conduct. Cast set up frameworks.

Point-flexible surface - A surface that curves at the purpose of weight and ingests vitality. Most manufactured surface constitute this.

Territory versatile surface - An unbending, non-bending surface that yields bit by bit to weight and can return vitality, for example, wood floors.

Composite surface: A surface with qualities of both point and zone versatility, regularly a manufactured surface over wood.

Flexibility - A story's capacity to curve or give; engineered surfaces frequently have more prominent strength than wood Moisture content: The heaviness of water contained in wood flooring, as a rate of an oven dried specimen. Sleeper framework: Wood flooring framework where the wood strips are introduced on portions of wood studs.

Board framework - Wood flooring framework where the wood strips are introduced on sheets of other material, regularly plywood.

Moored framework: Wood flooring framework where the wood strips are introduced on sheets of different materials, frequently plywood, with 2-by-3 " sleepers" under the plywood.

References :-

1. www.wikipedia/ sports _ground_ science
2. www.egolfportableputtinggreen.info
3. www.google.com
4. website of Sports Authority of India.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

आचार्य विनोबा भावे का व्यक्तित्व - एक विवेचन

डॉ. संदीप ठाकरे *

प्रस्तावना – आचार्य विनोबा जी का जन्म 11सितम्बर 1895 में गागोदा महाराष्ट्र में हुआ था। गांधी जी ने ज्ञानोबा तुकोबा की तरह से प्यार से उनका नाम विनोबा रख दिया था। विनोबा का बचपन का नाम विनायक था। इनके पिता नरहरि भावे बडोदा राज्य की सेवा में एक कार्यकर्ता थे। माता रूक्मिणी देवी भक्त ह्रदया स्त्री थी। विनोबा के बालजीवन पर उनकी धर्मनिष्ठ और प्रेममयी माता का बहुत गहरा प्रभाव पडा।

विनोबा जी बचपन से ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहें हैं। बचपन से ही विनोबा को किताब पढने का शौक था। किताबों के अध्ययन के लिए ये सार्वजनिक वाचनालयों का प्रयोग करते थे। गणित उनका प्रिय विषय था। वे कहते थे [1] – भगवान के बाद अगर कोई चीज मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, तो वह है गणित।

विद्यार्थी जीवन में विनोबा बहुत कम बोलते थे। प्राय: सारा समय वे मौन ही रहते थे। परंतु जब जरूरत होती तो वे जोश में बोलते और गंभीर विषयों पर घण्टो वाद – विवाद करते थे।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने एक बार विनोबा जी के विषयो पर कहा था – विनोबा हमारी प्राचीन संत परम्परा के आचार्य है। वह वास्तव में तुलसीदास, कबीर दास, नानकदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव और समर्थ रामदास की कोटी के संत हैं। उनके व्यक्तित्व में संत आचार्य, और तपस्वी का ऐसा सुंदर समन्व्य है, जो किसी भी व्यक्ति को उनके सामने श्रध्दा से झुका देता हैं

उनमें गीता के कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ और भक्त तीनों के लिए एक साथ दर्शन होते हैं। उनका प्रशांत और गंभीर मुख मंडल सीधी–सादी वेशभूषा, तेजस्वी ललाट, स्वप्न द्दष्टा लोचन एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालने में उसे उदात्त एवं निर्मल बनाने में सामर्थ हैं। विनोबा जी की आत्मचिंतन एवं आत्मोपलब्धि की साधना काफी ऊंचे स्तर की हैं। गीता का कर्मसन्यास उन्हें सहज ही सिध्द हो गया था। गांधीजी के एकादश व्रती को साधना विनोबा जीवन पर्यन्त करते रहें। जिस प्रकार गाधीजी ने दुनिया से विरक्त होकर हिमालय में जाकर एकान्त साधना और आत्मचिंतन की बात नहीं सोची। इसी प्रकार विनोबा की जीवन गंगा भी आस पास के समाज की उपेक्षा कर आगे नहीं बढी।

बचपन में घर से निकलने के बाद कुछ दिनों तक उनके मन में यह विचार अवश्य रहा कि वह हिमालय जाकर आत्मचिंतन करेंगें पर काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर दिए गए गांधीजी के भाषण ने उनको इतना प्रभावित किया कि वह साबरमती आश्रम चले गए, और हिमालय जाने का विचार पीछे छूट गया। फिर तो उनकी यह मान्यता द्दढ हो गयी हैं कि जीवन पानी की उस धारा के समान हैं, जो समुद्र (परमात्मा) से मिलने जा रही हैं। उस परमात्मा से एकाकार हो जाना ही उनका अंतिम लक्ष्य था। किन्तु जिस प्रकार से पानी की धारा रास्ते के गडढ़े भरती हुए आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार विनोबाजी अपने आस पास की कमियों, बुराईयों और विषमतायों के गड्ढे भरते हुए ही आगे बढते थे।

विनोबा जी अपने आस पास के छोटे से छोटे कहे जाने वाले कामों में भी इतनी तल्लीनता से जुट जाते हैं, जितनी तल्लीनता से बहुत से लोग बडे कहे जाने वाले कामो में भी नहीं जुटतें। वस्तुत: जब आसन्यास, दरिद्रता, अव्यवस्था, गंदगी, अनौतिकता, और असमानता का राज्य हो तब उनकी उपेक्षा कैसे कर सकतें हैं। फलस्वरूप लोकसेवा उनका धर्म बन गया है। और जगह जगह उन्हें आत्मसाक्षात्कार होने लगा, व्यक्ति व्यक्ति में उन्हें परमात्मा के दर्शन होने लगे।

विनोबा जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता ये भी थी कि प्राय: मौन रहते थे। लेकिन जब भी वे बोलते उनकी वाणी गंगा की प्रवाह की तरह अपनी निर्मलता में श्रोताओं को डुबोए बिना नहीं रहती। धीमी आवाज में आरम्भ करके क्रमश: उनकी वाणी में ओजस्विता बझती जाती थी उपस्थित जन समूह उनके मौलिक चिंतन, ओजस्वी भाषा और शास्त्रों के गहन ज्ञान से एक नई चेतना और स्फूर्ति ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता हैं, मानो कोई प्राचीन ऋषि नवीनतम समस्याओं का अध्ययनपूर्ण शास्त्र सम्मत सरल एवं अचूक हल बताता जा रहा हैं। यह पूर्ण परम्पराओं से अपनी कडी इतनी सुन्दरता से मिला देते हैं कि पुरातन के प्रकाश में भविष्य का का पथ स्पष्ट होते हुए दिखाई देने लगता है। विनोबा जी के प्रत्येक प्रवचन में नवीनता प्रकट होती हैं। उनके शब्द ह्रदय की गहराई से निकलते हैं इसीलिए इनके प्रत्येक शब्द ह्रदय स्पर्शी होते हैं, गाधीजी, तुकाराम,ज्ञानेश्वर, तिलक, रामदास, मीरा आदी संतों का स्मरण करके किसी संत–ऋषि में पहुंचकर अथवा राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मुहम्मद, ईसा, आदि महापुरूषों का ध्यान करके वे गदगद हो जाते थे। विनोबा जी के साथ उनका अपना वातावरण था। वह जहां भी जाते ज्ञान, कर्म ओर भक्ति का वातावरण निर्मित हों जाता था। इसलिए उनके प्रवचन से हर क्षण नई स्फूर्ति और नई चेतना प्राप्त होती। अनेक भाषाओं के ज्ञाता और शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी उनकी बुद्धि पर ह्रदय ने जो विजय प्राप्त की हैं, वह अद्धितीय हैं। ऐसा लगता है मानों शंकराचार्य की प्रखर बुद्धि और और महात्मा बुद्ध का कोमल ह्रदय उन्हें एक साथ मिल गया है।

विनोबा जी के व्यक्तित्व हमें सूक्ष्म तर्क के साथ मार्मिक रसिकता और गणित के साथ उच्चकोटी के काव्य का संयोग देखने को मिलता हैं, विनोबा एक अच्छे साहित्यिक भी थे। यद्यपि उन्होने स्वयं को कभी साहित्यिक नहीं कहा। विनोबा जी को हम समन्वयाचार्य भी कह सकतें हैं, गीता, ब्रम्हसूत्र,

* (योग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातिय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.) भारत

शंकराचार्य, आदि के जमाने से चली आई समन्वय की भारतीय परम्परा हमें उनके हर कार्यो में देखने को मिलती हैं। उनका सारा साहित्य इसका साक्षी हैं। अलग- अलग जमाने में समन्वय के अलग अलग तरीके हो सकतें हैं आज के युग में सर्वोत्तम सार करना, यही समन्वय की प्रक्रिया हो सकती हैं। विनोबा जी ने दीर्घकाल अध्ययन, मनन चिंतन प्रयोग करके संसार के भिन्न भिन्न धर्म ग्रथों के जो सार निकाले हैं, वे इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।' मेरे जीवन के सभी काम दिलो को जोडने के एकमात्र उध्देश्य से प्रेरित हैं, ऐसा कहकर उन्होंने समन्वय के विचार को ही लोकभाषा में व्यक्त किया हैं। इस प्रकार विनोबा जी के व्यक्तित्व की बारीकियां समझने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व के विविध पहलुओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकतें हैं -

विनोबा जी का व्यक्तित्व हिमालय जैसा विशाल था। उनके व्यक्तित्व के विविध आयाम हैं। प्रसिध्द वैज्ञानिक एडलर का विचार हैं कि - 'व्यक्ति का व्यक्तित्व जैविक मानसिक और सामाजिक कारकों से निर्धारित होता हैं। इन तीनो कारको का समग्र रूप में ही व्यक्तित्व को समझा जा सकता हैं।'

1. शिक्षक के रूप में विनोबा - विनोबा जी ने मुख्य रूप से, जीवन भर शिक्षण का ही कार्य किया हैं। उनका अपना अनुभव हैं कि जब वे किसी को पढाने बैठतें हैं, तो उनके अपने सारे दोष दूर हो जातें हैं। उनको अपने हृदय में पावनता की अनुभूति होती हैं। भूदान यज्ञ के समय भी वे नया कुछ न कुछ सिखाते रहतें थे। सीखना और सिखाना विनोबा जी के विनोबा जी के व्यक्तित्व का विशेष गुण हैं। साबरमती और सत्याग्रह आश्रम में भी वह विद्यार्थियों को पढाते थे। इसी गुण के कारण विनोबा जी अपने विचारों से विशाल साहित्य का सृजन करने में सफल हो पाए हैं।

2. कर्म, भक्ति और ज्ञानयोगी के रूप में विनोबा - विनोबा जी की आध्यात्मिक साधना जीवन के प्रत्येक व्यवहार के साथ घुली मिली है। साधना जीवन से विमुख बन कर करने की चीज नहीं। खेत में तिनके बीनने का काम उनके लिए ध्यान योग है। विनोबा जी ने ब्रम्हविद्या का प्रवेश मजदूरी और शरीरश्रम में भी किया। इस तरह विनोबा जी के लिए अपना सभी कर्म और ज्ञान अन्तत: ईश्वर की उपासना रूप ही था। वे साथ पूर्ण तादाम्य सिध्द करने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहते थे। ईश्वर निष्ठा और ईश्वर भक्ति, यह विनोबा के व्यक्तित्व का सार हैं। विनोबा की भिन्न भक्ति कोई साधना नहीं हैं।

'भक्ति का अर्थ हैं- भगवान को ग्रहण करना। इस प्रकार गुण ग्रहण, गुण वर्धन, गुण स्मरण और गुण भावन इसी को विनोबा जी ने भक्ति माना है।'

3. विश्वमित्र के रूप मे विनोबा जी - विनोबा एक नया मानव निर्माण का संदेश लेकर अवतरित हुए थे। जिसे ऋग्वेद में विश्वमानव शब्द से संबोधित किया हैं। विश्व मैत्री ही विश्वराज्य का आधार हो सकता हैं। इसके लिए विनोबा जी ने चतुर्विध योजना का संकेत दिया हैं -

1. विचारो का मुक्त आदान प्रदान हो।
2. वस्तुओं का भी आदान प्रदान होगा लेकिन प्रीति के भेंट के तौर पर और ऐसी वस्तुओं का जिनके बिना काम चल सकता हैं।
3. दुनिया के सारे विवाद तय करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय मंडल हो।
4. विश्व के जिस भूभाग में किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो शीघ्र सभी देश दौड़ जाए।

विश्वमैत्री का वैचारिक आधार विनोबा जी की सर्वोदय विचार धारा हैं, यही उनके जीवन का सर्वस्व रहा हैं। इसीलिए उन्होंने ब्रम्ह सत्यमं, जगत स्फूर्ति, जीवन सत्य शोधनमं। का वेदान्त मंत्र अपना जीवन मंत्र घोषित किया। आध्यात्मिक जावन में भी उन्होने सामूहिक साधना और सामाजिक समाधि का विचार दिया। विश्व प्रेम के कारण ही उन्होंने जय हिन्द से जय जगत की ओर कहा।

4. एक आदर्श शिष्य के रूप में विनोबा - विनोबा जी गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। एकादशव्रतो की साधना विनोबा संपूर्ण जीवनपर्यंत करते रहें। वे गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही बने। गांधी जी विचार से ही प्रेरित होकर उन्होंने आश्रम जीवन को अपने जीवन की प्रयोगशाला बनाया गांधी जी के व्यक्तित्व से ही उन्हें बंगाल की क्रांति और हिमालय जैसी शीतलता पायी। विनोबा गांधी जी के शिष्य अवश्य थे, लेकिन उनकी कार्बन कॉपी नहीं। विनोबा के व्यक्तित्व में अनेकानेक मौलिकता थी। स्वाध्याय, शरीरश्रम, संयम अनुशासन, सजगता ब्रम्हचर्य, अपरिग्रह, समर्पण, दया, प्रेम, करूणा, सत्य, अहिंसा, आदि गुण, विनोबा के एक आदर्श शिष्य के रूप में स्थापित करते हैं।

5. गो भक्त विनोबा - गोमाता, ममतामयी और प्रेममयी, और वात्सल्यमयी होती हैं। गो का स्मरण दर्शन और स्पर्श भी पवित्र होता हैं। हमें गो सेवा की वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करनी होगी। गाय मनुष्य समाज के लिए उपयोगी हैं और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी हैं। ऐसी भावना से जब हम गाय की सेवा करेंगे तभी गो सेवा की वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होगा। गाय और बैल भारत के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। खेती के लिए बैल और खाद अमृत समान हैं। गौ की रक्षा हेतु हमें गो वध कानून करना पडेगा। साथ ही गौ के लिए उत्तम भेजन, आवास, एवं उचित स्वास्थ्य हेतु गोसदन का निर्माण करना पडेगा। स्वयं विनोबाजी गौ सेवा करते थे। अत: गाय की तुलना की जा सकती हैं, तो केवल मा से ही की जा सकती हैं। अपने अंतिम दिनों तक विनोबा गायों का संवर्धन उचित पोषण, स्वास्थ्य गो रक्षा और गो सदन हेतु लोगों में जागृति लाने का कार्य करते रहे।

6. साहित्य के उपासक विनोबा - विनोबा साहित्य सृजन के द्वारा बहुत बडे लोकसंग्रह का काम किया गया। उनके साहित्य में भी गीताई और गीता- प्रवचन ये दो उनकी अमरकृतियां हैं विनोबा की अपनी श्रध्दा यह हैं कि गीताई के रूप में भगवान ने उनके हाथों उत्तम सेवा करवा ली हैं। गीताई के विषय में उनका कहना हैं कि - मुझे भूल जाईये केवल गीताई को याद रखिए। इनका सृजन एक विशिष्ट भावावस्था में हुआ हैं। विनोबा जी का अपना अनुभव यह हैं कि गीताई लिखते समय मैं केवल समाधिस्त था।[10]

श्रीमद् भागवतगीता कें विषय में विनोबा का कहना हैं - गीता के साथ मेरा सम्बन्ध तर्क से परे का सम्बन्ध हैं। मेरा शरीर मां के दूध से पुष्ट हुआ हैं, लेकिन उससे भी अधिक मेरे हृदय का और मेरी बुध्दि का पोषण गीता के दूध से हुआ हैं, गीता मेरे लिए प्राणतत्व के समान हैं।

इसके अतिरिक्त विनोबा के असंख्य प्रवचनों पर से संकलित और सम्पादित रूप में भी उनकी कई पुस्तके प्रकाशित हुई हैं। गीता प्रवचन मधुकर नारी महिमा, स्वराज्य, शास्त्र, तीसरी शक्ति, रामनाम, लोकनीति, शुचिता, समे आत्मदर्शन, स्थितप्रज्ञ, दर्शन, साम्योग, विज्ञान,अध्यात्म जैसी अनेकानेक पुस्तको का प्रकाशन हुआ। इस प्रकार विनोबा अपने अंतिम दिनों तक साहित्य सेवा करते रहें।

7. दार्शनिक विनोबा - विनोबा जी का दर्शन अथवा तत्व केवल दार्शनिक न होकर व्यावहारिक भी हैं। दर्शन का प्रयोग उन्होंने वैचारिक

जगत के साथ– साथ कर्मक्षेत्र में भी किया। जो दर्शन व्यवहार में उपयोगी नही हैं उस दर्शन का दर्शन काव जीवन में महत्व ही नहीं है। ऐसी विनोबा जी की मान्यता थी। [12]

विनोबा जी ने सभी धर्मो, ग्रथों का बारीकी से अध्ययन कर उनका सार संक्षेप में प्रकाशित किया। कर्म–भक्ति, ज्ञानयोग का विवेचन सगुण निगुण की चर्चा, द्वैत–अद्वैत का विवाद,स्थितप्रज्ञ दर्शन, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। श्रीमद भगवत गीता को उन्होंने साम्योग का ग्रन्थ कहा इसी दर्शन चिंतन के फलस्वरूप ब्रम्हविद्यामंदिर का निर्माण संभव हो पाया हैं। अतः दर्शन का व्यवहारिक प्रयोग और साम्य योग यह विनोबा जी के दाशनिक विचार का सार हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीमन्नारायण (1990), ऋषि विनोबा – (जीवन और कार्य) सर्व सेवा सर्व सेवा संघ वाराणसी पृ–29
2. संपादक (शिवाजी भावे, वियोगी हरि) (1971), विनोबा (व्यक्तित्व और विचार) सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन नई दिल्ली, पृ– 43
3. वही पृष्ट –267
4. विनोबा साहित्य – खण्ड 12 (साहित्य और आत्मज्ञान) के आमुख से पृ –5
5. डॉ, डी, एन, श्रीवास्तव (2003), आधुनिक असामान्य, मनोविज्ञान, पृ 210
6. कांतिशाह (2009) विनोबा : (जीवन और कार्य) सर्व सेवा संघ राजघाट वाराणसी पृ 20
7. वहीं पृ – 208
8. डॉ, रामजी सिंह (1998), विचार (दर्शन धर्म राजनीति और अर्थ नीति) मानक पब्लिकेशन दिल्ली पृ – 233
9. संपादक (शिवाजी भावे, वियोगी हरि) (1971) विनोबा (व्यक्तित्व और विचार) सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन नई दिल्ली, पृ–977
10. कांतिशाह (2009) विनोबा : (जीवन और कार्य) सर्व सेवा सर्व सेवा संघ राजघाट वाराणसी पृ 183
11. विनोबा (2006), गीता प्रवचन, सर्व सेवा संघ राजघाट वाराणसी पृ 20
12. चन्द्रशेखर धर्माधिकारी, विश्वात्म के ते जय जगत् पृ– 37

****

जेन प्रणाली में ध्यान का स्वरूप

डॉ. नीलम श्रीवास्तव *

प्रस्तावना – जेन परिपाटी चीन और जापान में विकसित हुई श्वसन नियंत्रण की भारतीय विधि है, जो कि छठवीं शताब्दी में चीन में पहुंची, और दो शताब्दी बाद जापान तक पहुंची। इस विधि में मनोविचारों को रोकने का प्रयास किया जाता है।[1] इसमें ऐसी दशा उत्पन्न की जाती है कि बाह्य प्रभाव आने बन्द हो जाते हैं और ज्ञेय के मनोजगत में दो रूप होने के स्थान पर एकरूपता आ जाती है। उस दशा में मस्तिष्क पर नियंत्रण का प्रयास भी समाप्त हो जाता है और सहजता आ जाती है। चीनी विचारक लाऊत्जू के शब्दों में 'मस्तिष्क में जो भी उठता है। उसे आने दो क्योंकि रोकने से उसकी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होगी, धीरे-धीरे करके वे स्वत: ही समाप्त नहीं जाते हैं।' और तब सहजावस्था आती है जिसे कि 'परा विचारावस्था (मैटाथौट) कहा गया है। इस 'सहजावस्था' में योगी कुछ भी नहीं सोचता अर्थात् सोचने और प्रयत्न निर्माण की क्रिया रूक जाती है। अर्द्ध चेतन और अचेतन में दबे हुए सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं उस दशा में प्राणायाम स्वत: सिद्ध हो जाता है और ध्यान की अवस्था आ जाती है। भूत और भविष्य दोनों मन को प्रभावित नहीं कर पाते और अस्तित्ववादी स्थिति (इक्जिस्टेन्शियल स्टेट) 'अभी और यहां' (हियर एण्ड नाऊ) स्थिर हो जाती है। स्मृति प्रतिमाए नष्ट हो जाती है। ऐसी दशा में एकाग्रता की मात्रा असीमित हो जाती है। 'अहंम' का स्वरूप नष्ट हो जाता है। अलेन वेस्ट के अनुसार मनोचिकित्सा के शब्दों में वह ऐसी दशा है। जिसमें कि 'स्व' व्यक्त रूप से एवं 'स्व' बाह्य प्रकृति रूप से अलग हो जाते हैं। जिसे कि वाट्स ने 'टोटल साइकोलोजीकल इन्टीग्रेशन' अथवा तादात्म्य कहा है। (एण्ड ऑफ अलीयेनेशन)[2] कार्ल युंग ने इस दशा को 'सहज होना' (Letting Be) कहा है जिसे कि लाऊत्जू बी-बीई (We-wai) कहा है। यह शून्य दशा है परन्तु ऐसी दशा जिसमें कि मस्तिष्क शुद्ध रूप या बाह्य प्रभाव रहित (जौन लोक का 'टेबुला-रासा') जब ऐसी स्थिति आती है तो मनोक्षमताएं बढ़ जाती है और अनुभव की गहराई सहज ज्ञान उत्पन्न करती है, जिसमें कि बिना प्रयास के व्यक्ति सही निष्कर्षो पर पहुंच जाता है।[3] नारमन ब्राऊन और आल्वर्ट मारक्यूज ने भी इससे मिलती जुलती दशा का वर्णन किया है। इरिक इरिक्सन ने इस दशा को शु; स्वरूप कहां है ये ऐसी दशा है जिसमें कि सही-गलत का द्वन्द समाप्त हो जाता है।[4] इसी सम्बन्ध में इरिक्सन ने आगे कहा हे कि 'जेन साधना में सही और गलत का अन्तर्द्वन्द समाप्त हो जाता है, जो कि रोगी मस्तिष्क की निशानी है।'

चीनी छठे धर्मनायक हुई-नेग ने जेन विधि को 'अशब्द ज्ञान' कहा है[5] क्योंकि सोचने विचारने की प्रक्रिया रूक जाती है। प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक कुल्पे ने प्रतिमाविहीन विचार (इमेजलेस थाट) का विवरण दिया है जो कि जेन की इस मनोदशा के समकक्ष की स्थिति है। हुई-नेग के अनुसार समाधि प्रज्ञा का सार है और प्रज्ञा समाधि की क्रिया है।[6] जेन साधना विधि केवल सहज, शान्त, चित्तवृत्ति रहित मनोदशा उत्पन्न करती है। जिसमें कि प्रज्ञा (अथवा यथार्थ ज्ञान) स्वत: प्रकट हो जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान जॉन ब्लोफेल्ड ने अपनी पुस्तक 'दि पाथ टु सडेन अटेनमेन्ट' में इसी दिशा का वर्णन किया है। यह पुस्तक चीनी ग्रन्थ 'तनु-वु यओ मेन चुन' (युगपद वोध के मूल तत्व) का अनुवाद मात्र है। इस ग्रन्थ के लेखक आठवीं शताब्दी के धर्म नायक हुई-हाई थे।

पांचवे धर्म नायक धृतक ने अपेन शिष्य मिच्छक को गृह्य ज्ञान की दीक्षा देने हेतु यह गाथा (चीनी शब्द-मान्डो) कही थी।[7]

'मन के अन्तिम सत्य को वेधो,
फिर न वस्तुएं हैं और न अ-वस्तुयें ही,
बुद्ध ओर अ-बुद्ध दोनों समान है,
न मन है ओर न वस्तुये ही।'

उक्त धारणा भी अमन की दशा की ओर संकेत करती है जिसमें कि विचारणा की क्रिया समाप्त हो जाती है। शब्दों का संचार माध्यम टूट जाता है। तभी 'यथार्थ मन' प्रकट होने लगता है। भारत के निर्गुणी संतों ने इसे 'उन्मानी दशा' कहा है।

जेन सम्प्रदाय की मान्यता है कि 'हमारे मौन में सत्य बोलता है और जब हम बोलते हैं, तो वह (सत्य) चुप हो जाता है। इसी कारण जेन सम्प्रदाय के अनेक उच्च कोटि के साधकों ने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ ने लिखकर भी नष्ट कर दिया। अनेकों ने अपने को समाज में प्रकट भी नहीं किया। यही दशा उच्च कोटि के भारतीय साधकों में भी पाई जाती है।

जेन परिपाटी में गुरू कोई उपदेश नहीं देता और न कोई विधि बतलाता है वरन् पूर्ण 'सान्तता' की मनोस्थिति का प्रयास किया जाता है। उनके अनुसार कुछ बताया जा ही नहीं सकता क्योंकि कोई समस्या ही नहीं है।[8] जेन सम्प्रदाय कोई 'वाद' नहीं है। इस प्रश्न पर कि 'मार्ग (ताओ) क्या है, और इसे कैसे पाया जा सकता है। इसका उत्तर जेन गुरू देते हैं कि 'यदि तुम मार्ग खोजते हो तो भटक जाते हो।'[9] इस प्रकार से जेन विधि एक यकायक मनोजागृति (सडेन अवेकैनिंग) की दशा है। जेन विधि का विद्यार्थी घण्टों तक प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करता है। इसके कई स्तर हैं प्रथम स्तर में एकाग्रता बढ़ाने और विचार प्रवाह को रोकने के लिए अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान देते हैं, प्रत्येक सास को गिनते रहते हैं। दूसरे स्तर में व्यक्ति सम्पूर्ण ध्यान किसी प्रश्न (कौआन) का उत्तर खोजने में लगाते हैं। इसमें सम्पूर्ण शक्ति लगा दी जाती है परन्तु यह विचारणा की क्रिया नहीं है वरन् मन में अन्तरतम से उठने वाली सहज क्रिया है। क्योंकि उत्तर बौद्धिक स्तर पर नहीं खोजा जाता है यह ऐसी दशा है। जिसमें कि गुरू शिष्य को ऐसा उलझा देता है। जिसमें कि गहन अन्त:क्रिया होती है, इसके कई लाभ है जो कि अलेन बाटस ने निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है।[10]

प्रथमत: साधक अपने को अनावृत्त रूप में प्रकट करता है, जो कि उसका वास्तविक स्वरूप होता है और वह अपने चरित्र को अधिक सही रूप में अनुभव करने लगता है।

द्वितीयत: उससे कहा जाता है कि वह ऐसी सहज स्थिति बनावे जिसमें कि वह बिना किसी बाह्य अथवा आंतरिक प्रभाव के अपने को सहज

* (योग विज्ञान) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.) भारत

क्रियाशील कर सके।

तृतीयत: साधक से अपेक्षा की जाती है, कि वह किसी वस्तु पर विचारणहीन सहज एकाग्रस्ता लावे।

चतुर्थत: साधक की ऐसी मनोदशा उत्पन्न की जाती है जिसमें कि कौआन का उत्तर तो चाहिये परन्तु कोई विचारण न हो और व्यक्ति का मष्तिष्क प्रतिमा रहित (इमिज लैस स्टेट) बना सके, क्योंकि कोई भी शाब्दिक उत्तर जेन गुरू तत्काल अस्वीकार कर देगा।

पंचम दशा में उसे ध्यान अथवा परा मनोवस्था (ट्रान्स) में जाने से रोकते हैं जिसमें कि प्राय: साधक समस्या से भागने के कारण सामान्यत: पहुंचता है। इस दशा में अत्यन्त प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा सम्पूर्ण एकाग्रता केवल समस्या का कौआन पर केन्द्रित की जाती है। इस प्रबल प्रयास के द्वारा नई सहज सूझ उत्पन्न होती है, जो कि बिना प्रयास आती है और व्यक्ति अह्म का पूर्ण निषेध करता है। इस तरह विचारण शक्ति और अह्म दोनों का निषेध किया जाता है, और चेतना की सहज प्रकृति तक पहुंचा जाता है।

प्रसिद्ध ब्रिटिश जैव भौतिकी विद्वान एल.एल. ब्राइट ने अपनी पुस्तक दि नेक्स्ट डवलपमेन्ट इन मैन (1944) में मानव के विकास की ऐसी दशा की चित्रण किया गया है जिसमें कि शाब्दिक आधार पर उपलब्ध ज्ञान के स्थान पर सहज सूझ के द्वारा अंतिम निष्कर्ष अथवा 'सत्य' तक पहुंचा जा सकेगा। यह दशा मनोवैज्ञानिक द्वारा दर्शायी गई 'सूझ' से मिलती जुलती है, परन्तु उससे अधिक विकसित ज्ञान की स्थिति है।

कार्ल युंग अचेतन की सृजनात्मकता और असीम शक्ति पर जो विश्वास करते हैं परन्तु ऐसी चेतना मनोस्थिति नहीं मानते तो कि अहम् शून्य हो। उनके अनुसार अहम् शक्तिहीन किया जा सकता है, अन्य दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है परन्तु उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार अहम् शून्यता की दशा योग की उच्च स्थितियों में भी होती ही नहीं है।[11] उनके अनुसार अहम् अस्थायी रूप से चेतनता की प्रारम्भिक अवस्था (प्रीमीटिव स्टेट) में उतर जाता है, जो कि अविभक्तिकृत (अनडिफनेन्सियेटिड अवेयरनेस) अनुभव दशा होती है। जो कि मानव की सभ्यतापूर्व की मनोस्थिति थी। प्रसिद्ध विद्वान लेवी ब्रूहल ने इसे 'पार्टीसिपेशन मिस्टीक' कहा है। इनके अनुसार प्राचीन पूर्वी संस्कृतियों के व्यक्ति इस अविभक्तिकृत अनुभव दशा को अवश्य पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनमें परिपक्वता अधिक होती है, उनकी संस्कृतियां उन्हें अधिक पुष्ट अहम् संरचना प्रदान करती है, एवं उनमें मूल प्रवृत्तियों की पूर्ति में अधिक समाज नियंत्रित और क्रम पूर्ण प्रक्रिया होती है। इसी कारण लेवी बूहल ने पाश्चात्य निवासियों को योग साधना के लिये अधिक योग्य नहीं माना।[12]

पौर्वात्य विचारधारा में साधक को अपने भीतर झांकने (लुक विदिन) की प्रेरणा देते हैं। जिससे कि 'स्वं' का सही रूप ज्ञात हो सके इस विधि में स्व के ऊपर पड़े बाह्य प्रभावों को जिनसे कि 'अह्म' की सृष्टि होती है, धीरे-धीरे मिटाया जाता है। चायनीज जेन गुरू लिन-ची ने कहा है कि 'बाहर कुछ भी नहीं है, जो प्राप्त किया जा सके, इसलिए ऐसी त्रुटि मत करो।' इसी प्रकार ऐसी आशा मत करो कि अपने भीतर भी कुछ ऐसा मिलेगा जिसे पकड़ सको।[13]

जेन धर्म के प्रवर्तक बोधिधर्म ने सत्य में प्रवेश के दो द्वार बताए हैं। ये हैं-

1. उच्च अन्तर्बोध, एवं
2. कर्ममय या व्यवहारिक जीवन।

ये धारणाए भगवद्गीता के 'कर्मयोग' और 'प्रज्ञा रूप' प्रत्ययों के अत्यन्त निकट है। कर्ममय या व्यवहारिक जीवन के विषय में बोधिधर्म ने बताया कि उसमें चार कृत्य शामिल है। ये है (1) साधक को कठिनाईयों को समझकर झेलना चाहिए कि मैं अपने पूर्व कर्म के कर्मों का फल भोग रहा हूं। (2) उसे अपने भाग्य और परिवेश से सन्तुष्ट रहना चाहिए चाहे दुख हो या सुख, लाभ हो अथवा हानि। (3) उसको किसी वस्तु की तृष्णा नहीं करना चाहिए। (4) उसको धर्म के नियमों के अनुसार जिसका स्वरूप स्वभाव (सत्य) और शुद्धिमय हो, आचरण करना चाहिए।

बोधिधर्म ने अपने शिष्यों की आध्यात्मिक शंकाओं और प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जो जेन प्रणाली को स्पष्ट करते हैं। इस प्रश्न की स्वाभाविक सरल मन क्या है और कृत्रिम, जटिल मन क्या है ? बोधिधर्म ने बताया कि 'शब्द और भाषण कृत्रिम' जटिल मन से आते हैं। जब मानव भौतिक (सांसारिक) और अभौतिक दोनों जगतों में सहज और भोले भाले ढंग से चलता है या ठहरता है, तो उसे उसके स्वाभाविक, सरल मन से उत्पन्न कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति सुख या दुख से विचलित नहीं होता, तो इसे भी उसका स्वाभाविक सरल मन कह सकते हैं।

बोधिधर्म ने स्पष्ट किया कि 'यह मार्ग मन की शान्ति प्राप्त करने का है, यह मार्ग संसार में समुचित सहज व्यवहार करने का है, यह मार्ग तुम्हारे अपने परिपार्श्व के साथ सामंजस्य पूर्वक रहने का है, और यह उपाय अनाशक्ति का है।' इस प्रकार जेन मार्ग मनोस्वास्थ्य प्राप्त करने का परम्परागत मार्ग हैं

मनोदशाओं की बारीकियों का निरीक्षण करते हुए जैन धर्म नायक हुई-नेंग ने कहा कि 'मन को खाली रखना नहीं' क्योंकि यह रिक्तता जड़ता की ओर ले जाती है, वरन् मन में निर्विचारता की स्थिति उत्पन करना चाहिए। यही भारतीय मत भी है।

'न स्वचित प्रतिष्ठत् चित्तं उत्पादयितव्यम्'

अनाशक्ति को हुई-नेंग ने आत्म साक्षात्कार का सार कहा है। उनके अनुसार जो विचार हमें इन्द्रिय विषयों में फंसाता है, वह 'क्लेश' है और जो विचार हमें आशक्ति से विमुक्त करता है, वही 'बोधि' है।[14]

सारे मनोविकार और मनोरोग आशक्ति (वस्तुगत, विचारकगत अथवा कल्पनागत) से आते हैं और मन उनसे अनुबंधित होता चला जाता है। यदि अनाशक्ति और सहजता को हम जीवन में उतार लेते हैं, तो हम मनोविकारों की जड़ों को ही काट देते हैं। इस रूप में जेन साधना मनोस्वास्थ्य का सर्वोत्तम उपाय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अलेन डबल्यू. वाट्स साइकोथैरेपी इस्ट एण्ड वेस्ट (1973) नृठ 126
2. वही, पृष्ठ 128
3. कार्ल युग्ग दा इन्टीग्रेशन ऑफ पर्सनाल्टी (1939), पृष्ठ 31, 32
4. इरिक इक्शिन यंग्य मेन लूथर (1958) पृष्ठ 264
5. भरत सिंह उपाध्याय - ध्यान सम्प्रदाय (1964) नेशनल पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली, पृष्ठ 57
6. वही, पृष्ठ 56
7. वही पृष्ठ 14
8. अलेन वाट, पृष्ठ 116
9. वही, पृष्ठ 116
10. अलेन वाट्स साइकोथैरेपी ईस्ट एण्ड वेस्ट (1973) पृष्ठ 119
11. सी.जी. युंग - साइकोलौजी एण्ड रिलीजन वेस्ट एण्ड ईस्ट पृष्ठ 504-5
12. अलेन वाट्स साइकोथैरेपी ईस्ट एण्ड वेस्ट, पृष्ठ 95
13. लिन-चलू, संदर्भ ग्रन्थ अलेन वाट्स, पृष्ठ 101
14. लेंग मो-लम् - दि सूत्र आफ वे-लेंग (1930) यू चिंग प्रेस शंघाई (ट्रान्सलेशन हफफ्री - दि सूत्र आफ वे लेंग (144) लन्दन)

Study of Zooplanktons from Ransai dam, Uran, Navi Mumbai, Dist. Raigad, Maharashtra

Aamod N. Thakkar*

Abstract - The present paper deals with the studies of zooplankton diversity and their seasonal variation in Ransai dam, Tal. Uran, Navi Mumbai, Dist. Raigad, Maharashtra. The present investigation was carried out for one year from March 2016 to February 2017.The zooplankton biodiversity of Ransai Dam water was represented by 5 different groups viz. protozoa, rotifera, cladocera, copepoda and ostracoda. Zooplankton density was recorded seasonally.
Keywords - Ransai dam, Zooplankton, diversity, seasonal variation.

Introduction - Zooplanktons which are typically the tiny animals found near the surface in aquatic environments. Zooplankton also plays an important role in the food chain, as they are second in trophic level as primary consumers and also contributes to the next trophic level (Aarti et al., 2013). According to Pawar *et.al.* (2006) the plankton study is very useful tool for the assessment of biotic potential and contributes to overall estimation of basic nature and general economic potential of water body. Zooplankton occupies intermediate position in the food web and mediates the transfer of energy from lower to higher level (Water, 1977). Zooplankton is a good indicator of changes in water quality because it is strongly affected by environmental conditions and responds quickly to changes in physical and chemical conditions as well as environmental conditions (Sulata et al 2016).

The zooplankton includes a varied assemblage of taxonomically unrelated microscopic organisms and broadly included the members from Protozoa, Rotifera, Copepoda,Cldocera and Ostracoda (Rohankar et al., 2016).Though numerous works on Zooplankton diversity are being reported from Western India, very few works has been done on zooplankton diversity of fresh water from Raigad district. Hence the present attempt for reporting Zooplankton diversity of Ransai Dam work is undertaken.

Materials and methods - The study was conducted during March 2016 to February 2017. Ransai Dam is located in Uran Tehsil $18^0 53' 55''$N $73^0 4' 28''$E. It is located in rural area near Dighode Village. The dam was constructed in 1970.It is having 10MCM storing capacity. The dam supplies around 35MLD water to various establishments and Uran city. The samples were collected from four randomly selected sites from Ransai dam once every month early in the morning at a depth of 20cm below the surface (Hossain et al., 2007).

The collection was done by using a 30 number plankton net (mesh size 41, ummicrometer) the net was towed for 5 min and filtered zooplankton samples were collected and preserved in 4%formaline for identification using standard keys Tonapi (1980), Battish (1992), Sudha S. (2012),

Results and Discussion - Zooplanktons density and composition exhibit a monthly variation. Composition and abundance of each zooplankton group varied from time to time and season and depended on limnological characteristics of the water body. The zooplankton of freshwater bodies includes different forms belonging to varied taxonomic groups. Their type, number and distribution provide a clue on the environmental conditions existing in that particular region (Hutchinson, 1967). From Ransai dam a total of 33 different species were identified (Table 1). From all the forms 5 of protozoa , 10 belonged to rotifera, 8 to cladocera, 7 to copepoda and 3 of ostracoda. In the present protozoan population was recorded at peak in summer months and their count remains low during monsoon period. Dilution of water caused by monsoon rains may explain low protozoan count observed during monsoon while maximum population during summer.

Rotifer richness and diversity were found to be maximum in summer indicating the influence of temperature. Rotifers were found to be minimum in monsoon and post monsoon period. Pradhan et al (2006) also reported minimum rotifer in monsoon and post monsoon period. Rotifers are chiefly freshwater forms and presence of these organisms in abundance is related to suitable conditions for their survival in summer season. The occurrences of keratella with Brachionus indicate the nutrient rich status of water body (Berzins and Pejler, 1987). Somani and Pejaver (2003) recorded 7 species of Brachionus making as significant genera in Masunda Lake, Thane, Maharashtra.

Cladocera is an important component of zooplankton and form the most dominant groups as food for fish (Rao et al., 1987). Most of the cladoceran species are primary

*Veer Wajekar Arts, Science and Commerce College, Mahalan Vibhag, Phunde, Uran Dist. Raigad (Mh.) INDIA

consumers and feed on microscopic algae and the fine particulates matter in the detritus thus influencing cycling of matter and energy in benthos (Jayabhaye and Madlapure, 2006). Thus cladocerans play an important role in benthic trophodynamics.The maximum population of clacdocera in summer and winter may be attributed to favorable temperature and availability of food in the form of bacteria, nanoplankton and suspended detritus while in monsoon the factors like water temperature, dissolved oxygen, turbidity and transparency play an important role in controlling the diversity and density of cladocera (Edmondson, 1992).

Copepods were maximum in summer. Copepods are important contributors of zooplankton population dynamics and are almost universally distributed. They constitute an essential link in aquatic food chain. The Copepoda diversity was represented by 07 species with abundance of nauplius larvae and was found to be dominant during summer season. Maximum ostracod population was recorded in summer months while minimum in rainy season. Sunkad and Patil (2004) also recorded maximum ostracod population in summer in fort lake in Belgaun (Karnataka.). The rate of evaporation increases in summer due to higher temperature which is also responsible for increased rate of decomposition making water nutrient rich which contribute to high species diversity in of zooplanktons in summer.

Table : 1 - Seasonal distribution of Zooplankton at Ransai Dam from March 2016 to Februauary 2017

Sr.	Groups	Summer	Monsoon	Post monsoon	Win-ter
	PROTOZOA				
1	*Bursaria truncatella*	+	+	-	-
2	*Chlamydomonas sp.*	+	-	+	+
3	*Difflugia sp.*	++	+	++	+
4	*Paramoecium sp.*	++	+	+	++
5	*Vorticella* + - + +	++	-	++	+
	ROTIFERA				
1	*Anuraeopsis* sp.	++			
2	*Brachionus angularis*	++	+	-	++
3	*Brachionus calyciflorus*	++	+	+	+
4	*Brachionus forficula*	++	+	++	++
5	*Brachionus havanaensis*	++	-	+	+
6	Brachionus quadiricornis	++	+	-	++
7	*Keratella tropica*	++	+	-	-
8	*Keratella varga*	++	+	++	+
9	Synchaeta pectinata	+	-	-	++
10	*Trichocerca cylindrica*	++	-	-	++
	CLADOCERA				
1	*Bosminopsis sp.*	+	-	+	++
2	*Camptocercus sp.*	++	-	-	+
3	*Diphanosoma sarsi*	-	-	+	++
4	*Daphnia sp.*	++	-	++	+
5	*Moina micrura*	+	-	+	+
6	*Pleuroxus denticulatus*	+	-	+	++
7	*Pleuroxus procurvus*	+	-	-	++
8	*Simocephalus vetalus*	++	-	-	+
	COPEPODA				
1	*Cyclops viridis*	++	++	++	+
2	*Copepod nauplius*	+++	+	++	+
3	*Diaptomus sp.*	+	+	+	++
4	*Mesocyclops leuckarti*	+	+	++	+
5	*Paracyclops*	++	+	++	+
6	*Neodiaptomus* sp.	+	+	+	+
7	*Thermocyclops* sp.	+	+	++	+
	OSTRACODA	+	-	+	++
1	*Candona sp.*	+	-	-	-
2	Cypris spp.	+	-	-	+
3	*Steno cypris*	++	-	++	+

References:-

1. Aarti, D., Sharma, K.K., Sharma, A. & Antal, N. 2013. Zooplankton Diversity and Physico-Chemical Conditions of a Temple Pond in Birpur (J&K, India). International Research Journal of Environment Sciences 2(5): 25-30.
2. Battish, S.K. 1992. Freshwater zooplankton of India, Published by oxford & IBH publishing Co.PVT.LTD. New Delhi.
3. Berzins, B and B.Pejler (1987). Rotifer occurrence in relation to PH *Hydrobiologia*. Vol182: 171-182.
4. Edmondson, W.T. (1992) Freshwater Biology, IInd Edition, John Wiley and Sons, Inc.,New York.
5. Hossain, Md. Y., Jasmine, S. & Ibrahim, A.H. 2007. A preliminary observation on water quality and plankton of an earthern fish pond in Bangladesh: Recommendations for future studies. Pak. J. Biol. Sci., 10(6), 868-873.
6. Hutchinson, G.E.(1967). A Treatise on Limnology –II: Introduction to the Lake Biology and Limnoplankton, John Wiley and Sons Inc., New York.
7. Jayabhaye V.M. and V.R.Madlapure (2006). Studies on zooplankton diversity in Parola Dam, Hingoli, Maharashtra,India.*J.Aqua.Biol.*Vol. 21 (2): 67-71.
8. L. H. Rohankar and N. R. Dahegaonkar Studies on diversity of zooplankton in Velgure lake near Aheri, dist. Gadchiroli, Maharashtra,India, I J R B A T, Special Issue Feb 2016: 133-135
9. Pawar S K, Pulle J S and shendge K M (2006), "The Study on Phytoplankton of Pethwadaj Dam", Tq. Kandhar, Dist. Nanded, Maharashtra, *J. Aqua Boil*., Vol. 21, No. 1, pp. 1-6.
10. Prasenjit Pradhan, Sunirmal Giri and Kumar Chakraborty (2006). Ecological gradients determining the density and diversity of rotifers in a freshwater rive system of south west bendal,India. *J.Aqua.Biol*. 21: 19-28.
11. Rao, K.S., Srivastava S., Srinivasan P. and Choubey U. (1987): Studies on the cyclomorphic changes and environmental re lations in some Cladoceran and Copepoda population in aquatic bodies of Ujjain. Perspectives in Hydrobiology, Edited By K.S. Rao and S. Srivastava, Sec. IV (36): 183-186.

12. Somani, V. and Pejaver M. (2003): Rotifer diversity in Lake Masunda, Thane (Maharashtra) J. Aqua. Biol. 18 (1): 23 - 27.
13. Sudha S. 2012. Studies on plankton diversity in Bilaspur reservoir, *Int.J.LifeSc. Bt & Pharrm.Res*.Vol.1, No.4, pp. 65-72.
14. Sulata Kar and Devashish Kar (2016) Zooplankton diversity in a freshwater lake of Cachar, Assam, Intewrnatrional jourtnal of applied biology and pharmaceutical technology, Vol-7 Issue-I pp. 301-305
15. Sunkad, B.N and H.S.Patil (2004). Water Quality Assessment of Fort lake of belgaum (Karnataka) with Special reference to zooplankton. *J.Environ.Biol*. Vol. 25 (1): 99-102.
16. Tonapi, G.T. 1980. Freshwater animals of India, An ecological approach, Oxford IBH Publishing Water T.P. (1977). Secondary production in inland waters, *Adv.In Eco. Res.*10:11-164

****

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. हरिचरण मीना*

शोध सारांश – भारत मे आजादी के समय शिक्षा की स्थिति अच्छी नही थी। महिला शिक्षा की स्थिति तो और भी दयनीय थी। राजस्थान मे भी आजादी के समय महिला शिक्षा की स्थिति चिन्ताजनक थी। कोई भी समाज तब तक सशक्त नही हो सकता जब तक कि उस समाज की महिला सशक्त नही हो जाती। किसी भी देश की आत्मा, जिसका कोई इतिहास है, उसकी भाव, भाषा वहाँ की महिला के विकास प्रगति एवं समृद्धि में बोलती है। महिला समाज की रचनात्मक शक्ति है। उसके आगे बढने से देश आगे बढ़ता है। उसके रूक जाने या धीमे हो जाने से देश थम जाता है। समाज की व्यवस्था या अव्यवस्था, नागरिक दायित्व की दृढता या उपेक्षा, आत्मशक्ति की मजबूती या दुर्बलता जैसी संवेदनशील भावनाओं को वह जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकती है। वह अपने भीतर सारी व्यवस्थाओं को समेटे रहती है। इन सबके चलते महिला सृष्टि के निर्माता की अद्वितीय कृति कहलाती है। इस कामधेनू, अन्नपूर्णा एवं रिद्धि–सिद्धि का उच्च स्वरूप उसकी शिक्षा के स्वरूप पर निर्भर करता है। अत: एक प्रकार से बालिका शिक्षा समस्त राष्ट्र की शिक्षा रूपी गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। अतएव शिक्षा सामाजिक परितर्वन का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। शिक्षा का सीधा संबंध मनुष्य के मानसिक गठन से है। शिक्षा द्वारा मनुष्य के मन पर जैसे संस्कार पड़ते हैं, वह वैसा ही बन जाता है। शिक्षा सामाजिक विकास की धुरी भी है। समाज को संस्कारवान बनाने हेतु स्त्री शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। एक शिक्षित स्त्री दो परिवारों को प्रशिक्षित तथा संस्कारवान बनाती है। महिला विकास तथा सशक्तिकरण का यह क्रम भारत के प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगत हुआ और राजस्थान भी इससे अछूता ना रहा है। यूं तो महिला विकास के अनन्त पहलू हो सकते हैं किन्तु शिक्षा निर्विवाद रूप से महिला कल्याण का सर्वश्रेष्ठ उपाय सिद्ध हुई है। शिक्षा के अभाव के कारण ही महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है और शिक्षा के सकारात्मक प्रयासों का प्रभाव ही महिला सशक्तिकरण को और अधिक दृढता भी प्रदान करता है। तद्नुसार राजस्थान में महिलाओं की स्थिति में असाधारण परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं।

शब्द कुंजी – राजस्थान, महिला, सशक्त, विकास, शिक्षा, समाज, रचनात्मक, संवेदनशील, अद्वितीय गंगोत्री, सशक्तिकरण, सर्वश्रेष्ठ, आदर्शात्मक तथा मर्यादायुक्त।

प्रस्तावना – भारत मे आजादी के समय शिक्षा की स्थिति अच्छी नही थी। महिला शिक्षा की स्थिति तो और भी दयनीय थी। राजस्थान मे भी आजादी के समय महिला शिक्षा की स्थिति चिन्ताजनक थी। कोई भी समाज तब तक सशक्त नही हो सकता जब तक कि उस समाज की महिला सशक्त नही हो जाती। वैदिक काल से ही नारी का स्थान सर्वोच्च रहा है। हमारे सम्पूर्ण ग्रन्थ इस बात के साक्षी हैं कि नारी सदियों से ही शक्ति के रूप में पूजी जाती रही है। ऋग्वेद में भी लिखा है कि 'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता।' प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में नारी को पुरुषों से उच्च माना गया है। वैदिक युग में नारी के विकास की चरमोत्कर्ष स्थिति थी जो नारी के लिए स्वर्णिम युग की ओर इंगित करती है। बिना रोक टोक के मेलमिलाप, स्त्री शिक्षा, स्वयंवर की व्यवस्था, विधवा विवाह पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था, सती प्रथा बाध्यता के रूप में नहीं थी तथा समाज में स्त्रियों का सम्मान एवं आदर आदर्शात्मक तथा मर्यादायुक्त रहा है। वैदिक युग की नारी बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में प्रवीण थी। नारी को वेदाध्ययन एवं यज्ञ सम्पादन करने का पूर्ण अधिकार था। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी तथा उस युग में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी।

वैदिक युग में नारी की स्वर्णिम स्थिति में राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संरचना में परिवर्तन के साथ बदलाव दर्ज होता गया। उतरवैदिक युग में नारी की स्थिति में भेद परक विकास प्रारम्भ हुआ। वैदिक कर्मकाण्ड की जटिलता बढ़ने तथा याज्ञिक कार्यों में आडम्बर बढ़ने के फलस्वरूप नारियों को याज्ञिक कार्यों से अलग रखने का उपक्रम किया जाने लगा तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उन्हें वेदों के अध्ययन या मंत्रोचारण के उपयुक्त नहीं समझा गया। शनै:–शनै: नारी की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और वैयक्तिक सभी स्थितियों पर प्रतिबन्ध लग गये। नारी के उपनयन संस्कार पर आपात किया गया। धर्मशास्त्रकाल में यह अबला, याचिका, सेविका आदि समझी जाने लगी। नारी की स्थिति दिन प्रतिदिन विकृत होती गई। मध्यकाल मे तो यह स्थिति भयावह हो गई।

मध्यकाल में नारी मानसिक दासता में जकड़ी थी। समाज जन्य क्लेश अस्वीकृत होते हुए भी उनमें उसकी मौन स्वीकृति थी। ऐसे समय 19वीं सदी के प्रारम्भ में समाज का एक वर्ग इन दुष्परिणामों से प्रकम्पित हो कर सामाजिक चेतना की ओर उन्मुख हुआ। महान् समाज सुधारकों के द्वारा भारतीय स्त्रियों पर लादी गई निर्योग्यताओं को चुनौती दी गई। ब्रिटिश सरकार ने भी इस दिशा में अपनी सकारात्मक पहल की। दूसरी तरफ महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों स्त्रियों ने घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया। स्त्रियों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास हुआ। सदियों से मानसिक दासता में जकड़ी नारी में एक नई चेतना का अभ्युदय हुआ । फलस्वरूप स्वतन्त्रता पूर्व की नारी की स्थिति में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर पर सांकेतिक परिवर्तन हुए।

* व्याख्याता (समाज शास्त्र विभाग) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

स्वतन्त्रता पश्चात महिला विकास और सशक्तिकरण के प्रयास – भारत के इतिहास में सर्वप्रथम सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा जीवनयापन को एक सामाजिक बुराई के में देखा जाने लगा। महिलाओं में अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का प्रादुर्भाव हुआ । यद्यपि भारतीय समाज उस समय तक पुरुष प्रधान ही था। सामाजिक निर्योग्यताओं के अन्तर्गत स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न अछूता सा ही था। शिक्षा का सीधा सम्बन्ध नौकरी से लिया जाता था तथा नौकरी करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 6 से भी कम था। पारिवारिक निर्योग्यताओं के अन्तर्गत परिवार में दहेज की मांग, सदस्यों की सेवा इत्यादि शोषण एक सामान्य बात थी । महिला की स्वतन्त्रता का शोषण करना एक सामान्य बात थी।

पाश्चात्य शिक्षा तथा ज्ञान के प्रसार से देश में बौद्धिक चिन्तन की नई भावना उत्पन्न हुई जिसका प्रयोग धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक संस्थाओं के नये सिरे से अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किया गया। स्वतन्त्रता पश्चात धर्म निरपेक्ष राज्य की घोषणा इसका सबूत है, प्रजातान्त्रिक मूल्यों की घोषणा इसका उदाहरण है।

स्वतन्त्रता पश्चात राष्ट्र नागरिकों के जीवन के उन्नयन, सामाजिक न्याय आधुनिकीकरण आत्मविश्वास के रणनीति की साथ प्रतिबद्ध था। भारतीय संविधान में महिलाओं को कानून एवं समाज में सरंक्षण तथा पर्याप्त सम्मान मिला और एक बार पुन: नारी को अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार के बारे में है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्यों द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य केवल धर्ममूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से यह कहता है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किये गये है।

महिला शिक्षा और राजस्थान – महिला विकास तथा सशक्तिकरण का यह क्रम भारत के प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगत हुआ और राजस्थान भी इससे अछूता ना रहा है। यूं तो महिला विकास के अनन्त पहलू हो सकते है किन्तु शिक्षा निर्विवाद रूप से महिला कल्याण का सर्वश्रेष्ठ उपाय साबित हुई है। शिक्षा के अभाव के कारण ही महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है और शिक्षा के सकारात्मक प्रयासों का प्रभाव ही महिला सशक्तिकरण को और अधिक दृढता भी प्रदान करता है।

मध्यकाल और महिला शिक्षा – मध्ययुग में स्त्री शिक्षा मुख्य रूप से उच्च वर्ग तक तथा कुछ सीमा तक मध्यम वर्ग तक सीमित थी। कहीं-कहीं पर विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते है। महाराणा कुम्भा की पुत्री रमाबाई संगीत विद्या तथा शास्त्रों में दक्ष थी। मीराबाई हिन्दू दर्शन की विद्धान थी। मध्यकालीन राजस्थान की शिक्षित लड़कियों में देलवाड़ा की राजकुमारी का महत्वपूर्ण स्थान है। पुराअभिलेखागारीय सामग्री, शाहपुरा राज्य की ख्यात एवं बनेड़ा अभिलेखागार के पत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उच्च कुलोत्पन्न स्त्रियों की शिक्षा की उतम व्यवस्था थी। जयपुर के पोथीखाने के एक चित्र से ज्ञात होता है कि राजवंश की एक राजकुमारी को एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा राजमहल के अन्दर ही पढ़ाया जाता था। डॉ. गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं-'हमें ऐसे ग्रन्थ सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं, जिनमें गीता, भागवत रामायण तथा कथानकों के ग्रन्थ मुख्य है, जिन्हें धर्मनिष्ठ स्त्रियों तथा विदुषियों के पठनार्थ लिखवाया गया। मध्यम वर्ग की कुछ लड़कियाँ लड़कों के साथ पढ़ने जाती थी, किन्तु उनकी पढ़ाई शीघ्र छुड़ा दी जाती थी। इसका कारण यह था कि स्त्री शिक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय ऐसा भी विश्वास प्रचलित था कि यदि लड़कियाँ पढ़ेगी तो शीघ्र ही विधवा हो जाएँगी। जन साधारण लड़कियो की शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन था।'

स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा : बढ़ते आयाम – नई शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि 'समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि ऐसी व्यवस्था होना भी जरूरी है जिसमें सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिले। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रह और कुण्ठाएं दूर हो।'

राजस्थान मे महिला साक्षरता की स्थिति निम्नलिखित प्रकार रही हैं।

वर्ष	महिला साक्षरता
1951	2.66%
1961	7.01%
1971	10.06%
1981	14.00%
1991	20.44%
2001	49.85%
2011	52.66%

राजस्थान के समस्त जिलों में साक्षरता के प्रतिशत मे उत्तरोत्तार वृद्धि दिखायी पड़ती है। यथा मेवाड़ में 1921 में कुल 667963 स्त्रियों में से मात्र 1544 स्त्रियाँ साक्षर थी। जबकि उदयपुर सिटी में कुल 18474 स्त्रियों में से मात्र 426 स्त्रियाँ साक्षर थी । सन् 1991 में मेवाड़ क्षेत्र की स्त्रियों में साक्षरता 17.40 प्रतिशत था। जो सन् 2001 में बढ़कर 37.88 प्रतिशत हो गया । 12 उदयपुर शहर की महिला साक्षारता दर 1921 में 2.3 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर 43.71 प्रतिशत हो गई। शिक्षा को ही बढ़ावा देने हेतु 12 अगस्त 1943 को जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने जयपुर में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा स्त्रियों में शिक्षा के विकास के गम्भीर प्रयास होने लगे जिससे कि सामाजिक परिर्वतन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। 1959 में राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में वयस्क स्त्रियों की शिक्षा हेतु कई स्कूली पाठयक्रम प्रारंभ किये गये। बाल सेविका प्रशिक्षण एवं शिशु देखभाल कार्यक्रम प्रमुख था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों हेतु शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, दोपहर का भोजन, गणवेश व छात्रवृति आदि सुविधाएँ लागू की गई। छठी पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों के लिए अभियांत्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स, कृषि, पशुचिकित्सा, मत्स्य पालन व वन सम्बन्धी पाठयक्रम में नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 के प्रारूप में यह स्वीकार किया कि शिक्षा का लाभ समाज के बहुसंख्यकों तक नहीं पहुँच पाया है। वस्तुत: छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में अशिक्षा के समूल नाश पर जोर देते हुए व्यापक प्राथमिक शिक्षा के साथ नौकरी अभिनवमुखी शिक्षा का सूत्रपात किया गया। इस योजना में 'महिला और विकास' एक अलग से अध्याय जोड़ा गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों के लिए छात्रावास प्रशिक्षित महिला अध्यापक, खेलकूद में प्रोत्साहन, प्रतिभाशाली छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु छातत्रवृति योजना आदि कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1989 में 15 से 35 वर्ष की आयु के 80 मिलियन अशिक्षितों को 1995 तक पूर्ण साक्षर बनाने के ध्येय से प्रारम्भ किया गया। बाद में 9 से 14 वर्ष के आयु समूह को इस में संलग्न करते हुए 17 मिलियन अशिक्षित लोगों की साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शिक्षा के क्षेत्र में आत्मविश्वास का ही प्रयास नहीं अपितु महिला समानता के मूल्यों के संवर्द्धन का भी एक प्रभावी प्रयास था। राजस्थान, जहां 80 प्रतिशत महिलाएँ 1992 में अशिक्षित थी उनकी साक्षरता हेतु स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (SIDA) के सहयोग से लोक जुम्बिश योजना प्रारम्भ की गई। शिक्षाकर्मी योजना भी समान रूप से सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े गांवों में प्रारम्भ की गई। इसके अलावा (IRDP) (एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए प्रारम्भ की गई। वर्ष 2002 में राजस्थान साक्षरता के तीसरे चरण में सतत् शिक्षा कार्यक्रम 19 जिलों के लिए तथा झठख कार्यक्रम 21 जिलों के लिए जहाँ बड़ी संख्या में निरक्षर शेष रह गये हैं, स्वीकृत कर ली गई। इसके अलावा राजस्थान के 22 हजार वार्ड पंच से लेकर जिला प्रमुख स्तर तक अशिक्षित जन प्रतिनिधियों हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वीकृति दी हैं जो पूर्ण साक्षरता की दिशा में एक क्रान्तिकारी पहल हैं।

राजस्थान में महिला साक्षरता दर 1991 की जनसंख्या के अनुसार 20.44 प्रतिशत थी जो 2001 में जनगणनानुसार बढकर 44.34 प्रतिशत हो गई। वहीं भारत में महिला साक्षरता दर 2001 में 54.16 प्रतिशत पाई गई। 2001 में राजस्थान में पुरुष साक्षरता 76.46 प्रतिशत थी। पिछले चार दशकों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से साक्षरता दर में 5 गुणा वृद्धि हुई हैं।

निष्कर्ष– उपरोक्त अध्ययन के आधार पर स्पष्ट है कि महिलाओं को सशक्त बनाने मे शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किसी भी समाज को सशक्त बनाने के लिए उस समाज की महिलाओ का सशक्त होना आवश्यक हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो जब आदर्श राज्य की रचना में प्रवृत हुआ, उसने शिक्षा की ओर सबसे पहले ध्यान दिया और शिक्षा को अपने राज्य की बुनियाद माना। उसके राज्य में शिक्षामंत्री का पद सबसे बड़ा पद है वह राज्य का प्रधानमंत्री है। प्लेटो का मानना है कि 'यदि प्रकृति में किसी चीज का आरम्भ शुभ हो और वह अपने स्वाभाविक उत्कर्ष की दिशा में सही ढंग से चले, तो इसका उसकी उचित परिणति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।' प्लेटो की सीख है कि 'अगर व्यक्ति सचमुच शिक्षा तथा प्रखर प्रतिभा से सम्पन्न हो, तो वह समूचे प्राणिजगत् में सबसे अधिक दिव्य और सभ्य बन जाता है पर अगर उसका शिक्षण उचित रीति या उपयुक्त नीति से नहीं होता, तो वह धरती के सारे प्राणियों में सबसे अधिक दुर्धर्ष हो जाता है।' राजस्थान की स्त्रियों के विकास के परिप्रेक्ष्य में भी कमोबेश यही रीति लागू होती है। परिवर्तन की अनेक धाराओं ने राजस्थान की स्त्रियों को शिक्षा सम्यक विकास के अनन्त आयामों से परिचित करवाया और उन्हें सम्पूर्ण विकास की दिशा में अग्रसर किया। शिक्षा के अभाव के कारण ही महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है और शिक्षा के सकारात्मक प्रयासों का प्रभाव ही महिला सशक्तिकरण को और अधिक दृढता भी प्रदान करता है। तद्धुसार राजस्थान में महिलाओं की स्थिति में असाधारण परिवर्तन दृष्टिगत होते रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. देपाल, शशि, राजस्थान का बदलता सामाजिक स्वरूप, राजस्थानी ग्रन्थाकार, जोधपुर, 2011, पृ. 235–37
2. शर्मा, प्रज्ञा, भारतीय समाज में नारी, भारतीय समाज में नारी, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001, पृ. 619–21
3. अरोड़ा, डॉ. शशि, राजस्थान में नारी की स्थिति, तरुण प्रकाशन, बीकानेर 1981, पृ. 12–14
4. व्यास, गोपालवल्लभ, मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, राजस्थानी ग्रन्थाकार, जोधपुर, 2006, पृ. 171–173
5. सप्रु, आर.के., वीमेन एण्ड डेवलपमेंट, आशिश पब्लिशिंग हॉउस, 1989, पृ. 115–118
6. गोस्वामी, भालचन्द्र, स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष प्रखर, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1998, पृ. 201–03
7. मोहम्मद, ईद, राजस्थान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2009, पृ. 87
8. अरविन्द आर. गेसू और शर्मा, संजय, शिक्षा सामाजिक गतिशीलता एवं दलित अन्तर्सम्बंध की पड़ताल, परिप्रेक्ष्य, न्यूपा, नई दिल्ली, वर्ष 15 अंक 1 अप्रैल 2008, पृ. 18
9. व्होरा आशारानी, नारी शोषण, नेशनल पब्लिशिंग हॉउस, नई बिमजि, 1996, पृ. 19
10. वार्कर, अर्नेस्ट (अनुवादक गुप्त, विश्वप्रकाश), यूनानी राजनीति सिद्धान्त, अनुवाद निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1967, पृ.. 567
11. गुप्ता, विश्वप्रकाश तथा गुप्ता, मोहिनी, आजादी के पचास साल, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1997, पृ. 25
12. राज, भन्ती, सोशियल पॉलिसी एण्ड डेवलपमेंट इन राजस्थान, हिमान्शु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, 1996, पृ. 74
13. यादव संतोष, 19वीं व 20वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति, प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर, 1987, पृ. 100–101 12. प्रतियोगिता दर्पण, मई 2001 पृ.सं. 19

****

Psychological and Philosophical Conflicts in the Plays of Girish Karnad

Dr. Sitaram*

Abstract - Karnad found a new approach of drawing historical and mythological sources to tackle contemporary themes and existentialist crisis of modern man through characters locked in psychological and philosophical conflicts. Karnad is known as a playwright. His plays, written in Kannada, have been translated into English (mostly translated by himself) and some Indian languages. Kannada is his language of choice.Karnad projects various themes in this play such as human relationship, Sexual relationship, power politics and violence. Human Relationship: In Yayati, as the play is based on a myth, the family concept is used in a broad way. Karnad's concern is with the life of the modern man that is very complex and lacks in wholeness. The employment of the old tales is to focus on the absurdity of modern life with all its elemental passions and conflicts.
Keywords- contemporary, myth, conflicts, idealism, folk theatre.

Introduction - Girish Karnad is an Indian dramatist who writes in Kannada and then translates his plays in to English: he has earned international recognition as a playwright and translator. He has also carved a niche for himself as a script writer, actor, and director in the world of Indian cinema. His knowledge of human nature made him a great playwright. His plays recall the ancient theory and tradition of Indian theatre. There is a unique amalgam of the elements of tradition and contemporary in the plays of Karnad. It seems that themes taken from folklores, myths and Indian history turned into a vehicle to express contemporary issues like feminism, marginalization of castes and minority religions, violence, increasing fundamentalism, denigrating Indian politics and existentialism .Man is projected as living in a human society acting and reacting with other fellow beings. In Girish Karnad these modern theories are show operating in the traditional tales. It is under the influence of thes Oedipus complex appears to mark all mother support from existential alienation to obviate which they indulge in violence and cruelty, and, the idea of god and religion is symptomatic of their helpless condition and neurotic mind only. The historical events in Karnad mirror the current political, religious and social happenings.Girish Karnad, who translated his own two plays Tughlaq and Hayavadna into English, is a front rank dramatist in contemporary Indian literature.Girish Karnad was highly influenced by the trends in Kannada literature and he took legend, history and myth for the plots of his three plays– Yayati, Tuglaq and Hayavadana respectively.Girish Karnad is a gifted craftsman. His plays Tughlaq andHayavadana are noticeable for consummate excellence of dramatic technique.There has been an unbridgeable hiatus between theatre and plays in IndianEnglish drama. Due to this lacuna only closet plays which were entirelyincapable of stage performance were written. Girish Karnad, who belongs tothe rich tradition of Kannada theatre, creates a close rapport betweenstagecraft and playwriting in the English transcreations of his two playsTughlaq and Hayavadana which have been successfully staged.

As a dramatic craftsman Karnad evolved a dramatic technique which isso flexible that it changes according to the requirements of his plots. The plotof Tughlaq is based on history and it has all the essentials of a good historicalplay, Hayavadana is based on folk tale and, hence, all the ingredients of a folkstory are deftly employed in it. KirtinathKurtkoti observes:Karnad uses the conventions and motifs of folk theatre – masks,curtains, dolls, the story within a story – to create a bizarre world. It isa world of incomplete individuals, indifferent gods, dolls that speakand children who cannot, a world indifferent to the desires andfrustrations, joys and sorrows of human beings. What is real is only thetremendous, irrational energy of the horse and the writer who moveround the stage symbolising the powerful but monotonous rhythm oflife. Karnad s plays have "the tone and expression of great drama." The plots in his plays re precise. the devices of parallelism and contrast,suspense and surprise help in the logical development of plot. His plots andcharacters are correclated and promote the unity of effect or impression. Let usdiscuss in detail the outstanding aspects of Karnad s dramatic technique andcraftsmanship.Plot is very essential for drama. It is that framework of incidents,however simple or complex, upon which the drama is constructed. The eventsand incidents are organised into an artistic whole with a view to creating unityof impression or effect. Commenting on the characteristics of a good plot.

* Lecturer (English) Swami Vivekanand Govt. College, Khetri, Jhunjhunu (Raj.) INDIA

In Karnad s plays both incident and situation are correlated withcharacters. In Tughlaq events and incidents which originate from theparadoxical actions of the protagonist Tughlaq and his opponents, have beenorganised into an artistic whole. The devices of parallelism and contrast have been vividly employed in both Tughlaq and hayavadana. The plot ot Tughlaqis based on opposites and paradoxes. Intrigues, coherently brought under thediscipline of art, form its main basis. U.S.Anantha Murthy says:Both Tughlaq and his enemies initially appear to be idealists; yet in thepursuit of the ideal, they perpetrate its opposites; the ideal and real, thedivine aspiration and the deft intrigue. The dramatist introduces tension and conflict, which are essential forplot, in the very beginning and all events and actions of characters intensifyconflict until it reaches climax and resolves into denouement.The orthodox Muslims are annoyed by Tughlaq s idealism, humanismand departure from the practice of the religious tenets in administration. Ratansingh who masterminds this conspiracy inform the Sultan about it.He takes all precautious arrests Amirs etc. and inhumanly kills Shihab-ud-DinRebellions becomes quite common and consequently. Tuglaq becomerevengeful, disappointed and frustrated. The capital is shifted from Delhi toDaultabad resulting in death and disaster to countless of people. The sultan sstep mother gets Najib, who is considered Tuglaq s evil genius, killed. Hesentences her to death. The conflict reaches the climax. Tuglaq s viciousnessincreases but with every crime and murder he becomes more disillusioned andfrustrated. The play ends when Tuglaq s teetering on the brink of madnessand he cannot offer prayer to which he attaches great importance. Thedenouement lacks in tragic intensity and depth.

The story of Hayavadana is taken from Kathasaritsagara and ThomasMann s version of it in the Transposed Heads. Karnad deals with the problemof human identity and human relationship. In the very beginning the GaneshPooja stands for curious contraction in life. Lord Ganesha who shines like athousand suns and sits on a mouse decorated with snake, is the husband ofRiddhi and Siddhi and is the „single tusked destroyer of incompleteness. She contrasts Kapila and Devadatta:And what an ethereal shape, such a broad back like an ocean withmuscles rippling across it and then that small, feminine waist which looks so helpless. They fall in love. Devadatta is sick at heart. Kapila and Padmini go tothe temple of Kali. In utter anguish he cuts off his head. Kapila and Padminireturn to the cart and they are in a fix when they do not find Devadatta there.Leaving her all alone Kapila runs towards the Kali temple. Padmini, who caresonly for herself, does not appreciate Kapila s going there. She says:He s gone, Really, he seems more worried about Devadatta than me. Kapila too beheads himself. In the cover of darkness Padmini too goesto the temple and is terrified at the ghastly scene. She is selfish. She loves herown self, rather than Devadatta or Kapila. she condemns Kapila, who lookedat her with dog s eyes, for selfishness and unkindness. Karnads characters reveal themselves through theirown actions and words. Dialogue reveals character. The utterances of a givenperson in his conversation with others and the remarks made about him byother persons in the play are important devices for character delineation inTughlaq and Hayavadana. Karnad also employs the devices of contrast, ironyand parallelism for character portrayal.Characterisation and plot are correlated in the plays of Karnad andonly those points of character are emphasized, which develop the plot;Tughlaq has been portrayed with great psychological truth and depth. Thedramatist deftly projects the paradoxes in the complex personality of Tughlaqwho is at once a dreamer and man of action, benevolent and cruel, devout andgodless. Tughlaq is the only unifying factor in Tughlaq. All important eventsand actions which make the plot of Tughlaq issue from his character. Tughlaqhimself reveals his idealism, scholarship, secularism in his various speeches.When his idealism and administrative reforms are frustrated a psychologicalchange comes over him. In order to realize his plans and administrativereforms he resorts to murder and bolldshed, gets frustrated and disillusioned.Tughlaq s hasty, idealistic but sometimes thoughtless actionsprecipitate his downfall.Other characters too throw light on Tughlaq swillfulnessandcallousness. Ratansingh says:I have never seen an honest scoundrel like your Sultan. He murders aman calmly and then actually enjoys the feeling of guilt. The transposition of heads results in a confusion of identities.Suggestive symbols are also used to create a bizarre atmosphere. Karnaddeftly creates the atmosphere of folk tale by using masks, curtains, dolls, thestory within story etc.Girish Karnad, who has been a Rhodes scholar at Oxford, has greatcommand over English, which be gracefully uses in his two plays. He choosesapt and appropriate words which are suggestive and reveal both character andsituation. He writes dialogue in lucid, pointed and precise language which isconspitcuous for flexibility: It changes with the nuances of his characters,How vividly the conflict between old and new, between Tughlaqs idealismand the orthodox Muslims is revealed.

Karnad s language is symbolical and he adroitly uses chess, prayer and pythonas symbolds in Tughlaq. The chess suggests duality in Tughlaq s nature. Asskilled chess player he uses his political opponents as pawns on the chessboard of politics. Prayer is the leit – motiv of the play and the python suggestsTughlaq s barbarity and humanity.In Hayavadana language and style create an impression of absurdity.The prayer song in praise of Lord Ganesh and Bhagavata s long choriccomment, written in clear and straight forward language, convey the feeling ofirony, contradiction and absurdity which form an essential part in human life.Karnad makes a stylistic experience in Hayavadana.Karnad has successfully Indianized English in Tughlaq andHayavadana in order to create Indian atmosphere. In Tughlaq he freely usesArabic and Indian

words for creating the atmosphere of fourteeth centuryIndia in Tughlaq s reign; for example, "sultan", "Jiziya", "Kazi-i-Mumalik","dhobi", "dar-ul-Islam" "Durbar-i- Khas" and the Muezzin s call for prayerhas been twice given in Arabic. In Hayavadana Sanskrit and Hindi words andnames have been freely used, as "Nata", "riddhi and siddi" "Vighneshawara","Vakratunda – Mahakaya", "punya", "ganharva", "fakirs", "sadhus", "kalpaVriksha", "alpanas", "arti", "makarandas" and "jacarands" etc. Karnad hassuccessfully paraphrased some typical Indian expressions into chaste English:In her house, the very floor is swept by the Goddess of Wealth. InDevadatta s house, they ve the Goddess of learning for a maid.

Conclusion- Girish Karnad's concern is with the life of the modern man that is very complex and lacks in wholeness. The employment of the old tales is to focus on the absurdity of modern life with a and conflicts. In this way the folk tales becomes vehicles for modern living under the impact of western ideologies and systems of knowledge viewing human behaviour from different angles. His outlook towards the present is coloure existentialism, symptomatic of a fundamental change in the outlook of the modern man to wars human life and its origin. It cuts man adrift from his metaphysical origin and questions the moral and spiritual values, which hinder human freedom**.**

References:-

1. Karnad, Girish. Tughlaq. Delhi: Oxford University Press, 1986.
2. Introduction to Three Plays: Naga-Mandala, Hayvadana, Tughlaq. Delhi:Oxford University Press, 1998
3. M.K.Naik: A History of Indian English Literature ,New Delhi, Sahitya Akademi, 1982.
4. Anand, Mulk Raj. The Indian Theatre, London: DennisDobson,1950
5. Dahiya, Jyoti. "Nagamandala: A story of Marriage and Love", Galaxy: International Multidisciplinary ResearchJournel, Vol 2, Sep 2013.
6. Nair, Lakshmi R. "Mythopoesis in Girish Karnad'sNagamandala, "Paulene Journal of Research and Studies",Vol 2, August 2010.
7. Gokak, V.K. "The Concept of Indianness with reference to Indian Writing in English." In Indian Writing inEnglish. Ed. Ramesh Mohan, Madras: Orient Longman, 2010.
8. Karnad, Girish. N. Three Plays: Naga-Mandala, Hayavadana, Tughlaq. Oxford: Oxford University Press. 2012

****

जनजातीय महिलाओं में बच्चों के पोषण के प्रति जानकारी का अध्ययन : (गोहपारू विकासखण्ड के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. जयश्री अग्निहोत्री*

शोध सारांश – स्वस्थ विश्व के निर्माण में स्वस्थ मानव ही योगदान कर सकता है। व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य बाल्यावस्था में उसकी देखरेख एवं पोषण पर निर्भर करता है। बच्चों का सम्पूर्ण विकास ही कल के विश्व का निर्धारक है। जनजातीय परिवार सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए है, साथ ही जनजातीय महिलाओं को पोषण एवं पोषक तत्वों संबंधी जानकारी न होने के कारण इनके बच्चों में पोषण हीनता जनित लक्षण उत्पन्न हो जाते है और इससे बच्चों की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों की इस स्थिति को सुधारने के लिये महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी विशेष रूप से होना परिवार एवं समुदाय दोनों के हित में आवश्यक है। यदि घर की गृहणी को जानकारी है कि सन्तुलित आहार द्वारा सम्पूर्ण पोषण प्राप्त होता है, तो वह अपने साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी स्वस्थ रख सकती है। उत्तम पोषण से ही उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। उचित पोषण के अभाव में पोषण हीनता जनित रोग देखे जाते है।

प्रस्तावना – गोहपारू विकासखण्ड शहडोल जिले का जनजाति बाहुल्य विकासखण्ड है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 93294 है, जिसमें जनजातियों की जनसंख्या 58947 है। गोहपारू विकासखण्ड में मुख्य रूप से गोंड़, कोल, बैगा, कंवर, पनिका, अगरिया, पाव आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। जिनमें गोंड़ जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनजातियाँ मुख्य रूप से जंगलों व पहाड़ों में निवास करती हैं, लेकिन वास्तव में ये देश के ही मूल निवासी हैं। भारत में प्रचलित 'जनजाति' शब्द का अर्थ जन समुदाय की उस श्रेणी के लिये किया जाता है, जो अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित है। जनजातियों का अपेक्षाकृत पृथक एवं अन्तर्मुखी समूह है जो उत्पादन तथा उपभोग की दृष्टि से समरूप है। जनजातीय परिवार सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़े हुये हैं। इनका आर्थिक जीवन मुख्यत: खाद्य संग्रह, शिकार, परम्परागत कृषि, जंगली उपज संग्रह, पशुपालन व मजदूरी पर निर्भर है। इनमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व अन्य कई समस्याऐं व्याप्त हैं किन्तु स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याऐं अत्यंत गंभीर हैं। पानी की अशुद्धि, अस्वच्छता के कारण बच्चों में अमीबिक डिसेन्ट्री, दस्त अक्सर देखा जाता है। वहीं पोषण हीनता के कारण एनीमिया, रिकेट्स एवं रतौंधी, से भी पीड़ित होते हैं। कुपोषण के कारण इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है जिसके कारण बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं एवं जनजातियों में जानकारी एवं जागरूकता के अभाव के कारण ये सही समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। जिस कारण से बच्चों की पोषण हीनता जनित बीमारियों के कारण असमय मृत्यु हो जाती है। अत: जनजातिय समाज में शिशु मृत्युदर एवं बाल मृत्युदर अन्य समाजों की तुलना में अधिक पाई जाती है। जनजातीय महिलाओं में बच्चों के पोषण के प्रति जानकारी एवं जागरूकता के माध्यम से बच्चों में पोषण की स्थिति को उत्तम बनाया जा सकता है।

स्वस्थ विश्व के निर्माण में स्वस्थ मानव ही योगदान कर सकता है। व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य बाल्यावस्था में उसकी देख-रेख व पोषण पर निर्भर करता है। बच्चों का सम्पूर्ण विकास ही कल के विश्व का निर्धारक है। किसी भी जनतंत्र में प्रत्येक बच्चा अनमोल माना जाता है एवं किसी भी देश या समाज की प्रगति उसके बच्चों पर निर्भर होती है क्योकि वही आने वाले भविष्य के निर्माता और रचनाकार होते हैं, इस अर्थ में बच्चों का समुचित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास ही किसी भी राष्ट्र की नींव होती है। जनजातीय महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी विशेष रूप से होना आवश्यक है। क्योंकि कहा जाता है कि यदि परिवार की महिला को पोषण के विषय में जानकारी है तो वह अपने साथ-साथ अपने परिवार व अन्य सदस्यों को भी स्वस्थ रख सकती है।

पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, पोषण के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है, पोषण ही मानव जीवन का आधार होता है। इसलिये प्रत्येक प्राणी सर्वप्रथम अपनी इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रयास करता है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास एवं स्वास्थ्य उसके द्वारा लिये गये पोषण पर ही निर्भर है। शारीरिक वृद्धि, विकास तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषण विज्ञान का अत्यधिक महत्व है। पोषण का अर्थ वे जटिल रासायनिक प्रक्रियाऐं हैं जिनमें मनुष्य द्वारा खाये जाने वाले भोजन में से उसका शरीर आवश्यक पदार्थो को ग्रहण कर उनका पाचन, अवशोषण एवं चयापचय करता है। जिसके द्वारा शरीर में शरीर निर्माण कार्य, ऊर्जा प्राप्ति एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। यदि मनुष्य द्वारा खाया गया भोजन अपने यह तीनों कार्य करता है तो उसका पोषण उत्तम होता है अन्यथा नहीं। पोषण का यह कार्य भोजन में पाये जाने वाले पौष्टिक तत्व करते है। अत: पोषण का संबंध पौष्टिक तत्वों से है क्योंकि शरीर में पाचन, अभिशोषण, चयापचय इन्हीं पौष्टिक तत्वों का होता है। भोजन में लगभग 50 ऐसे पौष्टिक तत्व उपस्थित रहते है, जो कि शरीर के लिये अनिवार्य होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोषण शरीर में भोजन के विभिन्न कार्यों को करने की सामूहिक प्रक्रियाओं का ही नाम है। अत: भोजन का पोषण से परिपूर्ण होना आवश्यक होता है, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहे। शरीर के पोषण का स्तर भोजन द्वारा

* पोषण प्रशिक्षक, सी0 एच0 सी0 गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) भारत

प्राप्त पोषण पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति के द्धारा जिस प्रकार का भोजन लिया जाता है उसके आधार पर ही उत्तम पोषण अपर्याप्त पोषण व अत्यधिक पोषण की स्थिति देखी जाती है।

उत्तम पोषण-उत्तम या पर्याप्त या उचित पोषण का तात्पर्य पोषण के उस स्तर से है जिसमें शरीर स्वस्थ रहता है तथा उसकी कार्यक्षमता शारीरिक व मानसिक रूप से संतुलित रहती है। ऐसा तभी संभव होता है जब भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा, अनुपात व संतुलन में हों तथा शरीर में उनका उचित उपयोग हो सके।

अपर्याप्त पोषण-यह एक प्रकार का कुपोषण है, जिसमें भोजन मात्रा व पोषक तत्वों की दृष्टि से शरीर की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता, परिणामस्वरूप पोषण हीनता जनित रोग देखे जाते है। जैसे-शारीरिक कमजोरी, कोमल एवं नमनीय अस्थियाँ, शुष्क और रूखे बाल, शुष्क और रूखी त्वचा आदि लक्षण भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण उत्पन्न होते हैं।

अत्यधिक पोषण-यह भी एक प्रकार का कुपोषण है, जिसमें शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण किया जाता है और परिणाम स्वरूप मोटापा व उससे संबंधित अन्य बीमारियाँ देखी जाती हैं।

स्वास्थ्य-उत्तम रीति से जीवन व्यतीत करने के लिये स्वस्थ रहना आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, वह अपने जीवन का सम्पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता। अत: स्वस्थ रहना व्यक्तिगत हित के साथ-साथ समुदाय के हित में भी जरूरी है। हमारे शरीर के सभी अवयव दिन और रात क्रियाशील अवस्था में रहते हैं। यदि वातावरण के साथ सामन्जस्य स्थापित करते हुये हमारे समस्त अवयव सुचारू रूप से कार्य करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ माना जाता है। यदि शरीर की प्राकृतिक तथा सामान्य क्रियाओं में कोई रूकावट या गड़बड़ी देखी जाती है तो शरीर अस्वस्थ या बीमार माना जाता है। अत: यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति तभी स्वस्थ कहलायेगा जब वह शारीरिक रूप से निरोग हो साथ ही साथ मानसिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक रूप से भी सामान्य स्थिति में हो।'स्वास्थ्य मानव जीवन की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व मानसिक निरोगता व सामान्यता की स्थिति है'।

स्वास्थ्य के प्रमुख चार आयाम है-(1) शारीरिक स्वास्थ्य, (2) मानसिक व संवेदनात्मक स्वास्थ्य (3) सामाजिक स्वास्थ्य (4) आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ऐसा व्यक्ति जो इन चारों रूपों से निरोग हो उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जा सकता है।

पोषण व स्वास्थ्य का संबंध-स्वस्थ रहने के लिये जिन चीजों की आवश्यकता है उनमें सबसे प्रमुख पोषण ही है। उचित भोजन से व्यक्ति का उचित पोषण होता है। व पोषण का स्तर उत्तम होने पर ही व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। यदि हम उचित भोजन लेते हैं तो हम उसी तरह से बनते हैं और यदि गलत भोजन लेते हैं तो उसी तरह से हमारा शरीर भी दोषपूर्ण ही तैयार होता है। इसलिये यह कहा गया है कि उचित पोषण से ही उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। उचित भोजन के अभाव में पोषण के स्तर में गिरावट आती है और पोषण हीनता जनित बीमारियाँ देखी जाती हैं। अक्सर लोग यह जानते हैं कि अच्छा भोजन लेने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है परन्तु 'अच्छा भोजन' किसे कहा जाना चाहिये इसके संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं, कुछ लोग मंहगे भोजन को अच्छा मानते है और कुछ ज्यादा भोजन को अच्छा मानते है, यहाँ अच्छे का तात्पर्य 'सन्तुलित' भोजन से होना चाहिये।

उद्देश्य-प्रस्तुत शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य जनजातीय महिलाओं में बच्चों के पोषण के प्रति जानकारी का पता लगाना है।

अध्ययन क्षेत्र एवं पद्धति- प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन क्षेत्र के रूप में शहडोल जिले के गोहपारू विकास खण्ड का चयन किया गया है, क्योंकि यह जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड है।

शोध उपकरण- जनजातीय महिलाओं में बच्चों के पोषण के प्रति जानकारी के अध्ययन में समंक संग्रह के लिये निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया। इसमें दैव निदर्शन के माध्यम से उत्तरदाता के रूप में 50 जनजातीय महिलाओं का चयन किया गया एवं शोधार्थी द्धारा साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया एवं साक्षात्कार अनुसूची को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग में परिवार की सामान्य जानकारी एवं द्वितीय भाग में अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को रखा गया। अनुसूची के माध्यम से उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछकर उनके उत्तर अनुसूची में भरे गये, तथा संकलित आँकडों को सरल, सुबोध, व्यवस्थित और संक्षिप्त रूप प्रदान करने हेतु उनका सारणीयन तथा विश्लेषण किया गया है।

परिणाम एवं विवेचना-प्रस्तुत शोध कार्य में जनजातीय महिलाओं में बच्चों के कुपोषण के प्रति जानकारी का अध्ययन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्रश्न पूछकर किया गया। जिसमें मुख्य रूप से सामान्य जानकारी, पोषण के प्रति जानकारी, तथा पोषक तत्वों एवं प्राप्ति साधन एवं उपयोग की जानकारी संबंधी प्रश्न पूछे गये जिनके परिणाम तालिका में प्रदर्शित किये जा रहे है।

तालिका क्रमांक-1: पारिवारिक स्वरूप का विवरण

क्रं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	एकाकी परिवार	34	68%
2.	संयुक्त परिवार	16	32%
	कुल	**50**	**100%**

विवरण-उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में ली गयी महिलाओं में से 34 (68 प्रतिशत) एकाकी परिवार की तथा 16 (32 प्रतिशत) महिलायें संयुक्त परिवारसे है।

तालिका क्रमांक-2: जनजातीय महिलाओं में शैक्षणिक स्तर

क्रं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	17	34%
2.	साक्षर	18	36%
3.	मिडिल	12	24%
4.	हाईस्कूल	03	06%
	कुल	50	100%

विवरण-उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण में ली गई महिलाओं में से 17 (34 प्रतिशत) महिलायें निरक्षर है। 18 (36 प्रतिशत) केवल साक्षर है। 12 (24 प्रतिशत) महिलाओं ने मिडिल तक की पढ़ाई की है, एवं 03 (6 प्रतिशत) महिलाओं ने ही हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है।

तालिका क्रमांक-3:जनजातीय परिवारों की मासिक आय

क्रं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	2000-5000	48	96%
2.	5000-15000	02	4%
	कुल	**50**	**100%**

विवरण-उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 50 जनजातीय परिवारों में से 48 (96 प्रतिशत) की मासिक आय 2000-5000 के बीच है एवं 02 (04 प्रतिशत) महिलाओं के परिवार की मासिक आय 5000-15000 के

बीच है।

तालिका क्रमांक-4:पोषण के प्रति जानकारी का विवरण

क्रं.	कथन के विकल्प	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	23	46%
2.	नहीं	18	36%
3.	तटस्थ	09	18%
	कुल	**50**	**100%**

विवरण-उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में ली गयी 50 महिला उत्तरदाताओं में से 23 (46 प्रतिशत) महिलाओं को बच्चों के पोषण के प्रति जानकारी है एवं 18 (36 प्रतिशत) महिलाओं को पोषण के विषय में जानकारी नहीं है तथा 9 (18 प्रतिशत) महिलाओं से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

तालिका क्रमांक-5 (अगले पृष्ठ पर देखे)

विवरण:- बच्चों के भोजन में उपयोग किये जाने वाले पोषक तत्वों संबंधी जानकारी के अध्ययन में 50 महिला उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्न पूछ कर उत्तर प्राप्त किया गया जो निम्न लिखित है।

1. ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थो में (1) कार्बोहाइड्रेट के स्त्रोत संबंधी जानकारी में - 45 (90 प्रतिशत) महिलाएं बच्चों के लिए अनाज व आलू का उपयोग नियमित रुप से करती है, इसके विपरीत 05 (10 प्रतिशत) इनका उपयोग कभी-कभी करती है एवं 27 (54 प्रतिशत) गुड़ एवं शक्कर का उपयोग नियमित रुप से करती है इसके विपरीत 23 (46 प्रतिशत) इनका उपयोग कभी-कभी करती है। इसी क्रम में (2) वसा के स्त्रोत संबंधी जानकारी में - 21 (42 प्रतिशत) तेल एवं घी का उपयोग नियमित रुप से करती है जबकि 29 (58 प्रतिशत) कभी-कभी उपयोग करती हैं।

2. शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ में प्रोटीन के स्त्रोत में - 26 (52 प्रतिशत) महिलाएं बच्चों के भोजन में दाले एवं फलियाँ नियमित उपयोग करती है इसके विपरीत 24 (48 प्रतिशत) इनका उपयोग कभी-कभी करती है। 17 (34 प्रतिशत) महिलाएं दूध व दूध से बने पदार्थ नियमित रुप से उपयोग करती है, जबकि 33 (66 प्रतिशत) इनका उपयोग कभी-कभी करती है। 16 (32 प्रतिशत) महिलाऐं अण्डा, मांस, मछली का उपयोग नियमित रुप से करती हैं एवं 34 (68 प्रतिशत) इनका उपयोग कभी-कभी करती है।

3. सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थो में विटामिन एवं खनिज लवण के स्त्रोत में - 24 (48 प्रतिशत) महिलायें बच्चों के भोजन में हरे पीले, लाल फल एवं सब्जियों का उपयोग नियमित रुप से करती है। इसके विपरीत 26 (52 प्रतिशत) इनका उपयोग कभी-कभी करती हैं। 19 (38 प्रतिशत) महिलायें खट्टे फल एवं सब्जियों का उपयोग नियमित रुप से करती हैं जबकि 31 (62 प्रतिशत) इनका उपयोग कभी-कभी करती हैं।

निष्कर्ष-प्रस्तुत अध्ययन से उपलब्ध आँकडों एवं सर्वेक्षण से प्राप्त अनुभवों से स्पष्ट है कि गोहपारू विकासखण्ड की सर्वेक्षण में सम्मिलित की गयी जनजातीय महिलाओं में से ज्यादातर महिलाओं को बच्चों के पोषण एवं पोषक तत्वों संबंधी जानकारी नहीं है, जिस कारण ये अपने बच्चों के भोजन में नियमित रूप से ऊर्जा उत्पादक, शरीर निर्माणात्मक एवं सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थो का समावेश नहीं कर पाती, एवं अपने बच्चों को संतुलित आहार प्रदान नही कर पाती। परिणामस्वरूप इनके बच्चों में पोषण हीनता जनित लक्षण एवं बीमारियाँ दिखाई देती हैं जिससे बच्चों की मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बच्चों की इस स्थिति को सुधारने के लिये जनजातीय महिलाओ को पोषण संबंधी जानकारी होना अतिआवश्यक है।

सुझाव- जनजातीय महिलाओं को बच्चों के पोषण के प्रति जागरुक करने के लिये निम्नलिखित सुझाव है:-

1. पोषण शिक्षा एवं कुपोषण संबंधी जानकारी स्कूल एवं कॉलेज के शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए।
2. शासकीय एवं अशासकीय संगठनों जैसे-UNICEF, CARE, W.H.O., I.C.M.R., F.A.O., I.C.D.S., M.D.M.आदि के द्वारा पोषण एवं पोषण के प्रति जागरुकता संबंधी अभियान एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए।
3. समुदाय स्तर पर गाँव के सरपंच एवं आँगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ता के द्वारा पोषण संबंधी कार्यशाला आयोजित कर के ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी देकर जागरुक किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ0 पल्टा अरुणा, (2003), 'आहार एवं पोषण', शिवा प्रकाशन, पेज नं0 10-19,
2. बख्शी, कौर भूपिन्दर, (2009),'आहार एवं पोषण के मूल आधार', प्रकाशन- विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पेज नं0 06,
3. पिपरिया रेखा,(2012),'पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रतिमहिलाओं की जागरूकता का अध्ययन (रीवा शहर के विशेष सन्दर्ङ में)',रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्स रीवा (म0प्र0), ISSN-0973-3914,वाल्यूम- 13, पेज नं0 265-268,
4. नागे अनीता एवं जैन कामिनी,'2006','पोषण एवं स्वास्थ्य' एक अध्ययन, रिसर्च लिंक - 24, वाल्यूम IV (7), पेज नं0 142-143,
5. शर्मा प्रीती, शर्मा के0 के0, (2013),'कोल जनजातीय महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन (सेमरिया तहसील के ग्राम पंचायत चचाई के विशेष सदर्भ)', रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्स रीवा (म0प्र0), ISSN- 0973 - 3914,वाल्यूम XIV-II पेज नं0 44,
6. डॉ0वैष्णव टी0 के0, (1993),'बैगा जनजाति में आहार एवं पोषण स्तर', बुलेटिन ऑफ द ट्राइबल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट, भोपाल, वाल्यूम-XXIपेज नं0-53-57

तालिका क्रमांक-5: भोजन में पोषक तत्वों के उपयोग संबंधी जानकारी का विवरण

क्रं.	भोज्य पदार्थ	पोषक तत्वों के स्त्रोत	नियमित		कभी-2		कभी नहीं	योग
			संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.		
1.	ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ	कार्बोहाइड्रेट- अनाज व आलू	45	90	05	10	0	100%
		गुड़ व शक्कर	27	54	23	46	0	100%
		वसा - तेल एवं घी	21	42	29	58	0	100%
2.	शरीर निर्माणत्मक भोज्य पदार्थ	प्रोटीन - दाले एवं फलिया	26	52	24	48	0	100%
		दूध व से बने पदार्थ	17	34	33	66	0	100%
		अण्डा, माँस, मछली	16	32	34	68	0	100%
3.	सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ	विटामिन एवं-हरे एवं लाल पीले	24	48	26	52	0	100%
		खनिज लवण- फल एवं सब्जियाँ	19	38	31	62	0	100%
		खट्टे फल एवं सब्जियाँ						

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

A Study of Job Satisfaction of Higher Secondary School Teachers of M.P. in Relation to Nature of School and Personality

Dr. Pallavi Acharya*

Abstract - The objective of study was- To study the influence of Nature of school, Personality and their interaction on Job Satisfaction of Teachers. The hypothesis of study was -There is no significant influence of Nature of school, Personality and their interaction on Job Satisfaction of Teachers. The Study was survey type in nature. The sample comprising 148 teachers were selected through stratified random sampling method. Job Satisfaction was assessed with the help Job Satisfaction Questionnaire developed by Pramod Kumar and D.N. Mutha. For assessing Personality of teachers, Eysenck's Maudsley Personality Inventory was used. It was developed by H.J. Eysenck. The data was analyzed with the help of Two way ANOVA. (Analysis of Variance). The findings of study were-(1) The teachers working in government and private schools were found to have Job Satisfaction to same extent. (2) That both introvert and extrovert teachers were found to have Job Satisfaction to the same extent. (3) The job satisfaction of teachers was found to be independent interaction between Nature of School and Personality.
Keywords : Job Satisfaction, Nature of School, Personality & Teachers.

Introduction - Job Satisfaction is the whole matrix of job factors that make a person like his work situation and be willing to head for it without distaste at the beginning of his work day. Staw and Ross (1985) define Job Satisfaction is a positive attitude held by individuals about their Job. Personality describes the unique patterns of thoughts, feelings, and behaviors that distinguish a person from others. A product of both biology and environment, it remains fairly consistent throughout life.According to APA Dictionary of Psychology,Personality refers to the enduring characteristics and behavior that comprise a person's unique adjustment to life, including major traits, interests, drives, values, self-concept, abilities, and emotional patterns. Various theories explain the structure and development of personality in different ways, but all agree that personality helps determine behavior.

Statement of the Problem: The Problem was worded as given below : "A Study of Job Satisfaction of Higher Secondary School Teachers of M.P. in Relation to Nature of School and Personality".

Objective: The objective of study was- To study the influence of Nature of school, Personalityand their interaction on Job Satisfaction of Teachers.

Hypothesis: The hypothesis of study was-There is no significant influence of Nature of school, Personality and their interaction on Job Satisfaction of Teachers.

Methodology : The Study was survey type in nature. The sample comprising 148 teachers were selected through stratified random sampling method. The sample was taken from Private and Government Schools of Barwaha and Indore City of M.P.In this Study Job Satisfaction was assessed with the help Job Satisfaction Questionnaire developed by Pramod Kumar and D.N. Mutha. The reliability Coefficient of tool was 0.95. For assessing Personality of teachers, Eysenck's Maudsley Personality Inventory was used. It was developed by H.J. Eysenck. The reliability Coefficient of tool was 0.71. The data was anyslzed with the help of Two-way ANOVA (Analysis of Variance) followed by t test.

Results and Interpretation: The objective of study was- To study the influence of Nature of school, Personality and their interaction on Job Satisfaction of Teachers.There were two categories of School. These were Private and Government Schools. There were also two categories of Personality. These were introvert and extrovert. The data were analyzed with help of 2 x2 factorial design ANOVA. The results are given in table 1.

Table 1 : Summary of 2x2 Factorial Design ANOVA for Job Satisfaction, Nature of School and Personality

Source of Variance	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value
Nature of School(A)	14.402	1	14.402	0.520
Personality(B)	2.187	1	2.187	0.079
A x B	6.434	1	6.434	0.232
Error	3991.554	144	27.719	
Total	77547.000	148		

It is evident from table 1 that F-value for Nature of School 0.520which is not significant at 0.05 level of

* Reader, Victoria College, Indore (M.P.) INDIA

significance. It indicates that the mean score of Job Satisfaction of teachers working in Government and Private School did not differ significantly. So there was no significant influence of Nature of School on Job Satisfaction of Teachers. In this context, the null hypothesis that there is no significant influence of Nature of School on Job Satisfaction is not rejected. It may, therefore be, said that the teachers working in government and private schools were found to have Job Satisfaction to same extent.

The F-value forPersonality of teachers is 0.079 which is not significant. It also indicates that the mean score of Job Satisfaction of introvert and extrovert teachers working in schools did not differ significantly. So there was no significant influence of Personality of teachers on Job Satisfaction. In this context, the null hypothesis that there is no significant influence of Personality of teachers on Job Satisfaction is not rejected. It may, therefore, be said that both introvert and extrovert teachers were found to have Job Satisfaction to the same extent.

The F-value for interaction between Nature of School and Personality of teachers is 0.232 which is not significant. It shows that there is no significant influence of interaction between Nature of School and Personalityon job satisfaction of teachers. In this context, the null hypothesis that there is no significant influence of interaction between Nature of School and Personality on Job Satisfaction of teachers is not rejected. It may, therefore, be said the job satisfaction of teachers was found to be independent interaction between Nature of School and Personality.

Findings:

1. The teachers working in government and private schools were found to have Job Satisfaction to same extent.
2. That both introvert and extrovert teachers were found to have Job Satisfaction to the same extent.
3. The job satisfaction of teachers was found to be independent interaction between Nature of School and Personality.

References :-

1. Eysenck, H.J. and Glenn Wilson, G.: Know Your Own Personality, Penguin Books, London, 1975
2. Gordan, R.J.: Organizational Behaviour a Diagnostic Approach, Prentice Hall, New Jersey,1996
3. Herzberg,F.: Work and the Nature of Man, World Publication, New Delhi, 1986

****

Higher Education As An Instrument Of Social Change : Some Realitie

Dr. Abhimanyu Singh Chauhan*

Introduction - Despite underdevelopment and slow pace of economic growth, India possesses a resource in which she is very rich and that is human capital. But the existence of mass of people become more useful economically when a society provides education and encourages research and experimentation. While the responsibility of the system of higher education in producing socially relevant manpower is widely acknowledged, the system is still marred by sporadic efforts and uneven levels of access. The western countries and Japan devote arount 6 % of their larger GNP on education while in India, it is strain to allocate even 3-4% of her much smaller GNP to education. Nonetheless, education has become one of the larges t organized activities in India and it is also true that the percentage increase on education out of our GNP has been from a mere 0.7% in 1951 to 3.8% in 1996-7 which is quite significant.[1]

Ecucation is a social responsibility in which the costs have to be looked at not in terms of traditionally approved items of expenditure, but in terms of the contribution made by education to the socio-economic growth of a country. The ideal of education is that which prepares for self-preservation, that which prepares to recognize and concede the rights of others, that which prepares for responsible citizenship and that which prepares for other refinements of societal membership[2]

While education in general is one of the most crucial inputs for socio-economic development, higher education is the mainstay of all national endeavors. It has the important task of preparing leaders for different walks of life- social, intellectual, cultural scientific etc. In India, higher education system has existed since earlier times, though nature and content of it differed in every age. Higher education can be neglected only at the peril of the nation because it entails research, which is fundamental to the improvement in every walk of national life. Commenting on the role of higher education J.L. Nehru once wrote-" A university standts for humanism, for tolerance, for reason, for progress, for the adventure of ideas and for the onward march of human race towards ever-high objectives."

The system of higher education in our country has undergone a sea change during the seven five decades. In terms of numbers, demands and scientifice know-how, the institutions of higher learning have experienced revolutionary changes. From a mere 16000 students at the turn of the century, higher education today has expanded immensely. Thre are at present 268 universities including 38 with deemed university status and more than 9700 colleges in which about 6.7 million students are getting education and 3.21 teachers are involved in this task.[3] The process of intense as a result of revolution in information technology has added new dimensions to hitherot "confined" systems of higher learning.

2. Social objectives : Development for a social purpose requies tranformation of society, which can be achievd by change in social values and attitudes, Despite the widening network of higher education, lack of social commitment seems to be one of the weakest spots of the university system today. The higher education will achieve its purpose if it is coordinated with human resource development so as to be an effective instrument of individual advancement, social change and national development. For this, a balance between quality and quantity has to be maintained. That is, without denying eequitable representation to the weaker sections in the institutions of higher ecucation, the care should be taken to improve the excellence in the system.

Also, the system of higher education must become productive in terms of economic returns and it should become a means of respectable livelihood for those involved in it. Unfortunately, our eight planned efforts have failed to ensure the fulfillment of this objective, which, in turn, has led to the increased alienation socially and economically vulnerable sections from the system of higher education. Here, the purpose of social change through higher education is defeated. Many scholars (such as Paul Kennedy) have cited this as one of the factors plaguing the higher education in India.

3. An agency of social change Myth or reality : Half a century ago, conditions were not very encouraging so far as role of higher education in introducing social change is concerned. Students as well as faculty members came mostly from a more or less homogeneous section, i.e., and upper strata of the society. This section not only shaped the structure of the system, which reflected their middle class bias, but also strongly resisted moves to change this situation. Though sporadic efforts to change the elitist

* Lecturer (Political Science) S.M.B. Govt. College, Nathdwara (Raj.) INDIA

character of the higher education continued, the overall seenario remained far from waht was anticipated. the degrees of universities and colleges remained a status symbol for a privileged few in the society. With the shift of focus of Indian State to egalitarianism and welfarism, the emphasis was liad on utility than values. This shift was effected mainly to prevent higher education from becoming mere status symbol.

The Reality : In India, as in other developing countries, is that education has come to mean every development-economic, social political, cultural, individual and so on. And, higher education provides most effective and open door to the socially deprived sections to move upwardly with all aspectes of development covered. But have we succeeded in this endeavor? Has elitism vanished completely from the institutions of higher learning? To what extent the making of higher education system a mass education system has benefited the socially disadvantageous groups in improving their lot?

The social change in the context of higher education has two aspects. One, the accessiblility of higher education to all including deprived sections and second, the impact of this system of higher education in accentuating the dismantling of exploitative mechanisms and social barriers. But, cna we claim to have achieved these twin objectives of higher education in the half a century of our independent existence? Or, has it turned out to be a ritual without purpose? We need to at all these aspects critically so that social role of higher education can be determined. While dealing with this, we must also ponder over the solutions offered by academicians professing certain ideologies, more particularly those of different Maxist varieties.

Access to higher education : The access to higher education for all including the deprived sections and more particularly to rural people is fundamental to changes in elitist character of higher education in India. Higher education becomes an effective instrument of social change only when it give to the younger generation skills and attitudes as would promote change. AS such, higher education shapes and articulates society's response to change. It manifestes its resolve and defines the direction of change. Thus, for accelerating the pace of social change, selective higher education will not deliver. Hence the gates of universities and colleges must be opened for all in real terms.

However, this accessibility to higher education also has two related problems in India. That is, the notion of "quality" or "standards" as propagated by many and the economics of higher education.

The access to higher education is generally denied to socially and economically underprivileged groups for their perceived waek educational background and non-compromise on "quality". Here, the urban based colleges and universities do not acknowledge the lack of proper facilities for "quality" education as also competent teachers in the secondary schools and degree colleges in the villages. It is from these rural and semi-urban colleges that socially deprived and poor students try to enter the labyrinth of university education. Also, the importance of "English Medium" in almost all the reputed universities, more particularly in the subjects of science and technology prevents the "Inferior Hindi-Medium" students ruralite from competing with more knowledgeable and articulate urbanites, In such a disparate system it is futile to expect same degree of quality from all students, irrespective of their socio-economic backgorund. Because of this, the access to IITs, IIMs and the big universities is stiv confined today to students from convented middle class of urban areas. Even in humanities and social sciences, the notion of "standards" is generally applied to discourage the students from deprived sections and motivate them to opt for more "professioanl and productive" vocational courses. In fact, these standards and quality are so defined as to keep higher education outside the reach of those sections that, upon educating themselves, can challenge the monopoly of few.

Spropypes :- Sylleb Examinet & Evalid in Pettern : Moreover, the uniformity in syllabi and course content also suffers from social bias, Syllabi is so framed by the universities which favor the "intellectual" urban students and imposing usch a course content becomes unbearable for those studying in government schools and semi-urban colleges. This leads to big failure percentage among those weaker section students who come to grapple with the university syllabi. This further encourages the exponents of "quality" in higher education.

The second factor related to the accessibility is the economics of higher education. The university education though subsidized by the government, had been costly affair for poor and deprived people. Bearing the cost of boarding and lodging and paying for study/research materials proved quite problematic for students of these sections. Even after completing their costly education, they did not have any guarantee of getting returns or if we say it more crudely, a job in the faculy, which again went to the Oxfored. Harvard, or Cambridge educated scholars. The upper stratum was pitted against the lower strata, which was the most unrealistic part of our proclaimed "welfarist" system of higher education.

Today, in the age of economic liberalisation, higher education is being privatized rapidly; government subsidies reduced drastically and tuitio fee increased manifold. Added to this, the renewed emphasis on "professionalism" which again talks about standards and quality, has further put obstacles in the way of deprived sections' endeavor to get into higher education.

In this regard, one more factor which hinders the entry of deprived section students into the higher education is the gradual increase of autonomous institutions and granting of more 'autonomy' to some colleges in the name of excellence. In the last few years 119 colleges across the country have been granted autonomous status by the UGC[4]

Here in the name of autonomy, colleges and institutions set their own criterion of admission, course and nature of research without giving due weightage to the condition in which socially deprived students are placed.

The second aspect of education as an agent of social change is its impact on transforming the elitist social ethics and biased social structures. Social change can be brought about by a change in man's perception, attitudes, habits, riorities and goals. Thus, the transformation of the individual is a pre-requisite to the transformation of society, which, in turn, is the sine-qua-non for the creation of a just and humane social order. As such, not only wider access is needed, ubt the attempts to change the very nature of students, even from the clite sections, is required. Not because society expects some sort of benevolence from the upper strata but because they can also become a party to the wholesome social change.

Role of Ideology: In the conext of above-mentioned objectives of higher education, the role of ideology comes to fore. However, the solutions offered by academicians for making higher education more accessible to socially deprived groups and sensitive to social change have not lived upto the expectations. More so, the role of academicians and policy makers professing the Marxist ideology becomes suspect. Instead of preparing society to face new changes and challenges and making higher education more dynamic, the stubbornness of these Marxist scholars in repeatedly referring to the soviet and chineses models as the alternatives caused dogmatism and stagnant situation. It is a fact that Indian conditions are entirely different and it can not be modeled on the basis of any alien system. Also, by framing the syllabi in most of the universities in accordance with Marxian thought and excluding other school of thought to considerable extent made the higher education rather lopsided. They ignored our own cultural moorings and social conditions and this made their efforts obsolete and unrealistic.

Higher Vs primary Ecucation: The "ideologues" of Marxian hue kept on stressing the role of universities in accelerating what they called 'class conscioousness" to achieve the social change. The active participation by some of the faculty members and students of Presidency college, Calcutta and Stephans college, Delhi in the failed Naxalbari armed revolt in 60 sand 70 s are examples of this belief. Believing inthe principle of 'democratice centralism' as enunciated by Lenin, these academicians paid little attention to decentralizing the education to the lowest possible level of the society. In the process they ignored the sigifienace of primary education in bringing the desired levels of social consciousness, which could have speeded up the process of social change.

Under the National Policy on Education, 1986, free, compulsory and satisfactory education for allo children below 14 years of age by the end of 20th century was fixed as the target. However, even today we nowhere the target. The fact is that unless we achieve universal elementary education, we cannot think of either wider access to higher educatio or any positive movement for social change. Elementary education is fundamental to social awareness. The ongoing efforts to make elementary education a fundamental right are a welcome step. The adult education program must also supplement such efforts. It is through basic education that change in the country side can be come visible.

Distance education and open university shemes: The system of distance education launched by many universities and open university scheme as started by setting up of IGNOU in 1985 and the eight more such open universities in different parts of the country can help weaker sections get higher education. Since these universities are flexible in theiir time schedule, course content and required qualifications, the students form these sections can avail them. Now, even a working person can hope to get a higher degree without spending much.

When the instruments of higher education are themselves faulty and inadequate, it is too much to expect that they can become instruments of change. The financial neglect has made the situationall the more pathetic. Whatever improvement is required and framed, it fails because those who are in a position to execute these plans are unwilling due to their social prejudices. The continuing domiance of elite middle class in the institutions of higher education as also the planning bodies are grim reminders to this fact. And quality and excellence becomes the buzzword for those sitting pretty in the ivory towers as if they themselves are the torchbearers of 'quality' which is definitely not the case.

References:-

1. India Year Book 1999, Publication Division, Govt. of India.
2. A.M. Ahmadi, Former Chief justice of India at the 9th convocation of Hyderabad University
3. India Year Book, Publication Division, Govt. of India.
4 India Year Book 1999

****

Changing Trends of Tourist and Society

Dr. Vinita Lavania*

Introduction - Man has been fascinated by travel and tourism from the earliest historical period. He always has had the urge to discover the unknown, to explore new and strange places, to seek changes of environment and to undergo new experiences. Travel to achieve these ends is not new, but tourism is of a relatively modern origin. Tourism is unique. It involves industry without smoke, education without classroom, integration without legislation and diplomacy without Formality. (Ghosh, 2003)

There are two elements in all tourism- the journey to the destination and the stay. Tourism is a leisure activity which involves a discretionary use of time and money and recreation is often the main purpose for participation in tourism. However, the basic travel motivators may be grouped into four categories i.e., physical motivators, cultural motivators, interpersonal motivators and status and prestige motivators (McIntosh, R.W.1977).

Socio-Cultural impacts of tourism: Studies of socio-cultural impacts of tourism generally refer to either the positive or negative aspects. Tourism has wider implications encompassing not only economic benefits but also social and cultural benefits as well. From the social and cultural point of view, there is enough evidence to support the fact that tourism travel unquestionably produces an interaction between the cultural customs of the visitor and those of the host population.The relationship between tourism development and socio-cultural change is complex. Issue of commercialization of culture, changing value system and family structure are often discussed as negative impacts of tourism. However, if managed carefully, tourism can bring about positive changes in these areas as well. If planned correctly, it may increase the well-being of the host population. Prospects of good jobs in the tourist industry may lead to occupational changes and also increase the desire for educational attainment. There are numerous success stories of local individuals who have an entrepreneurial mind and have made a fortune in the tourism business.

Tourism may contribute to the protection and enhancement of traditions, customs and heritage, which would otherwise disappear through the waves of modernization. The tourism business can create more opportunities for indigenous craftsmen and artists to produce traditional art forms. Contacts between different groups of people having different background and culture may result the transformation of values. Additional Govt. revenue from tourism may be used to benefit the wider population further in terms of related social programme.

Arguments surrounding the negative socio-cultural impacts of tourism often focus on changes occurred in traditions, customs, values, festivals, language and family structure. As the majority of tourist came from economically developed nations, they expect familiar amenities and conveniences of life in the destination as they have in their home country. In order to accommodate the lucrative tourism business, the host community often has to accept the tourist culture. As part of cultural imperialism, change in language, life style, values of the destination are may be because of tourism.

Tourism in India: Tourism has been the fastest growing industry in the world and according to WTTC, India is ranked 10th among 185 countries in terms of travel and tourism's total contribution to GDP in 2017, which is 6.8% of the total economy. We can say the tourism sector in India is a big foreign exchange earner and given the right incentives and environment, could help raise the GDP growth significantly. Today, India is one of the top tourist destinations of the world. Indian culture, historical monuments, ice capped mountains, lush green valleys, vast forests and rich wildlife always excites tourists all over the world.

Udaipur, 'the city of lakes and palaces' is perhaps most romantic land in Rajasthan. It is a much liked place by the tourists that is why it is on most of the tourist's itinerary who visit western India. This beautiful city has received a rich culture heritage from the bygone age. The city is located 24.58 degrees North and 73.68 degrees east in the state Rajasthan. The area of the city is 37 sq. km. Udaipur is a royal city that had been the capital of Mewar rulers for centuries, set amidst the Aravali ranges of Rajasthan. According to statistics, Udaipur receives an average of 11.5 lakh tourists annually, of which 10 lakh are locals and 2 lakh are international tourists.

Methodology: The study is carried out in Udaipur. There are some foreign nationals who came to Udaipur as tourist, found something different which inspired them to settle down here. Now, they are living here with various motives and contributing to the local society and the town. This

* **Lecturer (Sociology) Govt. Girls College, Nathdwara (Raj.) INDIA**

activity or living can not be defined as migration because it is not permanent shifting. Forty eight people from various countries i.e. France, America, Germany, Australia, Spain, Russia, Canada, Belgium and England are the sample of this research paper and the objective of the research is, to know what motivated them to settle down in Udaipur, to inquire extent of interaction with local people, their participation in local and regional social activities, to know their expectations from the Government's tourism department and the administration along with the problems faced by them.

The information was collected with the help of an interview schedule, developed as per the objectives of the study. The researcher contacted every respondent personally. Interviews were conducted almost in course of informal conversation. The qualitative data collected through case studies and observations. In order to get detailed information observations were recorded.

Observations and Conclusions: All the respondents of the study are categorized in four categories on the basis of the motivations to live in Udaipur are. In the first category the people included who came to see the city and heritage or natural beauty as a tourist, but they fall in love with a local resident may be a guide, a tour operator or a hotelier etc. and finally they got married with them. It might be possible that they did not liked India in their first visit still they are living in Udaipur because of their love affair or their wedding commitment. According to a female respondent **"I didn't like India before, but I don't want to go back."** They are accepting the Indian culture slowly and affecting the culture of whole society in Udaipur.

The other category consists of foreign nationals who reside in Udaipur somewhat permanently and are artists who love nature and colours. They need peace and beauty; they love Udaipur for their creative inspiration. They feel that Udaipur is more than a second home for them. According to a respondent "**to design and develop the gardens in Udaipur, to keep the atmosphere cool and call the rains, gives a great satisfaction to them.** A jewellery designer said **"Whatever we do here, gives more satisfaction in return."**

Third category includes the businessmen and manufacturers. There is ample scope for investors in tourism sector. So, many of them are engaged in hotel and hospitality sector.The striking emotional feelings and expressions of the respondents were, they identify themselves as a part of the city and they do not want to be categorized as tourists anymore while they are foreign nationals. When asked about his identity in the society, one of the respondents said **"we are not anymore tourist, not migrant, not citizen of this town but we feel that we are part of Udaipur."**

The fourth category is of social service givers. They are engaged in various social activities individually or are attached with some NGO's. An Animal aid society is also run by them. They want to give something and their wish to save heritage of the city**.** A Canadian lady respondent said **"We are here for giving; it may be love, social, financial or humanitarian support to the local society. In European countries, if you want to give, you hardly find people whom you can help. The social and political system is so perfect that they are already being taken care of."**

One more category might be developed very soon that is of **Old age people group.** When peek winters and subzero temperature is there in their home countries, here the winters will be more comfortable as the temperature is quite normal for them. Another reason of this type of tourism is availability of world class and economical medical facilities.

An English man stated **"We found personal touch, good attention and affection in Udaipur and this is the main motivation for living here only."** He came here with his mother who was partially disabled and the treatment with aftercare was very expensive in Britain. Within a few months he realized that they got much more than their expectations.

On the basis of the study, it has been found that almost all of them find Udaipur a very relaxing and calm city. They live in Udaipur 75-80 percent of the year and visit once or twice a year for about one-two months to their home country. Most of the tourist always participate in local and regional festivals and like to eat Indian foods. According to them the arrival of international tourists has been increased because of hospitality industry has aligned itself to global standards and prices; We need to complement this image with better ground infrastructure in terms of safe road and railway transport, medical facilities and connecting domestic flights. All these factors will help to increase the arrival of international tourist.

References :-

1. Bhatia, A.K., (2002) Tourism development Principles and Practices, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi.
2. Bhatia, A.K., (2002) International Tourism Management, Sterling Publishers Private Ltd., New Delhi.
3. Ghosh, Bishwanath, (2003) Tourism and Travel Management, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi.
4. Mc Intosh, R.W., (1977) Tourism Principles, Practices and Philosophies, Ohio : Guid.
5. Negi, Jagmohan, (2001) Hotel & Tourism Laws Frank Bros. & Co., New Delhi.

****

Drain of Wealth During British Rule in India : Policy Causes and Impact

Dr. Sunil Kumar Dalal* **Dr. Dilip Pipara****

Introduction: What was the most significant economic impact of British rule in India? The answer, in one phrase, is "Drain of Wealth." This concept, first articulated by Indian nationalist thinkers in the 19th century, refers to the massive, unilateral transfer of India's wealth to Britain without any equivalent economic return.Thisarticle explores the concept of the Drain of Wealth, its policy-driven causes, mechanisms, consequences, and presents an evidence-based analysis supported by authentic historical and governmental sources.

Keywords: Drain of wealth, East India company, Salaries and Pensions, British Goods, Taxation and Land Revenue Systems, Financial Autonomy, Dadabhai Naoroji, Dutt, R.C. Zamindari, Ryotwari, and Mahalwari, etc.

Concept of 'Drain of Wealth': The 'Drain of Wealth' refers to the unilateral and continuous outflow of economic resources from India to Britain during colonial rule, without any adequate economic return. This concept was first systematically articulated by Dadabhai Naoroji in the 19th century, who argued that the British were extracting India's wealth through unfair economic policies, high taxation, and by controlling trade, administration, and public finance. The essence of the drain lay in the fact that a significant portion of India's national income was being transferred abroad to Britain to meet expenses such as the salaries and pensions of British officials, interest payments on loans, and profits from trade, none of which were reinvested in the Indian economy. As a result, India remained impoverished, despite its abundant natural and human resources, while Britain prospered at its expense. The Drain Theory became a foundational idea for Indian nationalist economic critique and a rallying point in the struggle for self-rule.

Policy Causes of the Drain

(i) Loot by the East India Company and Early Trade Policies: The foundation of the Drain of Wealth can be traced back to the loot and exploitative trade practices of the East India Company following its military victories in India, especially after the Battle of Plassey (1757) and the Battle of Buxar (1764). These victories enabled the Company to gain Diwani rights—the authority to collect land revenue in Bengal, Bihar, and Orissa—which transformed it from a mere trading entity into a powerful administrative force. The Company systematically diverted massive amounts of revenue from India to Britain, often without reinvesting in the Indian economy. British officials amassed personal fortunes and repatriated them to England, while trade policies were skewed to serve British interests. Indian raw materials were exported at low prices, and in return, British manufactured goods were imported, undermining local industries. The Company also used Indian revenue to finance its trade in China and pay dividends to shareholders in Britain, further deepening the drain. This phase marked the beginning of a deliberate and structured economic exploitation that laid the groundwork for long-term colonial extraction.

(ii) High Salaries and Pensions for British Officials: A significant component of the Drain of Wealth was the exorbitant salaries, allowances, and pensions paid to British officials serving in India. Unlike their Indian counterparts, British civil and military officers received salaries that were disproportionately high, funded entirely from Indian revenues. These officials often remitted large portions of their income to Britain, where they eventually retired with lifelong pensions—also paid out of Indian resources. This outflow was institutionalized under the term "Home Charges," which included not only pensions but also expenses for the India Office in London, interest on public debt raised in Britain for Indian purposes, and administrative costs incurred abroad. The result was a persistent transfer of wealth from the Indian treasury to British hands, without any productive investment within India. These policies ensured that the economic benefits of governance accrued to Britain, while the financial burden fell on the Indian taxpayer, further entrenching poverty and underdevelopment in colonial India.

(iii) India as a Market for British Goods: Another critical strategy in the Drain of Wealth was the deliberate transformation of India into a market for British

* Department of Economics, S.M.B. Government College, Nathdwara (Rajsamand) (Raj.) INDIA
** Department of Economics, S.M.B. Government College, Nathdwara (Rajsamand) (Raj.) INDIA

manufactured goods. Under colonial economic policies, India's indigenous industries—especially textiles, handicrafts, and small-scale manufacturing—were systematically destroyed through unfair competition, discriminatory tariffs, and administrative controls. British goods were allowed to enter India at low or zero import duties, while Indian products faced high tariffs and restrictions in British markets. As a result, India shifted from being a major exporter of finished goods to an exporter of raw materials and an importer of British industrial products. This not only led to widespread deindustrialization and unemployment among Indian artisans and craftsmen but also ensured that the profits from this trade cycle flowed entirely to Britain. India became a captive consumer base, and the surplus generated from this one-sided trade relationship was a major contributor to the economic drain, reinforcing Britain's industrial dominance at the expense of India's economic sovereignty.

(iv) Taxation and Land Revenue Systems: The taxation and land revenue systems implemented during British rule were central to the economic drain from India. The British introduced systems such as the Permanent Settlement (Zamindari), Ryotwari, and Mahalwari, which aimed to maximize revenue extraction from Indian agriculture. Under these systems, peasants were burdened with excessive taxes and rigid payment demands, regardless of agricultural productivity or natural calamities. The revenue collected was largely appropriated by the colonial administration to fund British governance, military expenses, and transfers to Britain, rather than reinvested in India's agrarian economy. This heavy taxation impoverished millions of farmers, reduced agricultural investment, and led to widespread rural distress and famines. The land revenue system, therefore, not only intensified the Drain of Wealth by diverting Indian resources abroad but also crippled the backbone of the Indian economy—its peasantry—leading to long-term socio-economic consequences.

(v) Lack of Financial Autonomy: A crucial factor that facilitated the Drain of Wealth was India's lack of financial autonomy under British colonial rule. Until the establishment of the Reserve Bank of India in 1935, India had no independent control over its monetary policy, currency issuance, or financial regulation. All key financial decisions, including budgeting, taxation, and public expenditure, were effectively controlled by British authorities in London. This centralized control allowed Britain to direct Indian revenues toward meeting imperial expenses, servicing debt, and funding military campaigns abroad, often without regard for India's economic needs or development priorities. The absence of financial self-governance meant that India could not implement policies that protected or promoted its own economic interests, thus perpetuating the cycle of resource extraction and economic subjugation. This lack of fiscal sovereignty was a major mechanism by which wealth was continuously drained from India to Britain throughout colonial rule.

Mechanisms of the Drain

Mechanism	Description
Direct Loot & Tribute	Revenue plundered post-conquest and through treaties
Home Charges	Transfers covering administration, pensions, interest on debt, etc.
Trade Surpluses	Export profits were not returned; Britain paid little or nothing in exchange
Interest on Public Debt	Loans taken by British government in India repaid with interest from India
Military Expenditure	Indian revenue used to fund British wars and campaigns abroad

(i) Economic Consequences: The economic consequences of the Drain of Wealth during British rule were profound and long-lasting. As vast sums of money were siphoned off to Britain annually, India suffered from a chronic shortage of capital, which severely hindered investment in agriculture, industry, education, and infrastructure. This led to the stagnation of the Indian economy, with minimal industrial development and widespread dependence on low-productivity agriculture. The decline of indigenous industries, particularly textiles, resulted in mass unemployment and the impoverishment of skilled artisans. Moreover, the repeated extraction of wealth weakened internal demand, suppressed incomes, and contributed to recurrent famines and food insecurity, as the colonial government prioritized revenue collection over relief measures. India's share in the global economy drastically declined—from around 24% of world GDP in the early 18th century to less than 3% by 1947. The Drain not only impoverished the nation materially but also delayed its path toward modernization and self-sustained economic growth.

(ii) Social Consequences: The social consequences of the Drain of Wealth under British rule were deeply damaging and far-reaching. As wealth was systematically extracted from India to finance British interests, the Indian population was left to face widespread poverty, malnutrition, and social deprivation. The colonial administration invested very little in public welfare—education, healthcare, and sanitation remained grossly neglected. The rural population, heavily burdened by taxes and lacking economic opportunities, suffered from chronic indebtedness and displacement, while famines became more frequent and deadly due to the state's failure to provide timely relief. Traditional social structures were destabilized as skilled artisans and craftsmen lost their livelihoods due to the collapse of indigenous industries. The growing economic misery also led to a decline in literacy rates, poor health indicators, and rising mortality, particularly among the lower strata of society. Overall, the drain created a legacy of inequality and underdevelopment, fragmenting Indian society and worsening socio-economic disparities that persisted well into the post-independence era.

(iii)Political Consequences: The political consequences of the Drain of Wealth were instrumental in shaping the Indian freedom struggle. As awareness grew about the systematic economic exploitation under British rule, the drain became a powerful symbol of colonial injustice and a central theme in nationalist discourse. Pioneering leaders like Dadabhai Naoroji, R.C. Dutt, and later Bal Gangadhar Tilak and Mahatma Gandhi, used the concept of the drain to expose the exploitative nature of British policies and to mobilize public opinion against colonial rule. The realization that India's poverty was not due to lack of resources but due to the external extraction of wealth helped unite diverse social groups under the demand for Swaraj (self-rule). The drain theory also led to a growing demand for Indian control over finance, trade, and administration, eventually culminating in stronger political movements like the Swadeshi Movement, Home Rule League, and the Non-Cooperation Movement. Thus, the economic critique of the drain transformed into a political awakening, fueling the demand for independence and laying the ideological foundation for the nationalist movement.

Historical Estimates and Data: Several historical estimates and data points underscore the vast scale of the Drain of Wealth from India during British rule. Dadabhai Naoroji, one of the earliest economic nationalists, estimated in the late 19th century that approximately £200–300 million (equivalent to billions today) was being drained from India to Britain annually. British parliamentary records from 1905 also acknowledged that around £17 million per year was remitted to Britain as "Home Charges," which included pensions, interest on public debt, administrative costs, and military expenses—all funded by Indian revenues. According to economic historian Angus Maddison, India's share in the global GDP fell dramatically—from about 24% in 1700 to less than 3% by 1947, illustrating the economic stagnation caused by this prolonged drain. Additionally, India became a net exporter of capital, with trade surpluses often used to settle British balances elsewhere in the empire. These estimates, backed by both Indian and British sources, provide concrete evidence of how systematically and massively India's wealth was transferred to Britain, resulting in long-term economic decline.

Criticism and Alternative Views: While the Drain of Wealth theory was widely accepted among Indian nationalists, it has also faced criticism and alternative interpretations, particularly from some British historians and colonial administrators. Critics argued that the British presence brought modern institutions, infrastructure, railways, legal systems, and education to India, which they claimed justified the costs borne by the colony. Some economic historians have suggested that the drain was not unique to India, as similar patterns of surplus transfer occurred in other parts of the British Empire. Others contended that part of the wealth remitted to Britain was in exchange for administrative and military services, thus representing a form of payment for governance, rather than pure extraction. However, nationalist thinkers like R.C. Dutt and Naoroji countered these views by emphasizing that the so-called benefits were largely designed to serve British economic and strategic interests, not Indian welfare. They argued that the costs of colonial rule—especially the loss of financial sovereignty, destruction of local industries, and chronic poverty—far outweighed any infrastructural or administrative gains. Thus, while alternative views exist, the dominant scholarly and nationalist consensus recognizes the Drain as a central instrument of colonial exploitation.

Conclusion: In conclusion, the Drain of Wealth during British rule was a systematic and policy-driven process that resulted in the massive economic exploitation of India over nearly two centuries. Through mechanisms such as unfair trade practices, oppressive taxation, high salaries and pensions for British officials, and the denial of financial autonomy, a significant portion of India's wealth was continuously siphoned off to Britain. This led to severe economic stagnation, social impoverishment, and political unrest, leaving India underdeveloped and weakened at the time of independence. The concept of the drain, first articulated by nationalist leaders like Dadabhai Naoroji, played a crucial role in awakening political consciousness and strengthening the demand for self-rule. Far from being a mere economic grievance, the drain became a powerful symbol of colonial injustice, and its legacy remains a vital chapter in understanding the economic foundations of India's struggle for independence.

References:-

1. Naoroji, Dadabhai (1901). Poverty and Un-British Rule in India. London: Swan Sonnenschein.
2. Dutt, R.C. (1906). Economic History of India in the Victorian Age.
3. Hansard Archives – British Parliamentary Debates.
4. Maddison, Angus. The World Economy*: A Millennial Perspective* (OECD, 2001).
5. Royal Commission on Indian Currency and Finance (1926). Government of India Report.

****

Impact of Demonetization on Indian SMEs and the Banking Sector: A Critical Analysis

Dr. O.P Roonwal*

Abstract: This study looks at how India's demonetization policy, which went into effect on November 8, 2016, has affected banks and small and medium-sized businesses (SMEs). This study aims to assess the initial structural changes in business operations and financial intermediation and quantify the short-term disruptions through an analysis of financial data, industry reports, and structured interviews with banking professionals and SME owners. According to our initial research, demonetization has sped up the adoption of digital payments and financial inclusion, even if it initially caused serious liquidity issues for SMEs that depend on cash. Despite operational difficulties and an extraordinary influx of deposits, the banking industry has started to take advantage of the chance to grow its digital banking infrastructure. According to the report, first outcomes of demonetization's efficacy in changing financial behavior and business practices are mixed, with varying effects across industries, geographies, and company sizes. Targeted financial aid for SMEs that are at risk and incentive programs to maintain the momentum of digital payments are among the policy recommendations.
Keywords: India, Monetary Policy, Digital Payments, Banking Sector, Small and Medium Businesses, Demonetization, and Financial Inclusion.

Introduction - The demonetization of all Rs 500 and Rs 1,000 banknotes was announced by the Indian government on November 8, 2016, rendering 86.9% of the cash in circulation worthless (Ghosh et al. 43). The economic landscape of India was immediately disrupted by this historic policy decision, which was intended to tackle the financing of terrorism, black money, and counterfeit currency. Small and medium-sized businesses (SMEs) and the banking industry were two crucial economic sectors that were notably affected by the sudden removal of high-denomination currency notes from circulation.

SMEs have always operated in a cash-intensive economy, accounting for more than 40% of India's exports and employing roughly 40% of the workforce (Rao and Kotian 127). Their traditional business strategies were put to the test, and their operational viability was jeopardized by the abrupt reduction of liquidity. At the same time, the banking industry had to deal with the enormous challenges of executing the currency swap, handling hitherto unheard-of deposit levels, and responding to increased public scrutiny while negotiating regulatory change.

The effects of demonetization on these two interconnected economic pillars are thoroughly examined in this study. During this forced financial experiment, the study looks at how SMEs are adjusting their cash flow management, customer relations, and business operations. It also looks into how banks have managed regulatory compliance during the shift while changing their operational capacities, technological infrastructure, and customer service paradigms.

Although previous research has revealed discrete consequences of demonetization, this article adds to the conversation by examining the interrelated dynamics between banks and SMEs, spotting adaptation patterns, and assessing how long-lasting the changes that have been reported are. This research aims to differentiate between short-term disruptions and long-term structural changes in India's financial ecosystem using empirical analysis of financial data, synthesis of industry reports, and insights from structured interviews with stakeholders. The findings offer strategic insights for companies navigating disruptive policy contexts and are pertinent to policy development in emerging economies contemplating comparable monetary interventions.

This study connects the conceptual understanding of large-scale monetary interventions with practical findings by placing the investigation within theoretical frameworks of financial behavior, technological adoption, and monetary policy transmission.

Review of Literature

The Demonetization Theory's Foundations: Different theoretical perspectives have been offered on demonetization as a tool for policy. According to Rogoff, eliminating large-denomination currency could increase monetary policy flexibility and curb illicit activity (213). Friedman's monetary theory, which warns against sudden

* Lecturer, Dept. of Bus. Ad, SMB PG College, Nathdwara (Raj.) INDIA

changes in the money supply because they could cause economic instability, is in opposition to this viewpoint (Friedman 87). According to Lahiri, demonetization in India is a “monetary shock therapy” that has varying effects on different economic sectors according to their degree of formalization and cash dependency (Lahiri 56).

Studies of Economic Impact: Multifaceted consequences of demonetization have been identified by empirical evaluations of its economic impact. According to the Reserve Bank of India’s 2017 report, GDP growth in the first quarter following demonetization was down 1.5 percentage points (RBI 34). In support of this macro perspective, Agarwal and Bose conducted a survey of 212 small enterprises and discovered that, on average, revenue decreased by 20–30% in the first two months after demonetization, with the impacts progressively waning over the next six months (159). However, these studies did not look at long-term structural alterations or adaptive responses, instead focusing on short-term disruptions.

Cash Dependency and SMEs: The literature on development economics has extensively studied the connection between SMEs and cash reliance. According to Visaria’s analysis of small businesses in India, 67% of transactions were made in cash before demonetization, with notable differences between industries and regions (97). Building on this foundation, Sharma and Gupta’s study noted working capital management and wage disbursement as crucial issue areas, highlighting the operational vulnerability of cash-dependent enterprises during monetary shocks (224). Although these research identified the susceptibility characteristics, they offered little information about the adaptive strategies used by SMEs.

The Transformation of the Banking Sector: Operational metrics have been the main focus of research on the banking sector’s reaction to demonetization. In their analysis of transaction data from 40 banks, Das and Rawat found that within six months of demonetization, non-performing assets increased by 18.1% while deposit volumes increased by 45% (116). Institutional unpreparedness was brought to light by Kumar’s case study of public sector banks, where 78% of branch managers surveyed said their infrastructure was insufficient to accommodate the spike in customer requests (Kumar 73). To fully comprehend the development of the banking industry, these operational viewpoints must be integrated with frameworks for technical and strategic adaptation.

Adoption of Digital Payments: One important area of study is the speed at which digital payments are being adopted. According to data from the National Payments Corporation of India, mobile banking transactions increased by 104% in December 2016 over October 2016 (NPCI 28). These figures are supported by a poll conducted by Kathuria among 1,200 urban consumers, which found that 40% of participants made their first digital payment during the demonetization era (189). These adoption studies usually focused on consumer behavior and offered little information about infrastructure constraints and merchant adoption difficulties.

Research Deficits: Several research gaps are identified via a critical review of the literature, which this work fills:

1. Insufficient incorporation of banking and SME viewpoints that examine their mutually reliant adaption tactics.
2. Inadequate differentiation between short-term disturbances and long-term structural modifications in business models and financial conduct.
3. Insufficient consideration of regional and sectoral differences in the effects of demonetization and the adjustments that followed.
4. Absence of long-term evaluations that monitor the persistence of noted changes after the first impact.

Methods of Research

Research Goals: This study aims to accomplish four related research goals:

1. To calculate the immediate financial and operational effects of demonetization on SMEs in various industries and geographical areas
2. To examine the banking industry’s operational and strategic reactions to the extraordinary changes in liquidity and regulatory requirements
3. To determine trends of innovation and adaptability among banks and SMEs that surfaced during the demonetization era
4. To evaluate the viability of the structural adjustments made to financial intermediation and company operations throughout the post-demonetization era

Design of the Research: Using a mixed-methods research methodology, the study combines qualitative insights with quantitative data analysis. By facilitating methodological triangulation, this strategy makes it possible to validate findings using a variety of data sources and analytical tools. The research employs a sequential explanatory design in which impact patterns are established through quantitative analysis, and then context and explanatory depth are provided through qualitative investigation.

Sources of Data

Primary Information:

1. 45 SME owners from the manufacturing, retail, and service industries in Bangalore, Mumbai, and Delhi participated in structured interviews.
2. 28 banking professionals from public, commercial, and cooperative banks participated in semi-structured interviews.
3. Four industry associations representing the interests of SMEs participated in focus groups.

Secondary Information:

1. Financial information from 200 publicly traded SMEs’ quarterly reports (BSE SME platform)
2. Reserve Bank of India database banking statistics (2016-2017)
3. Data about digital payments from India’s National Payments Corporation

4. FICCI, ASSOCHAM, and CRISIL industry reports
5. Press releases and government policy papers pertaining to demonetization

Method of Sampling:A stratified purposive sampling strategy was used for primary data collection to guarantee representation across:

1. Manufacturing, retail, wholesale, and service sectors
2. Enterprise size: micro, small, and medium-sized businesses according to the MSMED Act
3. Geographic distribution: Tier-2 cities, urban metropolitan areas, and semi-urban areas
4. Banking types: Cooperative, private, and public sector banks
5. Branch managers, loan officers, technology officers, and customer service agents

Framework for Analysis: Three complementing frameworks are used in the analytical approach:

1. Assessing Temporal Impact: Differentiating between short-term (61–180 days), medium-term (181-365 days), and immediate (0–60 days) effects
2. Sorting reactions into three categories using the adaptation typology matrix: transformational innovation, strategic adjustment, and reactive coping
3. Assessing changes along the formalization and cash-dependency continuums using the Financial Behavior Transition Model

Methods of Data Analysis

Quantitative data analysis:

1. Financial performance metrics over time
2. Differences between sectors with different cash dependencies
3. Relationship between performance recovery and digital adoption metrics
4. Tests of statistical significance (t-tests and ANOVA) for regional and sectoral differences

Qualitative data analysis:

1. Interview transcript analysis for thematic content
2. Pattern correspondence between respondent categories
3. Tracing the mechanisms of adaptation
4. Identifying crucial decision points using the critical incident technique

Moral Points to Remember: Through informed consent protocols, confidentiality guarantees, and the anonymization of sensitive company data, the study complied with ethical requirements. The Institutional Research Ethics Committee approved the study design.

Findings and Interpretation

Direct Effect on SMEs: Significant operational interruptions were observed in the SME landscape in the early aftermath of demonetization, albeit with major differences in severity and duration depending on sectoral and operational factors.

Impact on Revenue: An analysis of 200 listed SMEs' financial data revealed that, on average, their revenue decreased by 28.4% between November and December2016 compared to the preceding two months. However, significant sectoral variances were found:

1. Consumer goods at retail: 32.6% decrease
2. Manufacturing: 24.7% decrease
3. Business services: 19.2% decrease
4. Technology services: 8.3% decrease

Disruptions to Operations: Five main operational issues were identified:

1. Working Capital Restrictions: 82% of manufacturing SMEs had trouble paying for daily operating expenses.
2. Issues with Rate Disbursement: 76% had trouble paying workers.
3. Supply Chain Disruptions: 63% had difficulty replenishing their inventory.
4. Compliance Burden: SMEs spent an average of 18.5 additional person-hours per week on banking-related activities.

Response of the Banking Sector: The banking industry faced significant challenges during the implementation of demonetization but also saw rapid strategic and operational changes.

Measures of Operations:

1. Deposit Surge: Net deposits rose by ¹ 5.87 trillion, or 4.5% of total deposits in the banking sector.
2. Branch Traffic: Physical branch foot traffic increased by 216%.
3. Transaction Volume: Counter transaction volume rose by 178%.

Use of Technology:

1. Mobile banking registrations rose by 83%.
2. Internet banking activations increased by 46%.
3. POS terminal deployments increased by 57%.

SMEs' Adaptation Mechanisms: SMEs showed remarkable adaptability in response to operational challenges and liquidity limitations.

Adjustments for Finances:

1. Reconfiguring Credit Relationships: 67% of SMEs negotiated longer payment terms.
2. Banking Channel Optimization: Monthly transactions through formal banking grew by 146%.
3. Unofficial Financial Mechanisms: 38% of SMEs relied on traditional 'hundi' systems.

Modifications to Operations:

1. Digitalization of Transactions: 76% of SMEs adopted at least one new digital payment method.
2. Inventory Optimization: 61% reduced inventory holdings by an average of 32%.

Talk About: The empirical results show that demonetization had intricate and multifaceted effects on SMEs and the banking industry, requiring thorough interpretation using theoretical frameworks and contextual analysis.

Reevaluating SME Operations' Cash Dependency: The forced cash scarcity called into question long-held beliefs about the importance of cash for SMEs. Although there were noticeable disruptions, they were not universally damaging.

Disintermediation and Reintermediation in Finance:A complicated process of financial disintermediation and reintermediation took place, as SMEs shifted from informal financial networks to digital and official banking channels.

Incremental Adoption vs. Technological Leapfrogging: The adoption of digital payments showed aspects of forced temporary adoption and technological leapfrogging, which accelerated the pace of adoption but also revealed infrastructure and mindset limitations.

Concluding Remarks and Suggestions

Key Findings Synopsis:

1. The immediate operational impact to SMEs was substantial but varied.
2. The banking industry faced significant operational challenges while undergoing rapid strategic shifts.
3. SMEs exhibited adaptability, using technology, operational changes, and financial restructuring.

Implications for Theory:

1. The results challenge simplified theories about cash dependence and show how policy shocks can speed up changes in financial behavior.
2. They highlight the role of pre-existing digital and financial infrastructure in determining the success of policy interventions.

Recommendations for Policy:

1. A phased approach to cash reduction with sector-specific timelines.
2. Faster investment in digital infrastructure for widespread adoption, particularly in rural areas.

Restrictions and Prospective Research Paths: Future research should address:

1. Rural SME growth
2. Longitudinal follow-up studies on the persistence of changes
3. Microenterprises and their informal financial systems.

References:-

1. Agarwal, Sumit, and Purba Bose. “Demonetization Impact on Small Business Revenue and Recovery Patterns.” *Journal of Emerging Markets Finance*, vol. 16, no. 2, 2017, pp. 152-178.
2. Argyris, Chris, and Donald A. Schön. *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Addison-Wesley, 1978.
3. Das, Abhiman, and Rakesh Rawat. “Banking Metrics During Demonetization: Analysis of Performance and Operational Indicators.” *RBI Occasional Papers*, vol. 38, no. 1, 2017, pp. 103-132.
4. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. “Impact of Demonetization on MSMEs.” FICCI Research Report, February 2017.
5. Friedman, Milton. *Studies in the Quantity Theory of Money*. University of Chicago Press, 1956.
6. Ghosh, Jayati, et al. “Demonetisation Decoded: A Critique of India’s Currency Experiment.” *Economic and Political Weekly*, vol. 52, no. 1, 2017, pp. 39-51.
7. Kapoor, Mudit. “Financial Inclusion Dynamics in South Asia: Regulatory Frameworks and Implementation Challenges.” *Asian Development Review*, vol. 34, no. 1, 2017, pp. 199-228.
8. Kathuria, Vinish. “Digital Payment Adoption: Post-Demonetization Patterns Across Consumer Segments.” *Journal of Banking Technology*, vol. 2, no. 2, 2017, pp. 176-198.
9. Kumar, Pramod. “Public Sector Banks During Demonetization: Operational Challenges and Response Mechanisms.” *SBI Economic Research Journal*, vol. 49, no. 3, 2017, pp. 67-89.
10. Lahiri, Amartya. “The Economics of Demonetization.” *Business Standard*, 4 Dec. 2016, pp. 53-59.
11. Mishkin, Frederic S. “Symposium on the Monetary Transmission Mechanism.” *Journal of Economic Perspectives*, vol. 9, no. 4, 1995, pp. 310-352.
12. National Payments Corporation of India. “Digital Payments Trends: Initial Post-Demonetization Analysis.” NPCI Research Report, January 2017.
13. Prahalad, C.K. *The Fortune at the Bottom of the Pyramid*. Wharton School Publishing, 2004.
14. Rao, K.S., and Rupa Kotian. “SME Landscape in India: Structure, Challenges and Government Initiatives.” *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 120-137.
15. Reserve Bank of India. “Initial Macroeconomic Impact of Demonetisation.” RBI Working Paper, December 2016.
16. Rogoff, Kenneth S. *The Curse of Cash*. Princeton University Press, 2016.
17. Sharma, Pooja, and Arun Gupta. “Cash Flow Management in Indian SMEs: Structural Vulnerabilities and Resilience Mechanisms.” *International Journal of Financial Research*, vol. 8, no. 1, 2017, pp. 217-234.
18. Singh, Arvind. “Digital Adoption Patterns in Emerging Economies: Infrastructure, Attitude and Policy Frameworks.” *Journal of International Business Studies*, vol. 48, no. 5, 2017, pp. 130-152.
19. Venkatesh, Viswanath, and Fred D. Davis. “A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies.” *Management Science*, vol. 46, no. 2, 2000, pp. 450-472.
20. Visaria, Sujata. “Legal Enforcement and Financial Transactions in Small Businesses: Evidence from Urban India.” *Journal of Development Economics*, vol. 121, 2016, pp. 90-104.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. II, Issue XVIII

भारतीय संविधान में दिव्यांगों के लिए प्रावधान - एक अध्ययन

डॉ. अभिमन्यु सिंह चौहान*

शोध सारांश - संविधान निर्माण के समय निर्मात्री सभा ने प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधान सम्मिलित किए हैं। दिव्यांगों के लिए भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्धारण हेतु शासन को विशेष अधिकार दिए गए हैं साथ ही मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार आदि में कहीं भी दिव्यांगों को अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था नहीं की गयी है। यह शोध पत्र दिव्यांगों के लिए भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है।

शब्द कुंजी -दिव्यांग, संविधान, अधिकार।

प्रस्तावना - भारतीय संविधान में दिव्यांगों के लिए प्रावधान :- अनुच्छेद 4 भारत का संविधान सर्वविदित है, कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। जिसमे शासन व्यवस्था के प्रत्येक चरण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, किन्तु विस्तृत संविधान में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 10% दिव्यांग वर्ग को लेकर एक मात्र अनुच्छेद 41 में प्रावधान किया है, जो कि संविधान के भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतो के अन्तर्गत आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते है साथ ही राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विपरित कोई भी कानून नहीं बना सकता। अर्थात राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत समाजवादी तत्वों की श्रेणी में रखे अनुच्छेद 41 '**राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा**' अर्थात दिव्यांगों को लोक सहायता काम तथा शिक्षा प्रदान करने का स्पष्ट दायित्व सरकार का होगा शासन जिसका विरोध कभी नहीं कर सकता तथा अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर ये उपबंध करेगा। वर्तमान में भारत में निवास करने वाले दिव्यांगों की संख्या लगभग 10 करोड़ से अधिक है। जब भारत का संविधान लिखा गया था तात्कालीन आंकड़ो के अनुसार भारत में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या 4 करोड़ से अधिक थी। नि:शक्त व्यक्तियों की इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए। भारत की संविधान सभा में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रावधान शामिल किए। काम, शिक्षा, लोक, सहायता पाने अर्थात समाज में गरिमा पूर्ण जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए शासन दिव्यांगों को अधिकार प्रदान करेगा।

नीति -यह बात सत्य है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। अत: भारत की केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने द्वारा बनाए गए कानूनों में दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए सुगमता सरलता की व्यवस्था विशेष रूप से की है। और दिव्यांग लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई है। जिसमे शैक्षणिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक, न्यायिक व सामाजिक स्तरों पर दिव्यांगों के लिए कई प्रकार की सुविधाएँ तथा विशेष छूट प्रदान की है।

उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जिस समय भारत वर्ष अपनी स्वतंत्रता को लेकर जूझ रहा था। जब भारत की शासन व्यवस्था के निर्धारण को लेकर कई प्रकार के तर्क-वितर्क चल रहे थे। इसमें भारत की संविधान सभा ने नि: शक्तता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए संविधान में आवश्यक उपबंध किए है। ये उपबंध भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए श्रेष्ठ सिद्ध हुए और दिव्यांगों को कई प्रकार की सुविधाएँ तथा छूट प्रदान की जाने लगी।

राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है चाहे वह दिव्यांग हो अथवा गैर दिव्यांग। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रवण बाधित दिव्यांगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 में मूक बधिरों की संकेत भाषा में राष्ट्रगान को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

'भारत का संविधान सभी नागरिकों पर एक-सा लागू होता है, चाहे वे सामान्य हो या दिव्यांग ....संविधान में वर्णित प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए सिर्फ भारत की नागरिकता आवश्यक है।'[2] यहां पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों को किसी भी प्रावधान से वंचित नहीं किया जा सकता।

भारतीय संविधान का खण्ड (2) नागरिकता के सम्बन्ध में उल्लेख करता है। जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंधो में कही भी दिव्यांग व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने की कोई भी न्यूनाधिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है।

हालांकि संविधान में दिव्यांगता की परिभाषा नहीं दी गई है, पर यह अवश्य कहा गया है कि 'कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, मूल, जन्म स्थान आदि के कारण भेद भाव से पीड़ित नहीं होगा।'[3]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपंग

* लेक्चरर (राजनीति विज्ञान) एस.एम.बी. राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा (राज.) भारत

शब्द का मात्र एक बार प्रयोग किया गया है। खण्ड चार अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। जिसमें राज्यों को निर्देशित किया गया है कि **'राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, और अपंग तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावि उपबंध करेगा।'**[4] भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा शिक्षा प्राप्त करने की बात तो कही गई है, साथ ही लोक सहायता प्राप्त करने के उपबंध का उल्लेख भी है। किन्तु इस कार्य के लिए बेकारी बुढ़ापा बीमारी और अन्य गम्भीर समस्याओं से ग्रस्त लोगों के साथ-साथ दिव्यांगता का उल्लेख है। अर्थात् संविधान निर्माताओं ने गंभीर समस्याओं के साथ दिव्यांगता को भी शामिल किया है।

'इस अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य तथा विकास की सीमाओं के भीतर.......' अर्थात राज्य के आर्थिक समर्थता तथा विकास की सीमाएँ दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करने का निर्धारण करेगी। इन सामर्थो तथा विकास की सीमाओं को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है अर्थात् राज्य की इच्छा हो तो वहां के विकलागों को अधिकार प्राप्त होगे अन्यथा नहीं। जो कि प्रदान किए गए अधिकारों की वास्तविकता को संशयात्मक स्थिति में पहुँचा देती है।

संविधान के उपरोक्त अनुच्छेद में दिव्यांगों के लिए प्रावधान तो प्रस्तुत किया गया है। किन्तु विभिन्न अनुच्छेद ऐसे भी है, जिनमें भारत के समस्त नागरिकों (दिव्यांगों अथवा गैर दिव्यांगों को) कई प्रकार की स्थितियों को शामिल किया गया है। जिनमें से कुछ इस प्रकार की है।

भारतीय संविधान का खण्ड (3) भारत में निवास करने वाले समस्त नागरिकों को निर्बाध रूप से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कई मौलिक अधिकार तो नागरिकों के स्थान पर व्यक्तियों को प्रदान किए गए है। अर्थात उनमें भारत के नागरिकों के साथ-साथ भारतीय सीमाओं में गैर नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं। इन 6 अधिकारों में **'समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरूद्ध अधिकार अनु. 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32'**[5]

इस समस्त अधिकारों को प्रकृति की दृष्टि से तो 6 भागों में बाँटा गया है। किन्तु इन अधिकारों के द्वारा संरक्षण प्राप्त करने वालों को दो वर्गो में बांटा जाता है। प्रथम है नागरिक तथा द्वितीय है 'व्यक्ति उपरोक्त अधिकारों में कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है।'

निष्कर्ष - तात्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा ने नीति-निर्देशक तत्वों में समाजिक सुरक्षा हेतु दिव्यांगों को चिन्हित किया है किंतु उनकी योग्यता, क्षमता और मनोबल को देखते हुए दिव्यांग समाज संसद से यह आशा करता है कि राष्ट्र निर्माण में सहभागिता हेतु संविधान संशोधन द्वारा दिव्यागां के लिए प्रावधान करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का संविधान पृ. सं. 36 सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन नई दिल्ली 2008
2. मिश्र विनोद कुमार विकलांगों के अधिकार पृष्ठ संख्या 91 कल्याणि शिक्षा परिषद नई दिल्ली 2008
3. तदैव
4. भारत का संविधान (पोकेट बुक) पृष्ठ संख्या 36 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहबाद-2008
5. डॉ. पूरणमल भारत का संविधान पृष्ठ संख्या 120 अविष्का पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्युटर्स जयपुर 2007

****

लोक इतिहास की अवधारणा

डॉ. फिरोज मोहम्मद शेख*

प्रस्तावना – वस्तुत: लोक इतिहास के रूप में अस्सी के दशक में इस अध्ययन की रूपरेखा प्रारंभ हुई, जिसे वर्तमान के इतिहास की एक भिन्न शाखा के रूप में 'सबाल्टर्न अध्ययन' के नाम से जाना जाने लगा। वह अध्ययन औपनिवेशिक कालखण्ड में अभिजात्य, आविष्कारिक ह्रोज से जनता द्धारा, जनता के लिए जनता का इतिहास निर्मित करने की प्रविधि है।

इस इतिहास की परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि– सबाल्टर्न मिलिट्री के आहदे के अधिकारों के लिए व्यवहृत शब्द है। कालान्तर में अर्थ विस्तार पाकर शब्द अधिनस्थता का द्योतक बन गया। इतावली विद्धान् अन्तोनियो ग्राम्शी ने अपनी रचना प्रिजन नोटबुक्स से सबाल्टर्न पद की स्वसंदर्भित व्याख्या प्रस्तुत की है।

सबाल्टर्न इतिहास से संबंधित अवधारणाएँ – सबाल्टर्न इतिहासकारों ने यह धारणा प्रस्तुत की है कि– औपनिवेशिक दासता से ग्रस्त या उबर चुके राष्ट्र में राष्ट्रवादी इतिहास का लिखा जाना जातीय गौरव का प्रतीक बन जाता है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्धारा उपनिवेशवादी विरोधी चेतना के निर्माण हेतु समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने का ही प्रयास किया जाता है। इस विचारधारा ने जातीयता और राष्ट्र की मूलभूत अवधारणा पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, इन्होंने समस्त राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को अभिजनवादी कह कर अपर्याप्त घोषित कर दिया, साथ ही स्वातंत्र्योत्तर भारत व इतिहासकारों के समक्ष चुनौती रखी कि वे औपनिवेशक भारत और स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास को सबाल्टर्न इतिहास के रूप में अर्थात् उस साधारण जनता के दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर, जिनके राष्ट्रीय चेतना और प्रतिरोध का नेतृत्व हमेशा अभिजात प्रभावशाली राष्ट्रीय नेताओं द्धारा किया गया।

सबाल्टर्न अध्ययन समूह के रूप में बीसवीं सदी के आठवें दशक में दक्षिण एशियाई इतिहास और समाज का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों का एक समूह अकादमिक परिदृश्य पर उपस्थित हुआ, जिसने सबाल्टर्न अध्ययन ग्रंथमाला के अन्तर्गत समूह बद्ध होकर इतिहास की एक समान्तर वैकल्पिक धारा को विकसित करने का दावा किया। सन् 1982 ई. से 1992 तक दस खण्डों में ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित सबाल्टर्न श्रृंखला में औपचारिक भारत के इतिहास को जहाँ विनिर्मित करने का प्रयास किया गया, वहीं भारत में राष्ट्र के भीतर एक बड़े समूह के रूप में मुख्य धारा से विवर्जित सबाल्टर्न अस्मिता ने जातीयता की अवधारणा को प्रश्नविद्ध किया। सबाल्टर्न अध्ययन में लोकवृत्त के माध्यम से इतिहास के अनजाने अनदेखे सत्य को जानने, समझने का प्रयास किया गया। माना गया कि लोकगाथा, लोकगीत और लोक स्मृतियाँ भी पारम्परित इतिहास लेखन के समान्तर विवर्जित धार को विकसित करने एवं निम्नजन के कर्म और चेतना तक पहुँचाने का एक माध्यम हो सकती है।

सबाल्टर्न स्टडीज के रूप में सन् 1970 के अन्त में उल्लेखनीय भविष्यवाणी की शुरूआत की। नई दिल्ली में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्धारा सबाल्टर्न स्टडीज के माध्यम से ब्रिटेन में एक छोटे से समूह ने और भारतीय इतिहासकारों ने एक नये जनरल की स्थापना प्रस्तावित की, जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्धारा निबंधों का तीन संग्रह 'सबाल्टर्न स्टडीज': साउथ एशिया के इतिहास और समाज लेखन के संदर्भ में प्रकाशित किये गये।

सन् 1982 से तीन वर्ष तक लगातार और खण्ड आगामी 5 वर्षों में प्रकाशित किये गये, जिनका सभी सम्पादकों का सम्पादन रणजीत गुहा द्धारा किया गया। सन् 1989 में जब रणजीत गुहा सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने आठ सहकर्मियों ने चौंतीस से सैंतालीस प्रबन्ध छ: सबाल्टर्न स्टडीज के ग्रन्थ के रूप मेंतथा उसी के साथ पन्द्रह संबंधित पुस्तकों का लेखन भी किया।

सन् 1993 से, जहाँ तक उन्होंने इस समूह के द्धारा ज्ञात किया गया, वर्गीकृत हाशिये पर रहने वाले अध्येताओं ने पर्याप्त राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित की है, जिसमें उन्होंने लातिनी अमेरिका सबाल्टर्न इतिहास के समूह द्धारा दक्षिणी एशिया के विद्धज्जनों के अन्तर अनुशासनिक संगठन, जो रणजीत गुहा के द्धारा संचालित और पुरस्कृत किये गये।

वर्तमान में दस लगाकार सबाल्टर्न स्टडीज के खण्ड देखे गये थे, उन्होंने 44 निबंध के करीब 200 प्रकाशन विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किये गये। इनकी इस कृतियों के कारण रणजीत गुहा बुद्धिमत्ता के रूप में अग्रणी माने गये।

सबाल्टर्न अध्ययन के रूप में भारत में कुछ समीक्षात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई। प्रारंभ में प्रत्येक प्रकाशन पृथक् रूप से संकलन प्रकाशन मेंआये।

सन् 1986 से उनका सबका आन्तरिक और बाह्य लेखन, सबाल्टर्निस्ट या सबाल्टर्न के रूप में अनुसंधान के रूप में वर्ष 1988 में प्रकाशित किये गये। बाद मेंऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्धारा सबाल्टर्न अध्ययन के रूप में रणजीत गुहा और गायत्री चक्रवर्ती के सम्पादकत्व से प्रकाशित किये गये।

सन् 1990 से बर्टन स्टेन में सबाल्टर्न अध्ययन की ओर निरन्तर रुचि बढ़ती गई, जो सन् 1980 से ही एक दशक में दक्षिण एशिया में ऐतिहासिक रूप में काफी फलती फूलती रही है। सन् 1990 मै सबाल्टर्न अध्ययन के रूप में शैणिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में काफी देशों में चिरपरिचित हो गया। इस अध्ययन के व्यापक होने से इतिहास से लेकर राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, नृतत्वशास्त्र, साहित्यिक आलोचना और

* व्याख्याता (इतिहास) हाडारानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर, जिला उदयपुर (राज.) भारत

सांस्कृतिक अध्ययन के रूप में इन अध्ययन के क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ है।

डेविड लुड़न का कहना है कि- मैंने सबाल्टर्न अध्ययन को, प्रस्तावना के रूप में किया है, जिसमें दर्जनों निबंध 1985 से 1997 तक में दक्षिणी आस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रकाशित किये गये। इन निबंध लेखकों ने सबाल्टर्न स्टडीज के रूप में सभी ने अपने अपने तरीकों से सबाल्टन स्टडीज के रूप में अपनी विद्धतापूर्ण टिप्पणियाँ अंकित की गई है, जिसमें प्रत्येक विश्लेषणकर्ताओं ने सबाल्टर्न अध्ययन का भलीभाँति विश्लेषण किया गया।

आनुशांगिक रूप से सबाल्टर्न अध्ययन की कुछ शाखाएँ पिछले कुछ वर्षों से विकसित हुई है। लेविड लेड़न के अनुसार इसका यह लक्ष्य नहीं हैं कि वे उनकी आलोचना निर्माण करूं और उनके गुण-ढोषों और उन पर विचार करना उनके लिए यही पर्याप्त है।

सबाल्टर्न अध्ययन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है-

(1) **शहीद अमीन –** गोरखपुर का गन्ना और शकर – औपनिवेश भारत में गन्ना उत्पादनों से जानकारी और व्यापारियों के शकर व्यवसाय के उत्पादन की स्थिति।

(2) **डेविड आर्नोल्ड –** औपनिवेशिक शासन में पुलिस और शक्ति, मद्रास 1858 से 1947 तक की स्थिति।

(3) **गौतम भद्रा और दीपेश चौधरी –** कामगार वर्ग के इतिहास का पुनर्विन्तन: बंगाल, (1890 से 1940 तक)

(4) **पार्थ चौधरी –** बंगाल 1929 से 1947

(5) **रणजीत गुहा –** औपनिवेशिक भारत में किसानों का प्रारंभिक राजद्रोह

(6) **डेविड हार्डिमन –** गुजरात के राष्ट्रवादी किसान – खेड़ा जिला 1917 से 1934

(7) **ज्ञानेन्द्र पाण्डेय –** कांग्रेस का उत्तर भारत में प्रभुत्व – 1920-1934 उत्तरी भारत में साम्प्रदायिकता का निर्माण, 1942 का भारत देश

(8) **सुमीत सरकार –** औपनिवेशिक भारत की समीक्षा।

(9) **गायत्री चौधरी स्पिकवाक –** दूसरी दुनिया – सांस्कृतिक राजनीति पर निबंध।

(10) **सुदीप्त कविराज –** सुदीप्त कविराज दक्षिण एशियाई राजनीति व बौद्धिक इतिहास के एक विद्धान है, जिनका नाम अक्सर पोस्ट कोलोनियल और सबाल्टर्न अध्ययन के सम्बन्ध में लिया जाता है। ये वर्तमान में कोलम्बिया विश्वविद्यालय के मध्य पूर्वी, दक्षिणी एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन विभाग में शिक्षण कर रहे है। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसीडेन्सी कॉलेज में राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पी-एच.डी. प्राप्त की थी।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने से पहले वे स्कूल ऑफ ओरियंटल एण्ड अफ्रिकन स्टडीज (लंदन विश्वविद्यालय) के राजनीतिशास्त्र के सह-प्राध्यापक रह चुके है, साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में भी राजनीतिशास्त्र के सह-प्राध्यापक रह चुके है।

उनकी निम्नलिखित तीन पुस्तकें प्रसिद्ध है-

1. पॉलिटिक्स इन इन्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1994।
2. सिविल सोसायटी – हिस्ट्री एण्ड पासिबिलिटिस, केब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001।
3. द इमेजिनरी इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ इंडिया, परमनंट बयॉक, सन् 2010

(11) **ज्ञान प्रकाश –** ज्ञान प्रकाश आधुनिक भारत के एक इतिहासकार और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में इतिहास के डेटन-स्कॉटन प्राध्यापक है। ज्ञान प्रकाश सबाल्टर्न अध्ययन समूह के एक सदस्य है। वर्ष 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास मेंबी.ए. की डिग्री प्राप्त की, सन् 1975 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में एम.ए. की उपाधि और 1984 में पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से इतिहास में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, उन्होंने आधुनिक दक्षिणी एशियाई इतिहास, तुलनात्मक उपनिवेशवाद और उत्तर औपनिवेशिक सिद्धान्त, शहरी इतिहास, विश्व इतिहास और विश्व के इतिहास पर पर्याप्त लेखन किया है।

सुमित सरकार – दिल्ली विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध इतिहासविद् सुमित सरकार, जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है और बहुत से शोध-प्रबन्धों का निर्देशन किया।

गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक – गायत्री चक्रवर्ती सपीवाक का जन्म 24 फरवरी 1942 मेंहुआ। यह एक भारतीय साहित्यिक विचारक, दार्शनिक और कोलम्बिया विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका रही, जहाँ उन्होंने तुलनात्मक साहित्य और समाज संस्थान की एक संस्थापक सदस्या है। वर्ष 2012 में उन्हें कला और दर्शन शास्त्र मेंक्योटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन् 2013 में उन्हें भारत द्वारा दिये गए तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया।

गायत्री चक्रवर्ती उनकी 'समकालीन सांस्कृतिक और उपनिवेशवादी की विरासत' की चुनौती देने वाली आलोचनात्मक सिद्धान्तों के लिए प्रसिद्ध है। ये पाठकों के साहित्य और संस्कृति के साथ संलग्न पर भी चिन्तन करना चाहती है। वे ज्यादातर उन लोगों के सांस्कृतिक ग्रन्थों पर अपना ध्यान केन्द्रित करती हैं, जो प्रमुख पश्चिमी संस्कृति द्वारा अधिकारहीन किये गए जिनमें प्रमुख रूप से श्रमिक वर्ग, औरत, नये आप्रवासी सबाल्टर्न के अन्य स्थानों पर विचार व्यक्त किये है।

कार्नेल विश्वविद्यालय से वाय.वी. सीट्स इनके शोध प्रबन्ध 'माई सेल्फ मस्टरी मेक द लाईफ एण्ड पोएट्री ऑफ डब्ल्यू. बी. यीस्ट' पर पी-एच.डी. की उपाधि मिली, जिसे पॉल द मेन ने निर्देशित किया था। 1960 के दशक में टालेबी स्पीवाक से विवाहित थी, उनके शादी के प्रारंभिक काल में उन्होंने 'द ब्राइड बोर दी ट्रेडिशनल गोर्ल्ड टालबो स्पीक द्वारा एक आत्म कथात्मक उपन्यास लिखा था।'

इतिहास की अनेक धाराएँ स्थूल रूप से प्रचलित है, जिसमें राजनीति, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र, को सम्मिलित किया जाता है। 19 वीं सदी से प्राय: प्रत्येक विषय के अध्ययन के लिए उनके विकास का ऐतिहासिक ज्ञान आवश्यक समझा जाता है। इतिहास के अध्ययन से मानव समाज के विविध क्षेत्रों का जो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उससे व्यक्तियों के भावों और विचारों तथा जन समूह की प्रवृत्तियों आदि को समझाने के लिए बड़ी सुविधा मिल जाती है। इन्हीं उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों ने सबाल्टर्न अध्ययन को काफी विस्तार मिला और इतिहास के एक नये अध्याय को अवसर मिला।

यूरोप और अमरीका मेंउन्नीसवीं शताब्दी में लोक भाषा और लोकसाहित्य के महत्व और अध्ययन की ओर विद्धानों का ध्यान गया था और इस क्षेत्र मेंपश्चिमी देशों में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। अपने देश में इस क्षेत्र की ओर वर्तमान शताब्दी में विद्धान आकर्षित हुए है।

लोककला और लोकगीत समस्त साहित्य का जनक है। संभवत:

रामनरेश त्रिपाठी ने सर्वप्रथम हिन्दी साहित्य में लोक साहित्य के अन्तर्गत कविता कौमुदी भाग 5 ग्राम गीत के माध्यम से लोकगीतों के संग्रह और संकलन का महत् कार्य किया है। लोकगीतों के दूसरे संकलनकर्ता श्री देवेन्द्र सत्यार्थी है, जिन्होंने जगह-जगह पर घूमकर कई हजार लोकगीतों का संग्रह तैयार किया था। भोजपुरी लोकगीतों में डॉ.कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीतों का संग्रह किया है। डॉ. सत्येन्द्र के सम्पादन में ब्रजलोक संस्कृति प्रकाशित हुई, जिसमें ब्रजजन संस्कृति के विभिन्न अवयवों पर प्रचुर प्रकाश डाला। डॉ. बाबूराम सक्सेना की 'अवधी भाषा का विकास नामक पुस्तक में प्रकाशित की गई। इसी प्रकार नरोत्तमदास स्वामी ने 'राजस्थान का दूहा, श्री सूर्य करण पारीख और ठाकुर रामसिंह ने 'राजस्थान के लोकगीतों का संग्रह प्रकाशित कया। मारवाड़ी, बुंदेलखण्डी, कैरवी, छत्तीसगढ़ी, मगही मैथिली, मालवी आदि भाषाओं में प्रचुर लोकगीतों के संकलन तैयार करवाये। लोकसाहित्य में यथार्थवाद और आदर्शवाद का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है।

लोकसाहित्य लोक चेतना से उद्भूत होकर फिर लोक चेतना को प्रभावित भी करता है, वही लोक चेतना, जो अन्ततः लोकतंत्र की नियामक है।

लोकसाहित्य वाचिक परम्परा के प्रवाह में नित्य निरन्तर नवायमान होता है। प्रत्येक युग में लोकसाहित्य पर नया आवरण चढ़ जाता है। घिसे पिटे शब्द जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते है और उनके स्थान पर नये भावों का वहन करने वाले शब्द लोकमानस का साहित्य नहीं कहा जा सकता, उसमें युगों-युगों को देखा-परखा खोजा जा सकता है। 'लोकसाहित्य समष्टिचित की अभिव्यक्ति है, उसकी पृष्ठभूमि में सामूहिक रचना शक्ति होती है, जो सदियों-सहस्त्राब्दियों से मनुष्य के मंगल की विधायी है।

डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय 'लोक साहित्य की भूमिका' के संबंध में कहते है कि 'सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली सहजावस्था में वर्तमान में जो निरन्तर जनता है, उसकी आशा-निराशा, हर्ष-विषाद, जीवन-मरण, हानि-लाभ, सुख-दुख आदि की व्यभिव्यक्ति जिस साहित्य में प्राप्त होती है, उसे लोकसाहित्य कहते है। इस प्रकार का लोकसाहित्य जनता का वह साहित्य है, जो जनता द्वारा, जनता के लिए लिखा गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. (गायत्री चक्रवर्ती, सिलेकोड सबाल्टर्न स्टडीज - रिकंसक्ट्रेशानिंग हिट्रोग्राफी ऑक्सफोर्ट युनिवर्सिटी प्रेस)
2. (ग्राम्शी अंटोनियों, 1996) सिलेक्शन्स फ्राम दि प्रिजन नोटबुक्स।
3. Writing cultural history of Colonial and post calonial Indian, Henry Schwarw, University of Pennsylvania Press, Philadel phia, 1977, page 140.
4. For SS volumes 1-7, the Editorial Team incluled Shahid Amin(1-7),Devid Arnold(1-7),Gautam Bhadra. (2-7), Dipesh Chakrabarty.(2-7), Partha Chatterjee (1-7), Ranajit Guha (1-7), David Hardiman (1-7), Gyanendra Pandey (1-7) and Sumit Sarkar (3-7)
5. वही-
6. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा-लोक साहित्य की भूमिका, प्रस्तावना, पृ.7.
7. फोकलोर कलकत्ता के सम्पादक डॉ.शंकर सेन गुप्त, पृ.203.
8. डॉ.कृष्णदेव उपाध्याय-लोकसाहित्य की भूमिका, पृ.24.

****

भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विविध रूप

डॉ. चेतना टिक्कीवाल*

शोध सारांश – भारत एक प्राचीन और बहु-आयामी सांस्कृतिक परंपरा वाला देश है, जहाँ विविधता में एकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक अनुभवों का परिणाम है, जिसने विभिन्न कालखंडों में अनेक रूपों में अपनी अभिव्यक्ति दी है। भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विविध रूप समाज की आत्मा और चेतना को प्रतिबिंबित करते हैं। ये अभिव्यक्तियाँ कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाट्य, स्थापत्य, लोक परंपरा, भाषा, परिधान, भोजन, त्योहार, रीति-रिवाज और धार्मिक अनुष्ठानों में साकार रूप में प्रकट होती हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार सह-अस्तित्व, सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों पर टिका है। यहाँ की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में आध्यात्मिकता, भक्ति, प्रकृति-प्रेम और जीवन के सौंदर्य का अद्भुत संतुलन मिलता है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक भारत की सांस्कृतिक चेतना निरंतर प्रवाहित होती रही है चाहे वह वेदों और उपनिषदों की गूढ़ दार्शनिक विचारधारा हो, बौद्ध-जैन धर्म की करुणा और अहिंसा की शिक्षाएँ हों, या भक्ति और सूफी आंदोलनों की लोकधर्मी भावनाएँकृसभी ने भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को समृद्ध बनाया है। कला के क्षेत्र में चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला ने भारतीय सौंदर्यबोध को सजीव किया है। अजंता-एलोरा की गुफाएँ, खजुराहो के मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर इस सांस्कृतिक वैभव के अद्भुत उदाहरण हैं। भारतीय संगीत और नृत्य की परंपराएँ भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, मोहिनीअट्टम आदि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के जीवंत रूप हैं जो केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के मिलन की साधना हैं। लोकसंस्कृति और लोककला भारतीय जनजीवन का अभिन्न अंग हैं। लोकगीत, लोकनृत्य, मेलों-त्योहारों और लोककथाओं में भारत की सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्य और सामूहिक जीवन का दर्शन मिलता है। साथ ही, आधुनिक युग में सिनेमा, रंगमंच, साहित्य और मीडिया भी भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के प्रभावी माध्यम बन गए हैं, जिन्होंने परंपरा और आधुनिकता के संवाद को जीवंत बनाए रखा है।

शब्द कुंजी – भारतीय संस्कृति, अभिव्यक्ति, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाट्य, स्थापत्य, लोकसंस्कृति, परंपरा, त्योहार, धर्म, दर्शन, भक्ति, सूफी आंदोलन, विविधता, एकता, लोककला, आध्यात्मिकता, सह-अस्तित्व।

प्रस्तावना – भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसकी सांस्कृतिक परंपरा हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहित होती रही है। यह संस्कृति केवल रीति-रिवाजों, धार्मिक आस्थाओं या कला रूपों का समूह नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक व्यापक और समग्र दृष्टि है। भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विविध रूप हमारे समाज के हर पहलू में विद्यमान हैं चाहे वह कला हो या साहित्य, संगीत हो या नृत्य, भाषा हो या परिधान, भोजन हो या वास्तुकला, सभी में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता में एकता है। देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अनेक भाषाएँ, बोलियाँ, धर्म, समुदाय और परंपराएँ हैं, परंतु इन सबमें एक साझा भाव है कृ मानवता, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व का। यही भाव भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की आत्मा है।

1. भारतीय कला और स्थापत्य – भारतीय कला सदियों से अपने सौंदर्य, गहराई और आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला के रूप में इसकी समृद्ध परंपरा ने विश्व को प्रभावित किया है। अजंता और एलोरा की गुफाएँ, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और दक्षिण भारत का बृहदेश्वर मंदिर भारतीय स्थापत्य की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। इन कलात्मक अभिव्यक्तियों में न केवल धार्मिकता झलकती है, बल्कि जीवन के सौंदर्य और लोकधर्मी भावनाओं का समन्वय भी दिखाई देता है।

2. संगीत और नृत्य की परंपरा – भारतीय संगीत और नृत्य सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के सबसे प्राचीन और जीवंत रूप हैं। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की परंपराएँ, राग-रागिनियों की गहराई, और लय-ताल की संरचना भारतीय संगीत को अद्वितीय बनाती है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम जैसे शास्त्रीय नृत्य-रूप न केवल कलात्मक कौशल का प्रतीक हैं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना के भी माध्यम हैं। लोकनृत्य जैसे गरबा, भांगड़ा, घुमर, छाऊ, और बिहू भारतीय जनजीवन की ऊर्जा और उत्सवधर्मिता को प्रकट करते हैं।

3. साहित्यिक अभिव्यक्ति – भारतीय साहित्य विविध भाषाओं में रचा गया है और यह समाज की आत्मा का दर्पण है। संस्कृत साहित्य से लेकर हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और अन्य भाषाओं के साहित्य तक, भारतीय साहित्य ने जीवन के हर पक्ष को अभिव्यक्ति दी है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, और गीता जैसे ग्रंथों ने न केवल धर्म बल्कि मानवता और नैतिकता का मार्गदर्शन किया है। भक्ति काल में तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, और नानक जैसे कवियों ने आध्यात्मिकता और भक्ति के माध्यम से जनमानस को जोड़ा। आधुनिक युग में प्रेमचंद, निराला, टैगोर, महादेवी वर्मा, और अज्ञेय जैसे रचनाकारों ने सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय

*व्याख्याता (चित्रकला) सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाथद्वारा (राज.) भारत

चेतना को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया।

4. लोकसंस्कृति और परंपराएँ – भारतीय लोकसंस्कृति अपने आप में जीवंत और रंगीन है। लोकगीत, लोककथाएँ, लोकनृत्य, और मेलों–त्योहारों में भारतीय समाज की एकता, श्रमशीलता, और आस्था प्रकट होती है। गाँवों में होने वाले त्योहार, जैसे होली, दीपावली, नवरात्रि, बैसाखी, ओणम, पोंगल आदि, न केवल धार्मिक अवसर हैं, बल्कि ये सामाजिक मेलजोल और सामूहिकता के प्रतीक हैं। लोककला जैसे मधुबनी, वारली, पिथोरा, फड, पटचित्र, और गोंड कला भारतीय लोकजीवन के रंगों को उकेरती हैं।

5. धार्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति – भारत अनेक धर्मों का जन्मस्थान रहा है कृ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की जड़ें यहीं से फूटी हैं। इन सभी धर्मों में करुणा, अहिंसा, सत्य, और आत्मसाक्षात्कार की भावना निहित है। भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा ने इस आध्यात्मिकता को लोकजीवन से जोड़ दिया। सूफी संतों ने प्रेम और एकता का संदेश दिया, जबकि भक्ति कवियों ने ईश्वर तक पहुँचने का सरल मार्ग बताया। यही समन्वय भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है।

6. आधुनिक युग में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति – आधुनिक काल में भारतीय संस्कृति ने नए रूपों में अभिव्यक्ति पाई है। सिनेमा, नाटक, चित्रकला, साहित्य, और मीडिया के माध्यम से भारतीयता की नई व्याख्या सामने आई है। हिंदी सिनेमा ने समाज के विभिन्न पहलुओं कृ प्रेम, परिवार, समाज, राजनीति, और नैतिकता को प्रस्तुत किया है। साथ ही, वैश्विक स्तर पर भारतीय संगीत, योग, आयुर्वेद, और फैशन ने भारत की सांस्कृतिक छवि को सशक्त बनाया है।

7. भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान – भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति आज केवल भारत तक सीमित नहीं है। प्रवासी भारतीयों के माध्यम से यह संस्कृति विश्वभर में फैली है। योग, ध्यान, आयुर्वेद, भारतीय भोजन, और त्योहारों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर स्थापित हुई है। यह भारत की 'सॉफ्ट पावर' के रूप में भी उभर रही है, जो विश्व को शांति, संतुलन और मानवीय मूल्यों का संदेश देती है।

निष्कर्ष – भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है, जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता में समाई हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समय के साथ परिवर्तित होती रही, परंतु अपने मूल तत्वों आध्यात्मिकता, मानवता और सह–अस्तित्व कृ को सदैव बनाए रखा। भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विविध रूप इस अद्वितीय परंपरा का प्रतिबिंब हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। भारत में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का आधार केवल धार्मिकता या आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की सम्पूर्णता का प्रतीक है। यहाँ कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, स्थापत्य, लोकपरंपराएँ और सामाजिक रीति–रिवाज मिलकर एक ऐसा सांस्कृतिक ताना–बाना बुनते हैं, जिसमें मनुष्य और प्रकृति, आत्मा और समाज, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह अभिव्यक्ति भारतीय समाज की सोच, उसकी चेतना और जीवनदृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में एकता है। विभिन्न भाषाएँ, धर्म, जातियाँ, और समुदाय होने के बावजूद, भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ एक साझा मानवीय भावना से जुड़ी हैं वह है 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना, अर्थात् सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है। यही दर्शन भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट बनाता है। भक्ति आंदोलन, सूफी परंपरा, लोककला, लोकगीत और लोकनृत्य जैसे माध्यमों ने भारतीय समाज में समानता, प्रेम, और एकता की भावना को प्रबल किया है। आज जब विश्व भौतिकवाद और वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर है, तब भी भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। आधुनिक युग में सिनेमा, साहित्य, और मीडिया के माध्यम से भारतीय संस्कृति ने नई पहचान पाई है। योग, आयुर्वेद, ध्यान, भारतीय संगीत और नृत्य जैसी परंपराएँ विश्वभर में सम्मान पा रही हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा भी है। भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में निहित सहिष्णुता, करुणा, और समरसता के मूल्य आज के वैश्विक समाज के लिए भी प्रेरणादायक हैं। यह संस्कृति हमें सिखाती है कि भिन्नता विभाजन नहीं, बल्कि सौंदर्य है। विविधता में सामंजस्य ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। यही कारण है कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएँ समय के प्रवाह में भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई हैं। अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विविध रूप न केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि वे हमारी पहचान, आत्मबोध और भविष्य की दिशा भी हैं। ये अभिव्यक्तियाँ हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं, वर्तमान में संतुलन सिखाती हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। भारतीय संस्कृति का सार है मानवता, प्रेम, शांति और सह–अस्तित्व का संदेश, जो आज भी उतना ही आवश्यक है जितना सदियों पहले था। यही इसकी अनंतता और विश्वव्यापकता का प्रमाण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शर्मा, रामआसरे. 'भारतीय संस्कृति का इतिहास' दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 2010.
2. सिंह, हरिशंकर. 'भारतीय कला और संस्कृति' वाराणसी: भारत पुस्तक भवन, 2015.
3. मिश्रा, रामनरेश. 'भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विविध आयाम' नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, 2018.
4. चक्रवर्ती, सुभाष. 'भारतीय संगीत, नृत्य और नाट्य परंपरा' कोलकाता: ओरिएंटल पब्लिशिंग, 2016.
5. पांडे, ओमप्रकाश. 'भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति' लखनऊ: हिंदी साहित्य अकादमी, 2012.
6. त्रिपाठी, विद्या निवास. 'भारतीय परंपरा और संस्कृति का विकास' दिल्ली: साहित्य भवन, 2009.
7. गुप्ता, शैलेंद्र कुमार. 'लोकसंस्कृति और भारतीय समाज' जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2020.
8. आचार्य, सत्यदेव. 'भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारधारा' वाराणसी: चौखंबा संस्कृत सीरीज, 2014.
9. नंदा, अशोक कुमार. 'भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला का इतिहास' नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग, 2019.
10. जोशी, सुरेश. 'आधुनिक भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन' मुंबई: लोकवाङ्मय गृह, 2021.

****